ONGC

एमआरपीएल
MRPL

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम और ओएनजीसी लि. की सहायक कंपनी)

संधारणीय भविष्य में पूँजी लगाते हुए

32वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2019–20

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम और ओएनजीसी की सहायक कंपनी)

CIN : L23209KA1988GOI008959

वेबसाइट : www.mrpl.co.in ई-मेल: investor@mrpl.co.in

विषय–वस्तु	पृष्ठ सं.
हिस्सेदारों को अध्यक्ष का संदेश	2
दूरदर्शिता और मिशन	4
मंडल की रिपोर्ट	9
C & AG की टिप्पणियां	78
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	79
निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	87
वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (ABRR).................	119
लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट ...	132
स्वतंत्र तुलन-पत्र	144
स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण..	145
स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण	146
स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ................................	147
लेखा परीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	213
समेकित तुलन-पत्र	227
समेकित लाभ-हानि विवरण	228
समेकित नकदी प्रवाह विवरण..	229
समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	230
गत निष्पादन	307

कंपनी सचिव
श्री दिनेश मिश्रा

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार, मंगलूरु

मेसर्स एस वेंकटराम एण्ड कं एलएलपी,
सनदी लेखाकार, चेन्नई

लागत लेखा परीक्षक
मेसर्स चंद्रा वाधवा एण्ड कं,
लागत लेखाकार, नई दिल्ली

साचिविक लेखा परीक्षक
मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स,
पेशेवर कंपनी सचिव, नोएडा

पंजीकृत कार्यालय और निवेशकर्ता संबंध कक्ष
मुडपदव, कुत्तेतूर, डाक घर, वाया काटिपल्ला
मंगलूर-575030, कर्नाटक
टेलीफोन: 0824-2270400 फैक्स: 0824-2273300
ई-मेल: investor@mrpl.co.in

निवेशकर्ता संबंध कक्ष :
दिल्ली :
स्कोप कांप्लेक्स, 7वीं मंजिल, कोर-8, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003
टेलीफोन : 011-24306400 फैक्स: 011-24361744

मुंबई :
मेकर टावर्स, 'ई' विंग, 15वीं मंजिल, कफ परेड,
मुंबई – 400005
टेलीफोन : 022-22173000 फैक्स: 022-22173233

बेंगलूरु :
प्लॉट A-1, केएसएसआईडीसी, प्र.का. भवन के सामने,
इंडस्ट्रियल एस्टेट, राजाजीनगर, बेंगलूरु – 560010 (कर्नाटक)
टेलीफोन : 080-22642200 फैक्स: 080-23505501

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,
विख्रोली (पश्चिम),
मुंबई- 400083
टेलीफोन: 22-49186270 फैक्स: 022-49186060
ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in

श्री शशि शंकर
अध्यक्ष

श्री एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक

श्रीमती पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)

श्री संजय वर्मा
निदेशक (रिफ़ाइनरी)

श्री सुभाष कुमार
ओएनजीसी नामिती निदेशक

श्री विनोद एस. शेणै
एचपीसीएल नामिती निदेशक

श्री सुनील कुमार
सरकारी नामिती निदेशक

डॉ. जी. के. पटेल
स्वतंत्र निदेशक

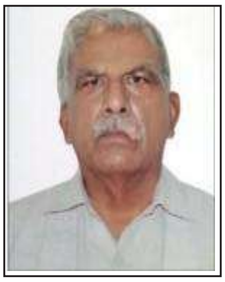

श्री बलबीर सिंह
स्वतंत्र निदेशक

श्री सेवा राम
स्वतंत्र निदेशक

श्री वी.पी. हरन
स्वतंत्र निदेशक

श्री आर. टी. अगरवाल
स्वतंत्र निदेशक

हिस्सेदारों को अध्यक्ष का संदेश

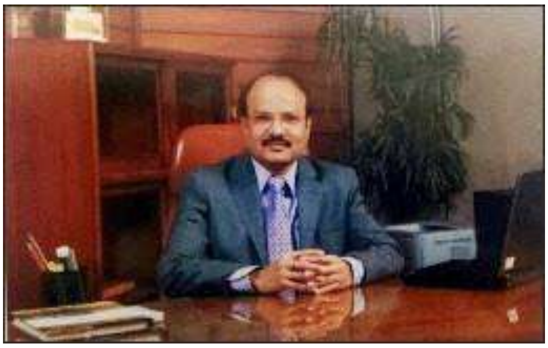

प्रिय हिस्सेदारों,

मैं, अपने सम्मान्य हिस्सेदारों के समक्ष वर्ष 2019-20 की 32वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही वर्ष के निष्पादन की कुछ उल्लेखनीय तथ्य पेश करता हूँ.

गत वर्ष, आपकी कंपनी सहित समग्र तेल उद्योग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा. एमआरपीएल में क्रूड तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट, जल की तीव्र कमी और एक लघु भूस्खलन के चलते प्रचालन में अवरोध उत्पन्न हुआ. प्रचालन की पहली तिमाही में, रिफ़ाइनरी कॉंप्लेक्स में जल के तीव्र अभाव का सामना करना पड़ा जिससे डेढ़ महीने तक संयंत्र के प्रचालन प्रभावित हुए. दूसरी तिमाही में, दक्षिण कन्नड़ ज़िले में घनघोर मानसून के प्रकोप के कारण हुए एक लघु भूस्खलन से रिफ़ाइनरी कॉंप्लेक्स पर असर पड़ा. प्रचालन की चौथी तिमाही के दौरान, दुनिया भर में COVID-19 महामारी फैलने से कंपनी का कारोबार प्रभावित हुआ.
COVID-19 महामारी के प्रकोप से पहले, दुनिया भर में राजनैतिक अनिश्चितता का माहौल रहा, व्यापार में संघर्ष और संरक्षणवादी नीतियों का दबदबा रहा जिनके चलते निवेश, रोज़गार और आय में गिरावट आई. दुनिया भर में सर्वव्यापी COVID -19 के कारण वैश्विक वृद्धि में अवनति नजर आई है. जनवरी 2020 से ही COVID का हमारे उत्पाद के मुनाफ़े पर असर नज़र आना शुरु हुआ और उत्पाद की मांग में धीमापन मार्च, 2020 से दिखाई देने लगा जब कि इसका असर विव 2019-20 की समग्र तिमाही Q4 में परिलक्षित हुआ. सर्वव्यापी महामारी का यह दौर चलता रहेगा जिसका दुनिया भर में ख़ास असर पड़ा है. मांग में गिरावट, कीमतों में मंद प्रवृत्ति और नकदी निधि पर दबाव के कारण एमआरपीएल प्रभावित हुआ है. ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद आपकी कंपनी ने अपना प्रचालन बरकरार रखा. मैं वर्ष 2019-20 के कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ:

वित्तीय निष्पादन

- आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 60,728 करोड़ का कारोबार किया जब कि पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 72,283 करोड़ का कुल कारोबार किया था.
- आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 332 करोड़ के लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 2,708 करोड़ की हानि उठाई.
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 4.06 $/bbl के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019-20 में (0.23) $/bbl का कुल परिष्करण मार्जिन (GRM) हासिल किया गया.
- जुलाई 2019 के मानसून महीने में अब तक का सर्वाधिक 1,428 TMT का क्रूड थ्रूपुट हासिल किया गया. (इससे पहले जुलाई 2017 में सर्वाधिक 1403 TMT हासिल किया गया था)
- कंपनी से CRISIL, ICRA और CARE से सर्वाधिक रेटिंग हासिल की जो कर्ज़ की बाध्यताएं पूरी करने में सर्वाधिक सुदृढ़ता का संकेत देता है.
- कंपनी की चल निधि स्थिति स्वस्थ एवं अच्छी है. अपने वायदे पूरे करने की दृष्टि से कंपनी ने अपने पेनल में सम्मिलित संघीय बैंकरों और बाहर से निधि आधारित और निधियेतर आधारित ऋण लेने के लिए वचन दिया है जिससे कि सर्वव्यापी COVID-19 के चंगुल से उचित समय में बाहर निकल सके. कंपनी ने नियत तारीख को अपने तमाम वित्तीय वायदे पूरे किए.

भौतिक निष्पादन

- आपकी कंपनी ने इससे पहले विव 2018-19 के 16.23 MMT के अब तक के सर्वाधिक क्रूड प्रोसेसिंग के मुकाबले विव 2019-20 के दौरान 13.95 MMT क्रूड प्रोसेस किया. रिफाइनरी में कुल इन्पुट 14.14 MMT रहा जब कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इससे पहले का सर्वाधिक 16.43 MMT रहा.
- भारत, संधारणीय विकास की दिशा में वैश्विक पहल करने के प्रति प्रतिबद्ध रहा है. पेरिस समझौते के तहत ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना, प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा. आपकी कंपनी ने भी ऊर्जा की दक्षता बढ़ाने की बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और आपकी कंपनी ने अब तक की निम्नतम ऊर्जा तीव्रता (अब तक की बेहतरीन ऊर्जा दक्षता) हासिल की. रिफ़ाइनरी ने 75.33 MMBTU/BBL/NRGF की मीन बैरल सं (MBN) हासिल की.

संरक्षा

- आपकी कंपनी ने संरक्षा पर अधिक ध्यान देना जारी रखा और 31/03/2020 को 1,390 दुर्घटना मुक्त दिवस हासिल किए. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान काम किए गए 13.67 दशलक्ष श्रम घंटों की तुलना में वर्ष 2019-20 में काम किए गए 13.032 दशलक्ष श्रम घंटे हासिल किए.
- लोगों, प्रकियाओं और आस्तियों की हिफ़ाजत करने के लिए रिफाइनरी में कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए. आपकी कंपनी, उद्योग में बेहतरीन पद्धतियां अपनाते हुए रिफ़ाइनरी में आने वाले अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों और सभी आगंतुकों को स्वस्थ एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है.

सुदृढ़ प्रणालियां एवं मानक बनाए गए हैं जिससे कि स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण (HSE) से जुड़े रिफाइनरी में अंतर्निहित जोखिम लगातार कम किए जा सकें.

- टूल बॉक्स टॉक और बड्डी सिस्टम जैसे संरक्षा उपायों के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाए गए हैं जिससे संरक्षा का निष्पादन और सुधारा जा सके.

प्रत्यक्ष मार्केटिंग

- आपकी कंपनी, अपने उत्पादों को पुरजोर तरीके से बेचने पर ध्यान देती रही है जिससे कि उत्पादों को बेहतर मूल्य मिल सके.
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, तमाम उत्पादों की कुल प्रत्यक्ष देशी बिक्री की मात्रा, 1702 TMT रही जिसका बिक्री मूल्य ₹ 5,568 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष के ₹ 8034 करोड़ के बिक्री मूल्य से करीब 31% कम है.
- आपकी कंपनी ने, नई एवं आला श्रेणी को जोड़ते हुए पॉलीप्रॉपीलीन के लिए अपना बाजार अंश बढ़ाना जारी रखा. कंपनी ने 310 TMT पॉलीप्रॉपीलीन का निर्माण किया और पिछले वर्ष के ₹ 4,180 करोड़ की बिक्री के मुकाबले विव वर्ष 2019-20 में ₹ 2,562 करोड़ की बिक्री हासिल की.
- एमआरपीएल, कर्नाटक, केरल और गोवा राज्यों में अगले 5 वर्षों में हर वर्ष 50 नए केंद्र जोड़ते हुए खुदरा बाज़ार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है. एमआरपीएल के खुदरा केंद्रों का जाल, दीर्घावधि में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक फैलाया जाएगा.

कर्मचारियों के साथ संबंध

- आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को सर्वाधिक सम्मान देती है और तदनुसार बेहतरीन मा.सं. पद्धतियां अपनाती हैं, उनकी वक्त-वक्त पर समीक्षा करती है एवं उसमें और सुधार करने का प्रयास करती है. फलस्वरूप कर्मचारियों के साथ उसके संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहे हैं. मुझे यह बताने में खुशी है कि गत वर्षों की भांति, इस वर्ष भी, वर्ष 2019-20 में किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

पर्यावरण, सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

- आपकी कंपनी ने, पिछले वर्ष, देश में, रिफ़ाइनरी साइट के अंदर स्थित सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना को सफलता से चालू किया था. यह सौर संयंत्र पूरी तरह काम कर रहा है और वित्तीय वर्ष के दौरान 8.29 दशलक्ष यूनिटों के समतुल्य विद्युत उत्पादन किया गया, इस तरह से संधारणीय विकास और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में प्रतिबद्धता झलकती है.
- आपकी कंपनी, करीब 41 एकड़ों की कच्छ भूमि में जैव विविध पार्क बना रही है. इस प्रक्रिया में एमआरपीएल ने इस क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञ डॉ. शिवराम कारंत पिलिकुला निसर्ग धामा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए. इस परियोजना की लागत है ₹ 14 करोड़. इस प्रक्रिया में, कच्छ भूमि को पूर्ण रूपेण जैव-विविधता पार्क में परिवर्तित किया जाएगा जिसमें हमारे देश की पेड़-प्रजातियां होंगी जिससे पक्षियों, कीटों आदि को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. इसमें जलीय पौधे भी होंगे जिससे मछली और अन्य जलचर की विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
- आपकी कंपनी ने, पर्यावरण प्रबंधन में असाधारण उपलब्धि के लिए **'वार्षिक जिनेन्टेक पर्यावरण पुरस्कार'** हासिल किया जो लगातार दूसरी बार मिल रहा है. आपकी कंपनी को राष्ट्रीय संरक्षा परिषद, कर्नाटक चाप्टर ने **'उन्नत सुरक्षा पुरस्कार 2019'** से नवाज़ा.
- एमआरपीएल ने ज़िला प्रशासन के अलावा स्कूलों, कॉलेजों और अन्य एजेंसियों के साथ हाथ मिलाकर हद के परे जाने के कार्यक्रमों के जरिए मंगलूर के नागरिकों की खातिर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए.
- अपने निगमित सामाजिक दायित्व के अंग के तौर पर आपकी कंपनी ने, ग्रामीण रूपांतरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया और अपने प्रचालन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द बसे समुदायों के लाभार्थ कार्यक्रम हाथ में लिए हैं जिसके परिणामस्वरूप वक्त के साथ स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है.
- एमआरपीएल अस्पताल में डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मचारी चौबीसों घंटे सेवारत हैं और इसके अलावा विभिन्न विशेषज्ञ सलाहकार भी उपलब्ध हैं जिसका आसपास के गांव के निवासी उपयोग कर सकते हैं.
- आस-पास के गांवों में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) के सहयोग से वक्त-वक्त पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. ध्वनि और वायु प्रदूषण के बुरे प्रभावों और एकल-उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को धीरे-धीरे मिटाने आदि के बारे में सुग्राही कार्यक्रम चलाया गया.

मैं, निदेशक मंडल को, उनकी विशेषज्ञता एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ. बोर्ड की तरफ़ से मैं, अपने उन तमाम हिस्सेदारों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनका समर्थन, सहयोग, विश्वास और भरोसा लगातार मिलता रहा है.

(शशि शंकर)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14/08/2020

दूरदर्शिता और मिशन

दूरदर्शिता

उत्पादकता, ग्राहक की संतुष्टि, संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन, निगमित सामाजिक दायित्व और कर्मचारियों की देखभाल पर अधिक बल देते हुए विश्व दर्जे की परिष्करण और पेट्रोकेमिकल्स कंपनी बनना.

मिशन

- ऊर्जा की बचत करने, दक्षता, उत्पादकता बढ़ाने और नवीनता लाने वाले नेतृत्व को बढ़ावा देना.
- देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उभरते हुए अवसरों का फायदा उठाना.
- ग्राहकों के संतोषपर्यंत उनकी अपेक्षाएं पूरी करने की दिशा में भरपूर कोशिश करना.
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानदंडों में वैश्विक दर्जा कायम करने के साथ सामुदायिक कल्याण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाना.
- कर्मचारियों के कल्याण और कर्मचारियों के साथ संबंधों पर लगातार ध्यान देते रहना.
- व्यावसायिक नीति और मूल्यों में सर्वोच्च मानक स्थापित करना

संविधान दिवस समारोह

DNPG कॉलेज, गुलोथी, उत्तर प्रदेश की कंप्यूटर प्रयोगशाला का उद्घाटन

12, 13 और 14 सितंबर, 2019 को टीएमए पै कन्वेंशन केंद्र, मंगलूरु में एमआरपीएल द्वारा आयोजित तेल और गैस पीएसयू का 57वां मा.सं. शिखर सम्मेलन

ONGC
एमआरपीएल
मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.

सतर्कता जागरूकता

मैसूर में रणनीति संबंधी सम्मेलन

मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की तरफ से, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के वैशिष्ट्य, कार्यकलापों और प्रगति को आपके साथ बांटने और कारोबार एवं प्रचालन के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा नियंत्रक (सीएजी) की लेखों पर टिप्पणियों समेत उसके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर 32वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में मुझे खुशी हो रही है.

कंपनी के कामकाज की स्थिति

आपका बोर्ड, विव 2019-20 के लिए कंपनी के कामकाज की स्थिति के बारे में निम्नानुसार रिपोर्ट कर रहा है:

वित्तीय निष्पादन

31/03/2020 को समाप्त वर्ष के स्वतंत्र / समेकित वित्तीय निष्पादन के वैशिष्ट्य का सारांश यहां नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	स्वतंत्र		समेकित	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**(3,955.43)**	**580.77**	**(5,398.40)**	**651.37**
घटाएं: चालू कर	103.74	135.54	103.74	135.54
आस्थगित कर	(1,351.52)	113.28	(1,463.01)	164.57
वर्ष का लाभ	**(2,707.65)**	**331.95**	**(4,039.13)**	**351.26**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(8.57)	(4.52)	(8.87)	(5.95)
वर्ष की कुल व्यापक आय	**(2,716.22)**	**327.43**	**(4,048.00)**	**345.31**
घटाएं: गैर नियंत्रक हित के कारण कुल व्यापक आय	-	-	(686.35)	10.53
कंपनी के मालिकों के कारण कुल व्यापक आय	**(2,716.22)**	**327.43**	**(3,361.65)**	**334.78**
जोड़ें: लाभ-हानि लेखा में प्रारंभिक शेषराशि	8,492.71	8,799.13	7,690.96	8,001.72
उप-जोड़	**5,776.49**	**9,126.56**	**4,329.31**	**8,336.50**
घटाएं: विनियोजन				
पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि में/से अंतरित	-	-	(11.69)	11.69
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	175.26	525.78	175.26	525.78
लाभांश पर कर	36.03	108.07	36.03	108.07
अंतिम शेषराशि (अन्य व्यापक आय सहित)	**5,565.20**	**8,492.71**	**4,129.71**	**7,690.96**

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 60,728 करोड़ का कारोबार किया जब कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 72,283 करोड़ का कुल कारोबार किया गया था. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अर्जित ₹ 332 करोड़ के लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 2,708 करोड़ की कर उपरांत हानि उठाई. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 4.06 $/bbl के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019-20 में (0.23) $/bbl का कुल परिष्करण मार्जिन (GRM) हासिल किया गया. नकारात्मक GRM के प्रमुख कारण रहें, पहली तिमाही में जल अभाव की अप्रत्याशित घटना और उससे जुड़े कारण और दूसरी तिमाही में, पाइप रैक खराब होना तथा उससे जुड़े कारण एवं चौथी तिमाही में COVID-19 और उससे जुड़े कारण.

विव 2019-20 के दौरान कंपने ने कुल मिलाकर ₹2,560 करोड़ के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) निर्गमित किए. NCDs को BSE लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध किया गया है.

ICRA ने ₹ 13,971.40 करोड़ बैंक सुविधाओं पर [ICRA] AAA (जिसका उच्चारण है ICRA ट्रिपल A) की दीर्घावधि रेटिंग और [ICRA] A1+ (जिसका उच्चारण है ICRA A वन्न प्लस्स) की अल्पावधि रेटिंग देने की दोबारा पुष्टि की है तथा ₹ 900 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र / अल्पावधि सावधि कर्ज़ (STD कार्यक्रम के लिए "[ICRA]A1+" (जिसका उच्चारण है ICRA A वन्न प्लस्स) रेटिंग देने की भी दोबारा पुष्टि की है. ICRA ने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के ₹ 3,000 करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) कार्यक्रम के लिए [ICRA]AAA (जिसका उच्चारण है ICRA ट्रिपल A) रेटिंग देने की दोबारा पुष्टि की है.

CRISIL ने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के ₹ 3,000 करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए " [ICRA]AAA/स्थिर" (जिसका उच्चारण है CRISIL ट्रिपल A, स्थिर दृष्टिकोण के साथ) रेटिंग दी है और साथ ही मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के लिए अपनी कार्पोरेट क्रेडिट रेटिंग (CCR) 'CCR AAA/स्थिर' देने की भी दोबारा पुष्टि की है.

परिचालनगत निष्पादन

वर्ष 2019-20 के कुछ प्रमुख वैशिष्ट्य निम्नानुसार हैं:

- आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 13.95 MMT क्रूड का प्रोसेसिंग किया जब कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में इससे पहले का सर्वाधिक 16.23 MMT क्रूड का प्रोसेसिंग किया गया था. रिफ़ाइनरी का कुल इन्पुट, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इससे पहले के सर्वाधिक 16.43 MMT की तुलना में 14.14 MMT रहा.
- विव 19-20 के लिए MBN, 75.33 MMBTU/BBL/NRGF रहा.
- एमआरपीएल ने सितंबर, 2019 से BS VI MS और HSD का उत्पादन करना शुरु किया. (21 और 26 सितंबर, 2019 से 10 PPM से कम गंधक युक्त क्रमश: MS और HSD के तमाम देशी बैचों का प्रमाणीकरण किया गया.)
- पहली बार अंगोला से कैबिंडा क्रूड (API 32.8) और यूएसए से थंडर हॉर्स क्रूड (API 33.46) का प्रोसेसिंग किया गया.
- पहली बार HSD 0.001%S, MFO 1%S और MFO-0.5%S ग्रेडों का निर्यात किया गया.
- एमआरपीएल ने अगस्त 2019 में पहली बार ISPRL मंगलूरु कंदरा से क्रूड प्राप्त किया.
- दिसंबर महीने में पहली बार SPM के जरिए ISPRL से क्रूड लोडिंग प्रचालन किया गया.
- जुलाई 2019 के मानसून महीने में अब तक का सर्वाधिक 1,428 TMT का क्रूड थ्रूपुट हासिल किया गया. (इससे पहले जुलाई 2017 के महीने में सर्वाधिक 1403 TMT हासिल किया गया था).
- दिसंबर 2019 के महीने में पहली बार 35 TMT पार्सल आकार के MS 92 RON का निर्यात किया गया.
- दक्षिण कन्नड़ ज़िले में तीव्र जल अभाव/ अकाल के कारण 10 मई, 2019 को प्राकृतिक आपदा की घोषणा की गई.
- दक्षिण कन्नड ज़िले में तीव्र मानसून के परिणामस्वरूप लघु भूस्खलन होने के कारण 18 अगस्त, 2019 को रिफ़ाइनरी की चरण-III प्रोसेस यूनिटों को शटडाउन करना पड़ा जिसके फलस्वरूप रिफ़ाइनरी कॉंप्लेक्स में पाइप रैक झुकने के कारण संरचना अस्थिर हो गई.
- सर्वव्यापी COVID-19 के प्रभाव के कारण 25/03/2020 को राष्ट्रीय लॉकडाउन जारी किया गया जिसके परिणामस्वरूप रिफ़ाइनरी उत्पादों के लेन-देन में गिरावट आई, नतीजतन 26/03/2020 को रिफ़ाइनरी कॉंप्लेक्स को अंशत: शटडाउन करना पड़ा.

मार्केटिंग और कारोबार विकास

आपकी कंपनी, कर्नाटक राज्य और उसके आस-पास के राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रत्यक्ष बिक्री खंड में अपना बाजार अंश लगातार बढ़ाती रही है. आपकी कंपनी ने, अपने मार्केटिंग अंचल में बिटूमेन, डीज़ल, गंधक, पेट्ट कोक, ATF, पॉलीप्रॉपीलीन, ज़ाइलॉल (ज़ाइलीन) आदि जैसे तमाम प्रत्यक्ष बिक्री उत्पादों के लिए सबसे पहला स्थान बरकरार रखा. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, तमाम उत्पादों की कुल प्रत्यक्ष देशी बिक्री की मात्रा, ₹ 5,568 करोड़ के बिक्री मूल्य के साथ .1702 TMT रही.

आपकी कंपनी ने, नई एवं आला श्रेणी को जोड़ते हुए पॉलीप्रॉपीलीन के लिए अपना बाजार अंश बढ़ाना जारी रखा. कंपनी ने विव 2019-20 में ₹2,562 करोड़ के बिक्री मूल्य के साथ नए भौगोलिक क्षेत्रों में नए रास्ते बनाए हैं. कंपनी ने अपने MANGPOL ब्रांड के लिए दक्षिण भारत के पॉलीप्रॉपीलीन बाजार में अपना सबसे पहला स्थान बरकरार रखा है. आपकी कंपनी ने पॉलीप्रॉपीलीन बाजार को सुदृढ़ बनाने के अपने लगातार प्रयासों के दौरान मास्क और PPE का विनिर्माण करते समय चिकित्सा अनुप्रयोगों में प्रयुक्त PP यार्न ग्रेड (35 MI) में स्थिरता लाते हुए अपने ग्रेड बास्केट का विस्तार किया था. आपकी कंपनी ने सर्वव्यापी COVID महामारी के खिलाफ़ देश की लड़ाई में अपना समर्थन देते हुए फरवरी और मार्च, 2020 के दौरान PP यार्न ग्रेड (35 MI) की अधिकतम बिक्री की थी.

आपकी कंपनी ने, पेट्ट कोक के समग्र उत्पादन को लगातार बेचने में भी कामयाबी हासिल की है जिसकी बिक्री की मात्रा, 813 TMT रही. कंपनी ने अपने मार्केटिंग अंचल में करीब 131 TMT गंधक भी बेचा और बड़े पार्सल आकारों में अतिरिक्त गंधक का निर्यात किया जा रहा है.

आपकी कंपनी, शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्विसेस लिमिटेड ने भारतीय हवाई अड्डों पर विमानन टर्बाईन ईंधन (ATF) बेचने के लिए स्थाई तौर पर कारोबार हासिल किया है. कंपनी ने पूर्व विव 2018-19 के ₹ 718.99 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 823.58 करोड़ का कुल कारोबार हासिल किया.

मई, 2019 में विज्ञापन के जरिए आपकी कंपनी खुदरा धावे को खूब स्वीकार किया गया. एमआरपीएल, कर्नाटक, केरल और गोवा राज्यों में अगले 5 वर्षों में हर वर्ष 50 नए खुदरा केंद्र जोड़ते हुए खुदरा बाज़ार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है. एमआरपीएल के खुदरा केंद्रों का जाल, दीर्घावधि में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक फैलाया जाएगा.

मान्यताएँ

1. सीमा शुल्क आयुक्त – मंगलूर से " शीर्ष निर्यातकर्ता '' पुरस्कार
2. आय कर अधिनियम, 1961 के TDS/TCS प्रावधानों का वक्त पर अनुपालन करने की बात को मान्यता देते हुए '' उत्कृष्टता पुरस्कार ''.
3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से 'उन्नत सुरक्षा पुरस्कार'.
4. 'विनिर्माण, प्रोसेसिंग और उत्पादन' श्रेणी में बेहतरीन मिनीरत्न होने के कारण डुन एंड ब्रेडस्ट्रीट पीएसयू पुरस्कार.
5. 19वां वार्षिक "ग्रीनटेक पुरस्कार 2019"
6. उत्कृष्ट गृह पत्रिका - अँग्रेजी के लिए "SCOPE CC Excellence Award" - द्वितीय पुरस्कार.
7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (TOLIC) द्वारा 2018-19 के दौरान हिन्दी कार्यान्वयन के लिए -बड़े उद्यमों' के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार.
8. SECONA (सुरक्षा सलाहकार संघ) का सुरक्षा परियोजना पुरस्कार.
9. एमआरपीएल ने 48वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस-2019 के दौरान राज्य स्तर पर बॉइलर सुरक्षा पुरस्कार जीता.

MSME से वस्तुएं और सेवाएं हासिल करना

वर्ष 2019-20 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण नीति, 2012 के अनुरूप, आपकी कंपनी ने सूक्ष्म और लघु उद्यम से 33.69% वस्तुएं और सेवाएं हासिल कीं.

परियोजनाएं

BS VI उन्नयन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) से प्राप्त ऑटो ईंधन नीति और निदेशों के अनुसार, समग्र देश को MS और HSD के मामले में 01/04/2020 तक BS VI संबंधी गुणवत्ता विनिर्देश की तरफ कदम बढ़ाना होगा. इस परियोजना में नई यूनिटें और अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित की जाएंगी. मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि. को इस कार्य के लिए इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण प्रबंध सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. यांत्रिक समापन के प्रति गतिविधियां प्रगतिशील हैं. लेकिन Covid-19 फ़ैलने से रोकने लिए सरकारी निदेशों के अनुसार परियोजना गतिविधियां 22/03/2020 से रोक दी गईं जिसका यांत्रिक समापन पर गहरा असर पड़ा जिसे अब विव 2020-21 की तीसरी तिमाही तक पूरा करने का निर्धारण किया गया है.

विलवणन संयंत्र

जल के एकमात्र स्रोत के रूप में नदी जल का जोखिम मिटाने के लिए समुद्र के पास विलवणन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है. इस संयंत्र की वर्तमान क्षमता 30MLD है (70MLD तक बढ़ाया जा सकेगा) जो रिफ़ाइनरी के भावी जल की अपेक्षाएं पूरी कर पाएगी. मेसर्स फिच्चनर इंडिया, परियोजना का PMC है और मेसर्स VA टेक्क व्याबैग, LSTK ठेकेदार है. यह संयंत्र, विव 2020-21 की तीसरी तिमाही तक पूरा करना था. लेकिन Covid-19 फ़ैलने से रोकने लिए सरकारी निदेशों के अनुसार ठेकेदार द्वारा परियोजना गतिविधियां 21/03/2020 से रोकने से यांत्रिक समापन पर गहरा असर पड़ा जिसे अब विव 2020-21 की तीसरी तिमाही में पूरा करने का निर्धारण किया गया है.

पेट्ट कोक खाली करने के लिए ट्रक लोडिंग और रेलवे साइडिंग सुविधाएं

ट्रक लोडिंग सुविधा 15/04/2019 को पूरी की गई. इस सुविधा के सहारे पेट्ट कोक बेचने में अधिक लचीलापन मिलेगा और सकेंद्रित लोडिंग का वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी. इस सुविधा के अलावा, रेलवे वैगनों से प्रेषण करने का लाभ उठाने के लिए रेलवे साइडिंग परियोजना की परिकल्पना की गई जिससे एमआरपीएल उत्पाद, प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों में आसानी से उपलब्ध होंगे और एमआरपीएल की वाणिज्यिक प्राप्ति में सुधार होगा और इसे 10-05-2019 को पूरा किया गया.

2G एथनॉल

MoP&NG ने एमआरपीएल को सूचित किया है कि वह, कर्नाटक राज्य में 2G एथनॉल संयंत्र स्थापित करे. हम, 2G एथनॉल का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी की खोजबीन कर रहे हैं. इसके लिए भूमि का आबंटन, KIADB ने हरिहर, दावणगेरे में किया है.

सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में विकास

डिजिटल रूपांतरण पहल और अगली पीढ़ी के अप्लिकेशन्स का प्रसार करते समय संगठनात्मक मांगों का समर्थन करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है. इस बात को मद्दे नज़र रखते हुए एमआरपीएल ने अपने ERP और उससे जुड़े हार्डवेयर संरचना का तकनीकी माइग्रेशन, सफलता से किया है. एंड ऑफ लाइन इन्फ़्रास्ट्रक्चर को बदलने के अलावा एमआरपीएल ने SAP HANA में डेटाबेस माइग्रेशन कसरत करने के लिए HANA डेटाबेस (SoH) दृष्टिकोण पर SAP ECC बिसनेस सूट अपनाया. इससे कारोबार में बेहतर निष्पादन करने में मदद मिली है और कोई नया आने वाला SAP ERP संस्करण, नई संरचना और डेटाबेस प्लैटफ़ार्म से संगत होगा.

सूचना प्रौद्योगिकी के छोर पर, एमआरपीएल को एमआरपीएल SAP डेटा सेंटर और आपदा निस्तार केंद्र के लिए, ISO-27001:2013 प्रमाणीकरण दिया गया है. ISO 27001:2013 अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों (ISMS) के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिससे कि सूचना की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता लगातार प्रदान की जा सके. इस मानक में, सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों (ISMS) के लिए अपनाई जा रही बेहतरीन पद्धतियों का वर्णन किया गया है जिससे संगठनों को अपनी सुरक्षा में सुधार करने, साइबर सुरक्षा विनियमों का अनुपालन करने और अपनी प्रतिष्ठा की हिफ़ाजत कर उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

एमआरपीएल, हमेशा, अपनी व्यावसायिक प्रक्रिया और वितरण तंत्र में प्रभावकारिता एवं पारदर्शिता लाने की ज़रूरत पर बल देता रहा है. उक्त उद्देश्य पूरा करने की दिशा में एमआरपीएल ने ई-कार्यालय प्रणाली लागू की है. यह एक डिजिटल वर्क स्पेस समाधान है जो फ़ाइलें और दस्तावेज हाथ से संभालने की मौजूदा पद्धति का स्थान लेता है जिसमें दक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अपनाई जाती है. इस समाधान से कई उद्देश्य हासिल करने की संभावना है जैसे एमआरपीएल के अंदर, प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावकारिता, कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाना और डेटा, दस्तावेजों, फ़ाइलों, सूचना और ज्ञान आदि का दक्ष प्रबंधन जिससे कि विभागों में बेहतर कम्युनिकेशन और समन्वय स्थापित किया जा सके.

साचिविक मानक

साचिविक लेखा परीक्षक ने प्रमाणित किया है कि आपकी कंपनी में लागू साचिविक मानकों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ' निदेशक मंडल की बैठकें ' और ' सामान्य बैठकें ' से संबंधित क्रमश: SS-1 और SS-2 का पालन किया है.

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी निष्पादन

HSE पर कंपनी की नीति है, कानून में अपेक्षित न्यूनतम मानदंड से बेहतर प्रदर्शन करना. पर्यावरण प्रबंधन के छोर पर प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं:

पर्यावरण प्रबंधन

- मंगलूरु में तण्णीरबावी में प्रस्तावित 70 MLD विलवणन संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), नई दिल्ली से CRZ मंजूरी प्राप्त की गई है.
- प्रस्तावित 2G एथनॉल परियोजना के सिलसिले में दावणगेरे परियोजना स्थल पर 9 जुलाई, 2019 को सार्वजनिक सुनवाई हुई.
- प्रस्तावित पेट्रकेम परिवर्धन एवं क्षमता विस्तार परियोजना (PACE) के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), नई दिल्ली ने संदर्भ की शर्तें (ToR) दी हैं.
- प्रस्तावित विलवणन संयंत्र और CISF टाउनशिप विस्तार परियोजना के लिए कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) से स्थापना सहमति (CFE) मिली है.
- आगामी मानसून में जैव विविधता पार्क की 20 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण के लिए पिलिकुला निसर्ग धामा नर्सरी में पौधे विकसित किए जाते हैं.
- टाउनशिप गेट के पास कृमि खाद की सुविधा का निर्माण करने के लिए सिविल कार्य शुरु हुआ है.
- एमआरपीएल को, पर्यावरण प्रबंधन में असाधारण उपलब्धि के लिए `**वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार** 2019` दिया गया. एमआरपीएल ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लगातार दूसरी बार हासिल किया है.
- एमआरपीएल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, कर्नाटक चाप्टर ने `**उन्नत सुरक्षा पुरस्कार** 2019` से नवाज़ा.
- 1489 MT, चिपचिपा कीचड़ , 975 MT, PFCC भुक्तशेष उत्प्रेरक, 70 MT, भुक्तशेष मिट्टी, 416 MT, अपशिष्ट इन्स्यूलेशन निपटाया गया जिससे कि उसका SPCB प्राधिकृत सिमेंट उद्योगों में सह प्रोसेसिंग किया जा सके.

- 455 MT, भुक्तशेष उत्प्रेरक और 134 MT, भुक्तशेष कार्बन, SPCB द्वारा प्राधिकृत रीसाइक्लर्स/रीप्रोसेर्स के जरिए बेचा गया.
- 4.97 MT, E-अपशिष्ट (फ्यूस हुए लैंप - श्रेणी CEEW 5), SPCB द्वारा प्राधिकृत रीसाइक्लर्स के जरिए निपटाया गया.
- 10.85 MT, PPU उपचारित अपशिष्ट श्वेत तेल, SPCB द्वारा प्राधिकृत इन्सिनरेशन सुविधा के जरिए बेचा गया.
- विव 19-20 के दौरान मंगलूरु शहर से तिगुना उपचारित 45,13,709 किलो लीटर नगरपालिका मल-जल का एमआरपीएल में उपयोग किया गया.
- दीवाली त्योहार के मौके पर पटाखे जलाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण के बुरे असर के बारे में समझाने के लिए आस-पास के गांवों के स्कूलों में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) के सहयोग से वक्त-वक्त पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक वस्तुओं आदि का उपयोग धीरे-धीरे बंद करने पर सुग्राहीकरण कार्यक्रम चलाए गए.

संरक्षा

- एमआरपीएल कर्मचारियों के मामले में, 31/03/2020 को, घायल होने पर समय नष्ट हुए बगैर (RLTI) 1390 दिनों तक और 31/03/2020 को ठेका कामगारों के मामले में RLTI के बगैर 10 दिनों तक काम किया गया.
- यथा 31/03/2020, 13.032 दशलक्ष श्रम घंटे तक काम किया गया.
- ठेका कामगारों सहित सभी कर्मचारियों के लाभार्थ अग्नि और संरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

व्यावसायिक स्वास्थ्य

- कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच, कारखाना अधिनियम और कर्नाटका फैक्टरीस रूल्स के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करते हुए तीन श्रेणियों में की गई. पहले, 40 वर्ष से कम उम्र के लोग, दूसरे, 40 और 45 के बीच की उम्र वाले और तीसरे 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग. विभिन्न समूहों को विभिन्न चिकित्सा परीक्षाएं करवानी होंगी जैसे ट्रेड्ड मिल्ल परीक्षण आदि. अधिक ध्वनि उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों में काम करते रहे कर्मचारियों के लिए भी बहरेपन का परीक्षण करवाया गया. फेफडे की कार्य क्षमता को लेकर परीक्षण, कलर ब्लाइंडनेस्स परीक्षण, रक्त परीक्षण आदि जैसे कुछ सामान्य परीक्षण, कर्मचारियों से करवाए गए.
- चौबीसों घंटे चिकित्सा स्टाफ की उपलब्धता के साथ दो व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (OHC) काम कर रहे हैं.
- एमआरपीएल अस्पताल की सेवाएं न केवल कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए बल्कि आस पास के गांवों के लोगों को भी नसीब होती हैं.

निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

निगमित सामाजिक दायित्व

एमआरपीएल द्वारा सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास की तरफ पहल करते समय शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, स्वास्थ्य की देखभाल और स्वच्छता एवं प्रचालन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द/दक्षिण कन्नड और उडुपी जिले/कर्नाटक राज्य में बुनियादी सुविधाओं का समग्र विकास करने पर ख़ासा ध्यान दिया जाता है. ये परियोजनाएं, काफ़ी हद तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार हैं.

एमआरपीएल की CSR नीति का ख़ास मक़सद है, संगठन में हर एक स्तर पर अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, अपना कारोबार आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय तरीके से चलाते हुए अपने तमाम हिस्सेदारों के हितों को मान्यता देना.

CSR प्रक्रिया के लिए कंपनी ने नीचे उल्लिखित ध्यान देने लायक क्षेत्रों को पहचाना है:

1. शिक्षा संरक्षण
2. आरोग्य संरक्षण
3. बहुजन संरक्षण
4. प्रकृति संरक्षण
5. संस्कृति संरक्षण

CSR और SD नीति के बारे में जानकारी कंपनी के वेबसाइट http://www.mrpl.co.in/csr.पर उपलब्ध है. वित्व 2019-20 के लिए CSR गतिविधियों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट, '' **अनुबंध - अ** '' के रूप में दी गई है.

संधारणीय विकास

आपकी कंपनी, ऊर्जा की बचत करते हुए, अपनी प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता बढाते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बन प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाएं, जल प्रबंधन परियोजना चलाती रही है जिससे पुन:चक्रण करते हुए ताजा जल की खपत कम की जा सकेगी/उपचारित बहिस्राव का उपयोग किया जा सकेगा और घटाने, पुन: उपयोग करने एवं पुन:चक्रण जैसी पहल से अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सकेगा. की गईं कुछ विशेष पहल का उल्लेख यहां नीचे किया गया है:

- आपकी कंपनी, करीब 41 एकड़ों की कच्छ भूमि में जैव विविध पार्क बना रही है. इस प्रक्रिया में, एमआरपीएल ने इस क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञ डॉ. शिवराम कारंत पिलिकुला निसर्ग धामा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए. इस पार्क को स्थापित करने के लिए लगभग 60 महीने लगेंगे और उम्मीद है यह पार्क, 2024 में पूरी तरह से विकसित होगा. इस परियोजना की लागत है ₹ 14 करोड़. इस प्रक्रिया में, देशी पेड़ प्रजातियों समेत कच्छ भूमि का पूर्णरूपेण जैव विविधता पार्क में परिवर्तन किया जाएगा जिसमें पक्षियों, कीटों आदि को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. इसमें जलीय पौधे भी होंगे जिससे मछली और अन्य जलचर की विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

- आपकी कंपनी, पेड़/पौधे के अपशिष्ट जैसे पत्तों, शाखाओं आदि का खाद में परिवर्तन करने की खातिर अपने परिसर के अंदर कृमि खाद उत्पादन सुविधा भी स्थापित करने जा रही है जिसका बागबानी गतिविधियों और हरित पट्टी विकास में खाद की तरह इस्तेमाल किया जाएगा. इसके लिए हर वर्ष, 5-6 टन कृमि खाद उत्पादित करने के लिए लगभग ₹1.5 करोड खर्च किया जाता है. इससे हम इस समय इस्तेमाल किए जाते रहे अकार्बनिक उर्वरक पर अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे. कृमि खाद के पहले बैच का उत्पादन 2020 की अंतिम तिमाही में होने की उम्मीद है.

- एक और नई पहल करते हुए आपकी कंपनी ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण बोर्ड (KSPCB) और डॉ.शिवराम कारंत पिलिकुला निसर्ग धामा (Dr. SKPND) के साथ तालमेल व्यवस्था की है जिसके तहत पिलिकुला में शहरी इको पार्क स्थापित किया जाएगा जिसके जरिए आम जनता को संधारणीय रिफ़ाइनरी प्रचालन में इस्तेमाल की जाती रहीं विभिन्न प्रौद्योगिकियों के सहारे पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उद्योग में किए जाते रहे विभिन्न उपयोगों के बारे में शिक्षित किया जाएगा. यह पहल, देश में अपने किस्म की पहली पहल होगी. इससे राष्ट्र निर्माण में उद्योगों की भूमिका को समझने में लोगों में जागरूकता बढ़ेगी. इस प्रयोजन के लिए एमआरपीएल, शीघ्र ही KSPCB और Dr. SKPND के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें कुल अंशदान ₹ 4 करोड़ के इर्द-गिर्द होने की संभावना है.

- इन तमाम पहलों की बदौलत आपकी कंपनी, जिम्मेदारी तरीके से अधिक स्वच्छ समाधान प्रदान कर रही है जिससे अल्पावधि और दीर्घावधि हितों को संतुलित किया जा सकेगा और सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण विचार का एकीकरण होगा. इससे हम अपना कारोबार, सुरक्षित ढंग से, दक्षता और जिम्मेदार तरीके से निभा सकेंगे.

सहायक / संयुक्त उद्यमों/सहबद्ध कंपनियों का निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति

सहायक, सहबद्ध कंपनी और संयुक्त उद्यम के निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में ब्यौरे, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (MDA) रिपोर्ट में दिए गए हैं. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम (5) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए, सहायक और संयुक्त उद्यमों के निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में विवरण, समेकित वित्तीय विवरण के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

सेबी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मटीरियल सब्सिडीयरीस का निर्धारण करने के लिए एक नीति बनाई है जिसे कंपनी के वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

आपकी कंपनी की एकमात्र सहायक कंपनी है जिसका नाम है ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL). मटीरियल सब्सिडीयरी नीति के अनुसार OMPL, विव 2019-20 के लिए मटीरियलिटी का परीक्षण लागू करने के लिए कंपनी की मटीरियल सब्सिडीयरी नहीं है.

सहायक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और '' सहबद्ध और संयुक्त उद्यमों में निवेश '' के बारे में AS-28 के साथ पठित '' समेकित वित्तीय विवरणों '' पर लेखा मानक AS 110 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के ही एक भाग हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों और कंपनी की संबंधित जानकारी और सहायक कंपनी के लेखा परीक्षित लेखे सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. ये दस्तावेज भी, मंगलूर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे.

भारतीय लेखा मानक (IND AS) – IFRS में अभिसरित मानक

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने 16 फरवरी, 2015 को सूचित किया कि भारतीय लेखा मानक (Ind AS), कुछ श्रेणी की कंपनियों के लिए, संक्रमण दिनांक 1 अप्रैल, 2015 होते हुए 1 अप्रैल, 2016 से लागू होंगे. Ind AS ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('' अधिनियम '') की धारा 133 के तहत निर्धारित पूर्व भारतीय GAAP का स्थान ले लिया है जो कंपनी के लिए 1 अप्रैल, 2016 से लागू होगा.

आरक्षित निधि में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य आरक्षित निधि में कोई रकम अंतरित नहीं की गई.

लाभांश

हानि उठाने के कारण, आपके निदेशक, विव 2019-20 के लिए लाभांश की सिफ़ारिश करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 43क के अनुसार लाभांश वितरण नीति, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर अपलोड की गई है.

जमाराशियाँ

आपकी कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 74 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की.

ऋण, गारंटियों और निवेशों के विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 / 186 के प्रावधानों के तहत विव 2019-20 के दौरान कोई ऋण नहीं दिए गए/ गारंटियां अथवा जमानत नहीं दी गईं. अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के तहत समाविष्ट निवेशों के ब्यौरे, इस वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

शेयर पूंजी

कंपनी ने विव 2019-20 के दौरान कोई शेयर निर्गमित नहीं किए. 31.03.2020 को आपकी कंपनी की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी ₹ 1,753 करोड़ रही.

वित्तीय वर्ष के अंत में और रिपोर्ट तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वर्ष के दौरान कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. वर्ष की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए न ही कोई प्रतिबद्धताएं की गईं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करें. लेकिन लगातार लॉकडाउन और बाद में मांग में गिरावट के चलते कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने की बात कंपनी के लिए एक गहरी चिंता का विषय बनी है.

मानव संसाधन

आपकी कंपनी, अपने मानव संसाधनों की सर्वाधिक कद्र करती है. उनका मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से, आपकी कंपनी, कर्मचारियों और उनके परिजनों को कई कल्याण फायदे प्रदान करती है जैसे क्षतिपूरक चिकित्सा, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की खातिर कल्याण से जुडी विभिन्न नीतियां लागू कीं.

कंपनी, एमआरपीएल कर्मचारी मनोरंजन केंद्र चला रही है. इस केंद्र में, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी गतिविधियां चलाई जाती हैं.

वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया. यूनियन में शामिल कर्मचारियों की मजदूरी को अंतिम रूप देने के मामले में बातचीत अपने अंतिम चरण में है.

कंपनी की कल्याण नीतियों में उद्योग की नीतियों के अनुरूप संशोधन किया जा रहा है जिससे कि कर्मचारियों को अधिक लाभ मिले.

अ.जा. / अ.ज.जा. / पीडब्ल्यूडी के बारे में रिपोर्ट करना

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण देने के बारे में सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेश और अन्य दिशानिर्देशों का पालन किया गया है. संधारणीय एवं प्रभावशाली अनुपालन करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र लागू किया गया है. सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. निदेशों के अनुसार आरक्षण रोस्टर रखे गए हैं जिनका कंपनी के संपर्क अधिकारी एवं MoP&NG के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि निदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. एमआरपीएल, नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित " नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 " के अंतर्गत प्रावधानों का पालन भी करता है. यथा 31/03/2020, नि:शक्त 31 स्थाई कर्मचारी एमआरपीएल में काम कर रहे थे.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने 2 अनुसूचित जाति (SC) और 3 अनुसूचित जनजाति (ST) के और विकलांग श्रेणी के 1 कर्मचारी तथा 4 महिला कर्मचारियों सहित 20 कर्मचारियों की भर्ती की.

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और सीखने के लिए 5265 श्रम दिवस लगाए जो प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 3.21 श्रम दिवस और गैर प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 2.30 श्रम दिवस बनता है.

राष्ट्रपति के निदेश के परिच्छेद-29 के अनुसार, निर्धारित प्रोफार्मा में अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यावेदन से संबंधित आंकड़ें, अ.जा./अ.ज.जा./ OBC रिपोर्ट - I और अ.जा. /अ.ज.जा./ OBC रिपोर्ट - II, इस रिपोर्ट के ' **अनुबंध - आ** ' में संलग्न की गई हैं.

कौशल विकास केंद्र

भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंग के तौर पर एमआरपीएल ने कौशल विकास के प्रति पहल कीं. एमआरपीएल ने NTTF, बेंगलूरु और CIPET, मैसूरु के साथ हाथ जोड़ा है जो राष्ट्रीय कुशलता विकास परिषद (NSDC) से संबद्ध हैं. NTTF, बेंगलूरु में अब तक 135 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया है. NTTF, बेंगलूरु में प्रशिक्षित 135 अभ्यर्थियों में से 100 अभ्यर्थियों ने विभिन्न उद्योगों में नौकरी पाई है. शेष अभ्यर्थियों ने यातो उच्चतर कुशलता हासिल करने के इरादे से अपना ही कारोबार शुरु किया है या विदेश चले गए हैं. NTTF, बेंगलूरु में 87 अभ्यर्थियों और CIPET, मैसूरु में 42 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

महिलाओं का सशक्तीकरण

कंपनी के कार्य बल में महिला कर्मचारियों का अनुपात 7.23 प्रतिशत है.

आपकी कंपनी में, कार्य स्थान पर महिला का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाई गई है. विव 2019-20 के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज की गई थी जो अभी लंबित है और नियमों के अनुसार इसकी जांच चल रही है. कार्य स्थान पर महिला का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसार विव 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट '' **अनुबंध - इ** '' के रूप में संलग्न की गई है.

राजभाषा

आपकी कंपनी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति का अक्षरश: कार्यान्वयन कर रही है. कर्मचारियों में हिन्दी का, प्रचार-प्रसार करने और प्रवर्धन करने की दृष्टि से, मंगलूर, मुंबई, दिल्ली और बेंगलूर कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएँ, नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं. नियमित अंतरालों में आंतरिक विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया.

साथ ही सितंबर 2019 के महीने में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता, सुलेख,प्रशासनिक शब्दावली, एकल गीत, हिन्दी श्रुतलेख आदि जैसी हिन्दी प्रतियोगिताओं का, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आयोजन किया गया. इसके अलावा कर्मचारियों की खातिर जनवरी 2020 में एक और हिन्दी प्रतियोगिता चलाई गई (प्रशासनिक शब्दावली). राष्ट्रीय संरक्षा दिवस, पर्यावरण दिवस, सुरक्षा जागरूकता सप्ताह और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों लिए प्रतिस्पर्धाएँ, हिन्दी भाषा में आयोजित की गईं. हिन्दी मास संबंधी समारोहों के दौरान मुमप्र और समप्र जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धा चलाते हुए हिन्दी का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है.

प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में अर्हता हासिल करने के लिए कर्मचारियों की खातिर नियमित रूप में हिन्दी कक्षाएं चलाई गईं.

अगर अंतिम हिन्दी परीक्षाएं पास करें तो कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन आदि जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए प्रेरित किया जाता है. संगठन में हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के लिए दैनिक कार्यालय कामकाज में इस्तेमाल किए जाते रहे सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड सुविधाएं सक्षम की गईं.

कक्षा-X की हिन्दी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एमआरपीएल टाउनशिप में स्थित DPS (दिल्ली पब्लिक स्कूल) स्कूल के 11 छात्रों को विशेष पुरस्कार दिए गए.

आपकी कंपनी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) स्तर पर आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर दस पुरस्कार जीते और नराकास स्तर की प्रतियोगिताओं में दूसरा स्थान प्राप्त किया. एमआरपीएल में नराकास सदस्य संगठनों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी एकल गायन प्रतियोगिता चलाई गई. हिन्दी मास संबंधी समारोहों के अंग के तौर पर नराकास मंगलूर के तत्वावधान में मंगलूर विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज छात्रों के लिए हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई.

कंपनी में हिन्दी का प्रचार-प्रसार और प्रवर्धन करने की खातिर " **एमआरपीएल प्रतिबिंब** " नामक एक गृह पत्रिका, हिन्दी में वर्ष में एक बार प्रकाशित की जा रही है. एमआरपीएल, राभा (राजभाषा) के दिशानिर्देशों का पालन करता आया है और इस दिशा में वर्ष की चारों तिमाहियों के दौरान प्रनि की अध्यक्षता में राभाकास (राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें एमआरपीएल में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की गई और हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आगे कार्य योजना बनाई गई. आपकी कंपनी, कर्मचारियों को प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रोत्साहन के जरिए प्रेरित करते हुए संगठन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की खातिर लगातार प्रयास कर रही है.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र बनाया है. कंपनी ने मंगलूर में पंजीकृत कार्यालय में एक नोडल अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी (FAA), एक केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIO) और दो सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों(APIOs) का नाम निर्देशन किया है जो मंगलूर में कार्य करेंगे. RTI अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार आरटीआई मैनुअल, कंपनी के वेबसाइट पर प्रकट किया गया है. आपकी कंपनी ने DoPT द्वारा शुरु किए गए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के साथ संरेखण किया है और पोर्टल के जरिए प्राप्त तमाम आवेदन पत्रों/अपीलों को पोर्टल के जरिए निपटाए गए.

केंद्रीय सूचना आयोग www.cic.gov.in के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तिमाही रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट, निर्धारित समय सीमा के अंदर पेश की गईं हैं. आरटीआई अधिनियम के तहत अपने आप प्रकट करने के लिए प्रदान की गई सूचना का स्वयं मूल्यांकन, वर्ष 2019-20 के लिए किया गया और अन्य पक्षकार से लेखा परीक्षा कराने के लिए पारदर्शिता संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, केंद्रीय सूचना आयोग को 14 फरवरी, 2020 को पेश की गई.

वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 228 दरख्वास्त मिलीं और 27 प्रथम अपीलें मिलीं और इन सब का निर्दिष्ट समय के अंदर निपटान किया गया. केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष कोई द्वितीय अपील दर्ज नहीं की गई.

सुरक्षा उपाय

रिफाइनरी में सुरक्षा का इंतजाम, तेल क्षेत्र के लिए बुनियादी संरक्षण योजना (OSIPP) में दिए गए दिशानिर्देशों और MHA द्वारा समय-समय पर की गईं सुरक्षा लेखा परीक्षा संबंधी सिफारिशों के अनुरूप किया गया है.

रिफाइनरी का प्रत्यक्ष संरक्षण करने की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपी गई है. रिफ़ाइनरी को किसी प्रकार के सुरक्षा खतरों से दूर रखने के लिए, ये, पर्याप्त गैजेटों और हथियारों से पूरी तरह से लैस हैं. CISF सुरक्षा कवरेज की व्याप्ति बढ़ाने की दृष्टि से CISF को और मजबूत बनाने का कार्य चल रहा है.

कंपनी, सुरक्षा को हमेशा से प्राथमिकता देती रही है और हर वक्त तत्पर रहने के लिए कार्य स्थान पर नकली प्रदर्शनों का इंतजाम किया जाता है. सभी हिस्सेदारों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वक्त-वक्त पर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जाता है.

रिफ़ाइनरी के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण का ख़ास तौर से पुनर्योजन, समेकित CCTV सह इलेक्ट्रॉनिक अतिक्रमण जासूसी तंत्र के जरिए किया गया और सुरक्षण प्रणालियों का उन्नयन, सुरक्षा की दृष्टि से खतरे को ध्यान रखकर किया जाता है.

सतर्कता कार्य

आपकी कंपनी ने सतर्कता का कामकाज संभालने के लिए एक संरचित तंत्र बनाया है. इसमें सभी हिस्सेदारों के लिए मूल्य निर्मित करने के प्रति अधिक ध्यान दिया जाता है. इस पद्धति में, अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारे स्तरों पर जांच-पड़ताल की जाती है और संतुलन बनाए रखा जाता है. वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता संबंधी गतिविधियां लगातार चलाई गईं. आपकी कंपनी में पूर्ण कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी काम कर रहे हैं जिनकी एक समर्पित टीम मदद कर रही है.

CVC के अनुदेशों का अनुपालन करते हुए आपकी कंपनी ने शिकायत संभालने की नीति लागू की है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तमाम शिकायतों का, सतर्कता द्वारा रेकॉर्ड रखकर परीक्षण किया जाता है. एमआरपीएल के कार्पोरेट वेबसाइट में बेहतरीन सतर्कता पद्धतियों के ब्यौरे और विभिन्न उपयोगी वेबसाइटों के लिंक भी दिए गए हैं. आपकी कंपनी ने ई-टेंडर और ई-भुगतान के मामले में उच्चतम अनुपालन स्तर हासिल किया है. CVC के अनुदेशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने, ईमानदारी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम चलाया. जीवन की हर विधा को प्रभावित करने वाली कई जागरूकता गतिविधियां बनाई गईं. सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के अंग के तौर पर विक्रेता सम्मेलन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों के विक्रेताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया.

सतर्कता जागरूकता मोबाइल वैन ने भ्रष्टाचार विरोधी ऑडियो संदेश, रिफाइनरी और मंगलूरु शहर के विभिन्न इलाकों में फैलाया ताकि ईमानदारी के बारे में नागरिकों को शिक्षित किया जा सके. सतर्कता जागरूकता वाकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें नागरिकों में नैतिक जागरूकता उत्पन्न करने की खातिर स्कूल के कई छात्रों और आम जनता ने भाग लिया. विभिन्न स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया. केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विकसित '' सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा '' को लोकप्रिय बनाने की खातिर, एमआरपीएल ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान मंगलूरु शहर में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा कीयॉस्क लगाए.

ऑल इंडिया रेडियो, मंगलूरु के साथ मिलकर एमआरपीएल ने संयुक्त रूप से विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जैसे, सामूहिक चर्चा, रेकॉर्ड किए गए संदेश और हिन्दी, अंग्रेजी और कन्नड में जिंगल, जिसका प्रसारण सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 के दौरान किया गया. स्कूल के बच्चों को नैतिकता और ईमानदारी के विकास के बारे में समझाने के लिए एक दिवसीय सेमिनार ' संचया: चिगुरिनिंदा फसलिनवरेगे ' चलाया गया. इस कार्यक्रम में कई स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों में बड़ी संख्या में भाग लिया. पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से प्रौद्योगिकी का फायदा उठाना, एक दबाव वाला कार्य क्षेत्र रहा है जिसमें सतर्कता ने उत्प्रेरक की भांति भूमिका निभाई है.

मुखबिर नीति

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र उपलब्ध कराने के लिहाज से मुखबिर नीति बनाई गई है ताकि अनैतिक बरताव, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा कंपनी की आचरण संहित अथवा नैतिकता संबंधी नीति के उल्लंघन के बारे में प्रामाणिक मुद्दे उठाए जा सके. प्रतिशोध अथवा उत्पीडन के कारण सद्भाव से मुखबिर बनते हुए सतर्कता तंत्र का उपभोग करने वाले निदेशकों और कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने और अपवादात्मक मामलों में निदेशकों और कर्मचारियों को सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क करने का मौका प्रदान करने के लिए नीति में आवश्यक रक्षोपाय हैं. यह नीति, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है. वर्ष के दौरान, मुखबिर नीति के तहत कोई शिकायत नहीं मिली.

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सरकारी संगठनों को सलाह दी है कि वे, खरीदारी की अपनी प्रमुख गतिविधियों में स्वेच्छा से सत्यनिष्ठा का इकरारनामा अपनाएं.

सत्यनिष्ठा इकरारनामा, अनिवार्य तौर पर, संभावित विक्रेताओं / बोली लगाने वालों और खरीदार के बीच एक करार है जिसमें दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों/अधिकारियों को बाध्य किया जाता है कि वे किसी भी मामले में/ठेके के किसी भी चरण में भ्रष्ट पद्धतियों का सहारा न लें. उन्हीं विक्रेताओं / बोली लगाने वालों को, जो खरीदार के साथ ऐसा समझौता करने के लिए वचनबद्ध हों, बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम समझा जाएगा.

आगे CVC के दिशानिर्देशों में CPSUs को सलाह दी गई है कि वे, सत्यनिष्ठा इकरारनामे के तहत बाध्यताओं के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए CVC द्वारा यथा अनुमोदित स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों को नियुक्त करें.

एमआरपीएल ने CVC के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सत्यनिष्ठा इकरारनामे का क्रियान्वयन किया है और उसकी सिफ़ारिशों के अनुसार, श्री प्रत्युष सिन्हा, भूतपूर्व CVC को स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया.

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी के समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(द) का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित जानकारी **"अनुबंध ई"** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

प्रबंधन का पारिश्रमिक और कर्मचारियों के विवरण

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत जानकारी पेश करने से छूट दी गई है.

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को, डीपीई के दिशानिर्देशों के अंदर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; एमओपी एण्ड एनजी द्वारा नियुक्त किया जाता है.

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

फार्म MGT-9 में दिए गए वार्षिक विवरणी के उद्धरण का भाग बनने वाले ब्यौरे के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(क) का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित जानकारी **"अनुबंध उ"** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन और संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए ठेकों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण

विव 2019-20 के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए तमाम लेन-देन, नजदीकी तेल भंडारों से और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए. आगे, वर्ष के दौरान प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के साथ सामग्री से जुड़े कोई लेन-देन नहीं किए गए और संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया जिसका व्यापक रूप से कंपनी के हित के साथ संभावित संघर्ष हो सकता था. कंपनी ने संबद्ध पक्षकार संबंधी नीति और कार्यविधि अपनाई जो कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए हर एक ठेके अथवा व्यवस्था के, निर्धारित फार्म सं. AOC - 2 में प्रकट विवरण, **"अनुबंध ऊ"** के रूप में संलग्न किए गए हैं. MCA ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के जरिए, दो सरकारी कंपनियों के बीच हुए लेन-देन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) की अनुप्रयोज्यता से छूट दी है.

निदेशक और प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों में परिवर्तन

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) द्वारा की जाती है. और इस कारण, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित नीति के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ङ) के प्रावधान, MCA की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होंगे.

- श्री एम विनयकुमार को 11/07/2019 से MoP&NG द्वारा एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री आर टी अगरवाल को 12-07-2019 से एमआरपीएल के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्रीमती पोमिला जसपाल को 15/10/2019 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशक (वित्त) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया.
- श्री सुनील कुमार और श्री विजय शर्मा (सरकारी नामिती) को एमआरपीएल के बोर्ड पर क्रमश: 17/10/2019 और 08/01/2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री के एम महेश और श्री संजय कुमार जैन, क्रमशः 17/10/2019 और 08/01/2020 से एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहें.
- सुश्री मंजुला सी और श्री विवेक मल्या, अपना कार्यकाल समाप्त होने पर एमआरपीएल के बोर्ड पर क्रमश: 31/01/2020 और 30/01/2020 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें.
- श्री एस. रविप्रसाद के स्थान पर श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (वित्त) को 04/11/2019 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री सुनील कुमार, श्रीमती पोमिला जसपाल और श्री संजय वर्मा, जिनको एमआरपीएल के बोर्ड पर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वार्षिक महासभा की तारीख तक अपर निदेशक का पद संभालेंगे और पात्र होने के नाते 32वीं वार्षिक महासभा में निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए पेशकश स्वयं करते हैं.

बोर्ड, संबंधित कार्यकाल के दौरान निर्गामी निदेशकों द्वारा प्रदान की गईं अमूल्य सेवाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा करता है.

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन यथा निर्धारित स्वतंत्रता के बारे में मानदंड पूरा करते हैं.

31/03/2020 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

- श्री एम विनयकुमार की 31/05/2020 से सेवानिवृत्ति होने पर श्री संजय वर्मा को, 09-06-2020 से एमआरपीएल के बोर्ड पर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया.
- MoP&NG से अपना प्रत्यावर्तन होने के कारण श्री विजय शर्मा ने 04-08-2020 से निदेशक का पद खाली किया.

औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

एक सरकारी कंपनी होने के नाते एमआरपीएल को, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में, बोर्ड समितियों और प्रत्येक निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (p) के प्रावधान लागू नहीं होंगे. लेकिन सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुसार, मंडल ने विव 2019-20 के लिए स्वतंत्र निदेशकों का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया था.

निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल, विव 2019-20 के लिए नीचे उल्लिखित बयान देते हैं:

क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय, महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ लागू Ind AS का पालन किया गया है.

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियां अपनाईं और उनको लगातार लागू किया तथा मुनासिब और विवेक पूर्ण ढंग से फ़ैसले और आकलन किए जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज का और उस अवधि के लिए कंपनी की हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश किया जा सके;

ग) निदेशकों ने, कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाजत करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं होने से रोकने और इनका पता लगाने की खातिर कंपनी अधिनियम, 2013 प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रेकॉर्ड के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक वित्तीय विवरण, समुत्थान आधार पर तैयार किए हैं;

ङ) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रक तय किए हैं जिनका कंपनी द्वारा पालन करना होगा और यह कि ऐसे आंतरिक नियंत्रक, पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं; और

च) निदेशकों ने ऐसे उचित तंत्र बनाए हैं जिससे कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और यह कि ऐसे तंत्र, पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं.

बोर्ड की बैठकों की संख्या

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने विव 2019-20 के दौरान छह (6) बैठकें बुलाई. दो बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि, कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्धारित 120 दिन से अधिक नहीं रही. बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे, निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में पेश किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन, कंपनी (मंडल की बैठकें और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 18 के तहत यथा निर्धारित विचारार्थ विषय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया. ऐसी कोई घटनाएँ नहीं रहीं जहां निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार न किया हो. लेखा परीक्षा समिति के ब्यौरे, निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

नामांकन, पारिश्रमिक (NR) और मानव संसाधन प्रबंधन (HRM) समिति

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) द्वारा की जाती है. तदनुसार कंपनी ने कोई नामांकन/पारिश्रमिक नीति नहीं अपनाई है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और SEBI (LODR) विनियम, 2015 के नियम 19 तथा CPSE के लिए निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा HRM/ NRC के ब्यौरे, निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रकट किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

एमआरपीएल, एक ' अनुसूची-क ' मिनीरत्न श्रेणी-1 का, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

जोखिम प्रबंधन नीति

सेबी (LODR) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुरूप, आपकी कंपनी ने अपने समग्र संगठन में प्रतिष्ठान-व्यापक जोखिम प्रबंधन (ERM) नीति बनाकर लागू की. लेखा परीक्षा समिति, वक्त-वक्त पर, एमआरपीएल में जोखिम निर्धारण और प्रक्रिया के न्यूनतमीकरण की समीक्षा करती है.

विनियामकों/अदालतों द्वारा पारित उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों/अदालतों ने ऐसे कोई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए हैं जो कंपनी की समुत्थान स्थिति और उसके भावी प्रचालन को प्रभावित करें.

निगमित अभिशासन

कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI (LODR) विनियम, 2015 ने देश में अभिशासन प्रणाली को मजबूत बनाया है. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013, SEBI (LODR) विनियम, 2015 के अधीन दी गई अभिशासन की अपेक्षाओं की पूर्ति की है और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तमाम आज्ञापक प्रावधानों एवं निगमित अभिशासन से संबंधित SEBI (LODR) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं तथा DPE, भारत सरकार द्वारा CPSE के लिए जारी कंपनी अभिशासन संबंधी अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन किया है. विव 2019-20 की निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का एक भाग है.

SEBI (LODR) विनियम, 2015 की अनुसूची V का अनुसरण करते हुए कंपनी अभिशासन के शर्तों का अनुपालन करने से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र भी वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखा परीक्षकों ने, विव 2019-20 के भाग तथा 01/04/2020 से 15/10/2020 तक के वर्ष के भाग के लिए जोखिम प्रबंधन समिति (RMC) की संरचना को लेकर कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बारे में लेख-टिप्पणियां की है. इस समय आपकी कंपनी के बोर्ड पर 5 स्वतंत्र निदेशक हैं. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, एमओपी एण्ड एनजी के साथ उठाया जा रहा है और एमओपी एण्ड एनजी, इस पर सक्रिय रूप से विचार रहा है. जहां तक RMC की संरचना का प्रश्न है, प्रबंध निदेशक ने, कंपनी के बोर्ड पर निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफ़ाइनरी) की नियुक्ति होने तक निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफ़ाइनरी) का अतिरिक्त कार्यभार संभाला.

कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI (LODR) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए नीचे उल्लिखित नीतियां/संहिताएं बनाई गईं हैं जिनको कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर अपलोड किया गया है.

- क) मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता;
- ख) मुखबिर नीति;
- ग) संबद्ध पक्षकार के लेन-देन - नीति और कार्यविधियां;
- घ) CSR और SD संबंधी नीति;
- ङ) मटीरियल सब्सिडीयरी संबंधी नीति;
- च) एमआरपीएल की प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने संबंधी आंतरिक कार्यविधि और आचरण संहिता;
- छ) शेयर बाजारों को घटनाओं का प्रकटन करने के लिए तात्विकता संबंधी नीति:
- ज) दस्तावेजों का परिरक्षण करने संबंधी नीति;
- झ) बोर्ड के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति;
- ञ) लाभांश वितरण नीति.

निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF)

IEPF प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 (''दी IEPF रूल्स'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी को अदत्त अथवा अदावी लाभांश का, सात वर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित IEPF में अंतरण करना पड़ेगा. आगे, नियमों के अनुसार, उन शेयरों को, जिनका लाभांश अदा न किया गया हो अथवा जिनके संबंध में शेयरधारकों ने लगातार सात वर्षों से अथवा उससे अधिक वर्षों से दावा न किया हो, उसे भी IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा करना होगा. वर्ष के दौरान कंपनी ने IEPF में ₹ 2,51,23,604/- के अदावी और अदत्त लाभांश का अंतरण किया. आगे, 28,71,763 तदनुरूपी शेयरों को (इससे पहले हस्तांतरित 1,45,62,735 शेयरों के अलावा), जिन पर लगातार सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया था, IEPF नियमों की अपेक्षानुसार IEPF में अंतरित किया गया. इस संबंध में ब्यौरे इस वार्षिक रिपोर्ट के शेयरधारक के बारे में जानकारी खंड में और साथ ही कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध हैं

वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट

SEBI (LODR) विनियम, 2015 में बाजार के पूंजीकरण के आधार पर 1,000 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अंग के तौर पर वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (ABRR) शामिल करना आज्ञापक बनाया गया है. विनियम का पालन करने की दृष्टि से, विव 2019-20 का ABRR, इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, विव 2019-20 की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (MDA), इस रिपोर्ट का ही एक भाग बनती है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी में, व्यवस्थित ढंग से सुस्थापित एवं दक्ष आंतरिक नियंत्रण तंत्र लागू किया गया है जिससे आंतरिक नियंत्रण का एक ऐसा प्रभावशाली माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा जो कंपनी की नीतियों का अनुपालन करने, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त करने, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोकने एवं उनका पता लगाने, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता एवं भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार चलाने की दक्षता पर आश्वासन दे सके. कंपनी की सूचना प्रणाली की वक्त-वक्त पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा भी की गई और लेखा परीक्षा के दौरान दिए गए सुझावों पर उचित कार्रवाई की गई.

कंपनी में, प्रचालन आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण विभाग काम कर रहा है. लेखा परीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा वक्त-वक्त पर लेखा परीक्षा संबंधी अभ्युक्तियों की समीक्षा की जाती है और जब कभी ज़रूरत पड़े, आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं. आंतरिक नियंत्रण तंत्र के बारे में ब्यौरे, प्रबंधन चर्चा संबंधी विश्लेषण रिपोर्ट में प्रकट किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही अंग है.

लेखा परीक्षक

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक

विव 2019-20 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक रहे, मेसर्स एस वेंकटराम एण्ड कं एलएलपी, चेन्नई और मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स, मंगलूरु. इन्होंने विव 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की और अपनी रिपोर्ट पेश की जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में किसी अर्हता का उल्लेख नहीं किया गया है. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट लेखों पर टिप्पणियां, स्वत: स्पष्ट हैं और इसलिए इन पर आगे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को समेकित आधार पर कुल मिलाकर ₹ 25 लाख का शुल्क अदा किया गया.

साचिविक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 का अनुसरण करते हुए विव 2019-20 के लिए वार्षिक साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, नोएडा को मुकर्रर किया. मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, नोएडा ने विव 2019-20 के लिए साचिविक लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट जारी की है जो **"अनुबंध ऋ"** के रूप में इस रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखा परीक्षकों ने, 31/12/2019 और 31/03/2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के बारे में बोर्ड की संरचना और साथ ही 31/03/2020 को समाप्त तिमाही के लिए स्वतंत्र महिला निदेशक को लेकर लेख-टिप्पणियां की है. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, एमओपी एण्ड एनजी के साथ उठाया जा रहा है और एमओपी एण्ड एनजी, इस पर सक्रिय रूप से विचार रहा है.

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखों की लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षक, मेसर्स चंद्रा वाधवा एण्ड कं., नई दिल्ली द्वारा की जा रही है. मेसर्स चंद्रा वाधवा एण्ड कं., लागत लेखा परीक्षक को विव 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है.

विव 2019-20 के समेकित एवं स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर सी एण्ड एजी की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (C&AG) की टिप्पणियाँ, इस रिपोर्ट का ही एक अंग हैं और इसे **"अनुबंध ए "** के रूप में संलग्न किया है. आपको यह जानकार खुशी होगी कि C&AG ने, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट या वित्तीय विवरणों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

COVID-19 का प्रभाव

सर्वव्यापी COVID-19 के परिणामस्वरूप जारी लॉकडाउन के कारण एमआरपीएल सहित समग्र तेल उद्योग की क्रूड तेल की कीमतों पर उल्लेखनीय गिरावट नज़र आई और उत्पादों की मांग में आम तौर पर अवनति परिलक्षित हुई.

अगर अप्रैल और मई 2020 महीनों की तुलना करें तो वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के प्रत्यक्ष एवं वित्तीय निष्पादन पर COVID-19 का प्रभाव कम रहा क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन, वित्तीय वर्ष 2020 के अंतिम सप्ताह में ही घोषित किया गया था.

- कंपनी की चल निधि स्थिति स्वस्थ एवं अच्छी है. अपने वायदे पूरे करने की दृष्टि से कंपनी ने अपने पेनल में सम्मिलित संघीय बैंकरों और बाहर से निधि आधारित और निधियेतर आधारित ऋण लेने के लिए वचन दिया है जिससे कि सर्वव्यापी COVID-19 के चंगुल से उचित समय में बाहर निकल सके. कंपनी ने नियत तारीख को अपने तमाम वित्तीय वायदे पूरे किए.
- कंपनी ने ऋण संबंधी क़रारनामे की प्रसंविदाओं में से किसी का अब तक उल्लंघन नहीं किया है और तमाम बाध्यताएं नियत तारीखों के अंदर पूरी कीं. कंपनी को नहीं लगता है कि निकट भविष्य में भी ऋण संबंधी क़रारनामे की प्रसंविदाओं/बाध्यताओं में कोई उल्लंघन होगा. कंपनी ने CRISIL, ICRA और CARE से सर्वाधिक रेटिंग हासिल की जो कर्ज़ की बाध्यताएं पूरी करने में सर्वाधिक सुदृढ़ता का संकेत देता है.
- COVID-19 के कारण देश भर में कारोबार में उल्लेखनीय अवरोध उत्पन्न हुआ है. प्रबंधन ने इन आस्तियों के बही मूल्य पर प्रभाव पड़ने की संभावनाओं पर विचार किया है जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियाँ, प्रगति में पूँजीगत कार्य (CWIP), निवेश नीति, सुनाम, अन्य अगोचर आस्तियां, निवेश, ऋण, स्टॉक, प्राप्त व्यापार राशियां और अन्य वित्तीय आस्तियां. वसूल करने योग्य रकम के संबंध में अनिश्चितताओं से जुड़ी परिकल्पनाएं और आकलन करते समय प्रबंधन ने बाद में होने वाली घटनाओं, आंतरिक एवं बाह्य सूचना और आज की तारीख को विद्यमान मूल्यांकित आर्थिक स्थिति पर विचार किया है. प्रबंधन को नहीं लगता है कि इन आस्तियों के बही मूल्य में कोई ह्रास होगा. प्रबंधन, भावी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन पर कड़ी निगरानी रखेगा और उसका प्रचालन पर होने वाले प्रभाव का आकलन करेगा.

आभार

आपके निदेशक मंडल, शेयरधारकों का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने अपनी कंपनी पर लगातार भरोसा रखा. आपके निदेशक, भारत सरकार (GoI), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG), वित्त मंत्रालय (MoF), कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग(DPE), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF), विदेश मंत्रालय (MEA), जहाजरानी मंत्रालय (MoS), गृह मंत्रालय (MHA) और अन्य मंत्रालयों एवं केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों और कर्नाटक सरकार को उनके अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन एवं सतत सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, कर्नाटक सरकार से मिले समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं.

आपके निदेशक, अपनी मूल कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) से मिलते रहे सतत समर्थन और निर्देश एवं कंपनी के प्रवर्तक होने के नाते, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)के समर्थन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और बाकी सभी हिस्सेदारों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, कंपनी के उत्पादों के लिए बेशकीमती ग्राहकों से मिले सहयोग की कद्र करते हैं और उनके संतोष पर्यंत काम करने का वादा करते हैं. बोर्ड, वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की उत्कृष्ट उपलब्धि में तमाम कर्मचारियों के, '' टीम एमआरपीएल '' के रूप में एकजुट होकर एक टीम की भांति संगठित रूप से किए गए सतत प्रयासों एवं अमूल्य सेवाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता है.

मंडल के लिए और उसकी ओर से

(शशि शंकर)
अध्यक्ष
(DIN: 06447938)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14/08/2020

" अनुबंध – अ "

वित्तीय वर्ष 2019-2020 लिए निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) संबंधी गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (न) और कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 8(1) का अनुसरण करने हुए]

1. हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर नज़र डालते हुए कंपनी की CSR और SD नीति का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा और CSR नीति एवं एसडी नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के प्रति वेब लिंक का संदर्भ.

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) एक मिनीरत्न अनुसूची ' क ' का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है और ONGC की सहायक कंपनी है जो वर्ष-दर-वर्ष भारतीय हाइड्रोकार्बन अनुप्रवाह क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करती आ रही है. प्रारंभ से लेकर एमआरपीएल, '' संरक्षण '' नाम के साए तले निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियां (CSR) चलाता आ रहा है.

एमआरपीएल की CSR नीति, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी नीति) नियम, 2014 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी " निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीयता पर दिशानिर्देश " के अनुरूप बनाई गई है जो 01-04-2014 से लागू होगी. CSR व SD समिति ने नीति की सिफ़ारिश की है और एमआरपीएल बोर्ड ने इसके लिए अपना अनुमोदन दिया है.

आगे, एमआरपीएल बोर्ड ने 10/04/2018 को संपन्न अपनी बैठक में '' स्थानीय इलाका '' की परिभाषा, अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि योजनाओं, स्थानीय इलाके, कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ोसी ज़िलों और भारत में अन्य राज्यों पर खर्च करने के लिए रकम के प्रतिशत, अधिकारों के प्रत्यायोजन और निष्पादन रीति के क्षेत्रों में CSR और SD नीति में संशोधन के लिए अपना अनुमोदन दिया. संशोधित नीति को कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर अपलोड किया गया है.

कंपनी द्वारा हाथ में ली गईं परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वैशिष्ट्य इस रिपोर्ट के अंत में गए हैं.

2. 31/03/2020 को CSR और SD समिति की संरचना

CSR और SD समिति के सदस्य	श्रेणी
1. डॉ. जी. के. पटेल	अध्यक्ष
2. श्री बलबीर सिंह	सदस्य
3. श्री एम वेंकटेश	सदस्य

3. कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ

लाभ (PBT)	(₹ करोड़ों में)
PBT: विव 2016-17	5,533.89
PBT: विव 2017-18	3,349.75
PBT: विव 2018-19	609.99
कुल	9,493.63
औसत	3,164.54
विव 2019-20 के लिए CSR बजट (पिछले तीन वर्षों के निवल लाभ का 2%)	63.29
विव 2017-18 को आगे ले जाया गया	59.31
उपलब्ध CSR बजट	122.60

4. निर्धारित CSR व्यय (उक्त मद 3 में निर्दिष्ट रकम का दो प्रतिशत)

(₹. करोड़ में)

विव FY 2018-19 का आगे ले जाया गया बजट	59.31
विव 2019-20 का CSR बजट	63.29
कुल	**122.60**

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए CSR के ब्यौरे

क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम : ₹ 122.60 करोड़

ख. वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम: ₹ 76.09 करोड़

ग. खर्च न की गई रकम : ₹ 46.51 करोड़,

घ. 2020-21 में आगे ले जाई गई रकम: ₹ 46.51 करोड़

6. अगर रकम खर्च न की गई हो तो उसकी वजह

अनुमोदित अधिकतर CSR परियोजनाएं प्रतिबद्ध हैं और अधिकतर परियोजनाएं, कार्यान्वयन चरण में हैं. मानसून की अवधि बढ़ने और सिविल से जुड़ी परियोजनाओं में रेत उपलब्ध न होने के कारण परियोजना कार्यान्वयन में उल्लेखनीय विलंब हुआ.

7. CSR समिति का दायित्व संबंधी यह बयान कि CSR संबंधी नीति का कार्यान्वयन और अनुवीक्षण, कंपनी के CSR उद्देश्यों और नीति के अनुपालन के अनुरूप है.

क) संगठन में हर एक स्तर पर अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, अपना कारोबार, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय तरीके से चलाते हुए अपने तमाम हिस्सेदारों के हितों को मान्यता देना.

ख) अपने प्रचालन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द बसे समुदायों के लाभार्थ कार्यक्रम हाथ में लेना जिसके परिणामस्वरूप वक्त के साथ स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार हो.

ग) सीएसआर की तरफ पहल करते हुए एमआरपीएल के लिए समुदाय का सुनाम हासिल करना और एक कार्पोरेट प्रतिष्ठान कोने के नाते एक सकारात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से कंपनी की जिम्मेदार छवि दोबारा कायम करने में मदद करना.

हस्ता/-
एम. वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
(DIN : 07025342)

हस्ता/-
जी के पटेल
अध्यक्ष CSR और SD समिति
(DIN : 07945704)

वित्तीय वर्ष 2019 -20

31/03/2020 तक किए गए सीएसआर खर्च के ब्यौरे

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना/गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना को कवर किया गया है	परियोजनाएं / कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र/अन्य 2. उस ज़िले का नाम निर्दिष्ट करें जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय की रकम(बजट)परियोजना/ कार्यक्रम वार (₹ लाखों में) (जीएसटी सहित)	परियोजना/कार्यक्रम उप शीर्षों पर किया गया खर्च: 1.परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2.ओवरहेड (₹ लाखों में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (₹ लाखों में)	खर्च की गई रकम: सीधे/ कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए
I	**शिक्षा संरक्षण :**						
1	धारवाड़ के इर्द-गिर्द स्कूलों को बेंच और डेस्क प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढावा देना	1. अन्य इलाका 2. धारवाड़, कर्नाटक राज्य	57.82	वही जो (5) में है. प्रत्यक्ष व्यय, कोई ओवरहेड नहीं	57.58	प्रत्यक्ष
2	दक्षिण कन्नड के 3 स्थानों में मॉडेल आंगनवाड़ी (चिन्नर अंगला) भवन का निर्माण	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	64.16	- वही -	26.03	प्रत्यक्ष
3	पुत्तूर ताल्लुका के कबका पी.यू. कॉलेज के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	10.00	- वही -	9.18	प्रत्यक्ष
4	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मंगलूरु में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	21.87	- वही -	4.70	प्रत्यक्ष
5	गोविंद दास कॉलेज, सुरत्कल के लिए शौचालय और मूत्रालय का निर्माण	- वही -	- वही -	6.02	- वही -	2.41	प्रत्यक्ष
6	विवेकानन्द कॉलेज, पुत्तूर में शैक्षिक संस्थान के लिए मल-जल उपचार संयंत्र का निर्माण	- वही -	- वही -	7.82	- वही -	7.82	प्रत्यक्ष
7	सरकारी विश्वविद्यालय पूर्व कॉलेज पंजा सुल्या ताल्लुका के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	6.47	- वही -	6.47	प्रत्यक्ष
8	सरकारी महिला पॉलिटेक्निक, बोंदेल, मंगलूर के लिए शौचालय और बाथ रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	12.02	- वही -	7.47	प्रत्यक्ष
9	सरकारी पी.यू. कॉलेज, कृष्णपुरा के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	- वही -	35.40	- वही -	32.28	प्रत्यक्ष
10	DKZP HP स्कूल, VI ब्लॉक, कृष्णपुरा के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	10.42	- वही -	10.42	प्रत्यक्ष

11	सरकारी जूनियर कॉलेज, चिक्कमगलूरु में क्लासरूम और विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	- वही -	1. अन्य इलाका 2. चिक्कमगलूरु ज़िला, कर्नाटक राज्य	88.5	- वही -	26.90	प्रत्यक्ष
12	सरकारी अपग्रेड किया गया HP स्कूल, बल्पा, सुल्या ताल्लुका की पहली मंज़िल में रंग मंदिरा के निर्माण की व्यवस्था करने सहित स्कूल के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	70.80	- वही -	0.00	लागू नहीं
13	DKZP HP स्कूल कुद्रेबेट्टू, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	11.80	- वही -	7.71	प्रत्यक्ष
14	सरकारी पीयू कॉलेज वेणूर में प्रयोगशाला और क्लास रूम भवन का निर्माण	- वही -	- वही -	33.98	- वही -	20.71	प्रत्यक्ष
15	बोंदला जगन्नाथ शेट्टी स्मारक सरकारी हाई स्कूल, शंभूर और बंटवाल ताल्लुका के लिए रूफ टॉप सोलर पेनल प्रदान करना	- वही -	- वही -	9.94	- वही -	9.26	प्रत्यक्ष
16	DKZP HP स्कूल विट्ला, बंटवाल ताल्लुका के लिए शौचालय का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	10.00	- वही -	9.89	प्रत्यक्ष
17	चिक्कमगलूरु जिले में श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर ट्रस्ट, बेंगलूर के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	1. अन्य इलाका 2. चिक्कमगलूरु ज़िला, कर्नाटक राज्य	10.00	- वही -	10.00	प्रत्यक्ष
18	DKZP HP स्कूल विट्ला, अजिलमोगरु, बंटवाल ताल्लुका के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	10.00	- वही -	0.00	लागू नहीं
19	DKZP HP स्कूल ओक्केतूर, बंटवाल ताल्लुका के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	4.24	- वही -	4.15	प्रत्यक्ष
20	DKZP HP स्कूल इर्डे, पुत्तूर के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	4.51	- वही -	3.93	प्रत्यक्ष
21	DKZP HP स्कूल कुद्रेबेट्टू, बंटवाल ताल्लुका के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	5.00	- वही -	2.85	प्रत्यक्ष
22	द.क. जिले के सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉयर की संस्थापना	- वही -	- वही -	23.60	- वही -	0.00	लागू नहीं
23	सरकारी उच्चतर प्राथमिक स्कूल, हेसकुतूर, कुंदापुरा ताल्लुका, उडुपी जिला के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	1. अन्य इलाका 2. उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	5.50	- वही -	5.12	प्रत्यक्ष
24	DKZP HP स्कूल कावू, पुत्तूर के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	10.00	- वही -	10.00	प्रत्यक्ष

25	मक्का जुम्मा मस्जिद शिक्षा ट्रस्ट के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	7.61	- वही -	6.73	प्रत्यक्ष
26	महात्मा गांधी हाई स्कूल, सैबरकट्टे, उडुपी के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	1. अन्य इलाका 2. उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	10.00	- वही -	10.00	प्रत्यक्ष
27	श्री भारती उच्चतर प्राथमिक स्कूल, अलंकार, पुत्तूर के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य राज्य	25.00	- वही -	25.00	प्रत्यक्ष
28	जनता उच्चतर प्राथमिक स्कूल, अड्यनडका, बंटवाल के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	12.00	- वही -	8.77	प्रत्यक्ष
29	मैत्रेयी गुरुकुला, विट्ला के लिए शौचालय सुविधा का निर्माण	- वही -	- वही -	32.08	- वही -	23.54	प्रत्यक्ष
30	विवेकानन्द सहायता प्राप्त H.P स्कूल जलसूर के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	5.00	- वही -	5.00	प्रत्यक्ष
31	सरकारी हाई स्कूल, नवूर के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	7.30	- वही -	0.00	लागू नहीं
32	DKZPHP स्कूल, कोइला के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	10.00	- वही -	3.70	प्रत्यक्ष
33	विद्यादायिनी स्कूल सुरत्कल के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	5.20	- वही -	3.50	प्रत्यक्ष
34	DKZPLP स्कूल, कोंपदवु के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	2.50	- वही -	0.00	लागू नहीं
35	DKZP स्कूल बोलिया, कुप्पेपदवु के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	6.95	- वही -	6.05	प्रत्यक्ष
36	DKZP स्कूल, एडपदवु के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	6.95	- वही -	6.05	प्रत्यक्ष
37	DKZP स्कूल मुच्चूरु के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	6.95	- वही -	6.03	प्रत्यक्ष
38	DKZP स्कूल कल्लाडी के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	6.95	- वही -	6.05	प्रत्यक्ष
39	DKZP स्कूल, गुत्तकाडू के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	8.11	- वही -	7.57	प्रत्यक्ष
40	DKZPHP स्कूल नाडुगोडू के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	8.00	- वही -	0.00	लागू नहीं
41	सरकारी उच्चतर प्राथमिक स्कूल, आलीयूर के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	10.00	- वही -	0.00	लागू नहीं
42	बल्पा ग्राम पंचायत के लिए शौचालयों का निर्माण	- वही -	- वही -	9.16	- वही -	0.00	लागू नहीं
43	स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन निर्मित स्वच्छ विद्यालय शौचालयों का अनुरक्षण	- वही -	1. स्थानीय एवं अन्य इलाका 2. दक्षिण कन्नडा और उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	2.47	- वही -	1.18	प्रत्यक्ष

44	रायचूर और यादगिर ज़िलों में स्कूलों और कॉलेजों में नैपकिन वेंडिंग मशीन और इन्सिनरेटर्स की संस्थापना	- वही -	1. अन्य इलाका 2. रायचूर और यादगिर जिला, कर्नाटक राज्य	122.22	- वही -	72.85	प्रत्यक्ष
45	कर्नाटका (सरकारी) पॉलिटेक्निक, कद्री हिल्ल, मंगलूरु के लिए वाशरूम के साथ महिला रेस्ट रूम भवन का निर्माण	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	50.00	- वही -	0.00	लागू नहीं
46	बेल्तंगडी ताल्लुका में सरकारी स्कूलों के लिए शौचालय (42 शौचालय) का निर्माण	- वही -	- वही -	420.00	- वही -	210.00	प्रत्यक्ष
47	डेक्कन हेराल्ड शैक्षिक परियोजना - '' डेक्कन हेराल्ड सहपाठी ''	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	- वही -	54.34	- वही -	47.64	प्रत्यक्ष
48	श्री वेंकटरमणा महिला कॉलेज, कार्कला के लिए भवन	- वही -	1. अन्य इलाका 2. उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	9.80	- वही -	19.80	प्रत्यक्ष
49	VT रोड, मंगलूरु के पास स्पास्टिक बच्चों की खातिर सेवा भारती स्कूल के लिए परियोजना - स्पास्टिक व्यक्ति के लिए बहुउद्देशीय फिसियोथेरपी वाहन	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	30.73	- वही -	29.59	प्रत्यक्ष
50	दक्षिण कन्नड जिले के सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए छात्रों को अक्षय पात्रा फाउंडेशन के जरिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था	- वही -	1. कई क्षेत्र 2. द.क., बेल्लारी, धारवाड़ ज़िला कर्नाटक राज्य	128.41	- वही -	122.36	प्रत्यक्ष
51	DKZP HP स्कूल इरा, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	17.70	- वही -	5.39	प्रत्यक्ष
52	श्री भारती उच्चतर प्राथमिक स्कूल, अलंकार, पुत्तूर के लिए क्लासरूम का निर्माण	- वही -	- वही -	16.99	- वही -	16.99	प्रत्यक्ष
53	DKZP HP स्कूल, कडबेट्टू, बंटवाल ताल्लुका के लिए रूफ टॉप और ऑडिटोरियम का नवीकरण	- वही -	- वही -	6.49	- वही -	0.00	लागू नहीं
54	सेंट मेरीस केंद्रीय स्कूल, किन्निगोली के लिए विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	- वही -	- वही -	14.78	- वही -	8.62	प्रत्यक्ष
55	रामकृष्ण हाई स्कूल, पुत्तूर के लिए स्कूल भवन का निर्माण	- वही -	- वही -	35.40	- वही -	35.39	प्रत्यक्ष
56	DKZP उच्चतर प्राथमिक स्कूल मध्या, मंगलूरु ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	41.30	- वही -	41.30	प्रत्यक्ष

57	गोविंद दास फस्ट ग्रेड कॉलेज, सुरत्कल के लिए क्लास रूम और विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करना	- वही -	- वही -	59.00	- वही -	44.06	प्रत्यक्ष
58	सरकारी हाई स्कूल, गुरुवायनकेरे, बेल्तंगडी के लिए बहु उद्देशीय प्रदर्शन क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	59.00	- वही -	44.28	प्रत्यक्ष
59	सरकारी पीयू कॉलेज, बैलूर के लिए पहली मंजिल का निर्माण	- वही -	1. अन्य इलाका 2. उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	29.50	- वही -	29.50	प्रत्यक्ष
60	DKZP HP स्कूल, केडुलिके, कवलकट्टे, बंटवाल ताल्लुका के लिए ऑडिटोरियम और डाइनिंग हॉल	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	35.40	- वही -	35.40	प्रत्यक्ष
61	सरकारी पीयू कॉलेज, सवणूर, पुत्तूर ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	51.22	- वही -	41.72	प्रत्यक्ष
62	स्थानीय स्कूल/सहायता प्राप्त स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास: भवन (क्लास रूम), कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और संबंधित वस्तुएं, फर्नीचर, क्रीडा सामग्री, विज्ञान मॉड्यूल आदि प्रदान करना	- वही -	- वही -	41.00	- वही -	40.91	प्रत्यक्ष
63	लायन्स स्पेशल स्कूल, सुरत्कल के लिए भवन का निर्माण	- वही -	- वही -	101.66	- वही -	91.67	प्रत्यक्ष
64	DKZP HP स्कूल तिरुवइल, मंगलूरु के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	31.27	- वही -	6.14	प्रत्यक्ष
65	अंजुमन स्कूल, जोकट्टे के लिए क्लास रूम और अन्य सुविधाओं का निर्माण	- वही -	- वही -	24.51	- वही -	24.51	प्रत्यक्ष
66	सेंट इग्नेशियस स्कूल, मूडबिद्री के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	42.56	- वही -	42.54	प्रत्यक्ष
67	सरकारी हाई स्कूल, मुच्चूरु में रूफिंग और विकास कार्य	- वही -	- वही -	22.00	- वही -	16.03	प्रत्यक्ष
68	DKZP उर्दू HP स्कूल, गुरुकंबला के स्कूल भवन का नवीकरण	- वही -	- वही -	4.01	- वही -	0.00	लागू नहीं
69	सरकारी पी.यू. कॉलेज (एच. अनुभाग), मुत्तूरु के लिए रूफ़ कार्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं	- वही -	- वही -	5.78	- वही -	5.31	प्रत्यक्ष
70	सरकारी हाई स्कूल, काटिपल्ला, 5वां ब्लॉक, कृष्णपुरा के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	- वही -	- वही -	35.40	- वही -	18.81	प्रत्यक्ष
71	सरकारी हाई स्कूल मुल्लकाडु के स्कूल मैदान के लिए ग्रिल्ल लगाना और उसे ऊंचा करना.	- वही -	- वही -	5.90	- वही -	5.29	प्रत्यक्ष

72	श्री रामचंद्रपुरा पी यू कॉलेज, पेर्ने के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	- वही -	- वही -	24.39	- वही -	24.18	प्रत्यक्ष
73	श्री रामकुंजेश्वर संस्कृत उच्चतर प्राथमिक स्कूल, रामकुंजा, पुत्तूर की बुनियादी सुविधाओं का विकास	- वही -	- वही -	5.51	- वही -	4.56	प्रत्यक्ष
74	होली फैमिली गर्ल्स स्कूल, बजपे के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं और फर्नीचर प्रदान करना	- वही -	- वही -	24.78	- वही -	24.23	प्रत्यक्ष
75	सरकारी हाई स्कूल, हिरगना, कार्कला के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	1. अन्य इलाका 2. उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	26.55	- वही -	12.80	प्रत्यक्ष
76	सरकारी मॉडेल एच.पी. स्कूल, गुडिगरगल्ली, कुमटा के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	- वही -	1. अन्य इलाका 2. उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक राज्य	12.44	- वही -	12.44	प्रत्यक्ष
77	DKZP HP स्कूल दड्डी बडगा एडपदवु, मंगलूरु के स्कूल भवन और कंपाउंड दीवार का नवीकरण	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	18.00	- वही -	10.87	प्रत्यक्ष
78	DKZPHP स्कूल, मुच्चूरु, मंगलूरु के लिए अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	89.09	- वही -	12.61	प्रत्यक्ष
79	DKZP HP बोलंतीमोगरु, विट्ला, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्लास रूम और खुले स्टेज का निर्माण	- वही -	- वही -	29.50	- वही -	29.50	प्रत्यक्ष
80	मौजूदा सहायता प्राप्त कलवारु उच्चतर प्राथमिक स्कूल, चेलइरु गांव के पहली मंज़िल स्लैब और द्वितीय मंज़िल का निर्माण	- वही -	- वही -	48.73	- वही -	38.40	प्रत्यक्ष
81	DKZP HP स्कूल, बोलिया, मंगलूरु के लिए कंपाउंड की दीवार	- वही -	- वही -	13.87	- वही -	8.87	प्रत्यक्ष
82	DKZP HP स्कूल, बोलिया, मंगलूरु के स्कूल भवन का नवीकरण	- वही -	- वही -	6.01	- वही -	0.00	लागू नहीं
83	DKZP HP स्कूल कल्लाडी, मंगलूरु के लिए ऑफ़ीस रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	10.33	- वही -	10.32	प्रत्यक्ष
84	सरकारी हाई स्कूल भवन, किन्निकंबला, मंगलूरु का नवीकरण	- वही -	- वही -	3.78	- वही -	0.00	लागू नहीं
85	DKZP HP स्कूल भवन, मुंडबेट्टू, पदुपेररा का नवीकरण	- वही -	- वही -	4.43	- वही -	0.00	लागू नहीं
86	सरकारी हाई स्कूल, कल्लाडी, मंगलूरु के स्कूल भवन और शौचालय रूम का नवीकरण	- वही -	- वही -	4.01	- वही -	0.00	लागू नहीं

87	श्री नारायण गुरु पी यू कॉलेज, काटिपल्ला, मंगलूर की पहली मंज़िल में अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	35.40	- वही -	4.42	प्रत्यक्ष
88	सरकारी प्राथमिक स्कूल, किन्निकंबला, मंगलूर के लिए क्लास रूम और शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	47.20	- वही -	0.00	लागू नहीं
89	PGSS सरकारी हाई स्कूल, केमराल, हलेअंगडी के भवन की मरम्मत	- वही -	- वही -	17.70	- वही -	17.66	प्रत्यक्ष
90	सहायता प्राप्त कलावर उच्चतर प्राथमिक स्कूल, चेलइरु पुनर्वास कॉलोनी में यूनिफॉर्म और किताबों का वितरण	वही	वही	2.35	वही	2.35	प्रत्यक्ष
91	DKZP HP स्कूल, कोंपदवु के लिए बेंच और डेस्क की खरीदारी	वही	वही	0.71	वही	0.71	प्रत्यक्ष
92	सूरिंजे ग्राम पंचायत के लिए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण	वही	वही	23.60	वही	7.08	प्रत्यक्ष
93	सरकारी हाई स्कूल, बडगा येक्कारु और मंगलूरु ताल्लुका के लिए स्कूल भवन और शौचालय मंज़िल की मरम्मत	वही -	वही -	11.80	वही -	11.80	प्रत्यक्ष
94	सरकारी महिला पॉलिटेक्निक, बोंदेल, मंगलूरु के लिए कंप्यूटर खरीदना	- वही -	- वही -	17.24	- वही -	17.23	प्रत्यक्ष
95	सरकारी हाई स्कूल, जोकट्टे के लिए कांक्रीट अप्रोच रोड और जल निकास का निर्माण	- वही -	- वही -	8.85	- वही -	0.00	लागू नहीं
96	DKZP HP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, किलेंजरु, कुप्पेपदवु, मंगलूरु ताल्लुका के लिए स्कूल भवन का निर्माण	- वही -	- वही -	59.00	- वही -	4.17	प्रत्यक्ष
97	DKZP HP स्कूल, पदुपेररा, किन्निकंबला, मंगलूरु ताल्लुका के स्कूल भवन का नवीकरण	- वही -	- वही -	5.13	- वही -	0.00	लागू नहीं
98	निरंजन स्वामी पॉलिटेक्निक, सुंकदकट्टे, बजपे के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरण खरीदना	- वही -	- वही -	19.11	- वही -	19.10	प्रत्यक्ष
99	DKZP हाई स्कूल, कोणजेपदवु, मंगलूरु ताल्लुका के रिटेंशन वॉल और कंपाउंड दीवार का निर्माण	- वही -	- वही -	47.20	- वही -	45.82	प्रत्यक्ष
100	चोक्काडी, कुक्कुजडका, सुल्या ताल्लुका के लिए कंप्यूटर खरीदना	- वही -	- वही -	2.12	- वही -	2.12	प्रत्यक्ष
101	पयस्विनी हाई स्कूल, जलसूर, सुल्या के लिए कंप्यूटर खरीदना	- वही -	- वही -	2.12	वही -	2.12	प्रत्यक्ष

102	पेरमुडे ग्राम पंचायत के लिए आंगनवाड़ी का निर्माण	- वही -	- वही -	23.60	- वही -	11.80	प्रत्यक्ष
103	बेल्तंगडी ताल्लुका में 19 सरकारी स्कूलों और सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल, मंगलूरु में सोलर पेनलों की संस्थापना के लिए DFR की तैयारी	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	- वही -	1.40	- वही -	0.00	लागू नहीं
104	सरकारी पी यू कॉलेज (हाई स्कूल अनुभाव), गुरुपुरा के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	- वही -	59.00	- वही -	45.37	प्रत्यक्ष
105	संस्कृत भारती, बेंगलूरु की तीसरी मंजिल का निर्माण	- वही -	**1.** अन्य **2.** बेंगलूरु ज़िला, कर्नाटक राज्य	79.06	- वही -	27.23	प्रत्यक्ष
106	DKZP मॉडेल उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कल्लडका, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्रीडा उपकरण प्रदान करना	- वही -	**1.** स्थानीय इलाका **2.** द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	3.51	- वही -	3.51	प्रत्यक्ष
107	सरकारी विश्वविद्यालय पूर्व कॉलेज, हिरियडका के लिए कंप्यूटर प्रदान करना	- वही -	**1.** अन्य **2.** उडुपि ज़िला, कर्नाटक राज्य	10.16	- वही -	10.16	प्रत्यक्ष
108	सरकारी हाई स्कूल, बेल्लूरु, उडुपी ज़िला के लिए इनबिल्ट वाटर प्यूरीफायर के साथ वाटर कूलर	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	- वही -	1.04	- वही -	1.04	प्रत्यक्ष
109	SVS अँग्रेजी माध्यम स्कूल, विद्या गिरी, बंटवाल के लिए कंप्यूटर प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	**1.** स्थानीय इलाका **2.** द.क.जिला कर्नाटक राज्य	22.79	- वही -	22.79	प्रत्यक्ष
110	सरकारी हाई स्कूल, कौक्रडी में बुनियादी सुविधाओं का विकास	- वही -	- वही -	3.54	- वही -	0.00	प्रत्यक्ष
111	सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस स्कूल, सुरत्कल के क्लास रूम, ऑफ़ीस रूम और कॉरिडॉर का नवीकरण	- वही -	- वही -	6.49	- वही -	6.44	प्रत्यक्ष
112	DKZP HP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, दड्डलकाड, बंटवाल ताल्लुका के लिए स्कूल भवन का निर्माण	- वही -	- वही -	63.37	- वही -	63.37	प्रत्यक्ष
113	सुल्या, उडुपी और काप में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और पीएचसी में पेय जल की सुविधा	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	**1.** कई क्षेत्र **2.** द.क.,उडुपि जिला व उडुपि जिला, कर्नाटक राज्य	330.00	- वही -	329.65	प्रत्यक्ष

114	श्री राम विद्या केंद्र ट्रस्ट, कल्लडका के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	177.00	- वही -	177.00	प्रत्यक्ष
115	सरकारी हाई स्कूल, पोलाली के लिए स्कूल भवन का निर्माण	- वही -	- वही -	77.00	- वही -	57.25	प्रत्यक्ष
116	दक्षिण कन्नड़ ज़िला पंचायत, मंगलूरु द्वारा दक्षिण कन्नड जिले में आंगनवाड़ी का निर्माण	- वही -	- वही -	148.00	- वही -	73.75	प्रत्यक्ष
117	DKZP मॉडेल उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कल्लडका, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्लास रूम और शौचालयों का निर्माण	- वही -	- वही -	81.00	- वही -	60.88	प्रत्यक्ष
118	DKZP मॉडेल उच्चतर प्राथमिक स्कूल, माजी, वीरकंब्ला के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	76.00	- वही -	58.29	प्रत्यक्ष
119	सरकारी विश्वविद्यालय पूर्व कॉलेज (हाई स्कूल अनुभाग), चेलइरु के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	61.00	- वही -	29.50	प्रत्यक्ष
120	सरकारी विश्वविद्यालय पूर्व कॉलेज (शिक्षा), हंपनकट्टा, मंगलूरु की पहली मंज़िल में क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	25.96	- वही -	12.98	प्रत्यक्ष
121	अंजुमन शैक्षिक संस्थाएं, जोकट्टे के लिए फ़र्नीचर की खरीदारी	- वही -	- वही -	19.72	- वही -	19.63	प्रत्यक्ष
122	अंजुमन शैक्षिक संस्थाएं, जोकट्टे के लिए स्टेज का निर्माण	- वही -	- वही -	9.13	- वही -	9.13	प्रत्यक्ष
123	सरकारी उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कोइला, बंटवाल ताल्लुका के लिए स्कूल बस खरीदने के लिए वित्तीय समर्थन	- वही -	- वही -	19.38	- वही -	18.95	प्रत्यक्ष
124	जोकट्टे ग्रामीण पंचायत के सरकारी स्कूल के लिए नोट बुकों का वितरण	- वही -	- वही -	1.25	- वही -	1.25	प्रत्यक्ष
125	सहायता प्राप्त पेरमुडे उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कोडिगेरे में यूनिफॉर्म का वितरण	- वही -	- वही -	0.65	- वही -	0.65	प्रत्यक्ष
126	DKZP HP स्कूल, चंदलिके, विट्ला के लिए क्लास रूम का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता	- वही -	- वही -	37.76	- वही -	24.19	प्रत्यक्ष
127	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले अ.जा./अ.ज.जा. के होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता देना	- वही -	- वही -	78.71	- वही -	78.40	प्रत्यक्ष

128	श्री देवी हाई स्कूल, पुनचा, बंटवाल ताल्लुका के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	- वही -	30.00	- वही -	9.23	प्रत्यक्ष
129	डी.एन. महाविद्यालय, गुलवटी उत्तर प्रदेश को 6 कंप्यूटर प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	1. अन्य इलाका 2. उत्तर प्रदेश राज्य	3.23	- वही -	3.22	प्रत्यक्ष
130	मंगलूरु नगर निगम क्षेत्र के इर्द-गिर्द बसे स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	13.54	- वही -	1.46	प्रत्यक्ष
131	DKZP HP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, अनंताडी, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	- वही -	29.50	- वही -	14.75	प्रत्यक्ष
132	विवेकानन्द सहायता प्राप्त उच्चतर प्राथमिक स्कूल, जलसूर के लिए स्कूल भवन का विस्तार	- वही -	- वही -	105.87	- वही -	0.00	लागू नहीं
133	कार्कला, उडुपी ज़िले के कडतला ग्राम पंचायती के लिए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण	- वही -	1. अन्य इलाका 2. उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	35.40	- वही -	17.70	प्रत्यक्ष
134	श्री मारिकांबा सरकारी हाई स्कूल और पी.यू. कॉलेज, शिरसी, उत्तर कन्नड ज़िला के लिए शौचालयों का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम.सं.i स्वच्छता	1. अन्य इलाका 2. उत्तर कन्नड, जिला कर्नाटक राज्य	50.00	- वही -	25.00	प्रत्यक्ष
135	गोणीकोप्पल हाई स्कूल मैदान, कोडगू ज़िले में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	1. अन्य इलाका 2. कोडगू ज़िला, कर्नाटक राज्य	59.00	- वही -	0.00	लागू नहीं
136	यादगिर ज़िले के सरकारी हाई स्कूलों में प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा का दर्जा बढ़ाना	- वही -	1. अन्य इलाका 2. यादगिर ज़िला, कर्नाटक राज्य	28.32	- वही -	0.00	लागू नहीं
137	सरकारी उच्चतर प्राथमिक स्कूल, पत्र कट्टे, तीर्थहल्ली के लिए वाटर प्यूरीफायर प्रदान करना	- वही -	1. अन्य इलाका 2.शिमोगा जिला, कर्नाटक राज्य	0.45	- वही -	0.00	लागू नहीं

II आरोग्य संरक्षण:

1	सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल मंगलूरु में अनिवार्य स्वास्थ्य की देखभाल के लिए फर्नीचर प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i निवारक स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	745.43	- वही -	696.61	प्रत्यक्ष
2	दांडेली/हलियाल, उत्तर कन्नड ज़िला में नकली अवयव शिविर चलाना	- वही -	1. अन्य इलाका 2. उत्तर कन्नड ज़िला, कर्नाटक राज्य	5.90	- वही -	0.00	लागू नहीं
3	चैलइरु पुनर्वास कालोनी में मुफ्त में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	7.80	वही जो (5) में है. प्रत्यक्ष व्यय, कोई ओवरहेड नहीं	3.91	प्रत्यक्ष

4	कलावर में मुफ़्त में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	- वही -	- वही -	10.33	- वही -	2.00	प्रत्यक्ष
5	अरलगुप्पे मल्लेगौडा सरकारी अस्पताल, चिक्कमगलूर को प्रयोगशाला और अन्य उपकरण प्रदान करना	- वही -	1. अन्य 2. चिक्कमगलूरु ज़िला, कर्नाटक राज्य	69.62	- वही -	60.18	प्रत्यक्ष
6	सामान्य अस्पताल, शिकारीपुरा को एक्स-रे मशीन, अल्ट्रा साउंड मशीन, साइलेंट जनरेटर और डायलिसिस मशीन प्रदान करना	- वही -	1. अन्य 2. शिवमोग्गा ज़िला, कर्नाटक राज्य	29.14	- वही -	27.69	प्रत्यक्ष
7	सरकारी सामान्य अस्पताल, तीर्थहल्ली को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना	- वही -	- वही -	16.04	- वही -	5.65	प्रत्यक्ष
8	बीजी एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट (रि) मंगलूरु द्वारा श्रवण संबंधी उपकरण और अन्य उपकरण मुहैया कराना	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	35.25	- वही -	35.25	प्रत्यक्ष
9	गांवों में स्वास्थ की देखभाल संबंधी गतिविधियाँ : सीएचडी समूह, मंगलूरु के जरिए मोबाइल चिकित्सा सुविधा	- वही -	- वही -	23.55	- वही -	14.25	प्रत्यक्ष
10	सरकारी स्पाइन इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद के लिए एंबुलेंस और अन्य CSR परियोजनाएं	- वही -	1. अन्य 2. अहमदाबाद ज़िला, गुजरात राज्य	30.19	- वही -	11.81	प्रत्यक्ष
11	बेल्तंगडी में सरकारी ताल्लुका अस्पताल के लिए 4 एंबुलेंस खरीदना	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	62.09	- वही -	62.09	प्रत्यक्ष
12	सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शिवमोग्गा ज़िले के लिए ईसीजी मशीनें खरीदना	- वही -	1. अन्य 2. शिवमोग्गा ज़िला, कर्नाटक राज्य	5.27	- वही -	0.00	लागू नहीं
13	एर्नाकुलम्, केरल में प्रवासी कामगारों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तमाम उपकरणों के साथ मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक की, सेंटर फॉर माइग्रेशन एण्ड इन्क्लूसीव डेवलपमेंट (CMID), एर्नाकुलम् द्वारा खरीदारी	- वही -	1. अन्य इलाका 2. एर्नाकुलम् ज़िला, केरल राज्य	47.60	- वही -	46.40	प्रत्यक्ष
14	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुल्की के लिए ओपीडी ब्लॉक का निर्माण	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य राज्य	118.00	- वही -	59.00	प्रत्यक्ष
15	मेसर्स ALIMCO, बेंगलूरु के सहयोग से विकलांगों को सहायक उपकरण और साधन प्रदान करना	- वही -	1. कई क्षेत्र 2. द.क., उडुपी, रायचूर और यादगिर जिला, कर्नाटक राज्य	230.00	- वही -	164.91	प्रत्यक्ष
16	कावेरी मेमोरियल चैरिटबल ट्रस्ट/अस्पताल को सीसीयू/ट्रामा एंबुलेंस का दान देना	- वही -	1. अन्य इलाका 2. चिक्कमगलूरु ज़िला, कर्नाटक राज्य	26.81	- वही -	26.81	प्रत्यक्ष

17	शारदा धन्वंतरी चैरिटेबल अस्पताल, श्रृंगेरी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना	- वही -	1. अन्य इलाका 2. शिवमोग्गा ज़िला, कर्नाटक राज्य	23.91	- वही -	23.91	प्रत्यक्ष
18	कोडगू ज़िले में उद्धव चैरिटबल ट्रस्ट, बेंगलूरु के जरिए संपजे पीएचसी को एक महिंद्रा बोलेरो एंबुलेंस खरीदने के लिए वित्तीय समर्थन देना	- वही -	1. अन्य इलाका 2. कोडगू ज़िला, कर्नाटक राज्य	9.29		9.29	प्रत्यक्ष

III बहुजन संरक्षण :

1	बाल ग्राम पंचायत के समुदाय हॉल और आंगनवाड़ी भवन में रूपांतरण कार्य, उसकी पेंटिंग, सिविल कार्य	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	3.81	वही जो (5) में है. प्रत्यक्ष व्यय, कोई ओवरहेड नहीं	0.70	प्रत्यक्ष
2	धारवाड़ में आंगनवाड़ी, प्रशिक्षण केंद्र और पुस्तकालय का निर्माण	- वही -	1. अन्य इलाका 2. धारवाड़ जिला, कर्नाटक राज्य	18.64	- वही -	17.65	प्रत्यक्ष
3	पेय जल परियोजना - चेलइरु पुनर्वास कॉलोनी में पाइपलाइन के साथ खुला कुआं	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	17.02	- वही -	5.90	प्रत्यक्ष
4	मंगलूरु ताल्लुका के पणंबूर/तण्णीभावी/ तलपाडी के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	75.78	- वही -	5.70	प्रत्यक्ष
5	व्यक्ति विकास ट्रस्ट (आर्ट ऑफ लिविंग) द्वारा गणेशपुरा में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	18.00	- वही -	18.00	प्रत्यक्ष
6	मंगलूरु नगरपालिका सीमा में शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	61.10	- वही -	11.47	प्रत्यक्ष
7	अमृतानंदमयी मठ मंगलूरु के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान	- वही -	- वही -	32.77	- वही -	32.75	प्रत्यक्ष
8	व्यक्ति विकास ट्रस्ट (आर्ट ऑफ लिविंग) के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान - अपशिष्ट निपटान मशीन का वितरण	- वही -	- वही -	1.47	- वही -	0.76	प्रत्यक्ष
9	चेलइरु ग्राम पंचायती के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.x ग्रामीण विकास	- वही -	18.34	- वही -	16.31	प्रत्यक्ष
10	87 घरों के लिए (23 अ.जा./अ.ज.जा. और शेष ओबीसी) प्रत्येक शौचालय का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	- वही -	6.42	- वही -	1.50	प्रत्यक्ष

11	हलियाल, उत्तर कन्नड़ ज़िला में क्रीडा कॉंप्लेक्स के लिए क्रीडा उपकरण प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. vii प्रशिक्षण राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त क्रीडा को बढ़ावा देना	1. अन्य इलाका 2. उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक राज्य	11.80	- वही -	0.00	लागू नहीं
12	महानंदी गौलोका शिमोगा में पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv पशु कल्याण	1. स्थानीय इलाका 2. शिमोगा जिला, कर्नाटक राज्य	4.77	- वही -	4.77	प्रत्यक्ष
13	उत्तर कन्नडा के हलियाल में कुशलता विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम No. ii रोज़गार बढ़ाने वाली व्यावसायिक कुशलताएं	1. अन्य इलाका 2. उत्तर कन्नड़ ज़िला कर्नाटक राज्य	11.80	- वही -	11.20	प्रत्यक्ष
14	जोकट्टे, बजपे और पादपनंबूरु में ओवरहेड टैंक का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	70.80	- वही -	55.60	प्रत्यक्ष
15	दक्षिण कन्नड जिले में अ.जा./अ.ज.जा. हॉस्टेल के लिए पुस्तकालय भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम No. ii सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों के सम्मुख असमानताओं को कम करने के उपाय करना	- वही -	26.42	- वही -	7.37	प्रत्यक्ष
16	अनिमल केर ट्रस्ट, शक्तिनगरा, मंगलूरु के डॉग एबीसी वार्ड के लिए अतिरिक्त वार्ड का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv पशु कल्याण	- वही -	2.89	- वही -	2.89	प्रत्यक्ष
17	कर्नाटका सेवा वृंदा, सुरत्कल के खुले स्टेज का फ्लोरिंग और बैरिकेड बनाना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं v – पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना	- वही -	4.72	- वही -	4.13	प्रत्यक्ष
18	नित्यानंदा समुदाय भवना, गणेशपुरा का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	- वही -	17.70	- वही -	17.70	प्रत्यक्ष
19	मूडबिद्री में झीलों का उद्धार और विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	- वही -	70.80	- वही -	45.20	प्रत्यक्ष

20	श्री कृष्ण मठ परिसर विकास प्रतिष्ठाना, उडुपी के लिए शौचालय और अन्य संबंधित स्वच्छता सुविधा	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	1. अन्य 2. उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	109.99	- वही -	51.01	प्रत्यक्ष
21	बप्पनाडु मंदिर, मुल्की के लिए मल-जल उपचार संयंत्र	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	49.62	- वही -	0.00	प्रत्यक्ष
22	चेलइरु पुनर्वास कॉलोनी के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	- वही -	- वही -	9.80	- वही -	9.50	प्रत्यक्ष
23	टाउन पंचायत, विट्ला, बंटवाल ताल्लुका के लिए सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	16.00	- वही -	10.35	प्रत्यक्ष
24	करिंजे मंदिर, कवलमुदूर गांव, बंटवाल ताल्लुका में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	- वही -	9.06	- वही -	4.79	प्रत्यक्ष
25	रामकृष्ण मिशन की स्वच्छ भारत परियोजनाएं	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	- वही -	289.05	- वही -	242.49	प्रत्यक्ष
26	कार्कला स्टेडियम के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	1. अन्य इलाका 2.उडुपि ज़िला कर्नाटक राज्य	20.00	- वही -	0.00	लागू नहीं
27	पंडेश्वर फायर सर्वीस स्टेशन के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	18.10	- वही -	13.07	प्रत्य क्ष
28	मूडबिद्री में आम जनता के उपयोग के लिए शुद्ध पेय जल की सुविधा प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	- वही -	4.59	- वही -	4.59	प्रत्यक्ष
29	स्वच्छ सुरत्कल: फ्लाइ ओवर के नीचे सजाए गए स्थान का अनुरक्षण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	- वही -	9.05	- वही -	6.03	प्रत्यक्ष
30	गुडिगार, येक्कार में ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	- वही -	22.13	- वही -	0.00	लागू नहीं
31	आड्यपाडी, कंदावरा गांव में ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण	- वही -	- वही -	29.50	- वही -	0.00	लागू नहीं

32	नीरमर्गा, मंगलूरु में ओवरहेड टैंक का निर्माण	- वही -	- वही -	29.00	- वही -	0.00	लागू नहीं
33	नीरमर्गा पंचायत में छह स्थानों में बोर वेल्ल खोदना और पाइप लाइन कनेक्ट करना	- वही -	- वही -	10.62	- वही -	0.00	लागू नहीं
34	जोकट्टे गांव, मंगलूरु ताल्लुका में शुद्ध पेय जल प्रदान करना	- वही -	- वही -	5.29	- वही -	1.48	प्रत्यक्ष
35	स्वच्छ पखवाड़ा मनाना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	- वही -	23.36	- वही -	8.74	प्रत्यक्ष
36	बंटवाल ताल्लुका के सरपाडी गांव में सड़क	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	- वही -	78.67	- वही -	0.00	लागू नहीं
37	कर्नाटक राज्य फायर सर्वीस, मंगलूरु अंचल के लिए शीट रूफिंग प्रशिक्षण बैरैक का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. ii रोज़गार बढ़ाने वाली व्यावसायिक कुशलताएं	- वही -	52.16	- वही -	0.00	लागू नहीं
38	नलिके सेवा समाजा®, ओडिनाला, बेल्तंगडी में बुनियादी सुविधाओं का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	- वही -	29.50	- वही -	11.14	प्रत्यक्ष
39	सूरिंजे ग्राम पंचायत के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	- वही -	- वही -	29.31	- वही -	0.00	लागू नहीं
40	सेवाश्रम (अनाथालय), सेवा भाव चैरिटबल ट्रस्ट, बेल्मन, देरलकट्टे की मदद करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. iii वृद्धाश्रम बनाना	- वही -	23.60	- वही -	23.60	प्रत्यक्ष
41	मंगला सेवा समिति ट्रस्ट (अनाथालय), मंगलूरु के लिए भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iii महिलाओं और अनाथों के लिए घर और हॉस्टेल बनाना	- वही -	5.90	- वही -	5.90	प्रत्यक्ष
42	बजपे, मंगलूरु ताल्लुका में वरिष्ठ नागरिक गार्डन बनाना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	- वही -	5.00	- वही -	5.00	प्रत्यक्ष

43	संबद्ध सरकारी विभाग के जरिए अ.जा./ अ.ज.जा. समुदाय के लिए बुनियादी सुविधाएं	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. ii सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों के सम्मुख असमानताओं को कम करने के उपाय करना	- वही -	171.96	- वही -	127.0 2	प्रत्यक्ष
44	गोऊस्वर्गा - सिद्दापुरा, उत्तर कन्नड़ में गाय पालन और उत्पादों पर अनुसंधान केंद्र का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv पशु कल्याण	1. अन्य 2. उत्तर कन्नड़ ज़िला, कर्नाटक राज्य	118.00	- वही -	14.07	प्रत्यक्ष
45	बिल्लवा एसोसिएशन, मंगलूरु के हॉस्टेल में बुनियादी सुविधाओं का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iii महिलाओं और अनाथों के लिए घर और हॉस्टेल बनाना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	23.60	- वही -	23.60	प्रत्यक्ष
46	बैकंपाडी विद्यार्थी संघा, बैकंपाडी के लिए समुदाय हॉल और ऑडिटोरियम का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	- वही -	22.32	- वही -	18.10	प्रत्यक्ष
47	बाल समुदाय भवना में बुनियादी सुविधाओं का विकास	- वही -	- वही -	21.06	- वही -	2.20	प्रत्यक्ष
48	सेना कोष में अंशदान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. vi सशस्त्र सेना बल के लाभार्थ उपाय	1. अन्य 2. भारत	250.00	- वही -	250.00	प्रत्यक्ष
49	गणेशपुरा मंदिर, कड़कांबा, काटिपल्ला के लिए समुदाय भवन और पुस्तकालय का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	44.84	- वही -	44.84	प्रत्यक्ष
50	उड़ीसा साइक्लोन राहत कोष में अंशदान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. xii राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	1. अन्य 2. उड़ीसा राज्य	197.18	- वही -	197.18	प्रत्यक्ष
51	नाडकछेरी, सुरत्कल के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर और फ़र्नीचर प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	2.34	- वही -	2.34	प्रत्यक्ष

52	बाढ़ से पीडितों के लिए कर्नाटक मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. xii राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	1. कई क्षेत्र 2. कर्नाटक राज्य	500.00	- वही -	500.00	प्रत्यक्ष
53	स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. 1. स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	1. कई क्षेत्र 2. भारत	200.00	- वही -	200.00	प्रत्यक्ष
54	स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	8.26	- वही -	2.57	प्रत्यक्ष
55	उचिला, उडुपी ज़िला के दक्षिण कन्नड़ मोगवीरा महाजन संघा® द्वारा समुदाय हॉल का निर्माण करने के लिए समर्थन	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	1. अन्य 2. उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	891.00	- वही -	288.61	प्रत्यक्ष
56	पणंबूर पुलिस स्टेशन के लिए पफ्फ पुलिस केबिनों की खरीदारी	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास परियोजनाएं	- वही -	7.67	- वही -	7.67	प्रत्यक्ष
57	केशव सेवा समिति, बेंगलूरु द्वारा कुशलता विकास कार्यक्रम	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. ii रोज़गार बढ़ाने वाली व्यावसायिक कुशलताएं	1. अन्य 2. बेंगलूरु ज़िला, कर्नाटक राज्य	7.41	- वही -	5.21	प्रत्यक्ष
58	सीएसआर विभाग के प्रति प्रशासनिक खर्च	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII.	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	300.00	- वही -	227.24	प्रत्यक्ष
59	हूविन हडगली, बेल्लारी में समुदाय भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	1. अन्य 2. बेल्लारी ज़िला, कर्नाटक राज्य	499.00	- वही -	0.00	प्रत्यक्ष

60	आपदा प्रबंधन के लिए उप आयुक्त द.क. ज़िला में अंशदान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. xii राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	100.00	- वही -	100.00	प्रत्यक्ष
61	प्रज्ञा परामर्श केंद्र, मंगलूरु के मुडुपा में महिला केंद्र का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iii महिलाओं और अनाथों के लिए घर और हॉस्टेल बनाना	- वही -	316.00	- वही -	0.00	लागू नहीं
62	सीआईएसफ, एमआरपीएल यूनिट द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	- वही -	0.59	- वही -	0.58	प्रत्यक्ष
63	एमआरपीएल में कुशलता विकास कार्यक्रम	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम No. ii रोज़गार बढ़ाने वाली व्यावसायिक कुशलताएं	1. स्थानीय इलाका और अन्य 2. द.क. व उडुपी ज़िला, कर्नाटक राज्य	228.00	- वही -	86.04	प्रत्यक्ष
64	विश्व पर्यावरण दिवस की गतिविधियाँ : स्कूल बच्चों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. iv पर्यावरण की संधारणीयता सुनिश्चित करना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	4.18	- वही -	3.54	प्रत्यक्ष
65	कर्नाटका पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रतियोगिताओं का प्रायोजन करना	- वही -	- वही -	0.59	- वही -	0.59	प्रत्यक्ष
66	पिलिकुला क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस	- वही -	- वही -	1.44	- वही -	1.44	प्रत्यक्ष
67	'' सक्षम - 2020 '' के प्रति तेल कंपनियों का अंशदान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	**1.** अन्य **2.** भारत	6.49	- वही -	6.49	प्रत्यक्ष

68	ज़िला प्राधिकारियों के जरिए आपदा राहत कार्य के लिए परिवहन सेवाएं	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. xii राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	1. कई क्षेत्र 2. कर्नाटक राज्य	1.55	- वही -	1.55	प्रत्यक्ष
69	कोडिकल मोगवीरा महासभा, कोडिकल, मंगलूरु के लिए रंग मंदिरा और जिम्नैशियम भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला, कर्नाटक राज्य	51.07		9.44	प्रत्यक्ष
70	बैकेरे, हासन में पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv पशु कल्याण	1. स्थानीय इलाका 2. हासन ज़िला, कर्नाटक राज्य	38.35		12.79	प्रत्यक्ष
71	हलेअंगडी के श्री विद्या विनायक युवक मंडला के आंगन के लिए शीट रूफिंग का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	20.06		20.06	प्रत्यक्ष
72	COVID-19 के लिए M CARES कोष: वित्व 2019 -20	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. I निवारक स्वास्थ्य की देखभाल और क्रम. सं. xii राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	1. अन्य 2. भारत	100.00	वही जो (5) में है. प्रत्यक्ष व्यय, कोई ओवरहेड नहीं	100.0 0	प्रत्यक्ष
IV	**प्रकृति संरक्षण क्रम:**						
1	दक्षिण कन्नड़ जिले में झीलों का उद्धार और विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	23.60	वही जो (5) में है. प्रत्यक्ष व्यय, कोई ओवरहेड नहीं	0.00	लागू नहीं
2	पिलिकुला निसर्ग धामा जैव विविधता का संरक्षण.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv पशु कल्याण	- वही -	394.42	- वही -	394.42	प्रत्यक्ष
3	कार्कला ताल्लुका कार्यालय, कार्कला, उडुपी जिला के पास सार्वजनिक पार्क का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1. अन्य 2. उडुपी जिला, कर्नाटक राज्य	177.00	- वही -	0.00	लागू नहीं

V	**संस्कृति संरक्षण :**						
1	मंजेश्वर कासरगोड़, केरल में स्थित " गिलिविंडू " राष्ट्रकवि एम. गोविंद पै स्मारक स्थल के लिए कुर्सियां और फर्नीचर प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.v कला का संरक्षण	1. अन्य इलाका 2. कासरगोड़ ज़िला, केरल राज्य	48.44	वही जो (5) में है. प्रत्यक्ष व्यय, कोई ओवरहेड नहीं	47.53	प्रत्यक्ष
2	ऑल इंडिया रेडियो में (आकाशवाणी), मंगलूरु में " एमआरपीएल यक्षांतरंगा " कन्नड कार्यक्रम और ' गंपना तिर्गता ' तुलु कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.v कला और संस्कृति का संरक्षण	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	4.29	- वही -	1.69	प्रत्यक्ष
3	" उदयरंगा " कार्यक्रम के लिए मणिकृष्णस्वामी अकादमी सुरत्कल का प्रायोजन	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.v कला और संस्कृति का संरक्षण	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य	1.42	- वही -	1.34	प्रत्यक्ष
4	मूडबिद्री में जोडु करे कंब्ला आयोजित करने के लिए वित्तीय समर्थन	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.v कला और संस्कृति का संरक्षण	- वही -	3.54	- वही -	3.54	प्रत्यक्ष
5	" करावली उत्सवा 2019 " का प्रयोजन	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.v कला और संस्कृति का संरक्षण	- वही -	5.90	- वही -	5.90	प्रत्यक्ष
6	" करावली उत्सवा 2019 " के अंग के तौर पर पतंग उत्सवा का प्रायोजन	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.v कला और संस्कृति का संरक्षण	- वही -	5.90	- वही -	5.90	प्रत्यक्ष
1	विव 2018-19 के दौरान आगे ले जाई गईं विभिन्न परियोजनाओं से बचत			0.60		-17.11	लागू नहीं
2	विव 2018-19 के दौरान आगे ले जाई गईं विभिन्न परियोजनाओं से व्यय से अधिक धनराशि की व्यवस्था			0.00		-2.55	लागू नहीं
	कुल			**12,260.00**		**7,608.90**	

" अनुबंध आ "

अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी रिपोर्ट - I

1 जनवरी, 2020 को अ.जा., अ.ज.जा. और ओबीसी का प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

समूह	अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का प्रतिनिधित्व (यथा 01/01/2020)				कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
					प्रत्यक्ष भर्ती से				पदोन्नति से			प्रतिनियुक्ति/नियोजन से			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह A	367	57	24	85	13	2	1	3	233	12	01	-	-	-	-
समूह B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह C	865	128	49	331	-	-	-	-	92	24	06	-	-	-	-
समूह D (सफाई कर्मचारियों को छोडकर)	10	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह D (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1242**	**185**	**73**	**421**	**13**	**2**	**1**	**3**	**325**	**36**	**07**	**-**	**-**	**-**	**-**

यह आंकड़ें उन कर्मचारियों के हैं जिन्होंने एमआरपीएल, पीएसयू बनने यानी 06/01/2005 के बाद कार्यग्रहण किया.

अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी रिपोर्ट - II

1 जनवरी, 2020 को विभिन्न समूह 'A' सेवाओं में अ.जा., अ.ज.जा. और ओबीसी का प्रतिनिधित्व एवं पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2019 में की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

वेतन मान (₹ में)	अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का प्रतिनिधित्व (यथा 01/01/2020)				कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
					प्रत्यक्ष भर्ती से				पदोन्नति से			प्रतिनियुक्ति/नियोजन से			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज. जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60000-180000 (A)	109	10	6	35	10	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
70000-200000 (B)	57	15	4	9	3	1	-	-	33	04	-	-	-	-	-
80000-220000 (C)	73	14	3	18	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-
90000-240000 (D)	75	14	8	13	-	-	-	-	75	06	01	-	-	-	-
100000-260000 (E)	33	2	2	8	-	-	-	-	31	01	-	-	-	-	-
120000-280000 (F)	11	1	1	1	-	-	-	-	31	01	-	-	-	-	-
120000-280000 (G)	4	-	-	1	-	-	-	-	09	-	-	-	-	-	-
120000-280000 (H)	2	1	-	-	-	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
120000-280000(H2)	2	-	-	-	-	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
180000-340000 (Dir)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200000-370000 (MD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	367	57	24	85	13	2	1	3	233	12	01	-	-	-	-

यह आंकड़ें उन कर्मचारियों के हैं जिन्होंने एमआरपीएल, पीएसयू बनने यानी 06/01/2005 के बाद कार्यग्रहण किया.

1 जनवरी 2020 को सेवारत अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान प्रत्यक्ष भर्ती/पदोन्नति दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

समूह	कुल कर्मचारी (यथा 01/01/2020)				प्रत्यक्ष भर्ती - 2019							पदोन्नति - 2019						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भर्ती से की गईं नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			पदोन्नतियों से की गईं नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	VH	HH	OH	VH	HH	OH	कुल	VH	HH	OH	VH	HH	OH	कुल	VH	HH	OH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	367	1	3	7	1			13	–	–	1	–	–	–	233	–	–	1
B	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	865	0	8	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92	–	–	1
D/DS	10	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	1242	1	11	18	1			13	–	–	1	–	–	–	325	–	–	2

टिप्पणियाँ :

(I) VH का मतलब है दृष्टि बाधित व्यक्ति (नेत्रहीनता अथवा कम दृष्टि से पीडित व्यक्ति)

(II) HH का मतलब है श्रवण बाधित व्यक्ति (श्रवण दोष से पीडित व्यक्ति)

(III) OH, का मतलब है अंग विकलता से पीडित व्यक्ति (लोकोमोटर विकलांगता अथवा मस्तिष्क पक्षाघात से पीडित व्यक्ति).

" अनुबंध इ "

कार्य स्थान पर महिला का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 (PRSH अधिनियम) की धारा 21 के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट

रिपोर्ट अवधि	:	वित्व 2019-20 (1/4/2019 से 31/3/2020)
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	1
वर्ष के दौरान निपटाई गईं शिकायतों की संख्या	:	कुछ नहीं
90 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या	:	1
कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	:	प्रमाणपत्र के साथ ऑनलाइन मॉड्यूल वित्व 2019-20 में सभी कर्मचारियों का पोस्ट-कंप्लीशन किया गया
कार्रवाई का स्वरूप	:	"अनुबंध - 1"

हस्ता/-
पीठासीन अधिकारी - आंतरिक समिति, एमआरपीएल

" अनुबंध-1 "

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के संबंध में नियोजक ने नीचे उल्लिखित कार्रवाई की:

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	1
समिति द्वारा जांच कर पूरी की गई	:	1 शिकायत की जांच चल रही है

<u>की गई कार्रवाई</u>:		**<u>लागू नहीं</u>**
लिखित क्षमायाचना		
चेतावनी	:	
फटकार या निंदा	:	
पदोन्नति रोक रखना	:	
वेतन बढ़त /वेतनवृद्धि रोक रखना :		
सेवा समाप्ति	:	
स्थानांतरण	:	
परामर्श किया जा रहा है	:	
सामुदायिक सेवा कर रहा है		

हस्ता/-
पीठासीन अधिकारी - आंतरिक समिति, एमआरपीएल

" अनुबंध ई "

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम)

अ. ऊर्जा की बचत

आपकी कंपनी, ऊर्जा की बचत को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है और उसने प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग करते हुए सक्रिय उपाय किए, लगातार निगरानी रखते हुए ऊर्जा की बचत करने संबंधी कई उपाय किए.

i. 2019-20 में ऊर्जा की खपत कम करने के लिहाज से प्रमुख ऊर्जा बचत उपाय लागू किए जा रहे हैं/विचाराधीन हैं

क्रम सं.	उपायों का वर्णन	उपायों का वर्णन
1	हीट रिकवरी और MP भाप उत्पन्न करने की खातिर हाइड्रोक्रैकर यूनिट 1 प्रमुख प्रभाजक डीज़ल परिसंचारी रीफ़्लक्स प्रणाली का समावेश	2913
2	हाइड्रोक्रैकर यूनिट-1 में हीट रिकवरी के लिए रूपांतरित तेल/अव-खनिजन जल विनिमायक का प्रवर्तन	1891
3	हाइड्रोक्रैकर यूनिट - 1 में हीटर ड्यूटी घटाने की खातिर पुन:चक्रण विपाटक फ़ीड हीटर (BA-2101) में तपन पूर्व तापमान बढ़ाना	956
4	क्रूड और निर्वात आसवन यूनिट III से हाइड्रोक्रैकर यूनिट 1 और 2 में तप्त निर्वात गैस तेल प्रवाहित करने के लिए समर्पित लाइन बिछाना	960
5	CCR 2 का पुनर्योजन करते समय अतिरिक्त संयुक्त फ़ीड विनियामकों के कारण ऊर्जा का लाभ	766
6	अतिरिक्त ट्रैप संघनित को रिकवर करने की खातिर क्रूड और निर्वात आसवन यूनिट में अतिरिक्त संघनित रिकवरी प्रणाली स्थापित करना	20
7	कर्मशाला रहित फ़र्श क्षेत्र फल में अदक्ष लाइटिंग जुड़नार के स्थान पर ऊर्जा बचाने वाले जुड़नार लगाना (2018-19/2019-20 की गतिविधि से आगे).	29
8	संयंत्र क्षेत्र में, HPMV और HPSV लाइटों के स्थान पर ऊर्जा बचाने वाले जुड़नार लगाना (2018-19/2019-20 की गतिविधि से आगे).	360
9	विद्युत संयंत्र चरण III में प्रमुख शीतलन जल पंप (MCW) के इंपेल्लर का ट्रिम्मिंग करना	561
10	CPP ½ में संघनित निष्कर्षण पंप (CEP) में दाब का इष्टतमीकरण	64
11	अमीन अवशोषकों में अमीन और खट्टा ईंधन गैस का प्रवाह इष्टतम बनाना और ईंधन गैस अमीन अवशोषक 1 को बंद करना	1329
12	चरण -I, II व III यूनिटों के खट्टा जल स्ट्रिप्पर्स में खट्टा जल फ़ीड का अंतर्गम तापमान बढ़ाना	4116

1 MTOE = ईंधन समतुल्य 10000 kcal/kg

अनुमान लगाया गया है कि उक्त उपायों से, 13,965 मेट्रिक टन तेल के समतुल्य (MTOE) बचत होगी.

ii. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की दिशा में कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

आपकी कंपनी ने, पिछले वर्ष, देश में रिफ़ाइनरी साइट के अंदर स्थित सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना को सफलता से चालू किया था. यह सौर संयंत्र पूरी तरह काम कर रहा है और वित्तीय वर्ष के दौरान 8.29 दशलक्ष यूनिटों के समतुल्य विद्युत उत्पादन किया गया, इस तरह से संधारणीय विकास और कार्ब उत्सर्जन घटाने की दिशा में प्रतिबद्धता झलकती है.

आ. प्रौद्योगिकी का समावेश

(i) प्रौद्योगिकी का समावेश करने की दिशा में किए गए प्रयास:

यूनिटों की खातिर प्रोसेस सिम्युलेशन सॉफ्टवेयर मॉडेलिंग के लिए मेसर्स एस्पेन टेक्नॉलजी के साथ सहयोग किया गया. गुणधर्म और उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए उत्प्रेरकी रीएक्टरों सहित तमाम यूनिटों को मॉडेल बनाया गया.

(ii) उत्पाद में सुधार, लागत में कटौती, उत्पाद का विकास अथवा आयात का प्रतिस्थापन आदि जैसे लाभ प्राप्त हुए.

एमआरपीएल ने क्लैरिफ़ाइड होमो पॉलिमर PP विकसित किया है जिससे परंपरागत होमो PP ग्रेड की तुलना में बेहतर शुद्धता के साथ उत्पादन किया जा सकेगा. ऐसे ग्रेड, शुद्धता से जुड़े मुद्दे सुलझा सकते हैं जिनके उत्पाद की गुणवत्ता, रैंडम PP के समान होगी.

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले 3 वर्ष के दौरान आयातित)-

क. संस्फुरण गैस रिकवरी तंत्र (FGRS)

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

संस्फुरण गैस को रिकवर करने के लिए FGRS, चरण-3 के हाइड्रोकार्बन संस्फुरण प्रणाली में संस्थापित किया गया. रिकवर किए गए संस्फुरण गैस का, रिफाइनरी ईंधन गैस के साथ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है. संस्फुरण गैस रिकवरी के लिए प्रयुक्त लिक्विड रिंग कंप्रेसर की आपूर्ति, मेसर्स गैरो डॉट इंग रॉबर्टो गब्बियोनेटा, S.P.A. ने की है.

आयात वर्ष: विव 2017-2018

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां

ख. क्रूड आसवन यूनिट - 2 में मौजूदा दो चरण वाले बाय-इलेक्ट्रिक डीसाल्टर्स का दोहरे फ्रिक्वेंसी में उन्नयन

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

कम API वाले भारी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए, एमआरपीएल ने क्रूड आसवन यूनिट-2 में इलेक्ट्रिक ग्रिड, ट्रांसफॉर्मर्स, वितरकों और स्तर ट्रांसमिटर्स को बदलते हुए मौजूदा दो चरण वाले बाय-इलेक्ट्रिक डीसाल्टर्स का दोहरे फ्रिक्वेंसी डीसाल्टर्स में उन्नयन किया. यह प्रौद्योगिकी, मेसर्स श्लुमबर्गर,पूर्ववर्ती पेट्रेको इंटरनैशनल (मिडल ईस्ट) लि ने प्रदान की.

आयात वर्ष: विव 2017-2018

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां

ग. FCC गैसोलीन उपचारक (FGT)

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

BS-VI परियोजनाओं के अंग के तौर पर, BS-VI MS गंधक विनिर्देश की पूर्ति करने के लिए मेसर्स एक्सेन्स IFP ग्रूप टेक्नॉलॉजीस फ्रांस से प्राइम G+ प्रौद्योगिकी का आयात किया गया है.

आयात वर्ष: विव 2017-2018

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: परियोजना, कार्यान्वयन के चरण में है. आशा है कि इसका यांत्रिक समापन अक्तूबर 2020 में होगा.

घ. CCR2 का पुनर्योजन

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

एमआरपीएल ने यूनिट की डिज़ाइन क्षमता को 9,474 बैरल नया स्टॉक चार्ज प्रति प्रचालन दिन से 13,586 बैरल नया स्टॉक चार्ज प्रति प्रचालन दिन तक बढ़ाया है. क्षमता का पुनर्योजन, मूल यूनिट के प्रोसेस लाइसेंसकर्ता मेसर्स UOP इंटर-अमेरिकाना इंक के जरिए किया गया है.

आयात वर्ष: विव 2018-2019 प्रवर्तन दिनांक 18/10/2018

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां. प्रौद्योगिकी का विव 2018-19 में समावेश किया गया.

ङ. CCR यूनिट के लिए क्लोरोसॉर्ब प्रोसेस प्रौद्योगिकी

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

पुनर्जनन प्रक्रिया का उप-उत्पाद है, HCl और क्लोरीन का निर्मोचन. पुनर्जनन अंचल से निकले वेंट गैस का, वेंट गैस कूलर में शीतलित करने के लिए कूलर ब्लोअर से वायु की स्लिप धारा के साथ ताप विनिमय किया जाता है. शीतलन वायु का पूर्व तपन किया जाता है जिससे कि वेंट गैस कूलर में संघनन न हो. वेंट गैस कूलर के बहिर्गम पर तापमान नियंत्रित करने के लिए बटरफ्लाई वाल्व के सहारे कूलिंग वायु प्रवाह का समायोजन किया जाता है. वेंट गैस को सामान्यत: 143^{0}C पर शीतलित किया जाता है जो बाद में, पृथक्कृत होने वाले हॉपर के अधिशोषण अंचल के जरिए प्रवाहित होते हुए वायुमंडल में निकल जाता है.

भुक्तशेष उत्प्रेरक, पृथक्कृत होने वाले हॉपर के पृथक्कृत होने वाले अंचल से गुजरते हुए पूर्व तपन अंचल में प्रवेश करता है जहां उसका, भाप ताप विनिमायक में तप्त N2 के प्रत्यक्ष संपर्क में तपन किया जाता है. तदनंतर उत्प्रेरक, पूर्व तपन अंचल से गुजरते हुए अधिशोषण अंचल में प्रवाहित होता है. उत्प्रेरक, अधिशोषण अंचल से गुजरते हुए अनेक उत्प्रेरक अंतरण पाइपों के जरिए पुनर्जनन टावर में प्रवाहित होता है.

आयात वर्ष, विव 2018-2019

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां

च. PSA का पुनर्योजन:

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

एमआरपीएल ने PSA यूनिट की डिज़ाइन फ़ीड क्षमता को 21593Nm^{3}/घंटे से 37469Nm^{3}/घंटे तक बढ़ाया है. PSA यूनिट, न्यूनतम 99.9 vol% शुद्धता वाला शुद्ध हाइड्रोजन प्रदान करेगी. क्षमता का पुनर्योजन, मूल यूनिट के प्रोसेस लाइसेंसकर्ता मेसर्स UOP LLC के जरिए किया गया है.

आयात वर्ष: विव 2018-2019 प्रवर्तन दिनांक 24/10/2018

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां. प्रौद्योगिकी का विव 2018-19 में समावेश किया गया.

(iv) अनुसंधान और विकास

1. R&D के विशिष्ट क्षेत्र:

एमआरपीएल की R&D गतिविधियों का, आंतरिक और/अथवा अन्य संस्थाओं के साथ सहयोगी परियोजनाओं के जरिए मूल रूप से प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्प्रेरक के विकास, संक्षारण के न्यूनतमीकरण, प्रोसेस के इष्टतमीकरण और आला उत्पाद के विकास के अधीन वर्गीकरण किया जाता है. आंतरिक अनुसंधान के अलावा एमआरपीएल ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे CSIR-NCL, IIT-गुवाहाती और NITK सुरत्कल के साथ भी सहयोग किया है जिससे कि अनुसंधान और विकास संबंधी उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हो.

2. **प्राप्त फ़ायदे:**

विकसित प्रौद्योगिकी, परिपक्कता के विभिन्न चरणों में हैं जिनका भविष्य में वाणिज्यीकरण होने की संभावना है. प्रक्रिया अध्ययन एवं अनुसंधान और विकास द्वारा सुझाए गए आशोधन से एमआरपीएल, प्रचालन से जुड़ी कुछ बाध्यताओं और सीमाओं के साथ FGTU को चालू करने में विलंब होने के बावजूद विव 2019-20 में BS VI मोटर स्पिरिट का उत्पादन कर पाया. एमआरपीएल को, विव 2019-20 में चार नए पेटेंट दर्ज करते हुए बौद्धिक सम्पदा (IP) के निर्माण के लिहाज से फ़ायदा हुआ. साथ ही, पूर्व वर्षों में दर्ज किए गए अनंतिम पेटेंटों के मामले में भी एमआरपीएल ने और चार संपूर्ण पेटेंट संबंधी विनिर्देश दर्ज करते हुए वर्ष 2019-20 में इन पेटेंटों की परीक्षा करने की दरख्वास्त की. इसके साथ पेटेंट रूप में दर्ज की गई बौद्धिक संपदा की कुल मिलाकर गिनती विव 2019-20 तक नौ रही.

दर्ज किए गए पेटेंटों में से पूर्ण विनिर्देश के साथ सात पेटेंटों के आवेदन पत्र पूरे हुए हैं जो पेटेंट कार्यालय में परीक्षणार्थ विभिन्न चरणों में हैं.

3. **भावी कार्य योजना:**

एमआरपीएल के पास दो धारी भावी कार्य योजना है: विव 2019-20 तक आविष्कार/खोज की गई प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक दृष्टि से परिपक्व बनाना और एमआरपीएल के अनुसंधान एवं विकास संबंधी उद्देशों के अनुरूप आधारभूत अनुसंधान करना. अल्पावधि में कम से कम दो आधारभूत अनुसंधान परियोजनाएं और दो सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में लेने का विचार है. आविष्कार/खोज की गई करीब सात प्रौद्योगिकियां, तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं और मामला-दर-मामला आधार पर व्यवहार्यता और पूंजीगत व्यय संबंधी अध्ययनों के आधार पर दीर्घावधि में वाणिज्यीकरण योजनाएं बनाई गई हैं.

4. **R&D पर व्यय:**

R&D पर व्यय, विव 2019-20 में वायदा की गई रकम सहित ₹. 675.64 लाख है. उक्त व्यय का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है:

क. **पूंजीगत व्यय:**

कुल रकम ₹ 385.05 लाख है जिसमें से प्राप्त पूंजीगत व्यय संबंधी मद ₹ 80.27 लाख की हैं जब कि प्रतिबद्ध रकम ₹ 304.78 लाख है.

ख. **राजस्व:**

कुल रकम ₹ 290.59 लाख है जिसमें से व्यय राशि ₹ 169.08 लाख है जब कि प्रतिबद्ध रकम ₹ 121.51 लाख है.

इ. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	विव 2019-20	विव 2018-19
विदेशी मुद्रा अर्जन - (FOB निर्यात का मूल्य)	16,557	22,171
विदेशी मुद्रा व्यय	45,138	41,447

"अनुबंध ई"

फ़ार्म सं. MGT-9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण
यथा 31/03/2020 को समाप्त वर्ष

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) का अनुसरण करते हुए]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे:

i)	CIN	: L23209KA1988GOI008959
ii)	पंजीकरण दिनांक	: 07-03-1988
iii)	कंपनी का नाम	: मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	: अनुसूची "क" मिनी रत्न श्रेणी 1 का सरकारी उपक्रम
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क करने संबंधी ब्यौरे	: मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, वाया - काटिपल्ला मंगलूर - 575 030 टेलीफोन 0824/-2883200/ 01
vi)	क्या कंपनी को सूचीबद्ध किया गया है	: हां
vii)	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट हो तो उनका नाम, पता और संपर्क करने संबंधी ब्यौरे	: मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि., C 101, 247 पार्क, L B S मार्ग, विख्रोली (पश्चिम), मुंबई- 400 083 टेलीफोन : +91 22 49186270 (निवेशकर्ता संबंध कक्ष) 022 - 49186000 (बोर्ड लाइन) फैक्स सं. +91/2249186060 ई-मेल : mrplirc@linkintime.co.in वेबसाइट: www.linkintime.co.in

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां:

उन तमाम व्यावसायिक गतिविधियों का जिक्र करना होगा जिनका कंपनी के कुल कारोबार में योगदान 10% या उससे अधिक हो:-

क्रम सं.	प्रमुख उत्पादों /सेवाओं का नाम और वर्णन	उत्पाद/सेवा का NIC कूट. *विनिर्माण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण (NPCMS)	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	रिफ़ाइनरी	192 - परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	100

III. नियंत्रक, सहायक और सहबद्ध / संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों के विवरण:

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	CIN	नियंत्रक/सहायक/ सहबद्ध	धारित इक्विटी शेयर का %	कंपनी अधिनियम, 2013 का लागू खंड
1	आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	L74899DL1993GOI054155	नियंत्रक	71.63	2(46)
2	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	U40107KA2006GOI041258	सहायक	51.00	2(87)
3	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	L23201MH1952GOI008858	सहबद्ध	16.95	2(6)
4	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)	U51909KA2008PLC045558	संयुक्त उद्यम/ सहबद्ध	50.00	2(6)
5	मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड	U45209KA2006PLC038590	सहबद्ध	कुछ नहीं	2(6)
6	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	U85110KA1998PLC024020	सहबद्ध	कुछ नहीं	2(6)

IV. 31/03/2020 को, शेयर धारण का स्वरूप(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विश्लेषित विवरण)

i) श्रेणी वार शेयरधारण

	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण				वर्ष के अंत में शेयरधारण				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों का %	अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों का %	
अ.	प्रवर्तक									
(1)	भारतीय									
क.	(क) व्यक्ति / HUF	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख.	ख) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग.	(ग) कंपनी निकाय	1552507615	0	1552507615	88.58	1552507615	0	1552507615	88.58	0.00
घ.	(घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ.	(ङ) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप जोड़: (अ) (1)	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**0.00**
	(2) विदेशी								0.00	0.00
क.	(क) एनआरआई-व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख.	(ख) अन्य व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग.	(ग) कंपनी निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ.	(घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ.	(ङ) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप जोड़: (अ) (2)	**0**	**0**	0	0.00	**0**	**0**	0	0.00	0.00
	प्रवर्तक का कुल शेयर धारण (अ)= (अ)(1)+(अ)(2)	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**0.00**
आ.	**सार्वजनिक शेयर धारण**									
	(1) वित्तीय संस्थाएं									
क.	(क) म्यूचुअल फंड	31210081	121150	31331231	1.79	48303525	39150	48342675	2.76	0.97
ख.	(ख) बैंक	286718	11350	298068	0.02	348379	10650	359029	0.02	0.00
ग.	(ग) वित्तीय संस्थाएं	23158736	34000	23192736	1.32	22851309	14000	22865309	1.30	-0.02
घ.	(घ) केंद्र सरकार	2400	0	2400	0.00	2400	0	2400	0.00	0.00
ङ.	(ङ) राज्य सरकार	500	0	500	0.00	500	0	500	0.00	0.00
च.	(च) वेंचर पूंजी निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
छ.	(छ) बीमा कंपनियां	0	0	0	0.00	3703721	0	3703721	0.21	0.21
ज.	(ज) FIIS	3088862	0	3088862	0.18	100	0	100	0.00	-0.18
झ.	(झ) विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकर्ता	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ञ.	(ञ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ट.	(ट) विदेशी संविभाग निवेशकर्ता (कंपनी)	27576119	0	27576119	1.57	12017408	0	12017408	0.69	-0.89
	उप-जोड :(आ)(1)	**85323416**	**166500**	**85489916**	**4.88**	**87227342**	**63800**	**87291142**	**4.98**	**0.10**
(2)	**गैर संस्थाएं**									
(क)	कंपनी निकाय									
i)	भारतीय	9216290	54425	9270715	0.53	2658838	40650	2699488	0.15	-0.37
ii)	समुद्रपारीय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	व्यक्ति	0	0	0	0.00					
(i)	₹ लाख तक नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक	55864138	19417297	75281435	4.30	58674434	16218322	74892756	4.27	-0.02
(ii)	₹ लाख से अधिक नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक	6616899	0	6616899	0.38	9068011	0	9068011	0.52	0.14
(ग)	भा.रि.बैं. के पास पंजीकृत NBFC	28503	0	28503	0.00	17950	0	17950	0.00	0.00
(घ)	अन्य (निर्दिष्ट करें)IEPF	14562285	0	14562285	0.83	17414830	0	17414830	0.99	0.16
	अनिवासी भारतीय (अप्रत्यावर्तनीय)	815936	200	816136	0.05	794986	200	795186	0.05	0.00
	अनिवासी भारतीय (प्रत्यावर्तनीय)	1561750	4190450	5752200	0.33	1972280	3815250	5787530	0.33	0.00
	विदेशी नागरिक	600	0	600	0.00	600	0	600	0.00	0.00
	हिन्दू अविभाजित परिवार	1561595	200	1561795	0.09	1680830	500	1681330	0.10	0.01
	निदेशक/संबंधी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	न्यास	50550	1000	51550	0.00	21150	400	21550	0.00	0.00
	समाशोधन सदस्य	659128	0	659128	0.04	420789	0	420789	0.02	-0.01
	उप-जोड :(आ)(2)	**90937674**	**23663572**	**114601246**	**6.54**	**92724698**	**20075322**	**112800020**	**6.44**	**-0.10**
	कुल सार्वजनिक शेयर धारण									
	(आ)=(आ)(1)+(आ)(2)	**176261090**	**23830072**	**200091162**	**11.42**	**179952040**	**20139122**	**200091162**	**11.42**	**0.00**
इ.	**GDR और ADR के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	0.00	**0.00**
	सकल योग (अ)+(आ)+(इ)	**1728768705**	**23830072**	**1752598777**	**100.00**	**1732459655**	**20139122**	**1752598777**	**100.00**	

ii) प्रवर्तकों के शेयरधारण

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान शेयरधारण में % परिवर्तन
		कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए/ भारग्रस्त शेयरों का %	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए/भारग्रस्त शेयरों का %	
1	आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1255354097	71.63	0.00	1255354097	71.63	0.00	0.00
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297153518	16.95	0.00	297153518	16.95	0.00	0.00
	कुल	**1552507615**	**88.58**	**0.00**	**1552507615**	**88.58**	**0.00**	**0.00**

iii) प्रवर्तकों के शेयरधारण में परिवर्तन

क्रम सं	लेन-देन का नाम और प्रकार	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारण	
		कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**1255354097**	**71.63**	**1255354097**	**71.63**
	बढ़त/अवनति के कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरधारण में दिनांक-वार बढ़त/अवनति (उदा: आबंटन/अंतरण/बोनस/ उद्यम इक्विटी आदि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वर्ष के अंत में	**1255354097**	**71.63**	**1255354097**	**71.63**
2	**हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**297153518**	**16.95**	**297153518**	**16.95**
	बढ़त/अवनति के कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरधारण में दिनांक-वार बढ़त/अवनति (उदा: आबंटन/अंतरण/बोनस/ उद्यम इक्विटी आदि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वर्ष के अंत में	**297153518**	**16.95**	**297153518**	**16.95**

विव 2019-20 के दौरान प्रवर्तकों के शेयरधारण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों और GDR एवं ADR के धारकों से भिन्न) का शेयरधारण स्वरूप

क्रम	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारण	
		धारित कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %	धारित कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	22851209	1.3038	22851209	1.3038
	वर्ष के अंत में	22851209	1.3038		
2	ICICI प्रुडेंशियल इंडिया आपर्चुनिटीस फंड	11564645	0.6599	11564645	0.6599
	12 अप्रैल 2019 (बाजार से खरीदारी)	185415	0.0106	11750060	0.6704
	19 अप्रैल 2019 (बाजार से खरीदारी)	249643	0.0142	11999703	0.6847
	26 अप्रैल 2019 (बाजार से खरीदारी)	1035691	0.0591	13035394	0.7438

	03 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	328238	0.0187	13363632	0.7625
	17 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	2098399	0.1197	15462031	0.8822
	24 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	819733	0.0468	16281764	0.929
	07 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	467830	0.0267	16749594	0.9557
	14 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	773521	0.0441	17523115	0.9998
	21 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	1833627	0.1046	19356742	1.1045
	29 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	8550	0.0005	19365292	1.1049
	05 जुलाई 2019 (बाजार से खरीदारी)	76378	0.0044	19441670	1.1093
	26 जुलाई 2019 (बाजार से खरीदारी)	99	0.0000	19441769	1.1093
	02 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	469411	0.0268	19911180	1.1361
	09 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	136430	0.0078	20047610	1.1439
	16 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	99	0.0000	20047709	1.1439
	23 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	205364	0.0117	20253073	1.1556
	30 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	99	0.0000	20253172	1.1556
	06 सितंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	25650	0.0015	20278822	1.1571
	27 सितंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	169	0.0000	20278991	1.1571
	30 सितंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	97	0.0000	20279088	1.1571
	04 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	97	0.0000	20279185	1.1571
	11 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	97	0.0000	20279282	1.1571
	18 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	15	0.0000	20279297	1.1571
	25 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	98	0.0000	20279395	1.1571
	01 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	2	0.0000	20279397	1.1571
	22 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	98	0.0000	20279495	1.1571
	13 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-78873	-0.0045	20200622	1.1526
	20 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-244165	-0.0139	19956457	1.1387
	27 दिसंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	+65341	0.0151	20221798	1.1538
	03 जनवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-238513	-0.0136	19983285	1.1402
	10 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	97	0.0000	19983382	1.1402
	17 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	20199	0.0012	20003581	1.1414
	24 जनवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-211445	-0.0121	19792136	1.1293
	31 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	1888	0.0001	19794024	1.1294
	07 फरवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-127768	-0.0073	19666256	1.1221
	14 फरवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	2	0.0000	19666258	1.1221
	06 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	245	0.0000	19666503	1.1221
	13 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	1128	0.0001	19667631	1.1222
	20 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	1717	0.0001	19669348	1.1223
	27 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	619	0.0000	19669967	1.1223
	31 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	1179	0.0001	19671146	1.1224
	वर्ष के अंत में			**19671146**	**1.1224**
3	**आदित्य बिर्ला सन्न लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड खाता आदित्य बिर्ला सन्न लाइफ मिडकैप फंड**	**18653185**	**1.0643**	**18653185**	**1.0643**
	17 मई 2019 (बाजार में बिक्री)	-1144000	-0.0653	17509185	0.999
	24 मई 2019 (बाजार में बिक्री)	-2708962	-0.1546	14800223	0.8445
	31 मई 2019 (बाजार में बिक्री)	-497000	-0.0284	14303223	0.8161
	29 जून 2019 (बाजार में बिक्री)	-300000	-0.0171	14003223	0.799
	30 अगस्त 2019 (बाजार में बिक्री)	-50000	-0.0029	13953223	0.7961
	06 सितंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-63423	-0.0036	13889800	0.7925
	27 सितंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	300000	0.0171	14189800	0.8096
	11 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	186000	0.0106	14375800	0.8203
	25 अक्तूबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-21937	-0.0013	14353863	0.819
	01 नवंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-169000	-0.0096	14184863	0.8094
	20 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-422463	-0.0241	13762400	0.7853
	31 दिसंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	119989	0.0068	13882389	0.7921
	03 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	589796	0.0337	14472185	0.8258
	07 फरवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	100000	0.0057	14572185	0.8315
	13 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	12953	0.0007	14585138	0.8322
	वर्ष के अंत में			**14585138**	**0.8322**

4	रिलाएंस कैपिटल ट्रस्टी कं लि. खाता निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड	19146	0.0011	19146	0.0011
	05 अप्रैल 2019 (बाजार से खरीदारी)	1560	0.0001	20706	0.0012
	12 अप्रैल 2019 (बाजार से खरीदारी)	3456	0.0002	24162	0.0014
	19 अप्रैल 2019 (बाजार से खरीदारी)	1344	0.0001	25506	0.0015
	26 अप्रैल 2019 (बाजार से खरीदारी)	384	0.0000	25890	0.0015
	03 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	361	0.0000	26251	0.0015
	10 मई 2019 (बाजार में बिक्री)	-9462	-0.0005	16789	0.001
	17 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	960	0.0001	17749	0.001
	24 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	443	0.0000	18192	0.001
	31 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	5328	0.0003	23520	0.0013
	07 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	1152	0.0001	24672	0.0014
	14 जून 2019 (बाजार में बिक्री)	-240	0.0000	24432	0.0014
	21 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	528	0.0000	24960	0.0014
	29 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	92	0.0000	25052	0.0014
	05 जुलाई 2019 (बाजार से खरीदारी)	1440	0.0001	26492	0.0015
	12 जुलाई 2019 (बाजार से खरीदारी)	624	0.0000	27116	0.0015
	19 जुलाई 2019 (बाजार से खरीदारी)	1299	0.0001	28415	0.0016
	26 जुलाई 2019 (बाजार से खरीदारी)	576	0.0000	28991	0.0017
	02 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	28	0.0000	29019	0.0017
	09 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	1248	0.0001	30267	0.0017
	16 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	240	0.0000	30507	0.0017
	23 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	288	0.0000	30795	0.0018
	30 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	675	0.0000	31470	0.0018
	06 सितंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	144	0.0000	31614	0.0018
	13 सितंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	336	0.0000	31950	0.0018
	20 सितंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	336	0.0000	32286	0.0018
	27 सितंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	11634	0.0007	43920	0.0025
	04 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	192	0.0000	44112	0.0025
	11 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	1152	0.0001	45264	0.0026
	18 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	288	0.0000	45552	0.0026
	01 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	432	0.0000	45984	0.0026
	08 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	144	0.0000	46128	0.0026
	15 नवंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-611	0.0000	45517	0.0026
	22 नवंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-588	0.0000	44929	0.0026
	29 नवंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-12344	-0.0007	32585	0.0019
	06 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-2301	-0.0001	30284	0.0017
	13 दिसंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	261	0.0000	30545	0.0017
	20 दिसंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	28	0.0000	30573	0.0017
	27 दिसंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	2137	0.0001	32710	0.0019
	31 दिसंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	47	0.0000	32757	0.0019
	03 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	1410	0.0001	34167	0.0019
	10 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	187	0.0000	34354	0.002
	17 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	3002397	0.1713	3036751	0.1733
	24 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	4501833	0.2569	7538584	0.4301
	31 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	949408	0.0542	8487992	0.4843
	07 फरवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	502491	0.0287	8990483	0.513
	14 फरवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	347	0.0000	8990830	0.513
	21 फरवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-2162	-0.0001	8988668	0.5129
	28 फरवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	499766	0.0285	9488434	0.5414
	06 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	746041	0.0426	10234475	0.584
	13 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	571518	0.0326	10805993	0.6166
	20 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	949566	0.0542	11755559	0.6708
	27 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-329	0.0000	11755230	0.6707
	31 मार्च 2020 (बाजार से खरीदारी)	2491	0.0001	11757721	0.6709
	वर्ष के अंत में			**11757721**	**0.6709**

5	**वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनैशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की श्रृंखला**	**4165114**	**0.2377**	**4165114**	**0.2377**
	20 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-54791	-0.0031	4110323	0.2345
	27 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-247021	-0.0141	3863302	0.2204
	07 फरवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-108696	-0.0062	3754606	0.2142
	14 फरवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-344000	-0.0196	3410606	0.1946
	28 फरवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-4937	-0.0003	3405669	0.1943
	06 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-165870	-0.0095	3239799	0.1849
	13 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-120981	-0.0069	3118818	0.178
	27 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-174485	-0.0100	2944333	0.168
	31 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-13748	-0.0008	2930585	0.1672
	वर्ष के अंत में			**2930585**	**0.1672**
6	**वैनगार्ड टोटल इंटरनैशनल स्टॉक इंडेक्स फंड**	**3005465**	**0.1715**	**3005465**	**0.1715**
	26 अप्रैल 2019 (बाजार में बिक्री)	-77323	-0.0044	2928142	0.1671
	वर्ष के अंत में			**2928142**	**0.1671**
7	HDFC लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	**2566548**	**0.1464**	**2566548**	**0.1464**
	17 मई 2019 (बाजार में बिक्री)	-200000	-0.0114	2366548	0.135
	07 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	200000	0.0114	2566548	0.1464
	05 जुलाई 2019 (बाजार में बिक्री)	-1173	-0.0001	2565375	0.1464
	19 जुलाई 2019 (बाजार में बिक्री)	-25593	-0.0015	2539782	0.1449
	26 जुलाई 2019 (बाजार से खरीदारी)	159	0.0000	2539941	0.1449
	02 अगस्त 2019 (बाजार में बिक्री)	-64	0.0000	2539877	0.1449
	09 अगस्त 2019 (बाजार में बिक्री)	-258	0.0000	2539619	0.1449
	16 अगस्त 2019 (बाजार में बिक्री)	-240	0.0000	2539379	0.1449
	23 अगस्त 2019 (बाजार में बिक्री)	-240	0.0000	2539139	0.1449
	30 अगस्त 2019 (बाजार में बिक्री)	-220	0.0000	2538919	0.1449
	06 सितंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-559	0.0000	2538360	0.1448
	20 सितंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-111	0.0000	2538249	0.1448
	27 सितंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-222	0.0000	2538027	0.1448
	04 अक्तूबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-220	0.0000	2537807	0.1448
	11 अक्तूबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-2096	-0.0001	2535711	0.1447
	18 अक्तूबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-335	0.0000	2535376	0.1447
	25 अक्तूबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-164	0.0000	2535212	0.1447
	01 नवंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-412	0.0000	2534800	0.1446
	15 नवंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-518	0.0000	2534282	0.1446
	22 नवंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-188	0.0000	2534094	0.1446
	29 नवंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-389	0.0000	2533705	0.1446
	06 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-384	0.0000	2533321	0.1445
	13 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-215	0.0000	2533106	0.1445
	20 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-1120	-0.0001	2531986	0.1445
	27 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-122	0.0000	2531864	0.1445
	31 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	-90	0.0000	2531774	0.1445
	10 जनवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-1780	-0.0001	2529994	0.1444
	17 जनवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-41	0.0000	2529953	0.1444
	24 जनवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-75	0.0000	2529878	0.1444
	31 जनवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-76	0.0000	2529802	0.1443
	07 फरवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-27448	-0.0016	2502354	0.1428
	06 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-60	0.0000	2502294	0.1428
	वर्ष के अंत में			**2502294**	**0.1428**
8	उभरते हुए बाजारों का मूल इक्विटी संविभाग (संविभाग) डीएफए इन्वेस्टमेंट डायमेंशन्स ग्रूप इंक (DFAIDG)	**1596436**	**0.0911**	**1596436**	**0.0911**
	29 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	44061	0.0025	1640497	0.0936
	06 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-24305	-0.0014	1616192	0.0922
	20 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-29138	-0.0017	1587054	0.0906
	27 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-78	0.0000	1586976	0.0905

	31 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-39785	-0.0023	1547191	0.0883
	वर्ष के अंत में			**1547191**	**0.0883**
9	**PGIM इंडिया ट्रस्टीस प्राइवेट लिमिटेड खाता PGIM इंडिया दीर्घावधि इक्विटी निधि**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	249834	0.0143	249834	0.0143
	18 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	510139	0.0291	759973	0.0434
	25 अक्तूबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	400800	0.0229	1160773	0.0662
	01 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	407410	0.0232	1568183	0.0895
	08 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	247590	0.0141	1815773	0.1036
	15 नवंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	31147	0.0018	1846920	0.1054
	29 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	20000	0.0011	1866920	0.1065
	13 दिसंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	80000	0.0046	1946920	0.1111
	17 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	148391	0.0085	2095311	0.1196
	24 जनवरी 2020 (बाजार से खरीदारी)	852000	0.0486	2947311	0.1682
	21 फरवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-32464	-0.0019	2914847	0.1663
	28 फरवरी 2020 (बाजार में बिक्री)	-356190	-0.0203	2558657	0.146
	06 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-270030	-0.0154	2288627	0.1306
	20 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-339901	-0.0194	1948726	0.1112
	27 मार्च 2020 (बाजार में बिक्री)	-401806	-0.0229	1546920	0.0883
	वर्ष के अंत में			**1546920**	**0.0883**
10	**DFA इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी की उभरती हुए बाजारों की स्मॉल कैप श्रृंखला**	**570357**	**0.0325**	**570357**	**0.0325**
	26 अप्रैल 2019 (बाजार से खरीदारी)	82969	0.0047	653326	0.0373
	03 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	23903	0.0014	677229	0.0386
	10 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	23795	0.0014	701024	0.0400
	31 मई 2019 (बाजार से खरीदारी)	12807	0.0007	713831	0.0407
	21 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	73033	0.0042	786864	0.0449
	29 जून 2019 (बाजार से खरीदारी)	28139	0.0016	815003	0.0465
	02 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	15246	0.0009	830249	0.0474
	09 अगस्त 2019 (बाजार से खरीदारी)	35129	0.0020	865378	0.0494
	08 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	28632	0.0016	894010	0.0510
	22 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	47504	0.0027	941514	0.0537
	29 नवंबर 2019 (बाजार से खरीदारी)	15784	0.0009	957298	0.0546
	06 दिसंबर 2019 (बाजार में बिक्री)	15803	0.0009	973101	0.0555
	वर्ष के अंत में			**973101**	**0.0555**

(v) निदेशकों और प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के शेयरधारण:

क्रम	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारण	
		धारित कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %	धारित कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**श्री शशि शंकर, अध्यक्ष**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	**0**	**0**		
2	**श्री एम. वेंकटेश, प्रबंध निदेशक और CEO**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	**0**	**0.00**		
3	**श्री एम. विनयकुमार, निदेशक (रिफाइनरी)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**200**	**0.00**	**200**	**0.00**
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	**200**	**0.00**		

4.	श्रीमती पोमिला जसपाल (वित्त) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
5.	श्री सुभाष कुमार, निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
6.	श्री विनोद एस. शेणै, निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
7.	श्री विजय शर्मा, निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
8.	श्री सुनील कुमार, निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
9.	श्री बलबीर सिंह, स्वतंत्र निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
10.	डॉ. जी.के. पटेल, स्वतंत्र निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
11.	श्री वी.पी. हरन, स्वतंत्र निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
12.	श्री सेवा राम, स्वतंत्र निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
13.	श्री आर. टी. अगरवाल, स्वतंत्र निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		
14.	श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	कोई लेन-देन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0.00		

टिप्पणियां:

1. श्री एम विनयकुमार को 11-07-2019 से निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया
2. श्रीमती पोमिला जसपाल को 15/10/2019 से निदेशक (वित्त) के रूप में और 04/11/2019 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया.
3. श्री आर. टी. अगरवाल, श्री सुनील कुमार और श्री विजय शर्मा को एमआरपीएल के बोर्ड पर क्रमश: 12/07/2019, 17/10/2019 और 08/01/2020 से नियुक्त किया गया.

V. ऋणग्रस्तता

31/03/2020 को बकाया/उपचित परंतु भुगतान के लिए देय न हुए ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(₹ करोड में)

	जमानती ऋण	गैर जमानती ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धनराशि	**3,006.95**	**6,124.09**	-	9,131.04
ii) ब्याज जो देय हो परंतु अदा न किया गया हो	-	-	-	-
iii) ब्याज जो उपचित हो परंतु देय न हो	23.64	20.02	-	43.66
कुल (i+ii+iii)	**3,030.59**	**6,144.11**	-	**9,174.70**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) परिवर्धन	716.45	7,787.75	-	8,504.21
ii) कटौती	330.80	5,429.72	-	5,760.51
निवल परिवर्तन	385.66	2,358.03	-	2,743.69
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धनराशि	**3,373.87**	**8,437.23**	-	11,811.10
ii) ब्याज जो देय हो परंतु अदा न किया गया हो	-	-	-	-
iii) ब्याज जो उपचित हो परंतु देय न हो	19.83	43.05	-	62.88
कुल (i+ii+iii)	**3,393.70**	**8,480.28**	-	**11,873.98**

VI. निदेशकों और प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों का पारिश्रमिक

अ.प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	श्री एम. वेंकटेश	श्री एम. विनयकुमार	श्रीमती पोमिला जसपाल	कुल
		• प्रबंध निदेशक • निदेशक (रिफ़ाइनरी), 10/07/2019 तक • निदेशक वित्त 14/10/2019 तक	• निदेशक (रिफाइनरी) 11/07/2019 से	• निदेशक (वित्त) 15/10/2019 से, CFO, 04/11/2019 से	
1	कुल वेतन				
(क)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार	43.30	27.85	21.36	**92.51**
(ख)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य	6.18	3.92	0.13	**10.23**
(ग)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4	लाभ के % के रूप में कमीशन	-	-	-	-
	कुल	**49.48**	**31.77**	**21.49**	**102.74**

टिप्पणियां:

1. श्री एम विनयकुमार को 11-07-2019 से निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया
2. श्रीमती पोमिला जसपाल को 15/10/2019 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया
3. श्री एम. वेंकटेश, 10/07/2019 से निदेशक (रिफाइनरी) और 14/10/2019 से निदेशक (वित्त) नहीं रहें

आ. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

(विव 2019-20 के लिए स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क)

(₹ लाखों में)

स्वतंत्र निदेशक	बैठक शुल्क
श्री बलबीर सिंह	6.00
डॉ. जी. के. पटेल	6.00
श्री वी.पी. हरन	8.40
श्री सेवा राम	7.80
श्री आर टी अग्रवाल	2.10
सुश्री मंजुला सी. (31/01/2020 तक)	4.40
श्री विवेक मल्या (30/01/2020 तक)	4.70
कुल	**39.40**

इ. प्रनि और पूर्णकालिक निदेशकों से भिन्न महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव	श्री एस रविप्रसाद, मुख्य वित्तीय अधिकारी (4/11/2019 तक)
1	कुल वेतन		
(क)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार	36.13	22.29
(ख)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य	1.70	3.31
(ग)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-
4	अन्य	-	-
	कुल	**38.83**	**25.60**

टिप्पणियां: श्री एस रविप्रसाद के स्थान पर श्रीमती पोमिला जसपाल को 04/11/2019 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया.

VII. दंड/जुर्माना/अपराधों का शमन: कुछ नहीं

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई दंड देने, जुर्माना लगाने अथवा अपराधों का शमन करने का ऐसा कोई मामला नहीं रहा जिसके बारे में विव 2019-20 के दौरान रिपोर्ट किया जा सके.

" अनुबंध ऊ "

फ़ॉर्म AOC-2

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (छ) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) का अनुसरण करते हुए]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा, उसके तीसरे परंतुक के अधीन नज़दीकी तेल भंडारों के साथ किए गए लेन-देनों सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं को प्रकट करने वाला फार्म

1. उन ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे जो नज़दीकी तेल भंडारों के साथ न किए गए

संबंधित पक्षकार का(के) नाम और संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्था ओं/लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के मुख्य नियम	ऐसे ठेके अथवा व्यवस्थाएं अथवा लेन-देन करने का औचित्य	बोर्ड से मिले अनुमोदन का(के) दिनांक	अग्रिम के रूप में प्रदत्त रकम, अगर कोई हो तो	धारा 188 के पलहे परंतुक के तहत यथा अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष संकल्प कब पारित किया गया
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

2. सामग्री संबंधी उन ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे जो नज़दीकी तेल भंडारों के साथ किए गए

क्रम स.	संबंधित पक्षकार का(के) नाम और संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्था/ लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्था ओं/लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के मुख्य नियम	बोर्ड/लेखा परीक्षा समिति से मिले अनुमोदन का(के) दिनांक	अग्रिम के रूप में प्रदत्त रकम, अगर कोई हो तो
1(क)	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (सहायक कंपनी)	एमआरपीएल से फ़ीड स्टॉक का अंतरण और OMPL से वापसी धाराएं. OMPL को सुकरण सुविधाएं प्रदान करना	15/01/2019 से विधिमान्यता 10 वर्ष, साथ में 23/10/2019 से करारनामे का पक्ष पत्र	एमआरपीएल से फ़ीड स्टॉक का अंतरण और OMPL से वापसी धाराएं और OMPL को आपस में तय की गईं शर्तों पर सुकरण सुविधाएं प्रदान करना. बिल भुनाई सुविधा के साथ क्रेडिट की अवधि बढ़ाने के लिए करारनामा संबंधी पक्ष पत्र.	02/01/2019 और 11/04/2019 (बिल भुनाई सुविधा के लिए)	कुछ नहीं
1(ख)	ओएनजीसी मंगलूरु पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (सहायक कंपनी)	बैक स्टॉपिंग समर्थन - अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए	05/03/2020 से 3 वर्ष तक विधिमान्य	पूंजीगत पुनर्निर्धारण योजना के अंग के तौर पर ओएमपीएल द्वारा निर्गमित अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों और उस पर उपचित ब्याज के लिए ओएमपीएल में शेयरधारण के अनुपात में बैंक स्टॉपिंग समर्थन.	01-04-2019	कुछ नहीं

2(क)	ONGC*	क्रूड तेल विक्रय संबंधी करारनामा	01/04/2018 से 31/03/2023 तक	पूर्व निर्धारित सूत्र के अनुसार तय की गईं कीमतों पर आबंटित प्रमाण में सुपुर्दगी स्थल पर ONGC से क्रूड तेल की खरीदारी	#	कुछ नहीं
2(ख)	ONGC*	ONGC के अपतटीय स्थानों पर HFHSD की आपूर्ति	02/09/2016 से 25/07/2021 तक	जब कभी ज़रूरत पड़े एमआरपीएल जेटी पर मुफ़्त में वितरण से ONGC के अपतटीय स्थानों पर HFHSD की आपूर्ति.	#	कुछ नहीं
3	ONGC कैंपोस LTDA	तकनीकी और प्रशासनिक सेवा संबंधी करारनामा	01/03/2018 से 20/02/2020 तक	सम्मत शर्तों के अनुसार पूर्व निर्धारित लागत पर क्रूड तेल और संबंधित प्रबंधन सेवाओं को बेचने से संबंधी सेवाएं		कुछ नहीं
4	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि	जेट ईंधन की बिक्री, खरीदारी और बुनियादी सुविधाओं को साझा करने से संबंधित करारनामा	चलता रहा ठेका	देशी बिक्री के अनुरूप भारत में तेल विपणन कंपनी को जेट ईंधन की बिक्री और खरीदारी तथा कीमत के संबंध में पूर्व निर्धारित सूत्र के अनुसार निश्चित कीमतों पर बुनियादी सुविधाओं को साझा करना.	#	कुछ नहीं
5	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) - प्रवर्तक कंपनी	उत्पाद की बिक्री-खरीदारी के मामले में, एमआरपीएल और एचपीसीएल के बीच MOU, ऊर्जा व संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सहयोग प्रदान करना	चलता रहा ठेका	(1) उत्पाद की बिक्री- खरीदारी के मामले में, ऊर्जा व संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सहयोग प्रदान करना. उत्पादों (MS/HSD/ SKO/ ATF/ LPG) का कीमत निर्धारण, जब तक अन्यथा परस्पर सहमति न हुई हो, समय-समय पर विद्यमान PSU OMC के मौजूदा शर्तों के अनुरूप होगा. (2) HPCL, RO/ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए अपने मंगलूरु, हासन और देवनगुंथी टर्मिनलों से एमआरपीएल तक आतिथ्य व्यवस्थाओं के अधीन सड़क और रेल टर्मिनलिंग सेवाएं प्रदान करेगा.	#	कुछ नहीं
6(क)	मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	जल की आपूर्ति और उपचारित बहिस्राव के निपटान संबंधी करार	चलता रहा ठेका	MSEZL द्वारा खरीदी गई एमआरपीएल की भूमि में जल की बुनियादी सुविधाओं और उपचारित बहिस्राव के निपटान की बुनियादी सुविधाओं का विकास जिसमें शामिल है जल स्रोत की बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना, एमआरपीएल की बैटरी सीमाओं तक पाइपलाइन कन्वेएंस सिस्टम, जल का संग्रहण और वितरण तथा उपचारित बहिस्राव का निपटान करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना.	14/09/2014	कुछ नहीं
6(ख)	मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	पाइपलाइन-सह-सड़क कॉरिडॉर बनाना	19/03/2016 से	एमआरपीएल को हक है कि वह, प्रचालन के प्रयोजन से पाइपलाइन-सह-सड़क कॉरिडॉर के पाइप रैक/स्लीपर्स खंड का उपयोग करे और साथ ही उपयोग किए गए " प्रभावी जगह " की सीमा तक जाने का मार्ग निर्दिष्ट किया गया है.	09-03-2016	कुछ नहीं
6(ग)	मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	PP- पेट्ट कोक को खाली करने के लिए सड़क और ट्रक पार्किंग बनाना	05.02.2016 से	एमआरपीएल ने MSEZL को ट्रक पार्किंग क्षेत्र (1.30 एकड़) के साथ खाली करने के लिए सड़क निर्माण (10.1757 एकड़) के प्रति ₹ 11.34 करोड़ की एक बारगी लौटाने न योग्य रकम अदा की है. उक्त करारनामे की पट्टा अवधि 5.12.2016 से शुरु होकर 27.01.2060 तक विधिमान्य रहेगी.	03/01/2017	कुछ नहीं

7(क)	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पादों का पाइपलाइन के जरिए परिवहन	01/04/2003 से	मंगलूरु से हासन और देवनगुंथी तक पेट्रोलियम उत्पादों का PNGRB अधिसूचित टैरिफ के अनुसार अंतरण करने के लिए, एमआरपीएल, PMHBL की पाइपलाइन सेवाओं का उपयोग करता है.	अधिसूचित टैरिफ के अनुसार	कुछ नहीं
7(ख)	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	PMHBL को बिजली की आपूर्ति	01/04/2003 से	एमआरपीएल, PMHBL को बिजली की आपूर्ति करता है और विद्युत लागत की प्रतिपूर्ति, PMHBL द्वारा MESCOM अधिसूचित टैरिफ पर की जाती है.	अधिसूचित टैरिफ के अनुसार	कुछ नहीं
7(ग)	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	PMHBL मास फ्लो मीटर तक PMHBL पाइपलाइन कॉरिडॉर सुविधा के पट्टे के लिए करारनामा	05/08/2019 से विधिमान्यता 10 वर्ष	एमआरपीएल, हासन और देवनगुंथी पर ओएमसी को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए मंगलूर में पेट्रोनेट पंपिंग स्टेशन पर पाइपलाइन कॉरिडॉर का उपयोग करता है. एमआरपीएल पेट्रोनेट एमएचबी लि. द्वारा संस्थापित पाइपलाइन कॉरिडॉर और मास फ्लो मीटर के लिए पट्टा संबंधी किराया देता है. मास फ्लो मीटर के लिए पट्टा संबंधी किराया, आज की तारीख (12/03/ 2020) तक अदा करना था. बाद में एमआरपीएल ने अपना ही मास फ्लो मीटर संस्थापित किया.	10/06/2019	कुछ नहीं

*सरकारी कंपनियां

लागू नहीं

अनुबंध 'ऋ'

फ़ार्म सं. MR-3

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 का अनुसरण करते हुए]

सेवा में,
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
CIN: L23209KA1988GOI008959
पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर,
वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030
कर्नाटक

हमने, **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** (जिसे इसके बाद ''कंपनी'' कहा गया है) के लिए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इनके द्वारा अपनाए जाते रहे अच्छे कंपनी व्यवहार के अनुपालन को लेकर साचिविक लेखा परीक्षा की. साचिविक लेखा परीक्षा इस तरह से की गई जिससे हमें कंपनी के आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला.

साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त संबंधी बहियों, दर्ज किए गए फार्मों और विवरणियों के हमारे सत्यापन और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी ने अपने यहां मंडल संबंधी प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र को उस हद तक, उस तरीके से लागू किया है जिसका जिक्र इसके आगे रिपोर्टिंग में किया गया है.

हमने, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी द्वारा रखी गईं बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त संबंधी बहियों, फाइल किए गए फार्मों और विवरणियों एवं रखे गए अन्य रेकॉर्डों का, यहां नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013(दी ऐक्ट) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संबंधी ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('SEBI Act') के तहत निर्धारित नीचे उल्लिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभ योजना का अनुसरण करते हुए किसी प्रकार के शेयरों की पेशकश नहीं की है न ही कोई विकल्प दिया).**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण संबंधी प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008;

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ लेन-देन के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993.

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009 **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी शेयर बाजार से अपने इक्विटी शेयरों को सूची से नहीं हटाया है न ही हटाने का उसका कोई प्रस्ताव है); और**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीदारी) विनियम, 1998 **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी प्रतिभूतियों की वापसी खरीदारी नहीं की है न ही वापसी खरीदारी करने का कोई प्रस्ताव है).**

(vi) कंपनी के प्रबंधन द्वारा यथा सूचित और प्रमाणित अन्य कानून/दिशानिर्देश जो उनके क्षेत्र/उद्योग के आधार पर कंपनी को निर्दिष्ट रूप से लागू होते हों:

क) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियम,

ख) इंडिया बॉइलर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम,

ग) गैस सिलिंडर नियमों के प्रावधान,

घ) सार्वजनिक उद्यम विभाग(DPE), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. सं .18(8)/2005-GM दिनांक 14 मई, 2010 में यथा निर्दिष्ट केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश.

ङ) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के पूँजी पुनर्निर्माण के बारे में निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा O.M.F.सं.5/2/2016-नीति दिनांक 27 मई, 2016 में यथा निर्दिष्ट दिशानिर्देश.

(vii) कारखाना अधिनियम, 1948, ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946, मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956.

(viii) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उसके अधीन बनाए गए नियम.

मजदूर संबंधी कानूनों और अन्य सामान्य कानूनों का अनुपालन करने के लिए, हमारा परीक्षण और हमारी रिपोर्टिंग, कंपनी अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा हमारे सामने पेश किए गए और हमें दिखाए गए दस्तावेजों, रेकॉर्डों एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और कंपनी से संबंधित विभिन्न अधिनियमनों की प्रयोज्यता के बारे में हमारे सर्वोत्तम विवेक और समझ पर आधारित है.

हमारी राय में, निगरानी रखने और लागू सामान्य कानूनों और मजदूर संबंधी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने की खातिर कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं .

कंपनी द्वारा, लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कर संबंधी कानूनों के अनुपालन की इस लेखा परीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नामोद्दिष्ट पेशेवरों ने इसकी समीक्षा की है.

हमने, नीचे उल्लिखित लागू खंडों के अनुपालन का परीक्षण भी किया:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानक.

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित बातों को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है.

कंपनी में नीचे उल्लिखित नहीं रहें:

1. 15/10/2019 से 31/03/2020 तक की अवधि के लिए निदेशक मंडल की संरचना के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और निगमित अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 3.1.4 के अधीन अपेक्षा के अनुसार, उसके मंडल पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की मौजूदगी.
2. 01/02/2020 से 31/03/2020 तक की अवधि के लिए SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अधीन यथा अपेक्षित उसके बोर्ड पर स्वतंत्र महिला निदेशक की मौजूदगी.

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि

- कंपनी के निदेशक मंडल में, उचित संतुलन बनाए रखते हुए 31 मार्च, 2020 को कार्यकारी निदेशक, गैर कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक रहे. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए परिवर्तन किए गए परंतु अपवाद यह है कि कंपनी में, जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों के अधीन यथा अपेक्षित स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें. BSE और NSE ने, 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) का अनुपालन न करने पर मौद्रिक दंड लगाया था/लगाए थे.
- एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG), भारत सरकार (GoI) द्वारा की जाती है. एमआरपीएल के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, एमओपी एण्ड एनजी के साथ लगातार उठाया जा रहा है और एमओपी एण्ड एनजी, इस पर सक्रिय रूप से विचार रहा है.
- बोर्ड की बैठकों और उसकी समितियों की बैठकों की अनुसूची के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है और कार्यसूची एवं कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थीं और बैठक से पहले कार्यसूची संबंधी मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और हासिल करने एवं बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र मौजूद है.

- बहुमत से फैसले किए गए जब कि सदस्यों के विचार प्राप्त कर कार्यवृत्त के रूप में रेकॉर्ड किए गए.

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में ऐसे पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं जिससे कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एमआरपीएल ने निजी प्लेसमेंट के जरिए क्रमश: 6.64% प्र.व., 7.40% प्र.व. और 7.75% प्र.व. की ब्याज दर के साथ तीन ट्रांचस में ₹ 2,560/- करोड़ की रकम के गैर जमानती अपरिवर्तनीय निश्चित दर वाले डिबेंचर निर्गमित किए.

कृते कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-
सी एस नरेश कुमार सिन्हा
(मालिक) FCS: 1807
C P सं.: 14984
PR: 610/2019
UDIN: F001807B000378271

स्थान: नोएडा
दिनांक: 25/06/2020

हमारी यह रिपोर्ट, हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए जिसे " अनुबंध 1 " के रूप में संलग्न किया गया है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

" अनुबंध - 1 "

सेवा में,
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

मुडपदव, डाक घर कुत्तेतूर,
वाया, काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030
कर्नाटक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

1. साचिविक रेकॉर्ड रखना, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन साचिविक रेकॉर्डों पर राय व्यक्त करना.
2. हमने, लेखा परीक्षा संबंधी ऐसी पद्धतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं जो साचिविक रेकॉर्डों के अंतर्वस्तुओं की यथातथ्यता के बारे में उचित आश्वासन पाने के लिए उचित थीं. सत्यापन करते समय यादृच्छिक परीक्षण किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साचिविक रेकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हुए हैं. हमें विश्वास है कि हमारी ओर से अपनाई गईं प्रकियाएं और पद्धतियां, हमारी राय में उचित आधार प्रदान करती हैं.
3. हमने, कंपनी के वित्तीय रेकॉर्डों और लेखा बहियों की यथातथ्यता और उचितता का सत्यापन नहीं किया है.
4. जहां कहीं आवश्यक लगा, हमने, कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है.
5. कंपनी के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना, प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर कार्यविधियों का सत्यापन करने तक सीमित रहा.
6. साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का न ही कंपनी का कामकाज संभालते रहे प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता का अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन देती है.
7. सर्वव्यापी महामारी COVID-19 के फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए हम 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के प्रत्यक्ष दस्तावेजों, रेकॉर्डों और अन्य कागजातों आदि का परीक्षण न कर सकें और हमारे लिए ज़रूरी दस्तावेज/जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराई गई.

कृते कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-
नरेश कुमार सिन्हा
मालिक
FCS: 1807 COP: 14984
PR: 610/2019
UDIN: F001807B000378271

दिनांक: 25/06/2020
स्थान : नोएडा

निदेशकों के अनर्ह न होने का प्रमाणपत्र

सेबी(लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V भाग ग खंड (10)(i) का अनुसरण करते हुए).

सेवा में,
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

हमने, **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड,** CIN L23209KA1988GOI008959 जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूरु - 575030 में है (जिसे इसके बाद " कंपनी " कहा गया है) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V भाग ग खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से निदेशकों से प्राप्त एवं कंपनी द्वारा हमारे सामने पेश किए गए संबंधित रजिस्टरों, रेकॉर्डों, फ़ार्मों, विवरणियों और प्रकटनों का परीक्षण किया.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं यथा आवश्यक समझे गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (DIN) की स्थिति सहित) और कंपनी एवं उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, कंपनी कार्य मंत्रालय अथवा इसी तरह के किसी दूसरे सांविधिक प्राधिकरण ने, यहां नीचे उल्लिखित कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों में से किसी को भी नियुक्त होने से अथवा कंपनी के निदेशक के रूप में जारी रहने से, निषिद्ध अथवा अनर्ह नहीं किया गया है.

क्रम सं.	निदेशक का नाम	DIN	कंपनी में कब नियुक्त किया गया	कब से निदेशक नहीं रहे
1.	श्री शशि शंकर	06447938	10-01-2017	पद संभाल रहे हैं
2.	श्री वेंकटेश माधव राव	07025342	04-01-2015	पद संभाल रहे हैं
3.	श्री मंदनाथ विनयकुमार	08225553	07-11-2019	#पद संभाल रहे हैं
4.	श्रीमती पोमिला जसपाल	08436633	15/10/2019	पद संभाल रही हैं
5.	श्री सुभाष कुमार	07905656	15/05/2018	पद संभाल रहे हैं
6.	श्री विनोद सदानंद शेणै	07632981	11-08-2016	पद संभाल रहे हैं
7.	श्री महेश कोडीहल्ली महादेव प्रसाद	07402110	24/11/2017	17 /10/2019
8.	श्री संजय कुमार जैन	08015083	24/11/2017	01-08-2020
9.	श्री विवेक मल्या	05311763	01-07-2019	30/01/2020
10.	सुश्री मंजुला चेलुवेगौडा	07733175	31/01/2017	31/01/2020
11.	श्री विजय शर्मा	08045837	01-08-2020	पद संभाल रहे हैं
12	श्री सुनील कुमार	08467559	17/10/2019	पद संभाल रहे हैं
13	श्री सेवा राम	01652464	09-08-2017	पद संभाल रहे हैं
14	श्री बलबीर सिंह	07945679	09-08-2017	पद संभाल रहे हैं
15	श्री विरुपाक्षन् प्रणतर्तिहरन	07710821	09-08-2017	पद संभाल रहे हैं
16	डॉ. गुरुवंत कांतिलाल पटेल	07945704	09-08-2017	पद संभाल रहे हैं
17	श्री राम तीर्थ अगरवाल	01937329	07-12-2019	पद संभाल रहे हैं

श्री मंदनाथ विनयकुमार (DIN: 08225553), 31/05/2020 से निदेशक नहीं रहें.

बोर्ड पर हर एक निदेशक की नियुक्ति/उसके जारी रहने की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन पर राय व्यक्त करना. यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन ने जिस दक्षता या प्रभाविता से अपना कामकाज संभाला है उसका आश्वासन है.

कृते कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-
सी एस नरेश कुमार सिन्हा
(मालिक)
FCS: 1807
CP सं.: 14984
PR: 610/2019
UDIN: F001807B000378568

स्थान: नोएडा
दिनांक: 25/06/2020

"अनुबंध - ए"

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित स्वतंत्र लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 09 जून 2020 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कर दिया है.

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है. सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखें बगैर अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है और यह मूल रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है.
मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसे कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अधीन विधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा अनुपूरक लेखा परीक्षा करनी पड़े.

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और उनकी तरफ से

हस्ता/-

(आर. अंबलवनन)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महा निदेशक, चेन्नई

स्थान : चेन्नई

दिनांक: 07.08.2020

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित स्वतंत्र लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साठ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 9 जून 2020 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कर दिया है.

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है. हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की. आगे, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ख), एक निजी उद्यम होने के नाते शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड को लागू नहीं होती है. तदनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने न सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की है न ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखा परीक्षा की. सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखें बगैर अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है और यह मूल रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है.
मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अधीन विधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा अनुपूरक लेखा परीक्षा करनी पड़े.

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और उनकी तरफ से

हस्ता/-

(आर. अंबलवनन)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महा निदेशक,
चेन्नई

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 7.08.2020

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. आर्थिक परिदृश्य

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक GDP वृद्धि दर में 2014 के 3.59% से 2017 में 3.72% तक वृद्धि हुई जिसका 2019 में 2.91% तक पतन हुआ. सामान्यत: इस अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का दौरा रहा. COVID-19 के आक्रमण से पहले दुनिया भर में राजनैतिक अनिश्चितता का माहौल रहा, व्यापार में संघर्ष और संरक्षणवादी नीतियों का दबदबा रहा जिनके चलते निवेश, रोज़गार और आय में गिरावट आई. दुनिया भर में सर्वव्यापी COVID -19 के कारण वैश्विक वृद्धि में अवनति नजर आई है. अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक मांग में 8-10 वर्ष पहले के स्तर तक अवनति होगी. क्वारंटाइन के कारण कारखाने बंद पड़े हैं. यात्रा करने पर रोक और पाबंदी लगाने से सेवा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और कारोबार एवं पर्यटन यात्रा पर असर पड़ा. सार्वजनिक स्थान बंद पड़ने से आपूर्ति चेन में बाधा उत्पन्न हुई है जिसके चलते शैक्षिक एवं मनोरंजन सेवाएं प्रभावित हुई हैं. यह बात खुलकर सामने आई है कि घनिष्ठता से जुड़े विश्व की अर्थव्यवस्था का परस्पर संबंध बेहद नाजुक है. COVID उपरांत वैश्विक अर्थव्यवस्था को पिछले एक दशक से अधिक समय में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना करने की नौबत नहीं आई थी. हालांकि इस स्थिति से बहाल होने के लिए राष्ट्र, योजनाएं बना रहे हैं, परंतु संभव है कि पहले से ही मंद प्रवृत्तियों के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी की तरफ़ रुझान करे. इससे ऐसी नीतियां बनेंगी जिसमें खपत बढ़ाने की तरफ ध्यान केंद्रित होगा. आशा की जाती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जैसे-जैसे बहाली के संकेत नज़र आने लगें, सरकारी की तरफ़ से अधिक खर्च किया जाएगा जिसमें स्थानीय क्षमताएं बढ़ाने पर ख़ासा ध्यान दिया जाएगा और यह देखा जाएगा कि लोगों के हाथों में अधिक नकदी निधि होती है. इससे अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ऊर्जा क्षेत्र में अधिक स्थिरता हो सकती है.

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरह ही भारत की अर्थव्यवस्था भी सर्वव्यापी COVID से बुरी तरह प्रभावित हुई है. अपने नागरिकों की हिफ़ाज़त करने और महामारी का दौर लंबे समय तक चलने पर बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों को संभालने की खातिर क्षमताएं बढ़ाने के लिए व्यवस्था को समय देने की दृष्टि से भारत ने 24 मार्च से सख्ती से लॉकडाउन जारी किया

भारत, पिछले दशक से औसतन 7 प्रतिशत की दर से तरक्की करता रहा है. विव 2019-20 के अधिकतर भाग में भारत की वृद्धि धीमी रही. पिछले दिनों में देशी खपत में अवनति नज़र आई. भारतीय विनिर्माण उद्योग का बैरोमीटर माने जाने वाले ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बिक्री में लगभग पूरे वर्ष में गिरावट नज़र आई. दुपहियों, यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री पर, जो क्रमश: ग्रामीण, शहरी और वाणिज्यिक मांग के सूचक होते हैं , वाहनों के लिए बदलते पर्यावरण संबंधी मानदंडों और कर्ज के अभाव के कारण दबाव का दबदबा रहा. इस आर्थिक माहौल में नज़र आईं निम्नतर क्रूड की कीमतें, भारत के लिए अच्छा भविष्य कथन करती हैं. इस अवधि में मौद्रिक नीति में हस्तक्षेप करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि मुद्रास्फ़ीति, संभालने लायक स्तर तक बनाए रखी जाती है जिससे गतिहीनता रोकी जाएगी.

आर्थिक गतिविधि में सुधार करने के लिए सरकार ने उपाय किए. मौजूद कंपनियों के लिए कार्पोरेट कर दर को 22% तक घटाने से (1 अक्तूबर, 2019 को या उसके बाद स्थापित परंतु 31 मार्च, 2023 तक या उसके बाद उत्पादन शुरु करने वाली नई कंपनियों के लिए 15%) उम्मीद है कि अधिक निवेश करने का माहौल देखने को मिलेगा. लाभांश वितरण कर संबंधी नियमों में परिवर्तन किए गए जिससे निवेश करने के लिए उद्योग के साथ अधिक पैसा रहेगा. सरकार ने सूचना दी कि निवेशकर्ताओं को आश्वासन देने की खातिर कर संबंधी दर में स्थिरता बनाए रखी जाएगी. खपत बढ़ाने की खातिर, पिछले बजट में कुछ प्रोत्साहन दिए गए जिससे उम्मीद है कि कर दाताओं के हाथों में अधिक पैसा रहेगा. अंत में, सरकार ने संकेत दिया था कि आय-व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विनिवेश का सहारा लिया जाएगा.

जब सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कर रही थी, विव 2019-20 के अंत में, सर्वव्यापी COVID-19, लोक प्रसिद्ध संताप की तरह सामने आया जिसने देश को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दुर्बल बनाया. इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार, इसका युद्ध स्तर पर मुकाबला कर रही है. लोग, फर्म और स्थूल नीति, इन तीनों छोर पर मुकाबला किया जा रहा है. नागरिकों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र, नकदी अंतरण के लिए संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं और समाज के संवेदनशील वर्गों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और MNREGA के जरिए उपशमन किया जा रहा है. उद्योग के लिए अधिक मात्रा में चन निधि और कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है. बैंकों के लिए चन निधि मुहैया कराई गई है. प्रणाली में अधिक चन निधि प्रवाहित करने की दृष्टि से सरकार ने कई क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज और ऋण-स्थगन उपाय घोषित किए.

2. ऊर्जा उद्योग का सिंहावलोकन

2.1 वैश्विक परिदृश्य

तरक्की करती रही और अधिक समृद्ध दुनिया के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है और इसमें तेल एवं गैस शामिल हैं. यद्यपि जलवायु में परिवर्तन एक वास्तविकता है और मानव की गतिविधियां उसमें योगदान देती हैं, ऊर्जा की मांग, आबादी में वृद्धि, बढ़ते रहें आर्थिक कार्यकलाप और बढ़ती रहीं आय पर निर्भर होती है. ऊर्जा के उत्पादकों (तेल और गैस) के समक्ष एक ऐसी दुविधा होती है कि उनको उत्सर्जन घटाते हुए ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना पड़ता है. यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि जीवाश्म ईंधन ख़त्म हो गया है. नवीकरणीय ऊर्जा ही ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है. वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कल्पना की है कि कार्बन के अंश सबसे

कम होने पर भी 2040 में दुनिया को प्रति दिन करीब 70 दशलक्ष बैरल तेल की ज़रूरत पड़ सकती है. बेशक हम तेल का जिस तरह से उपयोग करेंगे उससे परिदृश्य में परिवर्तन होगा. इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोलियम का उपयोग नहीं होता है लेकिन इनके निर्माण में प्लास्टिक और स्नेहन तेल का उपयोग अवश्य किया जाता है. प्राकृतिक गैस, स्वच्छ जलने वाला ईंधन होता है जो ऊर्जा संक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारक होगा.

आजकल की दुनिया में जलवायु में परिवर्तन, एक निर्धारक विषय है. हमें जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच चयन नहीं करना है बल्कि यह देखना है कि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करते समय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाकर नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक उत्पादन होता है. प्रौद्योगिकी, वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ़ इस संक्रमण का एक महत्वपूर्ण भाग है. इस दिशा में खर्च और अंतर्विराम, चुनौतियां हैं. गरीब, खर्च से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं. हाल में प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की और अर्थव्यवस्था के पैमाने के चलते, खर्च की दीवारें टूट गई हैं जो सौर और पवन ऊर्जा के मामले में देखने को मिली है. लेकिन इसमें अंतर्विराम, एक अवरोध बना रहेगा. अंतर्विराम के प्रति प्रौद्योगिकीय समाधान जैसे संग्रहण बैटरियों में उसकी मात्रा और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए.

2.2 भारत का परिदृश्य

दुनिया की आबादी के 18% लोगों की जन्मभूमि, भारत, दुनिया के मूल ऊर्जा का सिर्फ़ 6% उपयोग करता है. बढ़ती रही ऊर्जा की अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भारत अपने ऊर्जा बास्केट में दोबारा संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहा है. देश, विद्युत उत्पादन के लिए तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच ईंधन का महत्वपूर्ण चुनाव कर रहा है. लेकिन भारत में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला, सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है. अधिक संख्या में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि इनका उपयोग लंबे समय तक किया जाता रहेगा. लेकिन नए सिरे से निवेश करने का फ़ैसला करते समय अधिक स्वच्छ एवं कम कार्बन युक्त संसाधनों की तरफ़ रुख किया जाएगा.

मोटर ईंधनों के मामले में, भारत ने छलांग लगाते हुए 1 अप्रैल, 2020 को BS-IV ग्रेड ईंधन के स्थान पर BS-VI ग्रेड ईंधन का उपयोग करना शुरु किया. इस अटकलबाजी के प्रतिकूल कि भारत में क्रूड तेल की बुनियादी पछड़न जाएगी अध्ययनों में यह अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक क्रूड तेल की खपत में वृद्धि होगी जिसके प्रमुख कारक रहे हैं ट्रक, यात्री वाहन, विमानन और पेट्रोकेमिकल्स. सस्ती सौर बिजली और बैटरी संग्रहण सुविधा के लागत प्रभावी संयोजन से, भारत के विद्युत मिश्रण की क्रमागत उन्नत में काया पलट हो सकती है. हलांकि इस समय दुनिया में, विद्युत उत्पादन के वैकल्पिक साधन हो सकते हैं लेकिन पेट्रोकेमिकल्स के लिए वास्तव में कोई वैकल्पिक साधन नहीं है. विव 2030 में तेल की मांग में 4% CAGR की दर से इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है. कई ब्राउन फ़ील्ड और ग्रीन फ़ील्ड परियोजना के सहारे रिफ़ाइनरी क्षमता, 2030 तक 438.65 MMT तक पहुंचने की आशा है. उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में, आने वाले दशक में आर्थिक तरक्की के अनुरूप 8-9% की दर से वृद्धि होगी. प्लास्टिक के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए अगले 20 वर्षों में पेट्रोकेमिकल्स, तेल की मांग में वृद्धि का एक उल्लेखनीय एवं प्रमुख साधन बना रहेगा.

भारत में प्राकृतिक गैस जैसे नवीकरणीय एवं स्वच्छ ईंधन का अंश बढ़ रहा है. प्राकृतिक गैस की खपत में 2015-16 के 52.5 BCM से 2019 में 60 BCM तक उन्नति हुई. शहरी वितरण एवार्ड का 10वां दौर समाप्त होने पर देश की आबादी का 70 प्रतिशत कवर किया जा चुका है. ऊर्जा मिश्रण में गैस में 2010 के 11% से 2030 तक 20% तक बढ़त होने की उम्मीद है और भारत ने, ऊर्जा मिश्रण में गैस का अंश, 2030 तक 6% से 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.

ऊर्जा बास्केट में नवीकरण ऊर्जा का अंश धीरे-धीरे बढ़ रहा है. 2019 के अंत में, नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता, भारत के ऊर्जा मिश्रण का 23% रही जिसमें जल विद्युत का अंश 12%, थर्मल विद्युत का अंश 63% और परमाणु ऊर्जा का अंश 2% है. सरकार, लगातार विविधीकरण को प्रोत्साहन देती रही है. इस दिशा में जैव-ऊर्जा (संपीडित जैव गैस) एक उदाहरण है. भारतीय परिदृश्य में वाणिज्यिक दृष्टि से जैव गैस, एक फायदेमंद प्रस्ताव है जिसे कृषि अपशिष्ट, पशु के गोबर और नगरपालिका अपशिष्ट से उत्पन्न किया जाता है. तेल कंपनियां, आधुनिक जैव ईंधन संयंत्र (2G एथनॉल) लगाना चाहती हैं. सरकार ने इस दिशा में वाणिज्यीकरण के लिए योग्य समर्थन देने का संकेत दिया है.

महत्वाकांक्षी लक्ष्य एवं समर्थक नीतियों के सहारे स्वच्छ ऊर्जा का अंश बढ़ने की संभावना है लेकिन मध्यावधि से दीर्घावधि में कोयले और तेल का दबदबा बना रहेगा.

3. बाजार

अमेरिका का, क्रूड तेल के प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया में तेल का कारोबार, भौगोलिक-राजनैतिक तनाव से कुछ हद तक दूर रहा जो ईरान और वेनेज़ुएला के मामले में नज़र आता है. लगभग वर्ष भर, क्रूड तेल की औसत कीमत $65/bbl के इर्द-गिर्द डटी रहीं. क्रूड तेल के तीन दिग्गज उत्पादक, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और रूस की लाभ-अलाभ कीमत की ज़रूरतें अलग-अलग हैं जो परेशानी का सबब बन सकता है. क्रूड कीमत को बढ़ाने के संगठित प्रयास से संभवत: बाजार अंश, कमतर लागत पर उत्पादन करने वाले(लों) से दूसरे उत्पादक(कों) को मिलेगा. आगे, नवीकरणीय ऊर्जा की क्रमागत उन्नति के साथ परिदृश्य में बदलाहट होते हुए चरम तेल की आपूर्ति का स्थान चरम तेल की मांग ने ले लिया है.

वर्ष के प्रारंभ में वैश्विक अर्थव्यवस्था कमज़ोर नज़र आई. COVID-19 के आगमन से पहले से ही कमज़ोर नज़र आए तेल बाज़ार की कीमतें $65/bbl से नीचे गिरीं. OPEC+ की बातचीत विफल होने के बाद साउदी अरेबिया द्वारा उत्पादन बढ़ाने से दुनिया, तेल में डुबकी लगाते हुए नज़र आई जिसके चलते कीमतें $30/bbl से भी नीचे गिरीं.

क्रूड की कीमतों में गिरावट का भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा. कीमतों में एकदम गिरावट से भारत की स्थूल अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो सकता है जिसके चलते चालू खाते का घाटा कम किया जा सकता है और बेशकीमती विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है. भारत में अपने महत्वपूर्ण तेल भंडारों को भरने के लिए भी इस अवसर का उपयोग कर रहा है.

कीमतों में पतन के कारण, तेल उत्पादकों के राजस्व घट गए हैं और रिफाइनर्स को स्टॉक में उल्लेखनीय नुकसान उठाना पड़ा है. मांग कम होने के कारण रिफाइनर्स का मुनाफ़ा पहले से ही कम था जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक में नुकसान से स्थिति और बिगड़ गई है. उपभोक्ता के लिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में गिरावट, क्रूड की कीमतों के गिरावट के अनुरूप नहीं रहीं क्योंकि उपभोक्ता से ली जाने वाली कीमत, क्रूड कीमत, उत्पाद क्रैक्स और करों की एक जटिल क्रिया होती है.

4. क्रूड बास्केट

आपकी कंपनी, अपनी क्रूड की आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्यात करने वाले देशों की विभिन्न राष्ट्रीय तेल कंपनियों से मुद्दती आधार पर और खुले बाजार में हाजिर बिक्री से करती है. 2019-20 के दौरान, कंपनी ने 14.084 MMT क्रूड तेल की खरीदारी की जिसमें से 10.920 MMT का आयात किया गया और शेष क्रूड तेल, हमारे देश में ओएनजीसी और केर्न इंडिया से बाँबे हाई, रव्वा और मंगला से हासिल किया गया. क्रूड तेल का इनसे आयात किया गया जैसे NIOC 0.290 MMT, कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन 1.202 MMT, साउदी अरैमेको 5.327 MMT, ADNOC 1.512 MMT और SOMO 1.960 MMT. कम गंधक युक्त भारी स्टॉक (LSHS) और मुद्दती क्रूड की कमी की पूर्ति करने की दृष्टि से एमआरपीएल ने, वर्ष के दौरान, क्रूड तेल का (0.629 MMT), हाजिर टेंडर में भाग लेकर आयात किया.

रिफाइनरी, ईरान क्रूड की अनुपलब्धता संभालने के लिए, क्रूड के स्रोत का लगातार विविधीकरण करते हुए दूसरे स्रोतों से खरीदारी कर रही हैं. वर्ष के दौरान नए क्रूड जैसे कैबिंडा (अंगोला) API 32.20 और थंडर हॉर्स (US) API 33.46 का प्रोसेसिंग किया गया.

5. उत्पाद

आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 में नीचे की तालिका में दर्शाए गए उत्पादों का उत्पादन किया.

उत्पाद	परिमाण ('000 MT)
HSD	5644
नैफ़्ता	1234
ATF	1232
MS	1185
LPG	811
पेट्रो कोक	755
पॉलीप्रॉपीलीन	310
क्ज़ाइलॉल	215
गंधक	170
एस्फाल्ट	152
ईंधन तेल	111
A7	97
A9	60
SKO	47
LSWR	12
CRMB	5

आपकी कंपनी ने वर्ष में नीचे की तालिका में दर्शाए गए कुछ उत्पादों का भी निर्यात किया. वर्ष 2019-20 के लिए निर्यात का चित्र, नीचे दी गई तालिका में पेश किया गया है:

उत्पाद	निर्यात ('000 MT)
डीज़ल	1794
ATF	1030
नैफ़्ता	422
MS	249
अन्य उत्पाद	751

6. निष्पादन पर प्रभाव

इस वर्ष आपकी कंपनी के निष्पादन पर कई कारणों से प्रभाव पड़ा.

6.1 निम्न उत्पाद क्रैक

रिफाइनर्स, लाभप्रदता हासिल करने के लिए स्वस्थ ' क्रैक्स ' यानी क्रूड और उत्पादों की कीमतों के बीच विभेदक पर निर्भर होते हैं. पिछले वर्ष दुनिया भर में नज़र आई मंद प्रवृत्ति वर्ष 2019-20 में भी जारी रही. Q3 के अंतिम भाग से, चीन में मंद प्रवृत्ति का दौर एवं साउदी सुविधाओं पर आक्रमण का मुनाफ़ों पर गहरा असर पड़ा जिसके बाद संधारित कम मुनाफ़े का सिलसिला जारी रहा. Q4 में COVID-19 के प्रभाव के कारण मांग में एकदम अवनति नज़र आई जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद क्रैक्स में एकदम पतन नजर आया. कुछ बेंचमार्क क्रैक्स यहां नीचे दिए गए हैं:

$/BBL (MOP-AG)	Q1	Q2	Q3	Q4
MS	5.06	9.26	9.84	3.47
HSD	10.57	13.85	11.97	8.59
जेट केरो	10.27	13.86	11.16	5.87
नैफ़्ता	-10.27	-9.16	-6.47	-5.89

इसे देखने से ज़ाहिर है कि Q2 से Q4 में क्रैक्स में तीव्र पतन हुआ जिसका कंपनी की लाभप्रदता पर गहरा असर पड़ा. क्रूड की कीमतों में गिरावट के कारण Q4 में स्टॉक में हुए नुकसान के साथ-साथ, दुनिया भर में प्रमुख घटनाक्रम के कारण क्रैक्स में ऐसा पतन, कंपनी के वित्तीय निष्पादन का अकेला सबसे बड़ा कष्टकारक रहा. यह भी गौरतलब है कि विव 2020-21 में भी क्रैक्स पर मुसीबतों का सिलसिला जारी है और उम्मीद की जा रही है कि Q4 के प्रारंभ में विद्यमान स्तर तक बहाली, इस वित्तीय वर्ष के Q3 तक ही संभव है.

6.2 स्टॉक में नुकसान

वर्ष में क्रूड की कीमत में एकदम गिरावट नज़र आई. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लेकर वित्तीय वर्ष के अंत तक कीमत में लगभग $40/bbl तक अवनति हुई. इसका स्टॉक के मूल्यांकन पर गहरा असर पड़ा, परिणामस्वरूप वर्ष के स्टॉक में बेहद नुकसान हुआ. कम मुनाफ़े के साथ-साथ इसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में और गिरावट आई.

स्टॉक में अभिलाभ/हानि, एक आवर्तनशील प्रक्रिया है जो परिष्करण कारोबार में कारोबार एवं अन्य आवर्तनशीलता के तदनुरूप एक स्वाभाविक घटना है विव 2020-21 के पूर्व भाग में क्रूड में सीमा चिह्न कम होने के कारण उम्मीद है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसमें उलटफेर होगा.

6.3 ग्रीष्म काल में जल का अभाव

अप्रैल और मई 2019 में कम जल उपलब्ध होने के कारण रिफ़ाइनरी के कुछ हिस्सों को शटडाउन करना पड़ा. यह बे-मौसमी El Nino/ La Nina चक्र के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप गरमी के मौसम में कम बारिश हुई और मानसून में अधिक बारिश हुई. इसका विव 2019-20 के Q1 में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. इस आशंका से बचने के लिए एमआरपीएल, 2021 की गरमी से पहले विलवणन संयंत्र स्थापित करने वाला है. 2020 के ग्रीष्म काल में, जल की कोई कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि गरमी में पर्याप्त बारिश हुई. इसलिए इस बात पर विचार करना होगा कि गत वर्ष का एक कारक, जिससे GRMs में अवनति हुई, विव 2020-21 में मिटाया गया है.

6.4 रिफ़ाइनरी के अंदर भूस्खलन

इस बार मानसून में घमासान बारिश हुई जिसके परिणामस्वरूप देश भर में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. एमआरपीएल में जुलाई 2019 में भूस्खलन हुआ, नतीजतन एमआरपीएल को, चरण-3 यूनिटों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन रोकना पड़ा. इसका विव 2019-20 के Q2 में निष्पादन पर प्रभाव पड़ा. एक निवारक उपाय के तौर पर, IIT रूर्की और नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रॉक मैकेनिक्स कोलार के जरिए एक व्यापक ढलान अध्ययन चलाया गया और ऐसी घटनाएं दोहराने से रोकने की खातिर निवारक कार्रवाई की जा रही है.

6.5 COVID के कारण अवनति

जनवरी 2020 से ही COVID का मुनाफ़े पर असर नज़र आना शुरु हुआ और उत्पाद की मांग में धीमापन मार्च, 2020 से दिखाई देने लगा जिसका प्रभाव विव 2019-20 की समग्र तिमाही Q4 में परिलक्षित हुआ. सर्वव्यापी महामारी का यह दौर चलता रहेगा जिसका दुनिया भर में ख़ास असर पड़ा है. मांग में गिरावट, कीमतों में मंद प्रवृत्ति और नकदी निधि पर दबाव के कारण एमआरपीएल प्रभावित हुआ है. हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विव 2020-21 के Q4 में बहाली होने की संभावना है लेकिन भारत में आर्थिक सुधार तेजी से होने की उम्मीद है जिसके चलते एमआरपीएल को इससे पहले उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.

6.6 समग्र प्रभाव

ऊपर उल्लिखित कारकों का पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के निष्पादन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा. लेकिन यह गौरतलब है कि ऐसी बहुत सारी अड़चनों के बावजूद आपकी कंपनी का निष्पादन, बेंचमार्क सूचकांक के प्रति काफ़ी अच्छा रहा. एमआरपीएल का, 12 महीनों में से 7 महीनों में और साथ ही कुल मिलाकर वर्ष में निष्पादन बेंचमार्क (सिंगपूर कोर्किंग मार्जिन) से बेहतर रहा. कंपनी का प्रचालन GRM (स्टॉक में हानि/अभिलाभ के बगैर) $2.42/bbl रहा जब कि बेंचमार्क GRM, $1.9/bbl रहा जो यह सूचित करता है कि बाह्य अड़चनों को छोड़कर कंपनी की बुनियादी खूबियां ऐसी हैं कि उसका लंबे समय तक प्रचालन किया जा सकता है.

7. अवसर और खतरे

7.1 अवसर

आबादी की भरमार, अपनी बाहें फैलाता हुआ मध्यम वर्ग और बढ़ती रही खर्च करने की शक्ति की बदौलत भारत में क्रूड तेल की मांग बरकरार रहेगी. तरक्की के लिए वस्तुओं की अधिक आवाजाही और लोगों का व्यापक घूमना फिरना आवश्यक है. इस समय COVID के कारण अर्थव्यवस्था में छाई रही मंद प्रवृत्ति अल्पकालीन है. रिफाइनरियाँ, परिवहन वाहनों को ईंधन मुहैया कराती रहेंगी. बढ़ती रही आबादी से पेट्रोकेमिकल्स/रासायनिक पदार्थों की मांग बनी रहेगी. उम्मीद है कि भावी रिफाइनरियां, मांग पर निर्भर होंगी. प्रचालन उत्कर्ष पर अधिक ध्यान देने वाली और बेहतर प्रौद्योगिकी में निवेश करने वाली रिफाइनरियां, बहुमुखी होंगी जिनका अधिक फ़ायदा होगा. अब तक भारतीय रिफ़ाइनरियों का ईंधन का उत्पादन अधिक रहा. हालांकि मांग बढ़ रही है लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के बदलते माहौल, EV प्रवेश और वैकल्पिक ईंधन, भविष्य में एक अलग-थलग परिदृश्य निर्मित कर सकते हैं. ईंधन का विस्तार करने से ही रिफाइनर्स को अधिक राजस्व नहीं मिलेगा. भविष्य में सोच समझकर ऐसे पूंजी निवेश करना चाहिए जो बहुमुखी हों और प्रासंगिक बन रहें.

आपकी कंपनी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी है. आपकी कंपनी को इस बात की जानकारी है कि इन्पुट के छोर पर, आस्ति के छोर पर और उत्पादन के छोर पर मूल्य चेन में कितने मौके मौजूद हैं. इन्पुट के छोर पर ऊर्जा के इष्टतमीकरण के जरिए प्रचालन दक्षता एवं ग्रिड विद्युत के जरिए लागत कम करने एवं सस्ते ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस पर विचार किया जा रहा है. आस्ति के छोर पर दक्ष प्रचालन के लिए विभिन्न यूनिटों का एकीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है और बदलते उत्पाद की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से प्रौद्योगिकियों में निवेश किया जा रहा है जैसे कि हाल में BS-VI के मामले में देखा गया. मांग के छोर पर आपकी कंपनी ने लचीलापन सिद्ध किया है और अपनी खुदरा बिक्री, व्यापारी बिक्री, पेट्रोकेमिकल्स की बिक्री और संयुक्त उद्यम के जरिए बिक्री के जरिए मूल्य हासिल किया.

आपकी कंपनी, भविष्य में निवेश करने के लिए ज़रूरी जांचे-परखे गए दृष्टिकोण के बारे में अवगत है. ईंधनों के मिश्रण और रासायनिक पदार्थों/पेट्रोकेमिकल्स के बास्केट के साथ एक सही प्रचालन मॉडेल, भविष्य में संधारित लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है. भावी कॉन्फिग्यूरेशन में आपकी कंपनी को निवेश से बहुत सारे मार्केटिंग विकल्प मिलेंगे.

7.2 ख़तरे

क्रूड तेल बाजारों में अस्थिरता और अनिश्चितता, आपकी कंपनी के लिए एक निरंतर खतरा है. क्रूड और उत्पाद की कीमतों में अनायास और विभिन्न तरीके से घट-बढ़ हो सकती हैं. वैश्विक स्तर पर की गईं कार्रवाइयों और होती रहीं घटनाओं का, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर अपना प्रभाव होता है. वृद्धि दर में सिकुडन का, ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स की मांग पर दबाव पड़ सकता है नतीजतन आपकी कंपनी का मुनाफ़ा प्रभावित हो सकता है.

हालांकि उम्मीद है कि नवीकरणीय ऊर्जा और EV प्रवेश से सुधार तो होगा लेकिन इससे, आपकी कंपनी के लिए, ईंधन बदलने का खतरा नहीं होगा. भारतीय परिदृश्य में, दीर्घावधि में ईंधन की मांग बढ़ने की आशा है लेकिन अल्पावधि में उत्पन्न अवरोध, आपकी कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं. आपकी कंपनी जो उत्पाद बनाती हैं उनमें से करीब साठ प्रतिशत उत्पाद, परिवहन ईंधन हैं (सड़क, रेल और वायु परिवहन). जब परिवहन क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो, जैसे हाल में सर्वव्यापी महामारी के कारण देखने को मिला, राजस्व प्रभावित होते हैं.

विनियामक परिवर्तन के कारण सामने आए खतरे से प्रभावशाली ढंग से निबटने के लिए आपकी कंपनी ने बेहतर प्रौद्योगिकियों में निवेश किया. इससे आपकी कंपनी को बदलते ईंधन के मानकों के जरिए काम करना सुसाध्य हुआ है.

दीर्घावधि में, उम्मीद है कि भारत में सड़क परिवहन ईंधन की मांग की वृद्धि दर बढ़ती रहेगी, लेकिन वह वायु परिवहन ईंधन की तुलना में कम रहेगी. साथ ही आशा की गई है कि भारत में बढ़ते नगरीकरण के साथ पेट्रोकेमिकल्स/विशिष्ट रासायनिक पदार्थों की मांग बढ़ेगी. आपकी कंपनी को इस बात का ज्ञान है कि किए जाने वाले निवेश बहुमुखी और भविष्य उन्मुखी होने चाहिए. आप कंपनी, जब फ़ायदा उठाने की स्थिति में न हो तब घटना क्रम तय करेगी.

COVID से संबंधित खतरा अभी टला नहीं है और जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था इसके साथ समायोजन करने लगेगी इसका प्रभाव, अल्पावधि से दीर्घावधि में कम होता जाएगा.

8. खूबियां और कमज़ोरियां

8.1 खूबियां

आपकी कंपनी का, अधिक जटिलता के साथ सुदृढ़ कॉन्फिग्यूरेशन है. रिफाइनरी की क्षमता ऐसी है कि वह, 20 API से 45 API तक के व्यापक श्रेणी के क्रूड तेल का बेहतर ढंग से प्रसंस्करण कर सकता है. इससे क्रूड स्रोत का पता लगाने और क्रूड बदलने में सुविधा मिलेगी. कंपनी, पिछले कुछ वर्षों से बदलते बाजार की मांग के मुताबिक लगातार निवेश करती रही है. इस तरह अपने आपको समय के साथ ढालने की क्षमता के सहारे आपकी कंपनी, हिस्सेदारों को राजस्व दिलाते हुए टिक पा रही है. पिछले वर्ष दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए. एक, देश ने BS-VI ग्रेड के ईंधन की तरफ़ छलांग लगा दी. दो, ईंधन तेल में गंधक अंश पर MARPOL विनियम लागू हुए. आपकी कंपनी, इन परिवर्तनों के साथ बड़ी सफलता से आगे बढ़ पाई.

आपकी कंपनी, अपनी विस्तार योजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रही है. भूमि उपलब्ध होने पर, वह विस्तार करने और मध्यावधि में तरक्की करने की अनोखी स्थिति में होगी. विस्तार के दौरान पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र की गहराई में उतरने के लिए आवश्यक मध्यवर्ती उपलब्ध हैं.

8.2 कमज़ोरियां

आपकी कंपनी, अपनी देशी बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों पर निर्भर होती है. अपने प्रचालन क्षेत्र में खुदरा बाजार में एमआरपीएल की मौजूदगी सीमित है. कभी कभार तेल मार्केटिंग कंपनियां, अपने उत्पाद राज्य के बाहर ले जाती हैं. इससे खरीदारी में कमी आ जाती है जिसकी भरपाई करने के लिए निर्यात करना पड़ता है. एक तटवर्ती रिफ़ाइनरी होने के नाते आपकी कंपनी, निर्यात के जरिए उत्पाद बेचने में समर्थ हुई है. लेकिन इससे वसूली में थोड़ी सी कमी आई है. आपकी कंपनी ने अपने भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार करने की दिशा में कदम उठाए हैं और चालू वर्ष में 50 प्रचालन केंद्र खोलने का इरादा है. बढ़ते रहे खुदरा नेटवर्क का समर्थन करने की दृष्टि से आपकी कंपनी ने अपने ही तेल मार्केटिंग टर्मिनल को उचित स्थान पर खोलने की योजना भी बनाई है. कंपनी, अपने स्थान का फ़ायदा उठाते हुए अपना बाजार बढ़ाने की योजना के लिए एक सुदृढ़ आपूर्ति चेन बनाने वाली है.

वित्व 19-20 में पेट्कोक को खाली करने के लिए नया रेलवे साइडिंग और रिफ़ाइनरी में नया मार्केटिंग टर्मिनल चालू किया गया. रेलवे साइडिंग बनाने से उत्पाद खाली करने के लिए ट्रकों पर निर्भर होने का खतरा कम हुआ है और चालू करने के छोटे से समय के अंदर ही उत्पादित पेट्कोक में से 25% (18 TMT प्रति माह) तक उत्पाद, वैगनों के जरिए खाली किया जा रहा है. रिफ़ाइनरी में नया तेल मार्केटिंग टर्मिनल, अपने मांग क्लस्टर के अनुरूप सफलता से काम कर रहा है.

8.3 क्रूड आपूर्ति और कीमत में निहित जोखिम

क्रूड, आपकी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो खर्च का करीब 95% बनता है. रिफ़ाइनरी की प्रचालन उपलब्धता बहुत अधिक होने के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है. आपकी कंपनी, अपने क्रूड के करीब 78% की ज़रूरतें आयात के जरिए पूरी करती है और शेष 20% देशी स्रोतों से हासिल किए जाते हैं. किसी ख़ास देश में अवरोध का खतरा मिटाने की दृष्टि से आपकी कंपनी अपने क्रूड स्रोतों का लगातार विविधीकरण कर रही है. वित्व 2019-20 में कंपनी ने ईरान क्रूड की लगातार अनुपलब्धता संभालने के लिए क्रूड का विविधीकरण किया और वर्ष के दौरान नए क्रूड जैसे कैबिंडा (अंगोला) API 32.20 और थंडर हॉर्स (US) API 33.46 का प्रोसेसिंग किया गया.

किसी दूसरे पण्य की तरह क्रूड की कीमतों में घट-बढ़ और उतार-चढ़ाव होता है. आपकी कंपनी में मुद्दती क्रूड और हाजिर क्रूड खरीदने की योजनाओं का मिश्रण है. आपकी कंपनी विभिन्न राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ मुद्दती क्रूड ठेके तय करती हैं जिनके जरिए आपूर्ति सुनिश्चित की जाती हैं. विभिन्न राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ मुद्दती योजनाएं बनाने से आपकी कंपनी, अनपेक्षित कारणों से किसी निर्दिष्ट कंपनी से क्रूड की आपूर्ति में खलल पड़ने का खतरा भी टाल पाती है. आपकी कंपनी वक्त-वक्त पर कारोबार प्रक्रिया की इष्टतमीकरण समीक्षा करती है जिसमें बाजार की मांग एवं कीमतों का विश्लेषण किया जाता है और अवसरों को पहचाना जाता है. आपूर्ति में विघटन और अन्यत्र रिफ़ाइनरी शटडाउन और मौसमी मांग के कारण हुए परिवर्तन से बाजार प्रभावित होता है. हाजिर खरीदारी का विकल्प तभी लिया जाता है जब आर्थिक फ़ायदे के लिए खिड़कियों को पहचाना जाता है.

क्रूड की कीमतों में एकदम गिरावट से स्टॉक में नुकसान हो सकता है. आपकी कंपनी, क्रूड उपलब्धता का संतुलन बिठाने और क्रूड रखने पर नुकसान का खतरा कम करने के लिहाज से इष्टतम मात्रा में क्रूड रखती है.

8.4 रिफाइनरी के मुनाफे में निहित जोखिम

आपकी कंपनी को क्रूड और उत्पाद की कीमतों में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है. आपकी कंपनी ने, अधिक प्रचालन दक्षता और प्रचालन अनुशासन का प्रदर्शन किया है और उसकी लाभप्रदता के लिए ये लाजिमी हैं. लेकिन कंपनी का राजस्व, क्रूड और उत्पाद की कीमतों के बीच

मुनाफ़े पर भी निर्भर होता है. हालांकि अनुमान लगाया गया है कि देश में मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि में ईंधन की मांग में वृद्धि होगी, लेकिन देश के अंदर अथवा क्षेत्र के अंदर अल्पावधि मांग और आपूर्ति में असंतुलन होगा जिसका उत्पाद के मुनाफ़े पर और एक अथवा उससे अधिक क्षेत्रों में राजस्व पर प्रभाव होगा. अंतर्राष्ट्रीय क्रूड कीमत में तेज़ गिरावट होने से भी आपकी कंपनी को संभाव्यत: स्टॉक में नुकसान उठाना पड़ेगा.

क्रूड तेल बाज़ारों में अस्थिरता एवं अनिश्चितता, उद्योग के लिए मामूली बात है. आपकी कंपनी, रिफ़ाइनरी मार्जिन का खतरा टालने के लिए अपनी आस्तियों की, प्रचालन की दृष्टि से अधिक उपलब्धता, इष्टतम टर्नअराउंड और बेहतर डेटा आधारित विश्लेषण के जरिए कम अनुरक्षण व्यवरोध काल सुनिश्चित कर पाई है. क्षमता उपयोग, ऊर्जा की खपत और आसुत उत्पादन के महत्वपूर्ण प्रचालन मापदंड पर, सर्वोच्च स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. रिफ़ाइनरी का डिज़ाइन काफ़ी तगड़ा है. कोकिंग यूनिट उपलब्ध होने से आपकी कंपनी के बैरल के अधस्तलज से मूल्य निष्कर्षण सुसाध्य हुआ है. इस यूनिट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कंपनी ने ईंधन तेल संबंधी MARPOL अनुबंधों का पालन किया है.

HSD और MS, आपकी कंपनी के उत्पादों का 50% बनते हैं और इसमें ATF का हिस्सा 10% है. जब अल्पावधि असंतुलन के कारण इन ईंधनों की मांग पर असर पड़ता है तब कंपनी के राजस्व और नकदी प्रवाह प्रभावित होते हैं और कंपनी अधिक फ़ायदा नहीं उठा पाती है.

विव 2019-20 को छोड़कर जब प्रोसेस किए गए क्रूड थ्रूपुट की मात्रा, अपरिहार्य घटनाओं के कारण कम रही, आपकी कंपनी अपनी आस्तियों का उनकी संस्थापित क्षमता से अधिक लगातार उपयोग करती रही है. इससे लगातार अधिकतम राजस्व उत्पन्न होगा.

8.5 जल आपूर्ति में निहित जोखिम

प्रारंभ से लेकर आज तक आपकी कंपनी, बुनियादी तौर पर अपने प्रचालन के लिए नेत्रावती से नदी जल पर निर्भर रही है. पिछले दशक में कुछ वर्षों में पर्याप्त बारिश न होने से और बढ़ती रही शहरों की आबादी ने कुछ गिने-चुने वर्षों में ग्रीष्म काल के दौरान जल की आपूर्ति पर असर पड़ा जिसके परिणामस्वरूप रिफ़ाइनरी का आंशिक शटडाउन करना पड़ा. ऐसी अपरिहार्य घटना 2019 के ग्रीष्म काल में भी हुई. आपकी कंपनी ने कैप्टिव विलवणन संयंत्र का निर्माण शुरु किया जो विव 2020-21- में चालू होने की आशा है. इससे जल आपूर्ति में अवरोध उत्पन्न होने का खतरा कम होगा और आपकी कंपनी, निर्बाध रूप से वर्ष भर प्रचालन कर सकेगी. इस समय विलवणन संयंत्र, 6 MGD क्षमता के लिए बनाया जा रहा है जिसमें भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा. विलवणन संयंत्र की ऑफसाइट सुविधाएं, 15 MGD की परम क्षमता के लिए बनाई गईं हैं जो भविष्य में रिफ़ाइनरी विस्तार की जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी. इसके अलावा, आपकी कंपनी, अपने प्रचालनों के लिए मंगलूरु नगर से करीब 3.5 MGD, उपचारित STP जल भी ले रही है. इन तमाम व्यापक उपायों से जल की प्रतिकूल स्थिति में आपकी कंपनी की संवेदनशीलता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी.

9. आंतरिक नियंत्रक प्रणालियाँ

कंपनी ने सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण समीक्षा तंत्र अपनाया है जिससे प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण माहौल का आश्वासन दिया जा सकेगा. आपकी कंपनी, अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र में लगातार सुधार कर उन्नयन करती रही है जिससे कि प्रबंधन की प्रभावकारिता और दक्षता, प्रचालन और वित्तीय स्थिति पर भरोसेमंद रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके और उच्च स्तरीय कानूनी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन हासिल किया जा सके. आपकी कंपनी ने, अपने आकार और प्रचालन के स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां अपनाई हैं.

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की देखरेख, लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है जो निदेशक मंडल को संगठन के जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और अभिशासन संबंधी प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशालिता पर स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और उचित आश्वासन दिलाने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता पर लगातार निगरानी रखती है. लेखा परीक्षा समिति, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण माहौल की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा संबंधी सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखती है.

10.0 सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

10.1 सहायक कंपनी

आपकी कंपनी के OMPL में पहले की भांति 51% इक्विटी शेयर हैं जब कि ONGC के 49% इक्विटी शेयर हैं. ओएमपीएल ने मंगलूर के विशेष आर्थिक ज़ोन में 914 KTPA पैरा-ज़ाइलीन और 283 KTPA बेंज़ीन की वार्षिक क्षमता के साथ ऐरोमैटिक कांप्लेक्स की स्थापना की है. प्रचालन से राजस्व, विव 2018-19 के ₹ 8,567 करोड़ के मुकाबले विव 2019-20 में ₹ 4,954 करोड़ रहा. कंपनी ने विव 2018-19 के ₹ 21 करोड़ के कर उपरांत लाभ की तुलना में विव 2019-20 में ₹ 1,400 करोड़ की हानि उठाई. चीन में क्षमता में वर्धन, क्रूड की वाष्पशीलता और अमेरिका-चीन के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण पैराक्ज़ाइलीन और बेंज़ीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में एकदम गिरावट के निमित्त ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई. लेकिन कंपनी नए उत्पाद अर्थात्; निर्यात बाज़ार में पैराफ़िन रैफिनेट तथा देशी बाजार में भारी ऐरोमैटिक्स बेचना शुरु किया. कंपनी ने पिछले 4 वर्षों में शून्य LTI का उत्कृष्ट संरक्षा रेकॉर्ड बरकरार रखा है.

10.2 संयुक्त उद्यम

कंपनी के दो संयुक्त उद्यम हैं जैसे शेल्ल बी.वी. नेदरलैंड्स के साथ शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL), जहां आपकी कंपनी की शेयर पूँजी 50% और खाड़ी तेल के साथ मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (MRSL), जो एक हिंदूजा समूह की कंपनी है जिसमें आपकी कंपनी की शेयर पूँजी 18.98% है. SMAFSL के खातों का, एमआरपीएल के खातों के साथ समेकन किया गया है.

10.2.1 शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

कंपनी की, शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ़्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लि. में 50% इक्विटी शेयर पूंजी और शेष पूंजी, शेल्ल गैस BV नेदरलैंड और उसकी सहबद्ध कंपनियों में है. SMAFSL, भारत के कई हवाई अड्डों पर देशी और अंतर्राष्ट्रीय एअरलाइनों, दोनों के लिए एविएशन टर्बाईन ईंधन (ATF) की आपूर्ति करती है और भारत के हवाई अड्डों की अंतर्राष्ट्रीय विमानन ईंधन की अपेक्षाओं के लिए ठेका कंपनी के रूप में काम करती है. ₹ 1.68 करोड़ के कर पूर्व लाभ (पिछले वर्ष ₹ 3 करोड़) और ₹ 1.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.59 करोड़) के कर उपरांत लाभ के साथ विव 2019-20 की कुल आय, पिछले वर्ष के ₹ 718.99 करोड़ के मुकाबले ₹ 823.58 करोड़ रही.

10.2.2 मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड(MRSL)

2017-18 के दौरान कंपनी ने मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड (MRSL) में अपना शेयरधारण 18.98% तक घटाया और तदनुसार इस समय MRSL, एमआरपीएल की सहबद्ध कंपनी नहीं है. MRSL ने अब तक वाणिज्यक प्रचालन शुरु नहीं किया है.

11.0 मानव संसाधन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी का अपने तमाम कर्मचारियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इसके सबूत के तौर पर, इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

कुल कर्मचारियों की संख्या 1942 रही जिनमें 131 महिला कर्मचारी, 274 अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी और 31 शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारी हैं. 878 कर्मचारी, प्रबंधन संवर्ग के हैं जब कि 1064 कर्मचारी गैर-प्रबंधन संवर्ग के हैं.

12.0 अग्रदर्शी बयान

भविष्य के बारे में उम्मीदों अथवा प्रक्षेपणों को लेकर दिए गए ऐसे तमाम बयान जो वृद्धि, उत्पाद विकास, बाजार की स्थिति, व्यय और वित्तीय परिणामों के लिए कंपनी की रणनीति तक सीमित न हों, अग्रदर्शी बयान माने जाएंगे. चूंकि ये बयान, भावी घटनाओं को लेकर की गई कुछ परिकल्पनाओं और उम्मीदों पर आधारित हैं इसलिए कंपनी, यह गारंटी नहीं दे सकती कि ये सही हैं या इनको साकार किया जाएगा. कंपनी के वास्तविक परिणामों, निष्पादन अथवा उपलब्धियों में, अग्रदर्शी बयानों में किए गए प्रक्षेपणों से फर्क हो सकता है. कंपनी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह, भावी घटनाओं, सूचना अथवा गतिविधियों के आधार पर दिए गए इन बयानों में से किसी में सार्वजनिक रूप से संशोधन, रूपांतरण अथवा परिवर्तन करे. जब तक कानून में अपेक्षा न की गई हो, कंपनी, इन अग्रदर्शी बयानों को अद्यतन बनाने के प्रति अपने दायित्व का दावा नहीं करता है.

निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. हमारे निगमित अभिशासन का सिद्धांत

निगमित अभिशासन में प्रणालियों और पद्धतियों का समावेश होता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के कामकाज इस तरह से निभाया जा रहा है जिससे व्यापक रूप से तमाम लेन-देनों में जिम्मेवारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता नजर आए. एमआरपीएल, हिस्सेदारों की हितों का संरक्षण और प्रवर्तन करते समय शेयरधारकों के मूल्य बढ़ाने के साथ-साथ नैतिकता और आचरण संहिता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बरकरार रखता है. निगमित अभिशासन के बारे में कंपनी का सिद्धांत है, हिस्सेदार का मूल्य बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य से अपने प्रचालन के हर एक आयाम में सर्वाधिक पारदर्शिता, जिम्मेवारी और नैतिकता हासिल करना.

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) (LODR) विनियम, 2015 **[SEBI LODR) विनियम, 2015]** में निगमित अभिशासन के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन का पालन करती है. SEBI (LODR) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अलावा, कंपनी, कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों, एक महिला स्वतंत्र निदेशक की उपलब्धता तथा SEBI (LODR) विनियम, 2015 के अनुसार 15/10/2019 तक जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना की बात को छोड़कर बाकी के मामलों में, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (DPE), भारत सरकार,द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (CPSEs) के लिए कंपनी अभिशासन पर दिशानिर्देशों का भी पालन करती है. एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (CPSE) होने के नाते, कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है. एमआरपीएल के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का मामला, प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया गया है.

कंपनी की यह मान्यता है कि निगमित अभिशासन के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सुविज्ञ एवं स्वतंत्र बोर्ड की ज़रूरत है. कंपनी का निदेशक मंडल, निगमित अभिशासन की बेहतरीन पद्धतियां अपनाने में सर्वोपरि है. इस प्रकार से बोर्ड, प्रबंधन के कामकाज पर निगरानी रखता है और हमारे हिस्सेदारों के दीर्घावधि हितों की रक्षा करता है.

कंपनी के निगमित अभिशासन का ढांचा, नीचे उल्लिखित सिद्धांतों पर बनाया गया है:

- शेयरधारकों के अधिकारों का संरक्षण करना और इनका प्रयोग करना सुसाध्य बनाना.
- पारदर्शी प्रणाली और मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता; जिसमें हिस्सेदारों के अधिकारों को मान्यता दी जाती है और कंपनी एवं हिस्सेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है;
- कंपनी की वित्तीय स्थिति, निष्पादन और अभिशासन सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, वक़्त पर और ठीक तरह से प्रकट करना;
- ईमानदारी और जिम्मेवारी पर बल देते हुए आंतरिक नियंत्रण की सुदृढ़ प्रणाली के बलबूते पर काम करना;
- तमाम हिस्सेदारों को समस्त महत्वपूर्ण जानकारी वक़्त पर और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना;
- लागू कानूनों, दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- अपने हिस्सेदारों और समाज के लोगों के साथ न्याय संगत तरीके से और निष्पक्ष रूप से पेश आना;
- हिस्सेदारों के लिए प्रभावशाली मुखबिर नीतिगत तंत्र बनाना.

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, निगमित अभिशासन संबंधी मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में पारदर्शी और प्रभावशाली तरीके से अपना काम करता है. कंपनी में विस्तृत प्रत्यायोजित अधिकारों की पुस्तिका (BDP) और अन्य पुस्तिकाएं जैसे सामग्री प्रबंधन, कार्य पुस्तिका आदि हैं जिनमें प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई हैं और उस स्तर को परिभाषित किया गया है जिस स्तर पर (मंडल/निदेशक समिति/कार्यात्मक निदेशक) फैसला लिया जाता है और वक़्त-वक़्त पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनको अद्यतन बनाकर संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है. कंपनी के बोर्ड पर 6 समितियां हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर बोर्ड को, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देती है.

अ 31/03/2020 को अन्य निदेशक पद के साथ निदेशकों की संरचना : 13

कार्यकारी निदेशक	:	03
गैर-कार्यकारी निदेशक	:	10

आ. 31/03/2020 को निदेशक मंडल

निदेशक का नाम और DIN	श्रेणी	कुशलता/विशेषज्ञता/सक्षमता	सं.	अन्य निदेशक पद		बाह्य समितियां	
				कंपनी का नाम	पदनाम	समिति का नाम	पदनाम
श्री शशि शंकर DIN: 06447938	अध्यक्ष, गैर-कार्यपालक	• ई एण्ड पी की गतिविधियों में 30 वर्ष से अधिक वैविध्यपूर्ण अनुभव के साथ उद्योग के एक दिग्गज हैं. • ये, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (ISM), धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियर हैं. • इन्होंने वित्त को एक विशेष विषय के साथ एमबीए डिग्री हासिल की है. • इन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ और इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस, हैदराबाद से कार्यपालक शिक्षा प्राप्त की है. • ओएनजीसी में 2012 में निदेशक (टी एंड एफएस) के रूप में नियुक्त होने से पहले, इन्होंने इंस्टिट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, देहरादून, पश्चिम बंगाल परियोजना; असम परियोजना और मुंबई में डीप वाटर ग्रूप सहित विभिन्न कार्य केंद्रों में वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिकाओं के माध्यम से प्रगति की है. • 'सागर समृद्धि' नाम के साए तले ओएनजीसी के डीप/अल्ट्रा वाटर डीप अभियान में अगुवाई करने में इनके निष्पादन की प्रशंसा की गई थी.	7	1. आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				2. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड.	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				3. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड.	अध्यक्ष और निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				4. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष व निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				5. ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड	अध्यक्ष व निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				6. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	अध्यक्ष व निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				7. पेट्रोनेट LNG लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
श्री एम वेंकटेश DIN 07025342	प्रबंध निदेशक कार्यपालक	• ये एक केमिकल इंजीनियर हैं जिनको तेल और गैस क्षेत्र में तीन दशकों से भी अधिक तजुरबा है. • ये, 1994 से एमआरपीएल से जुडे हैं और इन्होंने सभी प्रमुख परियोजनाओं को अंजाम दिया.	4	1. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	निदेशक	नामांकन और पारिश्रमिक	अध्यक्ष
				2. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	अध्यक्ष	कुछ नहीं	लागू नहीं
				3. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	निदेशक	नामांकन और पारिश्रमिक	अध्यक्ष
				4. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	निदेशक	नामांकन और पारिश्रमिक	सदस्य
श्री एम विनयकुमार DIN 08225 553	निदेशक (रिफ़ाइनरी) कार्यपालक	• इनको रिफ़ाइनरी प्रचालन के विभिन्न पहलुओं में 30 वर्ष से अधिक अनुभव है.	2	1. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
						नामांकन और पारिश्रमिक	सदस्य
				2. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
						नामांकन और पारिश्रमिक	सदस्य

निदेशक का नाम और DIN	श्रेणी	कुशलता/विशेषज्ञता/सक्षमता	सं.	अन्य निदेशक पद		बाह्य समितियां	
				कंपनी का नाम	पदनाम	समिति का नाम	पदनाम
श्रीमती पोमिला जसपाल DIN 08436633	निदेशक (वित्त) कार्यपालक	• श्रीमती पोमिला जसपाल, एक लागत लेखाकार हैं जो ओएनजीसी समूह के तहत एक अनुसूची 'क' मिनीरत्न कंपनी, एमआरपीएल में, निदेशक (वित्त) के रूप में काम कर रही हैं जिनको प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह प्रचालन के प्रचालन एवं विनियामक ढ़ांचे, दोनों में तेल एवं गैस क्षेत्र में 35 वर्षों का अनुभव है. इनको OMPL और PMHBL के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया. • एमआरपीएल में कदम रखने के बाद इन्होंने बाजार एवं भारत बांड ETF से एमआरपीएल का ₹ 3,000 करोड़ का प्रथम NCD निर्गम कार्य संभाला और बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर धनराशि जुटाने में मदद की. इन्होंने ₹ 1,200 करोड़ के OMPL के CCD निर्गम पर भी निगरानी रखी. • इनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को बेहद मान्यता मिली है जिसकी बदौलत ये सीधे अपने कार्य क्षेत्र में योगदान दे पाती हैं. ICMAI की अधि सदस्य हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ICMAI से स्वर्गीय श्रीमती धनपति गोयल स्वर्ण पदक हासिल किया है. इन्होंने MCM DAV कॉलेज, चंडीगढ़ से B.Com (हॉनर्स) और पंजाब विश्वविद्यालय से M.Com. डिग्री हासिल की. इन्होंने थोड़े समय तक डिग्री कॉलेज में अध्यापक की हैसियत से काम किया. • इन्होंने ओएनजीसी में 1985 में वित्त और लेखा अधिकारी के रूप में कदम रखा और कार्यपालक निदेशक - मुख्य कार्पोरेट वित्त के प्रतिष्ठित पद तक बढ़त हासिल की. इनको ओएनजीसी में इतने चोटी का पद हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है. ये, OPAL के बोर्ड पर भी रहीं. • अपनी प्रारंभिक अवधि के दौरान, ओएनजीसी अकादमी में 3 महीने का आरंभिक प्रशिक्षण पाने के बाद इनको प्रधान कार्यालय, देहरादून में तैनात किया गया जहां इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य संभाले और बाद में JVOG, मुंबई में संयुक्त उद्यम समूह में यही सिलसिला जारी रखा. आगे चलकर इनको, हाइड्रोकार्बन महा निदेशालय (DGH) में उसके रचनात्मक वर्षों में प्रतिनियुक्त किया गया जहां इनको अपने कुशलताएं दिखाने का मौका मिला. इन्होंने उत्पादन साझा करने वाले ठेके (PSC) विकसित करने में मदद की जिसे कई पूर्व-NELP व NELP खंडों में एक आधार दस्तावेज के रूप में अपनाया गया. बाद में इनको MoP&NG के ठेका कक्षा में प्रतिनियुक्त किया गया जहां इन्होंने गैस कीमत निर्धारण के विभिन्न क्षेत्रों में, रंगराजन समिति, गैस उपयोग नीति, रॉयल्टी समिति, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में नीतियां बनाकर उनका सुचारु रूप से कार्यान्वयन करने और सरकार को मिलने वाले रॉयल्टी एवं पेट्रोलियम लाभ पर निगरानी रखने का काम संभाला.	2	1.ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
				2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं

निदेशक का नाम और DIN	श्रेणी	कुशलता/विशेषज्ञता/सक्षमता	सं.	अन्य निदेशक पद		बाह्य समितियां	
				कंपनी का नाम	पदनाम	समिति का नाम	पदनाम
		• इनको, ओएनजीसी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, ओएनजीसी विदेश में काम करने, परियोजना वित्त के प्रभारी का काम संभालने, लगभग सभी समुद्रपारीय परियोजनाओं (अन्वेषण और विकास) का क्रियान्वयन करने का असीम अनुभव है और इन्होंने OVL का नये अधिग्रहण का कार्य और क्रियान्वयन निर्बाध रूप से करने में सक्रिय भूमिका निभाई. बाद में इन्होंने, असम असेट, ओएनजीसी के वित्त की बागडोर संभाली और यह चुनौतीपूर्ण कार्य 4 वर्ष तक संभाला. • अपने बहुविध व्यक्तित्व की बदौलत ये उन सभी महिला अधिकारियों के लिए आशा की एक किरण है जो सपने बुनती हैं और यह सपने, महज कड़ी मेहनत से और केंद्रित दृष्टिकोण से साकार करना चाहती हैं.					
श्री सुभाष कुमार DIN 07905656	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक	• ये ओएनजीसी में निदेशक (वित्त) हैं. • ICMAI के अधि सदस्य हैं. • ICSI के सह सदस्य हैं. • पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के पूर्व छात्र हैं जहां इन्होंने स्वर्ण पदक के साथ स्नातक पदवी और मास्टर डिग्री हासिल की. • ये, व्यावसायिक विकास, वित्त और बजट के प्रमुख रहें और साथ ही अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक ओएनजीसी विदेश में ख़जाना आयोजना और संविभाग प्रबंधन समूह की बागडोर संभाली. • बाद में इन्होंने मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड में, जो ओएनजीसी विदेश और चीन के सिनोपैक का 50:50 संयुक्त उद्यम है, सितंबर 2006 से मार्च 2010 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम किया. • इन्होंने जुलाई 2016 में वापस ओएनजीसी में मुख्य वाणिज्यिक और खजाने के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालना जहां इन्होंने संगठन के बाकी मुद्दों का मूल्यांकन करने, उनको बातचीत से सुलझाने और उनको अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.	6	1. आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	हिस्सेदारों की रिश्तेदारी	सदस्य
				2. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी नामिती निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				3. ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड	ओएनजीसी के नामिती निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
				4. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड	ओएनजीसी के नामिती निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
				5. मंगलूर एस्सईज़ड़ लिमिटेड	ओएनजीसी के नामिती निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
				6. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	ओएनजीसी के नामिती निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं

निदेशक का नाम और DIN	श्रेणी	कुशलता/विशेषज्ञता/सक्षमता	सं.	अन्य निदेशक पद		बाह्य समितियां	
				कंपनी का नाम	पदनाम	समिति का नाम	पदनाम
श्री विनोद एस. शेणै DIN 07632981	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक	• इन्होंने, IIT, मुंबई से केमिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल की है. • अपने 30 वर्ष से अधिक करियर में इन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के रिफ़ाइनरी प्रभाग और कार्पोरेट विभाग में विभिन्न पदों पर काम किया एवं इनको पेट्रोलियम उद्योग में व्यापक अनुभव है.	6	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	पूर्णकालिक निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				2. HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				3. प्राइज़ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				4. रत्नागिरी रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				5. HPCL राजस्थान रिफ़ाइनरी लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				6. HPCL बायो फ्यूएल्स लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
श्री विजय शर्मा DIN 08045837	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक	• इन्होंने इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की है और ये IRAS रेलवे सेवा 2001, केडर के हैं. • इनको करीब 17 वर्ष का अनुभव है और इस अवधि में, इन्होंने प्रशासन, रिफ़ाइनरी, उत्पाद शुल्क और सतर्कता के कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की. • ये, इस समय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के गैस कीमत निर्धारण प्रभाग में निदेशक (GP) की हैसियत से काम कर रहे हैं.	1	बालमेर लॉरी और कंपनी लिमिटेड	सरकारी नामिती निदेशक	हिस्सेदारों की रिश्तेदारी	सदस्य
						नामांकन और पारिश्रमिक	सदस्य

<table>
<tr><th rowspan="2">निदेशक का नाम और DIN</th><th rowspan="2">श्रेणी</th><th rowspan="2">कुशलता/विशेषज्ञता/सक्षमता</th><th rowspan="2">सं.</th><th colspan="2">अन्य निदेशक पद</th><th colspan="2">बाह्य समितियां</th></tr>
<tr><th>कंपनी का नाम</th><th>पदनाम</th><th>समिति का नाम</th><th>पदनाम</th></tr>
<tr><td rowspan="2">श्री सुनील कुमार

DIN
08467559</td><td rowspan="2">गैर-कार्यपालक

नामिती निदेशक</td><td rowspan="2">• ये IRAS (1995 बैच) हैं और इस समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली में मई 2019 से संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं.
• ये, IIT(ISM), धनबाद से प्रौद्योगिकी स्नातक (पेट्रोलियम ऊर्जा) हैं, NIFM, फ़रीदाबाद से वित्तीय प्रबंधन किया है.
• बीआई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ओस्लो, नॉर्वे से व्यावसायिक प्रशासन में मास्टर पदवी हासिल की है.
• ESCP-EAP, पेरिस, फ्रांस से कार्यपालक यूरोपियन एमबीए हासिल किया है.

• IIPA, नई दिल्ली से सार्वजनिक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा.
• बीजिंग जीयोटांग विश्वविद्यालय, बीजिंग, चीन से लॉजिस्टिक सिम्युलेशन एण्ड प्लानिंग.
• संयुक्त सचिव (रिफ़ाइनरी) होने के नाते ये, रिफ़ाइनरी, ऑटो ईंधन नीति, पेट्रोकेमिकल्स, क्रूड तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात; जैव ईंधनों, नवीकरणीय ऊर्जा और संरक्षण, एकीकृत ऊर्जा नीति; जलवायु में परिवर्तन और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति से जुडे मामलों की देखभाल कर रहे हैं.
• MoP&NG में कदम रखने से पहले इन्होंने भारतीय रेलवे में रेलवे बोर्ड में निदेशक वित्त व्यय सहित विभिन्न पदों पर और भारतीय रेलवे की लेखाकरण सुधार के मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में काम किया.</td><td rowspan="2">2</td><td>1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड</td><td>निदेशक</td><td>कुछ नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड.</td><td>निदेशक</td><td>कुछ नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>श्री बलबीर सिंह

DIN
07945679</td><td>गैर-कार्यपालक

स्वतंत्र निदेशक</td><td>• इन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री, एम.फिल और पीएच.डी हासिल की है और इनको 40 वर्ष से अधिक अध्यापन अनुभव है.
• इन्होंने विभिन्न आर्थिक सामाजिक विषयों पर कई किताबें लिखी हैं और लेख लिखे हैं.

• इनको शैक्षिक क्षेत्रों में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और मान्यताएं मिली हैं.

• ये, अर्थशास्त्र और अनुसंधान में स्नातकोत्तर अध्ययन विभाग, D.N.P.G. कॉलेज, गुलोथी(बुलंद शहर) उ.प्र. में प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए.</td><td>कुछ नहीं</td><td>कुछ नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>कुछ नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
</table>

निदेशक का नाम और DIN	श्रेणी	कुशलता/विशेषज्ञता/सक्षमता	सं.	अन्य निदेशक पद		बाह्य समितियां	
				कंपनी का नाम	पदनाम	समिति का नाम	पदनाम
डॉ. जी.के. पटेल DIN 07945704	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	• ये एम.एस. (ऑर्थोपेडिक्स) हैं, जो गुजरात के मेहसाना में जी के ऑर्थोपेडिक अस्पताल के मुखिया हैं. डॉ. जी.के. पटेल, मेहसाना नगरपालिका, गुजरात ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल संघ, मेहसाना के भूतपूर्व-अध्यक्ष रहे हैं.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
श्री वी. पी. हरन DIN 07710821	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	• ये, भारतीय विदेशी सेवा (IFS) के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. • इन्होंने कंपनी सचिव और लागत लेखाकार की अर्हता हासिल की है. • इन्होंने सिरिया और भूतान में भारतीय राजदूत के रूप में सेवा की है. • इस समय, श्री वी.पी. हरन, मद्रास फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड और MSTC लिमिटेड के स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (IEM) के रूप में काम कर रहे हैं.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
श्री सेवा राम DIN 01652464	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	• ये, एमपी केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. • भारतीय प्रशासनिक सेवा में कदम रखने से पहले इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक और भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) में अधिकारी के रूप में काम किया. • इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में विभिन्न हैसियत से काम किया है. • इस समय, श्री सेवा राम, मुर्मगावो लिमिटेड के स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (IEM) के रूप में काम कर रहे हैं.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
श्री आर.टी. अगरवाल DIN 01937329	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	• ये पेशे से सनदी लेखाकार हैं जिनको कार्पोरेट वित्त और लेखा कार्यों में 35 वर्ष से अधिक अनुभव है. • ये, 29 जुलाई 2011 से सेवानिवृत्ति होने तक भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक ' नवरत्न ' कंपनी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि (PGCIL) में पूर्ण कालिक निदेशक (वित्त) रहें.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं

<table>
<tr><th rowspan="2">निदेशक का नाम और DIN</th><th rowspan="2">श्रेणी</th><th rowspan="2">कुशलता/विशेषज्ञता/सक्षमता</th><th rowspan="2">सं.</th><th colspan="2">अन्य निदेशक पद</th><th colspan="2">बाह्य समितियां</th></tr>
<tr><th>कंपनी का नाम</th><th>पदनाम</th><th>समिति का नाम</th><th>पदनाम</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>• दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण कंपनी, PGCIL के कार्यात्मक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले इन्होंने PGCIL में वित्त कामकाज संभाला और साथ ही NTPC में विभिन्न हैसियत से काम किया. वर्ष 2015 में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से 'CFO - विद्युत क्षेत्र पुरस्कार' हासिल किया.

• PGCIL की प्रारंभिक पेशकश (IPO) में सहयोग किया और बाद में वर्ष 2013 में , अनुवर्ती पेशकश (FPO) का निर्वाह किया. PGCIL के अधिक पूंजीगत परिव्यय के कारण विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, (ADB), IFC, KfW, जर्मनी जैसी बहुपक्षीय वित्तपोषक संस्थाओं सहित देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संसाधन जुटाने का काम किया जिससे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17% से अधिक CAGR हासिल किया गया. PGCIL का पहला विदेशी मुद्रा बांड जारी किया और बांड को सिंगपूर शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया.
• इन्होंने कंपनी में बेहतरीन अभिशासन पद्धतियां अपनाने की खातिर कंपनी ख़ज़ाना प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा कामकाज सहित वित्त कामकाज में विभिन्न वित्तीय प्रबंधन प्रणालियां और क्रियाविधियां भी लागू कीं.
• इन्होंने PGCIL में प्रतिष्ठान व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली भी लागू की.

• देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकर्ताओं, और विश्लेषकों, दोनों के साथ नियमित रूप से और वक्त-वक्त पर इनका चर्चा की बदौलत कंपनी में निवेशकर्ताओं का भरोसा बढ़ गया है जिससे PGCIL के स्टॉक, भारतीय विद्युत क्षेत्र में सबसे पसंदीदा स्टॉक हो गए हैं.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

टिप्पणी: सिर्फ़ लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति से संबंधित सदस्यता/अध्यक्ष पद पर विचार किया जाता है.

(i) SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार नए निदेशक की नियुक्ति अथवा निदेशक की पुनर्नियुक्ति के विवरण

नियुक्त अथवा पुन:नियुक्त किए जाने वाले नीचे उल्लिखित निदेशकों का संक्षिप्त सारवृत्त जैसे उनकी अर्हता, विशेषज्ञता, उन कंपनियों के नाम जिनके बोर्ड पर वे अध्यक्ष/निदेशक रहें और बोर्ड की उप-समिति के अध्यक्ष/निदेशक रहें, इन कंपनियों में इनका शेयरधारण और शेयर बाजार से संबंधित SEBI (LODR) नियम, 2015 के विनियम 36(3) का परस्पर अनुसरण करते हुए निदेशक के बीच संबंध, 32वीं वार्षिक महासभा संबंधी नोटिस में दिया गया है.

- श्री विनोद एस शेणै (DIN: 07632981), आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं.
- श्री सुभाष कुमार (DIN: 07905656), आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं.
- श्रीमती पोमिला जसपाल (DIN: 08436633), श्री सुनील कुमार (DIN : 08467559) और श्री संजय वर्मा (DIN: 05155972) को, जिनको अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, निदेशक के रूप में पुन:नियुक्त करने का प्रस्ताव है.

(ii) गत निदेशक

निदेशक	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक	श्रेणी	अन्य निदेशक पदों की संख्या		बाह्य समितियों की संख्या	
			सार्वजनिक	निजी	सदस्य	अध्यक्ष
श्री के. एम. महेश	गैर कार्यपालक	सरकारी नामिती निदेशक	-	-	-	-
श्री संजय कुमार जैन	गैर कार्यपालक	सरकारी नामिती निदेशक	-	-	-	-
सुश्री मंजुला सी.	गैर कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
श्री विवेक मल्या	गैर कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	1	-	1	-

(iii) 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

निदेशक	नियुक्ति तारीख	कब से निदेशक नहीं रहें	कार्यकाल	टिप्पणियां
श्री एम विनयकुमार	11-07-2019	लागू नहीं	31.05.2020 तक अर्थात्; सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	निदेशक (रिफाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया.
श्रीमती पोमिला जसपाल	15/10/2019	लागू नहीं	31.01.2024 तक अर्थात्; इनकी सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया.
श्री विजय शर्मा	08/01/2020	लागू नहीं	तीन वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एमआरपीएल के बोर्ड पर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

निदेशक	नियुक्ति तारीख	कब से निदेशक नहीं रहे	कार्यकाल	टिप्पणियां
श्री सुनील कुमार	17/10/2019	लागू नहीं	तीन वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एमआरपीएल के बोर्ड पर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
श्री आर टी अगरवाल	12-07-2019	लागू नहीं	तीन वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एमआरपीएल के बोर्ड पर गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
श्री के.एम. महेश	24/11/2017	17/10/2019	नियुक्ति तारीख से 3 वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	नियुक्ति प्राधिकारी ने नामांकन वापस लिया
श्री विवेक मल्या	07/01/2019	30/01/2020	ONGC के बोर्ड पर गैर-सरकारी निदेशक के रूप में इनके कार्यकाल तक अर्थात् 30/01/2020 तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक जो भी पहले हो.	कार्यकाल की समाप्ति
श्री संजय कुमार जैन	24/11/2017	08/01/2020	नियुक्ति तारीख से 3 वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	नियुक्ति प्राधिकारी ने नामांकन वापस लिया
सुश्री मंजुला सी.	31/01/2017	31/01/2020	नियुक्ति तारीख से 3 वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	कार्यकाल की समाप्ति

iv) 31/03/2020 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

- श्री संजय वर्मा को 9/06/2020 से निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री एम. विनय कुमार ने, 31/05/2020 को सेवानिवृत्ति की उम्र होने पर निदेशक (रिफ़ाइनरी) का पद त्याग दिया.
- नामांकन प्राधिकारी द्वारा नामांकन वापस लेने पर श्री विजय शर्मा, 04/08/2020 से निदेशक नहीं रहें.

(इ) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की बैठकों और 03-08-2019 को संपन्न 31वीं वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति.

(i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2019-20 के दौरान, मंडल की छह (6) बैठकें हुई.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	स्थान
11-04-2019	223	नई दिल्ली
13/05/2019	224	नई दिल्ली
18/06/2019	225	नई दिल्ली
03-08-2019	226	मंगलूरु
04/11/2019	227	नई दिल्ली
03/02/2020	228	नई दिल्ली

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति.

निदेशक	कितनी बोर्ड बैठकों में भाग लिया	पिछली AGM में भाग लिया
श्री शशि शंकर	6	हां
श्री एम. वेंकटेश	6	हां
श्री एम. विनयकुमार*	3	हां
श्रीमती पोमिला जसपाल*	2	लागू नहीं
श्री विनोद एस. शेणै	6	हां
श्री सुभाष कुमार	6	हां
श्री सुनील कुमार*	1	लागू नहीं
श्री विजय शर्मा*	1	लागू नहीं
श्री वी.पी. हरन	6	हां
श्री सेवा राम	6	हां
डॉ. जी.के. पटेल	6	हां
श्री बलबीर सिंह	6	हां
श्री आर. टी. अगरवाल*	3	हां

* श्री एम विनयकुमार को 11-07-2019 से निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया.

* श्रीमती पोमिला जसपाल को 15/10/2019 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया.

* श्री सुनील कुमार को एमआरपीएल के बोर्ड पर 17/10/2019 से गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकारी नामिती) के रूप में नियुक्त किया गया.

* श्री आर. टी. अगरवाल को 12/07/2019 से एमआरपीएल के बोर्ड पर गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

* श्री विजय शर्मा को एमआरपीएल के बोर्ड पर 08/01/2020 से गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकारी नामिती) के रूप में नियुक्त किया गया.

(iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान गत निदेशकों की उपस्थिति.

निदेशक	कितनी बैठकों में भाग लिया	क्या पिछली AGM में भाग लिया
श्री के. एम. महेश	3	हां
श्री संजय कुमार जैन	2	हां
सुश्री मंजुला सी.	5	हां
श्री विवेक मल्या	5	हां

नोट: श्री के. एम. महेश, श्री संजय कुमार जैन, सुश्री मंजुला सी. और श्री विवेक मल्या, एमआरपीएल के बोर्ड पर, क्रमश: 17/10/2019, 08/01/2020, 31/01/2020 और 30/01/2020 से निदेशक नहीं रहें.

ई. निदेशकों के बीच संबंध का प्रकटन

बोर्ड के निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है.

उ. निदेशक का शेयरधारण:

31/03/2020 को कंपनी में निदेशक का शेयरधारण

निदेशक का नाम	धारित कुल शेयर
श्री एम. विनयकुमार	200

ऊ. स्वतंत्र निदेशक

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (CPSE) है जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार के अधीन है. इस समय एमआरपीएल के बोर्ड पर पांच (5) स्वतंत्र निदेशक हैं. सभी स्वतंत्र निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI (LODR)विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के बारे में मानदंड पूरा करते हैं. विव 2019-20 के लिए स्वतंत्र निदेशकों और गैर-स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन, सेबी परिपत्र दिनांक 05/01/2017 में दिए गए मूल्यांकन संबंधी मापदंडों के अनुसार किया गया है.

3. लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति ("the Audit Committee") को कंपनी की आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस समिति का कोरम, अधिकार, भूमिका और व्याप्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुसार है. लेखा परीक्षा समिति के सारे सदस्य, वित्तीय दृष्टि से साक्षर हैं और वित्त, कराधान, अर्थशास्त्र, जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं.

क) विचारार्थ विषय:

लेखा परीक्षा समिति, अन्य बातों के साथ-साथ ये कार्य करती है जैसे वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा योजना के लिए अनुमोदन देना, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करना, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों पर चर्चा करना, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ परस्पर विचार–विमर्श करना. लागत लेखा परीक्षकों/आंतरिक लेखा परीक्षकों/साचिविक लेखा परीक्षकों की समीक्षा कर उनकी नियुक्ति की सिफारिश करना और उनके पारिश्रमिक की समीक्षा और सिफ़ारिश करना, कारोबार जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करना, विदेशी मुद्रा नीति की समीक्षा करना, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए उल्लेखनीय लेन-देन की समीक्षा करना. बोर्ड ने, लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा CPSE के लिए निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का प्रभावशाली ढंग से पालन करने के प्रयोजन से बनाया है. इस भूमिका का निर्वाह करने के लिए, लेखा परीक्षा समिति को अधिकार है कि वह, अपने विचारार्थ विषय के अंदर किसी भी गतिविधि की तहकीकात करे, कर्मचारियों से जानकारी मांगे और बाहर से कानूनी और पेशेवर सलाह पाए.

ख) 31/03/2020 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना

समिति का विव 2019-20 के दौरान पुनर्गठन किया गया. वर्ष के दौरान परिवर्तन सहित समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री वी. पी. हरन	**अध्यक्ष**
श्री सेवा राम	सदस्य
श्री आर. टी. अगरवाल (08/01/2020 से)	सदस्य
श्री विवेक मल्या (30/01/2020 तक)	सदस्य
श्री सुनील कुमार (08/01/2020 से 27/01/2020 तक)	सदस्य
श्री के. एम. महेश (17/10/2019 तक)	सदस्य
श्री बलबीर सिंह (08/01/2020 तक)	सदस्य

ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की, एक (1) स्थगित बैठक सहित नौ (9) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
03/04/2019	102	5
13/05/2019	103	5
13/06/2019	104	5
02/08/2019	105	4
03/08/2019 (स्थगित)	105	5
25/10/2019	106	4
04/11/2019	107	4
03/12/2019	108	4
29/01/2020	109	3
03/02/2020	110	3

घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री वी. पी. हरन	9
श्री सेवा राम	9
श्री आर. टी. अगरवाल (08/01/2020 से)	2
श्री विवेक मल्या (30/01/2020 तक)	7
श्री सुनील कुमार (27/01/2020 तक)	0
श्री के. एम. महेश (17/10/2019 तक)	4
श्री बलबीर सिंह (08/01/2020 तक)	7

4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

एमआरपीएल, ' अनुसूची क' का, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 19 तथा CPSE के लिए निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने, अप्रैल, 2009 में पारिश्रमिक समिति का गठन किया.

बोर्ड की महत्वपूर्ण अर्हताएं, विशेषज्ञता और गुण

SEBI (LODR) विनियम, 2015 का अनुसरण करते हुए बोर्ड की महत्वपूर्ण अर्हताओं, विशेषज्ञता और गुणों का निगमित अभिशासन रिपोर्ट में उल्लेख करना पड़ेगा.

एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशकों का नामांकन, प्रशासनिक मंत्रालय, MOP&NG द्वारा किया जाता है. एमआरपीएल के बोर्ड पर अर्हता प्राप्त सदस्य हैं जिनको अपेक्षित कुशलताएं, सक्षमता और विशेषज्ञता हासिल है जिसके सहारे वे बोर्ड और अपनी समितियों में योगदान दे पाते हैं. बोर्ड के सदस्य, अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि एमआरपीएल बोर्ड, निगमित अभिशासन के मानकों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाता है.

नीचे दी गई तालिका में बोर्ड के निदेशकों की महत्वपूर्ण अर्हताओं, कुशलताओं और गुणों का सारांश दिया गया है :

क	वित्तीय	वित्तीय फर्म का नेतृत्व करना अथवा उद्यम के वित्तीय कार्य संभालना जिसके चलते जटिल वित्तीय प्रबंधन, पूंजीगत आबंटन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में दक्षता नज़र आए अथवा प्रधान वित्तीय लेखा अधिकारी, नियंत्रक, लोक-लेखाकार अथवा इसी तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति पर सक्रिय रूप से पर्यवेक्षण करने का अनुभव.
ख	लिंग, नैतिक, राष्ट्रीय अथवा अन्य विविधता	लिंग, नैतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व जिससे बोर्ड, ग्राहकों, साझेदारों, कर्मचारियों, सरकारी और दुनिया भर में अन्य हिस्सेदारों की विचारधारा को बेहतर समझ सके.
ग	कानूनी, जोखिम प्रबंधन	कानूनी मुद्दे सुलझाने और जोखिम का विश्लेषण करने और शमन प्रक्रिया में विशेषज्ञता.
घ	कारोबार का ज्ञान	उस माहौल का ज्ञान जिसमें कंपनी अपना प्रचालन करती हो, उद्योग की संरचना और भावी दृष्टिकोण का ज्ञान
ङ	नेतृत्व	उल्लेखनीय उद्यम में विस्तारित नेतृत्व का अनुभव जिसके चलते संगठनों, प्रक्रियाओं, योजना और जोखिम प्रबंधन की व्यावहारिक समझ हो. प्रतिभा विकसित करना, उत्तराधिकारी की योजना बनाना और परिवर्तन लाने एवं दीर्घावधि में तरक्की करने की दिशा में खूबियां दर्शाना.
च	प्रौद्योगिकी	प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय भूमिका जिसके परिणामस्वरूप यह ज्ञान हासिल किया गया हो कि प्रौद्योगिकी में भावी प्रवृत्तियों का अनुमान कैसे लगाएं, खोज कैसे करें, नयापन कैसे लाएं और व्यावसायिक मॉडेल कैसे आगे बढ़ाएं अथवा नया मॉडेल कैसे बनाएं.
छ	बोर्ड की सेवा और अभिशासन	सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड पर की गई सेवा जिससे कि बोर्ड संभालने के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित की जा सके और जिम्मेवारी का प्रबंधन किया जा सके, शेयरधारकों के हितों का संरक्षण किया जा सके और उचित अभिशासन पद्धतियों का पालन किया जा सके.
ज	बिक्री और मार्केटिंग	बिक्री और बाजार अंश बढ़ाने, ब्रांड के बारे में जागरूकता तथा इक्विटी एवं उद्यम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाने में अनुभव.

क) 31/03/2020 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना:

कंपनी ने, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के संदर्भ में नामांकन, पारिश्रमिक और समिति का गठन करने के बारे में SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 19(1)(ग) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा की पूर्ति की है. समिति का विव 2019-20 के दौरान पुनर्गठन किया गया.

वर्ष के दौरान परिवर्तन सहित समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य		श्रेणी
श्री बलबीर सिंह		**अध्यक्ष**
श्री वी. पी. हरन	(08/01/2020 को अध्यक्ष नहीं रहें जिनको 03/02/2020 को पुनर्नियुक्त किया गया)	सदस्य
श्री सेवा राम	(08/01/2020 से)	सदस्य
डॉ. जी. के. पटेल	(08/01/2020 तक)	सदस्य
श्री के. एम. महेश	(17/10/2019 तक)	सदस्य
सुश्री मंजुला सी.	(08/01/2020 को नियुक्त किया गया जो 31/01/2020 से निदेशक नहीं रहीं)	सदस्य

ख) **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के ब्यौरे**

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की चार (4) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
02/04/2019	15	4
12/06/2019	16	4
24/10/2019	17	3
29/01/2020	18	3

ग) **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उपस्थिति.**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री बलबीर सिंह	4
श्री वी. पी. हरन (08/01/2020 तक और 03/02/2020 को पुनर्नियुक्त किया गया)	3
श्री सेवा राम (08/01/2020 से)	1
डॉ. जी. के. पटेल (08/01/2020 तक)	3
श्री के. एम. महेश (17/10/2019 तक)	2
सुश्री मंजुला सी. सदस्य (08/01/2020 को नियुक्त किया गया जो 31/01/2020 से नहीं रहीं)	1

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

चूंकि कंपनी, ' अनुसूची - "क" केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है इसलिए निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रदत्त पारिश्रमिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर होता है. कंपनी की पारिश्रमिक नीति, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है.

क) **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक (बैठक शुल्क) के ब्यौरे:**

(₹ लाखों में)

स्वतंत्र निदेशक	बैठक शुल्क
श्री वी.पी. हरन	8.40
श्री सेवा राम	7.80
डॉ. जी. के पटेल	6.00
श्री बलबीर सिंह	6.00
श्री आर.टी. अगरवाल (12/07/2019 से)	2.10
सुश्री मंजुला सी. (31/01/2020 तक)	4.40
श्री विवेक मल्या (30/01/2020 तक)	4.70

ख) **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) को प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे:**

(₹ लाखों में)

विवरण	श्री एम. वेंकटेश	श्री एम. विनयकुमार	श्रीमती पोमिला जसपाल	कुल
	प्रबंध निदेशक	निदेशक (रिफ़ाइनरी) (11/07/2019 से)	निदेशक (वित्त) (15/10/2019 से)	
वेतन, भत्ते और अनुलाभ	43.30	27.85	21.36	**92.51**
भ.नि. व अन्य निधियों में अंशदान	6.18	3.93	0.14	**10.25**
कुल	**49.48**	**31.78**	**21.50**	**102.76**

ग) **सेवा संबंधी ठेके की शर्तें:**

	विवरण	प्रबंध निदेशक	निदेशक (रिफ़ाइनरी)	निदेशक (वित्त)
अ	कार्यकाल	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	नियुक्ति तारीख से अथवा सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात्; 31/05/2020 तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	नियुक्ति तारीख से अथवा सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात्; 31/01/2024 तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.
आ	नोटिस अवधि	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.
इ	पृथक्करण शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उ	स्टॉक विकल्प के ब्यौरे (अगर कोई हो तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊ	क्या बट्टे पर दिया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ऋ	कितनी अवधि में उपचित हुआ और उसे लागू किया जा सकेगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ) **स्वतंत्र निदेशकों के लाभार्थ परिचय कार्यक्रम**

स्वतंत्र निदेशकों के लाभार्थ चलाए गए परिचय कार्यक्रम के ब्यौरे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in में दिए गए हैं.

6. हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों की समीक्षा कर उनका निवारण करने की खातिर हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति का गठन करने का अधिदेश दिया गया है. सेबी(लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2018 का अनुसरण करते हुए समिति के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया गया है.

ख) **विचारार्थ विषय:**

- हिस्सेदार संबंधी समिति, कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर विचार कर उनका निवारण करेगी.
- शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, घोषित लाभांश न मिलने, नया/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों सहित सूचीबद्ध प्रतिष्ठान के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का निवारण करना.
- हिस्सेदारों द्वारा मताधिकार का प्रभावशाली प्रयोग करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना.
- रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जाती रहीं विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध प्रतिष्ठान द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना.
- अदावी लाभांश की मात्रा घटाने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/वार्षिक रिपोर्टों/सांविधिक सूचनाओं की वक्त पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध प्रतिष्ठान द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहल की समीक्षा करना.

ग) **31/03/2020 को हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति की संरचना:**

समिति का विव 2019-20 के दौरान पुनर्गठन किया गया. वर्ष के दौरान परिवर्तन सहित समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति के सदस्य	श्रेणी
डॉ. जी. के. पटेल	**अध्यक्ष**
श्रीमती पोमिला जसपाल (08/01/2020 से)	सदस्य
श्री बलबीर सिंह (08/01/2020 से)	सदस्य
श्री एम. वेंकटेश (08/01/2020 तक)	सदस्य
सुश्री मंजुला सी. (08/01/2020 तक)	सदस्य
श्री वी.पी. हरन (08/01/2020 तक)	सदस्य

घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति की बैठकों के ब्यौरे:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति की चार(4) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
13/05/2019	63	4
02/08/2019	64	4
25/10/2019	65	4
29/01/2020	66	3

ङ) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति की बैठकों में उपस्थिति:

हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति के सदस्य	कितने सदस्यों ने भाग लिया
डॉ. जी.के. पटेल	4
श्रीमती पोमिला जसपाल (08/01/2020 से)	1
श्री बलबीर सिंह (08/01/2020 से)	1
श्री एम वेंकटेश (08/01/2020 तक)	3
सुश्री मंजुला सी. (08/01/2020 तक)	3
श्री वी.पी. हरन (08/01/2020 तक)	3

च) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

छ) 2019-20 के दौरान प्राप्त और जवाब दी गईं निवेशकर्ता शिकायतें और उनकी संदर्भ संख्याएं:

क्रम सं.	पत्राचार का स्वरूप	31/03/2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	लाभांश वारंटों का पुनर्वैधीकरण	4,223
2.	डीमैट - रीमैट मामले - पत्र	322
3.	अंतरण रोको - डुप्लिकेट / हटाने से संबंधित क्रियाविधि	815
4.	नाम हटाना/प्रेषण/स्थानांतरण/नाम बदलना/डुप्लिकेट जारी करना - शेयर प्रमाणपत्र	2,105
5.	समेकन/स्थिति में परिवर्तन प्रमाणपत्र	201
6.	हस्ताक्षर में परिवर्तन संबंधी पत्र	736
7.	पते/बैंक के ब्यौरे/बैंक अधिदेश में सुधार/पंजीकरण/परिवर्तन करना	2,595
8.	NACH पत्रों का पंजीकरण/कैंसलेशन	2,172
9.	नामांकन पत्र	121
10.	ROC/ SEBI/ NSE/ BSE/ NSDL/ CDSL जैसे सांविधिक/विनियामक निकायों के जरिए संदर्भ	46
11.	अन्य	4,136
	कुल	**17,472**

7. शेयर अंतरण समिति (STC)

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, निदेशक समिति (शेयर अंतरण समिति) का गठन, शेयरों का अंतरण, शेयरों का प्रेषण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देने के लिए किया गया है.

(ii) शेयर अंतरण समिति में, प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) हैं, जो शेयरों का अंतरण, शेयरों का प्रेषण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देते हैं और उससे प्रासंगिक मामले संभालते हैं. समिति का कोरम बनने के लिए कोई दो निदेशक होने चाहिए. लेकिन, वर्ष के किसी भाग के दौरान, निदेशक (रिफाइनरी) और निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक, बोर्ड के अनुमोदन से समिति के कोरम रहे.

(iii) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 6(2)(क) का अनुसरण करते हुए, खो दिए गए अथवा नष्ट हुए शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र, शेयर अंतरण समिति का अनुमोदन लेकर दिए जाते हैं क्योंकि बोर्ड ने, MCA सामान्य परिपत्र सं. 19/2014 दिनांक 12 जून, 2014 का अनुसरण करते हुए STC को डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया है.

(iv) SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 40 का अनुसरण करते हुए, शेयरों में लेन-देनों के तिमाही ब्यौरे, बोर्ड के समक्ष रखे गए.

8. जोखिम प्रबंधन नीति

RMC, मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की प्रतिष्ठान व्यापक जोखिम प्रबंध नीति के अनुसार जोखिम अवलोकन दस्तावेज की समीक्षा कर उस पर नज़र रखेगी और उसकी लेखा परीक्षा समिति के समक्ष पेश करेगी.

कंपनी जोखिम प्रबंध नीति चलाने के लिए RMC, जोखिम प्रबंधकों और जोखिम समन्वयकों की नियुक्ति करेगी. SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 21 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4)(vii) का अनुसरण करते हुए लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में कंपनी की जोखिम प्रबंध प्रणाली का मूल्यांकन शामिल है.

क) 31/03/2020 को जोखिम प्रबंध समिति की संरचना

जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री एम. वेंकटेश	**अध्यक्ष**
श्री एम. विनयकुमार	सदस्य
श्रीमती पोमिला जसपाल (15/10/2020 से)	सदस्य
श्री एस. रविप्रसाद	सदस्य
श्री संजय वर्मा (19/07/2019 से)	सदस्य

ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की पांच (5) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
01-04-2019	17	3
27/04/2019	18	3
19/07/2019	19	3
18/10/2019	20	5
16/01/2020	21	4

ग) **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में उपस्थिति.**

जोखिम प्रबंधन नीति के सदस्य	**कितनी बैठकों में भाग लिया**
श्री एम. वेंकटेश	5
श्री एम. विनयकुमार	5
श्रीमती पोमिला जसपाल (15/10/2019 से)	2
श्री एस. रविप्रसाद	4
श्री संजय वर्मा (19/07/2019 से)	2

9. परियोजना मूल्यांकन समीक्षा समिति और प्रचालन समीक्षा समिति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रचालन समीक्षा समिति (ORC) का '' परियोजना मूल्यांकन और क्रियान्वयन समिति '' (PAEC) के साथ विलय किया गया और स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं पर्यावरण निष्पादन की समीक्षा करने की खातिर PAEC का नाम बदलकर " परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा समिति और प्रचालन समीक्षा समिति '' रख दिया गया **(PARC & ORC).**

क) **विचारार्थ विषय:**

- पूंजीगत परियोजनाओं की समीक्षा करना और बोर्ड के समक्ष उनकी सिफ़ारिश करना.
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के वक्त-वक्त पर कार्यान्वयन की समीक्षा करना.
- थ्रूपुट, GRM, कुल आसुत उत्पादन, क्रूड स्लेट आदि के MoU लक्ष्य के संदर्भ में तिमाही निष्पादन की समीक्षा करना.
- योजनाओं और प्रक्रियाओं की उपलब्धता के संबंध में अनुरक्षण निष्पादन की समीक्षा करना.
- प्रमुख प्रचालन, अनुरक्षण और निरीक्षण पर अभ्युक्तियों की समीक्षा करना.
- प्रचालन/वित्त से जुड़े, समिति के समक्ष पेश किए गए उन सामान्य मुद्दों की समीक्षा करना जो किसी भी समिति के दायरे में नहीं आते हैं.
- HSE निष्पादन की समीक्षा करना.

ख) **07-01-2020 को PAE समिति की संरचना:**

विव 2019-20 के दौरान (07-01-2020 तक) PAE समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

PAE समिति के सदस्य	**श्रेणी**
श्री सेवा राम	**अध्यक्ष**
श्री वी.पी. हरन	सदस्य
डॉ. जी. के. पटेल	सदस्य
श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
श्री विवेक मल्या	सदस्य
श्री एम. वेंकटेश	सदस्य
श्री संजय कुमार जैन	सदस्य
श्री सुभाष कुमार	सदस्य

31-03-2020 को (07-01-2020 से) PARC और OR समिति की संरचना

PARC और OR समिति के सदस्य	**श्रेणी**
श्री सेवा राम	**अध्यक्ष**
श्री वी. पी. हरन	सदस्य
श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
श्री विवेक मल्या	सदस्य
श्री सुभाष कुमार	सदस्य
श्री संजय कुमार जैन (08/01/2020 तक)	सदस्य
श्री विजय शर्मा (27/01/2020 से)	सदस्य
श्री आर. टी. अगरवाल (08/01/2020 से)	सदस्य

ग) **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न PAEC और PARC एवं OR समिति की बैठकों के ब्यौरे:**

वर्ष 2019-20 के दौरान, PAE समिति की, दो (2) बैठकें हुईं और PARC और OR समिति की एक (1) बैठक हुई. बैठक के ब्यौरे और उपस्थिति निम्नानुसार हैं :

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
02/04/2019 (PAEC)	43	5
24/10/2019 (PAEC)	44	5
28/01/2020 (PARC और ORC)	45	4

(घ) **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संपन्न PAE समिति(08/01/2020 तक) और PARC एवं OR समिति की (08/01/ 2020 से) बैठकों में उपस्थिति:**

PAE और PARC एवं OR समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया	
	PAEC	PARC और ORC
श्री सेवा राम	2	1
श्री वी. पी. हरन	2	1
डॉ. जी. के. पटेल	2	लागू नहीं
श्री विनोद एस. शेणै	0	1
श्री विवेक मल्या	2	0
श्री एम. वेंकटेश	2	लागू नहीं
श्री संजय कुमार जैन	0	लागू नहीं
श्री सुभाष कुमार	0	0
श्री विजय शर्मा (27/01/2020 से)	लागू नहीं	0
श्री आर. टी. अगरवाल (27/01/2020 से)	लागू नहीं	1

10. वार्षिक महासभा के ब्यौरे

क) **पिछली तीन AGM कब और कहां हुईं**

वर्ष	AGM	स्थान	दिनांक	समय
2019	31वीं	**एमआरपीएल कर्मचारी मनोरंजन केंद्र,** मुडपदव कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	03/08/2019	अपराह्न 4.00 बजे
2018	30वीं	**एमआरपीएल कर्मचारी मनोरंजन केंद्र,** मुडपदव कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	11/08/2018	अपराह्न 4.00 बजे
2017	29वीं	**एमआरपीएल कर्मचारी क्लब,** मुडपदव कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	19/08/2017	अपराह्न 4.00 बजे

ख) **क्या पिछली 3 AGM में कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया?** जी हां.

AGM	विशेष संकल्प
31वीं AGM	NCD/ बांडों के जरिए ₹ 3,000 करोड़ तक धनराशि जुटाने की दृष्टि से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 का अनुसरण करते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया गया
30वीं AGM	कोई नहीं
29वीं AGM	NCD/ बांडों के जरिए ₹ 3,000 करोड़ तक धनराशि जुटाने की दृष्टि से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 का अनुसरण करते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया गया

ग) **क्या पिछले वर्ष, डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया?**
पिछली AGM में डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया.

घ) **किन-किन व्यक्तियों ने डाक मतपत्रों की प्रक्रिया पूरी की:**
लागू नहीं

ङ) **क्या डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पेश करने का प्रस्ताव है?**
नहीं

च) **डाक मतपत्रों के लिए क्रियाविधि:**
लागू नहीं

11. प्रकटन और पारदर्शिता

कंपनी ने SEBI (LODR) विनियम 2015 के विनियम 46(2) के विनियम 17 से 27 और खंड (क) से (थ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति की है.

विनियम 46 में उल्लिखित प्रकटन के बारे में जानकारी निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दी गई है.

कंपनी, यह सुनिश्चित करती है कि उन सभी मामलों पर, जिनको सार्वजनिक करना पड़ेगा, जानकारी, वक्त पर और संपूर्ण रूप से प्रकट की जाती है. कंपनी के वेबसाइट में और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में, कामकाज, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व और एमआरपीएल के अभिशासन के हर एक पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है.
कंपनी के तमाम प्रकटन, लेखा पद्धति, वित्तीय और वित्तियेतर मामलों के बारे में संबद्ध विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार किए जाते हैं.
एमआरपीएल, ऐसी जानकारी, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए, अपने वेबसाइट पर, शेयर बाजारों आदि को प्रकट करता है. सभी उपयोगकर्ताओं को इन तमाम माध्यमों तक निर्बाध रूप से पहुंच है.

कंपनी, सभी बैठकों (बोर्ड/समितियों/सामान्य बैठकों आदि) की कार्रवाई के रेकॉर्ड रखती है.

कंपनी, लेखा मानकों का अक्षरशः पालन करती है. वार्षिक लेखा परीक्षा, C&AG द्वारा संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षा के जरिए कराई जाती है. आगे, MRPL की C&AG द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा की जाती है. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है, इसके अलावा भारत सरकार और संसदीय समितियों द्वारा वक्त-वक्त पर निगरानी रखी जाती है.

बोर्ड के सदस्य और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी, कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उन लेन-देनों अथवा मामलों के बारे में, चाहे उनमें उनका प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से अथवा तीसरे पक्षकार की तरफ से कोई महत्वपूर्ण हित हो या न हो, बोर्ड को जानकारी प्रकट करते हैं.

निदेशक मंडल और MRPL के शीर्ष प्रबंधन का यह प्रयास होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि हिस्सेदारों को सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी होती है और संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाई रखी जाती है.

(i) **वस्तुत: महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार के लेन-देन**

1. संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन, समय-समय पर सेबी और MCA द्वारा जारी परिपत्रों और अधिसूचनाओं के साथ-साथ SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 23 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं.
2. कंपनी ने संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन संबंधी नीति और कार्यविधियाँ अपनाई हैं और इसे, कंपनी के वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया गया है.

(ii) **प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारी:**

नाम	**पदनाम**
श्री एम वेंकटेश	प्रबंध निदेशक और CEO
श्रीमती पोमिला जसपाल	निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री दिनेश मिश्रा	कंपनी सचिव

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त पारिश्रमिक को छोड़कर उनके साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक, बोर्ड की रिपोर्ट के MGT – 9 के खंड (VI) के तहत प्रकट किया गया है जो बोर्ड रिपोर्ट का ही एक भाग है.

(iii) **ऐसे प्रतिष्ठान जिन पर काफ़ी दबाव डाला जाता है:**

नाम	**संबंध**	**लेन-देन का स्वरूप**
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	सहायक कंपनी	ब्यौरे, विव 2019-20 के वित्तीय विवरणों की [OMPL] की टिप्पणी 11 में दिए गए हैं.
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्विसेस लिमिटेड [SMAFSL]	संयुक्त उद्यम	

(iv) **पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से जुड़े किसी मामले में, कंपनी द्वारा अनुपालन न करने, किसी शेयर बाजार अथवा SEBI अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने, किए गए अवक्षेप के ब्यौरे:**

शेयर अंतरण परिचालन के साधारण क्रम के दौरान शेयरों के स्वत्व को लेकर विवाद से संबंधित कतिपय कानूनी मामलों में कंपनी को अभियोजित किया गया है. लेकिन इनमें से कोई भी मामला महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो या खर्च उठाना पड़े.

(v) कंपनी ने अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए मुखबिर नीति अपनाई है. कंपनी ने किसी भी कर्मचारी और निदेशक को सक्षम प्राधिकारी से मिलने से मना नहीं किया है और मुखबिर को प्रतिकूल कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया है. यह नीति, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

(vi) कंपनी ने SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 16 (1) (ग) के अनुसार मटीरियल सब्सिडीयरीस के बारे में नीति बनाई है जो कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

(vii) **गैर-आज्ञापक अपेक्षाएं**

क) कंपनी, अपने खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाती है.

ख) एमआरपीएल, एक 'अनुसूची-क' मिनीरत्न, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

ग) चूंकि कंपनी के तिमाही / अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणाम, कंपनी के वेबसाइट पर प्रकट कर समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं इसलिए, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक शेयरधारक के निवास पर नहीं भेजी जाती है.

घ) कंपनी के शेयरधारकों की खातिर, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई विशेषक नहीं हैं.

ङ) कंपनी के बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने से संबंधित नीति बनाई गई है जिसे कंपनी के वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co.in में प्रदर्शित किया गया है. निदेशकों को, उपयुक्तता और सुविधा के आधार पर विभिन्न सेमिनारों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों में प्रायोजित किया जाता है.

च) कंपनी ने कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16/02/2015 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का अनुसरण करते हुए Ind AS को अपनाया है.

(viii) **बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए आचरण संहिता**

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह आचरण संहिता, एक व्यापक संहिता है जो कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों अर्थात्; कंपनी के और बोर्ड से एक स्तर नीचे काम करने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों को लागू होगी. आचरण संहिता, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है.

प्रबंध निदेशक ने घोषणा की है कि बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के तमाम सदस्यों ने यह अभिपुष्टि की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आचरण संहिता का पालन किया है.

(ix) **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड(MRPL) की प्रतिभूतियों का लेन-देन करने में भेदिया व्यापार की रोकथाम करने की आंतरिक कार्यविधि और आचरण संहिता:**

1.0 सेबी (भेदिया व्यापार) (संशोधन) विनियम, 2002 का अनुसरण करते हुए कंपनी के मामले में '' भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता '' के लिए 22 जून, 2002 को संपन्न बोर्ड की 89वीं बैठक में अनुमोदन दिया गया. सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) (संशोधन) विनियम, 2008 के परिप्रेक्ष्य में 03 अगस्त, 2019 को संपन्न 226वीं बैठक में बोर्ड ने इसमें संशोधन किया.

2.0 SEBI ने SEBI (भेदिया व्यापार) विनियम, 1992 का निरसन करते हुए 15 जनवरी, 2015 को सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया जो 15/05/2015 से समस्त सूचीबद्ध कंपनियों को लागू होगा. तदनुसार, कंपनी ने " एमआरपीएल की प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय, भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण संहिता ", 22 मई, 2015 को संपन्न अपनी 197वीं बैठक में यथा संशोधित के रूप में अपनाई.

3.0 आगे SEBI ने अपने दिनांक 16 सितंबर, 2015 के परिपत्र के जरिए, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (UPSI) अपने पास रखते हुए ESOP का प्रयोग करने, संविदागत व्यापार का क्रियान्वयन करने और जमानत लागू करने के लिए गिरवी का निर्माण अथवा गिरवी लागू करने के बारे में SEBI (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 के विनियम 7 के तहत प्रकट करने के लिए बनाए गए प्रारूपों में संशोधन किया है. तदनुसार, बोर्ड ने कंपनी ने " एमआरपीएल की प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय, भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण संहिता ", 29 अक्तूबर, 2015 को संपन्न अपनी 200वीं बैठक में यथा संशोधित के रूप में अपनाई. जिसे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.inपर प्रदर्शित किया गया है.

4.0 SEBI ने अपनी अधिसूचना दिनांक 31/12/2018 के जरिए SEBI भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 में संशोधन किया. तदनुसार, बोर्ड ने " एमआरपीएल की प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय, भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण संहिता ", 03 अगस्त, 2019 को संपन्न अपनी 226वीं बैठक में यथा संशोधित के रूप में अपनाई, जिसे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.inपर प्रदर्शित किया गया है.

(x) CEO और CFO प्रमाणीकरण:

वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की यथातथ्यता, आंतरिक नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता और लेखा परीक्षा समिति को मामले की रिपोर्ट भेजने की पुष्टि करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार CEO और CFO का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया गया है.

(xi) वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट(ABRR)

SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (च) का अनुसरण करते हुए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ABRR बनाई गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है.

(xii) शेयरों का अमूर्तीकरण और चल निधि

कंपनी के 98.85% इक्विटी शेयरों का यथा 31/03/2020, अमूर्तीकरण (NSDL – 44.74% और CDSL 54.11%)किया गया है. कंपनी ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के साथ करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत शेयरधारकों को दोनों निक्षेपागारों में से किसी में भी अपने शेयरों का अमूर्तीकरण कराने का और इलेक्ट्रॉनिक मतदान करने का विकल्प होगा.

(xiii) शेयर पूंजी संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान

जैसे कि SEBI ने निर्दिष्ट किया है, अर्हता प्राप्त पेशेवर कंपनी सचिव, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के पास कुल स्वीकृत पूंजी और कुल निर्गमित और सूचीबद्ध पूंजी का समाधान करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करते हैं. यह लेखा परीक्षा, हर तिमाही में की जाती है और उस पर रिपोर्ट, उस शेयर बाजार को पेश की जाती है जिसमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध किए गए हों. लेखा परीक्षा में यह पुष्टि की जाती है कि कुल सूचीबद्ध और प्रदत्त पूंजी, अमूर्त रूप में (NSDL और CDSL के पास) रखे गए शेयरों की कुल संख्या और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों की कुल संख्या के सकल योग के अनुरूप है.

(xiv) नामांकन

अकेले अथवा संयुक्त रूप से मूर्त रूप में शेयर रखने वाले अलग-अलग शेयरधारक, किसी ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसके नाम, पंजीकृत शेयरधारक(कों) की मृत्यु होने पर शेयरों का हस्तांतरण किया जा सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में भी नामांकन सुविधा, NSDL और CDSL को लागू उप-विधि और व्यावसायिक नियमों के अनुसार निक्षेपागार सहभागियों के पास उपलब्ध है. नामांकन फ़ार्म, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से प्राप्त किया जा सकता है.

(xv) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों का रख-रखाव

हरित पहल के अंग के तौर पर, ई-मेल से नोटिस/दस्तावेज पाने के इच्छुक सदस्य, अपना ई-मेल का पता, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड को उनके समर्पित ई-मेल ID पर अर्थात्; ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in पर सूचित कर सकते हैं.

(xvi) सहायक कंपनी का अभिशासन

इस रिपोर्ट की तारीख को कंपनी कोई ऐसी मटीरियल सब्सिडीयरी नहीं है जिसकी निवल मूल्यवत्ता, समेकित निवल मूल्यवत्ता के 10% से अथवा आपकी कंपनी की समेकित आय के 10% की आय से अधिक हो. कंपनी की सहयोगी कंपनी, OMPL की बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ उल्लेखनीय लेन-देन के ब्यौरे, तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष पेश किए जाते हैं. सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं.

(xvii) कार्पोरेट अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं जो अब आज्ञापक स्वरूप के हो गए हैं.

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक राष्ट्रपति के कोई निदेश जारी नहीं किए गए. एमआरपीएल, इन दिशानिर्देशों का जहां तक हो सके अनुपालन कर रहा है.

(xviii) साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 24(क), DPE के दिशानिर्देशों और पूंजी बाजार से संबंधित दूसरे सभी संबंधित नियमों और विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त की गई है जो बोर्ड की रिपोर्ट का ही एक अंश है.

(xix) साचिविक अनुपालन रिपोर्ट

SEBI परिपत्र सं. CIR/CFO/CMD1/27/2019 दिनांक 08/ 02/2019 का अनुसरण करते हुए मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव से साचिविक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है.

12. संचार के साधन

i	तिमाही परिणाम	:	कंपनी के तिमाही परिणाम, बिसनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित किए जाते हैं - सभी संस्करण - (अंग्रेजी), बिसनेस स्टैंडर्ड - दिल्ली संस्करण, (हिन्दी) और होस दिगंता-मंगलूरु संस्करण (कन्नड) समाचारपत्र और साथ ही कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर भी प्रकाशित किए गए हैं.
ii	समाचार प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण आदि	:	आधिकारिक समाचार प्रकाशन और आधिकारिक मीडिया प्रकाशन, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
iii	संस्थागत निवेशकर्ताओं/ विश्लेषकों के सामने प्रस्तुतीकरण	:	हां
iv	वेबसाइट	:	कंपनी के वेबसाइट www. mrpl.co.in में एक अलग समर्पित खंड है जिसका नाम है "Stakeholders '', जिसमें शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध है. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है.
v	वार्षिक रिपोर्ट	:	लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निगमित अभिशासन रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारकों को भेजी जाती है. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (MDA) संबंधी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है जिसे कंपनी के वेबसाइट www. mrpl.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है.
vi	अध्यक्ष की विज्ञप्ति	:	अध्यक्ष का भाषण, कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है और शेयर बाजारों के पास भेजा जाता है और जाने माने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है.
vii	निवेशकर्ताओं को अनुस्मारक भेजना	:	अदावी मूर्त शेयर प्रमाणपत्रों के बारे में शेयरधारकों को अनुस्मारक भेजे जाते हैं. ई-मेल के जरिए संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से शेयरधारकों को अपना ई-मेल अद्यतन बनाने के लिए कई अनुस्मारक भेजे गए.
viii	BSE इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म	:	BSE लिस्टिंग केंद्र, सभी सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए एक्सचेंज के पास अपने विभिन्न अनुपालन / प्रस्तुतीकरण दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है. 'Listing Centre' एक ऐसा एकमात्र साधन है जिसके सहारे अनुपालन/प्रस्तुतीकरण फाइल किया जा सकता है और गत फाइलिंग का पता लगाया जाता है.

ix	NSE इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र प्रोसेसिंग प्रणाली (NEAPS)		NEAPS, NSE द्वारा कंपनियों के लिए बनाया गया एक वेब आधारित अप्लिकेशन है. विभिन्न प्रकार के अनुपालन को NEAPS पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज किया जाता है.
x	SEBI शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES)		निवेशकर्ताओं की शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के जरिए प्रोसेस किया जाता है.
xi	नामोद्दिष्ट अनन्य ई-मेल id		कंपनी ने, निवेशकर्ता सर्वीसिंग के लिए ही investor@mrpl.co.in ई-मेल-id नामोद्दिष्ट किया है.

13. सामान्य शेयरधारकों के बारे में जानकारी

अ. 32वीं वार्षिक महासभा

i	कंपनी के पंजीकरण के ब्यौरे	:	CIN: L23209KA1988GOI008959
ii	दिन, दिनांक, और समय	:	शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 अपराह्न 16:00 बजे (IST)
iii	वित्तीय वर्ष	:	01/04/2019 से 31/03/2020
iv	बही समापन दिनांक	:	14/09/2020 से 18/09/2020 (दोनों दिन मिलाकर)
v	लाभांश भुगतान दिनांक	:	लागू नहीं
vi	ई-मतदान	:	कंपनी ने शेयरधारकों को, SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 44, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार रीमोट ई-मतदान करने की व्यवस्था की है.
vii	**शेयर बाजार पर लिस्टिंग**		
अ.	**इक्विटी शेयर ISIN: INE103A01014**	:	1. **BSE लिमिटेड** फिरोज़ जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400 001 **स्क्रिप कूट सं: 500109** 2. **दी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा(पू), मुंबई – 400 051 **व्यापार चिह्न: MRPL**

आ. कर्ज के लिए प्रतिभूति:
31 मार्च, 2020 को बकाया NCD के ब्यौरे

31 मार्च, 2020 को बकाया NCD के ब्यौरे

निर्गमकर्ता का नाम	ISIN सं.	निर्गम दिनांक	परिपक्वता दिनांक	कूपन दर	भुगतान की बारंबारता	सन्निहित विकल्प, यदि कोई हो तो	निर्गमित रकम	बकाया रकम
मंगलूरु रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	INE103A08027	13/01/2020	14/04/2023	6.64% प्र.व.	वार्षिक	लागू नहीं	₹ 500 करोड़	₹ 500 करोड़
मंगलूरु रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	INE103A08019	13/01/2020	12/04/2030	7.40% प्र.व.	वार्षिक	लागू नहीं	₹ 1000 करोड़	₹ 1000 करोड़
मंगलूरु रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	INE103A08035	29/01/2020	29/01/2030	7.75% प्र.व.	वार्षिक	लागू नहीं	₹ 1060 करोड़	₹ 1060 करोड़

इ.	**लिस्टिंग शुल्क का भुगतान**	:	कंपनी ने BSE और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क अदा किया है.
ई.	**निक्षेपागार शुल्क का भुगतान**	:	कंपनी ने CDSL और NSDL को वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क अदा किया है.
उ.	**डिबेंचर न्यासी**	:	मेसर्स SBICAP ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, अपीजय हाउस, छठी मंज़िल, दिन्शा वाछा रोड, चर्च गेट, मुंबई– 400020
ऊ.	**क्रेडिट रेटिंग**	:	ICRA ने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के ₹ 3,000 करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए [ICRA]AAA (जिसका उच्चारण है ICRA ट्रिपल A) रेटिंग दी है और CRISIL ने "CRISIL AAA/ Stable'' (उच्चारण है "स्थिर दृष्टिकोण के साथ CRISIL ट्रिपल A रेटिंग") रेटिंग दी है.

viii वित्तीय वर्ष 2019-20 का वित्तीय कैलेंडर:

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2019 -20**		**वित्तीय वर्ष 2020 -21**	
लेखा अवधि	01/04/2019 से 31/03/2020		01/04/2019 से 31/03/2020	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	03-08-2019	पहली तीन तिमाहियां	प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिनों के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही	04/11/2019		
	तीसरी तिमाही	03/02/2020		
	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	09/06/2020	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष के अंत से 60 दिनों के अंदर घोषणा

SEBI ने अपने परिपत्र दिनांक 19/03/2020 के जरिए, सर्वव्यापी महामारी, COVID 19 के कारण देश में जारी लॉकडाउन को देखते हुए वित्तीय परिणाम पेश करने की समय सीमा को 15/05/2020 से 30/06/2020 तक बढ़ाया.

ix बाजार कीमत संबंधी आंकड़ें

महीना	**BSE लिमिटेड**		**नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड**	
	उच्च(₹)	**निम्न(₹)**	**उच्च(₹)**	**निम्न(₹)**
अप्रैल 2019	75.40	69.00	75.20	68.10
मई 2019	72.30	60.40	72.50	60.25
जून, 2019	64.80	57.85	64.80	57.80
जुलाई, 2019	62.65	53.10	62.70	53.00
अगस्त, 2019	59.00	43.10	59.00	43.00
सितंबर, 2019	52.95	44.40	52.90	44.50
अक्तूबर 2019	55.45	47.20	55.50	47.65
नवंबर 2019	56.60	47.45	56.50	47.35
दिसंबर 2019	48.50	40.00	48.00	39.65
जनवरी 2020	49.20	42.50	49.20	42.15
फरवरी, 2020	46.20	35.00	46.25	34.55
मार्च 2020	38.85	21.25	38.95	20.75

x NSE NIFTY और BSE सेंसेक्स जैसे स्थूल आधारित इंडीसिस की तुलना में निष्पादन:

NSE (NIFTY) 2019-20

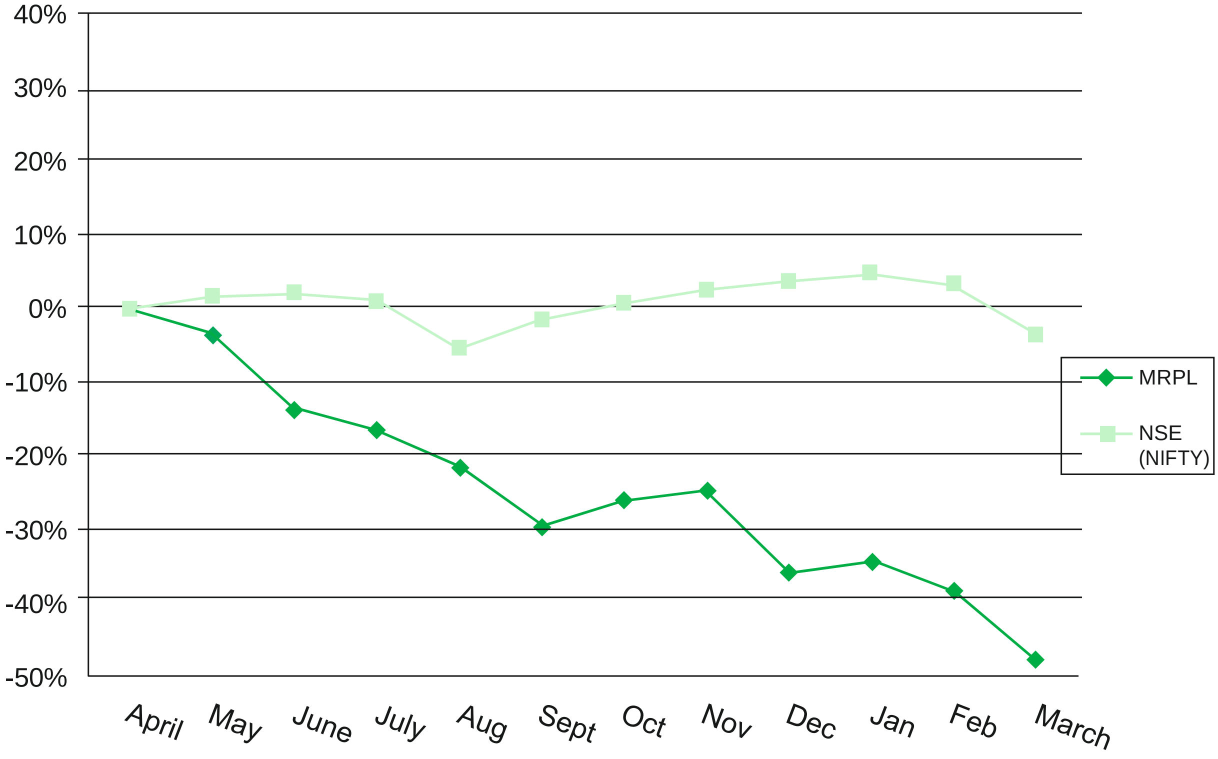

BSE (सेंसेक्स) 2019-20

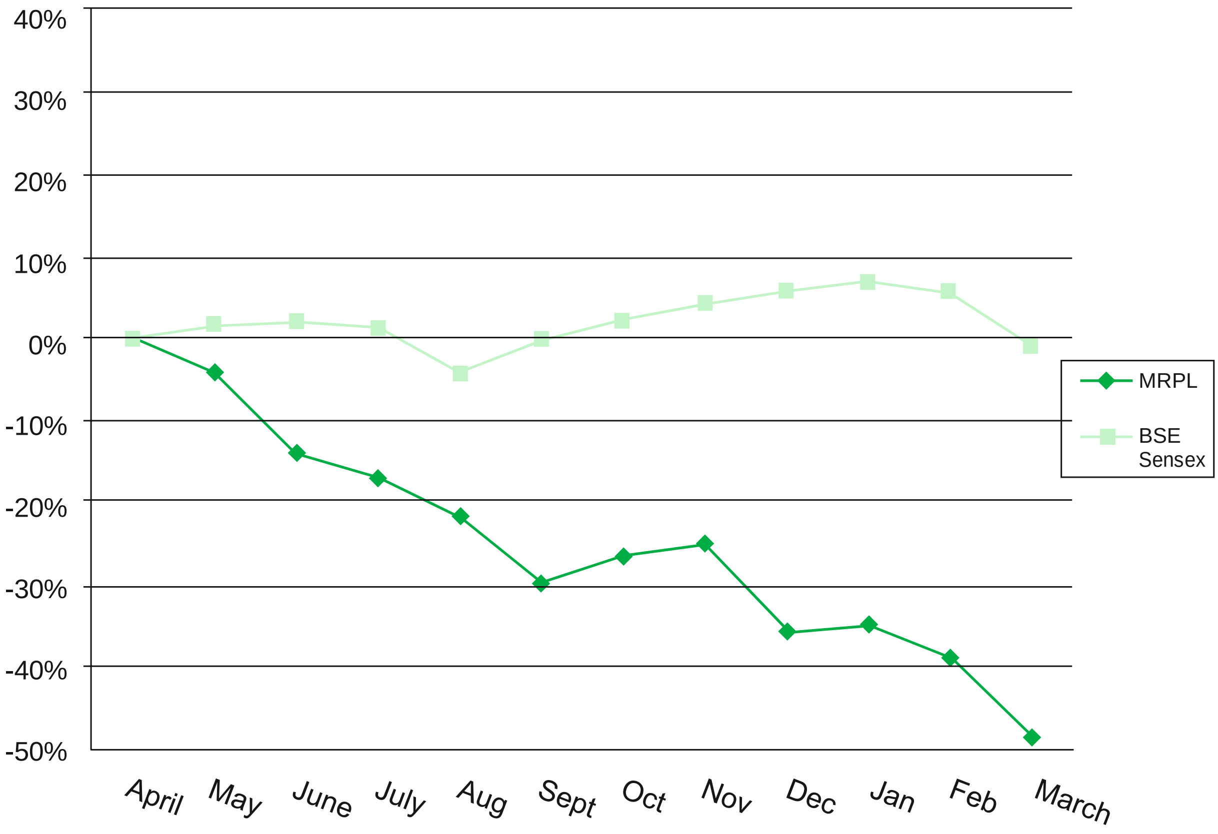

31/03/2020 को एमआरपीएल का बाजार पूंजीकरण **₹ 4057.27 करोड़** रहा. 31/03/2020 को बाजार पूंजीकरण पर एमआरपीएल को **NSE पर 286वें स्थान पर और BSE पर 292वें** स्थान पर रखा गया है.

(xi) **रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट:** मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड., सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विख्रोली (पश्चिम), मुंबई- 400 083 ई-मेल ID:mrplirc@linkintime.co.in

(xii) **शेयर अंतरण प्रणाली:**

मूर्त रूप में शेयरों का अंतरण, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट द्वारा, उसकी प्राप्ति दिनांक से सात दिनों के अंदर सँभाला और पूरा किया जाता है बशर्ते कि सारे दस्तावेज ठीक हों. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के मामले में, अंतरण, संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के जरिए NSDL/CDSL द्वारा सँभाला जाता है. SEBI (LODR) विनियम, 2015 का अनुपालन करते हुए, पेशेवर कंपनी सचिव, अंतरण प्रणाली की लेखा परीक्षा करते हैं और उस बारे में एक प्रमाणपत्र जारी करते हैं.

वर्ष	प्रोसेस किए गए अंतरण विलेखों की संख्या	अंतरित कुल शेयरों की संख्या
2019-20	979	177320
2018-19	2132	389675
2017-18	1497	275550

(xiii) **निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में लाभांश और शेयरों की अदावी रकम का अंतरण:**

IEPF नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 वर्षों के अदत्त अथवा अदावी लाभांश का, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में नियत तारीखों को अंतरण किया. निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास पडी अदत्त एवं अदावी रकम के बारे में सूचना का अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 03/08/2019 तक (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) कंपनी के पास पड़ी रही अदत्त एवं अदावी लाभांश रकम के ब्यौरे, कंपनी के वेबसाइट (www.mrpl.co.in) पर और साथ ही कंपनी कार्य मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड किए हैं.

MCA ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05/09/2016 के जरिए 28.02.2017 को निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 और निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) संशोधन, नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं. इन नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए उन 1,74,34,498 शेयरों को, जिनके संबंध में शेयरधारकों ने अब तक लाभांश का दावा नहीं किया है, प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा. IEPF ने शेयरधारकों द्वारा दावा किए गए 19,668 शेयर, उनके संबंधित खातों में अंतरित किए. 31/03/2020 को 1,74,14,830 शेयर, IEPF प्राधिकरण के अमूर्त खाते में पडे रहे.

SEBI ने अपने परिपत्र दिनांक 13/04/2020 के जरिए, लॉकडाउन की अवधि के लिए शेयरों/रीमैट संबंधी दरख्वास्तें, डुप्लिकेट प्रमाणपत्र आदि जारी करने के लिए समय सीमा बढ़ाई.

(xiv) **31/03/2020 को शेयरधारण का वितरण :**

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने इस रूप में शेयर रखे हैं		धारित शेयर किस रूप में हैं		धारित इक्विटी पूंजी का %	
	मूर्त रूप में	डीमैट रूप में	मूर्त रूप में	डीमैट रूप में	मूर्त रूप में	डीमैट रूप में
001 - 500	103767	190895	19302317	32194301	1.1014	1.8369
501 - 1000	450	12555	339050	10033718	0.0193	0.5725
1001 - 2000	83	5032	122905	7590699	0.0070	0.4331
2001 - 3000	10	1483	25700	3799787	0.0015	0.2168
3001 - 4000	3	627	11100	2241533	0.0006	0.1279
4001 - 5000	7	486	33750	2291296	0.0019	0.1307
5001 - 10000	4	730	28800	5324268	0.0016	0.3038
10001 व उससे अधिक	4	513	275500	1668984053	0.0157	95.2291
कुल	**104328**	**212321**	**20139122**	**1732459655**	**1.1490**	**98.8508**

(xv) 31/03/2020 को शेयरधारण का स्वरूप:

विवरण	कुल शेयर	प्रतिशत
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.	125,53,54,097	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	29,71,53,518	16.96
निवासी व्यक्ति	8,39,60,767	4.79
अनिवासी व्यक्ति	65,82,716	0.38
देशी कंपनियां	26,99,488	0.15
विदेशी लिखत निवेशकर्ता/ विदेशी संविभाग निवेशकर्ता (कंपनी)/विदेशी नागरिक	1,20,18,108	0.69
GIC व सहायक कंपनियां/बैंक/विदेशी बैंक व वित्तीय संस्थाएं/ बीमा/म्यूचुअल फंड/भा.रि.बैं. के पास पंजीकृत NBFC	7,52,88,684	4.29
निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि	1,74,14,830	0.99
केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाएं	2,900	0.00
न्यास	21,550	0.00
समाशोधन सदस्य	4,20,789	0.02
हिन्दू अविभाजित परिवार	16,81,330	0.10
कुल	**175,25,98,777**	**100.00**

(xvi) 31/03/2020 को अदावी/सुपुर्द न किए गए शेयर

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर
1.	शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के प्रारंभ में सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे.	1229	75065
2.	परिवर्धन - शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे. (अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020).	141	13950
3.	उन शेयरधारकों की कुल संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उनके हवाले न किए गए शेयरों के सिलसिले में कंपनी से संपर्क किया और शेयर निर्गमित किए.	116	11550
4.	IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित शेयर (अदावी प्रतिक्रिया खाते से)	37	5100
5.	शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के अंत में " अदावी शेयर उचंत खाते में बकाया पड़े रहे.	1217	72365
6.	इन शेयरों पर मताधिकार को तब तक अवरुद्ध किया जाएगा जब तक इन शेयरों का सही मालिक शेयरों का दावा न करें		

(xvii) बकाया GDR/ ADR/वारंट अथवा किसी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तारीख और इक्विटी पर उसका प्रभाव: कुछ नहीं

(xviii) रिफाइनरी का स्थान : **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड**
मुडपदव कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला
मंगलूर - 575 030, कर्नाटक, भारत

(xix) **पत्राचार का पता:**

श्री दिनेश मिश्रा

कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी व मुख्य निवेशकर्ता संबंध अधिकारी
मंगलूरु रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला
मंगलूरु - 575 030, कर्नाटक
टेलीफोन संख्या : 0824-2270400 ई-मेल: investor@mrpl.co.in. वेबसाइट : www.mrpl.co.in

पंजीकृत कार्यालय और कंपनी का निवेशकर्ता संबंध कक्ष

1 मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला मंगलूरु - 575 030, कर्नाटक
टेलीफोन संख्या : 0824-2270400 ई-मेल: investor@mrpl.co.in. वेबसाइट : www.mrpl.co.in

2 स्कोप कांप्लेक्स, 7वीं मंजिल, कोर-8, लोधी रोड, नई दिल्ली - -110003
टेलीफोन संख्या : 011-24306400 ई-मेल : investor@mrpl.co.in वेबसाइट : www.mrpl.co.in

3 मेकर टावर्स, 15वीं मंजिल, “E” स्कंध, कफे परेड, मुंबई – 400005.
टेलीफोन: 022-22173000 ई-मेल:investor@mrpl.co.in

4 प्लॉट A-1, KSSIDC A.O. भवन के सामने, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राजाजीनगर, बेंगलूरु – 560010 (कर्नाटक)
टेलीफोन: 080-22642200 ई-मेल: investor@mrpl.co.in वेबसाइट: www.mrpl.co.in

5 **मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि.,** (आर एण्ड टी एजेंट)
यूनिट: एमआरपीएल, C 101, 247 पार्क, L B S मार्ग, विख्रोली (पश्चिम), मुंबई- 400 083
टेलीफोन: +91 22 49186270 फैक्स सं.: +91 22 - 49186000 ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in
वेबसाइट:www.linkintime.co.in

31 मार्च, 2020 को बोर्ड की संरचना और बोर्ड समितियां

नाम	बोर्ड	लेखा परीक्षा	CSR	नामांकन, पारिश्रमिक और HRM समिति	हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति	परियोजना मूल्यांकन समीक्षा समिति और प्रचालन समीक्षा समिति
श्री शशि शंकर	C	-	-	-	-	-
श्री एम. वेंकटेश	M	-	M	-	-	-
श्रीमती पोमिला जसपाल	M	-	-	-	M	-
श्री एम. विनयकुमार	M	-	-	-	-	-
श्री सुभाष कुमार	M	-	-	-	-	M
श्री विनोद एस. शेणै	M	-	-	-	-	M
श्री सुनील कुमार	M	-	-	-	-	-
श्री विजय शर्मा	M	-	-	-	-	M
श्री वी.पी. हरन	M	C	-	M	-	M
श्री बलबीर सिंह	M	-	M	C	M	-
श्री सेवा राम	M	M	-	M	-	C
डॉ. जी. के. पटेल	M	-	C	-	C	-
श्री आर टी अगरवाल	M	M	-	-	-	M

C - अध्यक्ष
M - सदस्य

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करने के बारे में लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड,
मंगलूर

1. हमने उक्त कंपनी के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के मेसर्स मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों और सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए दिशानिर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

2. निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, उक्त विनियमों और दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में अपनाई गई क्रियाविधियों एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित था. यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के बराबर है न ही उस पर हमारी राय व्यक्त करने जैसा है.

3. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा निदेशकों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा अभ्यावेदन के बलबूते पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, नीचे उल्लिखित बातों को छोड़कर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और DPE के दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अनुसार, चोटी के 500 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों (ठीक पूर्वी वित्तीय वर्ष के अंत में बाजार पूंजीकरण के आधार पर) के निदेशक मंडल की संरचना में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए.

01 फरवरी, 2020 को कंपनी बोर्ड पर कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं रहीं.

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अनुसार, मंडल पर निदेशकों में से कम से कम आधे, स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए.

15 अक्तूबर, 2019 से कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें.

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 21(2) के अनुसार, चोटी के 500 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों (ठीक पूर्वी वित्तीय वर्ष के अंत में बाजार पूंजीकरण के आधार पर) जोखिम प्रबंध समिति की संरचना में अधिकतर सदस्य, बोर्ड के निदेशक होने चाहिए.

01 अप्रैल, 2019 से 14 अक्तूबर, 2019 तक की अवधि के दौरान समिति पर अपेक्षित संख्या में निदेशक मंडल के सदस्य नहीं रहें.

4. सर्वव्यापी महामारी COVID-19 के फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए हम 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के प्रत्यक्ष दस्तावेजों, रेकॉर्डों और अन्य कागजातों आदि का परीक्षण न कर सकें और हमारे लिए ज़रूरी दस्तावेज/जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराई गई.

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875
UDIN: 20083875AAAAAT1181
स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29 जुलाई, 2020

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592
UDIN: 20203592AAAACN1928
स्थान : मंगलूरु
दिनांक: 29 जुलाई, 2020

CEO और CFO प्रमाणीकरण

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ("the Company") के (CEO/प्रबंध निदेशक और CFO/निदेशक(वित्त) के रूप में अपनी संबंधित हैसियत से, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह प्रमाणित करते हैं कि:

अ. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय अवधि के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह कि अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम यह व्यक्त करते हैं कि:

1. इन विवरणों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण नहीं है न ही इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य अथवा ऐसा कोई बयान दिया गया है जो भ्रामक हो.
2. ये विवरण एक साथ कंपनी के कामकाज का सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश करते हैं और इनमें मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन किया गया है.

आ. हम आगे स्पष्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेन-देन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हों अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करें.

इ. हम, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रक स्थापित और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और यह कि हमने, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्रों की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को, आंतरिक नियंत्रकों के डिज़ाइन अथवा प्रचालन में उन कमियां को, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को ठीक करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं अथवा उठाना चाहते हैं उनके बारे में प्रकट की है.

ई. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को यह संकेत दिया है:

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण में अगर कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हों तो उनके बारे में.
2. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हों तो उनके बारे में और यह कि उनको वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; और
3. उल्लेखनीय धोखाधडी की ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमें जानकारी मिली हो और जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रबंधन के कर्मचारी अथवा कर्मचारी शामिल हुए हों.

हस्ता/-	हस्ता/-
श्रीमती पोमिला जसपाल,	**एम. वेंकटेश**
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ,	**प्रबंध निदेशक और सीईओ**
DIN: 08436633	**DIN: 07025342**

वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट(ABRR)

खंड अ: सामान्य जानकारी:

1	कंपनी की निगमित पहचान संख्या (CIN)	: L23209KA1988GOI008959
2	कंपनी का नाम	: मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
3	पंजीकृत कार्यालय	: मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला मंगलूर - 575 030, कर्नाटक
4	वेबसाइट	: www.mrpl.co.in
5	ई-मेल आईडी	: investor@mrpl.co.in
6	वित्तीय वर्ष	: 2019-20
7	क्षेत्र जिसमें/जिनमें कंपनी काम कर रही हो (औद्योगिकी गतिविधि कूट-वार)*	: पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स

समूह	वर्ग	उप-वर्ग	वर्णन
232	2320		परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण
		23201	द्रव अथवा गैस रूप में ईंधनों, रोशन तेल, स्नेहन तेल अथवा ग्रीस अथवा क्रूड पेट्रोलियम से अन्य उत्पादों का उत्पादन.
		23209	अन्य परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों यानी पेट्रोलियम बिटुमेन का विनिर्माण.
			पेट्रोकेमिकल्स - पॉलीप्रॉपीलीन

*NIC-2004-कंपनी कार्य मंत्रालय के अनुसार

8 तीन महत्वपूर्ण उत्पादों/सेवाओं की सूची दे जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/ प्रदान करती है (जो तुलन पत्र में दर्शाया गया हो):

- हाई स्पीड डीज़ल (HSD)
- मोटर स्पिरिट (MS)
- विमानन टर्बाइन ईंधन

9 कुल ऐसे स्थान जहां कंपनी, अपनी व्यावसायिक गतिविधि चलाती है : 10

i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 स्थानों के ब्यौरे दें) : कुछ नहीं

ii, राष्ट्रीय स्थानों की संख्या :

- एमआरपीएल, विनिर्माण गतिविधियों सहित अप व्यावसायिक गतिविधियां, कर्नाटक राज्य में एक यानी मंगलूरु में चलाती है.
- एमआरपीएल, अपनी मार्केटिंग गतिविधियां, बेंगलूरु में स्थित मार्केटिंग प्रधान कार्यालय से चलाती है. विपणन के भी 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मंगलूरु, बेंगलूरु और मुंबई में एक-एक जहां विविध किस्म के विपणन कार्य संभाले जाते हैं जैसे उपभोक्ता बिक्री, खुदरा बिक्री और पेट्रोकेमिकल्स बिक्री

- कर्नाटक राज्य में 7 खुदरा केंद्र हैं, मद्दूर, हुब्ली, मंड्या, तुमकुरु में एक-एक और मंगलूरु में 3.
- 3 डिपो हैं, कासरगोड़ (केरल), हिंदूपुर (आंध्र प्रदेश) और होसूर (तमिल नाडू) में एक-एक.
- कर्नाटक राज्य के हासन में 1 पॉलीप्रॉपीलीन (PP) गोदाम.

10	**कंपनी, किन बाजारों को कवर करती है - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय**	:	एमआरपीएल, मूल रूप से अपने उत्पाद, भारतीय बाजार में बेचता है और साथ ही विभिन्न देशों में निर्यात करता है.

खंड आ:वित्तीय ब्यौरे:(विव 2019-20)

1	**प्रदत्त पूंजी**	:	₹ 1,753 करोड़
2	**कुल कारोबार**	:	₹ 60,728 करोड़
3	**कर उपरांत लाभ (PAT)/हानि**	:	₹ (2707.65) करोड़

4. निगमित सामाजिक दायित्व (CSR)पर किया गया कुल खर्च.

कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान CSR पर ₹ 76.09 करोड़ खर्च किए.

5. उन गतिविधियों की सूची जिन पर CSR संबंधी व्यय किए गए हैं.

जिन प्रमुख क्षेत्रों में उक्त व्यय किया गया उनमें शामिल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, जीविकोपार्जन समर्थन, स्वच्छ भारत, सामुदायिक विकास परियोजनाएं और पर्यावरण की देखभाल.

खंड इ: अन्य ब्यौरे

1 सहायक कंपनी :

कंपनी की एक ही सहायक कंपनी है यानी ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL). OMPL की शेयर पूंजी में कंपनी के 51% शेयर हैं.

2 मूल कंपनी की BR पहल में सहायक कंपनी/कंपनियों की सहभागिता:

चूंकि OMPL एक अलग प्रतिष्ठान है इसलिए वह, कारोबार जिम्मेदारी की तरफ पहल, कंपनी के लिए लागू नीतियों के अनुसार अपने आप करता है.

3 उस प्रतिष्ठान/उन प्रतिष्ठानों की (उदा: आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिनके साथ कंपनी अपना कारोबार करती है, जो कंपनी की कारोबार जिम्मेदारी पहल में भाग लेते हैं, सहभागिता और प्रतिशत सहभागिता.

एक सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल, निगमित अभिशासन पर DPE के दिशानिर्देशों में दिए गए अधिदेशों, SEBI (LODR) संबंधी विनियम, 2015 में निर्दिष्ट नीतियों एवं विशेषकर DPE के और आम तौर पर सरकार के अन्य दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुसार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करते हुए अभिशासन चलाती है. एमआरपीएल, स्वेच्छा से कुछ नीति संबंधी पहल भी करता है और उसके हिस्सेदार, एमआरपीएल की, उसकी व्यावसायिक जिम्मेदारी निभाने में मदद करते हैं. यह बताना मुश्किल है कि उनके समर्थन से एमआरपीएल को अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी संबंधी पहल करने में किस हद तक मदद मिली है.

खंड ई: BR संबंधी जानकारी:

1. **BR के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे**

क) BR संबंधी नीति/नीतियां लागू करने के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे

श्री वेंकटेश, प्रबंध निदेशक और CEO (DIN : 07025342)

ख) BR प्रमुख के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरे
1	DIN	07025342
2	नाम	श्री एम. वेंकटेश
3	पदनाम	प्रबंध निदेशक
4	टेलीफोन संख्या	0824-2270400
5	ई-मेल आईडी	venky_m@mrpl.co.in

2. **सिद्धांत-वार (P) (NVG के अनुसार) BR संबंधी नीति/नीतियां**

P 1	कारोबार का अभिशासन, नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के आधार पर चलाना चाहिए.
P 2	कारोबार के दौरान, सुरक्षित वस्तुएं और सेवाएं मुहैया कराई जानी चाहिए जिससे उनके जीवन चक्र में संधारणीयता का योगदान मिले.
P 3	कारोबार से कर्मचारियों को अधिक तंदुरुस्त होने में मदद मिलनी चाहिए.
P 4	कारोबार करते समय सभी हिस्सेदारों के हितों की कद्र होनी चाहिए और उन सभी हिस्सेदारों के प्रति जो वंचित हैं, असुरक्षित हैं और दर किनारे किए गए हैं, उत्तरदायित्व निभाना चाहिए.
P 5	कारोबार के दौरान मानव अधिकार की कद्र होनी चाहिए और मानव अधिकार को बढ़ावा देना चाहिए.
P 6	कारोबार इस तरह से किया जाए जिससे पर्यावरण की कद्र हो, उसका संरक्षण किया जाए और उसे बहाल करने के प्रयास किए जाएं.
P 7	सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदार तरीके से कारोबार करना चाहिए.
P 8	कारोबार में समावेशी वृद्धि और साम्यक विकास के लिए समर्थन होना चाहिए.
P 9	कारोबार करते समय ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदार तरीके से मूल्य दिलाना चाहिए.

क्रम सं.	प्रश्नन	कारोबार नीति	उत्पाद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों की तंदुरुस्तीती	हिस्सेदारों के कार्य	मानव अधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	निगमित सामाजिक दायित्व	ग्राहक के साथ संबंध
1.	**क्या आपने कोई नीति/ नीतियाँ बनाई है/हैं**	हां एक सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल, निगमित अभिशासन पर DPE के दिशानिर्देशों में दिए गए अधिदेशों, SEBI (LODR) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट नीतियों एवं विशेषकर DPE के और आम तौर पर सरकार के अन्य दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुसार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करते हुए अभिशासन चलाता है.	हां उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी मैनुअल (BIS/ अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित)	हां कंपनी ने सभी कर्मचारियों की ख़ातिर मासं के बारे में व्यापक नीतियां बनाई हैं.	हां कंपनी में हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति (SRC) का गठन किया गया है जो अपने हिस्सेदारों की समस्याओं का समाधान करती है..	हां कंपनी की तमाम नीतियों में न केवल मानव अधिकार और कर्मचारियों पर ध्यान दिया जाता है बल्कि कंपनी के प्रचालन द्वारा प्रभावित होने वाले लोगों पर भी ध्यान दिया जाता है.	हां	एमआरपीएल, सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने का काम नहीं करता है. लेकिन, एक PSE होने के नाते, वह, अपना कारोबार जिम्मेदार तरीके से चलाता है और हमेशा, कारोबार की बेहतरीन नैतिक पद्धतियां अपनाता रहा है.	हां	हां
2.	**क्या संबंधित हिस्सेदारों के साथ परामर्श करने के बाद नीति बनाई जाती रही है?**	हां	हां	हां	हां	एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के नाते एमआरपीएल, भारत सरकार की नीतियों से मार्गदर्शित है.	हां	हां	जी हां. कंपनी की CSR एवं SD नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा DPE के दिशानिर्देशों के अनुरूप है.	हां

3.	**क्या यह नीति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? अगर हां तो निर्दिष्ट करें?**	हां नीतियां और निर्धारित क्रियाविधियां, कानून और भारत सरकार, DPE और अन्य सांविधिक निकायों की नीतियों के मुताबिक हैं.	हां BIS / अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों और मानकों के अनुसार)	हां	हां. नीति और निर्धारित क्रियाविधियां, कानूनों व भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हैं	हां प्रचालन और कारोबार के तहत बनाई गईं नीतियां, राष्ट्रीय मानकों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हैं. हां. सीएसआर व एसडी नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है.	हां (ISO 14001: 2004 मानक)	हां कंपनी, अपना कारोबार जिम्मेदार तरीके से चलाती है.	हां DPE के दिशानिर्देशों के अनुरूप	हां (गुणवत्ता के मामले में ISO:9001 और पर्यावरण के मामले में ISO:14001)
4.	**क्या बोर्ड ने नीति के लिए अनुमोदन दिया है? अगर हां तो क्या प्रनि/मालिक/CEO/बोर्ड के उचित निदेशक ने अपने हस्ताक्षर किए हैं?**	हां भारत सरकार, DPE और अन्य भारतीय सांविधिक निकायों के अधिदेश के अनुसार तमाम नीतियों का कंपनी द्वारा, कंपनी के बोर्ड से अनुमोदन मिलने के बाद ही अनुपालन किया जाता है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	जी हां. कंपनी, भारत सरकार की नीतियों का पालन करती है. कंपनी की तमाम नीतियों के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिया जाता है. नीति पर हस्ताक्षर किए गए हैं.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.

5.	क्या कंपनी में, नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी समेत निर्दिष्ट समिति का गठन किया गया है?	हां	बोर्ड की समितियां, नीति के अनुपालन और कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है.	हां नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं मानव संसाधन प्रबंधन समिति भी इस पर निगरानी रखती है.	हां CSR और SD समिति और हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति भी इस पर निगरानी रखती है.	हां	हां नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कंपनी ने PARC और ORC समिति बनाई है.	हां. कंपनी ने कई बोर्ड समितियों का गठन किया है जिनके बारे में ब्यौरे निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं.	हां इस पर CSR और SD समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है.	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक प्रदान करें?	मुखबिर नीति और सत्यनिष्ठा इकरारनामा, www.mrpl.co.in में देखा जा सकता है.	www.mrpl.co.in	Employee पोर्टल पर उपलब्ध है	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in	कंपनी की विभिन्न नीतियों को www.mrpl.co.in पर देखा जा सकता है	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in
7.	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सूचना दी गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	नीति/नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी ने कोई आंतरिक संरचना बनाई है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	नीति/नीतियों से संबंधित हिस्सेदारों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कंपनी ने नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण तंत्र बनाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने, आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से इस नीति के कामकाज की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	निगमित अभिशासन के बारे में SEBI (LODR)विनियम, 2015 के कार्यान्वयन के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है.	हां	हां	हां	हां	हां ISO सिस्टम लेखा परीक्षा की जाती हैं.	हां एक PSE होने के नाते कंपनी की CAG लेखा परीक्षा की जाती है.	हां	हां

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबार नीति P1	उत्पाद की जिम्मेदारी P2	कर्मचारियों की तंदुरुस्ती P3	हिस्सेदारों के कार्य और CSR P4	मानव अधिकार P5	पर्यावरण P6	सार्वजनिक नीति CSR P7	CSR P8	ग्राहक के साथ संबंध P9
1	कंपनी ने सिद्धांत नहीं समझे हैं	लागू नहीं								
2	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाकर लागू करे									
3	कंपनी के पास, इस कार्य के लिए कोई वित्तीय अथवा श्रम शक्ति संसाधन नहीं हैं									
4	यह कार्य, अगले 6 महीने में करने का विचार है									
5	यह कार्य, अगले 1 वर्ष में करने का विचार है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

3. **BR से संबंधित अभिशासन**

- **BR के बारे में कंपनी का निष्पादन आंकने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा CEO की बारंबारता**

  बोर्ड, कंपनी का कारोबार जिम्मेदारी संबंधी निष्पादन, वर्ष में एक बार आंकती है.

- **BR का प्रकाशन अथवा संधारणीयता रिपोर्ट, उसकी बारंबारता और प्रकाशित रिपोर्टों का हाइपरलिंक.**

  भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में यथा अपेक्षित 2019-20 की कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट, 32वीं वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है. यह रिपोर्ट भी कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है.

खंड उ: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी

1. **नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति, सिर्फ़ कंपनी और उसके समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ एनजीओ/दूसरों को लागू होती है.**

   नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित कंपनी की नीति, कंपनी, कर्मचारियों और निदेशकों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, NGO और अन्य हिस्सेदारों को लागू होती है.

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हिस्सेदारों की शिकायतें और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से सुलझाई गईं शिकायतों का प्रतिशत.**

   कंपनी ने हिस्सेदारों की रिश्तेदारी से संबंधित समिति बनाई है. यह समिति, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, लाभांश का भुगतान न होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और विचारार्थ विषय के अनुसार अन्य मुद्दों से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की शिकायतें दूर करने पर ख़ास तौर से ध्यान देती है. कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निवेशकर्ताओं से 43 शिकायतें मिली जिनमें से 41 शिकायतों का निवारण हो चुका है और 2 शिकायतें निपटान के लिए SEBI के पास लंबित रहीं. 27/02/2020 को इन शिकायतों के संबंध में ATR दर्ज की गई.

सिद्धांत 2: उत्पाद जीवन चक्र की संधारणीयता

1. **उत्पादों अथवा सेवाओं की ज्यादा से ज्यादा 3 सूची दें जिनके डिज़ाइन में सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/ अथवा अवसरों को समाविष्ट किया गया है.**

   हाई स्पीड डीज़ल (HSD BSVI ग्रेड), मोटर स्पिरिट (MS BSVI ग्रेड) और विमानन टर्बाइन ईंधन(ATF).

2. **प्रति यूनिट उत्पाद, संसाधन के उपयोग के संबंध में ब्यौरे (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) (वैकल्पिक):**

i. **सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण में कटौती**

क) ऊर्जा की बचत की दिशा में लगातार किए जाते रहे प्रयासों के अंग के तौर पर 2019-20 में कई ऊर्जा संरक्षण परियोजना लागू की गईं. इन उपायों की बदौलत ईंधन में अनुमानित बचत (मानक रिफाइनरी ईंधन के समतुल्य) 13,965 मेट्रिक टन तेल के समान (MTOE) बचत हुई.

ख) रिफाइनरी ने वर्ष के दौरान 75.33 MBN हासिल किया.

ग) एमआरपीएल ने सितंबर, 2019 से BS VI MS और HSD का उत्पादन करना शुरु किया. (21 और 26 सितंबर, 2019 से 10 PPM से कम गंधक युक्त क्रमश: MS और HSD के तमाम देशी बैचों का प्रमाणीकरण किया.)

ii. **उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान कटौती पिछले वर्ष से हासिल की गई है**

क) कंपनी ने प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग करते हुए, लगातार निगरानी रखते हुए, ऊर्जा की बचत करने संबंधी कई आशोधन करते हुए ऊर्जा की बचत पर पहले की भांति बल देना जारी रखा.

ख) वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत करने की दिशा में किए गए ख़ास उपाय और उनके प्रभाव के बारे में जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट के " **अनुबंध ई** " में दी गई है.

3. **संधारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए लागू की गई कार्यविधि और संधारणीय तरीके से उपलब्ध कराई गई निविष्टियों का प्रतिशत**

   प्रक्रिया के लिए एक ख़ास इन्पुट है बिजली. कंपनी ने सीमित उपयोग के लिए अपने परिसर में 6.06MWp रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र लगाया है. इससे गैर-संधारणीय स्रोतों से बिजली की खपत में कमी आई है. कंपनी, आने वाले वर्षों में नवीकरणीय बिजली का उपयोग लगातार बढ़ाने पर जोर देगी.

4. **समुदायों सहित स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से वस्तुएं और सेवाएं हासिल करने के लिए उठाए गए कदम और स्थानीय एवं छोटे विक्रेताओं की खातिर चलाई गईं क्षमता वर्धन गतिविधियां?**

क्रूड तेल का परिष्करण करने वाली कंपनी होने के नाते कंपनी, अधिकतर उपकरणों, अतिरिक्त पुर्जों और रासायनिक पदार्थों की खरीदारी, हमेशा, स्थापित स्रोतों से करती है. ये निविष्टियां, उस स्थानीय इलाके में, जहां रिफाइनरी स्थापित की गई है, उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन हाउसकीपिंग, बगीचे की देखभाल जैसी सेवाओं के लिए स्थानीय समुदाय को मुकर्रर किया गया क्योंकि अधिकतर सेवाएं स्थानीय समुदाय से हासिल की जाती हैं. कंपनी, कुशलता विकास कार्यक्रम और विक्रेता विकास गतिविधियां भी चलाती है.

5. **उत्पादों और अपशिष्ट का पुन:चक्रण करने का तंत्र और उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुन:चक्रण का प्रतिशत (अलग रूप से <5%, 5-10%, >10% के रूप में).**

- एमआरपीएल, प्रौद्योगिकी के छोर पर विभिन्न उपाय करते हुए साइट पर उत्पन्न अपशिष्ट जल सहित अपशिष्ट का पुन: उपयोग/पुन:चक्रण करना चाहता है. प्रक्रिया यूनिटों से निकले स्लॉप तेल का क्रूड आसवन यूनिट में और तेल युक्त कीचड के कुछ अंश का डीलेड कोकर यूनिट में दोबारा प्रोसेसिंग किया जाता है. 2019-20 के दौरान लगभग 345 M^3 तेल युक्त कीचड़ का डीलेड कोकर यूनिट (DCU)में उपचार किया गया.

- रिफाइनरी में उत्पन्न अपशिष्ट जल का अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में उपचार किया जाता है. उपचारित जल का, कूलिंग टावर्स में प्रतिपूरक जल के रूप में दोबारा उपयोग किया जाता है. वित्त 2019-20 के दौरान, रिफाइनरी में करीब 77% अपशिष्ट का पुन:चक्रण किया गया.
- वित्त 2019-20 के दौरान एमआरपीएल में 45,13,709 m^3 की मात्रा में तृतीयक उपचारित नगरपालिका मल-जल प्राप्त हुआ जिसका उचित कीटाणुनाशन उपचार के बाद, प्रक्रिया जल के रूप में रिफ़ाइनरी में उपयोग किया गया.
- PFCC यूनिट से भुक्तशेष उत्प्रेरक का सिमेंट उद्योगों में सह-प्रोसेसिंग किया जाता है, जब कि अन्य भुक्तशेष उत्प्रेरक, उत्कृष्ट और अन्य कीमती धातुएं हासिल करने के लिए प्राधिकृत रीसाइक्लर्स के पास भेजा जाता है.
- रिफाइनरी के कैंटीन और कॉलोनी से निकलने वाले जैव अपशिष्ट का उपचार करने के लिए, बायो गैस संयंत्र लगाया गया है. जैव गैस का, प्रमुख कैंटीन में खाना पकाने के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है.
- उपचारित बहिस्राव जल को समुद्र में विसर्जित करने से पहले उसकी गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखी जाती है.

सिद्धांत 3- कर्मचारी का कल्याण

1. **कर्मचारियों की कुल संख्या**
   1942
2. **अस्थाई/ठेके/अनियत आधार पर मुकर्रर किए गए कर्मचारियों की संख्या.**
   ठेके के आधार पर लगभग 3050 कर्मचारी मुकर्रर किए गए हैं.
3. **स्थाई कर्मचारियों की संख्या**
   131
4. **अपंगता से ग्रस्त स्थाई कर्मचारियों की संख्या.**
   31
5. **क्या आपके यहां कोई ऐसा कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन ने मान्यता दी है.**
   जी हां. इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क.) मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन (MSA)

ख.) एमआरपीएल एंप्लाईस यूनियन (MEU)

ग.) एमआरपीएल SC/ST एंप्लाईस वेल्फेर एसोसिएशन (MSSEWA)

घ.) सरकारी क्षेत्र में महिलाएं (WIPS)
ङ.) एमआरपीएल OBC एंप्लाईस वेल्फेर एसोसिएशन (MOEWA)

6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में सदस्यों के रूप में आपके स्थाई कर्मचारियों का प्रतिशत?

100%

7. पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बाल मज़दूर, बलात् मजदूर, यौन उत्पीडन से संबंधित कितनी शिकायतें मिलीं और इनमें से वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी लंबित रहीं.

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गईं शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूर/बलात् मजदूर/अनैच्छिक मजदूर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	यौन उत्पीडन	01	01
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	कुछ नहीं	कुछ नहीं

8. पिछले वर्ष नीचे उल्लिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को संरक्षा और कुशलता उन्नयन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और सीखने के लिए 5265 श्रम दिवस लगाए जो प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 3.21 श्रम दिवस और गैर प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 2.30 श्रम दिवस बनता है.

सिद्धांत 4 - हिस्सेदारों को मुकर्रर करना

1. अपने आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारों को मुकर्रर किया.

हां, हिस्सेदारों को नीचे बताए गए तरीके से मुकर्रर किया गया:

क. निवेशकर्ता और हिस्सेदार

ख. कर्मचारी

ग. स्थानीय समुदाय

घ. आपूर्तिकर्ता और ग्राहक

ङ. सरकारी नियामक प्राधिकारी

2. वंचित, दुर्बल और दर किनारे किए गए हिस्सेदारों को पहचानना.

एमआरपीएल, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का और अपंगता से पीडित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की खातिर सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी अपंगता से पीडित व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की सूची का पालन करता है.

3. वंचित, दुर्बल और दर किनारे किए गए हिस्सेदारों को मुकर्रर करने के लिए कंपनी द्वारा की गईं विशेष पहल.

एमआरपीएल, आरक्षित श्रेणी में कमी की पूर्ति करने के लिए अकसर विशेष भर्ती अभियान चलाता है.

सिद्धांत 5 - मानव अधिकार

1. मानव अधिकार संबंधी कंपनी नीति की व्याप्ति और उसमें समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/दूसरों को शामिल करना.

एमआरपीएल, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान है जो सरकारी दिशानिर्देशों और लागू कानूनों से मार्गदर्शित होता है जो आम तौर पर मानव अधिकारों का संरक्षण करता है और यह बात दूसरे हिस्सेदारों के लिए लागू होती है.

2. पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हिस्सेदारों की शिकायतें और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से सुलझाई गईं शिकायतों का प्रतिशत.

वर्ष 2019-20 के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली.

सिद्धांत 6 - पर्यावरण प्रबंधन

1. सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी नीति की व्याप्ति और उसमें समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ दूसरों को शामिल करना.

दीर्घावधि संधारणीयता के लिए पर्यावरण का पोषण और संरक्षण करना, एमआरपीएल की पर्यावरण नीति का मूल उद्देश्य है. यद्यपि यह नीति सिर्फ़ कंपनी तक सीमित है लेकिन कंपनी, पर्यावरण का परिरक्षण करने की जिम्मेदारी लेने का प्रयास करती रही है और ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय समुदाय जैसे अन्य हिस्सेदारों के समूहों में से प्रबंधन, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी उठाता रहा है.

2. मौसम में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दे सुलझाने के लिए कंपनी की रणनीतियां/पहल

1. एमआरपीएल, अपने व्यवसाय में उत्कर्ष हासिल करने की लगातार कोशिश करता रहा है और इस दिशा में सुधार करते हुए पर्यावरण पर सकारात्मक असर डालने में कामयाब हुआ है. एमआरपीएल, प्रति मेट्रिक टन क्रूड का परिष्करण करने की दिशा में कार्बन के पद चिह्न पर वर्ष में एक बार नज़र रखता है. एमआरपीएल, देशी छोर पर ऊर्जा बचाने के उपाय करता आ रहा है जिनके ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं.

क) HCU II शेल्ल PFI

शीत विखनिजित जल की मदद से हाइड्रोक्रैकर-2 अरूपांतरित तेल से हाइड्रोक्रैकर-II पुन:चक्रण विपट्टक स्तंभ हीट रिकवरी में डीज़ल पंप का कार्यान्वयन

ख) गंधक रिकवरी यूनिट-2 (SRU) के लिए समृद्ध O_2

O_2 से समृद्ध वायु को नाइट्रोजन यूनिट से एसआरयू थर्मल रिएक्टर में प्रवाहित करते हुए यूनिट, अधिक फ़ीड को प्रोसेस करने में सक्षम हुई है जिससे वाष्प का उत्पादन बढ़ गया है.

ग) क्रूड आसवन यूनिट चरण 1 में अधिक क्षमता वाला मोटर लगाना:

280m^3/घंटे से 360m^3/घंटे तक अधिक प्रमाण में घटाए गए क्रूड तेल (RCO) को संभालने के लिए मौजूदा मोटर के स्थान पर उच्चतर क्षमता वाला मोटर लगाना. दो पंप चलाने के बजाय एक ही पंप चलाना जिससे बिजली की कम खपत होगी.

घ) CPP 3 उपयोगिता बॉइलरों में अधिक वायु का प्रवाह कम करना

ङ) HRSG 1 और 2 के बहिर्गम पर धुआं गैस का बहिर्गम तापमान घटाना.

च) बॉइलर जल फ़ीड पंप को 13 चरण से 12 चरण तक लाकर बॉइलर फ़ीड जल हेडर का दाब घटाना.

छ) कर्मशाला रहित फ़र्श क्षेत्र फल में अदक्ष लाइटिंग जुड़नार के स्थान पर ऊर्जा बचाने वाले जुड़नार लगाना (2019-20 के दौरान यह काम अंशत: पूरा किया गया).

ज) संयंत्र क्षेत्र में, HPMV और HPSV के स्थान पर ऊर्जा बचाने वाले जुड़नार (यह काम अंशत: पूरा किया गया है).

झ) CDU I के निर्वात स्तंभ का शीर्ष दाब घटाना

ञ) LGO और HGO विपट्टकों में विपट्टन भाप का प्रवाह रोकना, CDU I में विपट्टन भाप को इष्टतम स्तर तक प्रवाहित करना

ट) CDU II में भारी गैस तेल विपट्टन भाप का प्रवाह रोकना

इन उपायों की बदौलत ईंधन में अनुमानित बचत (मानक रिफाइनरी ईंधन के समतुल्य) 11148 SRFT/वर्ष है जो करीब ₹ 1220 लाख/प्रति वर्ष की निवल बचत के बराबर है.

2. एमआरपीएल ने एक बैरल क्रूड प्रोसेस करने के लिए लगने वाले ईंधन को MBN संख्या के रूप में 2% से अधिक घटाया है जिस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

3. एमआरपीएल ने PAT (पर्फार्म अचीव ट्रेड) का क्रियान्वयन करते हुए 2018-19 के लिए PAT MBN लक्ष्य हासिल किया. . 2019-20 के दौरान हासिल किया गया वास्तविक MBN, 75.33 रहा.

3. राजनीतिक पर्यावरण में निहित जोखिम को पहचानना और आंकना.

एमआरपीएल में चालू आधार पर अपना जोखिम संभालने के लिए सुपरिभाषित प्रक्रिया अपनाई गई है. एमआरपीएल ने प्रतिष्ठान व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है. '' पहचाने गए जोखिमों पर ATR और जोखिम मिटाने संबंधी योजना की, शीर्ष प्रबंधन द्वारा वक्त-वक्त पर समीक्षा की जाती है '' **स्वच्छ विकास तंत्र की दिशा में कंपनी की पहल?** कंपनी ने स्वच्छ विकास तंत्र के तहत कोई परियोजना अब तक हाथ में नहीं ली है. लेकिन कंपनी, ऊर्जा बचाने के कई उपाय अपनाते हुए और संस्फुरण घटाते हुए GHG का उत्सर्जन घटाने में कामयाब रही. एमआरपीएल ने रिफाइनरी के कार्बन पद चिह्नों (CFP) और भविष्य में CDM परियोजना के अवसरों को पहचानने के लिए मेसर्स डेलोइट को मुकर्रर किया है.

4. स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा की बचत, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कंपनी की पहल.

क) कंपनी ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी थी जिसमें अकार्बनिक उर्वरक के स्थान पर एमआरपीएल की बागबानी के मलबे के वर्मी कांपोस्ट से रिफाइनरी परिसर के अंदर उत्पन्न जैविक उर्वरक का उपयोग करने का प्रयास किया गया. इस अनूठे प्रयास से रिफाइनरी परिसर के अंदर अकार्बनिक उर्वरक को प्रतिस्थापित करने की कोशिश की जा रही है.

ख) कंपनी, तण्णीरबावी, मंगलूर में 70 MLD क्षमता का विलवणन संयंत्र स्थापित करने जा रही है.

ग) कंपनी, खुदरा केंद्रों में वाष्प रिकवरी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रही है.

घ) कंपनी ने प्रस्तावित अत्याधुनिक 2G एथनॉल संयंत्र के संबंध में EIA अध्ययन पूरा कर लिया है जिसे दावणगेरे में लगाया जाएगा और इस दिशा में सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है. उक्त 60 KLPD एथनॉल संयंत्र, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के समर्थन एक पहल है. इसमें ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई गई है जिसमें कृषि अवशेष का, गैसोलीन के लिए पर्यावरण के अनुकूल ब्लेंड स्टॉक में परिवर्तन किया जाएगा.

5. CPCB/SPCB द्वारा अनुमत सीमाओं के अंदर कंपनी के उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में रिपोर्ट करना.

CPCB/SPCB के मानदंडों द्वारा अनुमत सीमाओं के अंदर कंपनी के उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में रिपोर्ट करना.

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) को वक्त-वक्त रिपोर्ट भेजी जा रही हैं.

6. **वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में लंबित (अर्थात्; जिनको संतोषजनक ढंग से न निपटाया गया), CPCB/SPCB से प्राप्त कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस की संख्या.** : कुछ नहीं

सिद्धांत 7 - सार्वजनिक वकालत

1. व्यापार और चेंबर अथवा संघ में अभ्यावेदन.

हां, कंपनी ने नीचे उल्लिखित संघों/निकायों में सदस्यता ली है.

1. कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII),
2. सार्वजनिक प्रतिष्ठान संबंधी स्थाई समिति (SCOPE),
3. पेट्रोलियम कंज़र्वेटिव रिसर्च एसोसिएशन (PCRA),
4. राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला मान्यता बोर्ड (NABL),
5. फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री
6. फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (FIEO)

2. जनता की उन्नति के लिए उक्त संघों में वकालत की गई/तरफदारी की गई.

लोगों की उन्नति के लिए कंपनी, संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही है.

सिद्धांत 8: समावेशी वृद्धि

1. सिद्धांत 8 से संबंधित नीति लागू करने की दिशा में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं.

MRPL ने CSR और SD संबंधी नीति बनाई जिसमें समावेशी वृद्धि और सामुदायिक विकास पर जोर दिया जाता है. कंपनी ने CSR/ SD नीति के अनुसार CSR की तरफ विभिन्न पहली कीं (मंडल की रिपोर्ट के '' **अनुबंध-अ** '' में ब्यौरे दिए गए हैं).

2. आंतरिक टीम/खुद के फाउंडेशन/बाह्य/सरकारी ढांचे/किसी दूसरे संगठन के जरिए हाथ में लिए गए कार्यक्रम/परियोजनाएं

कंपनी द्वारा CSR के अधीन परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं.

3. **पहल का प्रभाव आंकना.**

परियोजना पूरी होने के बाद हिताधिकारियों, से मिले फ़ीडबैक के आधार पर प्रभाव का आकलन किया जाता है. उपस्थिति में सुधार करने, छात्रों के शैक्षिक निष्पादन, छात्रों की पाठ्येतर गतिविधियों आदि, CSR परियोजनाओं के असर का विश्लेषण करने के लिए जैसे लाभार्थी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, छात्रवृत्ति के वितरण के बारे में स्कूलों से फ़ीडबैक प्राप्त किया जाता है. इसी प्रकार, ग्राम पंचायतों से गांव के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने के बारे फ़ीडबैक लिया जाता है जहां विभिन्न प्रकार की CSR परियोजनाएं हाथ में जाती हैं जैसे मुफ़्त में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना / पहियों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, सड़कें बनाना, सौर स्ट्रीट लाइटें लगाना, धुआं मुक्त गांव बनाना, पाइप कांपोस्ट, पेय जल संबंधी परियोजनाएं हाथ में लेना आदि. एमआरपीएल द्वारा हाथ ली गईं प्रमुख CSR परियोजनाओं के असर का जानने के लिए अध्ययन करने की खातिर एक बाह्य एजेंसी को किराए पर मुर्करर किया जा रहा है.

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान.**

वर्ष 2019-20 के दौरान एमआरपीएल ने शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, समुदाय विकास, कुशलता विकास, जैव विविधता के प्रति समर्थन, संस्कृति और परंपरा, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और PM CARES निधि आदि से संबंधित सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रति ₹ 76.09 करोड़ खर्च किए.

5. **यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि समुदाय, इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाता है.**

कंपनी की सीएसआर संबंधी पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अपनाया है. गांव और समाज के पददलित समुदायों में शिक्षा, विशेषकर गांव के सरकारी स्कूलों में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या में, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं के विकास, पर्यावरण में बहुत सारे सुधार हुए हैं. गांवों में बसे अ.जा./अ.ज.जा. के समुदायों में स्वच्छता को लेकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. आस पास के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल चिकित्सा क्लिनिकों के जरिए मुफ़्त में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से गांव के लोगों के विशेषकर कृषकों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और ग्रामीण स्कूलों में छात्रों को स्वास्थ्यकर मध्याह्न भोजन प्रदान करने से सरकार स्कूलों में छात्रों की संख्या बरकरार रखने में मदद मिली है. गांवों में सौर स्ट्रीट लाइटें लगाने से गांववालों को ऊर्जा बचाने में मदद मिली है. आंगनवाड़ी का निर्माण करने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पोषण करने में मदद मिली है. हर प्रकार की अपंगता से पीडित विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों और साधनों के सहारे समर्थन प्रदान किया जाता है. मंगलूरु की सरहद में पिलिकुला निसर्गधामा का समग्र अनुरक्षण, जैव विविधता के प्रति हमारे योगदान के अंग के रूप में किया जाता है. राज्य में युवा पीढ़ी के लिए बनाए गए हमारे कुशलता विकास कार्यक्रम की बदौलत उनकी कुशलता बढ़ाने में मदद मिली है.

सिद्धांत 9: ग्राहकों के लिए मूल्य

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ताओं के मामलों का प्रतिशत:**

कुछ नहीं

2. **उत्पाद के लेबलिंग पर उत्पाद की जानकारी.**

पॉलीप्रॉपीलीन थैलियों पर ग्रेड, बैच संख्या, बैग संख्या और कंपनी के पते और संपर्क करने संबंधी ब्यौरे के साथ कंपनी का प्रतीक चिह्न, बैग संभालने से संबंधित जानकारी दी जाती है.

3. **पिछले पांच वर्ष के दौरान और वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार प्रथा, गैर-जिम्मेदार तरीके से विज्ञापन देने और/अथवा प्रतिस्पर्धात्मक विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी हिस्सेदार द्वारा दर्ज किया गया कोई मामला.**

कुछ नहीं

4. **कंपनी द्वारा किया गया उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता के संतोषपर्यंत प्रवृत्ति.**

विव 2019-20 के लिए प्रत्यक्ष बिक्री ग्राहकों के मामले में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में 97.18% परिणाम प्राप्त हुआ.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. ('' दी कंपनी '') के संलग्न किए गए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का स्वतंत्र तुलन पत्र, स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष का इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला स्वतंत्र विवरण और स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां (जिसे इसके आगे '' स्वतंत्र वित्तीय विवरण '' कहा गया है) समाविष्ट की गई है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में, अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 2013 ('' दी ऐक्ट '') की अपेक्षानुसार जानकारी मिलती है जो यथा संशोधित कंपनी नियम, 2015 (भारतीय लेखा मानक) (“Ind AS”)के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) और उसके अधीन बनाए संबंधित नियमों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक के कंपनी के कामकाज की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के उसकी हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) तथा इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है.

राय का आधार

हमने, अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार की. उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों के बारे में आगे वर्णन, हमारी रिपोर्ट के खंड *'' स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां ''* में किया गया है. अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी नीति संहिता के अनुसार हम, कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और ICAI की नीति संहिता के अनुसार अपनी नैतिक अपेक्षाएं पूरी की हैं. हम मानते हैं कि हमें लेखा परीक्षा के बारे में जो सबूत मिले हैं वे स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं.

बल देने लायक मामले

हम आपका ध्यान स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 52 की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जिसमें, नए किस्म के कोरोना वायरस(COVID-19) के फैलने से उत्पन्न अनिश्चित स्थिति का वर्णन किया है जिसने दुनिया भर में कारोबार को काफ़ी हद तक अस्त-व्यस्त कर दिया है. सर्वव्यापी महामारी, COVID-19 का कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर किस हद तक प्रभाव होगा यह बात भावी गतिविधियों पर निर्भर होगी जो काफ़ी अनिश्चितता से भरी हैं.

इस मामले में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, ऐसे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के मुताबिक, चालू अवधि के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में बेहद उल्लेखनीय थे. स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाते समय इन मामलों को निपटाया गया और इन मामलों पर हमारी कोई अलग राय नहीं है. हमने नीचे वर्णित मामलों का लेखा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में निर्धारण किया है जिसे हमारी रिपोर्ट में सूचित किया गया है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	हमारी लेखा परीक्षा में इनका समाधान कैसे किया गया
स्टॉक	
क्रूड तेल और तैयार माल के रूप में कच्चा माल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में मध्यवर्ती उत्पादों का स्टॉक, आस्तियों का उल्लेखनीय अंश बनता है. इस वर्ष Covid -19 सर्वव्यापी महामारी के कारण स्टॉक का जायजा लेते समय इनका प्रत्यक्ष निरीक्षण करना लेखा परीक्षकों के लिए संभव न हुआ. कंपनी द्वारा स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है जिसके बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 16 में दी गई है. क्रूड तेल की खरीदारी और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में एकदम गिरावट आई जिसका विस्तृत वर्णन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में किया गया है और इस वजह से इनको वसूली योग्य मूल्य पर प्रतिलेखित करना पड़ा.	हमने, स्टॉक का निर्धारण एवं मूल्यांकन करते समय प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रकों के डिज़ाइन एवं प्रचालन दक्षता को समझा और उनका परीक्षण किया. स्टॉक का, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया और उनसे संबंधित दस्तावेजों की नमूना जांच की गई. हमने, नमूना जांच के आधार पर बाद में हुई स्टॉक की बिक्री का सत्यापन किया जिससे कि स्टॉक की मौजूदगी और उसके मूल्यांकन एवं पुनरावर्ती क्रियाविधि की एवं 31 मार्च, 2020 को स्टॉक की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके. कंपनी की, स्टॉक का मूल्यांकन करने की लेखा नीति एवं मौजूदा लेखा मानक INDAS 2 की अपेक्षाओं के अनुसार नीति के अनुपालन के औचित्य का निर्धारण किया और वास्तविक बिक्री कीमत और वर्षांत के बाद बिक्री कीमत सहित विभिन्न कारकों पर विचार किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वसूली योग्य मूल्य का आकलन ठीक तरह से किया गया है. तैयार माल की लागत की तुलना, अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ की गई और यह जांचा कि क्या तैयार माल को निवल वसूली योग्य मूल्य पर रेकॉर्ड किया गया है और जहां लागत, निवल वसूली योग्य मूल्य से अधिक पाई गई, वहां स्टॉक का मूल्य घटाया गया. उत्तरवर्ती बिक्री कीमत को हिसाब में लेने के बाद स्टॉक का परिकलन करते समय प्रबंधन के फ़ैसले की एवं स्टॉक के लिए वर्तमान एवं भावी मांग को लेकर प्रबंधन के निर्धारण की समीक्षा की गई. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में संबंधित प्रकटन की पर्याप्तता का निर्धारण किया गया. अभिकथन के स्तर पर '' परिपूर्णता '' '' यथातथ्यता और मूल्यांकन '' के बारे में दिए गए आश्वासन को लेकर लेखा परीक्षा संबंधी जोखिम का निर्धारण और नमूना निर्धारण किया गया.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	हमारी लेखा परीक्षा में इनका समाधान कैसे किया गया
आकस्मिक देयताएं, कंपनी के खिलाफ़ दावे और विवादित कर	
AS 37 के अनुसार - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां, आकस्मिक देयता एक ऐसी संभावित दायित्व है जो गत घटनाओं से उत्पन्न होती है जिसके परिणाम की पुष्टि, एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाएं होने अथवा न होने पर ही की जा जाएगी (Ind AS 37). कंपनी के खिलाफ़ बहुत सारे दावे और कानूनी मामले हैं जिससे, प्रबंधन की राय में, अंत में देयता उत्पन्न होने की संभावना नहीं है. इसलिए लेखा परीक्षा के अधीन वर्ष के लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. अगर प्रतिकूल परिणाम निकाला तो कंपनी को विवादित रकम अदा करने की नौबत आ सकती है जिस पर, न्याय निर्णायक प्राधिकारी/ सांविधिक प्राधिकारी/ अदालत के फैसले के मुताबिक ब्याज और/अथवा दंड देना पड़ेगा.	मानक के अनुसार, एक बार आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकार करने पर प्रतिष्ठान को चाहिए कि वह उस आकस्मिक देयता के संबंध में भावी आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावनाओं का लगातार निर्धारण करता रहे. अगर भावी आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना अधिक हो तो आकस्मिक देयता वास्तविक देयता में परिवर्तित हो सकती है जिसे प्रावधान के रूप में दर्शाना पड़ेगा. हमने, कंपनी के खिलाफ़ दावों और कानूनी मामलों की सूची की समीक्षा की है और वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए उपलब्ध रेकॉर्डों से भावी आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना पर विचार किया है और लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	हमारी लेखा परीक्षा में इनका समाधान कैसे किया गया
आस्थगित कर आस्ति	
Ind AS 12- *आय कर के अनुसार,* काटने लायक अस्थाई अंतर और अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों और क्रेडिट्स को आगे ले जाने के संबंध में भावी अवधियों में वसूल करने लायक आय कर की रकम. आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्यावर्तन, प्रबंधन के आकलन और अनिश्चितता से भरे भविष्य में अर्जित करने लायक लाभ पर निर्भर होता है.	आस्थगित कर आस्ति की समीक्षा करने पर नीचे उल्लिखित कारकों पर विचार किया गया: क. पर्याप्त कर योग्य अस्थाई अंतर की मौजूदगी. ख. ऐसे अन्य ठोस सबूत कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ मिलेंगे. भावी प्रक्षेपणों और हमें दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 25 में यथा उल्लिखित आस्थगित कर आस्ति को वसूल करने की संभावना पर कंपनी का निर्णय, निष्पक्ष एवं उचित है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	हमारी लेखा परीक्षा में इनका समाधान कैसे किया गया
आस्तियों में ह्रास	
Ind AS 36 - आस्तियों की क्षति के अनुसार, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश करते समय, अगर अलग वित्तीय विवरण में उस निवेश की बही रकम, संबद्ध सुनाम सहित निवेश करने वाले की निवल आस्तियों के समेकित वित्तीय विवरणों में बही रकम से अधिक हो तो क्षति दर्शानी होगी. मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) की सहायक कंपनी होने के नाते, ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने लगातार हानियां उठाई हैं जिससे कंपनी की निवल मालियत में ह्रास हुआ है. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन ने अनुमान लगाया है कि विभिन्न कल्पनाओं और प्रक्षेपणों के आधार पर, जिनके लिए ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने अपना अनुमोदन दिया है, वह आने वाले वर्षों में लाभ अर्जित कर पाएगी.	हमने, ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गईं परिकल्पनाओं की समीक्षा की है जिससे कि भावी नकदी प्रवाह का और इन प्रक्षेपणों को तैयार में निहित मापदंडों के आधार पर प्रक्षेपण किया जा सके. प्रबंधन और सहायक कंपनी द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, वित्तीय वर्ष के अंत में सहायक कंपनी में किए गए निवेश के लिए कोई ह्रास नहीं दर्शाया गया है.(देखें, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.11).

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में शामिल है, बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट, निगमित अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी सहित बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी लेकिन इसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है. उम्मीद है कि हमें, ऊपर निर्दिष्ट जानकारी, इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराई जाएगी.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में, अन्य जानकारी को समाया नहीं गया है और हम, उस पर कोई आश्वासन नहीं देना चाहते हैं न ही कोई निष्कर्ष ले सकते हैं.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है, जब उपलब्ध हो तब पहचानी गई उक्त अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारी, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों से ख़ास तौर से असंगत है अथवा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा हमें प्राप्त ज्ञान में बयान, वस्तुत: गलत लगता है.

जानकारी पढ़ते समय अगर हम यह निष्कर्ष करें कि उसमें दी गई जानकारी वस्तुत: गलत है तो हमें अभिशासन चलाने वालों को इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी और परिस्थितियों में एवं लागू कानूनों और विनियमों के तहत आवश्यक उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन चलाने वालों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल, ये स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं. इस जिम्मेदारी में ऐसी बातें भी शामिल हैं जैसे कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन कर उनको लागू करने, ऐसे फैसले और आकलन करने के लिए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाने, उसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए जो सही और निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, महत्वपूर्ण गलत बयान से स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखा रेकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रेकॉर्ड रखना.

स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करते समय निदेशक मंडल, समुत्थान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता का निर्धारण करने, समुत्थान प्रतिष्ठान के रूप से संबंधित यथा लागू मामले प्रकट करने और जब तक निदेशक मंडल, कंपनी का परिसमापन करने अथवा प्रचालन समाप्त करने का इरादा न रखे अथवा जिसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा वस्तुनिष्ठ विकल्प न हो, समुत्थान आधार पर लेखाकरण करने के लिए जिम्मेदार है.

वह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा मक़सद है, इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या समग्र रूप से स्वतंत्र वित्तीय विवरण, ठोस गलत बयान से मुक्त हैं, क्या धोखाधडी या गलती की वजह से ऐसा हुआ है और क्या हमारी राय सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना पड़ेगा. उचित आश्वासन, उच्च स्तर के आश्वासन के बराबर होता है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देता है कि SAs के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में, कोई ठोस गलत बयान हो तो उसका हमेशा पता लगाया जाएगा. धोखाधड़ी अथवा गलती से गलत बयान उत्पन्न हो सकता है और इनको ठोस तभी समझा जाएगा जब प्रत्येक रूप से अथवा कुल मिलाकर, इनसे यह उम्मीद की जाए कि ये, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फ़ैसलों को प्रभावित कर सकते हैं.

SAs के अनुसार लेखा परीक्षा के अंग के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखा परीक्षा की समग्र अवधि के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं. हम यह कार्य भी करते हैं:

- स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के ठोस गलत बयान में निहित जोखिम को पहचानकर यह निर्धारण करते हैं कि क्या यह धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुआ है, इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा संबंधी क्रियाविधियां बनाकर लागू करते हैं और लेखा परीक्षा को लेकर ऐसा सबूत पाते हैं जो हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हो. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए ठोस गलत बयान का पता लगने पर उत्पन्न जोखिम, गलती से उत्पन्न गलत बयान से अधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल-चूक, आंतरिक नियंत्रण का अन्यथा कथन अथवा उल्लंघन होता है.
- लेखा परीक्षा संबंधी ऐसी क्रियाविधियां बनाने कि दृष्टि से जो परिस्थितियों में उचित हों, लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना. अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम, इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक पद्धतियां लागू की हैं और ऐसे नियंत्रक, चलाने के लिए प्रभावशाली हैं.
- प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखा आकलनों के औचित्य का तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटन का मूल्यांकन करना.
- अंतिम रूप से यह तय करना कि समुत्थान आधार पर लेखाकरण का उपयोग करना प्रबंधन के लिए उपयुक्त है और प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी सबूत के आधार पर क्या घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में कोई ऐसी ठोस अनिश्चितता है जो समुत्थान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर ख़ास संदेह उत्पन्न करे. अगर अंत में हम यह तय करें कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है तो हमें, अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में प्रकटन की ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा अथवा अगर ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो हमारी राय बदलनी पड़ेगी. हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी सबूत के आधार पर हैं. लेकिन, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां, कंपनी को एक समुत्थान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं.
- प्रकटन सहित स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या स्वतंत्र वित्तीय विवरण, अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का चित्रण इस तरह से पेश करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण उभरकर सामने आए.

हम उनको सूचित करते हैं जिनको अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय निर्धारित करने और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हम जिन आंतरिक नियंत्रक को पहचाने उनमें उल्लेखनीय कमियों सहित उल्लेखनीय लेखा परीक्षा जांच-परिणाम निकालने का काम सौंपा गया है.

हम, शासन का काम चलाने के लिए जिम्मेदार उनको भी यह बयान देते हैं कि हमने, स्वतंत्रता के बारे में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनको, ऐसे संबंधों और अन्य मामलों के बारे में और जहां कहीं लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में जानकारी देते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर उचित प्रभाव पड़े.

शासन चलाने वालों को सूचित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में बेहद उल्लेखनीय थे और इसलिए लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले रहें. जब तक कानून अथवा विनियम, मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन करने से रोक न लगाए हमने इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन किया है अथवा जब अति विरल परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करें कि मामला, हमारी रिपोर्ट में इसलिए नहीं सूचित किया जाए कि ऐसा सूचित करने से सार्वजनिक हित संबंधी लाभ से अधिक प्रतिकूल परिणाम होने की संभावना होगी.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("the Order") की अपेक्षाओं के अनुरूप, हमने, यथाशक्य, आदेश के परिच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण, **"अनुबंध अ"** में दिया है.

2. कंपनी के रेकॉर्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के बलबूते पर, हम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट यहां नीचे देते हैं:

   क. कंपनी, आईटी सिस्टम के जरिए लेखा संबंधी तमाम लेन-देन करती है. चूंकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईटी सिस्टम के बाहर कोई लेखा संबंधी लेन-देन नहीं किया गया इसलिए लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हैं.

   ख. मौजूदा ऋण का पुनर्निर्माण नहीं किया गया है न ही कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा किए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि का अधित्यजन/बट्टे खाते लिखने का कोई मामला है.

   ग. राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में सरकारी अनुदान को ठीक तरह से लेखाबद्ध कर उनको नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है.

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण मांग कर प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

   ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी परीक्षा से लगता है कि कंपनी ने कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां ठीक तरह से रखी हैं.

   ग. इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए स्वतंत्र तुलन पत्र, स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला स्वतंत्र विवरण और स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

   घ. हमारी राय में, उक्त स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

   ङ. अधिनियम की धारा 164(2) के अधीन उल्लिखित निदेशकों की अनर्हता, कंपनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होती है.

   च. कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और इन नियंत्रकों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में **"अनुबंध आ"** में अलग रूप से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

   छ. कंपनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 के प्रावधान, सरकारी कंपनी के लिए इसलिए लागू नहीं होते हैं कि वह एक सरकारी कंपनी है.

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

क. कंपनी ने, अपने स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित कानूनी मामलों का प्रभाव प्रकट किया है - देखें स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.46;

ख. कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो; और

ग. कंपनी ने निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित रकम का हस्तांतरण करने में कोई विलंब नहीं किया है.

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सी.ए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875
UDIN: 0083875AAAAAP7748

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 9 जून, 2020

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सी.ए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592
UDIN: 20203592AAAABZ5457

स्थान : मंगलूरु
दिनांक: 9 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का " अनुबंध – अ "

(जिसे हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है)

(i) कंपनी की अचल आस्तियों के संबंध में:

क. कंपनी ने परिमाणात्मक ब्योरों और अचल आस्तियों के स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रेकॉर्ड रखे हैं.

ख. प्रबंधन ने, वर्ष के दौरान तमाम आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया लेकिन सत्यापन करने का एक नियमित कार्यक्रम बनाया गया है जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नजर नहीं आई हैं.

ग. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारी ओर से किए गए कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार अचल संपत्ति के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम हैं. पट्टे पर लि गईं और स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों के रूप में प्रकट अचल आस्तियों के संबंध में ₹ 1305.60 दशलक्ष की रकम की भूमि के बारे में औपचारिक पट्टा संबंधी करारनामे अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं. स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.6.3 देखें.

(ii) हमें बताया गया है कि निरंतर स्टॉक कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है. अन्य मदों के स्टॉक का वर्षांत में प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है. सत्यापन की बारंबारता, हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके कारोबार स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नजर नहीं आई हैं.

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फ़र्मों अथवा सीमित देयताओं वाले साझेदारों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, चाहे जमानती हो या गैर-जमानती, नहीं दिया है.

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटियों और जमानत के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों का पालन किया है.

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा किसी अन्य संबंधित प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अर्थ के अंदर कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है.

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए कंपनी द्वारा रखे गए लागत संबंधी रेकॉर्डों की स्थूल रूप से समीक्षा की और हमारी राय में , प्रथम दृष्टि में, निर्धारित लेखे और रेकॉर्ड तैयार कर रखे गए हैं. लेकिन, हमने रेकॉर्डों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है.

(vii) क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से परखे गए कंपनी के रेकॉर्डों के अनुसार कंपनी, वर्ष के दौरान, उचित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आय कर, माल एवं सेव कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं सहित विवादरहित सांविधिक देयताएं आम तौर पर नियमित रूप से जमा कराती रही है. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2020 को बकाया भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, और अन्य सांविधिक देयताओं के संबंध में देय विवादरहित रकम, देय हुए दिनांक से छह महीने से अधिक समय तक बाकी नहीं रही.

ख. हमें दी गई जानकारी और कंपनी के रेकॉर्डों का सत्यापन करने से ऐसी विवादित कर देयता, जिसे 31 मार्च, 2020 तक उचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं कराया गया है, निम्नानुसार है:

(रकम ₹ दशलक्ष में)

कानून का नाम	देय राशि का स्वरूप	कुल मांग	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त/ समायोजित कुल कर	जमा न की गई रकम	अवधि (वित्तीय वर्ष)	विवाद, किस मंच पर लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961 *	आय कर / ब्याज/ दंड	296.31	296.31		AY 1993-03	बाँबे उच्च न्यायालय
		10.93	10.93		AY 1993-03	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		138.61		138.61	AY 2008-09	आय कर आयुक्त, मंगलूरु
		1.08		1.08	AY 2009-10	आय कर आयुक्त, मंगलूरु
		0.73		0.73	AY 2017-18	आय कर आयुक्त, मंगलूरु
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 **	केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर/ब्याज/ दंड	6237.08	267.40	5969.68	1997-98 से 2016-17	CESTAT
		10.45	0.02	10.43	2014-15 से 2016-17	आयुक्त (अपील)
		2.07	2.07	Nil	2002-03 से 2015-16	संयुक्त सचिव, MOF
		5.82	0.50	5.32	2020-11	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मंगलूरु
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1962	केंद्रीय सीमा शुल्क / ब्याज/ दंड	7,013.39	2,507.58	4,577.67	1997-98 से 2016-17	CESTAT
		71.86			1996-97 to 2007-08	सर्वोच्च न्यायालय
		3.34	0.76	2.58	2017-18	आयुक्त (अपील) (उत्पाद शुल्क)
दी कर्नाटका सेल्स टैक्स ऐक्ट 1957/ केंद्रीय बिक्री अधिनियम, 1956	कर/ ब्याज/ दंड	4,341.60	4,341.60	-	1999-00 से 2009-10	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
		16.42	12.42	4.00	2009-10 से 2011-12	कर्नाटक उच्च न्यायालय
		34.97	22.66	12.31	2003-04	गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिकरण

* कंपनी ने, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 और उसके लागू नियमों के जरिए आय कर अधिनियम, 1961 के तहत विवादित मांग का निपटान करने का विकल्प चुना है और तदनुसार उक्त योजना के तहत देय ₹ 282.01 दशलक्ष **(₹ 447.65 दशलक्ष की मांग के मुकाबले)** की रकम, ₹ 1084.76 दशलक्ष में शामिल है जिसे चालू वर्ष के दौरान लाभ-हानि विवरण में पूर्व वर्ष के कर के रूप में दर्शाया गया है. (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.14.1)

** ₹ 2.31 दशलक्ष की रकम के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में कंपनी ने सब का विश्वास (विरासत संबंधी विवाद का समाधान) योजना 2019 के तहत विवादित मांग का निपटान करने का विकल्प चुना है (वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 15.4).

(viii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से कंपनी के रेकॉर्डों को परखने से,कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी बैंक अथवा सरकार को ऋण या उधार चुकाने में कोई चूक नहीं की है.

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के रूप में (कर्ज संबंधी लिखतों सहित) कोई पैसे नहीं जुटाए हैं. लिए गए सावधि ऋणों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया जिसके लिए गए थे.

(x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से कंपनी की लेखा बहियों को परखने पर हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में कंपनी में धोखाधड़ी की कोई घटना नज़र नहीं आई न ही कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी करने की कोई घटना नज़र आई.

(xi) कंपनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 के प्रावधान, सरकारी कंपनी के लिए इसलिए लागू नहीं होते हैं कि वह एक सरकारी कंपनी है.

(xii) चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 उसे लागू नहीं होते हैं, इसलिए आदेश का खंड 3(xii), कंपनी के लिए लागू नहीं होता है.

(xiii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं किए हैं. संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए इन लेन-देनों के ब्यौरे लागू लेखा मानकों के अधीन अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं.

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णत: अथवा अंशत: परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आबंटन अथवा निजी विक्रय नहीं किया है.

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों अथवा निदेशकों के साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकद रहित लेन-देन नहीं किया है.

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा **45-Iक** के तहत पंजीकृत कराने की ज़रूरत नहीं है. तदनुसार आदेश का खंड 3(xvi), कंपनी के लिए लागू नहीं होता है.

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सी.ए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875
UDIN: 0083875AAAAAP7748

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 9 जून, 2020

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सी.ए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592
UDIN: 20203592AAAABZ5457

स्थान : मंगलूरु
दिनांक: 9 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का “अनुबंध आ”

(जिसे हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है)

कंपनी अधिनियम, 2013 (“the Act”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2020 को **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** (“the Company”) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ की.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (‘ICAI’) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रक के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यथा अपेक्षित, प्रभावशाली ढंग से काम करते रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाना, उनका कार्यान्वियन और अनुरक्षण करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की नीतियों का अनुपालन किया जाता है, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त की जाती है, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की, वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है. हमने अपनी लेखा परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शन नोट (the“Guidance Note”) के अनुसार, उस हद तक की जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के लिए लागू होती है. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा करते हुए इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रक, सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियां अपनाई गईं जिससे इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखा परीक्षा के जरिए सबूत प्राप्त किया जा सके. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखा परीक्षा में शामिल था, इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना, ख़ास कमजोरी में निहित जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना. चुनी गईं कार्यविधियां, चाहे धोखाधडी के कारण हों या गलती के कारण, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में दी गई महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं.

हम मानते हैं कि हमने, लेखा परीक्षा संबंधी जो सबूत हासिल किया है वह, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार है.

इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का अर्थ

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की निर्भरता और स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन मिलता है. स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियाँ और क्रियाविधियाँ शामिल है जो

1. ऐसे रेकॉर्ड रखने से संबंधित हैं विस्तार से, ठीक तरह से और निष्पक्ष रूप से कंपनी की आस्तियों के लेन-देन और प्रकृति को परिलक्षित करे.

2. ऐसा उचित आश्वासन दिलाए कि लेन-देनों के यथा आवश्यक रेकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, प्रबंधन एवं कंपनी निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जाते हैं; और
3. कंपनी की उन आस्तियों के, अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका वक्त पर पता लगाने के बारे में, जिसका स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़े, उचित आश्वासन दिलाए.

इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे अनुचित सांठगांठ अथवा प्रबंधन, ऐसी गलती अथवा धोखाधड़ी के कारण, जिसका पता न लगाया जाए, महत्वपूर्ण गलत बयान की संभावना सहित इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण. साथ ही, भावी अवधियों से संबंधित इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा अथवा कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

राय

हमारी राय में, हमें मिली जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई हैं और इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च, 2020 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सी.ए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875
UDIN: 20083875AAAAAP7748

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 9 जून, 2020

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सी.ए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592
UDIN: 20203592AAAABZ5457

स्थान : मंगलूरु
दिनांक: 9 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में इक्विटी में परिवर्तन संबंधी स्वतंत्र विवरण

अ इक्विटी शेयर पूंजी

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**17,526.64**

आ अन्य इक्विटी

विवरण	मानी गई इक्विटी	सामान्य आरक्षित निधि	आरक्षित निधि और अधिशेष			कुल
			पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	प्रतिधारित अर्जन	
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**38.40**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**87,991.30**	**92,804.09**
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	3,319.56	3,319.56
अन्य व्यापक आय (OCI)	-	-	-	-	(45.21)	(45.21)
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	**3,274.35**	**3,274.35**
मानी गई इक्विटी में समायोजन	3.77	-	-	-	-	3.77
अंतिम लाभांश के प्रति विनियोजन	-	-	-	-	(5,257.80)	(5,257.80)
अंतिम लाभांश के प्रति विनियोजन वितरण कर	-	-	-	-	(1,080.76)	(1,080.76)
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**42.17**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**84,927.09**	**89,743.65**
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	(27,076.42)	(27,076.42)
अन्य व्यापक आय (OCI)	-	-	-	-	(85.73)	(85.73)
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	**(27,162.15)**	**(27,162.15)**
मानी गई इक्विटी में समायोजन	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश के प्रति विनियोजन	-	-	-	-	(1,752.60)	(1,752.60)
अंतिम लाभांश के प्रति विनियोजन वितरण कर	-	-	-	-	(360.25)	(360.25)
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**42.17**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**55,652.09**	**60,468.65**

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.:004656S/S200095

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN : 07025342

हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

हस्ता/
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09/06/2020

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 तक का स्वतंत्र तुलन-पत्र

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आस्तियां			
I **गैर-चालू आस्तियां**			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	137,619.60	139,827.90
(ख) उपयोग करने का अधिकार संबंध आस्तियाँ	6	4,600.53	-
(ग) प्रगति में पूंजीगत कार्य	7	17,302.04	9,824.98
(घ) निवेश संपत्ति	8	77.96	77.96
(ङ) सुनाम	9	4.04	4.04
(च) अन्य अगोचर आस्तियां	10	90.45	51.69
(छ) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	11	17,576.56	15,026.47
(ii) ऋण	12	1,108.72	927.27
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	13	198.57	135.04
(ज) गैर-चालू कर आस्तियां (निवल)	14	1,636.54	2,306.51
(झ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	25	3,458.46	
(ञ) अन्य गैर-चालू आस्तियां (निवल)	15	8,721.26	11,708.14
कुल गैर चालू आस्तियां (I)		**192,394.73**	**179,890.00**
II **चालू आस्तियां**			
(क) स्टॉक	16	38,899.75	58,110.36
(ख) वित्तीय आस्तियां			
(i) प्राप्य व्यापार राशियां	17	10,422.69	23,222.96
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	18	17.80	25.91
(iii) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	19	262.15	4,849.44
(iv) ऋण	12	133.19	111.64
(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	13	6,329.33	5.58
(ग) चालू कर आस्तियां (निवल)	14	1,982.33	1,523.76
(घ) अन्य चालू आस्तियां	15	3,647.66	4,172.94
कुल चालू आस्तियां (II)		**61,694.90**	**92,022.59**
कुल आस्तियां (I+II)		**254,089.63**	**271,912.59**
इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	20	17,526.64	17,526.64
(ख) अन्य इक्विटी	21	60,468.65	89,743.65
कुल इक्विटी (I)		**77,995.29**	**1,07,270.29**
देयताएं			
II **गैर-चालू देयताएं**			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	79,515.17	32,208.98
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	1,868.65	-
(ख) प्रावधान	24	947.47	681.73
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	25	-	10,155.44
(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	27	3,596.15	3,482.11
कुल गैर-चालू देयताएं (II)		**85,927.44**	**46,528.26**
III **चालू देयताएं**			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	24,360.83	48,567.58
(ii) देय व्यापार राशियां	26		
- सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों की कुल बकाया देयताएं		336.00	227.48
- सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं			
		32,375.17	46,522.88
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	22,518.03	15,723.71
(ख) अन्य चालू देयताएं	27	8,763.83	2,491.14
(ग) प्रावधान	24	1,813.04	4,581.25
कुल चालू देयताएं (III)		**90,166.90**	**118,114.04**
IV **कुल देयताएं (II+III)**		**176,094.34**	**164,642.30**
कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)		**254,089.63**	**271,912.59**

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-55)
हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
ए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095
हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

मंडल के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342
हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त) DIN: 08436633
हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09/06/2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
I.	परिचालन से राजस्व	28	607,515.38	723,151.10
II.	अन्य आय	29	1,050.41	1,552.66
III.	**कुल आय (I + II)**		**608,565.79**	**724,703.76**
IV.	**खर्च:**			
	खपाई गई सामग्री की लागत	30	466,242.67	585,137.08
	व्यापार में स्टॉक की खरीदारी	31	33,520.79	5,260.88
	तैयार माल और प्रक्रिया में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन		13,474.20	(5,616.39)
	वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		97,496.06	1,02,529.74
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	33	4,401.22	4,286.56
	वित्त लागत	34	7,425.85	4,717.49
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	35	7,832.08	7,567.52
	अन्य खर्च	36	17,727.20	14,865.29
	कुल खर्च (IV)		**648,120.07**	**718,748.17**
V.	**अपवादात्मक मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**(39,554.28)**	**5,955.59**
VI.	अपवादात्मक मदें (आय)/खर्च (निवल)	37	-	147.94
VII.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)**		**(39,554.28)**	**5,807.65**
VIII.	कर संबंधी खर्च:			
	(1) वर्तमान कर	38		
	- चालू वर्ष		-	1,221.58
	- पूर्व वर्ष		1,037.36	133.75
	(2) आस्थगित कर	25	(13,515.22)	1,132.76
	कर संबंधी कुल खर्च		**(12,477.86)**	**2,488.09**
IX.	**वर्ष का लाभ/(हानि) (VII – VIII)**		**(27,076.42)**	**3,319.56**
X.	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा			
	(क) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन		(131.78)	(69.49)
	(ख) उक्त से संबंधित आय कर	38	46.05	24.28
	कुल अन्य व्यापक आय (X)		**(85.73)**	**(45.21)**
XI.	**वर्ष की कुल व्यापक आय (X+XI)**		**(27,162.15)**	**3,274.35**
XII.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:	39		
	(1) मूल (₹ में)		(15.45)	1.89
	(2) आंशिक (₹ में)		(15.45)	1.89

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-55)
हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
ए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:
09/06/2020

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त) DIN: 08436633

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
अ प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर उपरांत लाभ/(हानि)		(27,076.42)	3,319.56
इनके लिए समायोजन:			
कर संबंधी खर्च		(12,477.86)	2,488.09
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		7,832.08	,567.52
संपत्ति,संयंत्र और उपकरण(निवल) की बिक्री से हानि/(लाभ)		83.49	80.10
प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता		(127.54)	(129.90)
संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियों/बेकार पड़े स्टॉक में क्षति		168.31	73.67
विनिमय में घट-बढ़ (निवल)		5,642.54	823.20
वित्त लागत		7,425.85	4,717.49
ब्याज आय		(504.58)	(1,036.76)
लाभांश आय		(18.56)	(104.47)
पूर्व भुगतान का परिशोधन		6.68	11.26
आस्थगित सरकारी अनुदान का परिशोधन		(187.94)	(178.24)
अन्य		(131.78)	(69.49)
		(19,365.73)	**17,562.03**
कार्यकारी पूंजीगत में चलन :			
- प्राप्य व्यापार और अन्य राशियों में (वृद्धि)अवनति		12,616.75	3,390.78
- ऋणों में (वृद्धि)/अवनति		(200.89)	(347.31)
- अन्य आस्तियों में)वृद्धि)/अवनति		580.04	(4,198.93)
- स्टॉक में (वृद्धि)/अवनति		19,200.71	(10,781.13)
- प्राप्य व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(अवनति)		(10,135.74)	589.98
प्रचालन से उत्पन्न नकद		**2,695.14**	**6,215.42**
प्रदत्त आय कर, निवल धन वापसी		(861.80)	(523.51)
प्रचालन से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	**(क)**	**1,833.34**	**5,691.91**
आ निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रति भुगतान		(13,531.40)	(9,110.78)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्तियां		5.74	13.89
प्राप्त ब्याज		439.51	1,062.82
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		6.00	21.00
म्यूचुअल फंड में निवेश से प्राप्त लाभांश		12.56	83.47
सहायक कंपनी में निवेश		(2,550.09)	(1,530.05)
ब्याज आय पर प्रदत्त ब्याज		(16.79)	(62.64)
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	**(ख)**	**(15,634.47)**	**(9,522.29)**
ग वित्तपोषक गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
दीर्घावधि उधार (निवल) से प्राप्तियां/चुकौती)		47,667.12	(6,269.01)
अल्पावधि उधार (निवल) से प्राप्तियां/(चुकौती)		(24,447.44)	17,082.17
पट्टा संबंधी देयताओं का भुगतान		(254.29)	-
प्रदत्त वित्त लागत		(7,059.52)	(5,021.84)
इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश और लाभांश वितरण कर		(2,112.85)	(6,338.56)
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	**(ग)**	**13,793.02**	**(547.24)**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (अवनति) (क+ख+ग)		**(8.11)**	**(4,377.62)**
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**25.91**	**4,403.53**
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**17.80**	**25.91**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (अंतिम - प्रारंभिक)	**(क+ख+ग)**	**(8.11)**	**(4,377.62)**

1. उक्त नकदी प्रवाह विवरण Ind AS 7 "नकदी प्रवाह विवरण" में निर्दिष्ट "परोक्ष पद्धति के अधीन तैयार किया गया है.
2. कोष्ठकों में नकदी प्रवाह दर्शाया गया है.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें(1-55)
हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095
हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त) DIN: 08436633

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09/06/2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

1. कंपनी के बारे में जानकारी

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ('MRPL' अथवा 'the Company') एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है जो भारत में स्थित और निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर, कर्नाटक - 575030 में है. कंपनी के इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जैसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं और शेयरों का इन शेयर बाजारों में व्यापार होता है. कंपनी, क्रूड तेल का परिष्करण करने का व्यवसाय चलाती है. कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसके पास 71.63% इक्विटी शेयर हैं.

2. नए और संशोधित भारतीय लेखा मानक का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत करने तक, ये समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानकों पर विचार किया गया है.

रिपोर्ट करने की तारीख को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने कोई नया भारतीय लेखा मानक (Ind AS) जारी नहीं किया था जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू हो.

3. उल्लेखनीय लेखा नीतियां

3.1. अनुपालन का बयान

'' ये वित्तीय विवरण, समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन यथा निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (जिसे "Ind AS" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अनुसार तैयार किए गए हैं.

3.2. तैयार करने का आधार

जैसे कि नीचे दी गई लेखा संबंधी नीतियों में स्पष्ट किया गया है, वित्तीय विवरण, उन वित्तीय विवरणों को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में उचित मूल्य/परिशोधित लागत/निवल वर्तमान मूल्य पर मापे जाते हैं, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं.

ऐतिहासिक लागत, आम तौर पर, वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है.

तमाम आस्तियों और देयताओं का, कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र के अनुसार और Ind AS – 1 '' वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण " और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट अन्य मापदंडों के आधार पर चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकरण किया गया है

वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों में दर्शाए गए हैं और सारे मूल्यों को, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम दो दशमलव दशलक्ष में पूर्णांकित किया गया है.

उचित मूल्य मापना

उचित मूल्य, ऐसी कीमत होती है कि जो आस्ति बेचने पर प्राप्त होगी अथवा जिसे चालू बाजार स्थितियों में मापन दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन करते समय देयता का अंतरण करने के लिए अदा किया जाएगा.

कंपनी, मापन करते समय नियोजित निविष्टियों पर नज़र रखने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियों और देयताओं का तीन स्तरों में वर्गीकरण करती है जिनका वर्णन यहां नीचे किया गया है:

(क) स्तर 1 की निविष्टियां, एक ही तरह की आस्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में कोट की गई कीमतों (असमायोजित) के समान होती हैं.

(ख) स्तर 2 की निविष्टियां, आस्ति अथवा देयता के लिए स्तर 1 के अंदर समाविष्ट कोट की गई कीमतों से भिन्न होती हैं जिन पर, यातो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नज़र रखना सुसाध्य होगा.

(ग) स्तर 3 की निविष्टियां, नज़र रखने लायक संबंधित बाजार के आंकड़ों अथवा बाजार के सहभागियों द्वारा कीमत निर्धारण के बारे में कंपनी की पूर्व धारणाओं में उल्लेखनीय आशोधन परिलक्षित करने वाली आस्ति या देयता से संबंधित नजर न रखने लायक निविष्टियां होती हैं.

3.3. सुनाम

व्यवसाय का अधिग्रहण करने पर उत्पन्न सुनाम, व्यावसायिक अधिग्रहण दिनांक को संचित हानि के कारण नुकसान हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर स्थापित किया जाता है.

ह्रास संबंधी परीक्षण के प्रयोजन से, सुनाम, कंपनी की नकद उत्पन्न करने वाली उन इकाइयों में आबंटित किया जाता है जिनसे संयोजन की सहक्रिया से फायदा हासिल करने की उम्मीद की जाती है.

नकद उत्पन्न करने वाली उस यूनिट का, जिसे सुनाम आबंटित किया गया हो, वर्ष में एक बार अथवा अकसर क्षति की निगाहों से परीक्षण तब किया जाता है जब यह संकेत मिले कि यूनिट द्वारा हानि उठाने की संभावना है. अगर नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूल करने लायक रकम, वाहक रकम से कम हो तो सबसे पहले ह्रासित हानि को आबंटित किया जाता है जिससे कि इकाई को आबंटित सुनाम की वाहक रकम को कम किया जा सके और तदनंतर इकाई में प्रत्येक आस्ति की वाहक रकम के आधार पर यथानुपात इकाई की अन्य आस्तियों में आबंटन किया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि को सीधे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि का, बाद में किसी अवधि में प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता है.

संबंधित नकद उत्पन्न करने वाली इकाई को निपटाने के बाद सुनाम के कारण उत्पन्न रकम को लाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाएगा.

3.4. सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम में निवेश

3.4.1 कंपनी, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को, अगर कोई ह्रास हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर रेकॉर्ड करती है.

3.4.2 प्रारंभ में लेखाबद्ध करने के बाद कंपनी यह तय करेगी कि क्या, सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में निवल निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने के बाद हुई एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है और यह कि कोई ऐसी घटना है (घटनाएं हैं) जिसका भरोसेमंद तरीके से आकलन करने लायक निवल निवेश से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर असर पड़े. अगर हानि का ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ सबूत हो तो सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवेश के संबंध में ह्रासित नुकसान को लेखाबद्ध करना आवश्यक है.

3.4.3 जब ज़रूरत पड़े तब निवेश लागत का, Ind AS 36 ' आस्तियों में ह्रास '' के अनुसार एक ही आस्ति के रूप में, उसके वसूल करने लायक रकम का (प्रयोग में उच्चतर मूल्य और उचित मूल्य घटाएं निपटान लागत) उसकी रखाव रकम के साथ तुलना करते हुए हानि को लेकर परीक्षण किया जाता है. हानि के रूप में हुए नुकसान का कोई प्रत्यावर्तन हो तो उसे Ind AS 36 के अनुसार उस हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक निवेश की वसूल करने लायक रकम में बाद में बढ़त हो.

3.4.4 सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश का निपटान करने पर, अभिलाभ अथवा हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है जिसका परिकलन करते समय,

(क) प्राप्त प्रतिफल के कुल उचित मूल्य

(ख) सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश की पूर्व रखाव रकम के बीच अंतर निकाला जाता है.

3.5. बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों को बेचते समय, लागत घटाने के बाद कमतर वाहक रकम पर और उचित मूल्य पर मापा जाता है.

गैर-चालू आस्तियों का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब लगातार उपयोग करने के बजाय बिक्री संबंधी लेन-देन के जरिए उनकी वाहक रकम वसूल करनी पड़े. इस शर्त की पूर्ति तभी मानी जाएगी जब बिक्री होने की अधिक संभावना हो और आस्ति, उसकी वर्तमान दशा में फौरन बेचने के लिए उपलब्ध हो जब कि इन आस्तियों की बिक्री के लिए मामूली और प्रथागत नियम लागू होंगे. प्रबंधन को उस बिक्री के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए जिसे बिक्री के धारित के रूप में वर्गीकरण किए गए दिनांक से एक वर्ष के अंदर पूरी की गई बिक्री के रूप में दर्शाने के लिए अर्हता प्राप्त होने की संभावना हो और बिक्री योजना पूरी करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई में यह संकेत देना चाहिए कि ऐसी संभावना नहीं है कि योजना में उल्लेखनीय परिवर्तन किए जाएंगे अथवा यह कि योजना वापस ली जाएगी.

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करते ही संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा.

3.6. राजस्व को पहचानना

3.6.1 वस्तुओं और सेवाओं से राजस्व को, निष्पादन संबंधी एक ही दायित्व निभाने पर पहचाना जाता है जो नियंत्रण को ग्राहक के हवाले करने पर होता है. वस्तुओं का नियंत्रण, ग्राहक के हवाले किया गया तब माना जाएगा जब वस्तुओं का स्वत्व ग्राहक के नाम हो, जो आम तौर पर उत्पाद का भौतिक रूप से किसी पात्र, पाइपलाइन अथवा किसी वितरण तंत्र में स्थानांतरण होने पर होता है. वस्तुओं के राजस्व ठेकों के संबंध में जिनमें पोत परिवहन के समय अनंतिम रूप से कीमत निर्धारण किया जाता है(जहां कहीं लागू हो), अगर कोई समायोजन करना हो तो उसके बाद अंतिम कीमत उस अवधि में लगाई जाएगी जिसमें उसे अंतिम रूप दिया गया हो/तय किया गया हो.

3.6.2 राजस्व को प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल की लेन-देन कीमत पर मापा जाता है जो निवल बट्टा, GST और बिक्री कर लगाने के बाद कारोबार के सामान्य क्रम में वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्य रकम सूचित करता है. कीमतों में किसी पूर्वव्यापी संशोधन को उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिसमें संशोधन किया गया हो.

3.6.3 ठेकों/आपूर्तियों का क्रियान्वयन करने में विलंब होने पर कीमत कटौती अनुसूची (PRS) को ठेकों/करारनामे की शर्तों के अनुसार लेखाबद्ध करना होगा. पूंजीगत परियोजना के निमित्त रकम को छोड़कर जहां आस्तियों का, लागत तक समायोजन किया जाता है, PRS रकम को आय के रूप में पहचाना जाता है. अंतिम रूप देने के बाद समायोजन उत्तरव्यापी प्रभाव से किया जाता है.

3.6.4 कंपनी ने ग्राहक के साथ ले या अदा करे जैसा करार किया है. इस लेन-देन में ग्राहकों के साथ किए गए ठेके में निर्धारित सूत्र के अनुसार राजस्व को पहचाना जाता है.

3.6.5 स्क्रैप की बिक्री से राजस्व को उस वक्त स्वीकार किया जाता है जब नियंत्रण (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण), ग्राहक के हवाले किए जाएं.

3.6.6 वित्तीय आस्तियों से ब्याज सहित आय का समय आधार पर उपचय करते समय प्रारंभ में स्वीकार करने पर आस्ति की निवल वाहक रकम की तुलना में वित्तीय आस्ति की अनुमानित अवधि के जरिए बकाया मूल धनराशि और लागू प्रभावी ब्याज दर (ऐसी दर जो अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को ठीक तरह से काटें) का हवाला दिया जाता है.

3.6.7 वित्तियेतर आस्तियों के मामले में, ब्याज सहित आय को समय अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है. वापस करने लायक करों / शुल्कों के रूप में ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर स्वीकार किया जाता है.

3.6.8 लाभांश आय तब स्वीकार की जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध किया जाए.

3.6.9 लाभ-हानि विवरण में उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है. उत्पाद शुल्क, योग्य वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच अंतर के संबंध में उत्पाद शुल्क '' अन्य खर्च '' के अधीन दर्शाया जाता है.

3.7. पट्टे

1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण पद्धति के सहारे Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया. तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक जानकारी का दोबारा कथन नहीं दिया है जिनको अभी भी Ind AS 17 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है. नए मानक में नए पट्टे को इस तरह से परिभाषित किया गया है जैसे एक ऐसा ठेका, जो प्रतिफल के बदले किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए पहचानी गई आस्ति का उपयोग नियंत्रित करने का अधिकार सूचित करे. कंपनी ने, अगोचर आस्तियों के पट्टे पर इस मानक को लागू न करने का विकल्प चुना है.

इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या किसी ठेके में पहचानी गई आस्ति का उपयोग नियंत्रित करने का अधिकार सूचित किया गया है, कंपनी यह निर्धारण करती है कि क्या:

(i) ठेके में पहचानी गई आस्तियों का उपयोग किया जाता है.

(ii) कंपनी को पट्टा अवधि में आस्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से तमाम आर्थिक लाभ मिलते हैं और

(iii) कंपनी को आस्ति का उपयोग निर्दिष्ट करने का अधिकार है.

पट्टेदार के रूप में कंपनी:

पट्टे की प्रारंभिक तारीख को, कंपनी, उन सभी पट्टा संबंधी ठेकों / व्यवस्थाओं के लिए जिनमें वह पट्टेदार हो, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों ((ROU आस्तियां) और तदनुरूपी पट्टा संबंधी देयता को स्वीकार करती है सिवाय उस पट्टे को, जिसकी अवधि बारह महीने अथवा उससे कम हो (अर्थात्; जो अल्पावधि पट्टा हो) और उस पट्टे को, जिसकी आस्तियों का मूल्य कम हो. अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के मामले में, कंपनी, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर पट्टा संबंधी भुगतान स्वीकार करती है.

पट्टा संबंधी कुछ व्यवस्थाओं में शामिल है, पट्टा संबंधी अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे की अवधि बढ़ाने अथवा पट्टा समाप्त करने का विकल्प. आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार और पट्टा संबंधी देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह बात लगभग निश्चित हो कि ऐसे विकल्प लिए जाएंगे.

प्रारंभ में, पट्टा संबंधी देयता का, निश्चित पट्टा अवधि पर भावी पट्टा संबंधी भुगतान के वर्तमान मूल्य को मापा जाता है. अगर फ़ौरन निर्धारण करना संभव न हो तो वृद्धिशील उधार दर के सहारे पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर लगाते हुए पट्टा संबंधी भुगतान में रियायत दी जाएगी. एक ही प्रकार के लक्षणों से युक्त पट्टे के मामले में, कंपनी, पट्टा-दर-पट्टा आधार पर, या तो पट्टे के लिए निर्दिष्ट वृद्धिशील उधार दर या समग्र रूप से संविभाग के लिए वृद्धिशील उधार दर लगाती है.

उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है जिसमें पट्टे की प्रारंभिक अवधि को या उससे पहले किसी पट्टा संबंधी भुगतान के लिए समायोजित पट्टा संबंधी देयता के प्रारंभिक मापन की रकम और साथ ही प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाल करने संबंधी दायित्व और प्राप्त पट्टा संबंधी प्रोत्साहन राशि होती है.

बाद में, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मापन, कोई संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर किया जाता है. उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास करते समय पट्टा संबंधी अवधि में अल्पतम अवधि पर अथवा उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों की उपयोगी आयु पर प्रारंभिक तारीख से सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है. Ind AS 36 को लागू करते हुए कंपनी यह निर्धारण करती है कि क्या आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार क्षीण हो गया है और " संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE), उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU), सुनाम से भिन्न अगोचर आस्तियों में ह्रास '' पर नीचे दी गई लेखा संबंधी नीति में यथा वर्णित पहचानी गई ह्रासित हानि को लेखाबद्ध किया गया है.

पट्टा संबंधी देयता पर ब्याज लागत (प्रभावशाली ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित) को लाभ-हानि विवरण में, तब तक नहीं दर्शाया जाता है जब तक वह '' उधार लागत '' पर नीचे दी गई लेखा नीति के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो.

कंपनी, Ind AS 116 के अनुसार, ठेके के अंदर प्रत्येक पट्टा घटक को, ठेके के गैर-पट्टा घटकों से भिन्न पट्टे के रूप में लेखाबद्ध करती है और ठेके में प्रतिफल का, ठेके में पट्टा घटक की सापेक्ष स्वतंत्र कीमत और गैर-पट्टा घटकों की कुल स्वतंत्र कीमत के आधार पर प्रत्येक पट्टा घटक में आबंटन करती है.

पट्टा संबंधी ठेका पूरा होने अथवा रद्द होने पर उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों को अमान्य किया जाता है.

पट्टा संबंधी देयता और आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार, तुलन पत्र में अलग दर्शाया गया है और पट्टा संबंधी भुगतान का, नकदी प्रवाह विवरण में वित्तपोषक गतिविधि के रूप वर्गीकरण में किया गया है.

पट्टे में आशोधन का भावी प्रभाव पड़ता है.

3.8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

कंपनी के वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों (₹) में पेश किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है.

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) से भिन्न मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को, लेन-देनों के दिनांकों को मौजूदा विनिमय दरों पर स्वीकार किया जाता है. प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को, रिपोर्ट अवधि के अंतिम दिन मौजूदा अंतिम मुद्रा दर के आधार पर रुपयों में रूपांतरित किया जाता है.

दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय में नजर आए अंतर को लाभ-हानि विवरण में या तो 'विनिमय दर में घट-बढ़ हानि/(अभिलाभ) (निवल) के रूप में या ' वित्त लागत ' के रूप में दर्शाया जाता है जब कि 31 मार्च 2016 को बकाया दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय अंतर को उस हद तक नहीं जोड़ा जाता है, जिस हद तक उनका मूल्यह्रास करने लायक आस्तियों का अधिग्रहण करने का संबंध हो, तदनंतर इन आस्तियों की लागत के प्रति समायोजन किया जाता है और आस्ति की बची हुई आयु में उक्त समायोजन को कम किया जाता है.

3.9. उधार लागत

उधार लागत में शामिल है, निधि उधार लेते समय उठाई गई ब्याज और अन्य लागत. उधार लागत में, ब्याज लागत में समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विनिमय दर में घट-बढ़ भी शामिल है.

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण की दृष्टि से निर्दिष्ट रूप से पहचानी गईं उधार लागत का, इन आस्तियों के अंग के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. अर्हक आस्ति उसे कहते हैं जिसका अभिप्रेत उपयोग करने की दृष्टि से तैयार रखने के लिए काफ़ी समय लगता है. दूसरी अन्य उधार लागतों को लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें ऐसी लागत उठाई गई हो.

3.10. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक दर्शाया नहीं जाता है जब तक यह उचित आश्वासन न मिला हो कि कंपनी, उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे.

सरकारी अनुदानों को लाभ-हानि विवरण में व्यवस्थित ढंग से उस अवधि में जिसमें कंपनी, जिस लागत के लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने के इरादे से उपयोग किया जाएगा, खर्च के रूप में स्वीकार न करे .

निर्दिष्ट रूप से उन सरकारी अनुदानों को, जिनके संबंध में मूल रूप से यह शर्त रखी जाती है कि कंपनी को, गैर-चालू आस्तियां खरीदनी पड़ेंगी, उनका निर्माण अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना पड़ेगा, तुलन-पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में दर्शाकर संबंधित आस्तियों की उपयोग अवधि में व्यवस्थित एवं युक्तियुक्त तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बाजार ब्याज दर से कम दर पर सरकारी ऋण का लाभ, सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है जिसका मापन, प्राप्त प्राप्तियों और मौजूदा बाजार ब्याज दर पर उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है.

3.11. कर्मचारियों को फायदे

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ में शामिल हैं, वेतन, मज़दूरी, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, उपदान निधि, क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां, रोजगार उपरांत चिकित्सा लाभ, सेवा समाप्ति लाभ और पुन:व्यवस्थापन भत्ते.

परिभाषित अंशदान योजनाएं

भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति कंपनी के दायित्व के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. इनका भुगतान, क्रमशः भविष्य निधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इनको वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है.

परिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं, जिनको परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और इसका परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट अवधि के अंत में किया जाता है. इनको वर्तमान कर्मचारी लागत के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है अथवा यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट किया जाता है.

निवल परिभाषित देयता पर निवल ब्याज का परिकलन करते समय, अवधि के प्रारंभ में बट्टा दर, निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता अथवा आस्ति पर लगाया जाता है और यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट मदों को छोड़कर इनको लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बीमांकिक अभिलाभ और हानि समेत पुन: मापन, आस्ति की उच्चतम सीमा में परिवर्तन के प्रभाव और योजना आस्तियों (ऊपर परिभाषित निवल ब्याज को छोड़कर) पर प्रतिफल को, उन मदों को छोडकर जिनको उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हों, अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल कर बाद में लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

कंपनी, उपदान के संबंध में एमआरपीएल उपदान निधि न्यास (MGFT) में सभी पता लगाने लायक देयताओं का अंशदान करता है. अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है.

तुलन-पत्र में दर्शाए गए सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति दायित्व, कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटा अथवा अधिशेष दर्शाता है. बीमांकिक परिकलन से प्राप्त किसी अधिशेष को, योजनाओं के प्रति भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित किया जाता है.

कर्मचारी को अल्पावधि लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गईं सेवाओं के बदले कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले लाभ की बट्टा रहित रकम को उस वर्ष, जिसमें कर्मचारियों ने ऐसी सेवा प्रदान की हो, दर्शाया जाता है. इन लाभों में शामिल हैं, निष्पादन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना होती हैं.

क्षतिपूर्त अल्पावधि अनुपस्थितियों की लागत को निम्नानुसार लेखाबद्ध किया जाता है:

(क) संचित क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करें जिससे भावी क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों की उनकी हकदारी बढ़े; और

(ख) गैर-संचई क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों के मामले में, जब ऐसी अनुपस्थियां हों.

कर्मचारी को दीर्घावधि लाभ

क्षतिपूर्त ऐसी अनुपस्थितियों को जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना हो, तुलन पत्र की तारीख को, जिन योजना आस्तियों के उचित मूल्य से दायित्व निपटाने की संभावना हो उसे घटाने के बाद परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

सेवा समाप्ति लाभ

चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति

कंपनी में चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमोदित योजना है. पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 60 दिनों की परिलब्धियों के समान अथवा सामान्य सेवानिवृत्ति तारीख से पहले बची शेष महीनों की सेवा से गुणन करते हुए सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां, जो भी कम हो, अनुग्रह भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ के अलावा किया जाएगा.

एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे की स्वयं बीमा योजना

सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ और अलग होने पर लाभ योजना के तहत, अगर दुर्घटना के कारण और रोजगार के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो अथवा वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो देय कोई न्यूनतम रकम का निर्धारण किए बगैर 100 महीने के मूल वेतन + महंगाई भत्ते (DA) के समतुल्य मुआवजा दिया जाएगा.

SABF के तहत अलग होने पर लाभ:

कंपनी में सेवा करते समय अगर कर्मचारी की मृत्यु हो / वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो हिताधिकारी को, मृत्यु की तारीख / स्थाई संपूर्ण अपंगता की तारीख से 6 महीने के अंदर नीचे उल्लिखित वांछित विकल्पों में से एक चुनना होगा.

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता (सेवा समाप्ति संबंधी लाभ से भिन्न) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया जाता है. सेवा समाप्ति संबंधी लाभ को जब कभी खर्च किया जाए लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.12. कराधान

आय कर संबंधी खर्च, इस समय देय कर और आस्थगित कर का योग दर्शाता है.

(i) वर्तमान कर

इस समय देय कर का निर्धारण, वर्ष के कर योग्य लाभ के आधार पर किया जाता है. कर योग्य लाभ, लाभ-हानि विवरण दर्शाए गए 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है क्योंकि आय अथवा खर्च की कुछ मद, दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा काटने योग्य होती हैं और कुछ मद, कभी भी कर योग्य अथवा काटने योग्य नहीं होती हैं. कंपनी के वर्तमान कर का परिकलन करते समय कर संबंधी उन दरों का प्रयोग किया गया है जिनका अधिनियमन किया गया था अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत तक वास्तव में अधिनियमन किया गया.

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं की रखाव रकम और कर योग्य लाभ में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधार के बीच अस्थाई अंतर के रूप में पहचाना जाता है. आस्थगित कर देयताओं को, सामान्यत: सभी कर योग्य अस्थाई अंतर के रूप में पहचाना जाता है. आस्थगित कर आस्तियों को, सामान्यत: सभी काटने योग्य अस्थाई अंतर के रूप में उस हद तक लेखाबद्ध किया जाता है जिससे यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ इस तरह से उपलब्ध होंगे जिसके प्रति काटने योग्य अस्थाई अंतर का प्रयोग करना संभव हो.

अस्थाई करों को, ऐसे अस्थाई अंतर के संबंध में लेखाबद्ध किया जाता है जो करावकाश अवधि के दौरान उत्पन्न तो होते हैं लेकिन जिनका करावकाश अवधि के बाद प्रत्यावर्तन किया जाता है. इस प्रयोजन के लिए अस्थाई अंतर का प्रत्यावर्तन करते समय प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

आस्थगित कर आस्तियों की रखाव रकम की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है और इसे उस हद तक घटाया जाता है जिससे कभी यह संभावना न बने कि तमाम आस्ति अथवा उसका अंश वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों का मापन, अधिनियमित अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत में वास्तव में अधिनियमित (और कर संबंधी कानूनों) कर संबंधी उन दरों के आधार पर किया जाता है जिनको उस अवधि में लागू करने की उम्मीद हो जिसमें देयता निपटाई जाए अथवा आस्ति की वसूली हो.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन से कर संबंधी ऐसी परिस्थितियां परिलक्षित होती हैं जिसमें कंपनी द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में उसकी आस्तियों और देयताओं की रखाव रकम वसूल किया जाएगा अथवा उसका निपटान होगा.

आस्थगित कर आस्तियों में शामिल है, भारत में मौजूद कर संबंधी कानून के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) जिसके चलते भावी आय कर देयता का मुजरा करने की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है. तदनुसार, MAT को तुलन पत्र में आस्थगित कर आस्ति के रूप में तब दर्शाया जाता है जब आस्ति का भरोसेमंद तरीके से मापन करना संभव हो और ऐसी संभावना हो कि आस्ति से जुड़े भावी आर्थिक लाभ अर्जित किया जाएगा.

वर्ष का वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, सिवाय उन मदों को जिनको अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है, ऐसी सूरत में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है.

3.13. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) और उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियाँ (ROU)

उत्पादन में अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की खातिर रखी गई भूमि और भवन को तुलन पत्र में, संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

उत्पादन, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के दौरान PPE को, लेखाबद्ध ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. आस्ति की लागत में समाविष्ट किया जाता है उसकी क्रय कीमत अथवा उसकी निर्माण लागत (लागू निवल कर जमा प्रविष्टियां).और आस्ति को उसके स्थान पर और उस स्थिति में लाने के लिए जिससे वह प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके से चलाना संभव हो, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई लागत और क्षयकारी लागत, अगर कोई हो. इसमें शामिल है, पेशेवर शुल्क और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत अर्हक आस्तियों की उधार लागत. पूरा होने पर और अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने पर इन संपत्तियों का PPE की उचित श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है. PPE की मद के उन अंशों को, जिसकी प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार विभिन्न उपयोगी अवधि हो और महत्वपूर्ण मूल्य हो और जिसे बाद में संपत्ति पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, संयंत्र और उपकरणों को अलग घटकों के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

PPE को संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

PPE का मूल्यह्रास करना तब शुरु किया जाता है जब आस्तियां, उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार हों.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा निर्दिष्ट विभिन्न आस्तियों के घटकों की उपयोगी आयु की तुलना में सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए PPE की उपयोगी आयु के आधार पर उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद PPE (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों से भिन्न) की लागत पर मूल्यह्रास किया जाता है जब कि इसके लिए संयंत्र और उपकरणों के कुछ ऐसे घटक अपवाद हैं जिनकी उपयोग आयु का निर्धारण, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और कर्मचारी वाहन और फर्नीचर योजना के लिए बनाई गई कंपनी की नीति के तहत उपयोगी आयु पर विचार किया जाता है.

अनुमानित उपयोगी आयु, अपशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है.

योजनाबद्ध शटडाउन के निमित्त ओवरहॉल और मरम्मत पर व्यय का, जिनका मूल्य उल्लेखनीय होता है (निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य का 5%), PPE के संबंधित मदों के घटक के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इनका अगले शटडाउन तक सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास किया जाता है. उत्प्रेरक का, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक होती है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और उत्प्रेरक का उपयोग करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है.

भंडार और पुर्जों को, जिनको संयंत्र और उपकरण के रूप में पहचाना जाता है, निर्दिष्ट मशीनों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है.

प्रमुख पूंजीगत अतिरिक्त पुर्ज़ों का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत इन अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यह्रास करना, तब से शुरु किया जाता है जब इन पुर्ज़ों कों सेवा में लगाया गया और उनकी उपयोगी अल्प आयु तक जारी रखते हुए उससे संबंधित आस्ति की शेष अपेक्षित उपयोगी आयु तक जारी रखा जाता है और अतिरिक्त पुर्ज़े का ह्रासित मूल्य, जब कभी उसे बदला जाए, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष के दौरान जोड़े गए/हटाए गए PPE पर मूल्यह्रास के लिए, जोडे गए/हटाए गए दिनांक के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रावधान किया जाता है जब कि अधिकतम ₹ 5,000/ के कम मूल्य की मदें, (कर्मचारियों से संबंधित कंपनी क्रय योजना को छोड़कर) इसके लिए अपवाद हैं जिनका जोड़ते समय पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है.

आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी (आयु वर्षों में)
1.	भवन	1-60
2.	संयंत्र और उपकरण - उत्प्रेरक	2-10
3.	संयंत्र और उपकरण - कंप्यूटर	3-7
4.	संयंत्र और उपकरण - लगातार चलने वाले प्रक्रिया संयंत्र, जिसे निर्दिष्ट उद्योगों में शामिल न किया गया हो (तीन शिफ्ट)	7.5
5.	संयंत्र और उपकरण - इलेक्ट्रिकल/प्रयोगशाला/कैंटीन/स्कूल	10
6.	संयंत्र और उपकरण – यंत्रीकरण: मद/ DCS/ अस्पताल/ अन्य	15
7.	संयंत्र और उपकरण - रिफाइनरी की आस्तियां	25
8.	संयंत्र और उपकरण - पाइपलाइनें/SPM/अपतटीय घटक/सिविल संरचना	30
9.	संयंत्र और उपकरण - विद्युत संयंत्र	40
10.	रेलवे साइडिंग	15
11.	कार्यालय उपकरण	5
12.	फर्नीचर और जुड़नार	6-10
13.	वाहन	4-8

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को, निपटाए जाने, बदले जाने, घटाए जाने, पुनर्वर्गीकरण किए जाने पर अथवा जब आस्ति का लगातार उपयोग करने पर भविष्य में उससे आर्थिक लाभ मिलने की कोई संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद का निपटाने करने अथवा उसे हटाए जाने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण, बिक्री प्राप्तियों और आस्ति की रखाव रकम के बीच अंतर के रूप में किया जाता है जिसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास करते समय पट्टा संबंधी अवधि में अथवा आस्तियों की उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

3.14. अगोचर आस्तियां

3.14.1. सुनाम से भिन्न अगोचर आस्तियां

अलग रूप से खरीदी गईं निश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि को घटाने के लिए लागत पर दर्शाया जाता है. परिशोधन को उनकी अनुमानित उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वीकार किया जाता है. अनुमानित उपयोगी आयु और परिशोधन पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है. अलग रूप से खरीदी गईं अनिश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है और संचित ह्रासित हानि हो तो उस घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

विकास संबंधी लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अगोचर मदों पर व्यय का पूंजीकरण नहीं किया जाता है जिनको लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें उनका व्यय किया गया हो. विकास संबंधी लागत का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब परियोजना की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सिद्ध किया गया हो, भावी आर्थिक लाभ मिलना संभावित हो, कंपनी का, आस्ति का पूरी तरह से उपयोग करने अथवा बेचने का इरादा और सामर्थ्य हो और लागत का मापन भरोसेमंद तरीके से किया जा सकता है.

3.14.2. अगोचर आस्तियों को स्वीकार न करना

अगोचर आस्ति को, निपटाए जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का उपयोग करने पर अथवा उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. अगोचर आस्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति की रखाव रकम के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को मान्यता न दिए जाने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.14.3. अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

अगोचर आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3-10
2.	लाइसेंस और क्रयाधिकार	3

3.15. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) और उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) में ह्रास, सुनाम से भिन्न अगोचर आस्तियां

कंपनी, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में अपनी अगोचर आस्तियों और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) '' तथा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट '' (CGU) के उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों की रखाव रकम की समीक्षा करती है जिससे कि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या कोई ऐसा संकेत मिला है कि उन आस्तियों में ह्रासित हानि हुई है. अगर ऐसा कोई संकेत मिला हो तो ह्रासित हानि (कोई हो तो) की मात्रा तय करने के लिए वसूल करने योग्य आस्ति की रकम का आकलन किया जाता है. जब किसी प्रत्येक आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करना संभव न हो, तब कंपनी, नकद उत्पन्न करने वाली जिस यूनिट की आस्तियां हों, उस यूनिट की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करती है.

वसूल करने योग्य रकम, निपटान लागत और उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य घटाने के बाद उच्चतम उचित मूल्य के बराबर होती है. उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य निर्धारण करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व बट्टा दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य तक घटाया जाता है, जो उस आस्ति के लिए, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह का समायोजन न किया गया हो, निर्दिष्ट धन और जोखिम के समय मूल्य का चालू बाजार निर्धारण परिलक्षित करता है.

अगर आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) की वसूल करने योग्य रकम, उसकी वाहक रकम से कम हो तो आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) की रखाव रकम को उसकी वसूल करने योग्य रकम तक घटाया जाता है. ह्रासित हानि को फौरन लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

रिपोर्ट अवधि के अंत में निर्धारण इसलिए किया जाता है जिससे कि यह देखा जा सके कि क्या कोई ऐसे संकेत हैं कि इससे पहले स्वीकार की गईं ह्रासित हानियां अब नहीं हैं या कम हुई हैं. अगर पिछली बार पहचानी गई ह्रासित हानि के बाद आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त आकलन में परिवर्तन हो तो ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन किया जाता है. अगर ऐसा हो और पूर्व वर्षों में आस्ति के मामले में ह्रासित हानि को पहचाना न होता तो, आस्ति की रखाव रकम को उसकी निम्नतर वसूल करने योग्य रकम तक और निवल मूल्यह्रास/परिशोधन के बराबर निर्धारित रखाव रकम तक बढ़ाया जाता है. प्रत्यावर्तन के बाद, मूल्यह्रास/परिशोधन प्रभार का, भावी अवधियों में समायोजन किया जाता है जिससे कि आस्ति के संशोधित रखाव रकम का, उसकी शेष उपयोगी आयु में व्यवस्थित ढंग से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद आबंटन किया जा सके. ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन करने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को परोक्ष पद्धति के सहारे रिपोर्ट किया जाता है जिसमें कर उपरांत लाभ का नकद रहित स्वरूप के, गत अथवा भावी प्रचालन नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी प्रकार के स्थगन अथवा उपचय और नकद प्रवाह में निवेश करने अथवा उसका वित्त पोषण करने से आय अथवा खर्च की मद से संबंधित लेन-देन के प्रभाव का समायोजन किया जाता है. नकदी प्रवाह का, प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में पृथक्करण किया जाता है.

3.17. प्रति शेयर अर्जन (EPS)

प्रति शेयर बुनियादी अर्जन का परिकलन करते समय इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि (अगर कोई अधिमानी लाभांश और उससे संबंधित कर हो तो उसे घटाने के बाद) का अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजन किया जाता है.

प्रति शेयर आंशिक अर्जन का परिकलन करते समय इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि और अवधि के दौरान सभी कम करने लायक संभावित इक्विटी शेयरों का समायोजन किया जाता है.

3.18. स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन, निम्नतर लागत और निवल वसूल करने योग्य मूल्य पर किया गया है. स्टॉक लागत में शामिल है, क्रय लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तक और उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उठाई गई अन्य लागत. लागत का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:-

कच्चा माल	प्रथम आवक प्रथम जावक (FIFO) आधार पर
तैयार माल	कच्चा माल और रूपांतरण लागत
व्यापार में स्टॉक	भारित औसत लागत के आधार पर
प्रक्रिया में स्टॉक	कच्चा माल और यथानुपात रूपांतरण लागत पर
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	भारित औसत लागत के आधार पर

कच्चा माल का अवलेखन लागत से कम तभी किया जाता है जब कच्चा माला की कीमतों में बाद में गिरावट आई हो और यह अनुमान लगाया गया हो कि तैयार माल की लागत उनके वसूली करने लायक मूल्य से अधिक हो.

विनिर्माण स्थान पर पड़े तैयार माल पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान, लागू शुल्क के आधार पर कर निर्धारणीय मूल्य पर किया जाता है.
बंधित गोदाम में पड़े कच्चा माल पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान लागू दरों पर किया जाता है.

पुराने, ज्यादा उपयोग न किए जाने वाले, अतिरिक्त और दोषपूर्ण स्टॉक को, स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करते समय पहचाना जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो, ऐसे स्टॉक के लिए प्रावधान किया जाता है.

3.19. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक आस्तियां और प्रतिबद्धताएं

जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो तब गत घटना के परिणामस्वरूप प्रावधान को मान्यता दी जाती है, ऐसी सूरत में संभव है कि कंपनी को दायित्व निपटाना पड़े और दायित्व की रकम का भरोसेमंद आकलन किया जा सकता है.

प्रावधान के रूप में लेखाबद्ध रकम, दायित्व में अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल के बेहतरीन आकलन के बराबर होता है. अगर पैसे का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो तो कर पूर्व बट्टा दर लगाते हुए प्रावधान में रियायत दी जाती है. जब रियायत दी जा रही हो तब समय बीतने के कारण प्रावधान बढ़ने पर उसे वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है.

जब आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव हो तब आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

जब तक आर्थिक लाभ के रूप में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना न हो, आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

प्रकट की गई पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं, उन मदों के संबंध में हैं जो प्रत्येक मामले में देहली सीमा से अधिक हों.

3.20. वित्तीय लिखत

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब कंपनी, लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बने.

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य मापा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय आस्तियों और देयताओं से भिन्न, उचित मूल्य पर, लाभ अथवा हानि के जरिए) के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हो, प्रारंभ में मान्यता देने पर यथोचित तरीके से वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा उचित मूल्य से काटा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हो, फौरन लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.21. वित्तीय आस्तियां

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों को, वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर, बाद में पूरी तरह से या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है.

(i) नकद और नकदी समतुल्य

कंपनी, सभी अधिक अर्थ सुलभ वित्तीय लिखतों पर विचार करता है जिनका ज्ञात नकद में आसानी से रूपांतरण करना संभव हो और जिनका मूल्य बदलने पर जोखिम नगण्य हो और जिनकी क्रय तारीख से तीन महीनों की मूल परिपक्वता हो जो नकद में बदलने लायक हो. नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों के पास शेषराशि रहती है जिनका आहरण और उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है.

(ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग किया जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है और इन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज (SPPI)के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iii) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

इन आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए मापा जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है, जिन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज (SPPI)के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iv) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को, उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए तब तक मापा जाता है जब तक उनको परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा न जा रहा हो.

प्रारंभिक मापन के बाद ब्याज के निमित्त आय, ह्रास के कारण हुई हानि और अन्य निवल अभिलाभ एवं हानियों सहित उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

(v) इक्विटी निवेश:

इक्विटी निवेश (सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम(JV) और सहबद्ध कंपनी से भिन्न):

Ind AS 109 के अधीन आने वाले तमाम इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है. व्यापार करने की खातिर रखे गए इक्विटी लिखतों का FVTPL पर वर्गीकरण किया जाता है. कंपनी, ऐसा चुनाव, लिखत-दर-लिखत आधार पर करती है. ऐसा वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है जो अपरिवर्तनीय है.

इक्विटी निवेश (सहायक कंपनी और JV में):

सहायक कंपनी और JV में किए गए निवेश को स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में लागत पर दर्शाया जाता है.

(vi) वित्तीय आस्तियों में ह्रास

कंपनी, प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को यह निर्धारण करती है कि क्या किसी वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय आस्तियों के समूह में ह्रास हुआ है या नहीं. Ind AS 109 में अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानिपरक भत्ते के जरिए मापा जाए. कंपनी, व्यापार से प्राप्य रकम के मामले में जीवनपर्यंत अपेक्षित उन हानियों को लेखाबद्ध करती है जो वित्तीय लेन-देन के बराबर नहीं होती हैं. सभी अन्य वित्तीय आस्तियों के मामले में, अपेक्षित क्रेडिट हानियों को उस रकम पर मापा जाता है जो 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा उस रकम के बराबर हो जो जीवनपर्यंत अपेक्षित हानि के बराबर हों, बशर्ते कि वित्तीय आस्ति पर क्रेडिट जोखिम में, प्रारंभिक पहचान के बाद काफ़ी उल्लेखनीय बढ़त हुई हो.

(vii) वित्तीय आस्तियों को मान्यता न देना

कंपनी, वित्तीय आस्ति को तब मान्यता नहीं देती है जब आस्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाएं अथवा जब वह वित्तीय आस्तियों को और आस्ति के स्वत्व से जुड़े तमाम जोखिमों और अधिनिर्णयों को किसी दूसरे पक्षकार के नाम हस्तांतरित करे.

वित्तीय आस्ति को पूरी तरह से मान्यता न देने पर आस्ति की रखाव रकम और प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल की रकम के बीच का अंतर, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.22. वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

3.22.1 इक्विटी लिखत

किसी भी ठेके में इक्विटी लिखत उसे कहते हैं जो अपनी तमाम देयताओं को काटने के बाद समग्र आस्तियों में अवशिष्ट हित का सबूत बनता है. कंपनी द्वारा निर्गमित इक्विटी लिखतों को प्राप्त प्राप्तियों पर दर्शाया जाता है. प्रत्यक्ष रूप से नए साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गमन के कारण उठाई गईं वृद्धिशील लागत को, इक्विटी से कटौती यानी निवल कर प्रभाव के रूप में दर्शाया जाता है.

3.22.2 वित्तीय देयताएं

क) वित्तीय गारंटी

जब कंपनी को अपनी नियंत्रक कंपनी से वित्तीय गारंटी मिले तब वह गारंटी शुल्क को उचित मूल्य पर मापता है. कंपनी, नियंत्रक कंपनी से प्राप्त वित्तीय गारंटी के लिए शुल्क के प्रारंभिक उचित मूल्य को '' माना गया इक्विटी '' के रूप में अभिलिखित करती है जब कि उसकी तदनुरूपी आस्ति को पूर्वदत्त गारंटी शुल्क के रूप में रेकॉर्ड करती है. ऐसे माने गए इक्विटी को तुलन पत्र में ' अन्य इक्विटी ' शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है. पूर्वदत्त गारंटी शुल्क को प्राप्त वित्तीय गारंटी की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

ख) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के अंत में परिशोधित लागत पर मापा जाता है. बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं की रखाव रकम का निर्धारण, प्रभावी ब्याज दर पद्धति ("EIR") पर किया जाता है. अगर ब्याज खर्च का आस्ति की लागत के अंग के रूप में पूंजीकरण न किया गया हो तो उसे ' वित्त लागत ' के अधीन दर्शाया जाता है.

ग) वित्तीय देयताओं को मान्यता न देना

कंपनी, वित्तीय देयताओं को किसी भी सूरत में तभी लेखाबद्ध नहीं करती है जब समूह का दायित्व निभाया गया हो, रद्द किया गया हो अथवा समाप्त हुआ हो. बहियों में दर्शाई वित्तीय देयता की रखाव रकम और प्रदत्त एवं देय प्रतिफल के बीच का अंतर, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.23. बीमा संबंधी दावे

आस्ति की पूरी तरह से हानि होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने पर, यातो आस्ति की रखाव लागत अथवा बीमा मूल्य (काटने लायक अतिशय रकम के अधीन), जो भी कम, बीमा कंपनी से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा. अगर बीमा दावा, आस्ति की रखाव लागत से कम हो तो अंतर रकम को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

आंशिक अथवा अन्य हानियों के मामले में इन आस्तियों का दोबारा उपयोग करने लायक स्थिति में लाने की खातिर, अगर अन्य पक्षकार की अथवा अन्य देयताएं हों तो (काटने लायक अतिशय रकम को घटाने के बाद) उनको चुकाने की दृष्टि से किए गए व्यय/भुगतान को बीमा कंपनी से प्राप्य दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. बीमा पॉलिसी के निमित्त काटने लायक अतिशय रकम को उस वर्ष खर्च किया जाता है जिसमें तदनुरूपी व्यय किया गया हो.

जब कभी अंत में बीमा कंपनी से दावे प्राप्त हों, बीमा कंपनी प्राप्य और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका लाभ-हानि विवरण में समायोजन किया जाता है.

सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर दर्ज किया गया है.

3.24. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको किराया कमाने और/अथवा पूंजी संवर्धन के लिए रखा जाता है. निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापा जाता है. प्रारंभ में मान्यता देने के बाद, निवेश संपत्ति को लागत मॉडेल के लिए Ind AS 16 की अपेक्षाओं के अनुसार मापा जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

निवेश संपत्ति को, या तो उसे बेचने पर अथवा उसे स्थाई रूप से उपयोग करने से हटाने पर मान्यता नहीं दी जाती है और उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की अपेक्षा नहीं की जाती है. संपत्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति की रखाव रकम के बीच अंतर रूप में परिकलित) को लाभ अथवा हानि में उस अवधि में समाविष्ट किया जाता है जिसमें संपत्ति को मान्यता देना बंद किया गया हो.

4. लेखाकरण संबंधी नाज़ुक फैसले, परिकल्पनाओं और आकलन के महत्वपूर्ण स्रोतों में अनिश्चितता

जैसे कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाई गईं लेखा नीतियों को लागू करते समय यह बात अंतर्निहित है कि प्रबंधन को ऐसे फ़ैसले, आकलन करने पड़ेंगे और परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो रिपोर्ट की गईं आस्तियों और देयताओं की रकम, आकस्मिक आस्तियों और देयताओं का प्रकटन, राजस्व एवं राजस्व एवं खर्च की रिपोर्ट की गई रकम को प्रभावित करे. वास्तविक परिणाम, किए गए आकलन और परिकल्पनाओं से भिन्न हो सकते हैं.

आकलन और उसकी अंतर्निहित परिकल्पनाओं की, अविरत आधार पर समीक्षा की जाती है. लेखाकरण संबंधी आकलन में किए गए संशोधन को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें आकलन में संशोधन किया गया हो जो भावी अवधि को प्रभावित करता है.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय फैसला, परिकल्पनाएं और आकलन करने में अनिश्चितता के महत्वपूर्ण स्रोत, जिसकी बदौलत, अगले वित्तीय वर्ष के अंदर आस्तियों एवं देयताओं की रखाव रकम में महत्वपूर्ण समायोजन करने की नौबत आए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उपयोगी आयु, कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व, आय कर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में होते हैं.

4.1. लेखा नीतियां लागू करते समय नाज़ुक फ़ैसले करना

नीचे दिए गए फ़ैसले, इन आकलनों से जुड़े फ़ैसलों के अलावा महत्वपूर्ण हैं, (देखें टिप्पणी 4.2), जिसे लेकर प्रबंधन को, समूह की ऐसी लेखा नीतियां लागू करते समय जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं रकम पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़े, नीचे उल्लिखित नाजुक फ़ैसले करने पड़ेंगे.

(क) कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण

प्राथमिक आर्थिक माहौल में ऐसी मुद्रा जिसमें कंपनी, अपना काम चलाती है (" कार्यात्मक मुद्रा "), भारतीय रुपया है (₹) जिसमें कंपनी, मूल रूप से नकद उत्पन्न कर खर्च करती है. तदनुसार, प्रबंधन ने तय किया है कि उसकी कार्यात्मक मुद्रा होगी, भारतीय रुपया (₹)

4.2. आकलन में अनिश्चितता की परिकल्पनाएं और महत्वपूर्ण स्रोत

ऐसे आकलन और पूर्व धारणाओं के बारे में सूचना, जिनका आस्तियों, देयताओं, आय और खर्च को दर्शाने और मापने पर उल्लेखनीय प्रभाव हो, नीचे दी गई है. वास्तविक परिणाम, इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं.

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

प्रबंधन, PPE और अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु के बारे में अपने आकलन की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्ट तारीख को, आस्तियों की खपत से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ के आधार पर करता है.

ख) परिभाषित लाभ के प्रति दायित्व (DBO)

प्रबंधन का DBO का आकलन, अंतर्निहित नाजुक परिकल्पनाओं की संख्या पर आधारित है जैसे मुद्रास्फ़ीति का मानक दर, चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियां, मृत्यु-दर, बट्टा दर और भविष्य में प्रत्याशित वेतन वृद्धि. इन परिकल्पनाओं में घट-बढ़ हो सकती है जिसका DBO की रकम और वार्षिक परिभाषित लाभ संबंधी खर्च पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है.

ग) आय कर के लिए प्रावधान

अनिश्चित कर देयताओं के संबंध में अदा/वसूल की जाने वाली रकम रहित आय करों के लिए प्रावधान तय करने से जुड़े उल्लेखनीय फ़ैसले लेने पड़ते हैं.

घ) आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना

जिस हद तक आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध किया जा सकता है उसका निर्धारण कंपनी की उस भावी कर योग्य आय की संभावनाओं पर निर्भर होता है जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करना संभव हो. इसके अलावा, कानूनी अथवा आर्थिक सीमाओं अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का निर्धारण करते समय काफ़ी बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे.

ङ) सहायक कंपनी में निवेश में ह्रास

ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) में किए गए इक्विटी निवेश के निमित्त 31 मार्च, 2020 को कंपनी की रखाव रकम ₹ 17,426.37 दशलक्ष रही (31 मार्च, 2019 को ₹ 14,876.28 दशलक्ष). OMPL ने 2014-15 में अपना प्रचालन वर्ष एक हरित क्षेत्र वाली परियोजना से शुरु किया जिसने पूर्व वित्तीय वर्षों में हानि उठाई थीं जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्यवत्ता में उल्लेखनीय अवनति हुई है. लेकिन प्रत्यक्ष निष्पादन में सुधार करते हुए और लाभप्रदता बढ़ाने वाले विभिन्न प्रकार के उपाय करते हुए, कंपनी ने प्रारंभ में चुनौतियों का मुकाबला किया.

प्रबंधन ने भविष्य के बारे में धारणाओं के आधार पर वर्तमान मूल्य तक घटाए गए संबंधित भावी नकदी प्रवाह पर विचार किया है. ह्रास का परीक्षण करते समय अकसर कई अस्थिर आर्थिक कारकों जैसे भावी बाजार कीमतों, मुद्रा विनिमय दरों और भावी उत्पादन एवं बट्टा दर को लेकर दीर्घावधि धारणाएं बनानी पड़ती हैं.

उक्त निर्धारण के आधार पर प्रबंधन ने यह फ़ैसला किया है कि निवेश के मूल्य में इस समय हुई अवनति अस्थाई है जो OMPL द्वारा इससे पहले उठाई गई हानियों के कारण है. तदनुसार 31 मार्च, 2020 को कोई ह्रास नहीं हुआ है.

च) पट्टे

यह पहचानना कि क्या ठेके में पट्टा शामिल है या नहीं

कंपनी, विभिन्न आस्तियों/सेवाओं के लिए किराया/सेवा संबंधी व्यवस्थाएं करता है. कंपनी, Ind AS 116 के सिद्धांतों के अनुसार यह मूल्यांकन करती है कि क्या ठेके में कोई पट्टा है या नहीं. इसमें उल्लेखनीय फ़ैसले करने पड़ते हैं जिनमें ये बातें शामिल हैं परंतु इन बातों तक सीमित नहीं है, क्या आस्ति को निःसंदेह पहचाना गया है और आपूर्तिकर्ता के पास असली स्थानापन्न अधिकार उपलब्ध हैं, ऐसा फ़ैसला करने का अधिकार कि संबंधित आस्ति का उपयोग किस तरह से किया जाए, व्यवस्था का आर्थिक सार आदि.

पट्टा संबंधी अवधि का निर्धारण (विस्तार और समाप्त करने संबंधी विकल्पों सहित)

कंपनी, पट्टा संबंधी अवधि को रद्द न करने लायक पट्टी अवधि की तरह मानती है जिसमें पट्टे की अवधि बढ़ाने अथवा समाप्त करने के विकल्प के साथ समायोजन किया गया हो बशर्ते कि ऐसे विकल्प का उपयोग करना लगभग निश्चित हो. अवधि बढ़ाने/समाप्त करने के विकल्प का निर्धारण, पट्टा-दर-पट्टा आधार पर संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार किया जाता है. अगर विकल्प का वास्तव में उपयोग किया जाए तो पट्टा संबंधी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जाता है. ठेकों के मामले में, जहां कुछ परिस्थितियों में कंपनी को अंतर्निहित आस्ति को किराए पर लेने और न लेने का विकल्प हो(जैसे प्रचालन संबंधी अपेक्षाएं), पट्टे की अवधि को प्रारंभिक ठेका अवधि के रूप में माना जाता है.

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करने के लिए पट्टा संबंधी भुगतानों को पहचानना

निश्चित पट्टा भुगतानों (इन्न-सब्सटेंस निश्चित सहित) को पहचानने के लिए, कंपनी, पट्टा संबंधी देयता और तदनुरूपी उपयोग करने के अधिकार संबंधी आस्तियों का परिकलन करते समय गैर-प्रचालन दिन दर/स्टैंड बाय को न्यूनतम निश्चित पट्टा भुगतान की तरह मानती है.

कम मूल्य के पट्टे

Ind AS 116 में इस बात का निर्धारण करने अपेक्षा की गई है कि क्या अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम है, अगर पट्टेदार, अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम होने पर, पट्टे के संबंध में Ind AS 116 की उसे स्वीकार करने और उसका मापन करने संबंधी अपेक्षाओं को लागू न करने का विकल्प चुने. कम मूल्य का निर्धारण करते समय कंपनी ने, Ind AS 1 में यथा परिभाषित आस्तियों के स्वरूप और मटीरियलिटी की अवधारण तथा Ind AS के वैचारिक ढ़ांचे पर विचार किया है जिसमें उल्लेखनीय फ़ैसला करना पड़ता है.

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करने के लिए बट्टा दर का निर्धारण करना

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करते समय Ind AS 116 में अपेक्षा की जाती है कि पट्टेदार, अगर पट्टा संबंधी ठेके में निर्दिष्ट दर का फ़ौरन निर्धारण करना संभव न हो तो अपनी वृद्धिशील उधार दर का बट्टा दर के रूप में उपयोग करे.

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में अंकित पट्टे के मामले में, कंपनी, वृद्धिशील उधार को, इसी तरह से निर्धारित संगठनों के लिए कार्पोरेट बाँड रेट के रूप में मानती है.

5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में

इनकी रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	54.91	17.65
पट्टाधृत भूमि (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)	- 271.74	
भवन	3,733.20	3,851.58
संयंत्र और उपकरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख]	1,31,994.11	1,35,378.70
रेलवे साइडिंग	1,534.70	-
फर्नीचर और जुड़नार	250.09	265.36
वाहन	24.49	20.66
कार्यालय उपकरण	28.10	22.21
कुल	1,37,619.60	1,39,827.90

कुल रखाव रकम	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	17.65	253.46	3,878.60	1,56,097.75	-	372.25	27.69	30.90	1,60,678.30
परिवर्धन/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-	18.28	547.34	6,588.65	-	45.73	9.26	11.75	7,221.01
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-	446.60	-	1.97	8.75	0.74	458.06
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	17.65	271.74	4,425.94	1,62,239.80	-	416.01	28.20	41.91	1,67,441.25
परिवर्धन/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	37.26	-	48.24	4,100.34	1,626.75	32.80	8.73	10.00	5,864.12
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-	271.74	37.26	502.63	-	3.23	0.69	2.50	818.05
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	54.91	-	4,436.92	1,65,837.51	1,626.75	445.58	36.24	49.41	1,72,487.32

संचित मूल्यह्रास	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	-	-	445.99	19,867.06	-	88.81	10.46	14.44	20,426.76
मूल्यह्रास	-	-	128.37	7,348.61	-	63.15	4.57	5.96	7,550.66
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-	354.57	-	1.31	7.49	0.70	364.07
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	-	-	574.36	26,861.10	-	150.65	7.54	19.70	27,613.35
मूल्यह्रास	-	-	129.36	7,396.65	92.05	47.47	4.77	3.89	7,674.19
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-	414.35	-	2.63	0.56	2.28	419.82
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	-	-	703.72	33,843.40	92.05	195.49	11.75	21.31	34,867.72

क. वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' लागू किया. इससे पट्टाधृत भूमि का आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार के रूप में पुनर्वर्गीकरण करना पड़ा.

ख. संयंत्र और उपकरण में शामिल है ₹ 39.15 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 39.15 दशलक्ष), जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति में कंपनी का हिस्सा है.

5.1 जमानत के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (देखें टिप्पणी 22):

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है (जिसमें संयंत्र और मशीनों, अतिरिक्त पुर्ज़ों, औजारों, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन और समस्त अन्य चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनकी सीमा यहां तक समाप्त नहीं होती है).

संघीय बैंक से लिए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है (समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण).

5.2 विदेशी विनिमय में पूंजीकृत अंतर

विदेशी मुद्रा अंतर के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में किए गए परिवर्धन शून्य है (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1,351.20 दशलक्ष). आस्ति वार परिवर्धन के ब्यौरे यहां नीचे प्रकट किए गए हैं:-

वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
आस्ति की श्रेणी	**विनिमय में अंतर**	**विनिमय में अंतर**
भवन	-	13.97
संयंत्र और उपकरण	-	1,337.23
कुल	**-**	**1,351.20**

5.3 कंपनी, कुछ आर्थिक लाभ के लिए पात्र हैं जैसे पूर्व वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात/स्थानीय खरीदारी पर प्रवेश कर, उत्पाद शुल्क आदि से छूट. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीदारी पर सीमाशुल्क तथा प्रवेश कर के लिए प्राप्त लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में लिया था. कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत को समायोजित कर ₹ 3,618.21 दशलक्ष की राशि आस्थगित सरकारी अनुदान में जमा की थी. आस्थगित कर अनुदान को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शेष उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है.

6. उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां

निवल रखाव रकम [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 6.1]	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
पट्टाधृत भूमि (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 6.2 और 6.3)	2,890.62	-
भवन	249.60	-
अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियाँ)	1,460.31	-
कुल	4,600.53	-

कुल रखाव रकम	पट्टाधृत भूमि	भवन	अन्य (आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार)/	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	2,938.93	288.05	1,481.06	4,708.04
परिवर्धन	11.96	-	41.55	53.51
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	-	-	6.26	6.26
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	2,950.89	288.05	1,528.87	4,767.81
परिशोधित मूल्यह्रास	पट्टाधृत भूमि	भवन	अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी का)	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	-	-	-	-
परिवर्धन	60	38.45	73.48	172.20
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	-	-	(4.92)	(4.92)
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	60.27	38.45	68.56	167.28

6.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण पद्धति के सहारे भारतीय लेखा मानक (Ind AS) - 116 'पट्टे' अपनाया. पट्टा संबंधी देयता और उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों को क्रमश: ₹ 2,156.46 दशलक्ष और ₹ 4,708.04 दशलक्ष तक दर्शाया गया है (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य रहा क्योंकि इस अवधि के दौरान Ind AS 116 लागू नहीं था) **[देखें टिप्पणी 5 (क), 7.1, 15.1 और 15.5]**.

6.2 इसमें शामिल है, पट्टाधृत भूमि, जहां स्वामित्व को, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा. इन पट्टाधृत भूमियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

6.3 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में शामिल है ऐसी भूमि जिसकी रकम है ₹ 1,305.60 दशलक्ष जो कंपनी के कब्ज़े में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं.**[देखें टिप्पणी 7.1]**.

6.4 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में प्रभारित मूल्यह्रास के लिए ₹ 43.02 दशलक्ष(31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है **[देखें टिप्पणी 7.4]**.

6.5 भारतीय लेखा मानक (Ind AS) - 116 '' पट्टे '' लागू करने से कर पूर्व लाभ में (PBT) में ₹ 45.06 दशलक्ष तक गिरावट आई है (मूल्यह्रास खर्च और वित्त लागत में क्रमश: ₹ 129.18 दशलक्ष और ₹ 68.27 दशलक्ष तक वृद्धि और अन्य खर्च में ₹ 152.39 दशलक्ष तक अवनति)

7. प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
पट्टाधृत भूमि **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.1)**		-		717.31
भवन		249.97		184.28
संयंत्र और उपकरण		16,057.62		6,766.75
रेलवे साइडिंग		-		1,654.53
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		15.48		27.47
आबंटन होने तक परियोजना व्यय :				
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	00.29		281.99	
वित्त लागत [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.2 और 7.3]	21.90		268.53	
मूल्यह्रास संबंधी खर्च **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.4]**	43.02		-	
अन्य खर्च	47.74		154.08	
घटाएं: वर्ष के दौरान आबंटित/समायोजित	33.98	978.97	29.96	474.64
कुल		**17,302.04**		**9,824.98**

7.1 पिछले वर्ष की पट्टाधृत भूमियों में शामिल है ऐसी भूमि जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं. इसका पुनर्वर्गीकरण, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों के रूप में किया गया है.

7.2 CWIP में किए गए परिवर्धन में शामिल है, उधार लागत के निमित्त ₹ 366.61 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 232.47 दशलक्ष) जिसका विभिन्न श्रेणी की आस्तियों में आबंटन किया गया है/किया जाएगा. पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागत की रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर 7.80% रही (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 7.69 %) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है.

7.3 पट्टा संबंधी देयता पर वित्त लागत के प्रति ₹ 101.60 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है.

7.4 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में प्रभारित मूल्यह्रास के लिए ₹ 43.02 दशलक्ष(31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है.

7.5 इसमें शामिल है ओआईडीबी के प्रति लिया गया ऋण जिसकी जमानत के तौर पर, ओआईडीबी की ऋण संबंधी प्राप्तियों में से वित्तपोषित सिर्फ़ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / परियोजनाओं पर दृष्टिबंधक / बंधक के रूप में प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. **[देखें टिप्पणी 22.2.2].**

8 निवेश संपत्ति

इनकी रखाव रकम :	**यथा मार्च 31, 2020**	**यथा मार्च 31, 2019**
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	77.96	77.96
कुल	77.96	77.96

कुल रखाव रकम	**रकम**
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**77.96**
परिवर्धन	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**77.96**
परिवर्धन	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**77.96**

परिशोधित मूल्यह्रास और ह्रास	रकम
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	-
मूल्यह्रास अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	- -
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	-
मूल्यह्रास अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	- -
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	-

8.1 पूंजीगत मूल्य वृद्धि के लिए धारित 102.31 एकड़ की भूमि शामिल है.

8.2 निवेश संपत्ति को खरीदने, निर्मित करने अथवा विकसित करने के प्रति कोई संविदागत दायित्व नहीं है.

8.3 चालू वर्ष में निवेश संपत्ति के लिए लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई निवल रकम ₹ शून्य है(31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य).

8.4 ऊपर उल्लिखित निवेश संपत्ति में उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्ति शामिल नहीं की गई है.

8.5 उचित मूल्य का बेहतरीन साक्ष्य है, इसी तरह की संपत्तियों के लिए सक्रिय बाज़ार में वर्तमान कीमतें.

8.6 कंपनी ने, दिनांक 30 अप्रैल, 2018 को स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का उचित मूल्य 31 मार्च, 2020 को ₹ 255.80 दशलक्ष के रूप में निश्चित किया है (31 मार्च, 2019 को ₹ 255.80 दशलक्ष). COVID-19 के कारण वर्तमान स्थिति का जायज़ा लेते हुए निवेश संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका और प्रबंधन की राय है कि 30 अप्रैल, 2018 को अपनाया गया उचित मूल्य, 31 मार्च, 2020 को अपनाया जाएगा.

9 सुनाम

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	4.04
क्षति	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	4.04
क्षति	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	4.04

9.1 सुनाम, नाइट्रोजन संयंत्र का अधिग्रहण करने की खातिर निवल आस्तियों पर प्रदत्त अतिशय प्रतिफल दर्शाता है.

10 अन्य अगोचर आस्तियां

निवल रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	53.60	51.69
लाइसेंस और क्रयाधिकार	36.85	-
कुल	90.45	51.69

कुल रखाव रकम	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	लाइसेंस और क्रयाधिकार	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**68.45**	**-**	**68.45**
परिवर्धन	18.99	-	18.99
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**87.44**	**-**	**87.44**
परिवर्धन	17.94	49.53	67.47
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**105.38**	**49.53**	**154.91**
संचित परिशोधन	**कंप्यूटर सॉफ्टवेयर**	**लाइसेंस और क्रयाधिकार**	**कुल**
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**18.89**	**-**	**18.89**
परिशोधन	16.86	-	16.86
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**35.75**	**-**	**35.75**
परिशोधन	16.03	12.68	28.71
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**51.78**	**12.68**	**64.46**

10.1 आंतरिक रूप से उत्पन्न कोई अगोचर आस्तियाँ नहीं हैं.

11. निवेश

11.1 इक्विटी लिखतों में निवेश

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	संख्या दशलक्ष में	रकम	संख्या दशलक्ष में	रकम
कोट न किए गए निवेश (सभी पूर्णत: प्रदत्त)				
(i) सहायक कंपनी में निवेश				
ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (लागत पर) (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 11.1.2]**	1,297.63	17,426.37	1,085.13	14,876.28
(ii)संयुक्त उद्यम में निवेश				
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (लागत पर) (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	15.00	50.00	15.00	150.00
(iii) निवेश: अन्य				
मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (उचित मूल्य पर) (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	0.02	0.19	0.02	0.19
कुल		**17,576.56**		**15,026.47**
कोट न किए गए निवेशों की कुल रखाव रकम		17,576.56		15,026.47
निवेशों के मूल्य में कुल ह्रास की रकम		-		-

11.1.1 ONGC पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में शेयरों के विनिवेश पर लगाए गए प्रतिबंध, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुमोदन मिलने पर लागू होंगे.

11.1.2 कंपनी ने, तीन वर्ष के लिए अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों (CCD) के लिए जिसकी रकम ₹ 5100 दशलक्ष है (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य) जिसे सहायक कंपनी '' ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) ने निर्गमित किया था, मूल धनराशि और संचयी कूपन की चुकौती के प्रति बैक स्टॉपिंग समर्थन देने की व्यवस्था की है और इस संबंध में 31 मार्च, 2020 को बकाया ब्याज ₹ शून्य रहा (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य).

11.1.3 सहायक कंपनी के ब्यौरे

सहायक कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	स्वत्व हित का अनुपात / धारित मताधिकार	
			यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	पेट्रोकेमिकल्स	भारत	51.00%	51.00%

संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.4.**

11.1.4 संयुक्त उद्यम के ब्यौरे

सहायक कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	स्वत्व हित का अनुपात / धारित मताधिकार	
			यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	विमानन ईंधन का व्यापार	भारत	50.00%	50.00%

संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.4.**

11.1.5 निवेश के ब्यौरे: अन्य

सहायक कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित/मताधिकार का अंश	
			यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड (MRSL)	पेट्रोलियम उत्पादों का, खुदरा केंद्रों और परिवहन टर्मिनल के जरिए वितरण	भारत	18.98%	18.98%

MRSL में निवेश को लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया है. प्रबंधन ने ऐसे निवेश के उचित मूल्य को (स्तर 3 के सोपान पर), प्रत्येक रिपोर्ट अवधि पर रखाव रकम के समतुल्य माना है.

12 ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क) बयाना				
(जमानत रहित शोध्य समझे गए)				
संबंधित पक्षकारों के पास	12.68	-	12.68	-
विक्रेताओं के पास	145.76	4.51	143.59	3.81
	158.44	**4.51**	**156.27**	**3.81**
(ख) कर्मचारियों को दिए गए ऋण				
जमानती, शोध्य समझे गए	948.11	121.53 7	70.33	96.47
जमानत रहित शोध्य समझे गए		6.91		11.21
जमाराशि में ह्रास				
- ऐसे ऋण जिसे पाने में क्षति हुई हो	-	0.69	-	0.81
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के निमित्त क्षति	-	0.69	-	0.81
	948.11	**128.44**	**770.33**	**107.68**
(ग) निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण (जमानती, शोध्य समझे गए)	**0.58**	**0.09**	**0.67**	**0.15**
(घ) ग्राहकों को दिए गए ऋण (जमानती, शोध्य समझे गए) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 12.1]**	1.59	0.15	-	-
कुल	1,108.72	133.19	927.27	111.64

12.1 कंपनी ने आधारभूत निधि योजना (CFS) के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के व्यापारियों को खुदरा केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत, व्यापारी से कार्यकारी पूंजीगत ऋण/सहायता की मांग करते हुए लिखित दरख्वास्त मिलने पर कंपनी, व्यापारी के पूर्ण प्रचालन चक्र के लिए कार्यकारी पूंजीगत ऋण (सात दिनों की बिक्री की मात्रा के समतुल्य) देती है. यह कार्यकारी पूंजीगत ऋण और उस पर निर्दिष्ट दर से ब्याज, व्यापारी द्वारा चलाया गया खुदरा केंद्र चालू हुए तेरहवें महीने से सौ समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा.

13 अन्य वित्तीय आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
जमानती, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो				
(क) कर्मचारियों/निदेशकों/अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋणों पर उपचित ब्याज	198.57	3.04	135.04	1.72
(ख) अन्य पर उपचित परंतु देय न हुआ ब्याज, जमानती, शोध्य समझा गया	-	1.84	-	1.48
गैर जमानती, शोध्य समझा गया	-	-		2.38
	-	1.84	-	3.86
(ग) प्राप्य बिल (गैर जमानती, शोध्य समझे गए) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 13.1]**	-	6,324.45	-	-
कुल	198.57	6,329.33	135.04	5.58

13.1 सहायक कंपनी " ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड " (OMPL) पर आहरित गैर एलसी बिल के प्रति भारतीय स्टेट बैंक से गैर जमानती बिल भुनाई सुविधा दर्शाता है **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 17.7]**.

14 कर आस्तियां / (देयताएं) [निवल]

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर आस्तियां (अग्रिम कर)	10,019.29	3,067.09	54,059.25	2,745.34
घटाएं: चालू कर देयताओं के लिए प्रावधान	8,382.75	1,084.76	52,059.98	1,221.58
	1,636.54	**1,982.33**	**1,999.27**	**1,523.76**
निवल कर आस्तियां/ (देयताएं) (क)				
प्रदत्त विवादग्रस्त आय कर (ख)	-	-	307.24	-
कुल (क+ख)	**1,636.54**	**1,982.33**	**2,306.51**	**1,523.76**

14.1 कंपनी ने,प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत आय कर विवाद निपटाने का विकल्प चुना है और तदनुसार उक्त योजना के तहत देय ₹1,084.76 दशलक्ष की रकम, चालू वर्ष के दौरान लाभ-हानि विवरण में पूर्व वर्ष के कर के रूप में दर्शाई गई है. इसका अनुसरण करते हुए कर आस्तियों और देयताओं का 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्वर्गीकरण किया गया है. कर निर्धारण वर्षों की ₹ 2,908.37 दशलक्ष की कर आस्तियां और ₹ 1,084.76 दशलक्ष की देयताएं, जिनके लिए कंपनी ने क्रमश: वर्तमान कर आस्तियों और वर्तमान कर देयताओं के रूप में समझने का विकल्प चुना है क्योंकि इनको एक वर्ष के अंदर निपटाने की उम्मीद है.

14.2 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आय कर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 115BAA अंतर्विष्ट की है जिससे देशी कंपनियों को, कुछ शर्तों पर घटाई गई दर पर कार्पोरेट कर अदा करने का, रद्द न करने लायक विकल्प मिला है. ऐसा विकल्प, वित्तीय वर्ष 2019-20 अथवा बाद में किसी वित्तीय वर्ष में चुना जा सकता है. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, पुरानी कार्पोरेट कर दर पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं. लेकिन, कंपनी, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नई निम्नतर कर दर का विकल्प, आय कर विवरणी पेश करते समय नियत तारीख तक या उससे पहले चुन सकती है.

15 अन्य आस्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)				
(क) अन्य को पूंजीगत अग्रिम जमानती, शोध्य समझे गए,	1,061.34	-	10.10	-
गैर जमानती, शोध्य समझे गए	7063.29		7709.68	
[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 15.1]	**8,124.63**	**-**	**7,719.78**	-
(ख) सरकारी प्राधिकरण के पास जमाराशि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 15.2, 15.3 और 15.4]	**378.73**	**2,471.87**	**2,503.98**	**356.48**
(ग) वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम				
संबंधित पक्षकारों से	-	1.87	-	118.06
अन्य से	-	295.11	-	1,140.02
	-	**296.98**	**-**	**1,258.08**
(घ) सरकारी प्राधिकरण के पास शेषराशि		**796.34**	**-**	**2,023.02**
(ङ) पूर्व भुगतान [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 15.5]				
पट्टाधृत भूमि	-	-	6.57	0.08
गारंटी शुल्क	-	-	-	-
अन्य	217.90	81.56	1,477.81	394.08
	217.90	**81.56**	**1,484.38**	**394.16**
(च) सोने के सिक्के	-	**0.91**	-	**0.91**
(छ) वापस करने लायक आधार पर स्टॉक	-	41.39	-	181.68
घटाएं: स्टॉक में हानि	-	41.39	-	41.39
	-	-	-	**140.29**
कुल	8,721.26	3,647.66	11,708.14	4,172.94

15.1 पिछले वर्ष पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रदत्त ₹ 223.65 दशलक्ष की रकम का अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया है क्योंकि कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 "पट्टे" को अपनाया.

15.2 विवाद के अधीन प्रदत्त रकम शामिल है.

15.3 माननीय CESTAT के समक्ष लंबित रीफ़ॉर्मेट आयात के वर्गीकरण से संबंधित अपील के संबंध में, ₹ 2,125.25 दशलक्ष शामिल है, जिसमें वर्ष के दौरान बारी के बिना जल्द ही मामले की सुनवाई करने के लिए आवेदन पत्र भी माननीय CESTAT द्वारा स्वीकार किया गया है, कंपनी ने इसे वर्तमान के रूप में माना है क्योंकि इसे एक वर्ष के अंदर निपटाने की उम्मीद है.

15.4 "वित्त अधिनियम 2019 " के तहत घोषित " सब का विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 " के तहत जो 1 सितंबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक लागू थी, अपीलाधीन और बंद करने के लिए पेश की गई, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर संबंधी मामलों से संबंधित ₹ 2.31 दशलक्ष की पूर्व-जमाराशि शामिल है. इसमें से ₹ 2.07 दशलक्ष को पहले से ही देयता के रूप में प्रदान किया गया था और नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों से अनुमोदन मिलने और योजना के अनुसार उस बारे में उन्मोचन प्रमाणपत्र मिलने पर इसे पूर्व-जमाराशि के प्रति समायोजित किया जाएगा. समापन के लिए पेश किया गए मामलों के लिए नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों से अनुमोदन मिलने और योजना के अनुसार उस बारे में उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी होने पर, शेष ₹ 0.24 दशलक्ष को (जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है) लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाएगा.

15.5 पिछले वर्ष पूर्व भुगतान के तहत वर्गीकृत ₹ 1,338.78 दशलक्ष की रकम का अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया है क्योंकि कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 "पट्टे" को अपनाया.

16. स्टॉक

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कच्चा माल				
(क) हाथ में	8,087.66		15,698.90	
(ख) मार्ग में	6,845.88	14,933.54	6,640.34	22,339.24
प्रक्रिया में स्टॉक		5,000.57		9,695.17
तैयार माल	11,790.39		20,569.99	
व्यापार में स्टॉक - स्नेहन तेल		0.07		0.12
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे				
(क) हाथ में	7,188.02		5,491.74	
(ख) मार्ग में	83.53		100.57	
घटाएं:				
ऐसे स्टाक के लिए प्रावधान जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	90.46	7,181.09	80.56	5,511.75
कुल		38,899.75		58,110.36

16.1 वर्ष के दौरान खर्च के रूप में दर्शाई गई स्टॉक लागत (बिक्री लागत) ₹ 532,615.95 दशलक्ष रही (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 603,544.13 दशलक्ष).

16.2 खर्च के रूप में दर्शाए गए स्टॉक लागत (तैयार माल) में शामिल है निवल वसूल करने योग्य मूल्य की तुलना में प्रतिलेखित स्टॉक के संबंध में ₹ 8888.64 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 84.46 दशलक्ष). चालू वर्ष और पिछले वर्ष में इस तरह प्रतिलेखित स्टॉक का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है. दुनिया भर में सर्वव्यापी COVID महामारी फ़ैलने और 25 मार्च, 2020 से राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन जारी करने के साथ-साथ अन्य सामान्य कारकों के परिणामस्वरूप क्रूड की कीमतों में एकदम गिरावट आई और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के मुनाफ़े में अवनति आई और नतीजतन धारित कंपनी के स्टॉक को उनके निवल वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिलेखित किया गया.

16.3 स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी **टिप्पणी 3.18** में दी गई है.

17 प्राप्य व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
जमानती **[देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 17.4]**		
- शोध्य समझे गए	243.54	175.11
गैर जमानती		
- शोध्य समझे गए	10,179.15	23,047.85
जमाराशि में क्षति		
- प्राप्त रकम जिनकी जमाराशि में ह्रास हुआ हो	1,126.01	969.60
घटाएं: प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त हानि	1,126.01	969.60
कुल	10,422.69	23,222.96

17.1 सामान्यत:, कंपनी, मुद्दती ठेकों और हाजिर अंतर्राष्ट्रीय टेंडरों और एसईज़ड् ग्राहकों को आपूर्तियों के जरिए उत्पादों का निर्यात करने के अलावा देशी बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्था करती है. बिक्री पर औसत क्रेडिट अवधि 7 से 45 दिन तक होती है (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 7 से 45 दिन रही). बीजक दिनांक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापार रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है जो बकाया शेषराशि पर लागू बैंक दर पर 2% प्रति वर्ष तक होता है(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 3% प्रति वर्ष).

17.2 प्राप्य व्यापार रकम में से 31 मार्च, 2020 को ₹ 9,492.84 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 22,636.86 दशलक्ष) की शेषराशि, नीचे उल्लिखित ग्राहकों से देय है. दूसरे ऐसे कोई ग्राहक नहीं है जिनसे नीचे उल्लिखित से भिन्न, प्राप्य कुल व्यापार शेषराशि के 5% से अधिक रकम देय हो.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
ग्राहक 1	956.80	7,327.99
ग्राहक 2	5,809.64	7,220.53
ग्राहक 3	1,103.79	2,464.87
ग्राहक 4	943.45	2,491.45
ग्राहक 5	-	1,811.48
ग्राहक 6	-	1,313.62
ग्राहक 7	679.16	6.92
कुल	9,492.84	22,636.86

नोट: बाजार में गोपनीयता बनाए रखने के लिहाज से प्रमुख ग्राहकों की पहचान प्रकट नहीं की जाती है.

17.3 सामान्यत:, कंपनी, अपने ग्राहकों से सभी प्राप्य रकम, लागू क्रेडिट अवधि के अंदर ही वसूल करती है. कंपनी, प्रत्येक लेन-देन से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपने तमाम ग्राहकों से प्राप्य व्यापार रकम पर ह्रास का निर्धारण करती है.

17.4 ग्राहकों से प्राप्त बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत.

17.5 कंपनी का, ऋण देने में निहित जोखिम का सांद्रण इस कारण है कि कंपनी को, ग्राहकों से **टिप्पणी 17.2** में बताए गए तरीके से काफ़ी हद तक रकम प्राप्त होनी है लेकिन ये ग्राहक, प्रतिष्ठित हैं और साख पात्र हैं.

17.6 कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से प्राप्य कोई बकाया रकम नहीं है.

17.7 व्यापार से प्राप्य रकम का ₹ 6,324.45 दशलक्ष की बिल भुनाई (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य) के साथ निवल राशि निकाली जाती है.

17.8 प्राप्य व्यापार राशियों की उम्र:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
क्रेडिट अवधि के अंदर	9,799.55	22,815.56
1-30 दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	375.62	130.15
31-90 दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	228.40	117.16
देय दिनांक से, 90 दिन से अधिक दिन बीत गए हैं	1,145.13	1,129.69
कुल	11,548.70	24,192.56

17.9 प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त ह्रास का चलन

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	969.60	973.61
अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रावधान में परिवर्धन / (विलोमन)	158.41	14.27
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रति लेखन	2.00	18.28
घटाएं: पुनर्वर्गीकरण/अन्य समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	1,126.01	969.60

18 नकद और नकदी समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
बैंकों में शेषराशि	15.62	20.76
हाथ में नकद	2.18	5.15
कुल	17.80	25.91

19 अन्य बैंक शेषराशि

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
धारणाधिकार के अधीन अन्य बैंक जमाराशियां	0.09	4,578.40
डिबेंचर खाते पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 19.1]**	0.01	0.01
अदावी लाभांश खाता **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 19.2]**	249.79	259.96
कर्मचारी हितकारी निधि के लिए निर्बंधित बैंक शेषराशि	12.26	11.07
कुल	262.15	4,849.44

19.1 डिबेंचरों पर अदावी ब्याज खाते में जमा की गई रकम, ब्याज का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

19.2 अदावी लाभांश खाते में जमा की गई रकम, लाभांश का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

20 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण यथा	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 को: प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर)	**29,000.00**	**29,000.00**
प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 मोचनीय अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2019 को: प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमानी शेयर)	**1,000.00**	**1,000.00**
निर्गमित और अभिदत्त:		
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)	**17,525.99**	**17,525.99**
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर:		
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 को: प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)	17,525.99	17,525.99
जोड़ें: जब्त शेयर **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 20.5)**	0.65	0.65
कुल	**17,526.64**	**17,526.64**

रिपोर्ट अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	शेयरों की संख्या दशलक्ष में	शेयर पूंजी
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**1,752.60**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2019 को बकाया	**1,752.60**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2020 को बकाया	1,752.60	17,525.99

20.1 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर है. इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक, प्रति शेयर एक वोट पाने का हकदार है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

कंपनी का परिसमापन होने पर इक्विटी शेयर धारकों को तमाम अधिमानी रकम वितरण करने के बाद बची कंपनी आस्तियां प्राप्त करने का हक होगा. शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा.

20.2 नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी अथवा सहबद्ध कंपनियों द्वारा धारित शेयर, निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.4 विकल्पों और ठेकों अथवा शेयरों की बिक्री के लिए प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्गमित करने अथवा विनिवेश के लिए आरक्षित इक्विटी शेयर: कुछ नहीं (31 मार्च, 2019 को: कुछ नहीं).

20.5 प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयरों को(₹ 10 के 303,550 इक्विटी शेयरों के समतुल्य) वर्ष 2009-10 में जब्त किया गया जिसके प्रति मूल रूप से प्रदत्त रकम ₹ 654,000 रही.

21 अन्य इक्विटी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
(क) मानी गई इक्विटी **[देखें टिप्पणी 3.22.2 (क)]**	42.17	42.17
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	91.86	91.86
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम	3,490.53	3,490.53
(iii) सामान्य आरक्षित निधि	1,192.00	1,192.00
(iv) प्रतिधारित अर्जन	55,652.09	84,927.09
कुल	60,468.65	89,743.65

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
(क) मानी गई इक्विटी (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 20.1)		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	42.17	38.40
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	3.77
वर्ष के अंत में शेषराशि	**42.17**	**42.17**
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.2]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	91.86	91.86
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**91.86**	**91.86**
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.3]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	3,490.53	3,490.53
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**3,490.53**	**3,490.53**
(iii) सामान्य आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.4]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,192.00	1,192.00
प्रतिधारित अर्जनों में से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,192.00**	**1,192.00**
(iv) प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	84,927.09	87,991.30
वर्ष का कर उपरांत लाभ	(27,076.42)	3,319.56
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	(85.73)	(45.21)
लाभांश का भुगतान	(1,752.60)	(5,257.80)
लाभांश पर कर	(360.25)	(1,080.76)
वर्ष के अंत में शेषराशि	**55,652.09**	**84,927.09**

21.1 मानी गई इक्विटी के रूप में दर्शाई गई ₹ 42.17 दशलक्ष (31 मार्च 2019 को ₹ 42.17 दशलक्ष) की रकम, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड से किसी प्रतिफल के बगैर प्राप्त वित्तीय गारंटी के प्रति शुल्क का उचित मूल्य दर्शाती है.

21.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अधिमानी शेयर पूंजी का प्रतिदान होने पर पूंजीगत प्रतिदान आरक्षित निधि निर्मित की.

21.3 कंपनी ने, इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम करने पर प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि का निर्माण किया जिसका कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयोग किया जा सकेगा.

21.4 सामान्य आरक्षित निधि का, समय-समय पर, विनियोजन करने के प्रयोजन से, प्रतिधारित अर्जन से लाभ अंतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है. चूंकि सामान्य आरक्षित निधि का निर्माण करते समय इक्विटी के एक घटक से दूसरे में अंतरण किया जाता है और अन्य व्यापक आय की एक मद नहीं होती है इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में सम्मिलित मदों का बाद में लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा.

21.5 कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में अपने इक्विटी शेयरधारकों में वितरित की जानेवाली रकम का निर्धारण करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और कंपनी लाभांश वितरण नीति पर विचार किया जाता है. इस प्रकार से, सामान्य आरक्षित निधि में दर्शाई गई रकम का समग्र रूप से वितरण करना संभव नहीं होगा.

22 उधार

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
जमानती - परिशोधित लागत पर				
सावधि ऋण:-				
बैंकों से				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.1]**	18,822.77	-	24,092.40	-
अन्य पक्षकारों से				
तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.2]**	4,720.00	-	2,680.00	-
आस्थगित भुगतान देयताएं:-				
आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.3]**	360.78	-	225.56	-
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.4]**	-	2,470.32	-	3,071.58
गैर जमानती - परिशोधित लागत पर				
डिबेंचर :-				
अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.5]**	25,586.59	-	-	-
सावधि ऋण:-				
बैंकों से				
बैंक से रुपया सावधि ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.6]**	-	-	5,142.50	-
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) कार्यकारी पूंजी **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.7]**	30,025.03	-	68.52	-
विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.8]**	-	11,866.06	-	17,290.00
खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.9]**	-	-	-	24,206.00
बिल भुनाई सुविधा : SBI **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.10]**	-	6,324.45	-	-
अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.11]**	-	3,700.00	-	-
अन्य पक्षकारों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण वाणिज्यिक पत्र **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.12]**	-	-	-	4,000.00
कुल	**79,515.17**	**24,360.83**	**32,208.98**	**48,567.58**

22.1 **बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB):**

22.1.1 कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR 6 महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2020 को ब्याज दर 2.90% और 31 मार्च, 2019 को 3.86% रही.)

22.1.2 बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है (जिसमें संयंत्र और मशीनों, अतिरिक्त पुर्ज़ों, औजारों, फर्नीचर, जुड़ना, वाहन और समस्त अन्य चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनकी सीमा यहां तक समाप्त नहीं होती है).

22.1.3 ₹ 7,558.00 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य), जिसे एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 23** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

22.1.4 ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2020-21	7,558.00	6,916.00
2021-22	7,558.00	6,916.00
2022-23	7,558.00	6,916.00
2023-24	3,77 9.00	3,458.00
कुल	26,453.00	24,206.00

22.2 **तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण:**

22.2.1 कंपनी द्वारा OIDB से लिए गए ऋण पर निश्चित ब्याज दर लगाई जाती है (31 मार्च, 2020 को ₹ 2,680.00 दशलक्ष पर ब्याज दर (7.98%), ₹ 1,840.00 दशलक्ष पर (7.00%), ₹ 150.00 दशलक्ष पर (7.50%), ₹ 450.00 दशलक्ष पर (7.11%) और₹ 270.00 दशलक्ष पर (7.03%) और 31 मार्च, 2019 को ब्याज दर 7.98%) रही.

22.2.2 ओआईडीबी ऋण के लिए जमानत के तौर पर, ओआईडीबी की ऋण संबंधी प्राप्तियों में से वित्तपोषित सिर्फ़ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / परियोजनाओं पर दृष्टिबंधक / बंधक के रूप में प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

22.2.3 ₹ 670.00 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य), जिसे एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 23** के तहत '' दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता '' के रूप में दर्शाया गया है.

22.2.4 **OIDB से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:**

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2020-21	670.00	670.00
2021-22	1,347.50	670.00
2022-23	1,347.50	670.00
2023-24	,347.50	670.00
2024-25	677.50	-
कुल	5,390.00	2,680.00

22.3 **आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण :**

22.3.1 VAT ऋण के प्रति आस्थगित भुगतान देयता, कर्नाटक सरकार से प्राप्त "ब्याज मुक्त ऋण" खाते पर देय राशि दर्शाती है. VAT के प्रति दिया गया यह ब्याज मुक्त ऋण 31 मार्च 2018 से प्रतिदेय होगा.

22.3.2 बाजार के कम ब्याज दर पर दिए गए सरकारी ऋण के फायदे को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है (Ind AS 20). ब्याज मुक्त ऋण, Ind AS 109 वित्तीय लिखतों के अनुसार निर्धारित तथा मापा जाता है. ब्याज मुक्त ऋण के लाभ को, Ind AS 109 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक रखाव मूल्य और प्राप्त आय के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है. लाभ को इस मानक के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है.

22.3.3 आस्थगित भुगतान देयताएं- VAT ऋण के लिए जमानत के तौर पर कंपनी द्वारा बैंक गारंटी दी गई है.

22.3.4 **आस्थगित भुगतान देयता - VAT ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:**

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2027-28	132.61	132.61
2028-29	155.16	155.16
2029-30	197.76	197.76
2030-31	208.53	107.51
2031-32	322.83	-
कुल	1,016.89	593.04

22.4 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण

22.4.1 संघीय बैंक से लिए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है (समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण). मीयादी जमाराशियों के प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में बैंकों से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर मूल मीयादी जमाराशियों पर दृष्टिबंधक निर्मित किया जाता है.

22.5 डिबेंचर :-

जमानत रहित मोचनीय अपरिवर्तनीय निश्चित दर पर डिबेंचर (निजी तौर पर रखे गए) :

क्रम सं.	ISIN	प्रति डिबेंचर अंकित मूल्य (₹)	आबंटन तारीख	यथा 31-03-2020	कूपन दर	परिपक्वता [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.13]	
						रकम	दिनांक
1	INE103A08019	10,00,000	13-जनवरी-20	9,997.05	7.40%	10,000.00	12-अप्रैल-30
2	INE103A08035	10,00,000	29-जनवरी-20	10,591.00	7.75%	10,600.00	29-जनवरी-30
3	INE103A08027	10,00,000	13-जनवरी-20	4,998.54	6.64%	5,000.00	14-अप्रैल-23
	कुल			**25,586.59**		**25,600.00**	

22.6 बैंक से रुपया सावधि ऋण :

22.6.1 कंपनी द्वारा SBI से लिए गए सावधि ऋण पर परिवर्ती दर से ब्याज देना पड़ता है जो तीन महीने का MCLR + स्प्रेड है (ब्याज दर, 31 मार्च, 2020 को 7.84% और 31 मार्च, 2019 को शून्य 8.39% रही).

22.6.2 ₹ 6,856.72 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 6,857.20 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 23** के तहत '' दीर्घावधि कर्ज (गैर जमानती) की चालू परिपक्वता '' के रूप में दर्शाया गया है.

22.6.3 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने COVID-19 के अधीन कई राहत उपाय घोषित किए - प्रेस विज्ञप्ति RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च, 2020 के जरिए आम उद्योगों के लिए विनियामक पैकेज. इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ राहत दी गई है जिसमें निर्दिष्ट उधारकर्ताओं को दिए तमाम सावधि ऋणों के लिए 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 (90 दिन) तक की राहत अवधि के दौरान देय ब्याज सहित कर्ज की किस्तों का बोझ कम किया जाएगा. परिपत्र में सभी निर्दिष्ट उधारकर्ताओं को सावधि ऋण की किस्तें (ब्याज सहित) चुकाने की अवधि 90 दिन तक बढ़ाने की राहत प्रदान की गई है. ऋण स्थगन अवधि के दौरान सावधि ऋणों के बकाया अंश पर ब्याज उपचित होता रहेगा. इस परिपत्र के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को देय उपचित ब्याज के साथ ऋण किस्तों को जो क्रमश: ₹ 1,714.30 दशलक्ष और ₹ 45.66 दशलक्ष है, आस्थगित करने की सुविधा ली है.

22.6.4 SBI से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2019-20	-	6,857.20
2020-21	6,856.72	5,142.50
कुल	**6,856.72**	**11,999.70**

22.7 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत सावधि ऋण - ECB

22.7.1 कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR 6 महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2020 को ब्याज दर 2.37% है और 31 मार्च, 2019 को 3.96% रही.)

22.7.2 कार्यकारी पूंजीगत ऋण ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2023-24	75.58	69.16
2024-25	30,156.42	-
कुल	30,232.00	69.16

22.8 **विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)**

22.8.1 बैंक से लिए विदेशी मुद्रा सावधि ऋण, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो तीन महीने LIBOR + स्प्रेड है और इसे प्रत्येक संवितरण की तारीख से एक वर्ष के अंत में चुकाना पड़ेगा.

22.9 **खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण**

22.9.1 बैंकों से लिए गए खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो एक महीने LIBOR + स्प्रेड है और इसे प्रत्येक संवितरण की तारीख से दो महीनों/एक महीने के अंदर चुकाना पड़ेगा.

22.10 **बिल भुनाई सुविधा**

22.10.1 सहायक कंपनी '' ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड '' (OMPL) पर आहरित गैर एलसी बिल के प्रति भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से गैर जमानती बिल भुनाई सुविधा.

22.11 **अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण अंदर:**

22.11.1 बैंक से गैर जमानती अल्पावधि कार्यकारी पूंजीगत ऋण

22.12 **वाणिज्यिक पत्र**

22.12.1 जारी किया गया वाणिज्यिक पत्र, जमानत रहित निश्चित दर का अल्पावधि कर्ज लिखत है जिसकी अवधि 90 दिनों की है.

22.13 ऊपर प्रकट की गईं चुकौती अनुसूचियां, संविदात्मक नकदी बहिर्वाह पर आधारित हैं और इसलिए इन उधारों की रखाव रकम के अनुरूप नहीं होंगी जिनको परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया जाता है.

23 अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं (जमानती) **[देखें टिप्पणी 22.1.3 और 22.2.3]**	-	8,228.00	-	-
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं (जमानत रहित) **[देखें टिप्पणी 22.6.2]**	-	6,856.72	-	10,533.83
अदावी लाभांश **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.1]**	-	249.79	-	259.98
परिपक्व डिबेंचरों पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.2]**	-	0.01	-	0.01
ब्याज जो उपचित हो परंतु देय न हो **[देखें टिप्पणी 22.6.3]**	-	630.16	-	436.57
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से जमाराशियाँ	-	513.40	-	475.35
पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.3]**	-	3,115.44	-	2,074.20
कर्मचारियों के प्रति देयता	-	882.73	-	781.19
पट्टा संबंधी देयता	1,868.65	259.40	-	-
ग्राहकों और विक्रेताओं से संबंधित अन्य देयताएं	-	1,782.38	-	1,162.58
कुल	1,868.65	22,518.03	-	15,723.71

23.1 निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि को भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है.

23.2 परिपक्व डिबेंचरों के प्रति देय ब्याज दर्शाता है.

23.3 कीमत घटाने संबंधी अनुसूची

पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देयता में शामिल है ₹ 234.90 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 259.15 दशलक्ष) जो कीमत घटाने संबंधी अनुसूची का अनुसरण करते हुए विक्रेताओं से रोक रखी गई रकम से संबंधित है जिसे इन विक्रेताओं के साथ कार्रवाही को अंतिम रूप देने के बाद निपटाया जाएगा. रोक रखी गई रकम को अंत में तय करने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उत्तर व्यापार प्रभाव से संबंधित समायोजन किया जाएगा.

24 प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर्मचारी संबंधी लाभ के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी 41)				
(क) छुट्टी का नकदीकरण	838.62	75.06	591.97	47.01
(ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ	108.85	3.45	89.76	2.95
अन्य [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 24.1]	-	1,734.53	-	4,531.29
कुल	**947.47**	**1,813.04**	**681.73**	**4,581.25**

24.1 अन्य में शामिल है वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम स्टॉक की आवाजाही पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान

विवरण	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क
1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेषराशि	4,531.29
घटाएं: प्रावधान का प्रत्यावर्तन करने के निमित्त कटौती	4,531.29
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,734.53
31 मार्च, 2020 को अंतिम शेषराशि	1,734.53

कंपनी का अनुमान है, 31 मार्च, 2020 को स्टॉक में पड़ी रही वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क के लिए काफ़ी हद तक किए गए आकलन के आधार पर प्रावधान, ₹ 1,734.53 दशलक्ष है (31 मार्च, 2019 को ₹ 4,531.29 दशलक्ष) और कंपनी ने इसे अन्य प्रावधान में शामिल किया है. अपेक्षा की जाती है कि इस प्रावधान को जब निपटाया जाएगा तब वस्तुओं को कारखाना परिसर से हटाया जाएगा.

25 आस्थगित कर आस्ति/ देयताएं (निवल)

आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) में चलन दर्शाने वाला विवरण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आस्थगित कर आस्तियां	32,303.26	17,553.19
आस्थगित कर देयताएं	(28,844.80)	(27,708.63)
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)-निवल	**3,458.46**	**(10,155.44)**

2019-20	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	पिछले वर्ष से संबंधित MAT क्रेडिट पात्रता	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेष
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(27,698.36)	(1,133.99)	-	-	(28,832.35)
अगोचर आस्तियां	(10.27)	(2.18)	-	-	(12.45)
कुल	**(27,708.63)**	**(1,136.17)**	**-**	**-**	**(28,844.80)**
आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव					
अन्य देयताएं	1.40	-	-	-	1.40
आगे लाई गईं व्यावसायिक हानियां अनवशोषित मूल्यह्रास	-	14,670.03	-	-	14,670.03
MAT संबंधी क्रेडिट हकदारी	17,189.15	-	52.63	-	17,241.78
उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियाँ पट्टा संबंधी निवल देयता	-	27.45	-	-	27.45
वित्तीय और अन्य आस्तियां	340.51	(0.04)	-	-	340.47
स्टॉक	22.13	-	-	-	22.13
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन	-	(46.05)	-	46.05	-
कुल	**17,553.19**	**14,651.39**	**52.63**	**46.05**	**32,303.26**
आस्थगित कर आस्ति/(देयताएं) (निवल)	**(10,155.44)**	**13,515.22**	**52.63**	**46.05**	**3,458.46**

2018-19	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	पिछले वर्ष से संबंधित MAT क्रेडिट पात्रता	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेष
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(25,982.79)	(1,715.57)	-	-	(27,698.36)
अगोचर आस्तियां	(2.96)	(7.31)	-	-	(10.27)
कुल	**(25,985.75)**	**(1,722.88)**	**-**	**-**	**(27,708.63)**
आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव					
अन्य देयताएं	1.40	-	-	-	1.40
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
MAT संबंधी क्रेडिट हकदारी	16,558.22	616.19	14.74	-	17,189.15
वित्तीय और अन्य आस्तियां	340.51	-	-	-	340.51
स्टॉक	23.92	(1.79)	-	-	22.13
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	(24.28)	-	24.28	-
कुल	**16,924.05**	**590.12**	**14.74**	**24.28**	**17,553.19**
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) (निवल)	**(9,061.70)**	**(1,132.76)**	**14.74**	**24.28**	**(10,155.44)**

-

26 देय व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों की कुल बकाया देयताएं	336.00	227.48
सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	32,375.17	46,522.88
कुल	**32,711.17**	**46,750.36**

26.1 व्यापार देयताओं में शामिल है ₹ 10,268.07 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 9,139.87 दशलक्ष)जिसके लिए ONGC ने, कंपनी की तरफ से गारंटी दी है.

26.2 क्रूड, भंडार और अतिरिक्त पुर्ज़ें, अन्य कच्चा माल, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि, 14 से 60 दिन है(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 14 से 60 दिन). उसके बाद बकाया शेषराशि पर संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित बैंक दर पर 6.75% प्रति वर्ष तक(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 6.75% प्रति वर्ष तक) तक ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंध नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम, सम्मत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती है.

26.3 सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रकटन

		विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
i.		मूल धनराशि और वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय ब्याज (अलग रूप से दर्शाना होगा)	336.00	227.48
ii.		प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को दिए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज रकम.	-	-
iii.		भुगतान करने की विलंब अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया हो परंतु नियत दिन के बाद) परंतु सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर देय ब्याज रकम	-	-
iv.		प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त पड़ी रही ब्याज रकम.	-	-
v.		उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही ब्याज राशि जब तक सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटने योग्य व्यय शामिल न करने के प्रयोजन से लघु प्रतिष्ठान को वास्तव में उक्त ब्याज अदा किया गया हो.	-	-

27 अन्य देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	1.16		1.29
उपदान की देयता [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 27.1]	-	151.16	-	85.61
सांविधिक भुगतान के प्रति देयता [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 15.4]		1,282.90	-	1,745.21
अन्य	-	7,132.02	-	477.57
आस्थगित सरकारी उपदान [देखें टिप्पणी 5.3 और 22.3.2]	3,596.15	196.59	3,482.11	181.46
कुल	**3,596.15**	**8,763.83**	**3,482.11**	**2,491.14**

27.1 उपदान न्यास को देय निवल रकम

28 परिचालन से राजस्व

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
28.1	**बिक्री**		
	पेट्रोलियम उत्पाद	5,73,780.34	7,17,495.46
	क्रूड तेल और अन्य उत्पाद	33,502.12	5,335.40
28.2	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्क्रैप की बिक्री	152.91	217.20
	सुकरण प्रभार	57.14	68.82
	कीमत घटाने संबंधी अनुसूची	22.87	34.22
	कुल	**232.92**	**320.24**
	कुल	**6,07,515.38**	**7,23,151.10**

29 अन्य आय

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
29.1	**इन पर ब्याज:**		
	ठेकेदार संग्रहण अग्रिम	31.55	.53
	अन्य	240.51	356.97
	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियां		
	- बैंक जमाराशियाँ	148.71	609.79
	- प्रत्यक्ष मार्केटिंग ग्राहक	13.15	23.76
	- कर्मचारियों को दिए गए ऋण	70.66	44.71
	कुल	**504.58**	**1,036.76**

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
	इनसे लाभांश आय:-		
29.2	म्युचुअल फंड में निवेश (FVTPL में मापे गए)	**12.56**	**83.47**
	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (लागत पर मापा गया)	**6.00**	**21.00**
	अन्य गैर प्रचालन आय		
29.3	रॉयल्टी आय	11.30	8.68
	प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता	125.42	111.62
	प्रतिलेखित अतिशय प्रावधान	2.12	18.28
	टेंडर फ़ार्म की बिक्री	3.77	0.01
	किराया शुल्क	8.57	4.40
	कर्मचारियों से वसूली	1.15	10.33
	आस्थगित सरकारी अनुदान का परिशोधन	187.94	178.24
	विविध प्राप्तियाँ	177.00	79.87
	कुल	**527.27**	**411.43**
	कुल	**1,050.41**	**1,552.66**

30 खपाई गई सामग्री की लागत

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कच्चा मालः क्रूड तेल		
आयातित	383,220.35	471,548.51
देशी	76,040.65	98,949.04
कच्चा मालः अन्य		
आयातित		
हाइड्रोजन	1,724.71	3,434.96
पैराफिन रैफिनेट	5,235.48	11,194.72
रीफॉर्मेट	3.28	-
देशी		
CRMB मॉडिफायर	17.56	9.23
स्नेहन तेल – देशी	0.64	0.62
कुल	**466,242.67**	**585,137.08**

31 व्यापार में स्टॉक की खरीदारी

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क्रूड तेल और अन्य उत्पाद	33,520.79	5,260.88
कुल	**33,520.79**	**5,260.88**

32 तैयार माल और प्रक्रिया में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
32.1	**अंतिम स्टॉक**		
	तैयार माल	11,790.39	20,569.99
	प्रक्रिया में स्टॉक	5,000.57	9,695.17
	कुल अंतिम स्टॉक	**16,790.96**	**30,265.16**
32.2	**प्रारंभिक स्टॉक**		
	तैयार माल	20,569.99	18,299.45
	घटाएं: लेखा पद्धति में परिवर्तन #	-	0.08
	प्रक्रिया में स्टॉक	9,695.17	6,349.40
	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**30,265.16**	**24,648.77**
	निवल(वृद्धि)/अवनति (प्रारंभिक - अंतिम)	**13,474.20**	**(5,616.39)**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यापार में स्टॉक की लेखा पद्धति में क्रय से उपभोग में परिवर्तन.

33 कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 33.1]	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
वेतन और मज़दूरी	3,635.55	3,596.00
भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान	531.85	488.84
सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ - चिकित्सा और अन्य	13.84	12.74
स्टाफ कल्याण खर्च	219.98	188.98
कुल	**4,401.22**	**4,286.56**

33.1 गैर-प्रबंधन कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से संशोधन करने के लिए बाकी है और इस दिशा में कर्मचारी संघ के साथ वार्ता चल रही है. अंतिम बातचीत होने तक, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुमानित आधार पर वेतन संशोधन के लिए ₹ 248.52 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में ₹ 255.70 दशलक्ष) का प्रावधान किया है जिसे ' कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च ' के अधीन दर्शाया है.

34 वित्त लागत

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं के लिए वित्त संबंधी खर्च		
- संबंधित पक्षकारों से	-	549.13
- बैंकों से	4,117.38	2,787.43
- अन्य पक्षकारों से	712.49	246.81
	4,829.87	**3,583.37**
पट्टा संबंधी देयताओं पर वित्त लागत	68.27	-
वित्तीय गारंटी शुल्क	27.43	18.52
उधार लागत के प्रति समायोजन के रूप में माने गए विनिमय में अंतर	2,500.28	1,115.60
कुल	7,425.85	4,717.49

35 मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास [देखें टिप्पणी 5]	7,674.19	7,550.66
उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास [देखें टिप्पणी 6]	129.18	-
अगोचर आस्तियों का परिशोधन [देखें टिप्पणी 10]	28.71	16.86
कुल	7,832.08	7,567.52

36 अन्य खर्च

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	
विद्युत, उपयोगिता और ईंधन [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.1]	39,888.68		52,076.09	
घटाए: स्वयं उत्पादन से ईंधन की खपत	38,264.48	1,624.20	50,799.08	1,277.01
मरम्मत और अनुरक्षण				
- संयंत्र और मशीनें	5,051.57		3,898.83	
- भवन	2.90		5.86	
- अन्य	484.83	5,539.30	425.30	4,329.99
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थों की खपत		1,479.18		1,878.39
पैकिंग सामग्री की खपत		269.89		369.44
किराया [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.4 और टिप्पणी 6.5]		34.01		166.10
बीमा		314.96		307.85
दर और कर		1,018.79		719.92
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल) [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.2]		(2,493.88)		455.39
विनिमय में घट-बढ़ से हानि (निवल)		6,872.12		2,919.37
निदेशकों के बैठक शुल्क		4.28		6.20
संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से हानि		84.78		90.18
बैंक शुल्क		42.93		28.29
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
लेखा परीक्षा शुल्क	2.66		2.78	
कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.70		0.45	
प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	1.99		2.16	
खर्च की प्रतिपूर्ति	1.83	7.18	2.12	7.51
निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च (CSR) [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.3]		760.89		313.21
इनके लिए/निमित्त हानि:				
व्यापार संबंधी संदिग्ध प्राप्य राशियां	158.41		14.27	
वापस करने लायक स्टॉक	-		41.39	
ऐसे स्टाक जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	9.90	168.31	18.01	73.67
विविध खर्च		2,000.26		1,922.77
कुल		17,727.20		14,865.29

36.1 कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल 8,229,787 Kwh सौर विद्युत उत्पादन किया है (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 8,145,848 Kwh) जिसकी सीमित खपत की गई है. सीमित खपत करने के प्रयोजन से उत्पादित इस तरह के विद्युत का मौद्रिक मूल्य, इस वित्तीय विवरण में प्रकटन नहीं किया गया है.

36.2 वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क को प्रचालन से राजस्व में शामिल किया गया है और ऊपर दर्शाया गया उत्पाद शुल्क, तैयार माल के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के बीच अंतर दर्शाता है.

36.3 CSR के प्रति व्यय में नीचे उल्लिखित समाविष्ट है:

(क) कंपनी को वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹ 1,226.00 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में ₹ 906.30 दशलक्ष) की रकम खर्च करनी पड़ी.

(ख) वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	368.04	96.55	464.59
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन	280.28	16.02	296.30
कुल	648.32	112.57	760.89

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा करना है	कुल
i) आस्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	71.02	114.27	185.29
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन	99.98	27.94	127.92
कुल	171.00	142.21	313.21

36.4 अल्पावधि पट्टे, कम मूल्य के पट्टे और परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान से संबंधित खर्च नीचे दिए गए हैं:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
i) निर्माण/अधिग्रहण	
ii) अल्पावधि पट्टे	6.70
iii) कम मूल्य की आस्तियों के लिए पट्टे	0.55
पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल न किए गए परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान.	26.76
कुल	34.01

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
i) अल्पावधि पट्टे	-
ii) कम मूल्य की आस्तियों के लिए पट्टे	-
iii) पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल न किए गए परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान.	-
कुल	-

37 अपवादात्मक मदें (आय)/खर्च (निवल)

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 37.1]	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	-	228.73
विद्युत, उपयोगिता और ईंधन	-	339.75
मरम्मत और अनुरक्षण - संयंत्र और मशीनें	-	(420.54)
कुल	-	147.94

37.1 पिछले वर्ष के लिए अपवादात्मक मदें इनके निमित्त उत्पन्न हुई हैं:

क) ₹ 228.73 दशलक्ष का खर्च, प्रबंधन स्टाफ (जनवरी 2007 से मार्च 2018 तक की अवधि से संबंधित) और गैर प्रबंधन स्टाफ के लिए (अप्रैल 2007 से मार्च 2018 तक की अवधि से संबंधित) '' एमआरपीएल परिभाषित अंशदान पेंशन योजना '' के प्रति विभेदक अंशदान के प्रति है.

ख) ₹ 339.75 दशलक्ष का खर्च, कंपनी की सीमित और अतिरिक्त खपत के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता (RPO) की पूर्ति करने के लिए कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन से प्राप्त निर्देश के अनुसार, भारतीय ऊर्जा विनिमय (IEX) से नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) की खरीदारी की अनुमानित लागत के निमित्त किया गया है.

ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए माल एवं सेवा कर अधिनियम (GST Act) के तहत इन्पुट टैक्स क्रेडिट का पुन: दावा करने से संबंधित ₹ 420.54 दशलक्ष की आय, GST के अधीन आने वाले उत्पादों और GST के अधीन न आने वाले उत्पादों के वार्षिक मिश्रण के आधार पर लिया गया क्रेडिट दर्शाता है.

38 जारी रहे प्रचालन से संबंधित आय कर

38.1 लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया आय कर

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 नको समाप्त वर्ष
वर्तमान कर आस्थगित कर	1,037.36 (13,515.22)	1,355.33 1,132.76
कुल	**(12,477.86)**	**2,488.09**

38.2 आय कर खर्च का लेखाबद्ध लाभ के साथ समाधान, निम्नानुसार किया गया है :

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
प्रचालन जारी रखने से प्राप्त कर पूर्व लाभ	**(39,554.28)**	**5,807.65**
आय कर संबंधी खर्च का परिकलन 34.944% पर किया गया है (2018-2019: 34.944%)	(13,821.85)	2,029.43
आय कर से छूट प्राप्त आय का प्रभाव	(6.49)	(36.51)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 32AC के तहत निवेश के लिए प्रावधान का प्रभाव	2.67	20.97
उस खर्च का प्रभाव, जिसे कर योग्य लाभ का निर्धारण करते समय काटा नहीं जाता है	213.49	83.71
पूर्व वर्षों में MAT क्रेडिट को 21.3416% पर दर्शाने से हुआ प्रभाव	-	(11.70)
पिछले वर्ष का पूर्व वर्ष कर दर्शाने का प्रभाव **[देखें टिप्पणी 14.1]**	1,037.36	(122.06)
समायोजन की सही शेषराशि (ट्रू अप) निकालने के कारण आस्थगित कर शेषराशि में हुए परिवर्तन का प्रभाव	96.96	524.25
लाभ अथवा हानि में दर्शाया गया आय कर खर्च	**(12,477.86)**	**2,488.09**

38.3 अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर **अन्य व्यापक आय में आय और खर्च दर्शाने के कारण उत्पन्न:** परिभाषित लाभ दायित्व का पुन: मापन	46.05	24.28
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई कुल आय कर राशि	**46.05**	**24.28**
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि का इनमें द्विभाजन:		
ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	46.05	24.28
ऐसी मद जिनका लाभ अथवा में पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा	-	-

39 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष का कर उपरांत लाभ	(27,076.42)	3,319.56
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या, दशलक्ष में)	1,752.60	1,752.60
प्रति इक्विटी शेयर मूल और आंशिक अर्जन (₹)	(15.45)	1.89
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

40 पट्टे

40.1 वित्त पट्टे के तहत दायित्व

40.1.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' लागू किया. कंपनी ने भूमि के लिए पट्टा संबंधी कराररनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है जिसे अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) के रूप में प्रकट किया गया है. पट्टे की अवधि के अंत में भूमि का स्वामित्व, कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा जिसके लिए नाममात्र प्रशासनिक शुल्क अदा करना पड़ेगा. पट्टे की अवधि 5-44 वर्ष के बीच होगी.

मार्च, 2020 को वित्त पट्टा संबंधी दायित्व का कोई महत्व नहीं है, (31 मार्च, 2019 को कोई महत्व नहीं है).

40.2 प्रचालन पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

40.2.1 पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' लागू किया. कंपनी ने पाइपलाइनों के लिए मार्गाधिकार और भूमि के पट्टी की खातिर व्यवस्थाओं के लिए करार किए हैं जिनका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है जिसे अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) के रूप में प्रकट किया गया है. मार्गाधिकार के लिए पट्टा अवधि 11 महीनों से लेकर 30 वर्ष तक है और भूमि पट्टे की अवधि 5 से 99 वर्ष तक है. पट्टाधृत भूमियों के मामले में, कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. सामान्यत:, भूमि के मामले में पट्टे की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान करना पड़ता है जिसके वार्षिक पट्टे के किराए में बढ़त होती रहेगी.

40.2.2 खर्च के रूम में दर्शाए गए भुगतान

वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया और जहां कहीं पट्टा, अल्पावधि पट्टा हो, कम मूल्य की आस्तियों अथवा परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतानों को पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल नहीं किया गया है. पूर्व वर्ष के आंकड़ें, Ind AS 116 के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि Ind AS 116 लागू नहीं था.

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
पट्टे के प्रति न्यूनतम भुगतान	34.01	108.27
कुल	**34.01**	**108.27**

40.2.3 प्रचालन पट्टे से जुड़ी ऐसी प्रतिबद्धताएं जिनको रद्द नहीं किया जा सकेगा

कंपनी ने पट्टा संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसे रद्द न किया जा सके.

41 कर्मचारी लाभ संबंधी योजनाएं

41.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं के सिलसिले में वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई रकम इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष के दौरान दर्शाई गई रकम		महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी के प्रति अंशदान	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	232.98	11.39	1.24	0.86
सेवानिवृत्ति निधि में नियोजन का अंशदान [देखें टिप्पणी 37]	253.56	466.10	1.34	1.38

भविष्य निधि:

कंपनी, पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट में भविष्य निधि के प्रति निश्चित अंशदान करती है जिसका अनुमत प्रतिभूतियों में न्यास द्वारा निवेश किया जाता है. कंपनी का दायित्व है, ऐसा निश्चित अंशदान करना और यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों को भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल मिलता है. बीमांकिक रिपोर्ट के अनुसार, समग्र ब्याज अर्जन और संचयी अधिशेष, सांविधिक ब्याज भुगतान संबंधी अपेक्षाओं से अधिक है. इसलिए, और कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. योजना आस्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वर्ष के अंत में दायित्व	4,772.87	4,057.55
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,836.55	4,125.38

भविष्य निधि का शासन, एक अलग ट्रस्ट के जरिए चलाया जाता है. ट्रस्ट का न्यासी बोर्ड, केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी किए जाने वाले लागू दिशानिर्देशों अथवा निर्देशों के अनुसार काम करता है. न्यासी बोर्ड की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं :

(i) निवेश, आय कर नियम, 1962 के नियम 67 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के आधार पर निवेश स्वरूप के अनुसार किया जाएगा.

(ii) न्यासी बोर्ड, ऐसी रकम जुटा सकते हैं जो बाध्यकर खर्च निभाने के लिए ज़रूरी हो जैसे दावों का निपटान, नियमों के अनुसार अग्रिम देना और नियोजक की सेवा छोड़ने पर सदस्य के भविष्य निधि संचयन और प्रतिभूतियों अथवा निधि के नाम अन्य निवेशों की बिक्री से प्राप्त अन्य प्राप्तियों का, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पूर्व अनुमोदन लेकर अंतरण करना.

(iii) सदस्यों के खातों में जमा करने के लिए ब्याज दर तय करना.

41.2 कर्मचारी संबंधी दीर्घावधि लाभ

41.2.1 संक्षित वर्णन: कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य दीर्घावधि लाभ के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:

क) अर्जित छुट्टी संबंधी लाभ (EL):

उपचय - प्रति वर्ष 32 दिन

300 दिनों तक संचित किया जा सकेगा

15 दिन से अधिक संचित EL का, सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा बशर्ते कि कम से कम 5 दिन EL का नकदीकरण कराया जाए.

ख) अर्ध वेतन छुट्टी (HPL)

उपचय - प्रति वर्ष 20 दिन

सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा

सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा; जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों तक सीमित किया गया है .

41.2.2 छुट्टियों से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

41.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

41.3.1 संक्षित वर्णन: परिभाषित लाभ योजना के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क) उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ₹2 दशलक्ष तक सीमित किया गया है.

एमआरपीएल उपदान न्यास की, 20 अप्रैल, 2007 को स्थापना की गई और बीमांकिक मूल्यांकन के बाद कंपनी से प्राप्त निधि का और 28 जून, 2013 तक निधि का निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित आय कर नियम, 1962 के आय कर नियम 67(1) में यथा निर्धारित तरीके से किया गया.

28 जून, 2013 के बाद एमआरपीएल उपदान न्यास की निधि का एलआईसी की सामूहिक उपदान नकद संचयन योजना (परंपरागत निधि), बजाज अलाएंज़, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइन इंश्यूरेंस कं., बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं. और इंडिया फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. में निवेश किया जाता रहा है.

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

सेवानिवृत्ति के बाद, एक बारगी एकमुश्त अंशदान करने पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी/उसके आश्रित पत्नी/पति और आश्रित माता-पिता को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए कवर किया जाएगा.

ग) पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी, अपनी पसंदीदा स्थान पर बसने के हकदार होंगे और इसके लिए वे पुन:व्यवस्थापन भत्ता पाने के हकदार हैं.

घ) सेवा समाप्ति लाभ :

i) चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति

कंपनी में चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमोदित योजना है. पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 60 दिनों की परिलब्धियों के समान अथवा सामान्य सेवानिवृत्ति तारीख से पहले बची शेष महीनों की सेवा से गुणन करते हुए सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां, जो भी कम हो, अनुग्रह भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ के अलावा किया जाएगा.

ii) एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे की स्वयं बीमा योजना

सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ और अलग होने पर लाभ योजना के तहत, अगर दुर्घटना के कारण और रोजगार के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो अथवा वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो देय कोई न्यूनतम रकम का निर्धारण किए बगैर 100 महीने के मूल वेतन + महंगाई भत्ते के समतुल्य मुआवजा दिया जाएगा.

iii) SABF के तहत अलग होने पर लाभ

कंपनी में सेवा करते समय अगर कर्मचारी की मृत्यु हो / वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो हिताधिकारी को, मृत्यु की तारीख / स्थाई संपूर्ण अपंगता की तारीख से 6 महीने के अंदर नीचे उल्लिखित वांछित विकल्पों में से एक चुनना होगा.

41.3.2 परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता (सेवा समाप्ति संबंधी लाभ से भिन्न) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया जाता है. सेवा समाप्ति संबंधी लाभ को जब कभी खर्च किया जाए लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

41.3.3 इन योजनाओं की बदौलत कंपनी को इस तरह के बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे जैसे निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घ आयु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

निवेश में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना संबंधी देयता का वर्तमान मूल्य (भारतीय रुपए में अंकित) का परिकलन उस बट्टा दर के आधार पर किया जाएगा जिसका निर्धारण सरकारी बांडों की रिपोर्ट अवधि के अंत में बाज़ार प्रतिफल के संदर्भ में किया जाए, अगर योजना आस्ति पर प्रतिफल, इस दर से कम हो तो योजना घाटा निर्मित होगा. इस समय, सरकारी प्रतिभूतियों, बीमा निवेश और अन्य कर्ज लिखतों में निवेश का सापेक्षतः मिला जुला मिश्रण है.
ब्याज में निहित जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी, लेकिन योजना में कर्ज निवेश पर मिले प्रतिफल से इसमें अंशत: कमी होगी.
दीर्घावधि में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय योजना के सहभागियों की, उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद, दोनों के दौरान मृत्यु के बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा. बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा.

योजनाओं के संबंध में, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीस ऑफ इंडिया के एक सदस्य फर्म ने 31 मार्च, 2020 को योजना आस्तियों के हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्यांकन किया. परिभाषित दायित्व और संबंधित चालू सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

41.3.4 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय ख़ास तौर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया:

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
	उपदान (निधिक)		
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	6.86%	7.79%
2	बट्टा दर	6.86%	7.79%
3	वेतन वृद्धि दर	7.50%	7.50%
4	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
5	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा मार्च, 2019
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
1	भुनाई दर	6	7.79%
2	चिकित्सा खर्च में बढ़त	0	0.00%
3	कर्मचारी की कुल कारोबार दर	2	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत मृत्यु (2006-08)	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु (2006-08)
5	रोजगार के उपरांत मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत मृत्यु (2006-08)	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु (2006-08)
	पुन: व्यवस्थापन भत्ता:		
1	भुनाई दर	6.86%	7.79%
2	वेतन वृद्धि दर	7.50%	7.50%
3	कर्मचारी की कुल कारोबार दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत	भारतीय बीमाकृत

लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर ऐसा बट्टा दर जो अवधि के अनुरूप हो. वेतन वृद्धि करते समय, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है. योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर, वर्ष के दौरान, संबंधित दायित्व की समग्र अवधि में मिलने वाले प्रतिफल के लिए बाजार की अपेक्षा के आधार पर होती है.

41.3.5 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार हैं:

उपदान:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	32.30	30.38
निवल ब्याज खर्च	7.63	4.80
गत सेवा लागत	-	-
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**39.93**	**35.18**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
निवल ब्याज लागत में सम्मिलित रकम को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	(0.76)	(8.03)
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	98.10	72.84
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	18. 63	(2.01)
पुन: मापन के घटक	**115.97**	**62.80**
कुल	**155.90**	**97.98**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
सेवा लागत		
चालू सेवा लागत	5.13	5.05
निवल ब्याज खर्च	6.06	5.60
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**11.19**	**10.65**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	11.58	0.64
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	4.24	1.13
पुन: मापन के घटक	**15.82**	**1.77**
कुल	**27.01**	**12.42**

पुनः व्यवस्थापन भत्ता :

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
सेवा लागत		
चालू सेवा लागत	1.48	1.23
निवल ब्याज खर्च	1.16	0.85
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**2.64**	**2.08**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	2.21	3.81
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(2.22)	1.11
पुन: मापन के घटक	**(0.01)**	**4.92**
कुल	**2.63**	**7.00**

वर्ष की चालू सेवा लागत और निवल ब्याज खर्च को लाभ-हानि विवरण में कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में समाविष्ट किया गया है.

निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन, अन्य व्यापक आय में समाविष्ट किया गया है. अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता के घटक, ₹ (-) 131.78 दशलक्ष है (पिछले वर्ष ₹ (-) 69.49 दशलक्ष).

41.3.6 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

उपदान

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	934.77	797.05
चालू सेवा लागत	32.30	30.38
गत सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	72.82	62.57
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	98.10	72.84
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	18.63	(2.01)
प्रदत्त लाभ	(33.07)	(26.06)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**1,123.55**	**934.77**
चालू दायित्व	155.90	97.98

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	77.83	71.39
चालू सेवा लागत	5.13	5.05
ब्याज लागत	6.06	5.60
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	11.58	0.64
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	4.24	1.13
प्रदत्त लाभ	(9.62)	(5.98)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**95.22**	**77.83**
चालू दायित्व	2.95	2.56
गैर-चालू दायित्व	92.27	75.27

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	14.88	10.85
चालू सेवा लागत	1.23	
ब्याज लागत	1.16	0.85
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	2.21	3.81
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(2.22)	1.11
प्रदत्त लाभ	(0.43)	(2.97)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**17.08**	**14.88**
चालू दायित्व	0.50	0.39
गैर-चालू दायित्व	16.58	14.49

41.3.7 अपनी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में प्रतिष्ठान के दायित्व से उत्पन्न तुलन-पत्र में समाविष्ट रकम निम्नानुसार है:
उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	(1,123.55)	(934.77)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	967.65	836.79
निधिक रकम की स्थिति	**(155.90)**	**(97.98)**
लेखाबद्ध आस्ति पर निबंध	-	-
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(155.90)**	**(97.98)**

कंपनी के अपने वित्तीय लिखतों और रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान के अधिभोग में रही संपत्ति अथवा इस्तेमाल की गई अन्य आस्तियों के संबंध में उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में सम्मिलित रकम ₹ शून्य है (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य).

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और सेवांत लाभ तथा पुन:व्यवस्थापन भत्ते, गैर निधिक योजना के अधीन आते हैं और इसमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

41.3.8 योजना आस्तियों के उचित मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	836.79	735.95
ब्याज आय	65.19	57.77
योजना आस्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज खर्च में सम्मिलित रकम को छोड़कर)	0.76	8.03
नियोजक का अंशदान	97.98	61.10
प्रदत्त लाभ	(33.07)	(26.06)
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**967.65**	**836.79**

अगले वर्ष, उपदान के संबंध में अपेक्षित अंशदान 151.16 दशलक्ष है (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 85.61 दशलक्ष)

कंपनी ने, 31 मार्च, 2020 को ₹ 155.90 दशलक्ष की उपदान देयता लेखाबद्ध की है (31 मार्च, 2019 को ₹ 97.98 दशलक्ष).

41.3.9 प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य प्रकार रहा:

योजना आस्तियों का उचित मूल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
नकद और नकदी समतुल्य	22.92	1.00
इक्विटी निवेश	-	-
म्यूचुअल फंड-UTI ख़ज़ाना निधि	19.21	20.23
निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर कर्ज निवेश का श्रेणीकरण		
AAA	31.12	36.44
AA+	0.30	5.01
AA	-	2.03
AA-	-	-
A+	7.01	-
A-	-	3.01
BBB+	-	3.01
सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (परंपरागत निधि)		
भारतीय जीवन बीमा निगम	186.84	156.90
बजाज एलाएंज़	167.93	137.01
HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कं.	169.01	140.00
बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं.	93.29	70.26
इंडिया फस्ट लाइन इंश्यूरेंस कं.	93.34	70.26
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	121.13	139.69
अन्य चालू आस्तियां - उपचित ब्याज	55.55	51.94
कुल	**967.65**	**836.79**

41.3.9.1 उपदान की योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹ 65.19 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2019 को ₹ 57.77 दशलक्ष).

41.3.10 परिभाषित दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं हैं, बट्टा दर और वेतन में अपेक्षित वृद्धि. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गईं संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथा शक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है जब कि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

41.3.11 31 मार्च, 2020 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ता
बट्टा दर			
50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(54.57)	(6.51)	(1.24)
50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	59.25	7.26	1.38
वेतन वृद्धि दर			
50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	18.71	-	1.36
50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(18.99)	-	(1.24)
कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर			
50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	15.18	(2.76)	-
50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(16.10)	2.51	-

41.3.12 31 मार्च, 2019 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ता
बट्टा दर			
50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(44.11)	(5.09)	(1.06)
50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	47.78	5.65	1.17
वेतन वृद्धि दर			
50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	15.56	-	1.17
50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(15.97)	-	(1.06)
कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर			
50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	16.15	(2.02)	0.03
50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(17.15)	1.72	(0.04)

संभव है कि ऊपर पेश किया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व में वास्तविक परिवर्तन न दर्शाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि एक दूसरे से अलग रहते हुए भी परिकल्पनाओं में परिवर्तन हो क्योंकि कुछ परिकल्पनाओं का सह संबंध हो सकता है.

आगे, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण पेश करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

41.3.13 परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित ब्यौरे, जिनका कंपनी के भावी नकदी प्रवाह पर उल्लेखनीय प्रभाव होगा, नीचे दिए गए हैं:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,939
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	178.89	160.97
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	12	12
औसत अपेक्षित भावी सेवा (वर्षों में)	16	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	1,123.55	934.77
अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ योजना में अंशदान	178.89	130.29

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,943
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	126	112
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	15	15
औसत अपेक्षित भावी सेवा (वर्षों में)	17	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	95.22	77.83

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,943
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	178.89	161.10
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	15	16
औसत अपेक्षित भावी सेवा (वर्षों में)	16	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	17.08	14.88

41.3.14 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
उपदान		
एक वर्ष से कम	66.61	49.49
एक से तीन वर्ष	116.46	108.58
तीन से पाँच वर्ष	134.14	122.20
पाँच वर्ष से दस वर्ष	462.47	398.88
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:		
एक वर्ष से कम	2.95	2.55
एक से तीन वर्ष	6.27	5.70
तीन से पाँच वर्ष	7.12	6.52
पाँच वर्ष से दस वर्ष	25.25	22.30
पुन:व्यवस्थापन भत्ता		
एक वर्ष से कम	0.50	0.39
एक से तीन वर्ष	0.92	0.91
तीन से पाँच वर्ष	0.97	0.89
पाँच वर्ष से दस वर्ष	3.05	2.66

42 खंडवार रिपोर्टिंग

रिपोर्ट करने लायक एक ही खंड के रूप में कंपनी के '' पेट्रोलियम उत्पाद '' है.

42.1 प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के उल्लेखनीय राजस्व, तेल विपणन कंपनियों को उत्पाद बेचने से मिलते हैं जो 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के कुल राजस्व का क्रमश: 57% और 53% है. इन कंपनियों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 328,952.62 दशलक्ष और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 380,910.31 दशलक्ष रही.

कंपनी के राजस्व में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाले ग्राहकों की संख्या, 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शून्य रही (ऊपर उल्लिखित तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर).

42.2 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी:

क) कंपनी, भारत में बसी है. ग्राहकों के स्थान के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त उसकी राजस्व रकम, नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
भारत	4,48,281.09	5,07,779.82
अन्य देश	1,59,001.37	2,15,051.04
कुल	**6,07,282.46**	**7,22,830.86**

ख) गैर-चालू आस्तियां (वित्तीय आस्तियों और आस्थगित कर आस्तियों को छोड़कर), ग्राहकों के स्थान के आधार पर नीचे की तालिका में दर्शाई गई हैं:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
भारत	1,70,052.42	1,63,801.22
अन्य देश	-	-
कुल	**1,70,052.42**	**1,63,801.22**

42.3 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों का लगातार प्रचालन करने से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
हाई स्पीड डीज़ल (HSD) मोटर	3,03,698.47	3,55,141.34
स्पिरिट (MS)	75,719.55	87,107.06
कुल	**3,79,418.02**	**4,42,248.40**

प्रमुख उत्पादों से राजस्व के बारे में रिपोर्टिंग करते समय प्रत्येक उत्पाद के कुल कारोबार के 10% की देहली सीमा अपनाई जाती है.

43 संबंधित पक्षकार के बारे में प्रकटन

43.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन:

अ **कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रतिष्ठान (नियंत्रक कंपनी)**

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]

आ **कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाला प्रतिष्ठान**

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

इ **सहायक कंपनी**

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)

ई संयुक्त उद्यम

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

उ न्यास (सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ संबंधी न्यास सहित) जिस पर एमआरपीएल का नियंत्रण है

1 एमआरपीएल उपदान निधि न्यास

2 एमआरपीएल भविष्य निधि न्यास

ऊ महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी

F.1 गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री शशि शंकर, अध्यक्ष

F.2 कार्यपालक निदेशक

1 श्री एम. वेंकटेश, प्रबंध निदेशक, 11 जुलाई, 2019 तक निदेशक (रिफाइनरी) का अतिरिक्त कार्यभार तथा 15 अक्तूबर, 2019 तक निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाल रहे थे

2 श्री एम. विनयकुमार, निदेशक (रिफाइनरी), 11 जुलाई, 2019 तक

3 श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (वित्त), 15 अक्तूबर, 2019 से

F.3 अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक

1 श्री विनोद एस. शेणै, नामिती निदेशक (HPCL)

2 श्री सुभाष कुमार, नामिती निदेशक (ओएनजीसी)

3 श्री के.एम. महेश, सरकारी नामिती निदेशक, 17 अक्तूबर, 2019 तक

4 श्री संजय कुमार जैन, सरकारी नामिती निदेशक, 08 जनवरी, 2020 तक

5 सुश्री मंजुला सी. स्वतंत्र निदेशक, 31 जनवरी, 2020 तक

6 श्री वी.पी. हरन, स्वतंत्र निदेशक

7 श्री सेवा राम, स्वतंत्र निदेशक

8 डॉ. जी.के. पटेल, स्वतंत्र निदेशक

9 श्री बलबीर सिंह यादव, स्वतंत्र निदेशक

10 श्री विवेक मल्या, स्वतंत्र निदेशक, 30 जनवरी, 2020 तक

11 श्री आर टी अगरवाल, स्वतंत्र निदेशक, 12 जुलाई, 2019 से

12 श्री विजय शर्मा, सरकारी नामिती, 08 जनवरी, 2020 से

13 श्री सुनील कुमार, सरकारी नामिती निदेशक, 17 अक्तूबर, 2019 से

F.4 मुख्य वित्तीय अधिकारी

1 श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ, 04 नवंबर, 2019 से

2 श्री एस. रविप्रसाद, CFO, 04 नवंबर, 2019 तक

F.5 कंपनी सचिव

श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव

43.2 लेन-देनों के ब्यौरे:

43.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेन-देन

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	लेन- देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	तेल उत्पादों की बिक्री आदि	5,649.26	8,694.55
क्रूड की खरीदारी	क्रूड तेल की खरीदारी आदि	41,538.37	54,415.27
प्राप्त सेवाएँ	क) ONGC कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	2.53	6.45
	क) मुंबई और दिल्ली कार्यालय के किराया और विद्युत प्रभार एवं खर्च की प्रतिपूर्ति	74.32	48.97
गारंटी शुल्क	साउदी अरैमेको को दी गई गारंटी के लिए शुल्क	34.24	16.52
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	1,255.35	3,766.06
ऋण	ऋण की चुकौती	-	18,856.90
ब्याज खर्च	सावधि ऋण पर ब्याज	-	549.13

43.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
प्राप्य रकम	उत्पादों की बिक्री	679.16	6.92
देय रकम	क्रूड तेल की खरीदारी	1,746.97	4,102.59
देय रकम	खर्च के लिए अन्य	18.22	25.88

43.2.3 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के साथ लेन-देन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
बिक्री	तेल उत्पादों की बिक्री आदि	1,48,663.53	1,56,578.87
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) लोडिंग आर्म, पाइपलाइन प्रभार आदि	1.64	-
	ख) खर्च, सुकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति	8.01	9.73
	ग) संदूषित उत्पाद की प्राप्तियां, अस्पताल में भर्ती होने संबंधी शुल्क, घाट शुल्क आदि	10.24	44.56
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	297.15	891.46

43.2.4 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के पास बकाया शेषराशि

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राप्य रकम	तेल उत्पादों की बिक्री आदि	5,769.37	7,168.79
	अन्य प्रतिपूर्तियां	40.27	40.26
देय रकम	खर्च के लिए अन्य	4.94	2.39

43.2.5 सहायक कंपनी के साथ लेन-देन

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	उत्पादों की बिक्री	49,089.74	59,579.45
उत्पादों की खरीदारी	खरीदारी	7,657.24	15,863.32
प्राप्त सेवाएँ	क) प्रतिनियुक्ति पर OMPL स्टाफ का वेतन आदि	2.75	1.22
	ख) सड़क सुविधा	-	(0.43)
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) सुकरण प्रभार	57.14	68.82
	ख) एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और अन्य खर्च	23.97	32.16
	ग) वापस परामर्शी शुल्क/मीटरिंग के लिए क्रेडिट नोट	-	5.36
इक्विटी में निवेश	इक्विटी में निवेश	2,550.09	1,530.05
ब्याज आय और अन्य वसूली	प्रभारों की प्रतिपूर्ति	397.44	158.57

43.2.6 सहायक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
ऋण	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	0.39	2.96
प्राप्य रकम	उत्पादों की बिक्री, सुकरण शुल्क और अन्य प्रभार और अन्य	943.45	2,491.87
देय रकम	रैफिनेट, हाइड्रोजन की खरीदारी और अन्य सेवा शुल्क	65.72	570.65
प्रतिबद्धताएं	क) एमआरपीएल के पास ओएमपीएल के बीजकों की बिल भुनाई के निमित्त	6,324.45	-
	ख) ओएमपीएल द्वारा जारी अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए एमआरपीएल का बैंक स्टॉपिंग समर्थन	5,100.00	-
	ग) ओएमपीएल द्वारा जारी अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों पर उपचित ब्याज के लिए बैंक स्टॉपिंग समर्थन	-	-

43.2.7 संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन:

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पाद	7,409.25	6,434.29
प्रदान की गई सेवाएँ	क) खर्च की प्रतिपूर्ति	0.07	0.02
	ख) रॉयल्टी आय	12.65	9.73
लाभांश आय	प्राप्त लाभांश	6.00	21.00

43.2.8 संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेषराशि

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राप्य रकम:	रॉयल्टी और टर्मिनलिंग शुल्क आदि	318.56	496.31

43.2.9 संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेषराशि:

सहयोगी कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क) इनसे प्राप्त सेवाएँ:			
1. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	692.69	616.34
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क और अन्य खर्च	110.95	254.18
3. ONGC नाइल गंगा BV	क्रूड तेल की खरीदारी आदि	0.11	17,740.96
ख) इनको प्रदान की गईं सेवाएँ:			
4. ONGC नाइल गंगा BV	टेंडरिंग सेवाएं	0.70	0.08
5. ONGC कैंपोस LTDA	टेंडरिंग सेवाएं	-	0.06
6. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि	28.78	36.95

43.2.10 अन्य संबंधित पक्षकारों के सहयोगियों के पास बकाया शेषराशि:

सहयोगी कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राप्य रकम:			
1. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि	-	37.48
2. ONGC नाइल गंगा BV	सेवाओं के निमित्त बकाया	0.12	0.08
3. ONGC कैंपोस LTDA	सेवाओं के निमित्त बकाया	0.10	0.10
4. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	129.30	-
देय रकम:			
1. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत आदि	-	44.49
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क और अन्य खर्च	15.38	-
3. ONGC नाइल गंगा BV	क्रूड खरीदारी के निमित्त बकाया शेषराशि आदि	-	39.05

43.2.11 न्यासों के साथ लेन-देन

न्यासों के नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
भुगतान का प्रेषण: एमआरपीएल लिमिटेड की भविष्य निधि ट्रस्ट की तरफ से किए गए उपदान के	अंशदान	525.98	462.76
भुगतान की प्रतिपूर्ति: एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	प्रतिपूर्ति और अंशदान	33.07	38.85

43.2.12 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा:

पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव/मुख्य वित्तीय अधिकारी विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	15.86	23.66
रोजगार उपरांत लाभ (छुट्टी, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ के लिए प्रावधान शामिल हैं)	16.72	8.61
अन्य दीर्घावधि लाभ (भविष्य निधि में अंशदान सहित)	2.59	2.21
कुल	**35.17**	**34.48**

निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण/ऋणों पर उपचित ब्याज

पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी सचिव के विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
निदेशक और कंपनी सचिव को दिए गए ऋण	0.67	0.82
निदेशक और कंपनी सचिव को दिए गए ऋणों पर उपचित ब्याज	0.12	0.11
कुल	**0.79**	**0.93**

स्वतंत्र निदेशक

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
बैठक शुल्क	4.28	6.20

43.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रकटन [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.3.4]:

43.3.1 सरकार से जुड़े उन प्रतिष्ठानों के नाम जिनके साथ उल्लेखनीय प्रमाण में लेन-देन किए गए:

	सरकार से जुड़े प्रतिष्ठान	संबंध
1	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	केंद्रीय पीएसयू
2	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	केंद्रीय पीएसयू
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL)	केंद्रीय पीएसयू
4	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
5	ब्रिज एण्ड रूफ के (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
7	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	केंद्रीय पीएसयू
8	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
9	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	केंद्र सरकार
10	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	केंद्र सरकार
11	भारतीय रेलवे	केंद्र सरकार
12	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	राज्य सरकार
13	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	राज्य सरकार
14	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	केंद्रीय पोर्ट ट्रस्ट

43.3.2 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.3.4):

	प्रतिष्ठान का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
अ	**उत्पादों की बिक्री, अन्य को वर्ष के दौरान:**			
1	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	क्रूड तेल/पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	1,13,002.64	1,20,102.25
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि (BPCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	49,974.93	87,668.44
3	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	2.99	2.37
4	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	क्रूड तेल/पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	-	5,342.30
5	भारतीय रेलवे	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	1,077.89	-
आ	**उत्पादों की खरीदारी इनसे, वर्ष के दौरान**			
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	अन्य आपूर्तियां	101.94	62.52
2	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	नैफ़्ता की खरीदारी/ संदूषित उत्पाद/चिकने पदार्थों की खरीदारी	17.05	11.39
3	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि (BPCL)	संदूषित उत्पाद की खरीदारी	1.00	0.96
4	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	क्रूड तेल की खरीदारी	28,766.70	-
इ	**प्रदान की गई सेवा**			
1	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	8.03	9.43
2	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	पाइपलाइन, लोडिंग आर्म प्रभार के निमित्त	1.08	-
ई	**इनसे प्राप्त सेवाएँ:**			
1	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत की खरीदारी	207.34	204.59
2	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लि.	बीमा प्रीमियम	378.24	316.81
3	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट संबंधी सेवाएं	1,113.23	394.52
4	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	छोटे-मोटे कार्य	1,304.88	1,118.60
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	तकनीकी सेवाएं	288.56	397.74
6	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	सेवा	3,034.08	2,044.40
7	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट संबंधी सेवाएं	160.06	1,275.37
8	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड लिमिटेड	रेलवे साइडिंग	177.27	-
9	इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	परीक्षण शुल्क और विलंब शुल्क	-	3.02
10	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि (BPCL)	PT कार्यक्रम सेवाएं	0.18	0.06
11	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	अन्य सेवाएं	67.80	-
उ	**भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अग्रिम**			
1	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	चरण IV की भूमि की खरीदारी	-	158.23

43.3.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.3.4]:

प्रतिष्ठान का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राप्य रकम:			
1 इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	935.79	7,306.93
2 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	1,084.60	2,445.86
3 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	6.78	1.36
4 नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	300.18	222.66
5 भारतीय रेलवे	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	356.02	-
विक्रेताओं को अग्रिम:			
1 उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	अग्रिम	28.57	29.62
2 कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	भूमि आदि के लिए अग्रिम	6,951.99	7,175.77
3 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	अग्रिम	0.39	7.53
देय रकम:			
1 ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लि.	व्यापार और अन्य देयताएं	135.95	114.05
2 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	143.69	157.93
3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	883.41	874.55
4 भारतीय जहाजरानी निगम लि.	व्यापार और अन्य देयताएं	131.41	118.23
5 कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	16.85	-
6 कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	17.62	20.08
7 इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	0.08	0.08
8 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	व्यापार और अन्य देयताएं	6,462.22	-

सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन-देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई जहाज से यात्रा, ईंधन की खरीदारी और जमाराशि आदि. वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं हैं और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

43.3.4 ONGC, HPCL, OMPL, PMHBL और ONGC नाइल गंगा BV के साथ रिश्ता, किए गए लेन-देन और इनके पास बकाया शेषराशि, उक्त टिप्पणी 43.2.1 से 43.2.10 में प्रकट की गई है.

44 वित्तीय लिखत

44.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य है, समुत्थान प्रतिष्ठान की तरह जारी रखने की उसकी क्षमता की हिफ़ाजत करना ताकि कंपनी, हिस्सेदारों को अधिकतम प्रतिफल और अन्य हिस्सेदारों को लाभ दिला सके और पूंजी लागत घटाने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बरकरार रखी जा सके.

कंपनी, अपना वित्तीय ढांचा बरकरार रखती है जिससे कि सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ शेयरधारकों की मूल्य वृद्धि हासिल करने के प्रति समर्थन दिया जा सके. पूंजी संरचना को बरकरार रखने अथवा उसका समायोजन करने की दृष्टि से कंपनी, शेयरधारकों को लाभांश के वितरण में फेर-बदल कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, नए शेयरों का निर्गमन कर सकती है अथवा कर्ज घटाने के लिए आस्तियां बेच सकती है.

कंपनी की पूंजीगत संरचना में समाविष्ट है, निवल कर्ज (टिप्पणी 22 और 23 में विस्तार से उल्लिखित उधार, जिसकी कमी पूरी की गई है नकद और बैंक शेषराशियों से) और कंपनी की कुल इक्विटी.

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी की पूंजीगत संरचना का तिमाही आधार पर समीक्षा करता है. इस समीक्षा के अंग के तौर पर, प्रबंधन, पूंजी लागत और प्रत्येक श्रेणी की पूंजी की आवश्यकता से जुड़े जोखिमों और पर्याप्त नकदी बनाए रखने पर विचार करता है.

44.1.1 गेरिंग अनुपात

रिपोर्ट अवधि के अंत में गेरिंग अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया जाता है:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
i) कर्ज *	1,18,960.72	91,310.39
ii) कुल नकद और बैंक शेषराशि	279.95	4,875.35
घटाएं: कार्यकारी पूंजी के लिए आवश्यक नकद और बैंक शेषराशि	279.95	4,875.35
निवल नकद और बैंक शेषराशि	-	-
iii) निवल कर्ज	1,18,960.72	91,310.39
iv) कुल इक्विटी	77,995.29	1,07,270.29
v) इक्विटी की तुलना में निवल कर्ज का अनुपात	1.53	0.85
कर्ज का मतलब है, टिप्पणी 22 और टिप्पणी 23 में वर्णन किए गए अनुसार दीर्घावधि और अल्पावधि उधार		

44.2 वित्तीय लिखतों की श्रेणियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वित्तीय आस्तियां (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 44.2.1)		
परिशोधित लागत पर मापे गए		
(क) प्राप्य व्यापार राशियां	10,422.69	23,222.96
(ख) नकद और नकदी समतुल्य	17.80	25.91
(ग) अन्य बैंक शेषराशि	262.15	4,849.44
(घ) ऋण	1,241.91	1,038.91
(ङ) अन्य वित्तीय आस्तियां	6,527.90	140.62
लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया		
(क) निवेश	0.19	0.19
वित्तीय देयताएं		
परिशोधित लागत पर मापे गए		
(क) उधार	1,03,876.00	80,776.56
(ख) देय व्यापार राशियां	32,711.17	46,750.36
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	24,386.68	15,723.71

44.2.1 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को ऊपर प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि अगर कोई क्षति हो तो उसे घटाने के बाद इनको लागत पर मापा गया है.

44.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति, कंपनी का प्रचालन करने में निहित महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों पर निगरानी रखकर उसे संभालती है जिसके लिए जोखिम की तीव्रता और उसके प्रमाण के आधार पर एक्सपोशर का विश्लेषण किया जाता है. इन जोखिमों में शामिल है, बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और नकदी जोखिम.

44.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम अथवा अनिश्चितता है जो संभवत: बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से और व्यवसाय के भावी निष्पादन पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होती हैं. बाजार जोखिम के प्रमुख घटक हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम.

44.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी, विदेशी मुद्रा में अंकित लेन-देन, मूल रूप से क्रूड तेल की खरीदारी और निर्यात बिक्री के सिलसिले में करती है और उसके उधार, विदेशी मुद्रा में अंकित होते हैं; फलस्वरूप उसे विनिमय दर में घट-बढ़ का सामना करती है. रिपोर्ट

अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक आस्तियों और मौद्रिक देयताओं का बही मूल्य, निम्नानुसार है :-

लेन-देन की मुद्रा	देयताएं		आस्तियां	
	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
USD	97,038.67	1,07,917.26	2,243.84	3,225.16

44.5.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी को, ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा (USD) में व्यवहार करना पड़ता है. लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता, ख़ास तौर से USD में अंकित प्राप्य और देय राशियों से उत्पन्न होती है.

प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार, USD-INR मुद्राओं के बीच विनिमय दर में +/- 5% का परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए अवधि के अंत में सिर्फ़ विदेशी मुद्रा में अंकित बकाया मौद्रिक मदों पर लाभ अथवा हानि की संवेदनशीलता, यहां नीचे प्रस्तुत की गई है:

वर्ष के अंत में USD की संवेदनशीलता	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
प्राप्य राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	112.19	161.26
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	(112.19)	(161.26)
देय व्यापार राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	(4,851.93)	(5,395.86)
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	4,851.93	5,395.86

44.5.2 वायदा विदेशी मुद्रा ठेके

कंपनी ने, रिपोर्ट अवधि के दौरान, किसी वायदा विदेशी मुद्रा ठेके पर हस्ताक्षर नहीं किए.

44.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने, निश्चित और अस्थाई ब्याज दरों पर उधार लिए हैं इसलिए उसे ब्याज दर में निहित जोखिम उठाना पड़ेगा. कंपनी ने ब्याज दर में कोई अदला-बदली नहीं की और इसलिए कंपनी को ब्याज दर में निहित जोखिम का सामना करना पड़ेगा.

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्ट अवधि के अंत में ब्याज दर के प्रति एक्सपोशर के आधार पर किया गया है. अस्थाई दर पर लिए गए उधारों के संबंध में, विश्लेषण करते समय यह परिकल्पना की गई है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में बकाया उधार राशि, समग्र वर्ष में बकाया रही. संवेदनशीलता विश्लेषण में प्रकटन करते समय 50 आधार बिंदु को घटाया या बढ़ाया गया है.

अगर ब्याज दर, 50 आधार बिंदु पर अधिक/कम हुआ होता और सभी अन्य परिवर्तनीय कारकों को स्थिर रखा गया होता तो कंपनी का लाभ, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ 377.04 दशलक्ष तक बढ़/घट गया होता (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में: ₹ 406.14 दशलक्ष तक वृद्धि/अवनति). इसका प्रमुख कारण है, कंपनी का, उसके परिवर्तनीय दरों पर लिए गए उधार के प्रति कंपनी का एक्सपोशर (वर्ष के अंत में और कार्यकारी पूंजीगत ऋणों को छोड़कर उधार पर अंतिम शेषराशि पर विचार किया जाता है).

44.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण संबंधी जोखिम एक ऐसा जोखिम है जब कोई प्रति पक्षकार, अपने संविदात्मक दायित्व निभाने से मुकर जाता है जिसके चलते कंपनी को वित्तीय हानि होती है. ऋण संबंधी जोखिम, नकद और नकदी समतुल्य, प्राप्य रकम सहित बैंकों एवं ग्राहकों के पास रखी गईं जमाराशियों से उत्पन्न होता है. ऋण जोखिम प्रबंधन, उपलब्ध उचित और समर्थक अग्रदर्शी सूचना के साथ-साथ ऐसे संकेतकों पर विचार करता है जैसे बाह्य क्रेडिट रेटिंग (जहां तक उपलब्ध हो), समष्टि-आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, सरकारी निदेश, बाजार ब्याज दर आदि).

प्रमुख ग्राहकों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं (तेल विपणन कंपनियां - OMCs) और सहायक कंपनी ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (OMCs) और OMPL, दोनों ने सर्वाधिक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है इसलिए ऋण में निहित जोखिम न के बराबर है. किसी दूसरे प्रति पक्षकार के प्रति ऋण जोखिम का सांद्रण, वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मौद्रिक आस्तियों के 10% के परे न रहा.

जमाराशि रखते समय सिर्फ़ उच्च रेटिंग प्राप्त बैंकों पर विचार किया जाता है. बैंक शेषराशियां, प्रतिष्ठित एवं साख पात्र बैंकिंग संस्थाओं में रखी जाती हैं.

44.8 नकदी जोखिम प्रबंधन

कंपनी, नकदी जोखिम संभालने के लिए बैंक जमाराशियों पर पर्याप्त नकद और नकदी समतुल्य रखती है और रकम देय होने पर दायित्व निभाने की खातिर प्रतिबद्ध पर्याप्त रकम में ऋण सुविधाओं के जरिए निधि उपलब्ध कराती है. प्रबंधन, अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी स्थिति, नकद एवं नकदी समतुल्य का पूर्वानुमान लगाने की खातिर उस पर नज़र रखता है. इसके अलावा, चल निधि प्रबंधन में वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करते हुए और तुलन-पत्र के चल निधि अनुपात पर नज़र रखते हुए दायित्व निभाने के लिए ज़रूरी नकदी आस्तियों के स्तर पर विचार करते हुए नकदी प्रवाह का प्रक्षेपण किया जाता है. कंपनी, चल निधि संबंधी जोखिम संभालते समय, पर्याप्त आरक्षित निधि बरकरार रखती है और लगातार पूर्वानुमान पर और वास्तविक नकदी प्रवाह पर नज़र रखने के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करती है.

नीचे उल्लिखित तालिका में कंपनी की, सम्मत चुकौती अवधि के लिए गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए बची हुई संविदात्मक परिपक्वता दर्शाई गई है. यह तालिका, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख को ध्यान में रखते हुए वित्तीय देयताओं के बट्टा रहित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है. इस तालिका में ब्याज और मूल नकदी प्रवाह, दोनों समाविष्ट किए गए हैं. संविदात्मक परिपक्वता, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है.

विवरण 31 मार्च, 2020 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह- 1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल बही मूल्य
(i) उधार	दीर्घावधि - 4.80 % अल्पावधि -7.74	2,470.32	21,890.51	17,811.00	62,652.88	1,04,824.71	1,03,876.00
(ii) देय व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 26.2	27,516.76	5,194.41	-	-	32,711.17	32,711.17
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		5,618.40	16,901.01	439.09	4,356.39	27,314.89	24,386.68

विवरण 31 मार्च, 2019 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह 1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल बही मूल्य
(i) उधार	दीर्घावधि - 5.41% अल्पावधि - 7.40%	38,193.58	10,374.00	20,314.50	12,376.20	81,258.28	80,776.56
(ii) देय व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 26.2	37,656.20	9,094.16	-	-	46,750.36	46,750.36
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		4,017.57	11,707.63	-	-	15,725.20	15,723.71

नीचे दी गई तालिका में कंपनी की गैर व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता के ब्यौरे दिए गए हैं. यह तालिका, वित्तीय आस्तियों पर अर्जित किए जाने वाले ब्याज सहित इन आस्तियों की बट्टा रहित संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर तैयार की गई है. कंपनी की चलनिधि जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों पर जानकारी समाविष्ट करना आवश्यक है क्योंकि चलनिधि को, निवल आस्ति और देयता के आधार पर संभाला जाता है.

विवरण 31 मार्च, 2020 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह 1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल बही मूल्य
(i) निवेश		-	-	-	17,576.56	17,576.56	17,576.56
(ii) ऋण							
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	7.40%	15.43	113.10	246.99	701.70	1,077.22	1,077.22
ग्राहकों को दिए गए ऋण		0.01	0.14	0.35	1.24	1.74	1.74
अन्य	9.55%	3.40	1.11	0.10	352.06	356.67	162.95
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 17.1	10,346. 32	76.37	-	-	10,422.69	10,422.69
(iv) नकद और नकदी समतुल्य		17.80	-	-	-	17.80	17.80
(v) अन्य बैंक शेषराशि		262.06	0.09	-	-	262.15	262.15
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां		2.02	,327.31	13.30	185.27	6,527.90	6,527.90

विवरण 31 मार्च, 2019 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह 1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल बही मूल्य
(i) निवेश		-	-	-	15,026.47	15,026.47	15,026.47
(ii) ऋण							
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	6.24%	17.58	90.25	195.95	575.05	878.83	878.83
ग्राहकों को दिए गए ऋण		-	-	-	-	-	-
अन्य		2.89	0.92	0.35	343.58	347.74	160.08
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 17.1	23,149.16	73.80	-	-	23,222.96	23,222.96
(iv) नकद और नकदी समतुल्य		25.91	-	-	-	25.91	25.91
(v) अन्य बैंक शेषराशियां		4,849.35	-	0.09	-	4,849.44	4,849.44
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां		3.95	1.63	3.15	131.89	140.62	140.62

कंपनी को नीचे वर्णित वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच है जिसमें से ₹ शून्य का, रिपोर्ट अवधि के अंत में उपयोग नहीं किया गया था (31 मार्च, 2019 को ₹ 2,463.20 दशलक्ष). कंपनी को उम्मीद है कि वह प्रचालन नकदी प्रवाह और परिपक्व होने वाली वित्तीय आस्तियों से अपने अन्य दायित्व निभा पाएगी.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
मांग पर देय जमानती बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा	-	4,120.50
- उपयोग की गई रकम	-	1,657.30
- उपयोग न की गई रकम	-	2,463.20

44.9 उचित मूल्य का मापन

प्रबंधन समझता है कि जब तक अन्यथा कोई उल्लेख न किया गया हो, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का बही मूल्य, उनके उचित मूल्य दर्शाता है.

45 संयुक्त उद्यम की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण (31 मार्च, 2020 को)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से लाभ या हानि	प्रचालन जारी न रखने से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	2,405.41	98.63	1,921.35	9.12	8,307.54	15.19	-	(0.43)	14.76
कुल	**2,405.41**	**98.63**	**1,921.35**	**9.12**	**8,307.54**	**15.19**	-	**(0.43)**	**14.76**

विवरण (31 मार्च, 2019 को)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी न रखने से लाभ या हानि	प्रचालन जारी न रखने से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	3,083.44	96.06	2,602.38	3.36	7,277.44	15.94	-	(0.48)	15.46
कुल	**3,083.44**	**96.06**	**2,602.38**	**3.36**	**7,277.44**	**15.94**	-	**(0.48)**	**15.46**

45.1 संयुक्त उद्यम से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण (31 मार्च, 2020 को)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय पर आय कर खर्च
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	533.12	1,836.11	9.12	15.31	41.50	12.04	1.60
कुल	**533.12**	**1,836.11**	**9.12**	**15.31**	**41.50**	**12.04**	**1.60**

विवरण (31 मार्च, 2019 को)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय पर आय कर खर्च
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	203.48	2,487.63	-	11.36	43.99	13.68	14.06
कुल	**203.48**	**2,487.63**	-	**11.36**	**43.99**	**13.68**	**14.06**

46 आकस्मिक देयताएं

46.1 कंपनी के खिलाफ ऐसे दावे/विवादग्रस्त मांगें, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

क्रम सं	विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
1.	**माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे** उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम, ₹ 1,248.03 दशलक्ष को पूंजीकृत किया जाएगा/ ₹ 35.86 दशलक्ष को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा. (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में क्रमश: ₹ 3,001.29 दशलक्ष और ₹ 46.93 दशलक्ष).	1,283.89	3,048.22
2.	**अन्य**		
	भूमि और पुनर्वास एवं पुन:व्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड का दावा	20.05	20.05
	कुल	**1,303.94**	**3,068.27**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए कंपनी द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम्/अदालत से समाधान/फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

46.2 यथा 31 मार्च, 2020 अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे

46.2.1 आय कर: 31 मार्च, 2020 को ₹ 116.52 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 2,990.62 दशलक्ष). इसके प्रति 31 मार्च, 2020 को ₹ शून्य का (31 मार्च, 2019 को ₹ 307.24 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे कर आस्तियों/देयताओं के अधीन शामिल किया गया है **(देखें टिप्पणी 14).**

46.2.2 उत्पाद शुल्क: 31 मार्च, 2020 को ₹ 7,310.93 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 6,888.27 दशलक्ष). इसके प्रति, 31 मार्च, 2020 को ₹ 182.10 दशलक्ष का (31 मार्च, 2019 को ₹ 182.10 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है जिसे अन्य आस्तियों के अधीन शामिल किया गया है **[टिप्पणी 15].**

46.2.3 सीमा शुल्क: 31 मार्च, 2020 को ₹ 916.31 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 873.25 दशलक्ष). इसके प्रति 31 मार्च, 2020 को ₹ 379.48 का (31 मार्च, 2019 को ₹ 378.71 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे अन्य आस्तियों के अधीन शामिल किया गया है **(देखें टिप्पणी 15).**

47 प्रतिबद्धताएं

47.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:

47.1.1 पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 31 मार्च, 2020 को ₹10,662.97 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 18,170.79 दशलक्ष).

47.1.2 कंपनी ने KIADB से चरण IV विस्तार के लिए 1,050 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त की है. इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता है करीब ₹ 6,407.14 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 6,407.14 दशलक्ष).

47.1.3 कंपनी ने KIADB से 2G एथनॉल संयंत्र लगाने के लिए, हनगवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, दावणगेरे ज़िला में 47.65 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त की है. इस संबंध में शेष पूंजीगत प्रतिबद्धता है करीब ₹ शून्य है (31 मार्च, 2019 को ₹ 367.87 दशलक्ष).

47.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

47.2.1 रिफ़ाइनरी के निमित्त प्रतिबद्धता को छोड़कर एमआरपीएल, रिफाइनरी की तरफ़ से प्रतिबद्धता पूरी होने तक-एमआरपीएल के पास कुछ भूमि है जिसका अनंतिम रूप से माप 36.69 एकड़ है जिसे HPCL ने एमआरपीएल चरण III और उन्नयन कार्य के सिलसिले में उपयोग करने की खातिर सत्तांतरित किया है. इस भूमि के लिए प्रतिफल स्वरूप, परस्पर सम्मति के आधार पर एमआरपीएल/ HPCL के कब्ज़े में रही भूमि की अदला-बदली की जाएगी. इस संबंध में अंतिम प्रलेखन, अभी निष्पादित नहीं किया गया है.

47.2.2 मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन (मेसर्स शेल्ल GIS) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक, 31 मार्च, 2020 को निवल अग्रिम USD 1.46 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2019 को USD 1.46 दशलक्ष निवल अग्रिम)

47.2.3 कंपनी ने, तीन वर्ष के लिए अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों (CCD) के लिए जिसकी रकम ₹ 5100 दशलक्ष है (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य) जिसे सहायक कंपनी " ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) ने निर्गमित किया था, मूल धनराशि और संचयी कूपन की चुकौती के प्रति बैक स्टॉपिंग समर्थन देने की व्यवस्था की है और इस संबंध में 31 मार्च, 2020 को बकाया ब्याज ₹ शून्य रहा (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य).

48 वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान

नीचे दी गई तालिका में, नकदी तथा गैर नकदी प्रभारों, दोनों सहित वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न कंपनी की देयताओं में परिवर्तन के ब्यौरे दिए गए हैं. वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताएं ऐसी देयताएं हैं जिनके लिए नकदी प्रवाह या भावी नकदी प्रवाह को वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण में वर्गीकृत किया जाएगा.

क्रम सं.	विवरण	01/04/ 2019 को प्रारंभिक शेषराशि	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	नकदेतर परिवर्तन	अंतिम शेषराशि 31/03/2020
I	उधार - दीर्घावधि				
	1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	24,092.40	-	2,288.37	26,380.77
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	2,680.00	2,710.00	-	5,390.00
	3 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण	225.56	423.85	(288.63)	360.78
	4 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत सावधि ऋण (ECB)	68.52	27,752.88	2,203.63	30,025.03
	5 अपरिवर्तनीय डिबेंचर	-	25,600.00	(13.41)	25,586.59
	6 आस्थगित भुगतान देयताएं - CST	218.63	(218.63)	-	-
	7 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	3,458.00	(3,458.00)	-	-
	8 रुपया सावधि ऋण	11,999.70	(5,142.98)	-	6,856.72
	कुल	**42,742.81**	**47,667.12**	**4,189.96**	**94,599.89**
ii	उधार - अल्पावधि				
	1 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	3,071.58	(601.26)	-	2,470.32
	2 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	17,290.00	(5,664.63)	240.69	11,866.06
	3 खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण	24,206.00	(24,206.00)	-	-
	4 वाणिज्यिक पत्र	4,000.00	(4,000.00)	-	-
	5 बिल भुनाई सुविधा	-	6,324.45	-	6,324.45
	6 अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण	-	3,700.00	-	3,700.00
	कुल	**48,567.58**	**(24,447.44)**	**240.69**	**24,360.83**

क्रम सं.	विवरण	01/04/ 2019 को प्रारंभिक शेषराशि	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	नकदेतर परिवर्तन	अंतिम शेषराशि 31/03/2020
I	**उधार - दीर्घावधि**				
	1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	25,722.08	(1,779.21)	149.53	24,092.40
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	750.00	1,930.00	-	2,680.00
	3 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण	169.24	107.52	(51.20)	225.56
	4 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत सावधि ऋण (ECB)	-	68.18	0.34	68.52
	5 आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	18,856.90	(18,856.90)	-	-
	6 आस्थगित भुगतान देयताएं - CST	618.63	(400.00)	-	218.63
	7 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	2,607.20	661.70	189.10	3,458.00
	8 रुपया सावधि ऋण	-	11,999.70	-	11,999.70
	कुल	**48,724.05**	**(6,269.01)**	**287.77**	**42,742.81**
ii	**उधार - अल्पावधि**				
	1 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	143.00	2,928.58	-	3,071.58
	2 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	16,295.00	42.94	952.06	17,290.00
	3 खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण	14,339.60	10,110.65	(244.25)	24,206.00
	4 वाणिज्यिक पत्र	-	4,000.00	-	4,000.00
	कुल	**30,777.60**	**17,082.17**	**707.81**	**48,567.58**

बैंक ऋणों, संबंधित पक्षकारों से लिए गए ऋणों तथा अन्य उधारों से नकदी प्रवाह, नकदी प्रवाह विवरण में उधारों और उधारों से चुकौतियों से निवल प्राप्तियाँ बनती है.

49 कंपनी, स्टॉक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत भंडार का, चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें कुछ अवधि में तमाम मदों को इस दायरे में लाया जाएगा. समायोजन में कोई अंतर हो तो उसे समाधान पूरा होने के बाद दूर किया जाएगा.

50 कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो.

51 व्यापार और प्राप्य राशियों, देय व्यापार और अन्य राशियों और ऋणों की कुछ शेषराशियों का पुष्टीकरण / समाधान नहीं किया गया है. पुष्टीकरण मिलने/समाधान होने पर कोई समायोजन करने पड़े तो किया जाएगा जिसका कोई ख़ास असर नहीं होगा.

52 दुनिया भर में COVID-19 महामारी फैलने और परिणामस्वरूप भारत सहित कई देशों में 25 मार्च, 2020 से लॉकडाउन जारी करने से कंपनी के कारोबार पर असर पड़ा है. फलस्वरूप क्रूड तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण दुनिया भर में इनकी कीमतों और परिष्करण मार्जिन पर प्रभाव पड़ा है. चूंकि पेट्रोलियम उत्पाद, अनिवार्य सेवाओं के अधीन आते हैं इसलिए कंपनी के परिष्करण प्रचालन, लॉकडाउन अवधि के दौरान जारी रखे गए. लॉकडाउन के कारण कंपनी की बिक्री में गिरावट आई. COVID-19 के कारण लॉकडाउन, 2020-21 में जारी रहा है और कंपनी ने इस समय कम मांग और मार्जिन के बावजूद अपना प्रचालन जारी रखा है क्योंकि ये उत्पाद, अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं के अधीन आते हैं. प्रबंधन को उम्मीद है कि COVID-19 में स्थिरता आने पर लॉकडाउन हटाने के बाद उत्पादों की मांग बढ़ेगी. प्रबंधन ने, COVID 19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और आशा करता है कि लंबे समय तक प्रचालन जारी रखने से कारोबार पर / आस्ति की उपयोगी अवधि पर / दीर्घावधि वित्तीय स्थिति आदि पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा भले ही निकट भविष्य में राजस्व और रिफ़ाइनरी थ्रूपुट की मात्रा में गिरावट आए.

53 बोर्ड ने आवश्यक अनुमोदन मिलने पर नियंत्रक कंपनी, ONGC मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के साथ सहायक कंपनी, मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का समामेलन करने की सहमति दी थी. कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से उनके पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के जरिए " अनापत्ति " मिली थी. चूंकि यह मामला अभी प्रारंभिक चरण में है इसलिए वित्तीय विवरणों में इस बारे में कोई प्रकटन नहीं किया गया है.

54 वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें, पिछले वर्षों से संबंधित हैं. पिछले वर्ष के आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक हो, पुन:समूहन किया गया है.

55 **वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

निदेशक मंडल ने वित्तीय विवरण जारी करने की खातिर 9 जून, 2020 को अपना अनुमोदन दिया.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

राय

हमने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (जिसे इसके आगे " नियंत्रक कंपनी " कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनी, ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को इसके आगे एक साथ " समूह " कहा गया है) और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान " शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड " के संलग्न किए गए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित 31 मार्च, 2020 तक का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष का इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां समाविष्ट की गईं हैं (जिसे इसके आगे " समेकित वित्तीय विवरण " कहा गया है).

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों में, अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 2013 (" दी ऐक्ट ") की अपेक्षानुसार जानकारी मिलती है जो यथा संशोधित ("Ind AS") कंपनी नियम, 2015 (भारतीय लेखा मानक) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) पर भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है जो 31 मार्च, 2020 तक के समूह के समेकित कामकाज की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के उसकी समेकित हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) तथा इक्विटी में समेकित परिवर्तन एवं समेकित नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है.

राय का आधार

हमने, अपनी लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की. उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों के बारे में आगे वर्णन, हमारी रिपोर्ट के खंड *समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां* में किया गया है. हम, (ICAI) द्वारा जारी नीति संहिता के अनुसार एवं भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रासंगिक अन्य नैतिक अपेक्षाओं एवं कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान से स्वतंत्र हैं और हमने, इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हम मानते हैं कि हमें लेखा परीक्षा के बारे में जो सबूत मिले हैं वे लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं.

बल देने लायक मामले

हम आपका ध्यान समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं. 52 की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जिसमें, नए किस्म के कोरोना वायरस(COVID-19) के फैलने से उत्पन्न अनिश्चित स्थिति का वर्णन किया गया है जिसने दुनिया भर में कारोबार को काफ़ी हद तक अस्त-व्यस्त कर दिया है. सर्वव्यापी महामारी, COVID-19 का कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर किस हद तक प्रभाव होगा यह बात भावी गतिविधियों पर निर्भर होगी जो काफ़ी अनिश्चितता से भरी हैं. इस मामले में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, ऐसे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के मुताबिक, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में बेहद उल्लेखनीय थे. समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाते समय इन मामलों को निपटाया गया और इन मामलों पर हमारी कोई अलग राय नहीं है. हमने नीचे वर्णित मामलों का लेखा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में निर्धारण किया है जिसे हमारी रिपोर्ट में सूचित किया गया है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	हमारी लेखा परीक्षा में इनका समाधान कैसे किया गया
स्टॉक	
क्रूड तेल और तैयार माल के रूप में कच्चा माल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में मध्यवर्ती उत्पादों का स्टॉक, आस्तियों का उल्लेखनीय अंश बनता है. इस वर्ष Covid 19 सर्वव्यापी महामारी के कारण स्टॉक का जायजा लेते समय इनका प्रत्यक्ष निरीक्षण करना लेखा परीक्षकों के लिए संभव न हुआ. नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है जिसके बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 16 में दी गई है. क्रूड तेल की खरीदारी और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में एकदम गिरावट आई जिसका विस्तृत वर्णन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में किया गया है और इस वजह से इनको वसूली योग्य मूल्य पर प्रतिलेखित करना पड़ा.	हमने, स्टॉक का निर्धारण एवं मूल्यांकन करते समय प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रकों के डिज़ाइन एवं प्रचालन दक्षता को समझा और उनका परीक्षण किया. स्टॉक का, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया और उनसे संबंधित दस्तावेजों की नमूना जांच की गई. हमने, नमूना जांच के आधार पर बाद में हुई स्टॉक की बिक्री का सत्यापन किया जिससे कि स्टॉक की मौजूदगी और उसके मूल्यांकन एवं पुनरावर्ती क्रियाविधि की एवं 31 मार्च, 2020 को स्टॉक की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके. नियंत्रक कंपनी की, स्टॉक का मूल्यांकन करने की लेखा नीति एवं मौजूदा लेखा मानक INDAS 2 की अपेक्षाओं के अनुसार नीति के अनुपालन के औचित्य का निर्धारण किया और वास्तविक बिक्री कीमत और वर्षांत के बाद बिक्री कीमत सहित विभिन्न कारकों पर विचार किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वसूली योग्य मूल्य का आकलन ठीक तरह से किया गया है. तैयार माल की लागत की तुलना, अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ की गई और यह जांचा कि क्या तैयार माल को निवल वसूली योग्य मूल्य पर रेकॉर्ड किया गया है और जहां लागत, निवल वसूली योग्य मूल्य से अधिक पाई गई, वहां स्टॉक का मूल्य घटाया गया. उत्तरवर्ती बिक्री कीमत को हिसाब में लेने के बाद स्टॉक का परिकलन करते समय प्रबंधन के फ़ैसले की एवं स्टॉक के लिए वर्तमान और भावी मांग को लेकर प्रबंधन के निर्धारण की समीक्षा की गई. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में संबंधित प्रकटन की पर्याप्तता का निर्धारण किया. अभिकथन के स्तर पर " परिपूर्णता " " यथातथ्यता और मूल्यांकन " के बारे में दिए गए आश्वासन को लेकर लेखा परीक्षा संबंधी जोखिम का निर्धारण और नमूना निर्धारण किया गया.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	हमारी लेखा परीक्षा में इनका समाधान कैसे किया गया
आकस्मिक देयताएं, कंपनी के खिलाफ़ दावे और विवादित कर	
AS 37 के अनुसार - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां, आकस्मिक देयता एक ऐसी संभावित दायित्व है जो गत घटनाओं से उत्पन्न होती है जिसके परिणाम की पुष्टि, एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाएं होने अथवा न होने पर ही की जाएगी (Ind AS 37). समूह के खिलाफ़ बहुत सारे दावे और कानूनी मामले हैं जिससे, प्रबंधन की राय में, अंत में देयता उत्पन्न होने की संभावना नहीं है. इसलिए लेखा परीक्षा के अधीन वर्ष के लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. अगर प्रतिकूल परिणाम निकला तो समूह को विवादित रकम अदा करने की नौबत आ सकती है जिस पर, न्याय निर्णायक प्राधिकारी/सांविधिक प्राधिकारी/ अदालत के फैसले के मुताबिक ब्याज और/अथवा दंड देना पड़ेगा.	मानक के अनुसार, एक बार आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकार करने पर प्रतिष्ठान को चाहिए कि वह उस आकस्मिक देयता के संबंध में भावी आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावनाओं का लगातार निर्धारण करता रहे. अगर भावी आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना अधिक हो तो आकस्मिक देयता वास्तविक देयता में परिवर्तित हो सकती है जिसे प्रावधान के रूप में दर्शाना पड़ेगा. हमने, समूह के खिलाफ़ दावों और कानूनी मामलों की सूची की समीक्षा की है और वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए उपलब्ध रेकॉर्डों से भावी आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना पर विचार किया है और लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया है. हमें दी गई जानकारी के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 46 में यथा उल्लिखित आकस्मिक देयताओं में चालू स्थिति स्पष्ट रूप से झलकती है और इसलिए इस चरण में कोई प्रावधान करने की ज़रूरत नहीं है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	हमारी लेखा परीक्षा में इनका समाधान कैसे किया गया
आस्थगित कर आस्ति	
Ind AS 12- आय कर के अनुसार, काटने लायक अस्थाई अंतर और अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों और क्रेडिट्स को आगे ले जाने के संबंध में भावी अवधियों में वसूल करने लायक आय कर की रकम. आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्यावर्तन, प्रबंधन के आकलन और अनिश्चितता से भरे भविष्य में अर्जित करने लायक लाभ पर निर्भर होता है.	आस्थगित कर आस्ति की समीक्षा करने पर नीचे उल्लिखित कारकों पर विचार किया गया: क. पर्याप्त कर योग्य अस्थाई अंतर की मौजूदगी. ख. ऐसे अन्य ठोस सबूत कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ मिलेंगे. भावी प्रक्षेपणों और हमें दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 25 में यथा उल्लिखित आस्थगित कर आस्ति को वसूल करने की संभावना पर समूह का निर्णय, निष्पक्ष एवं उचित है.

समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में शामिल है, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में सम्मिलित जानकारी, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित निदेशकों की रिपोर्ट, कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट, निगमित अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है. उम्मीद है कि हमें, ऊपर निर्दिष्ट जानकारी, इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराई जाएगी.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में, अन्य जानकारी को समाया नहीं गया है और हम, उस पर कोई आश्वासन नहीं देना चाहते हैं न ही कोई निष्कर्ष ले सकते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, जब उपलब्ध हो तब पहचानी गई उक्त अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारी, समेकित वित्तीय विवरणों से ख़ास तौर से असंगत है अथवा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा हमें प्राप्त ज्ञान, वस्तुत: गलत लगता है.

जानकारी पढ़ते समय अगर हम यह निष्कर्ष करें कि उसमें दी गई जानकारी वस्तुत: गलत है तो हमें अभिशासन चलाने वालों को इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी और परिस्थितियों में एवं लागू कानूनों और विनियमों के तहत आवश्यक उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन चलाने वालों की जिम्मेदारियां

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (the Act) की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर पेश करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम के अधीन जारी संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, अपने संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं. समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी में ऐसी बातें शामिल हैं जैसे समूह की आस्तियों की हिफ़ाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन कर उनको लागू करने, ऐसे फैसले और आकलन करने के लिए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाने, उसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए जो सही और निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखा रेकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त ऐसे लेखा रेकॉर्ड रखना, जिनका ऊपर उल्लिखित नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से उपयोग किया गया हो.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समुत्थान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की क्षमता का निर्धारण करने, समुत्थान प्रतिष्ठान के रूप से संबंधित यथा लागू मामले प्रकट करने और जब तक निदेशक मंडल, समूह का परिसमापन करने अथवा प्रचालन समाप्त करने का इरादा न रखे अथवा जिसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा वस्तुनिष्ठ विकल्प न हो, समुत्थान आधार पर लेखाकरण करने के लिए जिम्मेदार है.

समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में सम्मिलित कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा मक़सद है, इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण, ठोस गलत बयान से मुक्त हैं, क्या धोखाधडी या गलती की वजह से ऐसा हुआ है और क्या हमारी राय सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना पड़ेगा. उचित आश्वासन, उच्च स्तर के आश्वासन के बराबर होता है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देता है कि SAs के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में, कोई ठोस गलत बयान हो तो उसका हमेशा पता लगाया जाएगा. धोखाधड़ी अथवा गलती से गलत बयान उत्पन्न हो सकता है और इनको ठोस तभी समझा जाएगा जब प्रत्येक रूप से अथवा कुल मिलाकर, इनसे यह उम्मीद की जाए कि ये, समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फ़ैसलों को प्रभावित कर सकते हैं.

SAs के अनुसार लेखा परीक्षा के अंग के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखा परीक्षा की समग्र अवधि के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं. हम यह कार्य भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों के ठोस गलत बयान में निहित जोखिम को पहचानकर यह निर्धारण करते हैं कि क्या यह धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुआ है, इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा संबंधी क्रियाविधियां बनाकर लागू करते हैं और लेखा परीक्षा को लेकर ऐसा सबूत पाते हैं जो हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हो. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए ठोस गलत बयान का पता लगने पर उत्पन्न जोखिम, गलती से उत्पन्न गलत बयान से अधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल-चूक, आंतरिक नियंत्रण का अन्यथा कथन अथवा उल्लंघन होता है.
- लेखा परीक्षा संबंधी ऐसा क्रियाविधियां बनाने कि दृष्टि से जो परिस्थितियों में उचित हों, लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना. कंपनी अधिनियम, 1963 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम, इस बात पर अपनी राय व्यक्ति करने के लिए भी म्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक पद्धतियां लागू की हैं और ऐसे नियंत्रक, चलाने के लिए प्रभावशाली हैं.

- प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखा आकलनों के औचित्य का तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटन का मूल्यांकन करना.
- अंतिम रूप से यह तय करना कि समुत्थान आधार पर लेखाकरण का उपयोग करना प्रबंधन के लिए उपयुक्त है और प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी सबूत के आधार पर क्या घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में कोई ऐसी ठोस अनिश्चितता है जो समुत्थान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की क्षमता पर ख़ास संदेह उत्पन्न करे. अगर अंत में हम यह तय करें कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है तो हमें, अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन की ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा अथवा अगर ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो हमारी राय बदलनी पड़ेगी. हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी सबूत के आधार पर हैं. लेकिन, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान को एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं.
- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या समेकित वित्तीय विवरण, अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का चित्रण इस तरह से पेश करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण उभरकर सामने आए.
- समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के अंदर प्रतिष्ठानों अथवा व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त एवं उचित लेखा परीक्षा संबंधी सबूत पाना जिससे कि समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त की जा सके. स्वतंत्र लेखा परीक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम, समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित इन प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा को दिशा में प्रदान करें, उसका पर्यवेक्षण करें और उसका कार्य निष्पादन करें. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में, ऐसे दूसरे लेखा परीक्षक, उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा को दिशा प्रदान करने, उसका पर्यवेक्षण करने और कार्य निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार हैं. हम, लेखा परीक्षा के बारे में अपनी राय के लिए अकेले जिम्मेदार हैं.

स्वतंत्र लेखा परीक्षक होने के नाते हम, नियंत्रक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य प्रतिष्ठानों को सूचित करते हैं जिनको अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय निर्धारित करने और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हम जिन आंतरिक नियंत्रक को पहचाने उनमें उल्लेखनीय कमियों सहित उल्लेखनीय लेखा परीक्षा जांच-परिणाम निकालने का काम सौंपा गया है.

हम, शासन का काम चलाने के लिए जिम्मेदार उनको भी यह बयान देते हैं कि हमने, स्वतंत्रता के बारे में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनको, ऐसे संबंधों और अन्य मामलों के बारे में और जहां कहीं लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में जानकारी देते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर उचित प्रभाव पड़े.

शासन चलाने वालों को सूचित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में बेहद उल्लेखनीय थे और इसलिए लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले रहें. जब तक कानून अथवा विनियम, मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन करने से रोक न लगाए हमने इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन किया है अथवा जब अति विरल परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करें कि मामला, हमारी रिपोर्ट में इसलिए नहीं सूचित किया जाए कि ऐसा सूचित करने से सार्वजनिक हित संबंधी लाभ से अधिक प्रतिकूल परिणाम होने की संभावना होगी.

अन्य मामले

हमने, एक सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित एक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की. समेकित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी में दर्शाया गया है 31 मार्च, 2020 को ₹ 72,667.14 दशलक्ष की कुल आस्तियां, ₹ 49,541.70 दशलक्ष का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 28.73 दशलक्ष की रकम का निवल नकदी प्रवाह. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, एक संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के संबंध में, जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा हमने नहीं की, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 11.58 दशलक्ष के निवल लाभ का समूह का ऐसा हिस्सा जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है. इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा, अन्य लेखा परीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट, प्रबंधन ने हमें दी है और जहां तक सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के बारे में सम्मिलित रकम और प्रकटन का संबंध है समेकित वित्तीय विवरणों पर और जहां तक उक्त सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के बारे में अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट पर हमारी राय, सिर्फ़ अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर ऊपर दी गई हमारी राय और अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट में, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता को लेकर उक्त मामलों के संबंध में रूपांतरण नहीं किया गया है.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. नियंत्रक कंपनी के रेकॉर्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के बलबूते पर, हम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर यहां नीचे अपनी रिपोर्ट देते हैं:

(क) कंपनी, आईटी सिस्टम के जरिए लेखा संबंधी तमाम लेन-देन करती है. चूंकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईटी सिस्टम के बाहर कोई लेखा संबंधी लेन-देन नहीं किया गया इसलिए लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हैं.

(ख) मौजूदा ऋण का पुनर्निर्माण नहीं किया गया है न ही कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा किए गए कर्जो/ऋणों/ब्याज आदि का अधित्यजन/बट्टे खाते लिखने का कोई मामला है.

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में सरकारी अनुदान को ठीक तरह से लेखाबद्ध कर उनको नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है. MEIS स्क्रिप्स के रूप में सहायक कंपनी से प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकारी अनुदान को नियमों और शर्तों के अनुसार ठीक तरह से लेखाबद्ध किया गया है.

सहायक कंपनी के मामले में, उक्त के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई हैं और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के मामले में संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं.

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम उस हद तक रिपोर्ट करते हैं जो हमें लागू हो:

   (क) हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण मांग कर प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

   (ख) हमारी राय में, इन बहियों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी परीक्षा से लगता है कि कंपनी ने उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां ठीक तरह से रखी हैं.

   (ग) इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से रखी गई संबंधित लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

   (घ) हमारी राय में, उक्त स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

   (ङ) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र GSR 463(E), दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते नियंत्रक कंपनी को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों से छूट दी गई है.

   संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के निदेशकों से 31 मार्च, 2019 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, जिसे नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल ने स्वीकार किया और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के निदेशकों में से किसी को भी, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2020 को नियुक्त करने से अनर्ह घोषित नहीं किया गया है.

   (च) समूह और भारत में निगमित उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और इन नियंत्रकों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में " **अनुबंध अ** " में अलग रूप से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें. सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को स्वीकार किया गया है.

   (छ) नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंध में कंपनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार, निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197, सरकारी कंपनी के लिए इसलिए लागू नहीं होती है कि वे सरकारी कंपनियां हैं.

(ज) यथा संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. समेकित वित्तीय विवरणों में समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की समेकित वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित कानूनी मामलों का प्रभाव प्रकट किया है - देखें समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.46.

ii. समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो और

iii. नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान ने निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित रकम का हस्तांतरण करने में कोई विलंब नहीं किया है.

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सी.ए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875
UDIN: 20083875AAAAAQ3955

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 9 जून, 2020

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सी.ए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592
UDIN: 20203592AAAACA4363

स्थान : मंगलूरु
दिनांक: 9 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का " अनुबंध अ "

(जिसे हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट निर्दिष्ट किया गया है)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("the Act") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को और उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के समेकित विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, हमने **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** (" नियंत्रक कंपनी ") और उसकी सहायक कंपनी **ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** एवं उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान, **शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लिमिटेड** के, जो उस तारीख को भारत में निगमित वित्तीय कंपनियां हैं, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा की.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वह, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय विवरण संबंधी मापदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रक के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं, प्रभावशाली ढंग से काम करते रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाना, उनका कार्यान्वियन और अनुरक्षण करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की नीतियों का अनुपालन किया जाता है, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त की जाती है, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की, वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, भारत में निगमित कंपनियां होने के नाते नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी एवं उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है. हमने अपनी लेखा परीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शन नोट (the"Guidance Note") और अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षा मानक के अनुसार, उस हद तक की जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं और जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, दोनों के लिए लागू होते हैं. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा करते हुए इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रक, सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियां अपनाई गईं जिससे इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखा परीक्षा के जरिए सबूत प्राप्त किया जा सके. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखा परीक्षा में शामिल था, इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना, ख़ास कमजोरी में निहित जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना. चुनी गई कार्यविधियां, चाहे धोखाधडी के कारण हों या गलती के कारण, समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं.

हम मानते हैं कि हमने, भारत में निगमित कंपनियां होने के नाते कंपनी और उसकी सहायक कंपनी एवं उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, अन्य मामलों के संबंध में नीचे उल्लिखित परिच्छेद में निर्दिष्ट उनकी रिपोर्टों के अनुसार हमें मिले और अन्य लेखा परीक्षकों से मिले लेखा परीक्षा संबंधी सबूत, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार है.

इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का अर्थ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन दिलाने और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की दृष्टि से बनाया गया है. इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो

1) ऐसे रेकॉर्ड रखने से संबंधित है जो उचित ब्यौरे के साथ कंपनी के लेन-देनों और आस्तियों के निपटान का सही एवं निष्पक्ष चित्रण पेश कर सके.

2) ऐसा उचित आश्वासन दिलाए कि लेन-देनों के यथा आवश्यक रेकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, प्रबंधन एवं कंपनी निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जाते हैं; और

3) कंपनी की उन आस्तियों के, अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका वक्त पर पता लगाने के बारे में, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़े, उचित आश्वासन दिलाए.

इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों में अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे अनुचित सांठगांठ अथवा प्रबंधन, ऐसी गलती अथवा धोखाधड़ी के कारण, जिसका पता न लगाया जाए, महत्वपूर्ण गलत बयान की संभावना सहित इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण. साथ ही, भावी अवधियों से संबंधित इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा अथवा कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

अन्य मामले

हमने, सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा नहीं की. आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, अन्य लेखा परीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट, प्रबंधन ने हमें दी है और जहां तक सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के बारे में सम्मिलित जानकारी का संबंध है, इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर समेकित रिपोर्ट और उक्त सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के बारे में अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के खंड 1 के अनुसार हमारी रिपोर्ट पर हमारी राय, सिर्फ़ अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर आधारित है.

राय

हमारी राय में, हमें मिली जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत में निगमित कंपनियां होने के नाते नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई हैं और इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च, 2020 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा बनाए गए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रक के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी	**कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095	फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-	हस्ता/-
सी.ए. कृष्णमूर्ती एम	**सी.ए. मुरली मोहन भट्ट**
साझेदार	**साझेदार**
सदस्यता सं. 083875	**सदस्यता सं. 203592**
UDIN: 20083875AAAAAQ3955	**UDIN: 20203592AAAACA4363**
स्थान: बेंगलूरु	स्थान : मंगलूरु
दिनांक: 9 जून, 2020	दिनांक: 9 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला समेकित विवरण

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	17,526.64
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**17,526.64**

आ. अन्य इक्विटी

विवरण	मानी गई इक्विटी	आरक्षित निधि और अधिशेष							मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण	गैर-नियंत्रक हित	कुल
		सामान्य आरक्षित निधि	पूँजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन	यौगिक वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक			
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**38.40**	**1,192.00**	**91.86**	**3,467.98**	**-**	**0.07**	**80,017.17**	**-**	**84,807.48**	**1,539.80**	**86,347.28**
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	-	-	3,400.43	-	3,400.43	112.18	3,512.61
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	(52.64)	-	(52.64)	(6.91)	(59.55)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,347.79**	**-**	**3,347.79**	**105.27**	**3,453.06**
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(अंतरण)	-	-	-	1.53)	-	-	-	-	(1.53)	1,468.47	1,466.94
पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	-	-	228.94	-	116.76)	-	112.18	(112.18)	-
मानी गई इक्विटी में समायोजन	3.77	-	-	-	-	-	-	-	3.77	-	3.77
अंतिम लाभांश के प्रति विनियोजन	-	-	-	-	-	-	5,257.80)	-	5,257.80)	-	5,257.80)
अंतिम लाभांश वितरण कर के प्रति विनियोजन	-	-	-	-	-	-	1,080.76)	-	1,080.76)	-	1,080.76)
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**42.17**	**1,192.00**	**91.86**	**3,466.45**	**228.94**	**0.07**	**76,909.64**	**-**	**81,931.13**	**3,001.36**	**84,932.49**
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	-	-	(33,529.18)	-	(33,529.18)	6,862.11)	(40,391.29)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	(87.33)	-	(87.33)	(1.34)	(88.67)

कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	**(33,616.51)**	-	**(33,616.51)**	**(6,863.45)**	**(40,479.96)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(अंतरण)	-	-	-	(2.55)	-	-			(2.55)	2,447.46	2,444.91
पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	-	-	(228.94)	-	116.76	-	(112.18)	112.18	-
यौगिक वित्तीय लिखत का निर्गमन इक्विटी पर आस्थगित कर का प्रभाव	- -	- -	-	-	-	-	-	3,947.74	3,947.74	3,792.93	7,740.67
यौगिक वित्तीय लिखत का घटक	-	-	-	-	-	-	-	785.69	785.69	-	785.69
अंतिम लाभांश के प्रति विनियोजन	-	-	-	-	-	-	(1,752.60)	-	(1,752.60)	-	(1,752.60)
अंतिम लाभांश वितरण कर के प्रति विनियोजन	-	-	-	-	-	-	(360.25)	-	(360.25)	-	(360.25)
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**42.17**	**1,192.00**	**91.86**	**3,463.90**	-	**0.07**	**41,297.04**	**4,733.43**	**50,820.47**	**2,490.48**	**53,310.95**

संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN : 07025342

हस्ता/
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09/06/2020

फार्म AOC-1

सहायक/सहबद्ध/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के वैशिष्ट्य दर्शाने वाला 31.03.2020 तक का विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक का अनुसरण करते हुए) सहायक/सहबद्ध/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के वैशिष्ट्य दर्शाने वाला विवरण

भाग " अ ": सहायक कंपनी

(₹ दशलक्ष में)

					यथा 31/03/2020					वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020) के लिए						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम (भारतीय कंपनी)	सहायक कंपनी का कब अधिग्रहण किया गया	सहायक कंपनी की रिपोर्ट अवधि	किस मुद्रा और विनिमय दर में दर्शाया जाता है	शेयर पूंजी	आरक्षित निधि और अधिशेष	कुल आस्तियां	कुल देयताएं	निवेश के ब्यौरे *	कुल कारोबार	कराधान से पहले लाभ/(हानि)	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद लाभ/(हानि)	कुल व्यापक आय	प्रस्तावित लाभांश	शेयर धारण का %
1	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	28 फरवरी, 2015	01/04/2019 से 31/03/2020	भारतीय रुपए	25,442.91	(19,596.89)	72,667.14	66,821.12	4.80	48,611.69	(15,119.21)	(1,114.89)	(14,004.32)	(14,007.05)	-	51.00%

* .* मंगलूर एस्सईज़ड् लि. के प्रत्येक ₹10 के 480,000 इक्विटी शेयर.

1. उस सहायक कंपनी का नाम जिसने अब तक प्रचालन शुरु नहीं किया है: कुछ नहीं
2. उस सहायक कंपनी का नाम जिसका वर्ष 2019-20 के दौरान परिसमापन हुआ: कुछ नहीं

भाग " आ " संयुक्त उद्यम
सहबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए विवरण

संयुक्त उद्यम का नाम	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड
1. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31 मार्च, 2020
2. संयुक्त उद्यम का अधिग्रहण कब किया गया	11 मार्च, 2008
3. वर्षांत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर	
i. संख्या (दशलक्ष में)	15
ii. संयुक्त उद्यम में निवेश की रकम (₹ दशलक्ष में)	150.00
iii. धारण की मात्रा (प्रतिशत में)	50%
4. उल्लेखनीय प्रभाव किस तरह से पड़ा है	धारण का प्रतिशत
5. संयुक्त उद्यम का समेकन क्यों नहीं हुआ है	
6. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धारण में निवल मालियत का अंश	286.79
7. वर्ष का लाभ अथवा हानि	
i. **क्या समेकन करते समय विचार किया गया**	7.38
ii. **क्या समेकन करते समय विचार नहीं किया गया**	-

1. उन संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अब तक प्रचालन शुरु नहीं किया गया है: कुछ नहीं

2. उन संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष 2019-20 के दौरान परिसमापन हुआ या जिनको बेचा गया: कुछ नहीं

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN : 07025342

हस्ता/
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09/06/2020

अनुसूची-III 31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त प्रकटन

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

प्रतिष्ठान का नाम	निगमन देश	निवल आस्ति (अर्थात् कुल आस्ति घटाएं कुल देयताएं)		लाभ अथवा हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
		समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	रकम	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	रकम	समेकित अन्य आय के % के रूप में	रकम	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मूल कंपनी									
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारत	91.34%	64,704.78	65.35%	(26,394.57)	96.67%	(85.72)	65.41%	(26,480.29)
सहायक कंपनी									
भारतीय									
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. (OMPL)	भारत	4.74%	3,355.54	17.68%	(7,142.21)	1.57%	(1.39)	17.65%	(7,143.60)
सहायक कंपनी में गैर-नियंत्रक हित		3.52%	2,490.48	16.99%	(6,862.11)	1.51%	(1.34)	16.96%	(6,863.45)
संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठान									
भारतीय									
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्वीसस् लिमिटेड	भारत	0.40%	286.79	(0.02%)	7.60	0.25%	(0.22)	(0.02%)	7.38
निवल		**100.00%**	**70,837.59**	**100.00%**	**(40,391.29)**	**100.00%**	**(88.67)**	**100.00%**	**(40,479.96)**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN : 07025342

हस्ता/
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09/06/2020

31 मार्च, 2020 तक का समेकित तुलन पत्र

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
	आस्तियां			
I	गैर-चालू आस्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	192,416.93	196,114.25
	(ख) आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार	6	7,948.52	-
	(ग) प्रगति में पूंजीगत कार्य	7	17,459.49	9,952.66
	(घ) निवेश संपत्ति	8	77.96	77.96
	(ङ) सुनाम (समेकन पर सुनाम सहित)	9	3,772.78	3,772.78
	(च) अन्य अगोचर आस्तियां	10	97.93	58.77
	(छ) वित्तीय आस्तियां			
	(i) निवेश	11	292.95	287.58
	(ii) ऋण	12	1,151.03	946.47
	(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	13	198.57	135.04
	(ज) गैर-चालू कर आस्तियां (निवल)	14	1,636.54	2,306.51
	(झ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	25	13,014.62	-
	(ञ) अन्य गैर-चालू आस्तियां (निवल)	15	8,721.26	14,780.67
	कुल गैर चालू आस्तियां (I)		**246,788.58**	**228,432.69**
II	चालू आस्तियां			
	(क) स्टॉक	16	42,322.21	63,086.77
	(ख) वित्तीय आस्तियां			
	(i) प्राप्य व्यापार राशियां	17	10,171.72	23,739.22
	(ii) नकद और नकदी समतुल्य	18	18.00	46.73
	(iii) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	19	262.15	4,849.44
	(iv) ऋण	12	133.19	115.23
	(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	13	6.56	6.49
	(ग) चालू कर आस्तियां (निवल)	14	1,983.14	1,524.30
	(घ) अन्य चालू आस्तियां	15	4,733.49	5,861.69
	कुल चालू आस्तियां		**59,630.46**	**99,229.87**
	कुल आस्तियां (I+II)		**306,419.04**	**327,662.56**
	इक्विटी और देयताएं			
I	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	20	17,526.64	17,526.64
	(ख) अन्य इक्विटी	21	50,820.47	81,931.13
	(ग) गैर-नियंत्रक हित		2,490.48	3,001.36
	कुल इक्विटी (I)		**70,837.59**	**102,459.13**
	देयताएं			
II	गैर-चालू देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधार	22	1,23,777.55	39,357.52
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	2,130.68	-
	(ख) प्रावधान	24	1,118.80	805.96
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	25	-	2,501.33
	(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	27	3,596.15	3,482.11
	कुल गैर-चालू देयताएं (II)		**1,30,623.18**	**46,146.92**
III	चालू देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधार	22	35,943.84	83,026.07
	(ii) देय व्यापार राशियां	26		
	- सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों की कुल बकाया देयताएं		368.83	230.30
	- सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		32,396.50	46,702.03
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	25,637.43	42,005.63
	(ख) अन्य चालू देयताएं	27	8,790.50	2,503.16
	(ग) प्रावधान	24	1,821.17	4,589.32
	कुल चालू देयताएं (III)		**104,958.27**	**179,056.51**
IV	**कुल देयताएं (II+III)**		**235,581.45**	**225,203.43**
	कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)		**306,419.04**	**327,662.56**

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-56)

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09/06/2020

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN : 07025342

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि का समेकित लाभ-हानि विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
I.	परिचालन से राजस्व अन्य आय	28	599,800.04	736,990.59
II.	अन्य आय	29	820.11	1,540.52
III.	**कुल आय (I + II)**		**600,620.15**	**738,531.11**
IV.	खर्च:			
	खपाई गई सामग्री की लागत	30	461,666.18	585,697.71
	व्यापार में स्टॉक की खरीदारी	31	33,520.79	5,260.88
	तैयार माल और प्रक्रिया में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	32	12,596.25	(4,173.32)
	वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		97,496.06	1,02,529.74
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	33	5,004.30	4,808.10
	वित्त लागत	34	12,411.48	10,587.27
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	35	10,857.91	10,475.24
	अन्य खर्च	36	21,062.80	16,686.49
	कुल खर्च (IV)		**654,615.77**	**731,872.11**
V.	**अपवादात्मक मदों और कर से पूर्व लाभ/ (हानि) (III-IV)**		**(53,995.62)**	**6,659.00**
VI.	अपवादात्मक मदें (आय)/खर्च (निवल)	37	-	147.94
VII.	**संयुक्त उद्यम के लाभ का अंश**		**11.58**	**2.56**
VIII.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V- VI+VII)**		**(53,984.04)**	**6,513.62**
IX.	कर संबंधी खर्च:			
	- वर्तमान कर	38		
	- चालू वर्ष		-	1,221.58
	- पूर्व वर्ष		1,037.36	133.75
	(2) आस्थगित कर	25	(14,630.11)	1,645.68
	कर संबंधी कुल खर्च (IX)		**(13,592.75)**	**3,001.01**
X.	**वर्ष का लाभ/(हानि) (VIII-IX)**		**(40,391.29)**	**3,512.61**
XI.	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा:			
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन		(135.77)	(91.77)
	(ii) उक्त से संबंधित आय कर	38	47.47	32.06
	ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा:			
	(i) नकदी प्रभाव बचाव में बचाव लिखतों पर प्राप्त अभिलाभ (हानियों) का प्रभावी अंश		(0.50)	0.24
	(ii) उक्त से संबंधित आय कर	38	0.13	(0.08)
	कुल अन्य व्यापक आय (XI)		**(88.67)**	**(59.55)**
XII.	**वर्ष की कुल व्यापक आय (X+XI)**		**(40,479.96)**	**3,453.06**
XIII.	**इनके कारण वर्ष का लाभ / (हानि)**			
	कंपनी के मालिक		(33,529.18)	3,400.43
	गैर-नियंत्रक हित		(6,862.11)	112.18
XIV.	**इनके कारण वर्ष की अन्य व्यापक आय**			
	कंपनी के मालिक		(87.33)	(52.64)
	गैर-नियंत्रक हित		(1.34)	(6.91)
XV.	**इनके कारण वर्ष की कुल व्यापक आय**			
	कंपनी के मालिक		(33,616.51)	3,347.79
	गैर-नियंत्रक हित		(6,863.45)	105.27
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन: 39			
	(1) मूल (₹ में)		(19.13)	1.94
	(2) आंशिक (₹ में)		(19.13)	1.94

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-56)
हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:
09/06/2020

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN : 07025342

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
अ	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	कर उपरांत लाभ/(हानि)		**(40,391.29)**	**3,512.61**
	इनके लिए समायोजन:			
	कर संबंधी खर्च		(13,592.75)	3,001.01
	संयुक्त उद्यम का लाभांश		(5.58)	18.44
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		10,857.91	10,475.24
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण(निवल) की बिक्री से हानि/(लाभ)		127.92	80.10
	प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता		(127.54)	(129.90)
	संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियों/बेकार पड़े स्टॉक में क्षति		168.31	73.67
	विनिमय दर में घट-बढ़ (निवल)		8,287.25	388.64
	वित्त लागत		12,411.48	10,587.27
	ब्याज आय		(275.82)	(1,037.19)
	लाभांश आय		(20.03)	(111.53)
	पूर्व भुगतान का परिशोधन		6.68	11.26
	आस्थगित सरकारी अनुदान का परिशोधन		(187.94)	(178.24)
	अन्य		(82.57)	17.62
			(22,823.97)	**26,709.00**
	कार्यकारी पूंजीगत में चलन :			
	- प्राप्य व्यापार और अन्य राशियों में (वृद्धि)/अवनति		13,383.98	2,018.42
	- ऋणों में (वृद्धि)/अवनति		(220.41)	(347.29)
	- अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/अवनति		5,519.92	(1,825.29)
	स्टॉक में (वृद्धि)/अवनति		20,752.61	(10,703.13)
	प्राप्य व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(अवनति)		(12,089.61)	1,586.21
	प्रचालन से उत्पन्न नकद		**4,522.52**	**17,437.92**
	प्रदत्त आय कर, निवल धन वापसी		252.82	(1,034.29)
	प्रचालन से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	**(क)**	**4,775.34**	**16,403.63**
आ	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रति भुगतान		(14,938.22)	(11,927.17)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्तियां		5.74	13.89
	प्राप्त ब्याज		442.70	1,063.25
	संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		6.00	21.00
	म्यूचुअल फंड में निवेश से प्राप्त लाभांश		14.03	90.53
	ब्याज आय पर प्रदत्त कर		(16.79)	(62.64)
	वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	**(ख)**	**(14,486.54)**	**(10,801.14)**
इ	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	शेयर पूंजी के निर्गमन से प्राप्तियां		2,444.91	1,466.95
	यौगिक वित्तीय लिखत के इक्विटी घटक से प्राप्तियां		8,526.36	-
	दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां/चुकौती		61,372.39	(14,354.07)
	अल्पावधि उधार से प्राप्तियां/(चुकौती)		(48,011.78)	20,134.96
	पट्टा संबंधी देयताओं का भुगतान		(277.69)	-
	प्रदत्त वित्त लागत		(12,258.87)	(10,868.73)
	इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश और लाभांश वितरण कर		(2,112.85)	(6,338.56)
	वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न /(इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	**(ग)**	**9,682.47**	**(9,959.45)**
	नकद और नकदी समतुल्य से में निवल वृद्धि/(अवनति)	**(क+ख+ग)**	**(28.73)**	**(4,356.96)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**46.73**	**4,403.69**
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**18.00**	**46.73**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (अंतिम - प्रारंभिक)		**(28.73)**	**(4,356.96)**

1 उक्त नकदी प्रवाह विवरण, Ind AS 7 " नकदी प्रवाह विवरण " में यथा निर्दिष्ट " परोक्ष पद्धति " के अधीन तैयार किया गया है.

2 कोष्ठकों में नकदी बहिर्वाह/कटौती दर्शाया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-56)

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

कृते एस. वेंकटराम एण्ड कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004656S/S200095

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN : 07025342

हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09/06/2020

हस्ता/-
सीए. कृष्णमूर्ती एम
साझेदार
सदस्यता सं. 083875

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

1. कंपनी के बारे में जानकारी

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ('MRPL' अथवा 'the Company') एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है जो भारत में स्थित और निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला, मंगलूर, कर्नाटक - 575030 में है. कंपनी के इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जैसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं और शेयरों का इन शेयर बाजारों में व्यापार होता है. कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसके पास 71.63% इक्विटी शेयर हैं.

कंपनी और उसकी सहायक कंपनी (जिसे संयुक्त रूप से "the Group" कहा गया है) और संयुक्त उद्यम, प्रमुख रूप से क्रूड तेल का परिष्करण करने का कारोबार, पेट्रोकेमिकल कारोबार, विमानन ईंधनों का व्यापार और रीटेल केंद्रों और परिवहन टर्मिनल के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण करते हैं.

2. नए और संशोधित भारतीय लेखा मानक का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत करने तक, ये समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानकों पर विचार किया गया है.

रिपोर्ट करने की तारीख को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने कोई नया भारतीय लेखा मानक (Ind AS) जारी नहीं किया था जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू हो.

3. उल्लेखनीय समूह की लेखा नीतियां

3.1. अनुपालन का बयान

" ये समेकित वित्तीय विवरण, समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन यथा निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (जिसे "Ind AS" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अनुसार तैयार किए गए हैं. "

3.2. तैयार करने का आधार

जैसे कि नीचे दी गईं लेखा संबंधी नीतियों में स्पष्ट किया गया है, समेकित वित्तीय विवरण, उन वित्तीय विवरणों को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में उचित मूल्य/परिशोधित लागत/निवल वर्तमान मूल्य पर मापे जाते हैं, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं.

ऐतिहासिक लागत, आम तौर पर, वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है.

तमाम आस्तियों और देयताओं का, समूह के सामान्य प्रचालन चक्र के अनुसार और Ind AS–1 '' वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट अन्य मापदंडों के आधार पर चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकरण किया गया है

समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों में दर्शाए गए हैं और सारे मूल्यों को, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम दो दशमलव दशलक्ष में पूर्णांकित किया गया है.

उचित मूल्य मापना.

उचित मूल्य, ऐसी कीमत होती है कि जो आस्ति बेचने पर प्राप्त होगी अथवा जिसे चालू बाजार स्थितियों में मापन दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन करते समय देयता का अंतरण करने के लिए अदा किया जाएगा.

समूह, मापन करते समय नियोजित निविष्टियों पर नज़र रखने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गईं आस्तियों और देयताओं का तीन स्तरों में वर्गीकरण करता है जिनका वर्णन यहां नीचे किया गया है:

(क) स्तर 1 की निविष्टियां, एक ही तरह की आस्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में कोट की गईं कीमतों (असमायोजित) के समान होती हैं.

(ख) स्तर 2 की निविष्टियां, आस्ति अथवा देयता के लिए स्तर 1 के अंदर समाविष्ट कोट की गईं कीमतों से भिन्न होती हैं जिन पर, यातो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नज़र रखना सुसाध्य होगा.

(ग) स्तर 3 की निविष्टियां, नज़र रखने लायक संबंधित बाजार के आंकड़ों अथवा बाजार के सहभागियों द्वारा कीमत निर्धारण के बारे में समूह की पूर्व धारणाओं में उल्लेखनीय आशोधन परिलक्षित करने वाली आस्ति या देयता से संबंधित नजर न रखने लायक निविष्टियां होती हैं.

3.3. समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों (जिसे संयुक्त रूप से '' समूह '' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के वित्तीय विवरण समाविष्ट किए जाते हैं. कंपनी ने संयुक्त उद्यमों में निवेश किया है जिनको इन समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखाबद्ध किया जाता है. समेकित वित्तीय विवरणों में, संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा संबंधी नीति के बारे में जानने के लिए देखें टिप्पणी 3.6.

सहायक कंपनियां, ऐसी कंपनियां होती हैं जो कंपनी द्वारा नियंत्रित की जाती हैं. कंपनी, प्रतिष्ठान को तब नियंत्रित करती है जब उसका एक्सपोशर बढ़ जाए अथवा प्रतिष्ठान के साथ उसकी भागीदारी से विभिन्न प्रतिफल पर उसका अधिकार हो और प्रतिष्ठान की संबंधित गतिविधियों को दिशा देने के उसके अधिकार के जरिए उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो. सहायक कंपनियों का उनकी अधिग्रहण तारीख से समेकन किया जाता है जब कि यह वह तारीख होती है जब कंपनी, अपना नियंत्रण प्राप्त करे और ऐसा नियंत्रण समाप्त होने तक समेकित बने रहे.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय एक समान लेन-देनों और इसी प्रकार की परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखा नीतियां निरंतर रूप से अपनाई गई हैं और ये विवरण, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, जहां तक हो सके, उसी तरीके से पेश की गई हैं जैसे कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरण बनाए गए हैं. जब कभी ज़रूरत लगी, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया गया है जिससे कि उल्लेखनीय लेखा नीतियों को समूह की लेखा नीतियों के अनुरूप ढाला जा सके.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का, पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर, अंतरा-समूह आस्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय, खर्च अंतरा-समूह लेन-देन से संबंधित नकदी प्रवाह और अप्राप्त लाभ को पूरी तरह से हटाने के बाद आस्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय, खर्च और नकदी प्रवाह जैसी मदों की रखाव रकम को एक साथ जोड़ते हुए संयोजन किया गया है. जब तक लेन-देन में हस्तांतरित आस्ति की हानि का सबूत न मिले, न उठाई गई हानि को भी हटाया जाता है. इस तरह से हासिल न किए गए लाभ/उठाई गई हानियां, पूरी तरह से कंपनी के कारण संभव हुई हैं.

लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय के प्रत्येक घटक, कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रक हितों के कारण होते हैं. कुल व्यापक आय, कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रक हितों के कारण उत्पन्न होती है भले ही इससे गैर-नियंत्रक हितों में घाटा उठाना पड़े.
सहायक कंपनियों में समूह के स्वत्व हितों में उन परिवर्तनों को जिससे समूह का सहायक कंपनियों पर नियंत्रण खो न जाए, इक्विटी लेन-देन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

समूह के हितों और गैर-नियंत्रक हितों की रखाव रकम का समायोजन किया जाता है जिससे कि सहायक कंपनियों में उनके संबंधित हितों में परिवर्तन परिलक्षित हो सके. समायोजित गैर-नियंत्रक हितों और प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य के बीच कोई ऐसा अंतर जो इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से नज़र आए और जो कंपनी के मालिकों के कारण उत्पन्न हुआ हो.

जब समूह, सहायक कंपनी पर अपना नियंत्रण खो दे तब लाभ अथवा हानि में अभिलाभ अथवा हानि नज़र आती है जिसका परिकलन इनके बीच अंतर के रूप में किया जाता है (i) प्राप्त प्रतिफल का कुल उचित मूल्य और किसी प्रतिधारित हित का उचित मूल्य तथा (ii) आस्तियों (सुनाम सहित) पिछली रखाव रकम और सहायक कंपनी की देयताएं और कोई गैर-नियंत्रक हित. उस सहायक कंपनी के संबंध में अन्य व्यापक आय में नज़र आई समग्र रकम को इस तरह से लेखाबद्ध किया जाता है मानो समूह ने सहायक कंपनी की संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं को प्रत्यक्ष रूप से निपटाया था (अर्थात्. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया था अथवा लागू Ind AS में यथा निर्दिष्ट/अनुमत किसी दूसरी श्रेणी के इक्विटी में हस्तांतरित किया था). जिस दिन नियंत्रण खो गया हो उस दिन, पूर्व सहायक कंपनी में प्रतिधारित किसी निवेश को उचित मूल्य, Ind AS 109 के तहत बाद में लेखाबद्ध करने के लिए प्रारंभ में स्वीकार किए गए उचित मूल्य के रूप में सहबद्ध अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने पर लगी लागत के रूप में माना जाता है.

3.4. व्यावसायिक संयोजन

लेखाकरण की अभिग्रहण पद्धति का उपयोग, समूह द्वारा व्यावसायिक संयोजन को लेखाबद्ध करते समय किया जाता है. इस पद्धति में, अधिग्रहण करने वाले की पहचानने लायक आस्तियों, देयताओं और आकस्मिक देयताओं को, जो स्वीकार करने की शर्तें पूरी करें, अभिग्रहण दिनांक को उनके उचित मूल्यों पर स्वीकार किया जाता है. गैर-नियंत्रक हित का, जिस कंपनी का अभिग्रहण किया गया हो उस कंपनी की पहचानने लायक निवल आस्तियों की स्वीकार की गई रकम के उचित हिस्से पर मापन किया जाता है.

सुनाम का मापन, हस्तांतरित प्रतिफल की अतिशय रकम, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में गैर-नियंत्रक हित की रकम और जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो (अगर कोई हो तो) उसमें इससे पहले अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा धारित इक्विटी के, अधिग्रहीत पहचाने लायक आस्तियों और कल्पित देयताओं की अधिग्रहण तारीख को निवल रकम के रूप में किया जाता है.

अंतरित प्रतिफल की रकम की तुलना में पहचानने लायक आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य में समूह के अंश से अधिक रकम, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में गैर-नियंत्रक हित की कोई रकम और जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो (अगर कोई हो तो) उसमें इससे पहले अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा धारित इक्विटी के उचित मूल्य, निवेश लागत को पुनर्निर्धारण के बाद जिस अवधि में निवेश किया गया हो उस अवधि में पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है. व्यावसायिक संयोजन के संबंध में उठाई गई लेन-देन लागत को समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

जब व्यावसायिक संयोजन, चरणों में हासिल हो तब, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में समूह के पूर्व में धारित इक्विटी हित का, अधिग्रहण दिनांक को उपलब्ध उचित मूल्य में पुन: मापा जाता है और अगर कोई परिणामी अभिलाभ अथवा हानि हो तो उसे लाभ-हानि में दर्शाया जाता है. अधिग्रहण दिनांक से पहले, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में हितों से उत्पन्न उस रकम का, जिसे अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया हो, लाभ-हानि में उस स्थिति में पुन:वर्गीकरण किया जाता है जब ऐसे हित को निपटाए जाने पर ऐसा करना उचित होता.

3.5 गैर-नियंत्रक हित

गैर-नियंत्रक हित, इस समय ऐसे स्वत्व हित माने जाते हैं जिसकी बदौलत उसके धारकों को परिसमापन होने की दशा में समूह की निवल आस्तियों का यथानुपात हिस्सा मिले. गैर-नियंत्रक हित का, प्रारंभ में, जिस कंपनी का अभिग्रहण किया गया हो उस कंपनी की पहचानने लायक निवल आस्तियों की स्वीकार की गई रकम के गैर-नियंत्रक हितों के यथानुपात हिस्से पर मापन किया जाता है. अधिग्रहण करने के बाद, गैर-नियंत्रक हितों की रखाव रकम, इक्विटी में बाद में होने वाले परिवर्तन के गैर-नियंत्रक हिस्से के साथ-साथ स्वीकार की गई हितबद्ध रकम के बराबर होती है.

3.6. संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यम, एक संयुक्त व्यवस्था के बराबर होती है जिसमें व्यवस्था पर पक्षकारों का, संयुक्त व्यवस्था की निवल आस्तियों पर अधिकार होता है. संयुक्त नियंत्रण का मतलब है, संविदात्मक रूप से सम्मत व्यवस्था के नियंत्रण का सहभाजन जो तभी उत्पन्न होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में फ़ैसलों के लिए नियंत्रक का सहभाजन करने वाले पक्षकारों की सर्वसम्मति की ज़रूरत पड़ती है.

इक्विटी लेखा पद्धति का उपयोग करते हुए समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यमों के परिणाम एवं आस्तियों और देयताएं समाविष्ट की जाती हैं. इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारंभ में समेकित तुलन-पत्र में लागत पर दर्शाया जाता है और बाद में उसका समायोजन करते हुए समूह के लाभ अथवा हानि तथा संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय के हिस्से में दर्शाया जाता है. संयुक्त उद्यम से प्राप्त संवितरण से निवेश की रखाव रकम घट जाती है. जब समूह के, संयुक्त उद्यम की हानि का हिस्सा, समूह के संयुक्त उद्यम में हित से अधिक हो तब समूह, अधिक हानि के अपने हिस्से को दर्शाना बंद कर देता है. अतिरिक्त हानि को उसी हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक समूह ने कानूनी अथवा संरचनात्मक बाध्यताएं पूरी की हो अथवा संयुक्त उद्यम की तरफ से भुगतान किया हो.

अगर संयुक्त उद्यम, एक ही प्रकार के लेन-देनों और एक समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए समूह की लेखा नीतियों से भिन्न लेखा नीतियां अपनाए तो समायोजन करते हुए संयुक्त उद्यम की लेखा नीतियों को इक्विटी पद्धति लागू करने से पहले मौजूद समूह की नीतियों के अनुरूप बनाया जाता है.

संयुक्त उद्यम में निवेश को लेखाबद्ध करते समय जिस तारीख से निवेशिती, संयुक्त उद्यम बने उस तारीख से इक्विटी पद्धति का प्रयोग किया जाता है. संयुक्त उद्यम में निवेश का अधिग्रहण करने पर, समूह के, निवेशिती की पहचाने लायक आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य से अधिक निवेश लागत को सुनाम के रूप में दर्शाया जाता है जिसे निवेश की रखाव रकम के अंदर शामिल किया जाता है. समूह के निवेश की लागत से अधिक पहचानने लायक आस्तियों और देयताओं के हिस्से को पुनर्निर्धारण करने के बाद, जिस अवधि में निवेश का अधिग्रहण किया गया हो उस अवधि में पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया जाता है.

इक्विटी लेखा पद्धति लागू करने के बाद, समूह यह तय करेगा कि क्या, संयुक्त उद्यम में निवल निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने के बाद हुई एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है और यह कि कोई ऐसी घटना है (घटनाएं हैं) जिसका भरोसेमंद तरीके से आकलन करने लायक निवल निवेश से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर असर पड़े. अगर हानि का ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ सबूत हो तो समूह, संयुक्त उद्यम में अपने निवेश के संबंध में हानि के रूप में हुए नुकसान को स्वीकार करता है. जब ज़रूरत पड़े तब निवेश लागत का, Ind AS 36 ' आस्तियों में ह्रास '' के अनुसार एक ही आस्ति के रूप में, उसके वसूल करने लायक रकम का (प्रयोग में उच्चतर मूल्य और उचित मूल्य घटाएं निपटान लागत) उसकी रखाव रकम के साथ तुलना करते हुए हानि को लेकर परीक्षण किया जाता है. हानि के रूप में हुए नुकसान का कोई प्रत्यावर्तन हो तो उसे Ind AS 36 के अनुसार उस हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक निवेश की वसूल करने लायक रकम में बाद बढ़त हो.

समूह, इक्विटी पद्धति का प्रयोग करना तब बंद करेगा जब निवेश, संयुक्त उद्यम के रूप में न रह जाए अथवा जब निवेश का, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण किया जाए. जब समूह, पूर्व संयुक्त उद्यम में अपना हित बरकरार रखे और ऐसा प्रतिधारित हित, वित्तीय आस्ति में हो तब समूह, प्रतिधारित हित का उचित मूल्य का मापन, उस दिनांक को करती है और उचित मूल्य

को, Ind AS 109 ' वित्तीय लिखत ' के अनुसार प्रारंभिक स्वीकृति पर उसके उचित मूल्य पर माना जाता है. जिस तारीख को इक्विटी पद्धति बंद की गई उस तारीख को संयुक्त उद्यम की रखाव रकम और प्रतिधारित हित के उचित मूल्य एवं संयुक्त उद्यम में आंशिक हित का निपटान करने पर प्राप्त प्राप्तियों के बीच अंतर को, संयुक्त उद्यम का निपटान करने पर अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाता है. इसके अलावा, समूह, उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में इससे पहले स्वीकार की गईं समग्र रकम को उसी आधार पर लेखाबद्ध करता है जैसे संयुक्त उद्यम को अपनी संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का सीधी तरह से निपटाने करने पर करना पड़े. इसलिए अगर उस संयुक्त उद्यम को इससे पहले अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए अभिलाभ अथवा हानि का, संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का निपटाने करने पर लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकरण करना पड़े तो समूह, इक्विटी पद्धति बंद करने पर अभिलाभ अथवा हानि का, इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण करता है(पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में).

जब संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश, सहबद्ध कंपनी में किए गए निवेश की तरह हो, तब समूह, इक्विटी पद्धति अपनाना जारी रखता है. स्वत्व हितों में इस तरह का परिवर्तन होने पर उचित मूल्य का पुन: मापन नहीं किया जाता है.

जब समूह, संयुक्त उद्यम में अपना स्वत्व हित घटाए परंतु इक्विटी पद्धति लागू करना जारी रखे तब समूह, स्वत्व हित कम होने पर अन्य व्यापक आय में इससे पहले दर्शाए गए अभिलाभ अथवा हानि के अंश तक लाभ अथवा हानि का पुनर्वर्गीकरण करता है भले ही संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का निपटान करने पर अभिलाभ अथवा हानि का लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जाए.

जब समूह प्रतिष्ठान, समूह के संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन करे, तब संयुक्त उद्यम के साथ किए गए लेन-देनों से उत्पन्न लाभ और हानि को समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में उसी हद तक दर्शाया जाता है जिस हद तक समूह से जुडे न रहे संयुक्त उद्यम में हित हों.

3.7. समेकन पर सुनाम सहित सुनाम

व्यवसाय का अधिग्रहण करने पर उत्पन्न सुनाम, व्यावसायिक अधिग्रहण दिनांक को संचित हानि के कारण उत्पन्न नुकसान हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर स्थापित किया जाता है.

ह्रास संबंधी परीक्षण के प्रयोजन से, सुनाम, समूह की नकद उत्पन्न करने वाली उन यूनिटों (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिटों) को आबंटित किया जाता है जिनसे संयोजन की सहक्रिया से फायदा हासिल करने की उम्मीद हो.

नकद उत्पन्न करने वाली उस यूनिट का, जिसे सुनाम आबंटित किया गया हो, वर्ष में एक बार अथवा अकसर क्षति की निगाहों से परीक्षण तब किया जाता है जब यह संकेत मिले कि यूनिट द्वारा हानि उठाने की संभावना है. अगर नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूल करने लायक रकम, रखाव रकम से कम हो तो सबसे पहले ह्रासित हानि को आबंटित किया जाता है जिससे कि इकाई को आबंटित सुनाम की रखाव रकम को कम किया जा सके और तदनंतर इकाई में प्रत्येक आस्ति की रखाव रकम के आधार पर यथानुपात इकाई की अन्य आस्तियों में आबंटन किया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि को सीधे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि का, बाद में किसी अवधि में प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता है.

संबंधित नकद उत्पन्न करने वाली इकाई को निपटाने के बाद सुनाम के कारण उत्पन्न रकम को लाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाएगा.

3.8. बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों को बेचते समय, लागत घटाने के बाद कमतर रखाव रकम पर और उचित मूल्य पर मापा जाता है.

गैर-चालू आस्तियों का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब लगातार उपयोग करने के बजाय बिक्री संबंधी लेन-देन के जरिए उनकी रखाव रकम वसूल करनी पड़े. इस शर्त की पूर्ति तभी मानी जाएगी जब बिक्री होने की अधिक संभावना हो और आस्ति, उसकी वर्तमान दशा में फौरन बेचने के लिए उपलब्ध हो जब कि इन आस्तियों की बिक्री के लिए मामूली और प्रथागत नियम लागू होंगे.

प्रबंधन को उस बिक्री के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए जिसे बिक्री के धारित के रूप में वर्गीकरण किए गए दिनांक से एक वर्ष के अंदर पूरी की गई बिक्री के रूप में दर्शाने के लिए अर्हता प्राप्त होने की संभावना हो और बिक्री योजना पूरी करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई में यह संकेत देना चाहिए कि ऐसी संभावना नहीं है कि योजना में उल्लेखनीय परिवर्तन किए जाएंगे अथवा यह कि योजना वापस ली जाएगी.

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करते ही संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा.

3.9. राजस्व को पहचानना

3.9.1. वस्तुओं और सेवाओं से राजस्व को, निष्पादन संबंधी एक ही दायित्व निभाने पर पहचाना जाता है जो नियंत्रण को ग्राहक के हवाले करने पर होता है. वस्तुओं का नियंत्रण, ग्राहक के हवाले किया गया तब माना जाएगा जब वस्तुओं का स्वत्व ग्राहक के नाम हो, जो आम तौर पर उत्पाद का भौतिक रूप से किसी पात्र, पाइपलाइन अथवा किसी वितरण तंत्र में स्थानांतरण होने पर होता है. वस्तुओं के राजस्व ठेकों के संबंध में जिनमें पोत परिवहन के समय अनंतिम रूप से कीमत निर्धारण किया जाता है(जहां कहीं लागू हो), अगर कोई समायोजन करना हो तो उसके बाद अंतिम कीमत उस अवधि में लगाई जाएगी जिसमें उसे अंतिम रूप दिया गया हो/तय किया गया हो.

3.9.2. राजस्व को प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल की लेन-देन कीमत पर मापा जाता है जो निवल बट्टा, GST और बिक्री कर लगाने के बाद कारोबार के सामान्य क्रम में वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्य रकम सूचित करता है. कीमतों में किसी पूर्वव्यापी संशोधन को उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिसमें संशोधन किया गया हो.

3.9.3. ठेकों/आपूर्तियों का क्रियान्वयन करने में विलंब होने पर कीमत कटौती अनुसूची (PRS) को ठेकों/करारनामे की शर्तों के अनुसार लेखाबद्ध करना होगा. पूंजीगत परियोजना के निमित्त रकम को छोड़कर जहां आस्तियों का लागत तक समायोजन किया जाता है, PRS रकम को आय के रूप में पहचाना जाता है. अंतिम रूप देने के बाद समायोजन उत्तरव्यापी प्रभाव से किया जाता है.

3.9.4. समूह ने ग्राहक के साथ ले या अदा करे जैसा करार किया है. इस लेन-देन में ग्राहकों के साथ किए गए ठेके में निर्धारित सूत्र के अनुसार राजस्व को पहचाना जाता है.

3.9.5. स्क्रैप की बिक्री से राजस्व को उस वक्त स्वीकार किया जाता है जब नियंत्रण (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण), ग्राहक के हवाले किए जाएं.

3.9.6. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के रूप में निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्त राजस्व को सरकारी अनुदानों के तहत परिच्छेद 3.13 के अनुसार राजस्व के रूप में दर्शाया गया है. प्रोत्साहन मूल्य को प्रारंभ में, अपेक्षित वसूल करने योग्य मूल्य के रूप में दर्शाया जाता है जिनका बाद में जिस अवधि में उनको वास्तव में बेचा जाए उस अवधि में वास्तव में वसूल करने लायक मूल्य के लिए समायोजन किया जाता है.

3.9.7. वित्तीय आस्तियों से ब्याज सहित आय का समय आधार पर उपचय करते समय प्रारंभ में स्वीकार करने पर आस्ति की निवल रखाव रकम की तुलना में वित्तीय आस्ति की अनुमानित अवधि के जरिए बकाया मूल धनराशि और लागू प्रभावी ब्याज दर (ऐसी दर जो अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को ठीक तरह से काटें) का हवाला दिया जाता है.

3.9.8. वित्तियेतर आस्तियों के मामले में, ब्याज सहित आय को समय अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है. वापस करने लायक करों / शुल्कों के रूप में ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर स्वीकार किया जाता है.

3.9.9. लाभांश आय तब स्वीकार की जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध किया जाए.

3.9.10. लाभ-हानि विवरण में उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है. उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच अंतर के संबंध में उत्पाद शुल्क " अन्य खर्च " के अधीन दर्शाया जाता है.

3.10. पट्टे

1 अप्रैल, 2019 से समूह ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण पद्धति के सहारे Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया. तदनुसार, समूह ने तुलनात्मक जानकारी का दोबारा कथन नहीं दिया है जिनको अभी भी Ind AS 17 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है. नए मानक में नए पट्टे को इस तरह से परिभाषित किया गया है जैसे एक ऐसा ठेका, जो प्रतिफल के बदले किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए पहचानी गई आस्ति का उपयोग नियंत्रित करने का अधिकार सूचित करे. समूह ने, अगोचर आस्तियों के पट्टे पर इस मानक को लागू न करने का विकल्प चुना है.

इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या किसी ठेके में पहचानी गई आस्ति का उपयोग नियंत्रित करने का अधिक सूचित किया गया है, कंपनी यह निर्धारण करती है कि क्या:

(i) ठेके में पहचानी गई आस्तियों का उपयोग किया जाता है.

(ii) कंपनी को पट्टा अवधि में आस्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से तमाम आर्थिक लाभ मिलते हैं और

(iii) कंपनी को आस्ति का उपयोग निर्दिष्ट करने का अधिकार है.

<u>पट्टेदार के रूप में समूह:</u>

पट्टे की प्रारंभिक तारीख को, समूह, उन सभी पट्टा संबंधी ठेकों / व्यवस्थाओं के लिए जिनमें वह पट्टेदार हो, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU आस्तियां) और तदनुरूपी पट्टा संबंधी देयता को स्वीकार करता है सिवाय उस पट्टे को, जिसकी अवधि बारह महीने अथवा उससे कम हो (अर्थात्; जो अल्पावधि पट्टा हो) और उस पट्टे को, जिसकी आस्तियों का मूल्य कम हो. अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के मामले में, समूह, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर पट्टा संबंधी भुगतान स्वीकार करता है.

पट्टा संबंधी कुछ व्यवस्थाओं में शामिल है, पट्टा संबंधी अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे की अवधि बढ़ाने अथवा पट्टा समाप्त करने का विकल्प. आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार और पट्टा संबंधी देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह बात लगभग निश्चित हो कि ऐसे विकल्प लिए जाएंगे.

पट्टा संबंधी देयता का प्रारंभ में, निश्चित पट्टा अवधि पर भावी पट्टा संबंधी भुगतान के वर्तमान मूल्य को मापा जाता है. अगर फ़ौरन निर्धारण करना संभव न हो तो वृद्धिशील उधार दर के सहारे पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर लगाते हुए पट्टा संबंधी भुगतान में रियायत दी जाएगी. एक ही प्रकार के लक्षणों से युक्त पट्टे के मामले में, समूह, पट्टा-दर-पट्टा आधार पर, या तो पट्टे के लिए निर्दिष्ट वृद्धिशील उधार दर या समग्र रूप से संविभाग के लिए वृद्धिशील उधार दर लगाती है.

उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है जिसमें पट्टे की प्रारंभिक अवधि को या उससे पहले किसी पट्टा संबंधी भुगतान के लिए समायोजित पट्टा संबंधी देयता के प्रारंभिक मापन की रकम और साथ ही प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाल करने संबंधी दायित्व और प्राप्त पट्टा संबंधी प्रोत्साहन राशि होती है.

बाद में, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मापन, कोई संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर किया जाता है. उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास करते समय पट्टा संबंधी अवधि में अल्पतम अवधि पर अथवा उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों की उपयोगी आयु पर प्रारंभिक तारीख से सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है. Ind AS 36 को लागू करते हुए समूह यह निर्धारण करती है कि क्या आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार क्षीण हो गया है और " संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE), उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU), सुनाम से भिन्न अगोचर आस्तियों में ह्रास " पर नीचे दी गई लेखा संबंधी नीति में यथा वर्णित पहचानी गई ह्रासित हानि को लेखाबद्ध किया गया है.

पट्टा संबंधी देयता पर ब्याज लागत (प्रभावशाली ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित) को लाभ-हानि विवरण में, तब तक नहीं दर्शाया जाता है जब तक वह " उधार लागत " पर नीचे दी गई लेखा नीति के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो.

समूह, Ind AS 116 के अनुसार, ठेके के अंदर प्रत्येक पट्ट घटक को, ठेके के गैर-पट्टा घटकों से भिन्न पट्टे के रूप में लेखाबद्ध करती है और ठेके में प्रतिफल का, ठेके में पट्टा घटक की सापेक्ष स्वतंत्र कीमत और गैर-पट्टा घटकों की कुल स्वतंत्र कीमत के आधार पर प्रत्येक पट्टा घटक में आबंटन करती है.

पट्टा संबंधी ठेका पूरा होने अथवा रद्द होने पर उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों को अमान्य किया जाता है.

पट्टा संबंधी देयता और उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का, समेकित तुलन पत्र में अलग दर्शाया गया है और पट्टा संबंधी भुगतान का , नकदी प्रवाह विवरण में वित्तपोषक नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकरण किया गया है.

पट्टे में आशोधन का भावी प्रभाव पड़ता है.

3.11. विदेशी मुद्रा लेन-देन

समूह के वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों (₹) में पेश किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है.

संबंधित प्रतिष्ठानों की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) से भिन्न मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को, लेन-देनों के दिनांकों को मौजूदा मुद्रा दरों पर स्वीकार किया जाता है. प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को, रिपोर्ट अवधि के अंतिम दिन मौजूदा अंतिम मुद्रा दर के आधार पर रुपयों में रूपांतरित किया जाता है.

दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय में नजर आए अंतर को समेकित लाभ-हानि विवरण में या तो 'विनिमय दर में घट-बढ़ हानि/(अभिलाभ) (निवल) के रूप में या ' वित्त लागत ' के रूप में दर्शाया जाता है जब कि 31 मार्च 2016 को बकाया दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय अंतर को उस हद तक नहीं जोड़ा जाता है, जिस हद तक उनका मूल्यह्रास करने लायक आस्तियों का अधिग्रहण करने का संबंध हो, तदनंतर इन आस्तियों की लागत के प्रति समायोजन किया जाता है और आस्ति की बची हुई आयु में उक्त समायोजन को कम किया जाता है.

3.12. उधार लागत

उधार लागत में शामिल है, निधि उधार लेते समय उठाई गई ब्याज और अन्य लागत. उधार लागत में, ब्याज लागत में समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विनिमय दर में घट-बढ़ भी शामिल है.

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण की दृष्टि से निर्दिष्ट रूप से पहचानी गई उधार लागत का, इन आस्तियों के अंग के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. अर्हक आस्ति उसे कहते हैं जिसका अभिप्रेत उपयोग करने की दृष्टि से तैयार रखने के लिए काफ़ी समय लगता है. दूसरी अन्य उधार लागतों को समेकित लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें ऐसी लागत उठाई गई हो.

3.13. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक दर्शाया नहीं जाता है जब तक यह उचित आश्वासन न मिला हो कि समूह, उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे.

सरकारी अनुदानों को समेकित लाभ-हानि विवरण में व्यवस्थित ढंग से उस अवधि में जिसमें समूह, जिस लागत के लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने के इरादे से उपयोग किया जाएगा, खर्च के रूप में स्वीकार न करे .

निर्दिष्ट रूप से उन सरकारी अनुदानों को, जिनके संबंध में मूल रूप से यह शर्त रखी जाती है कि समूह को, गैर-चालू आस्तियां खरीदनी पड़ेंगी, उनका निर्माण अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना पड़ेगा, तुलन-पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में दर्शाकर संबंधित आस्तियों की उपयोग अवधि में व्यवस्थित एवं युक्तियुक्त तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बाजार ब्याज दर से कम दर पर सरकारी ऋण का लाभ, सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है जिसका मापन, प्राप्त प्राप्तियों और मौजूदा बाजार ब्याज दर पर उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है.

3.14. कर्मचारियों को फायदे

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ में शामिल हैं, वेतन, मज़दूरी, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, उपदान निधि, क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां, रोजगार उपरांत चिकित्सा लाभ, सेवा समाप्ति लाभ और पुन:व्यवस्थापन भत्ते.

परिभाषित अंशदान योजनाएं

भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति समूह के दायित्व के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. इनका भुगतान, क्रमशः भविष्य निधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इनको वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है.

परिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं, जिनको परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और इसका परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट अवधि के अंत में किया जाता है. इनको वर्तमान कर्मचारी लागत के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है अथवा यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट किया जाता है.

निवल परिभाषित देयता पर निवल ब्याज का परिकलन करते समय, अवधि के प्रारंभ में बट्टा दर, निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता अथवा आस्ति पर लगाया जाता है और यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट मदों को छोड़कर इनको समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बीमांकिक अभिलाभ और हानि समेत पुन: मापन, आस्ति की उच्चतम सीमा में परिवर्तन के प्रभाव और योजना आस्तियों (ऊपर परिभाषित निवल ब्याज को छोड़कर) पर प्रतिफल को, उन मदों को छोडकर जिनको उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हों, अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल कर बाद में लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

कंपनी, उपदान के संबंध में एमआरपीएल उपदान निधि न्यास (MGFT) में सभी पता लगाने लायक देयताओं का अंशदान करता है. सहायक कंपनी की उपदान योजना में निधि का अंशदान नहीं किया जाता है. समूह की अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है.

तुलन-पत्र में दर्शाए गए सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति दायित्व, समूह की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटा अथवा अधिशेष दर्शाता है. बीमांकिक परिकलन से प्राप्त किसी अधिशेष को, योजनाओं के प्रति भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित किया जाता है.

कर्मचारी को अल्पावधि लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले लाभ की बट्टा रहित रकम को उस वर्ष, जिसमें कर्मचारियों ने ऐसी सेवा प्रदान की हो, दर्शाया जाता है. इन लाभों में शामिल हैं, निष्पादन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना होती हैं.

क्षतिपूर्त अल्पावधि अनुपस्थितियों की लागत को निम्नानुसार लेखाबद्ध किया जाता है:

(क) संचित क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करें जिससे भावी क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों की उनकी हकदारी बढ़े; और

(ख) गैर-संचई क्षतिपूर्त अनुपस्थितियों के मामले में, जब ऐसी अनुपस्थियां हों.

कर्मचारी को दीर्घावधि लाभ

क्षतिपूर्त ऐसी अनुपस्थितियों को जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना हो, तुलन पत्र की तारीख को, जिन योजना आस्तियों के उचित मूल्य से दायित्व निपटाने की संभावना हो उसे घटाने के बाद परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

सेवा समाप्ति लाभ

चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति

नियंत्रक कंपनी में चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमोदित योजना है. पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 60 दिनों की परिलब्धियों के समान अथवा सामान्य सेवानिवृत्ति तारीख से पहले बची शेष महीनों की सेवा से गुणन करते हुए सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां, जो भी कम हो, अनुग्रह भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ के अलावा किया जाएगा.

एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे की स्वयं बीमा योजना

सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ और अलग होने पर लाभ योजना के तहत, अगर दुर्घटना के कारण और रोजगार के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो अथवा वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो देय कोई न्यूनतम रकम का निर्धारण किए बगैर 100 महीने के मूल वेतन + महंगाई भत्ते (DA) के समतुल्य मुआवजा दिया जाएगा.

SABF के तहत अलग होने पर लाभ

नियंत्रक कंपनी में सेवा करते समय अगर कर्मचारी की मृत्यु हो / वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो हिताधिकारी को, मृत्यु की तारीख / स्थाई संपूर्ण अपंगता की तारीख से 6 महीने के अंदर नीचे उल्लिखित वांछित विकल्पों में से एक चुनना होगा.

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता (सेवा समाप्ति संबंधी लाभ से भिन्न) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया जाता है. सेवा समाप्ति संबंधी लाभ को जब कभी खर्च किया जाए समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.15. कराधान

आय कर संबंधी खर्च, इस समय देय कर और आस्थगित कर का योग दर्शाता है.

(i) वर्तमान कर

इस समय देय कर का निर्धारण, वर्ष के कर योग्य लाभ के आधार पर किया जाता है. कर योग्य लाभ, समेकित लाभ-हानि विवरण दर्शाए गए 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है क्योंकि आय अथवा खर्च की कुछ मद, दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा काटने योग्य होती हैं और कुछ मद, कभी भी कर योग्य अथवा काटने योग्य नहीं होती हैं. समूह के वर्तमान कर का परिकलन करते समय कर संबंधी उन दरों का प्रयोग किया गया है जिनका अधिनियम किया गया था अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत तक वास्तव में अधिनियमन किया गया.

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को, समेकित वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं की रखाव रकम और कर योग्य लाभ में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधार के बीच अस्थाई अंतर के रूप में पहचाना जाता है. आस्थगित कर देयताओं को, सामान्यत: सभी कर योग्य अस्थाई अंतर के रूप में पहचाना जाता है. आस्थगित कर आस्तियों को, सामान्यत: सभी काटने योग्य अस्थाई अंतर के रूप में उस हद तक लेखाबद्ध किया जाता है जिससे यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ इस तरह से उपलब्ध होंगे जिसके प्रति काटने योग्य अस्थाई अंतर का प्रयोग करना संभव हो.

अस्थाई करों को, ऐसे अस्थाई अंतर के संबंध में लेखाबद्ध किया जाता है जो करावकाश अवधि के दौरान उत्पन्न तो होते हैं लेकिन जिनका करावकाश अवधि के बाद प्रत्यावर्तन किया जाता है. इस प्रयोजन के लिए अस्थाई अंतर का प्रत्यावर्तन करते समय प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

आस्थगित कर आस्तियों की रखाव रकम की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है और इसे उस हद तक घटाया जाता है जिससे कभी यह संभावना न बने कि तमाम आस्ति अथवा उसका अंश वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों का मापन, अधिनियमित अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत में वास्तव में अधिनियमित (और कर संबंधी कानूनों) कर संबंधी उन दरों के आधार पर किया जाता है जिनको उस अवधि में लागू करने की उम्मीद हो जिसमें देयता निपटाई जाए अथवा आस्ति की वसूली हो.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन से कर संबंधी ऐसी परिस्थितियां परिलक्षित होती हैं जिसमें समूह द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में उसकी आस्तियों और देयताओं की रखाव रकम वसूली की जाएगी अथवा उसका निपटान होगा.

आस्थगित कर आस्तियों में शामिल है, भारत में मौजूद कर संबंधी कानून के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) जिसके चलते भावी आय कर देयता का मुजरा करने की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है. तदनुसार, MAT को समेकित तुलन पत्र में आस्थगित कर आस्ति के रूप में तब दर्शाया जाता है जब आस्ति का भरोसेमंद तरीके से मापन करना संभव हो और ऐसी संभावना हो कि आस्ति से जुड़े भावी आर्थिक लाभ अर्जित किया जाएगा.

वर्ष का वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, सिवाय उन मदों को जिनको अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है, ऐसी सूरत में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है.

3.16. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) और उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियाँ (ROU)

उत्पादन में अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की खातिर रखी गई भूमि और भवन को तुलन पत्र में, संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

उत्पादन, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के दौरान PPE को, लेखाबद्ध ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. आस्ति की लागत में समाविष्ट किया जाता है उसकी क्रय कीमत अथवा उसकी निर्माण लागत (लागू निवल कर जमा प्रविष्टियां).और आस्ति को उसके स्थान पर और उस स्थिति में लाने के लिए जिससे वह प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके से चलाना संभव हो, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई लागत और क्षयकारी लागत, अगर कोई हो. इसमें शामिल है, पेशेवर शुल्क और समूह की लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत अर्हक आस्तियों की उधार लागत. पूरा होने पर और अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने पर इन संपत्तियों का PPE की उचित श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है. PPE की मद के उन अंशों को, जिसकी प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार विभिन्न उपयोगी अवधि हो और महत्वपूर्ण मूल्य हो और जिसे बाद में संपत्ति पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, संयंत्र और उपकरणों को अलग घटकों के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

PPE को संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

PPE का मूल्यह्रास करना तब शुरु किया जाता है जब आस्तियां, उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार हों.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा निर्दिष्ट विभिन्न आस्तियों के घटकों की उपयोगी आयु की तुलना में सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए PPE की उपयोगी आयु के आधार पर उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद PPE (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों से भिन्न) की लागत पर मूल्यह्रास किया जाता है जब कि इसके लिए संयंत्र और उपकरणों के कुछ ऐसे घटक अपवाद हैं जिनकी उपयोग आयु का निर्धारण, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और कर्मचारी वाहन और फर्नीचर योजना के लिए बनाई गई समूह की नीति के तहत उपयोगी आयु पर विचार किया जाता है.

अनुमानित उपयोगी आयु, अपशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है.

योजनाबद्ध शटडाउन के निमित्त ओवरहॉल और मरम्मत पर व्यय का, जिनका मूल्य उल्लेखनीय होता है (निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य का 5%), PPE के संबंधित मदों के घटक के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इनका अगले शटडाउन तक सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास किया जाता है. उत्प्रेरक का, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक होती है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और उत्प्रेरक का उपयोग करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है.

भंडार और पुर्जों को, जिनको संयंत्र और उपकरण के रूप में पहचाना जाता है, निर्दिष्ट मशीनों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है.

प्रमुख पूंजीगत अतिरिक्त पुर्ज़ों का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत इन अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यह्रास करना, तब से शुरु किया जाता है जब इन पुर्जों कों सेवा में लगाया गया और उनकी उपयोगी अल्प आयु तक जारी रखते हुए उससे संबंधित आस्ति की शेष अपेक्षित उपयोगी आयु तक जारी रखा जाता है और अतिरिक्त पुर्ज़ें का ह्रासित मूल्य, जब कभी उसे बदला जाए, समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष के दौरान जोड़े गए/हटाए गए PPE पर मूल्यह्रास के लिए, जोडे गए/हटाए गए दिनांक के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रावधान किया जाता है जब कि अधिकतम ₹ 5,000/ के कम मूल्य की मदें, (कर्मचारियों से संबंधित समूह क्रय योजना को छोड़कर) इसके लिए अपवाद हैं जिनका जोड़ते समय पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है.

आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	भवन	1-60
2.	संयंत्र और उपकरण - उत्प्रेरक	2-10
3.	संयंत्र और उपकरण - कंप्यूटर	3-7
4.	संयंत्र और उपकरण - लगातार चलने वाले प्रक्रिया संयंत्र, जिसे निर्दिष्ट उद्योगों में शामिल न किया गया हो (तीन शिफ्ट)	7.5
5.	संयंत्र और उपकरण - इलेक्ट्रिकल/प्रयोगशाला/कैंटीन/स्कूल	10
6.	संयंत्र और उपकरण – यंत्रीकरण: मद/ DCS/ अस्पताल/ अन्य	15
7.	संयंत्र और उपकरण - रिफाइनरी की आस्तियां	25
8.	संयंत्र और उपकरण - प्रक्रिया संयंत्र	25-30
9.	संयंत्र और उपकरण - पाइपलाइनें/SPM/अपतटीय घटक//सिविल संरचना	30
10.	संयंत्र और उपकरण - विद्युत संयंत्र	40
11.	रेलवे साइडिंग	15
12.	संयंत्र और उपकरण - अन्य	3-15
13.	कार्यालय उपकरण	3-15
14.	फर्नीचर और जुड़नार	3-10
15.	वाहन	4-15

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को, निपटाए जाने, बदले जाने, घटाए जाने, पुनर्वर्गीकरण किए जाने पर अथवा जब आस्ति का लगातार उपयोग करने पर भविष्य में उससे आर्थिक लाभ मिलने की कोई संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद का निपटाने करने अथवा उसे हटाए जाने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण, बिक्री प्राप्तियों और आस्ति की रखाव रकम के बीच अंतर के रूप में किया जाता है जिसे समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास करते समय पट्टा संबंधी अवधि में अथवा आस्तियों की उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

3.17 अगोचर आस्तियां

3.17.1 सुनाम से भिन्न अगोचर आस्तियां

अलग रूप से खरीदी गईं निश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि को घटाने के लिए लागत पर दर्शाया जाता है. परिशोधन को उनकी अनुमानित उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वीकार किया जाता है. अनुमानित उपयोगी आयु और परिशोधन पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है. अलग रूप से खरीदी गईं अनिश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है और संचित ह्रासित हानि हो तो उस घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

विकास संबंधी लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अगोचर मदों पर व्यय का पूंजीकरण नहीं किया जाता है जिनको समेकित लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें उनका व्यय किया गया हो. विकास संबंधी लागत का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब परियोजना की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सिद्ध किया गया हो, भावी आर्थिक लाभ मिलना संभावित हो, समूह का, आस्ति का पूरी तरह से उपयोग करने अथवा बेचने का इरादा और सामर्थ्य हो और लागत का मापन भरोसेमंद तरीके से किया जा सकता है.

3.17.2 अगोचर आस्तियों को स्वीकार न करना

अगोचर आस्ति को, निपटाए जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का उपयोग करने पर अथवा उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. अगोचर आस्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति की रखाव रकम के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को मान्यता न दिए जाने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.17.3 अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

अगोचर आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3-10
2.	लाइसेंस और क्रयाधिकार	3

3.18 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) और उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) में ह्रास, सुनाम से भिन्न अगोचर आस्तियां

समूह, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में अपनी अगोचर आस्तियों और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) '' तथा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट '' (CGU) के उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों की रखाव रकम की समीक्षा करता है जिससे कि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या कोई ऐसा संकेत मिला है कि उन आस्तियों में ह्रासित हानि हुई है. अगर ऐसा कोई संकेत मिला हो तो ह्रासित हानि (कोई हो तो) की मात्रा तय करने के लिए वसूल करने योग्य आस्ति की रकम का आकलन किया जाता है. जब किसी प्रत्येक आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करना संभव न हो, तब समूह, नकद उत्पन्न करने वाली जिस यूनिट की आस्तियां हों, उस यूनिट की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करता है.

वसूल करने योग्य रकम, निपटान लागत और उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य घटाने के बाद उच्चतम उचित मूल्य के बराबर होती है. उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य निर्धारण करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व बट्टा दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य तक घटाया जाता है, जो उस आस्ति के लिए, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह का समायोजन न किया गया हो, निर्दिष्ट धन और जोखिम के समय मूल्य का चालू बाजार निर्धारण परिलक्षित करता है.

अगर आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) की वसूल करने योग्य रकम, उसकी रखाव रकम से कम हो तो आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) की रखाव रकम को उसकी वसूल करने योग्य रकम तक घटाया जाता है. ह्रासित हानि को फौरन समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

रिपोर्ट अवधि के अंत में निर्धारण इसलिए किया जाता है जिससे कि यह देखा जा सके कि क्या कोई ऐसे संकेत हैं कि इससे पहले स्वीकार की गईं ह्रासित हानियां अब नहीं हैं या कम हुई हैं. अगर पिछली बार पहचानी गई ह्रासित हानि के बाद आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त आकलन में परिवर्तन हो तो ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन किया जाता है. अगर ऐसा हो और पूर्व वर्षों में आस्ति के मामले में ह्रासित हानि को पहचाना न होता तो, आस्ति की रखाव रकम को उसकी निम्नतर वसूल करने योग्य रकम तक और निवल मूल्यह्रास/परिशोधन के बराबर निर्धारित रखाव रकम तक बढ़ाया जाता है. प्रत्यावर्तन के बाद, मूल्यह्रास/परिशोधन प्रभार का, भावी अवधियों में समायोजन किया जाता है जिससे कि आस्ति की संशोधित रखाव रकम का, उसकी शेष उपयोगी आयु में व्यवस्थित ढंग से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद आबंटन किया जा सके. ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन करने पर उसे समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.19 समेकित नकदी प्रवाह विवरण

समेकित नकदी प्रवाह को परोक्ष पद्धति के सहारे रिपोर्ट किया जाता है जिसमें कर उपरांत लाभ का नकद रहित स्वरूप के, गत अथवा भावी प्रचालन नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी प्रकार के स्थगन अथवा उपचय और नकद प्रवाह में निवेश करने अथवा उसकी वित्तपोषक गतिविधियों से आय अथवा खर्च की मद से संबंधित लेन-देन के प्रभाव का समायोजन किया जाता है. नकदी प्रवाह का, प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में पृथक्करण किया जाता है.

3.20 प्रति शेयर अर्जन (EPS)

प्रति शेयर बुनियादी अर्जन का परिकलन करते समय इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि (अगर कोई अधिमानी लाभांश और उससे संबंधित कर हो तो उसे घटाने के बाद) का अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजन किया जाता है.

प्रति शेयर आंशिक अर्जन का परिकलन करते समय इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि और अवधि के दौरान सभी कम करने लायक संभावित इक्विटी शेयरों का समायोजन किया जाता है.

3.21 स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन, निम्नतर लागत और निवल वसूल करने योग्य मूल्य पर किया गया है. स्टॉक लागत में शामिल है, क्रय लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तक और उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उठाई गई अन्य लागत. लागत का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:-

कच्चा माल	प्रथम आवक प्रथम जावक (FIFO) आधार पर
तैयार माल	कच्चा माल और रूपांतरण लागत
व्यापार में स्टॉक	भारित औसत लागत के आधार पर
प्रक्रिया में स्टॉक	कच्चा माल और यथानुपात रूपांतरण लागत पर
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	भारित औसत लागत के आधार पर

कच्चा माल का अवलेखन, लागत से कम तभी किया जाता है जब कच्चा माला की कीमतों में बाद में गिरावट आई हो और यह अनुमान लगाया गया हो कि तैयार माल की लागत उनके वसूली करने लायक मूल्य से अधिक हो तो

विनिर्माण स्थान पर पड़े तैयार माल पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान, लागू शुल्क के आधार पर कर निर्धारणीय मूल्य पर किया जाता है.

बंधित गोदाम में पड़े कच्चा माल पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान लागू दरों पर किया जाता है.

पुराने, ज्यादा उपयोग न किए जाने वाले, अतिरिक्त और दोषपूर्ण स्टॉक को, स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करते समय पहचाना जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो, ऐसे स्टॉक के लिए प्रावधान किया जाता है.

3.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक आस्तियां और प्रतिबद्धताएं

जब समूह का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो तब गत घटना के परिणामस्वरूप प्रावधान को मान्यता दी जाती है, ऐसी सूरत में संभव है कि समूह को दायित्व निपटाना पड़े और दायित्व की रकम का भरोसेमंद आकलन किया जा सकता है.

प्रावधान के रूप में लेखाबद्ध रकम, दायित्व में अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल के बेहतरीन आकलन के बराबर होता है. अगर पैसे का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो तो कर पूर्व बट्टा दर लगाते हुए प्रावधान में रियायत दी जाती है. जब रियायत दी जा रही हो तब समय बीतने के कारण प्रावधान बढ़ने पर उसे वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है.

जब आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव हो तब आकस्मिक आस्तियों को समेकित वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

जब तक आर्थिक लाभ के रूप में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना न हो, आकस्मिक देयताओं को समेकित वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

प्रकट की गई पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं, उन मदों के संबंध में हैं जो प्रत्येक मामले में देहली सीमा से अधिक हों.

3.23 वित्तीय लिखत

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब समूह, लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है.

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर आंका जाता है. प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय आस्तियां अथवा वित्तीय देयताएं (लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं से भिन्न) खरीदने अथवा जारी करने के कारण उत्पन्न लेन-देन लागत को प्रारंभ में स्वीकार करने पर यथोचित तरीके से वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाएगा अथवा उससे घटाया जाएगा. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न हुई हों, फौरन समेकित लाभ-हानि विवरण में लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है.

3.24 वित्तीय आस्तियां

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों को, वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर, बाद में पूरी तरह से या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है.

(i) नकद और नकदी समतुल्य

समूह, सभी अधिक अर्थ सुलभ वित्तीय लिखतों पर विचार करता है जिनका ज्ञात नकद में आसानी से रूपांतरण करना संभव हो और जिनका मूल्य बदलने पर जोखिम नगण्य हो और जिनकी क्रय तारीख से तीन महीनों की मूल परिपक्वता हो जो नकद में बदलने लायक हो. नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों के पास शेषराशि रहती है जिनका आहरण और उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है.

(ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग किया जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है और इन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज (SPPI)के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iii) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

इन आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए मापा जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया

जाता है, जिन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज (SPPI)के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iv) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को, उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए तब तक मापा जाता है जब तक उनको परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा न जा रहा हो.

प्रारंभिक मापन के बाद ब्याज के निमित्त आय, ह्रास के कारण हुई हानि और अन्य निवल अभिलाभ एवं हानियों सहित उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

(v) इक्विटी निवेश:

इक्विटी निवेश (सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम(JV) और सहबद्ध कंपनी से भिन्न):

Ind AS 109 के अधीन आने वाले तमाम इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है. व्यापार करने की खातिर रखे गए इक्विटी लिखतों का FVTPL पर वर्गीकरण किया जाता है. समूह, ऐसा चुनाव, लिखत-दर-लिखत आधार पर करता है. ऐसा वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है जो अपरिवर्तनीय है.

(vi) वित्तीय आस्तियों में ह्रास

समूह, प्रत्येक समेकित तुलन पत्र तारीख को यह निर्धारण करता है कि क्या किसी वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय आस्तियों के समूह में ह्रास हुआ है या नहीं. Ind AS 109 में अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानिपरक भत्ते के जरिए मापा जाए. समूह, व्यापार से प्राप्य रकम के मामले में जीवनपर्यंत अपेक्षित उन हानियों को लेखाबद्ध करता है जो वित्तीय लेन-देन के बराबर नहीं होती हैं. सभी अन्य वित्तीय आस्तियों के मामले में, अपेक्षित क्रेडिट हानियों को उस रकम पर मापा जाता है जो 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा उस रकम के बराबर हो तो जीवनपर्यंत अपेक्षित हानि के बराबर हों, बशर्ते कि वित्तीय आस्ति पर क्रेडिट जोखिम में, प्रारंभिक पहचान के बाद काफ़ी उल्लेखनीय बढ़त हुई हो.

(vii) वित्तीय आस्तियों को मान्यता न देना

समूह, वित्तीय आस्ति को तब मान्यता नहीं देता है जब आस्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाएं अथवा जब वह वित्तीय आस्तियों को और आस्ति के स्वत्व से जुड़े तमाम जोखिमों और अधिनिर्णयों को किसी दूसरे पक्षकार के नाम हस्तांतरित करे.

वित्तीय आस्ति को पूरी तरह से मान्यता न देने पर आस्ति की रखाव रकम और प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल की रकम के बीच का अंतर, समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.25 वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

3.25.1 इक्विटी लिखत

किसी भी ठेके में इक्विटी लिखत उसे कहते हैं जो अपनी तमाम देयताओं को काटने के बाद समग्र आस्तियों में अवशिष्ट हित का सबूत बनता है. समूह द्वारा निर्गमित इक्विटी लिखतों को प्राप्त प्राप्तियों पर दर्शाया जाता है. प्रत्यक्ष रूप से नए साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गमन के कारण उठाई गईं वृद्धिशील लागत को, इक्विटी से कटौती यानी निवल कर प्रभाव के रूप में दर्शाया जाता है.

3.25.1.1 यौगिक वित्तीय लिखत

समूह द्वारा जारी यौगिक वित्तीय लिखतों के घटक भागों का, ठेकागत व्यवस्थाओं के सार के साथ वित्तीय देयताओं और इक्विटी के रूप में अलग रूप से वर्गीकरण किया जाता है. एक ऐसा विकल्प जिसका निपटान, निश्चित संख्या में इक्विटी लिखतों के लिए नकद अथवा किसी दूसरी वित्तीय आस्ति की निश्चित रकम के विनिमय के जरिए किया जाएगा उसे इक्विटी लिखत कहते हैं. निर्गम तारीख को देयता घटक के उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय, उसी प्रकार के अपरिवर्तनीय लिखतों के लिए बाजार में विद्यमान ब्याज दर का उपयोग किया जाता है. इस रकम को, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत आधार पर देयता के रूप में तब तक दर्शाया जाता है जब तक उसका परिवर्तन करने पर अथवा लिखत की परिपक्वता तारीख को वह लुप्त न हो जाए. इक्विटी के रूप में वर्गीकृत परिवर्तन विकल्प का निर्धारण करते समय समग्र रूप से यौगिक वित्तीय लिखत के उचित मूल्य से देयता घटक की रकम घटाई जाती है. इसे इक्विटी में दर्शाकर निवल आय कर प्रभाव के साथ जोड़ा जाता है जिसका बाद में पुन: मापन नहीं किया जाता है. इसके अलावा, इक्विटी के रूप में वर्गीकृत परिवर्तन विकल्प, इक्विटी में तब तक रहेगा जब तक परिवर्तन विकल्प का उपयोग न किया जाए, जब कि ऐसी सूरत में इक्विटी में दर्शाई गई शेषराशि का इक्विटी के अन्य घटक में अंतरण किया जाएगा. अगर परिवर्तनीय नोट की परिपक्वता तारीख को परिवर्तन विकल्प का उपयोग न किया गया हो तो इक्विटी में दर्शाई गई रकम को प्रतिधारित अर्जन में अंतरित किया जाएगा. परिवर्तन करने पर अथवा परिवर्तन विकल्प की तारीख समाप्त होने पर लाभ अथवा हानि में कोई अभिलाभ अथवा हानि नहीं दर्शाई जाएगी. परिवर्तन नोट जारी करने से संबंधित लेन-देन लागत को, देयता और इक्विटी घटकों में कुल प्राप्तियों के आबंटन के अनुपात में आबंटित किया जाएगा.

इक्विटी घटक से संबंधित लेन-देन लागत को सीधे इक्विटी में दर्शाया जाएगा. देयता घटक से संबंधित लेन-देन लागत को देयता घटक की रखाव रकम में शामिल किया जाएगा जिसका प्रभावी ब्याज पद्धति सहारे परिवर्तनीय नोटों की आयु में परिशोधन किया जाएगा.

3.25.2 वित्तीय देयताएं

क) वित्तीय गारंटी

जब समूह को अपनी नियंत्रक कंपनी से वित्तीय गारंटी मिले तब वह गारंटी शुल्क को उचित मूल्य पर मापता है. समूह, नियंत्रक कंपनी से प्राप्त वित्तीय गारंटी के लिए शुल्क के प्रारंभिक उचित मूल्य को '' माना गया इक्विटी '' के रूप में अभिलिखित है जब कि उसकी तदनुरूपी आस्ति को पूर्वदत्त गारंटी शुल्क के रूप में रेकॉर्ड करता है. ऐसे माने गए इक्विटी को तुलन पत्र में ' अन्य इक्विटी ' शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है. पूर्वदत्त गारंटी शुल्क को प्राप्त वित्तीय गारंटी की अवधि में समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

ख) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के अंत में परिशोधित लागत पर मापा जाता है. बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं की रखाव रकम का निर्धारण, प्रभावी ब्याज दर पद्धति (“EIR”) पर किया जाता है. अगर ब्याज खर्च का आस्ति की लागत के अंग के रूप में पूंजीकरण न किया गया हो तो उसे ' वित्त लागत ' के अधीन दर्शाया जाता है.

ग) वित्तीय देयताओं को मान्यता न देना

समूह, वित्तीय देयताओं को किसी भी सूरत में तभी लेखाबद्ध नहीं करता है जब समूह का दायित्व निभाया गया हो, रद्द किया गया हो अथवा समाप्त हुआ हो. बहियों में दर्शाई वित्तीय देयता की रखाव रकम और प्रदत्त एवं देय प्रतिफल के बीच का अंतर, समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.26 बीमा संबंधी दावे

आस्ति की पूरी तरह से हानि होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने पर, यातो आस्ति की रखाव रकम अथवा बीमा मूल्य (काटने लायक अतिशय रकम के अधीन), जो भी कम, बीमा कंपनी से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा. अगर बीमा दावा, आस्ति की वहन लागत से कम हो तो अंतर रकम को समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

आंशिक अथवा अन्य हानियों के मामले में इन आस्तियों का दोबारा उपयोग करने लायक स्थिति में लाने की खातिर, अगर अन्य पक्षकार की अथवा अन्य देयताएं हों तो (काटने लायक अतिशय रकम को घटाने के बाद) उनको चुकाने की दृष्टि से किए गए व्यय/भुगतान को बीमा कंपनी से प्राप्य दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. बीमा पॉलिसी के निमित्त काटने लायक अतिशय रकम को उस वर्ष खर्च किया जाता है जिसमें तदनुरूपी व्यय किया गया हो.

जब कभी अंत में बीमा कंपनी से दावे प्राप्त हों, बीमा कंपनी प्राप्य और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका समेकित लाभ-हानि विवरण में समायोजन किया जाता है.

सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर दर्ज किया गया है.

3.27 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको किराया कमाने और/अथवा पूंजी संवर्धन के लिए रखा जाता है. निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापा जाता है. प्रारंभ में मान्यता देने के बाद, निवेश संपत्ति को लागत मॉडेल के लिए Ind AS 16 की अपेक्षाओं के अनुसार मापा जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

निवेश संपत्ति को, या तो उसे बेचने पर अथवा उसे स्थाई रूप से उपयोग करने से हटाने पर मान्यता नहीं दी जाती है और उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की अपेक्षा नहीं की जाती है. संपत्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति की रखाव रकम के बीच अंतर रूप में परिकलित) को समेकित लाभ अथवा हानि विवरण में उस अवधि में समाविष्ट किया जाता है जिसमें संपत्ति को मान्यता देना बंद किया गया हो.

4. लेखाकरण के बारे में नाजुक फ़ैसले, परिकल्पनाएं और आकलन के महत्वपूर्ण स्रोत

जैसे कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाई गईं लेखा नीतियों को लागू करते समय यह बात अंतर्निहित है कि प्रबंधन को ऐसे फ़ैसले, आकलन करने पड़ेंगे और परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम, आकस्मिक आस्तियों और देयताओं का प्रकटन, राजस्व एवं खर्च की रिपोर्ट की गई रकम को प्रभावित करे. वास्तविक परिणाम, किए गए आकलन और परिकल्पनाओं से भिन्न हो सकते हैं.

आकलन और उसकी अंतर्निहित परिकल्पनाओं की, अविरत आधार पर समीक्षा की जाती है. लेखाकरण संबंधी आकलन में किए गए संशोधन को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें आकलन में संशोधन किया गया हो जो भावी अवधि को प्रभावित करे.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय फैसला, परिकल्पनाएं और आकलन करने में अनिश्चितता के महत्वपूर्ण स्रोत, जिसकी बदौलत, अगले वित्तीय वर्ष के अंदर आस्तियों एवं देयताओं की रखाव रकम में महत्वपूर्ण समायोजन करने की नौबत आए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उपयोगी आयु, कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व, आय कर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में होते हैं.

4.1 लेखा नीतियां लागू करते समय नाज़ुक फ़ैसले करना

नीचे दिए गए फ़ैसले, उन आकलनों से जुड़े फ़ैसलों के अलावा महत्वपूर्ण हैं, (देखें टिप्पणी 4.2) जिनको लेकर प्रबंधन को, समूह की ऐसी लेखा नीतियां लागू करते समय जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं रकम पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़े, नीचे उल्लिखित नाज़ुक फ़ैसले करने पड़ेंगे.

(क) कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण

प्राथमिक आर्थिक माहौल में ऐसी मुद्रा जिसमें समूह, अपना काम चलाता है ('' कार्यात्मक मुद्रा ''), भारतीय रुपया है (₹) जिसमें समूह, मूल रूप से नकद उत्पन्न कर खर्च करता है. तदनुसार, प्रबंधन ने तय किया है कि उसकी कार्यात्मक मुद्रा होगी, भारतीय रुपया (₹)

4.2 आकलन में अनिश्चितता की परिकल्पनाएं और महत्वपूर्ण संसाधन

ऐसे आकलन और पूर्व धारणाओं के बारे में सूचना, जिनका आस्तियों, देयताओं, आय और खर्च को दर्शाने और मापने पर उल्लेखनीय प्रभाव हो, नीचे दी गई है. वास्तविक परिणाम, इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं.

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

प्रबंधन, PPE और अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु के बारे में अपने आकलन की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्ट तारीख को, आस्तियों की खपत से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ के आधार पर करता है.

ख) परिभाषित लाभ के प्रति दायित्व (DBO)

प्रबंधन का DBO का आकलन, अंतर्निहित नाजुक परिकल्पनाओं की संख्या पर आधारित है जैसे मुद्रास्फ़ीति का मानक दर, चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियां, मृत्यु-दर, बट्टा दर और भविष्य में प्रत्याशित वेतन वृद्धि.

इन परिकल्पनाओं में घट-बढ़ हो सकती है जिसका DBO की रकम और वार्षिक परिभाषित लाभ संबंधी खर्च पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है.

ग) आय कर के लिए प्रावधान

अनिश्चित कर देयताओं के संबंध में अदा/वसूल की जाने वाली रकम रहित आय करों के लिए प्रावधान तय करने से जुड़े उल्लेखनीय फ़ैसले लेने पड़ते हैं.

घ) आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना

जिस हद तक आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध किया जा सकता है उसका निर्धारण समूह की उस भावी कर योग्य आय की संभावनाओं पर निर्भर होता है जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करना संभव हो. इसके अलावा, कानूनी अथवा आर्थिक सीमाओं अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का निर्धारण करते समय काफ़ी बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे.

सहायक कंपनी के संबंध में

सहायक कंपनी OMPL ने अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों को यथा 31 मार्च, 2020 दर्शाया है. अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों को दर्शाने के लिए कंपनी ने '' आय कर '' के बारे में Ind AS 12 के प्रावधानों का पालन किया है.

कंपनी ने इससे पहले हानि उठाई थीं और अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को इन परिस्थितियों में लेखाबद्ध करते समय यह निर्धारण करना होगा कि क्या कंपनी में पर्याप्त कर योग्य अस्थाई अंतर है अथवा दूसरा सबूत पेश करना होगा कि ऐसा कर योग्य पर्याप्त लाभ उपलब्ध है जिसके प्रति अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों का उपयोग किया जा सके. इस संबंध में, कंपनी ने अपने भावी कारोबार परिदृश्य का अवलोकन किया और नीचे उल्लिखित बातों के आधार पर भविष्य में उपलब्ध कर योग्य लाभ का अनुमान लगाया और अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों पर आस्थगित कर को लेखाबद्ध किया:

- प्रमुख उत्पादों के लिए वायदा किए गए मुताबिक दीर्घावधि/अल्पावधि खरीदारी की व्यवस्था

- मूल कंपनी के साथ दीर्घावधि आपूर्ति/वापसी धारा संबंधी व्यवस्था
- नए उत्पादों के साथ बाजार की व्याप्ति बढ़ाना
- उप-उत्पादों का निर्यात
- सुधार करने के लिए परियोजनाएं/उपाय - संयंत्र की क्षमता का उपयोग करना, फ़ीड का प्रोसेसिंग और उत्पाद का उत्पादन, उपयोगिता खपत में लागत प्रभावशालिता आदि.
- कम कीमत पर ईंधन प्राकृतिक गैस खरीदने की व्यवस्था

ङ) सहायक कंपनी में निवेश में ह्रास

ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) में किए गए इक्विटी निवेश के निमित्त 31 मार्च, 2020 को कंपनी की रखाव रकम ₹ 17,426.37 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2019 को ₹ 14,876.28 दशलक्ष). OMPL ने 2014-15 में अपना प्रचालन वर्ष एक हरित क्षेत्र वाली परियोजना से शुरु किया जिसने पूर्व वित्तीय वर्षों में हानि उठाई थीं जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्यवत्ता में उल्लेखनीय अवनति हुई है. लेकिन प्रत्यक्ष निष्पादन में सुधार करते हुए और लाभप्रदता बढ़ाने वाले विभिन्न प्रकार के उपाय करते हुए, कंपनी ने प्रारंभ में चुनौतियों का मुकाबला किया.

प्रबंधन ने भविष्य के बारे में धारणाओं के आधार पर वर्तमान मूल्य तक घटाए गए संबंधित भावी नकदी प्रवाह पर विचार किया है. ह्रास का परीक्षण करते समय अकसर कई अस्थिर आर्थिक कारकों जैसे भावी बाजार कीमतों, मुद्रा विनिमय दरों और भावी उत्पादन एवं बट्टा दर को लेकर दीर्घावधि धारणाएं बनानी पड़ती हैं.

उक्त निर्धारण के आधार पर प्रबंधन ने यह फ़ैसला किया है कि निवेश के मूल्य में इस समय हुई अवनति अस्थाई है जो OMPL द्वारा इससे पहले उठाई गई हानियों के कारण है. तदनुसार 31 मार्च, 2020 को कोई ह्रास नहीं हुआ है.

च) पट्टे

यह पहचानना कि क्या ठेके में पट्टा शामिल है या नहीं

समूह, विभिन्न आस्तियों/सेवाओं के लिए किराया/सेवा संबंधी व्यवस्थाएं करता है. समूह, Ind AS 116 के सिद्धांतों के अनुसार यह मूल्यांकन करता है कि क्या ठेके में कोई पट्टा है या नहीं. इसमें उल्लेखनीय फ़ैसले करने पड़ते हैं जिनमें ये बातें शामिल हैं परंतु इन बातों तक सीमित नहीं है, क्या आस्ति को निःसंदेह पहचाना गया है और आपूर्तिकर्ता के पास असली स्थानापन्न अधिकार उपलब्ध हैं, ऐसा फ़ैसला करने का अधिकार कि संबंधित आस्ति का उपयोग किस तरह से किया जाए, व्यवस्था का आर्थिक सार आदि.

पट्टा संबंधी अवधि का निर्धारण (विस्तार और समाप्त करने संबंधी विकल्पों सहित)

समूह, पट्टा संबंधी अवधि को रद्द न करने लायक पट्टी अवधि की तरह मानता है जिसमें पट्टे की अवधि बढ़ाने अथवा समाप्त करने के विकल्प के साथ समायोजन किया गया हो बशर्ते कि ऐसे विकल्प का उपयोग करना लगभग निश्चित हो. अवधि बढ़ाने/समाप्त करने के विकल्प का निर्धारण, पट्टा-दर-पट्टा आधार पर संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार किया जाता है. अगर विकल्प का वास्तव में उपयोग किया जाए तो पट्टा संबंधी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जाता है. ठेकों के मामले में, जहां कुछ परिस्थितियों में समूह को अंतर्निहित आस्ति को किराए पर लेने और न लेने का विकल्प हो(जैसे प्रचालन संबंधी अपेक्षाएं), पट्टे की अवधि को प्रारंभिक ठेका अवधि के रूप में माना जाता है.

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करने के लिए पट्टा संबंधी भुगतानों को पहचानना

निश्चित पट्टा भुगतानों (इन्न-सब्सटेंस निश्चित सहित) को पहचानने के लिए, समूह, पट्टा संबंधी देयता और तदनुरूपी उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का परिकलन करते समय गैर-प्रचालन दिन दर/स्टैंड बाय को न्यूनतम निश्चित पट्टा भुगतान की तरह मानता है.

कम मूल्य के पट्टे

Ind AS 116 में इस बात का निर्धारण करने अपेक्षा की गई है कि क्या अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम है, अगर पट्टेदार, अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम होने पर, पट्टे के संबंध में Ind AS 116 की उसे स्वीकार करने और उसका मापन करने संबंधी अपेक्षाओं को लागू न करने का विकल्प चुने. कम मूल्य का निर्धारण करते समय समूह ने, Ind AS 1 में यथा परिभाषित आस्तियों के स्वरूप और मटीरियलिटी की अवधारण तथा Ind AS के वैचारिक ढांचे पर विचार किया है जिसमें उल्लेखनीय फ़ैसला करना पड़ता है.

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करने के लिए बट्टा दर का निर्धारण करना

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करते समय Ind AS 116 में अपेक्षा की जाती है कि पट्टेदार, अगर पट्टा संबंधी ठेके में निर्दिष्ट दर का फ़ौरन निर्धारण करना संभव न हो तो अपनी वृद्धिशील उधार दर का बट्टा दर के रूप में उपयोग करे.

समूह की कार्यात्मक मुद्रा में अंकित पट्टे के मामले में, समूह, वृद्धिशील उधार को, इसी तरह से निर्धारित संगठनों के लिए कार्पोरेट बाँड रेट के रूप में मानता है.

5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

निवल रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	54.91	17.65
पट्टाधृत भूमि (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)	-	271.74
भवन	4,473.95	4,607.10
संयंत्र और उपकरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख]	1,85,505.94	1,90,485.39
रेलवे साइडिंग	1,534.70	-
फर्नीचर और जुड़नार	277.01	296.77
वाहन	107.04	112.56
कार्यालय उपकरण	463.38	323.04
कुल	1,92,416.93	1,96,114.25

कुल बही मूल्य	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**17.65**	**253.46**	**4,825.02**	**221,354.66**	-	**421.18**	**165.23**	**607.93**	**227,645.13**
परिवर्धन/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-	18.28	551.59	7,736.53	-	47.41	9.37	51.90	8,415.08
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	5.71	449.84	-	1.97	8.75	0.74	467.01
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**17.65**	**271.74**	**5,370.90**	**228,641.35**	**-**	**466.62**	**165.85**	**659.09**	**235,593.20**
परिवर्धन/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	37.26	- 271.74	64.18	5,379.25	1,626.75	33.10	11.10	198.36	7,350.00
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/ अन्य शीर्षों में अंतरण	-		37.26	578.81	-	3.23	0.69	3.85	895.58
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**54.91**	**-**	**5,397.82**	**233,441.79**	**1,626.75**	**496.49**	**176.26**	**853.60**	**242,047.62**

परिशोधित मूल्यह्रास	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	-	-	**587.11**	**28,403.04**	**-**	**102.59**	**44.62**	**247.70**	**29,385.06**
मूल्यह्रास	-	-	176.69	10,107.49	-	68.57	16.16	89.05	10,457.96
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-	-	-	354.57	-	1.31	7.49	0.70	364.07
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	-	-	**763.80**	**38,155.96**	-	**169.85**	**53.29**	**336.05**	**39,478.95**
मूल्यह्रास	-	-	160.07	10,226.14	92.05	52.26	16.49	57.63	10,604.64
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-	-	-	446.25	-	2.63	0.56	3.46	452.90
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	-	-	**923.87**	**47,935.85**	**92.05**	**219.48**	**69.22**	**390.22**	**49,630.69**

क वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' लागू किया. इससे पट्टाधृत भूमि का उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकरण करना पड़ा.

ख. संयंत्र और उपकरण में शामिल है ₹ 39.15 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 39.15 दशलक्ष),जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति में कंपनी का हिस्सा है.

5.1 जमानत के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (देखें टिप्पणी 22):

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है (जिसमें संयंत्र और मशीनों, अतिरिक्त पुरज़ों, औजारों, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन और समस्त अन्य चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनकी सीमा यहां तक समाप्त नहीं होती है).

संघीय बैंक से लिए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है (समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण).

सहायक कंपनी, OMPL के बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा सावधि ऋणों के लिए जमानत के तौर पर अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. बैंक से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत ऋण के लिए जमानत के तौर पर कंपनी की, वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की चालू आस्तियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

5.2 विदेशी विनिमय में पूंजीकृत अंतर

विदेशी मुद्रा अंतर के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में किए गए परिवर्धन शामिल है ₹ 702.71 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2,147.04 दशलक्ष. आस्ति वार परिवर्धन के ब्यौरे यहां नीचे प्रकट किए गए हैं:-

वर्ष	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आस्ति की श्रेणी	विनिमय में अंतर	विनिमय में अंतर
भवन	-	13.97
संयंत्र और उपकरण	702.71	2,133.07
कुल	702.71	2,147.04

5.3 कंपनी, कुछ आर्थिक लाभ के लिए पात्र हैं जैसे पूर्व वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात/स्थानीय खरीदारी पर प्रवेश कर, उत्पाद शुल्क आदि से छूट. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीदारी पर सीमाशुल्क तथा प्रवेश कर के लिए प्राप्त लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में लिया था. कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत को समायोजित कर ₹ 3,618.21 दशलक्ष की राशि आस्थगित सरकारी अनुदान में जमा की थी. आस्थगित कर अनुदान को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शेष उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है.

6 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां

निवल रखाव रकम [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 6.1]	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
पट्टाधृत भूमि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 6.2 और 6.3]	5,360.49	-
भवन	249.60	-
अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां)	2,338.43	-
कुल	7,948.52	-

कुल बही मूल्य	पट्टाधृत भूमि	भवन	अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां)	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	5,470.80	288.05	2,391.71	8,150.56
परिवर्धन	11.96	-	41.55	53.51
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	-	-	6.26	6.26
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	5,482.76	288.05	2,439.52	8,210.33

परिशोधित मूल्यह्रास	पट्टाधृत भूमि	भवन	अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां)	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	-	-	-	-
परिवर्धन	122.27-	38.45	106.01	266.73
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन		-	(4.92)	(4.92)
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	122.27	38.45	101.09	261.81

6.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण पद्धति के सहारे भारतीय लेखा मानक (Ind AS) - 116 'पट्टे' अपनाया. पट्टा संबंधी देयता और उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों को क्रमश: ₹ 2,438.82 दशलक्ष और ₹ 8,150.56 दशलक्ष तक दर्शाया गया है (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य रहा क्योंकि इस अवधि के दौरान Ind AS 116 लागू नहीं था) **[देखें टिप्पणी 5 (क), 7.1, 15.1 और 15.5].**

6.2 इसमें शामिल है, पट्टाधृत भूमि का, जहां स्वामित्व को, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा. इन पट्टाधृत भूमियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

6.3 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में शामिल है ऐसी भूमि जिसकी रकम है ₹ 1,305.60 दशलक्ष जो कंपनी के कब्ज़े में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं.**[देखें टिप्पणी 7.1].**

6.4 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में प्रभारित मूल्यह्रास के लिए ₹ 43.02 दशलक्ष(31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है **[देखें टिप्पणी 7.4].**

6.5 भारतीय लेखा मानक (Ind AS) - 116 '' पट्टे '' लागू करने से कर पूर्व लाभ में (PBT) में ₹ 53.16 दशलक्ष तक गिरावट आई है (मूल्यह्रास खर्च और वित्त लागत में क्रमश: ₹ 223.71 दशलक्ष और ₹ 92.86 दशलक्ष तक वृद्धि और अन्य खर्च में ₹ 263.41 दशलक्ष तक अवनति)

7 प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	संख्या दशलक्ष में	रकम	संख्या दशलक्ष में	रकम
पट्टाधृत भूमि **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.1)**		-		717.31
भवन		249.97		184.28
संयंत्र और उपकरण		16,215.07		6,894.43
रेलवे साइडिंग		-		1,654.53
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		15.48		27.47
आबंटन होने तक परियोजना व्यय :		978.97		
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	300.29		281.99	
वित्त लागत [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.2 और 7.3]	621.90		268.53	
मूल्यह्रास संबंधी खर्च **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.4]**	43.02		-	
अन्य खर्च	47.74		154.08	
घटाएं: वर्ष के दौरान आबंटित/समायोजित	33.98	978.97	229.96	474.64
कुल		**17,459.49**		**9,952.66**

7.1 पिछले वर्ष की पट्टाधृत भूमियों में शामिल है ऐसी भूमि जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं. इसका पुनर्वर्गीकरण, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों के रूप में किया गया है.

7.2 CWIP में किए गए परिवर्धन में शामिल है, उधार लागत के निमित्त ₹ 366.61 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ ₹ 232.47 दशलक्ष) जिसका विभिन्न श्रेणी की आस्तियों में आबंटन किया गया है/किया जाएगा. पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागत की रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर 7.80% रही (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 7.69 %) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है.

7.3 पट्टा संबंधी देयता पर वित्त लागत के प्रति ₹ 101.60 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है.

7.4 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में प्रभारित मूल्यह्रास के लिए ₹ 43.02 दशलक्ष(31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है.

7.5 इसमें शामिल है ओआईडीबी के प्रति लिया गया ऋण जिसकी जमानत के तौर पर, ओआईडीबी की ऋण संबंधी प्राप्तियों में से वित्तपोषित सिर्फ़ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / परियोजनाओं पर दृष्टिबंधक / बंधक के रूप में प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. **[देखें टिप्पणी 22.3.2].**

8 निवेश संपत्ति

इनकी रखाव रकम:	**यथा 31 मार्च, 2020**	**यथा 31 मार्च, 2019**
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	77.96	77.96
कुल	77.96	77.96

कुल रखाव रकम	रकम
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**77.96**
परिवर्धन	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**77.96**
परिवर्धन	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**77.96**

परिशोधित मूल्यह्रास और ह्रास	रकम
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	-
मूल्यह्रास	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	-
मूल्यह्रास	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	-

8.1 पूंजीगत मूल्य वृद्धि के लिए धारित 102.31 एकड़ की भूमि शामिल है.

8.2 निवेश संपत्ति को खरीदने, निर्मित करने अथवा विकसित करने के प्रति कोई संविदागत दायित्व नहीं है.

8.3 चालू वर्ष में निवेश संपत्ति के लिए लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई निवल रकम ₹ शून्य है(31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य).

8.4 ऊपर उल्लिखित निवेश संपत्ति में उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्ति शामिल नहीं की गई है.

8.5 उचित मूल्य का बेहतरीन साक्ष्य है, इसी तरह की संपत्तियों के लिए सक्रिय बाज़ार में वर्तमान कीमतें.

8.6 कंपनी ने, दिनांक 30 अप्रैल, 2018 को स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का उचित मूल्य 31 मार्च, 2020 को ₹ 255.80 दशलक्ष के रूप में निश्चित किया है (31 मार्च, 2019 को ₹ 255.80 दशलक्ष). COVID-19 के कारण वर्तमान स्थिति का जायज़ा लेते हुए निवेश संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका और प्रबंधन की राय है कि 30 अप्रैल, 2018 को अपनाया गया उचित मूल्य, 31 मार्च, 2020 को अपनाया जाएगा.

9 सुनाम

9.1 नाइट्रोजन संयंत्र के निमित्त सुनाम

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	4.04
ह्रास	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	4.04
ह्रास	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	4.04

9.2 सुनाम, नाइट्रोजन संयंत्र का अधिग्रहण करने की खातिर निवल आस्तियों पर प्रदत्त अतिशय प्रतिफल दर्शाता है.

9.3 समेकन पर सुनाम

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
समेकन पर सुनाम	3,768.74	3,768.74
कुल सुनाम (9.1+9.3)	3,772.78	3,772.78

10 अन्य अगोचर आस्तियां

निवल रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	61.08	58.77
लाइसेंस और क्रयाधिकार	36.85	-
कुल	97.93	58.77

कुल रखाव रकम	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	लाइसेंस और क्रयाधिकार	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**152.18**	**-**	**152.18**
परिवर्धन	19.79	-	19.79
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	**171.97**	**-**	**171.97**
परिवर्धन	19.19	49.53	68.72
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण			-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**191.16**	**49.53**	**240.69**

संचित परिशोधन	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	लाइसेंस और क्रयाधिकार	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	95.92	-	95.92
परिशोधन	17.28	-	17.28
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेषराशि	113.20	-	113.20
परिशोधन	16.88	12.68	29.56
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	130.08	12.68	142.76

10.1 आंतरिक रूप से उत्पन्न कोई अगोचर आस्तियां नहीं हैं.

11 निवेश

11.1 इक्विटी लिखतों में निवेश

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	संख्या दशलक्ष में	रकम	संख्या दशलक्ष में	रकम
कोट न किए गए निवेश (सभी पूर्णतः प्रदत्त)				
(i) निवेश (उचित मूल्य पर)				
(क) मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	0.48	4.80	0.48	4.80
(ख) मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	0.02	0.28	0.02	0.28
(ii) संयुक्त उद्यम में निवेश (इक्विटी पद्धति) (शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड) (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	15.00	287.87	15.00	282.50
कुल		**292.95**		**287.58**

	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
कोट न किए गए निवेश की कुल रखाव रकम	292.95	287.58
निवेश के मूल्य हुए ह्रास की कुल रकम	-	-

11.1.1 **निवेश के ब्यौरे**

कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	स्वत्व हित का अनुपात / धारित मताधिकार	
			यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
(क) मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	विशेष आर्थिक अंचल का विकासकर्ता	भारत	0.96%	0.96%
(ख) मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड(MRSL)	पेट्रोलियम उत्पादों का, खुदरा केंद्रों और परिवहन टर्मिनल के जरिए वितरण	भारत	18.98%	18.98%

11.1.2 सहायक कंपनी, OMPL द्वारा मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड में किए गए निवेश को प्रारंभ में लागत पर और बाद में लाभ-हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया है. सहायक कंपनी के प्रबंधन ने ऐसे निवेश के उचित मूल्य को (स्तर 3 के सोपान पर), प्रत्येक रिपोर्ट अवधि पर रखाव रकम के समतुल्य माना है.

11.1.3 MRSL में निवेश को लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया है. प्रबंधन ने ऐसे निवेश के उचित मूल्य को (स्तर 3 के सोपान पर), प्रत्येक रिपोर्ट अवधि पर रखाव रकम के समतुल्य माना है.

11.1.4 **संयुक्त उद्यम के ब्यौरे**

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	स्वत्व हित का अनुपात / धारित मताधिकार	
			यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	विमानन ईंधन का व्यापार	भारत	50.00%	50.00%

संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.6.**

12 ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर चालू	चालू
(क) बयाना (जमानत रहित, शोध्य समझे गए)				
संबंधित पक्षकारों के पास:	44.17	-	31.21	3.59
विक्रेताओं के पास	156.58	4.51	144.26	3.81
	200.75	**4.51**	**175.47**	**7.40**
(ख) कर्मचारियों को दिए गए ऋण				
जमानती, शोध्य समझे गए	948.11	121.53	770.33	96.47
जमानत रहित शोध्य समझे गए	-	6.91	-	11.21
जमाराशि में ह्रास				
- ऐसे ऋण जिसे पाने में क्षति हुई हो	-	0.69	-	0.81
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के निमित्त क्षति	-	0.69	-	0.81
	948.11	**128.44**	**770.33**	**107.68**
ग) निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण (जमानती, शोध्य समझे गए)	**0.58**	**0.09**	**0.67**	**0.15**
(घ) **ग्राहकों को दिए गए ऋण** (जमानती, शोध्य समझे गए) [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 12.1]	**1.59**	**0.15**	**-**	**-**
कुल	1,151.03	133.19	946.47	115.23

12.1 कंपनी ने आधारभूत निधि योजना (CFS) के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के व्यापारियों को खुदरा केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत, व्यापारी से कार्यकारी पूंजीगत ऋण/सहायता की मांग करते हुए लिखित दरख्वास्त मिलने पर कंपनी, व्यापारी के पूर्ण प्रचालन चक्र के लिए कार्यकारी पूंजीगत ऋण (सात दिनों की बिक्री की मात्रा के समतुल्य) देती है. यह कार्यकारी पूंजीगत ऋण और उस पर निर्दिष्ट दर से ब्याज, व्यापारी द्वारा चलाया गया खुदरा केंद्र चालू हुए तेरहवें महीने से सौ समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा.

13 अन्य वित्तीय आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर चालू	चालू
(क) प्रतिभूति				
(जमानती, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)				
(क) कर्मचारियों/निदेशकों/अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋणों पर	198.57	3.04	135.04	1.72
उपचित ब्याज				
(ख) अन्य पर उपचित परंतु देय न हुआ ब्याज, जमानती, शोध्य समझा गया	-	1.84	-	1.48
गैर जमानती, शोध्य समझा गया	-	-	-	2.38
	-	1.84	-	3.86
(ग) संबंधित पक्षकारों से प्राप्य गैर जमानती, शोध्य समझे गए)	-	1.68	-	0.91
कुल	198.57	6.56	135.04	6.49

14 कर आस्तियां/ (देयताएं) (निवल)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर चालू	चालू
कर आस्तियां (अग्रिम कर)	10,019.29	3,067.90	54,059.25	2,745.88
घटाएं: चालू कर देयताओं के लिए प्रावधान	8,382.75	1,084.76	52,059.98	1,221.58
निवल कर आस्तियां/ (देयताएं) (क)	1,636.54	1,983.14	1,999.27	1,524.30
प्रदत्त विवादग्रस्त आय कर (ख) कुल (क+ख)	-	-	307.24	-
	1,636.54	1,983.14	2,306.51	1,524.30

14.1 कंपनी ने, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत आय कर विवाद निपटाने का विकल्प चुना है और तदनुसार उक्त योजना के तहत देय ₹1,084.76 दशलक्ष की रकम, चालू वर्ष के दौरान लाभ-हानि विवरण में पूर्व वर्ष के कर के रूप में दर्शाई गई है. इसका अनुसरण करते हुए कर आस्तियों और देयताओं का 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्वर्गीकरण किया गया है. कर निर्धारण वर्षों की ₹ 2,908.37 दशलक्ष की कर आस्तियां और ₹ 1,084.76 दशलक्ष की देयताएं, जिनके लिए कंपनी ने क्रमश: वर्तमान कर आस्तियों और वर्तमान कर देयताओं के रूप में समझने का विकल्प चुना है क्योंकि इनको एक वर्ष के अंदर निपटाने की उम्मीद है.

14.2 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आय कर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 115BAA अंतर्विष्ट की है जिससे देशी कंपनियों को, कुछ शर्तों पर घटाई गई दर पर कार्पोरेट कर अदा करने का, रद्द न करने लायक विकल्प मिला है. ऐसा विकल्प, वित्तीय वर्ष 2019-20 अथवा बाद में किसी वित्तीय वर्ष में चुना जा सकता है. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, पुरानी कार्पोरेट कर दर पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं. लेकिन, कंपनी, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नई निम्नतर कर दर का विकल्प, आय कर विवरणी पेश करते समय नियत तारीख तक या उससे पहले चुन सकती है.

15 अन्य आस्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर चालू	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)				
(क) अन्य को पूंजीगत अग्रिम				
जमानती, शोध्य समझे गए	1,061.34	-	10.10	-
जमानत रहित शोध्य समझे गए [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 15.1]	7,063.29	-	7,709.68	-
	8,124.63	**-**	**7,719.78**	**-**
(ख) सरकारी प्राधिकरण के पास जमाराशि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 15.2, 15.3 और 15.4]	**378.73**	**2,471.87**	**2,503.98**	**356.48**
(ग) वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम				
संबंधित पक्षकारों से	-	1.48	-	114.68
अन्य पक्षकारों से	-	1,316.87	-	2,647.73
	-	**1,318.35**	**-**	**2,762.41**
(घ) सरकारी प्राधिकरण के पास शेषराशि	**-**	**860.80**	**-**	**2,119.82**
(ङ) पूर्व भुगतान [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 15.5 और 15.6]				
पट्टाधृत भूमि	-	-	2,200.97	55.18
गारंटी शुल्क	-	-	-	-
अन्य	217.90	81.56	2,355.94	426.60
			4,556.91	**481.78**
	217.90	**81.56**		
(च) सोने के सिक्के	**-**	**0.91**	**-**	**0.91**
(छ) वापस करने लायक आधार पर स्टॉक	**-**	41.39	**-**	**181.68**
घटाएं: स्टॉक में हानि	**-**	41.39	**-**	**41.39**
		-	**140.29**	
कुल	**8,721.26**	**4,733.49**	**14,780.67**	**5,861.69**

15.1 पिछले वर्ष पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रदत्त ₹ 223.65 दशलक्ष की रकम का अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया है क्योंकि कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 "पट्टे" को अपनाया.

15.2 विवाद के अधीन प्रदत्त रकम शामिल है.

15.3 माननीय CESTAT के समक्ष लंबित रीफ़ॉर्मेट आयात के वर्गीकरण से संबंधित अपील के संबंध में, ₹ 2,125.25 दशलक्ष शामिल है, जिसमें वर्ष के दौरान बारी के बिना जल्द ही मामले की सुनवाई करने के लिए आवेदन पत्र भी माननीय CESTAT द्वारा स्वीकार किया गया है, कंपनी ने इसे वर्तमान के रूप में माना है क्योंकि इसे एक वर्ष के अंदर निपटाने की उम्मीद है.

15.4 ''वित्त अधिनियम 2019 '' के तहत घोषित '' सब का विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 '' के तहत जो 1 सितंबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक लागू थी, अपीलाधीन और बंद करने के लिए पेश की गई, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर संबंधी मामलों से संबंधित ₹ 2.31 दशलक्ष की पूर्व-जमाराशि शामिल है. इसमें से ₹ 2.07 दशलक्ष को पहले से ही देयता के रूप में प्रदान किया गया था और नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों से अनुमोदन मिलने और योजना के अनुसार उस बारे में उन्मोचन प्रमाणपत्र मिलने पर इसे पूर्व-जमाराशि के प्रति समायोजित किया जाएगा. समापन के लिए पेश किया गए मामलों के लिए नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों से अनुमोदन मिलने और योजना के अनुसार उस बारे में उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी होने पर, शेष ₹ 0.24 दशलक्ष को (जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है) लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाएगा.

15.5 पिछले वर्ष पूर्व भुगतान के तहत वर्गीकृत ₹ 1,338.78 दशलक्ष की रकम का अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया है क्योंकि कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 "पट्टे" को अपनाया.

15.6 सहायक कंपनी, OMPL - मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड (' विकासकर्ता ') कॉरिडॉर पाइपलाइन और संबंधित सुविधाओं (' सुविधाएँ ') का निर्माण कर रहा है. उक्त सुविधाओं के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त अंशदान, आस्ति की उपयोगी अवधि में परिशोधित निवल मूल्य स्वरूप ROW प्रभार के पूर्व भुगतान के अधीन दर्शाया गया है. 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण पद्धति के सहारे Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया और तदनुसार इसे बहियों में उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों के रूप में लेखाबद्ध किया गया है.

16 स्टॉक

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर चालू	चालू
कच्चा माल				
(क) हाथ में	8,316.40		17,729.63	
(ख) मार्ग में	6,845.88	15,162.28	7,272.70	25,002.33
प्रक्रिया में स्टॉक		5,160.98		9,998.46
तैयार माल	13,662.03		21,420.80	
घटाएं: स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	5.91	13,656.12	5.91	21,414.89
व्यापार में स्टॉक – स्नेहन तेल		0.07		0.12
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे				
(क) हाथ में	8,355.33		6,576.47	
(ख) मार्ग में	86.76		181.88	
घटाएं: ऐसे स्टॉक के लिए प्रावधान जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	99.33	8,342.76	87.38	6,670.97
कुल		42,322.21		63,086.77

16.1 वर्ष के दौरान खर्च के रूप में दर्शाई गई स्टॉक लागत (बिक्री लागत) ₹ 588,854.90 दशलक्ष रही (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 681,539.36 दशलक्ष).

16.2 खर्च के रूप में दर्शाए गए स्टॉक लागत में शामिल है निवल वसूल करने योग्य मूल्य की तुलना में प्रतिलेखित स्टॉक के संबंध में ₹ 11,212.40 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 84.46 दशलक्ष). चालू वर्ष और पिछले वर्ष में इस तरह प्रतिलेखित स्टॉक का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है. दुनिया भर में सर्वव्यापी COVID-19 महामारी फ़ैलने और 25 मार्च, 2020 से राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन जारी करने के साथ-साथ अन्य सामान्य कारकों के परिणामस्वरूप क्रूड की कीमतों में एकदम गिरावट आई और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए मुनाफ़े में अवनति आई और नतीजतन धारित कंपनी के स्टॉक को उनके निवल वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिलेखित किया गया.

16.3 स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी **टिप्पणी 3.21** में दी गई है.

17 प्राप्य व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
जमानती **[देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 17.4]**		
- शोध्य समझे गए	243.54	2,142.00
गैर जमानती		
- शोध्य समझे गए	9,928.18	21,597.22
जमाराशि में ह्रास		
- प्राप्त रकम जिनकी जमाराशि में क्षति हुई हो	1,142.36	985.95
घटाएं: प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त हानि	1,142.36	985.95
कुल	10,171.72	23,739.22

17.1 सामान्यत:, कंपनी, मुद्दती ठेकों और हाजिर अंतर्राष्ट्रीय टेंडरों और एसईज़ड् ग्राहकों आपूर्तियों के जरिए उत्पादों का निर्यात करने के अलावा देशी बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्था करती है. बिक्री पर औसत क्रेडिट अवधि 7 से 45 दिन तक होती है (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 7 से 45 दिन रही). बीजक दिनांक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापार रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है जो बकाया शेषराशि पर लागू बैंक दर पर 2% प्रति वर्ष तक होता है(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 3% प्रति वर्ष).

सहायक कंपनी, OMPL अल्पावधि टेंडर व्यवस्था और साथ ही B2B के जरिए निर्यात से बिक्री नहीं करती है. कंपनी, देश में बिक्री, नियंत्रक कंपनी के साथ करती है और दूसरों के साथ अल्पावधि व्यवस्था करती है. औसत क्रेडिट अवधि 7 से 30 दिन तक होती है (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 7 से 15 दिन रही). बीजक दिनांक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापार रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है.

17.2 प्राप्य व्यापार रकम में से 31 मार्च, 2020 को ₹ 8,549.39 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 21,542.66 दशलक्ष) की शेषराशि, नीचे उल्लिखित ग्राहकों से देय है. दूसरे ऐसे कोई ग्राहक नहीं है जिनसे नीचे उल्लिखित से भिन्न, प्राप्य कुल व्यापार शेषराशि के 5% से अधिक रकम देय हो.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
ग्राहक 1	956.80	7,327.99
ग्राहक 2	5,809.64	7,220.53
ग्राहक 3	1,103.79	2,464.87
ग्राहक 4	-	1,811.48
ग्राहक 5	-	1,313.62
ग्राहक 6	679.16	6.92
ग्राहक 7	-	1,397.25
कुल	8,549.39	21,542.66

नोट: बाजार में गोपनीयता बनाए रखने के लिहाज से प्रमुख ग्राहकों की पहचान प्रकट नहीं की जाती है.

17.3 सामान्यत:, समूह, अपने ग्राहकों से सभी प्राप्य रकम, लागू क्रेडिट अवधि के अंदर ही वसूल करता है. समूह, प्रत्येक लेन-देन से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपने तमाम ग्राहकों से प्राप्य व्यापार रकम पर ह्रास का निर्धारण करता है.

17.4 ग्राहकों से प्राप्त बैंक गारंटी और साख पत्र द्वारा प्रतिभूत.

17.5 समूह का, ऋण देने में निहित जोखिम का सांद्रण इस कारण है कि समूह को, ग्राहकों से **टिप्पणी 17.2** में बताए गए तरीके से काफ़ी हद तक रकम प्राप्त होनी है लेकिन ये ग्राहक, प्रतिष्ठित हैं और साख पात्र हैं.

17.6 कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से प्राप्य कोई बकाया रकम नहीं है.

17.7 प्राप्य व्यापार राशियों की उम्र:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
क्रेडिट अवधि के अंदर	9,550.35	23,331.82
1-30 दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	375.62	130.15
31-90 दिन बीत गए हैं, देय दिनांक से	228.40	117.16
देय दिनांक से, 90 दिन से अधिक दिन बीत गए हैं	1,159.71	1,146.04
कुल	11,314.08	24,725.17

17.8 प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त ह्रास का चलन

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	985.95	973.61
जोडें: अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए परिवर्धन/(विलोमन)	158.41	30.62
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रति लेखन	2.00	18.28
वर्ष के अंत में शेषराशि	1,142.36	985.95

18 नकद और नकदी समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
बैंकों में शेषराशि	15.82	41.56
हाथ में नकद	2.18	5.17
कुल	18.00	46.73

19 अन्य बैंक शेषराशि

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
धारणाधिकार के अधीन अन्य बैंक जमाराशियां	0.09	4,578.40
डिबेंचर खाते पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 19.1]**	0.01	0.01
अदावी लाभांश खाता **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 19.2]**	249.79	259.96
कर्मचारी हितकारी निधि के लिए निर्बंधित बैंक शेषराशि	12.26	11.07
कुल	262.15	4,849.44

19.1 डिबेंचरों पर अदावी ब्याज खाते में जमा की गई रकम, ब्याज का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

19.2 अदावी लाभांश खाते में जमा की गई रकम, लाभांश का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

20 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 को प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर)	**29,000.00**	**29,000.00**
प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 मोचनीय अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2019 को प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमानी शेयर)	**1,000.00**	**1,000.00**
निर्गमित और अभिदत्त:		
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 को प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)	**17,525.99**	**17,525.99**
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर:		
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019 को प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)	17,525.99	17,525.99
जोड़ें: जब्त शेयर **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 20.5)**	0.65	0.65
कुल	17,526.64	17,526.64

रिपोर्ट अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	कुल शेयर दशलक्ष में	शेयर पूँजी
1 अप्रैल, 2018 को शेषराशि	**1,752.60**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	
31 मार्च, 2019 को बकाया	**1,752.60**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	
31 मार्च, 2020 को बकाया	**1,752.60**	**17,525.99**

20.1 **इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार**

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर है. इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक, प्रति शेयर एक वोट पाने का हकदार है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

कंपनी का परिसमापन होने पर इक्विटी शेयर धारकों को तमाम अधिमानी रकम वितरण करने के बाद बची कंपनी आस्तियां प्राप्त करने का हक होगा. शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा.

20.2 नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी अथवा सहबद्ध कंपनियों द्वारा धारित शेयर, निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.3 **कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-**

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.4 विकल्पों और ठेकों अथवा शेयरों की बिक्री के लिए प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्गमित करने अथवा विनिवेश के लिए आरक्षित इक्विटी शेयर: कुछ नहीं (31 मार्च, 2019 को: कुछ नहीं).

20.5 प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयरों को(₹ 10 के 303,550 इक्विटी शेयरों के समतुल्य) वर्ष 2009-10 में जब्त किया गया जिसके प्रति मूल रूप से प्रदत्त रकम ₹ 654,000 रही.

21 अन्य इक्विटी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
(क) मानी गई इक्विटी **[देखें टिप्पणी 3.25.2 (क)]**	42.17	42.17
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	91.86	91.86
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम	3,463.90	3,466.45
(iii) पूंजीगत आरक्षित निधि	0.07	0.07
(iv) सामान्य आरक्षित निधि	1,192.00	1,192.00
(v) डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि	-	228.94
(vi) यौगिक वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक	4,733.43	-
(vii) प्रतिधारित अर्जन	41,297.04	76,909.64
कुल	**50,820.47**	**81,931.13**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
(क) मानी गई इक्विटी (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.1)		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	42.17	38.40
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	3.77
वर्ष के अंत में शेषराशि	42.17	42.17
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.2]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	91.86	91.86
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**91.86**	**91.86**
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.3]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	3,466.45	3,467.98
वर्ष के दौरान अंतरण	(2.55)	(1.53)
वर्ष के अंत में शेषराशि	**3,463.90**	**3,466.45**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
iii) पूंजीगत आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.4]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	0.07	0.07
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**0.07**	**0.07**
(iv) सामान्य आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.5]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,192.00	1,192.00
प्रतिधारित अर्जनों में से अंतरण		-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,192.00**	**1,192.00**
(v) डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	228.94	-
प्रतिधारित अर्जनों/गैर नियंत्रक हित में/से अंतरण	(228.94)	228.94
वर्ष के अंत में शेषराशि	-	**228.94**
(vi) यौगिक वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.6]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त	3,947.74	-
यौगिक वित्तीय लिखत के इक्विटी घटक पर आस्थगित कर का प्रभाव	785.69	-
वर्ष के दौरान अंतरण		-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**4,733.43**	-
(vii) प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	76,909.64	80,017.17
वर्ष का कर उपरांत लाभ	(33,529.18)	3,400.43
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	(87.33)	(52.64)
लाभांश का भुगतान	(1,752.60)	(5,257.80)
लाभांश पर कर	(360.25)	(1,080.76)
पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि से/में अंतरण	116.76	(116.76)
वर्ष के अंत में शेषराशि	**41,297.04**	**76,909.64**

21.1 मानी गई इक्विटी के रूप में दर्शाई गई ₹ 42.17 दशलक्ष (31 मार्च 2019 को ₹ 42.17 दशलक्ष) की रकम, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड से किसी प्रतिफल के बगैर प्राप्त वित्तीय गारंटी के प्रति शुल्क का उचित मूल्य दर्शाती है.

21.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अधिमानी शेयर पूंजी का प्रतिदान होने पर पूंजीगत प्रतिदान आरक्षित निधि निर्मित की.

21.3 कंपनी ने, इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम करने पर प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि का निर्माण किया जिसका कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयोग किया जा सकेगा.

21.4 वर्ष 2014-15 के दौरान समेकन के निमित्त निर्मित पूंजीगत आरक्षित निधि.

21.5 सामान्य आरक्षित निधि का, समय-समय पर, विनियोजन करने के प्रयोजन से, प्रतिधारित अर्जन से लाभ अंतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है. चूंकि सामान्य आरक्षित निधि का निर्माण करते समय इक्विटी के एक घटक से दूसरे में अंतरण किया जाता है और अन्य व्यापक आय की एक मद नहीं होती है इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में सम्मिलित मदों का बाद में लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा.

21.6 सहायक कंपनी, OMPL ने 5 मार्च, 2020 को निजी व्यवस्था के जरिए प्रत्येक ₹ 10 दशलक्ष के 1,000 अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) आबंटित किए. कंपनी ने विभिन्न श्रृंखलाओं में CCDs निर्गमित किए हैं. CCDs, बैक स्टॉप के रूप में होते हैं जिसके लिए समर्थन प्रायोजक कंपनियों से मिलता है जिसके तहत विकल्प व्यवस्था के नियमों और शर्तों पर डिबेंचरों को अनिवार्य तौर पर खरीदना पड़ता है. .

21.7 कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में अपने इक्विटी शेयरधारकों को वितरित की जानेवाली रकम का निर्धारण करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और कंपनी लाभांश वितरण नीति पर विचार किया जाता है. इस प्रकार से, सामान्य आरक्षित निधि में दर्शाई गई रकम का समग्र रूप से वितरण करना संभव नहीं होगा.

22 उधार

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
जमानती - परिशोधित लागत पर				
सावधि ऋण:-				
बैंकों से				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.1]**	23,066.68	-	31,240.94	-
विदेशी मुद्रा उधार (FCTL) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.2]**	27,182.19	-	-	-
अन्य पक्षकारों से				
तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.3]**	4,720.00	-	2,680.00	-
आस्थगित भुगतान देयताएं:-				
आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.4]**	360.78	-	225.56	-
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.5]**	-	8,632.30	-	4,654.87
गैर जमानती - परिशोधित लागत पर				
डिबेंचर :-				
अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.6]**	25,586.59	-	-	-
यौगिक वित्तीय लिखतों का देयता घटक				
अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCD's) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.7]**	1,507.59	688.87	-	-

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
सावधि ऋण:-				
बैंकों से				
बैंक से रुपया सावधि ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.8]**	-	-	5,142.50	-
विदेशी मुद्रा उधार (FCTL) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.9]**	11,328.69	-	-	-
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB): कार्यकारी पूंजी **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.10]**	30,025.03	-	68.52	-
विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.11]**	-	11,866.06	-	49,795.20
खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.12]**	-	-	-	24,206.00
बिल भुनाई सुविधा: भारतीय स्टेट बैंक **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.13]**	-	6,324.45	-	-
अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.14]**	-	3,700.00	-	-
अन्य पक्षकारों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण				
वाणिज्यिक पत्र **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.15]**	-	-	-	4,000.00
बैंकों से मांगने पर प्रतिदेय ऋण				
अल्पावधि रुपया ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.16]**	-	4,732.16	-	370.00
कुल	**1,23,777.55**	**35,943.84**	**39,357.52**	**83,026.07**

22.1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)

22.1.1 कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR 6 महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2020 को ब्याज दर 2.90% रही और 31 मार्च, 2019 को 3.86% रही.)

22.1.2 बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है (जिसमें संयंत्र और मशीनों, अतिरिक्त पुरज़ों, औजारों, फर्नीचर, जुड़ना, वाहन और समस्त अन्य चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनकी सीमा यहां तक समाप्त नहीं होती है).

22.1.3 सहायक कंपनी, OMPL ने बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए हैं जो USD में अंकित ऋण के रूप में हैं स पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR 6 महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2020 को ब्याज दर 4.46% है और 31 मार्च, 2019 को 5.00% रही.)

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर भूमि और सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम प्रभार और सभी अचल संपत्ति और उपकरण एवं सभी चालू आस्तियों पर दृष्टिबंधक के रूप में द्वितीय प्रभार निर्मित किया गया है.

22.1.4 ₹ 9,777.57 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 3,259.82 दशलक्ष), जिसे एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 23** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

22.1.5 ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.17)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2019-20	-	3,273.44
2020-21	9,785.66	10,189.44
2021-22	11,135.31	10,189.44
2022-23	8,112.10	7,423.04
2023-24	3,894.09	3,563.32
कुल	**32,927.16**	**34,638.68**

22.2 विदेशी मुद्रा उधार (FCTL)

22.2.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सहायक कंपनी, OMPL ने तीन बैंकों से USD 510 दशलक्ष के मध्यावधि सावधि विदेशी मुद्रा ऋण लिए हैं.

22.2.2 USD 360 दशलक्ष की विदेशी मुद्रा उधार राशि की अवधि, 3 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के साथ आठ वर्ष है और इसके लिए कंपनी की अचल आस्तियों पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है. यह ऋण, 20 तिमाही किस्तों में चुकाना होगा जिस पर परिवर्तनीय ब्याज दर लगाई जाएगी जो छह महीने Libor + स्प्रेड है (31 मार्च, 2020 को ब्याज दर 3.93% से 4.28% तक रही).

22.2.3 FCTL की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.17)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2022-23	3,023.20	-
2023-24	5,109.21	-
2024-25	5,441.76	-
2025-26	5,441.76	-
2026-27	6,197.56	-
2027-28	1,995.31	-
कुल	**27,208.80**	-

22.3 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण

22.3.1 कंपनी द्वारा OIDB से लिए गए ऋण पर निश्चित ब्याज दर लगाई जाती है (31 मार्च, 2020 को ₹ 2,680.00 दशलक्ष पर ब्याज दर (7.98%), ₹ 1,840.00 दशलक्ष पर (7.00%), ₹ 150.00 दशलक्ष पर (7.50%), ₹ 450.00 दशलक्ष पर (7.11%) और ₹ 270.00 दशलक्ष पर (7.03%) तथा 31 मार्च, 2019 को ब्याज दर 7.98%) रही.

22.3.2 ओआईडीबी ऋण के लिए जमानत के तौर पर, ओआईडीबी की ऋण संबंधी प्राप्तियों में से वित्तपोषित सिर्फ़ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / परियोजनाओं पर दृष्टिबंधक / बंधक के रूप में प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

22.3.3 ₹ 670.00 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य), जिसे एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 23** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

22.3.4 OIDB से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.17)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2020-21	670.00	670.00
2021-22	1,347.50	670.00
2022-23	1,347.50	670.00
2023-24	1,347.50	670.00
2024-25	677.50	-
कुल	**5,390.00**	**2,680.00**

22.4 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण :

22.4.1 VAT ऋण के प्रति आस्थगित भुगतान देयता, कर्नाटक सरकार से प्राप्त "ब्याज मुक्त ऋण" खाते पर देय राशि दर्शाती है. VAT के प्रति दिया गया यह ब्याज मुक्त ऋण 31 मार्च 2028 से प्रतिदेय होगा.

22.4.2 बाजार के कम ब्याज दर पर दिए गए सरकारी ऋण के फायदे को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है (Ind AS 20). ब्याज मुक्त ऋण, Ind AS 109 वित्तीय लिखतों के अनुसार निर्धारित तथा मापा जाता है. ब्याज मुक्त ऋण के लाभ को, Ind AS 109 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक रखाव मूल्य और प्राप्त आय के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है. लाभ को इस मानक के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है.

22.4.3 आस्थगित भुगतान देयताएं- VAT ऋण के लिए जमानत के तौर पर कंपनी द्वारा बैंक गारंटी दी गई है.

22.4.4 आस्थगित भुगतान देयता - VAT ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.17)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2027-28	132.61	132.61
2028-29	155.16	155.16
2029-30	197.76	197.76
2030-31	208.53	107.51
2031-32	322.83	-
कुल	**1,016.89**	**593.04**

22.5 **बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण**

22.5.1 संघीय बैंक से लिए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है (समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण). मीयादी जमाराशियों के प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में बैंकों से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर मूल मीयादी जमाराशियों पर दृष्टिबंधक निर्मित किया जाता है.

22.5.2 सहायक कंपनी, OMPL द्वारा बैंक से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत ऋण के लिए जमानत के तौर पर कंपनी की, वर्तमान आस्तियों प्रथम सम मात्रा प्रभार और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

22.6 डिबेंचर :

जमानत रहित मोचनीय अपरिवर्तनीय निश्चित दर पर डिबेंचर (निजी तौर पर रखे गए) :

क्रम सं.	ISIN	प्रति डिबेंचर अंकित मूल्य (₹)	आबंटन तारीख	यथा 31/03/2020	कूपन दर	परिपक्वता [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.17]	
1	INE103A08019	10,00,000	13-जनवरी-20	9,997.05	7.40%	10,000.00	12-अप्रैल-30
2	INE103A08035	10,00,000	29-जनवरी-20	10,591.00	7.75%	10,600.00	29-जनवरी-30
3	INE103A08027	10,00,000	13-जनवरी-20	4,998.54	6.64%	5,000.00	14-अप्रैल-23
	कुल			**25,586.59**		**25,600.00**	

22.7 **जमानत रहित अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCD's)**

22.7.1 सहायक कंपनी OMPL ने, निजी व्यवस्था के जरिए 5 मार्च, 2020 को प्रत्येक ₹10 दशलक्ष के 1,000 अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर(CCDs) आबंटित किए. कंपनी 3 विभिन्न राज्यों में CCDs निर्गमित किए हैं. श्रृंखला I डिबेंचर में 8.35% प्र.व. की कूपन दर के साथ ₹ 2,500 दशलक्ष श्रृंखला I श्रृंखला II डिबेंचर में 8.50% प्र.व. की कूपन दर के साथ ₹ 2,500 दशलक्ष श्रृंखला III डिबेंचर में 8.75% प्र.व. की कूपन दर के साथ ₹ 5,000 दशलक्ष इन तीनों श्रृंखलाओं के डिबेंचरों पर ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाएगा.

22.7.2 कूपन दर श्रृंखला I डिबेंचर, ब्याज दर पर दिए जा रहे हैं जिनको 364 दिन के ख़जाना बिल दर के साथ जोड़ा गया है जिनको वार्षिक आधार पर रीसेट किया जाएगा. श्रृंखला II और श्रृंखला III डिबेंचरों पर कूपन दर, डिबेंचरों की अवधि के आधार पर निश्चित है. CCDs के लेन-देन दस्तावेज के अधीन, कंपनी का दायित्व है कि वह निवेशकर्ताओं को वक्त पर ब्याज अदा करे. आगे, CCDs के लिए समर्थन के तौर पर प्रायोजक कंपनियों का वचन मिलता है जिसमें यह आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी द्वारा डिबेंचरों पर कूपन रकम न दिए जाने पर उसका भुगतान किया जाएगा.

22.7.3 CCDs की अवधि, माने गए आबंटन दिनांक से 36 महीने है जिसमें 35वें महीने के अंत में आज्ञापक बेचने/मांगने का विकल्प है. प्रायोजकों को आबंटन दिनांक से 36वें महीने के अंत में निवेशकर्ताओं से अनिवार्य तौर पर सभी CCDs खरीदने पड़ेंगे.

22.7.4 प्रायोजक भी, आबंटन तारीख से 35वां महीना समाप्त होने से पहले किसी भी समय CCDs खरीद सकते हैं. चूक होने पर निवेशकर्ताओं के पास प्रायोजकों द्वारा बेचने का विकल्प होगा.

22.7.5 विकल्प संबंधी करार के अधीन कंपनी का दायित्व इन डिबेंचरों पर ब्याज देने तक ही सीमित होगा. CCDs का परिवर्तन करने पर कंपनी से अपेक्षा होगी कि वह , उन प्रायोजकों को जो कंपनी के मौजूदा शेयरधारक हैं, इक्विटी शेयर निर्गमित करे.

22.7.6

क्रम सं.	विवरण	अंकित मूल्य	परिवर्तनीय डिबेंचर का इक्विटी घटक	परिवर्तनीय डिबेंचरों का गैर-चालू देयता घटक	परिवर्तनीय डिबेंचरों का चालू देयता घटक
1	8.35% कूपन दर पर CCD निर्गम I	2,500.00	1,952.84	366.47	167.45
2	8.50% कूपन दर पर CCD निर्गम II	2,500.00	1,943.01	373.06	170.46
3	8.75% कूपन दर पर CCD निर्गम III	5,000.00	3,853.26	768.06	350.96
	कुल	**10,000.00**	**7,749.11**	**1,507.59**	**688.87**

22.8 बैंक से रुपया सावधि ऋण

22.8.1 कंपनी द्वारा SBI से लिए गए सावधि ऋण पर परिवर्ती दर से ब्याज देना पड़ता है जो तीन महीने का MCLR + स्प्रेड है (ब्याज दर, 31 मार्च, 2020 को 7.84% और 31 मार्च, 2019 को शून्य 8.39% रही).

22.8.2 ₹ 6,856.72 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 6,857.20 दशलक्ष)को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 23** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (गैर जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

22.8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने COVID-19 के अधीन कई राहत उपाय घोषित किए - प्रेस विज्ञप्ति RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च, 2020 के जरिए आम उद्योगों के लिए विनियामक पैकेज. इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ राहत दी गई है जिसमें निर्दिष्ट उधारकर्ताओं को दिए तमाम सावधि ऋणों के लिए 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 (90 दिन) तक की राहत अवधि के दौरान देय ब्याज सहित कर्ज की किस्तों का बोझ कम किया जाएगा. परिपत्र में सभी निर्दिष्ट उधारकर्ताओं को सावधि ऋण की किस्तें (ब्याज सहित) चुकाने के लिए अवधि 90 दिन तक बढ़ाने की राहत प्रदान की गई है. ऋण स्थगन अवधि के दौरान सावधि ऋणों के बकाया अंश पर ब्याज उपचित होता रहेगा. इस परिपत्र के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को देय उपचित ब्याज के साथ ऋण किस्तों को जो क्रमश: ₹ 1,714.30 दशलक्ष और ₹ 45.66 दशलक्ष है, आस्थगित करने की सुविधा ली है.

22.8.4 **SBI से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:**

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.17)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2019-20	-	6,857.20
2020-21	6,856.72	5,142.50
कुल	**6,856.72**	**11,999.70**

22.9 विदेशी मुद्रा उधार (FCTL)

22.9.1 सहायक कंपनी, OMPL ने USD 150 दशलक्ष के बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए हैं जो जमानत रहित है जिसकी अवधि तीन वर्ष है और परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR 6 महीने + स्प्रेड है. (31 मार्च, 2020 को ब्याज दर 3.92% से 3.93% रही.)

22.9.2 FCTL की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.17)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2022-23	11,337.00	-
कुल	**11,337.00**	**-**

22.10 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत सावधि ऋण - ECB

22.10.1 कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR 6 महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2020 को ब्याज दर 2.37% और 31 मार्च, 2019 को 3.96% रही.)

22.10.2 कार्यकारी पूंजीगत ऋण ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.17)	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
2023-24	75.58	69.16
2024-25	30,156.42	-
कुल	**30,232.00**	**69.16**

22.11 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)

22.11.1 बैंक से लिए विदेशी मुद्रा सावधि ऋण, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR (6 महीने) + स्प्रेड है और इसे प्रत्येक संवितरण तारीख से एक वर्ष के अंत में चुकाना पड़ेगा.

22.12 खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण

22.12.1 बैंकों से लिए गए खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो एक महीना LIBOR + स्प्रेड है और इसे प्रत्येक संवितरण तारीख से दो महीने/एक महीने के अंदर में चुकाना पड़ेगा.

22.13 बिल भुनाई सुविधा

2.13.1 सहायक कंपनी " ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड " (OMPL) पर आहरित गैर एलसी बिल के प्रति भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से गैर जमानती बिल भुनाई सुविधा.

22.14 अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण

22.14.1 बैंक से जमानत रहित अल्पावधि कार्यकारी पूंजी

22.15 वाणिज्यिक पत्र

22.15.1 जारी किया गया वाणिज्यिक पत्र, जमानत रहित निश्चित दर का अल्पावधि कर्ज लिखत है जिसकी अवधि 90 दिनों की है.

22.16 मांग पर प्रतिदेय ऋण: अल्पावधि रुपया ऋण

22.16.1 सहायक कंपनी OMPL ने 3 महीने से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2020 को जमानत रहित अल्पावधि रुपया ऋण लिया है जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जिसे रात भर MCLR और एक महीना MCLR से जोड़ा जाता है (ब्याज दर 31 मार्च, 2020 को 7.50% से 7.60% प्र.व. रही) और 31 मार्च, 2019 को 1 वर्ष की अवधि के लिए जमानत रहित अल्पावधि रुपया ऋण लिया जिस ब्याज दर को एक वर्ष MCLR से जोड़ा गया है(31 मार्च, 2019 को ब्याज 8.85% प्र.व. रहा).

22.17 ऊपर प्रकट की गईं चुकौती अनुसूचियां, संविदात्मक नकदी बहिर्वाह पर आधारित हैं और इसलिए इन उधारों की रखाव रकम के अनुरूप नहीं होंगी जिनको परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया गया है.

23 अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं (जमानती) **[देखें टिप्पणी 22.1.4, 22.3.3]**	-	10,447.57	-	23,259.43
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं (जमानत रहित) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.8.2]**	-	6,856.72	-	10,533.83
अदावी लाभांश[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.1]	-	249.79	-	259.98
परिपक्व डिबेंचरों पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.2]**	-	0.01	-	0.01
ब्याज जो उपचित हुआ हो परंतु देय न हो **[देखें टिप्पणी 22.8.3]**	-	653.85	-	2,351.14
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से जमाराशियाँ	-	791.84	-	951.38
पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय रकम **[देखें टिप्पणी 23.3]**	-	3,240.40	-	2,214.70
कर्मचारियों के प्रति देयता	-	882.73	-	781.19
पट्टा संबंधी देयता	2,130.68	280.92	-	-
ग्राहकों और विक्रेताओं से संबंधित अन्य देयताएं	-	2,233.60	-	1,653.97
कुल	**2,130.68**	**25,637.43**	**-**	**42,005.63**

23.1 निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि को भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है.

23.2 परिपक्व डिबेंचरों के प्रति देय ब्याज दर्शाता है.

23.3 कीमत घटाने संबंधी अनुसूची

पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देयता में शामिल है ₹ 234.90 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 259.15 दशलक्ष) जो कीमत घटाने संबंधी अनुसूची का अनुसरण करते हुए विक्रेताओं से रोक रखी गई रकम से संबंधित है जिसे इन विक्रेताओं के साथ कार्रवाई को अंतिम रूप देने के बाद निपटाया जाएगा. रोक रखी गई रकम को अंत में तय करने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उत्तर व्यापी प्रभाव से संबंधित समायोजन किया जाएगा.

24 प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान [देखें टिप्पणी 41]				
(क) छुट्टी का नकदीकरण	926.39	81.73	653.82	53.14
(ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ	108.85	3.45	89.76	2.95
(ग) उपदान	83.56	1.46	62.38	1.94
अन्य [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 24.1]	-	1,734.53	-	4,531.29
कुल	**1,118.80**	**1,821.17**	**805.96**	**4,589.32**

24.1 अन्य में शामिल है वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम स्टॉक की आवाजाही पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान

विवरण	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क
1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेषराशि	4,531.29
घटाएं: प्रावधान का प्रत्यावर्तन करने के निमित्त कटौती	4,531.29
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरण	1,734.53
31 मार्च, 2020 को अंतिम शेषराशि	1,734.53

कंपनी का अनुमान है, 31 मार्च, 2017 को स्टॉक में पड़ी रही वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क के लिए काफ़ी हद तक किए गए आकलन के आधार पर प्रावधान, ₹ 1,734.53 दशलक्ष है (31 मार्च, 2019 को ₹ 4,531.29 दशलक्ष) और कंपनी ने इसे अन्य प्रावधान में शामिल किया है. अपेक्षा की जाती है कि इस प्रावधान को जब निपटाया जाएगा जब वस्तुओं को कारखाना परिसर से हटाया जाएगा.

25 आस्थगित कर आस्ति/ (देयताएं (निवल)

आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) में चलन दर्शाने वाला विवरण:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आस्थगित कर आस्तियां	53,645.36	36,447.81
आस्थगित कर देयताएं	(40,630.74)	(38,949.14)
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) - निवल	**13,014.62**	**(2,501.33)**
	-	-

2019-20	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	पिछले वर्ष से संबंधित MAT क्रेडिट हकदारी	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम आय	अन्य इक्विटी में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेषराशि
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं						
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(38,937.68)	(1,666.83)	-	-	-	(40,604.51)
अगोचर आस्तियां	(11.46)	(2.57)	-	-	-	(14.03)
अन्य	-	(12.20)	-	-	-	(12.20)
कुल	**(38,949.14)**	**(1,681.60)**	**-**	**-**	**-**	**(40,630.74)**
आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव						
अन्य देयताएं	60.11	11.06	-	-	-	71.17
यौगिक वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक	-	(18.16)	-	-	785.69	767.53
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	18,832.30	16,338.92	-	-		35,171.22
MAT संबंधी क्रेडिट हकदारी	17,192.76	-	52.63	-	-	17,245.39
उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां निवल पट्टा देयताएं	-	27.45	-	-	-	27.45
वित्तीय और अन्य आस्तियां	340.51	(0.04)	-	-	-	340.47
स्टॉक	22.13	-	-	-	-	22.13
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	(47.52)	-	47.52	-	-
कुल	**36,447.81**	**16,311.71**	**52.63**	**47.52**	**785.69**	**53,645.36**
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) (निवल)	**(2,501.33)**	**14,630.11**	**52.63**	**47.52**	**785.69**	**13,014.62**

2018-19	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	पिछले वर्ष से संबंधित MAT क्रेडिट हकदारी	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अन्य इक्विटी में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेषराशि
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं						
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(36,466.56)	(2,471.12)	-	-	-	(38,937.68)
अगोचर आस्तियां	(3.45)	(8.01)	-	-	-	(11.46)
कुल	**(36,470.01)**	**(2,479.13)**	**-**	**-**	**-**	**(38,949.14)**
आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव						
अन्य देयताएं	25.58	34.53	-	-	-	60.11
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	18,615.93	216.37	-	-		18,832.30
MAT संबंधी क्रेडिट हकदारी	16,561.83	616.19	14.74	-	-	17,192.76
वित्तीय और अन्य आस्तियां	340.51	-	-	-	-	340.51
स्टॉक	23.92	(1.79)	-	-	-	22.13
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	(31.85)	-	31.85	-	-
कुल	**35,567.77**	**833.45**	**14.74**	**31.85**	**-**	**36,447.81**
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) (निवल)	**(902.24)**	**(1,645.68)**	**14.74**	**31.85**	**-**	**(2,501.33)**

26 देय व्यापार राशियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों की कुल बकाया देयताएं	368.83	230.30
सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	32,396.50	46,702.03
कुल	**32,765.33**	**46,932.33**

26.1 व्यापार देयताओं में शामिल है ₹ 10,268.07 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 9,139.87 दशलक्ष)जिसके लिए ONGC ने, कंपनी की तरफ से गारंटी दी है.

26.2 क्रूड, भंडार और अतिरिक्त पुर्ज़ें, अन्य कच्चा माल, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि, 14 से 60 दिन है (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 14 से 60 दिन). उसके बाद बकाया शेषराशि पर संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित बैंक दर पर 6.75% प्र.व. तक ब्याज लगाया जाता है (31 मार्च, 2019 को 6.75% प्र.व. तक.). कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंध नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम, सम्मत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती है.

सहायक कंपनी, OMPL की, कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्ज़ें, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि, 7 से 30 दिन है. उसके बाद बकाया शेषराशि पर संबंधित व्यापार व्यवस्थाओं के अनुसार परिवर्ती दर पर ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंध नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम, सम्मत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती है.

26.3 सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रकटन

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
i	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय मूल धनराशि और ब्याज (अलग-अलग दर्शाना होगा).	368.83	230.30
ii	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को दिए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006(2006 का 27) की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज रकम.	-	-
iii	ब्याज संबंधी देय राशि और भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय रकम भुगतान करने के लिए और विलंब अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया हो परंतु नियत दिन के बाद) देय ब्याज राशि परंतु सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006) के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर देय ब्याज रकम.	-	-
iv	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त पड़ी रही ब्याज रकम.	-	-
v	उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठान अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटने योग्य व्यय शामिल न करने के प्रयोजन से लघु प्रतिष्ठान को वास्तव में उक्त ब्याज अदा किया हो.	-	-

27 अन्य देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	1.16	-	1.29
उपदान के प्रति देयता **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 27.1]**	-	151.16	-	85.61
सांविधिक भुगतान के प्रति देयता **[देखें टिप्पणी 15.4]**	-	1,309.57	-	1,757.23
अन्य	-	7,132.02	-	477.57
आस्थगित सरकारी उपदान **[देखें टिप्पणी 5.3 & 22.4.2]**	3,596.15	196.59	3,482.11	181.46
कुल	**3,596.15**	**8,790.50**	**3,482.11**	**2,503.16**

27.1 उपदान ट्रस्ट को देय निवल रकम

28 परिचालन से राजस्व

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
28.1	**बिक्री**		
	पेट्रोलियम उत्पाद	565,191.83	729,354.25
	क्रूड तेल और अन्य उत्पाद	33,502.12	5,335.40
28.2	**अन्य प्रचालन** राजस्व		
	स्क्रैप की बिक्री	153.21	216.90
	कीमत घटाने संबंधी खंड	22.87	34.22
	निर्यात प्रोत्साहन	930.01	2,049.82
	कुल	**1,106.09**	**2,300.94**
	कुल	**599,800.04**	**736,990.59**

29 अन्य आय

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
29.1	**इन पर ब्याज:**		
	ठेकेदार संग्रहण अग्रिम	31.55	1.53
	अन्य	8.79	357.40
	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियां		
	- बैंक जमाराशियाँ	151.67	609.79
	- प्रत्यक्ष मार्केटिंग ग्राहक	13.15	23.76
	- कर्मचारियों को दिए गए ऋण	70.66	44.71
	कुल	**275.82**	**1,037.19**
29.2	**इनसे लाभांश आय:-**		
	म्यूचुअल फंड में निवेश (FVTPL में मापे गए)	**14.03**	**90.53**
29.3	**अन्य गैर प्रचालन आय**		
	रॉयल्टी आय	11.30	8.68
	प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता	125.42	111.62
	प्रतिलेखित अतिशय प्रावधान	2.12	18.28
	टेंडर फ़ार्म की बिक्री	3.77	0.01
	किराया शुल्क	8.57	4.40
	कर्मचारियों से वसूली	11.15	10.33
	आस्थगित सरकारी अनुदान का परिशोधन	187.94	178.24
	विविध प्राप्तियाँ	179.99	81.24
	कुल	**530.26**	**412.80**
	कुल	**820.11**	**1,540.52**

30 खपाई गई सामग्री की लागत

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल : क्रूड तेल		
आयातित	3,83,220.35	4,71,548.10
देशी	76,040.65	98,949.04
कच्चा माल: अन्य		
आयातित		
हाइड्रोजन	132.70	297.60
पैराफिन रैफिनेट	372.06	957.97
रीफॉर्मेट	3.28	-
देशी		
CRMB मॉडिफायर	17.56	9.23
नैफ़्ता / ऐरोमैटिक धारा	1,878.94	13,935.15
स्नेहन तेल- देशी	0.64	0.62
कुल	**4,61,666.18**	**5,85,697.71**

31 व्यापार में स्टॉक की खरीदारी

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क्रूड तेल और अन्य उत्पाद	33,520.79	5,260.88
कुल	**33,520.79**	**5,260.88**

32 तैयार माल में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
32.1	**इनका अंतिम स्टॉक:**		
	तैयार माल	13,662.03	21,420.80
	प्रक्रिया में स्टॉक	5,160.98	9,998.46
	कुल अंतिम स्टॉक	**18,823.01**	**31,419.26**
32.2	इनका प्रारंभिक स्टॉक:		
	तैयार माल	21,420.80	20,661.58
	घटाएं: लेखा पद्धति में परिवर्तन **#**	-	0.08
	प्रक्रिया में स्टॉक	9,998.46	6,584.44
	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**31,419.26**	**27,245.94**
	निवल(वृद्धि)/अवनति (प्रारंभिक - अंतिम)	**12,596.25**	**4,173.32**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यापार में स्टॉक की लेखा पद्धति में क्रय से उपभोग में परिवर्तन.

33 कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 33.1]	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
वेतन और मज़दूरी	4,153.69	4,054.38
भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान	576.32	517.08
उपदान	16.78	10.74
सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ - चिकित्सा और अन्य	13.84	12.74
स्टाफ कल्याण खर्च	243.67	213.16
कुल	5,004.30	4,808.10

33.1 गैर-प्रबंधन कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से संशोधन करने के लिए बाकी है और इस दिशा में कर्मचारी संघ के साथ वार्ता चल रही है. अंतिम बातचीत होने तक, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुमानित आधार पर वेतन संशोधन के लिए ₹ 248.52 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में ₹ 255.70 दशलक्ष) का प्रावधान किया है जिसे ' कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च ' के अधीन दर्शाया है.

34 वित्त लागत

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं के लिए वित्त संबंधी खर्च		
- संबंधित पक्षकारों से	-	549.13
- बैंकों से	7,949.12	6,966.03
- अन्य पक्षकारों से	720.73	252.57
	8,669.85	**7,767.73**
पट्टा संबंधी देयताओं पर वित्त लागत	92.86	-
वित्तीय गारंटी शुल्क	27.43	18.52
उधार लागत के प्रति समायोजन के रूप में माने गए विनिमय में अंतर	3,621.34	2,801.02
कुल	**12,411.48**	**10,587.27**

35 मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास [देखें टिप्पणी 5]	10,604.64	10,457.96
उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास [देखें टिप्पणी 6]	223.71	-
अगोचर आस्तियों का परिशोधन [देखें टिप्पणी 10]	29.56	17.28
कुल	**10,857.91**	**10,475.24**

36 अन्य खर्च

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	
विद्युत, उपयोगिता और ईंधन शुल्क	50,227.97		61,070.13	
[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.1]				
घटाएं: स्वयं उत्पादन से ईंधन की खपत	48,368.29	1,859.68	59,586.18	1,483.95
मरम्मत और अनुरक्षण				
- संयंत्र और मशीनें	5,404.57		4,070.82	
भवन	2.90		5.86	
अन्य	484.83	5,892.30	425.30	4,501.98
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थों की खपत		1,858.56		2,161.88
पैकिंग सामग्री की खपत		269.89		369.44
किराया **[देखें टिप्पणी 6.5 के नीचे दी गई टिप्पणी 36.4]**		34.27		277.24
बीमा		436.33		427.22
दर और कर		1,027.98		725.09
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.2]**		(2,493.88)		455.39
विनिमय दर में घट-बढ़ से हानि/ (अभिलाभ)(निवल)		8,610.51		3,441.88
निदेशकों के बैठक शुल्क		4.28		6.20
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री / निपटान से हानि		129.21		90.18
बैंक शुल्क		42.93		28.29
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
लेखा परीक्षा शुल्क	3.16		3.23	
कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.70		0.45	
प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	2.52		2.61	
खर्च की प्रतिपूर्ति	1.96	8.34	2.12	8.41
निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च (CSR)		760.89		313.21
[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.3]				
इनके लिए/निमित्त ह्रास:				
प्राप्य संदिग्ध व्यापार राशियां	158.41		30.62	
वापस करने लायक स्टॉक	-		41.39	
ऐसे स्टॉक जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	9.90	168.31	18.01	90.02
विविध खर्च		2,453.20		2,306.11
कुल		**21,062.80**		**16,686.49**

36.1 कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल 8,229,787 Kwh सौर विद्युत उत्पादन किया है (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 8,145,848 Kwh) जिसकी सीमित खपत की गई है. सीमित खपत करने के प्रयोजन से उत्पादित इस तरह के विद्युत का मौद्रिक मूल्य, इस वित्तीय विवरण में प्रकटन नहीं किया गया है.

36.2 उत्पाद की बिक्री पर उत्पाद शुल्क को प्रचालन से राजस्व में शामिल किया गया है और ऊपर दर्शाया गया उत्पाद शुल्क, तैयार माल के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के बीच अंतर दर्शाता है.

36.3 CSR के प्रति व्यय में नीचे उल्लिखित समाविष्ट है:

(क) कंपनी को वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹ 1,226.00 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में ₹ 906.30 दशलक्ष) की रकम खर्च करनी पड़ी.

(ख) वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	368.04	96.55	464.59
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए	280.28	16.02	296.30
कुल	**648.32**	**112.57**	**760.89**

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	71.02	114.27	185.29
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए	99.98	27.94	127.92
कुल	**171.00**	**142.21**	**313.21**

36.4 अल्पावधि पट्टे, कम मूल्य के पट्टे और परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान से संबंधित खर्च नीचे दिए गए हैं:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
i) अल्पावधि पट्टे	6.70
ii) कम मूल्य की आस्तियों के पट्टे	0.81
iii) पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल न किए गए परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान.	26.76
कुल	**34.27**

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
i) अल्पावधि पट्टे	-
ii) कम मूल्य की आस्तियों के लिए पट्टे	-
iii) पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल न किए गए परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान.	-
कुल	-

37 अपवादात्मक मदें (आय/खर्च (निवल)

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 37.1]	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	-	228.73
विद्युत, उपयोगिता और ईंधन शुल्क	-	339.75
मरम्मत और अनुरक्षण - संयंत्र और मशीनें	-	(420.54)
कुल	-	147.94

37.1 पूर्व वर्ष के लिए अपवादात्मक मदें इनके निमित्त उत्पन्न हुई हैं:

क) ₹ 228.73 दशलक्ष का खर्च, प्रबंधन स्टाफ (जनवरी 2007 से मार्च 2018 तक की अवधि से संबंधित) और गैर प्रबंधन स्टाफ के लिए (अप्रैल 2007 से मार्च 2018 तक की अवधि से संबंधित) " एमआरपीएल परिभाषित अंशदान पेंशन योजना " के प्रति विभेदक अंशदान के प्रति है.

ख) ₹ 339.75 दशलक्ष का खर्च, कंपनी की सीमित और अतिरिक्त खपत के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017- 18 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता (RPO) की पूर्ति करने के लिए कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन से प्राप्त निर्देश के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) की खरीदारी की अनुमानित लागत के निमित्त किया गया है.

ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए माल एवं सेवा कर अधिनियम (GST Act) के तहत इन्पुट टैक्स क्रेडिट का पुन: दावा करने से संबंधित ₹ 420.54 दशलक्ष की आय, GST के अधीन आने वाले उत्पादों और GST के अधीन न आने वाले उत्पादों के वार्षिक मिश्रण के आधार पर लिया गया क्रेडिट दर्शाता है.

38 जारी रहे प्रचालन से संबंधित आय कर

38.1 लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया आय कर

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
वर्तमान कर	1,037.36	1,355.33
आस्थगित कर	(14,630.11)	1,645.68
कुल	**(13,592.75)**	**3,001.01**

38.2 आय कर खर्च का लेखाबद्ध लाभ के साथ समाधान, निम्नानुसार किया गया है :

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
प्रचालन जारी रखने से प्राप्त कर पूर्व लाभ	**(53,984.04)**	**6,513.62**
आय कर संबंधी खर्च का परिकलन 34.944% पर किया गया है (2018-2019: 34.608%)	(18,864.18)	2,276.12
आय कर से छूट प्राप्त आय का प्रभाव	8.88	(38.98)
संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभ का प्रभाव	(4.05)	(0.89)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 32AC के तहत निवेश के लिए प्रावधान का प्रभाव	2.67	20.97
उस खर्च का प्रभाव, जिसे कर योग्य लाभ का निर्धारण करते समय काटा नहीं जाता है	237.18	95.02
पूर्व वर्षों में MAT क्रेडिट को 21.3416% पर दर्शाने से हुआ प्रभाव	-	(11.70)
पिछले वर्ष का पूर्व वर्ष कर दर्शाने का प्रभाव **[देखें टिप्पणी 14.1]**	1,037.36	(122.06)
समायोजन की सही शेषराशि (ट्रू अप) निकालने के कारण आस्थगित कर शेषराशि में हुए परिवर्तन का प्रभाव	(139.91)	537.68
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के तहत छूट का प्रभाव	4,126.92	222.74
अन्य मदों का प्रभाव	2.38	22.11
लाभ अथवा हानि में दर्शाया गया आय कर संबंधी खर्च	**(13,592.75)**	**3,001.01**

38.3 अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
अन्य व्यापक आय में आय और खर्च दर्शाने के कारण उत्पन्न:		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	47.47	32.06
नकदी प्रभाव बचाव में बचाव लिखतों पर प्राप्त अभिलाभ /(उठाई गई हानियों) का प्रभावी अंश	0.13	(0.08)
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई कुल आय कर राशि	**47.60**	**31.98**
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि का इनमें द्विभाजन:		
उन मदों में जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	47.47	32.06
उन मदों में जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा	0.13	(0.08)

39 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष का कर उपरांत लाभ	(33,529.18)	3,400.43
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या, दशलक्ष में)	1,752.60	1,752.60
प्रति इक्विटी शेयर मूल और आंशिक अर्जन (₹)	(19.13)	1.94
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

40 पट्टे

40.1 वित्त पट्टे के तहत दायित्व

40.1.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' लागू किया. कंपनी ने भूमि के लिए पट्टा संबंधी करारनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है जिसे अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) के रूप में प्रकट किया गया है. पट्टे की अवधि के अंत में भूमि का स्वामित्व, कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा जिसके लिए नाममात्र प्रशासनिक शुल्क अदा करना पड़ेगा. पट्टे की अवधि 5-44 वर्ष के बीच होगी.

31 मार्च, 2020 को वित्त पट्टा संबंधी दायित्व का कोई महत्व नहीं है, (31 मार्च, 2019 को कोई महत्व नहीं है).

40.2 प्रचालन पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

40.2.1 पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' लागू किया. कंपनी ने भूमि के लिए पट्टा संबंधी करारनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है जिसे अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) के रूप में प्रकट किया गया है. मार्गाधिकार के लिए पट्टा अवधि 11 महीनों से लेकर 30 वर्ष तक है और भूमि पट्टे की अवधि 5 से 99 वर्ष तक है. पट्टाधृत भूमियों के मामले में, कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. सामान्यत:, भूमि के मामले में पट्टे की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान करना पड़ता है जिसके वार्षिक पट्टे के किराए में बढ़त होती रहेगी.

सहायक कंपनी, कंपनी OMPL ने मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड के साथ एसईज़ड् यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि के संबंध में पट्टा संबंधी करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी पट्टा अवधि 47 वर्ष की है. इसका, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. आगे, कंपनी ने, वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान किया है जिसके वार्षिक पट्टे के किराए में कोई बढ़त नहीं होगी. कंपनी के पास, पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद परस्पर सम्मत शर्तों पर पट्टा संबंधी करारनामे का और 47 वर्षों के लिए नवीकरण कराने का विकल्प है. 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण पद्धति के सहारे Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया.

सहायक कंपनी, कंपनी OMPL ने आवासी/कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने और NMPT की भूमि को पट्टे पर लेने के लिए भी करारनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. औसत पट्टा अवधि 11 महीने से 47 वर्ष तक है.

40.2.2 खर्च के रूम में दर्शाए गए भुगतान

वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया और जहां कहीं पट्टा, अल्पावधि पट्टा हो, कम मूल्य की आस्तियों अथवा परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतानों को पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल नहीं किया गया है. पूर्व वर्ष के आंकड़ें, Ind AS 116 के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि Ind AS 116 लागू नहीं था.

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
पट्टे के प्रति न्यूनतम भुगतान	34.27	186.89
कुल	**34.27**	**186.89**

40.2.3 प्रचालन पट्टे से जुड़ी ऐसी प्रतिबद्धताएं जिनको रद्द नहीं किया जा सकेगा

समूह ने पट्टा संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसे रद्द न किया जा सके.

41 कर्मचारी लाभ संबंधी योजनाएं

41.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं के सिलसिले में वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार है:

परिभाषित अंशदान योजनाएं	दर्शाई गई रकम वर्ष के दौरान		महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी के प्रति अंशदान	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	232.98	211.39	1.24	0.86
सेवानिवृत्ति निधि में नियोजक का अंशदान [देखें टिप्पणी 37]	253.56	466.10	1.34	1.38

भविष्य निधि:

कंपनी, पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट में भविष्य निधि के प्रति निश्चित अंशदान करती है जिसका अनुमत प्रतिभूतियों में न्यास द्वारा निवेश किया जाता है. कंपनी का दायित्व है, ऐसा निश्चित अंशदान करना और यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों को भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल मिलता है. कंपनी का दायित्व है, ऐसा निश्चित अंशदान करना और यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों को भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल मिलता है. इसलिए, और कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. योजना आस्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वर्ष के अंत में दायित्व	4,772.87	4,057.55
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,836.55	4,125.38

भविष्य निधि का शासन, एक अलग ट्रस्ट के जरिए चलाया जाता है. ट्रस्ट का न्यासी बोर्ड, केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी किए जाने वाले लागू दिशानिर्देशों अथवा निर्देशों के अनुसार काम करता है. न्यासी बोर्ड की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं :

(i) निवेश, आय कर नियम, 1962 के नियम 67 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के आधार पर निवेश स्वरूप के अनुसार किया जाएगा.

(ii) न्यासी बोर्ड, ऐसी रकम जुटा सकते हैं जो बाध्यकर खर्च निभाने के लिए ज़रूरी हो जैसे दावों का निपटान, नियमों के अनुसार अग्रिम देना और नियोजक की सेवा छोड़ने पर सदस्य के भविष्य निधि संचयन और प्रतिभूतियों अथवा निधि के नाम अन्य निवेशों की बिक्री से प्राप्त अन्य प्राप्तियों का, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पूर्व अनुमोदन लेकर अंतरण करना.

(iii) सदस्यों के खातों में जमा करने के लिए ब्याज दर तय करना.

41.2 कर्मचारी संबंधी अन्य दीर्घावधि लाभ

41.2.1 **संक्षित वर्णन:** कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य दीर्घावधि लाभ के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:

क) अर्जित छुट्टी का लाभ (EL):

उपचय - 32 दिन प्रति वर्ष 300 दिनों तक संचित किया जा सकेगा

15 दिन से अधिक संचित EL का, सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा बशर्ते कि कम से कम 5 दिन EL का नकदीकरण कराया जाए.

ख) अर्ध वेतन छुट्टी (HPL)

उपचय - प्रति वर्ष 20 दिन

सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा

सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा; जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों तक सीमित किया गया है .

41.2.2 छुट्टियों से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

41.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

41.3.1 **संक्षित वर्णन:** संक्षित परिभाषित लाभ योजना के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क) उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ` 2 दशलक्ष तक सीमित किया गया है. एमआरपीएल उपदान न्यास की 20 अप्रैल, 2007 को स्थापना की गई और बीमांकिक मूल्यांकन के बाद कंपनी से प्राप्त निधि का और 28 जून, 2013 तक निधि का निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित आय कर नियम, 1962 के आय कर नियम 67(1) में यथा निर्धारित तरीके से किया गया.

28 जून, 2013 के बाद एमआरपीएल उपदान न्यास की निधि का एलआईसी की सामूहिक उपदान नकद संचयन योजना (परंपरागत निधि), बजाज अलाएंज़, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइन इंश्यूरेंस कं., बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं. और इंडिया फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. में निवेश किया जाता रहा है.

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

सेवानिवृत्ति के बाद, एक बारगी एकमुश्त अंशदान करने पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी/उसके आश्रित पत्नी/पति और आश्रित माता-पिता को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए कवर किया जाएगा.

ग) पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी, अपनी पसंदीदा स्थान पर बसने के हकदार होंगे और इसके लिए वे पुन:व्यवस्थापन भत्ता पाने के हकदार हैं.

घ) सेवा समाप्ति लाभ :

i) चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति

कंपनी में चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमोदित योजना है. पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 60 दिनों की परिलब्धियों के समान अथवा सामान्य सेवानिवृत्ति तारीख से पहले बची शेष महीनों की सेवा से गुणन करते हुए सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां, जो भी कम हो, अनुग्रह भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ के अलावा किया जाएगा.

ii) एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे की स्वयं बीमा योजना

सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ और अलग होने पर लाभ योजना के तहत, अगर दुर्घटना के कारण और रोजगार के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो अथवा वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो देय कोई न्यूनतम रकम का निर्धारण किए बगैर 100 महीने के मूल वेतन+ महंगाई भत्ते (DA) के समतुल्य मुआवजा दिया जाएगा.

iii) SABF के तहत अलग होने पर लाभ

कंपनी में सेवा करते समय अगर कर्मचारी की मृत्यु हो / वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो हिताधिकारी को, मृत्यु की तारीख/ स्थाई संपूर्ण अपंगता की तारीख से 6 महीने के अंदर नीचे उल्लिखित वांछित विकल्पों में से एक चुनना होगा.

41.3.2 परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता (सेवा समाप्ति संबंधी लाभ से भिन्न) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया जाता है. सेवा समाप्ति संबंधी लाभ को जब कभी खर्च किया जाए लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

41.3.3 इन योजनाओं की बदौलत कंपनी को इस तरह के बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे जैसे निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घ आयु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

निवेश में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना संबंधी देयता का वर्तमान मूल्य (भारतीय रुपए में अंकित) का परिकलन उस बट्टा दर के आधार पर किया जाएगा जिसका निर्धारण सरकारी बांडों की रिपोर्ट अवधि के अंत में बाज़ार प्रतिफल के संदर्भ में किया जाए, अगर योजना आस्ति पर प्रतिफल, इस दर से कम हो तो योजना घाटा निर्मित होगा. इस समय सरकारी प्रतिभूतियों, बीमा निवेश और अन्य कर्ज लिखतों में निवेश का सापेक्षतः मिला जुला मिश्रण है.
ब्याज में निहित जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी, लेकिन योजना में कर्ज निवेश पर मिले प्रतिफल से इसमें अंशत: कमी होगी.
दीर्घायु में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों की, उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद, दोनों के दौरान मृत्यु के बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा. बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा.

योजनाओं के संबंध में, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीस ऑफ इंडिया के एक सदस्य फर्म ने 31 मार्च, 2020 को योजना आस्तियों के हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्यांकन किया. परिभाषित दायित्व और संबंधित चालू सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

41.3.4 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय ख़ास तौर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया:

क्रम. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
	उपदान (निधिक)		
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	6.86%	7.79%
2	बट्टा दर	6.86%	7.79%
3	वेतन वृद्धि दर	7.50%	7.50%
4	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
5	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
1	बट्टा दर	6.86%	7.79%
2	चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.00%	0.00%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)
5	रोजगार के उपरांत मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)
	पुन:व्यवस्थापन भत्ता:		
1	बट्टा दर	6.86%	7.79%
2	वेतन वृद्धि दर	7.50%	7.50%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु दर (2006-08)

लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर ऐसा बट्टा दर जो अवधि के अनुरूप हो. वेतन वृद्धि करते समय, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है. योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर, वर्ष के दौरान, संबंधित दायित्व की समग्र अवधि में मिलने वाले प्रतिफल के लिए बाजार की अपेक्षा के आधार पर होती है.

41.3.5 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार हैं:

उपदान:

विवरण	समाप्त वर्ष यथा 31 मार्च, 2020	समाप्त वर्ष यथा 31 मार्च, 2019
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	32.30	30.38
निवल ब्याज खर्च	7.63	4.80
गत सेवा लागत	-	-
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक		
लाभ संबंधी खर्च	**39.93**	**35.18**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
निवल ब्याज लागत में सम्मिलित रकम को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	(0.76)	(8.03)
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	98.10	72.84
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	18.63	(2.01)
पुन: मापन के घटक	**115.97**	**62.80**
कुल	**155.90**	**97.98**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	समाप्त वर्ष यथा 31 मार्च, 2020	समाप्त वर्ष यथा 31 मार्च, 2019
सेवा लागत चालू सेवा	5.13	-5.05
लागत निवल ब्याज खर्च	6.06	5.60
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**11.19**	**10.65**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ/हानियां	11.58	0.64
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ/हानियां	4.24	1.13
पुन: मापन के घटक	**15.82**	**1.77**
कुल	**27.01**	**12.42**

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	समाप्त वर्ष यथा 31 मार्च, 2020	समाप्त वर्ष यथा 31 मार्च, 2019
सेवा लागत		
चालू सेवा लागत	1.48	1.23
निवल ब्याज खर्च	1.16	0.85
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**2.64**	**2.08**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां)	2.21	3.81
अनुभव के आधार पर किए गए समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां)	(2.22)	1.11
पुन: मापन के घटक	**(0.01)**	**4.92**
कुल	**2.63**	**7.00**

वर्ष की चालू सेवा लागत और निवल ब्याज खर्च को लाभ-हानि विवरण में कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में समाविष्ट किया गया है.

निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन, अन्य व्यापक आय में समाविष्ट किया गया है. अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता के घटक, ₹ (-) 131.78 दशलक्ष है (पिछले वर्ष (-) ₹ 69.49 दशलक्ष)

41.3.6 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में चलन इस प्रकार रहा: उपदान:

विवरण	यथा यथा 31 मार्च, 2020	यथा यथा 31 मार्च, 2019
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	934.77	797.05
चालू सेवा लागत	32.30	30.38
गत सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	72.82	62.57
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	98.10	72.84
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	18.63	(2.01)
प्रदत्त फ़ायदे	(33.07)	(26.06)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**1,123.55**	**934.77**
चालू दायित्व	155.90	97.98

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा यथा 31 मार्च, 2020	यथा यथा 31 मार्च, 2019
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	77.83	71.39
चालू सेवा लागत	5.13	5.05
ब्याज लागत	6.06	5.60
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	11.58	0.64
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	4.24	1.13
प्रदत्त फ़ायदे	(9.62)	(5.98)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**95.22**	**77.83**
चालू दायित्व	2.95	2.56
गैर-चालू दायित्व	92.27	75.27

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा यथा 31 मार्च, 2020	यथा यथा 31 मार्च, 2019
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	14.88	10.85
चालू सेवा लागत	1.48	1.23
ब्याज लागत	1.16	0.85
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	2.21	3.81
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(2.22)	1.11
प्रदत्त फ़ायदे	(0.43)	(2.97)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**17.08**	**14.88**
चालू दायित्व	0.50	0.39
गैर-चालू दायित्व	16.58	14.49

41.3.7 अपनी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में प्रतिष्ठान के दायित्व से उत्पन्न तुलन-पत्र में समाविष्ट रकम निम्नानुसार है:

उपदान:

विवरण	यथा यथा 31 मार्च, 2020	यथा यथा 31 मार्च, 2019
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य योजना	(1,123.55)	(934.77)
आस्तियों का उचित मूल्य	967.65	836.79
निधिक रकम की स्थिति	**(155.90)**	**(97.98)**
लेखाबद्ध आस्ति पर निर्बंधताएं	-	-
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(155.90)**	**(97.98)**

कंपनी के अपने वित्तीय लिखतों और रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान के अधिभोग में रही संपत्ति अथवा इस्तेमाल की गई अन्य आस्तियों के संबंध में उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में सम्मिलित रकम ₹ शून्य है (31 मार्च, 2019 को ₹ शून्य).

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, सेवांत लाभ तथा पुन:व्यवस्थापन भत्ते, गैर निधिक योजना के अधीन आते हैं और इसमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

41.3.8 योजना आस्तियों के उचित मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

उपदान:

विवरण	यथा यथा 31 मार्च, 2020	यथा यथा 31 मार्च, 2019
योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	836.79	735.95
ब्याज आय	65.19	57.77
योजना आस्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज खर्च में सम्मिलित रकम को छोड़कर)	0.76	8.03
नियोजक का अंशदान	97.98	61.10
प्रदत्त फ़ायदे	(33.07)	(26.06)
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**967.65**	**836.79**

अगले वर्ष, उपदान के संबंध में अपेक्षित अंशदान ₹ 151.16 दशलक्ष है (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 85.61 दशलक्ष) कंपनी ने, 31 मार्च, 2020 को ₹ 155.90 दशलक्ष की उपदान देयता लेखाबद्ध की है (31 मार्च, 2019 को ₹ 97.98 दशलक्ष).

41.3.9 प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य प्रकार रहा:

योजना आस्तियों का उचित मूल्य

विवरण	यथा यथा 31 मार्च, 2020	यथा यथा 31 मार्च, 2019
नकद और नकदी समतुल्य	22.92	1.00
इक्विटी निवेश	-	-
म्यूचुअल फंड-UTI ख़ज़ाना निधि	19.21	20.23
निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग' आधार पर कर्ज निवेश का श्रेणीकरण		
AAA	31.12	36.44
AA+	0.30	5.01
AA	-	2.03
AA-	-	-
A+	7.01	-
A-	-	3.01
BBB+	-	3.01
सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (परंपरागत निधि)		
भारतीय जीवन बीमा निगम	186.84	156.90
बजाज एलाएंज़	167.93	137.01
HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कं.	169.01	140.00
बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं.	93.29	70.26
इंडिया फस्ट लाइन इंश्यूरेंस कं.	93.34	70.26
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	121.13	139.69
अन्य चालू आस्तियां - उपचित ब्याज	55.55	51.94
कुल	**967.65**	**836.79**

41.3.9.1 उपदान की योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹ 65.19 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2016 को ₹ 57.77 दशलक्ष).

41.3.10 परिभाषित दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं हैं, बट्टा दर और वेतन में अपेक्षित वृद्धि. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गई संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथा शक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है जब कि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

41.3.11 31 मार्च, 2020 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ता
बट्टा दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(54.57)	(6.51)	(1.24)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	59.25	7.26	1.38
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	18.71	-	1.36
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(18.99)	-	(1.24)
कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	15.18	(2.76)	-
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(16.10)	2.51	-

41.3.12 31 मार्च, 2019 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ता
बट्टा दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(44.11)	(5.09)	(1.06)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	47.78	5.65	1.17
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	15.56	-	1.17
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(15.97)	-	(1.06)
कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	16.15	(2.02)	0.03
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(17.15)	1.72	(0.04)

संभव है कि ऊपर पेश किया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व में वास्तविक परिवर्तन न दर्शाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि एक दूसरे से अलग रहते हुए भी परिकल्पनाओं में परिवर्तन हो क्योंकि कुछ परिकल्पनाओं का सह संबंध हो सकता है.

आगे, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण पेश करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

41.3.13 परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित ब्यौरे, जिनका कंपनी के भावी नकदी प्रवाह पर उल्लेखनीय प्रभाव होगा, नीचे दिए गए हैं:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,939
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	178.89	160.97
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	12	12
औसत अपेक्षित भावी सेवा(वर्ष)	16	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	1,123.55	934.77
अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ योजना में अंशदान	178.89	130.29

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,943
सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की संख्या	126	112
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	15	15
औसत अपेक्षित भावी सेवा(वर्ष)	17	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	95.22	77.83

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,943
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	178.89	161.10
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	15	16
औसत अपेक्षित भावी सेवा(वर्ष)	16	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	17.08	14.88

41.3.14 **परिभाषित लाभ संबंधी** दायित्व **का** परिपक्वता **प्रोफाइल**

परिभाषित लाभ	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
उपदान		
एक वर्ष से कम	66.61	49.49
एक से तीन वर्ष	116.46	108.58
तीन से पाँच वर्ष	134.14	122.20
पाँच वर्ष से दस वर्ष	462.47	398.88
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
एक वर्ष से कम	2.95	2.55
एक से तीन वर्ष	6.27	5.70
तीन से पाँच वर्ष	7.12	6.52
पाँच वर्ष से दस वर्ष	25.25	22.30
पुन:व्यवस्थापन भत्ता		
एक वर्ष से कम	0.50	0.39
एक से तीन वर्ष	0.92	0.91
तीन से पाँच वर्ष	0.97	0.89
पाँच वर्ष से दस वर्ष	3.05	2.66

सहायक कंपनी OMPL के कर्मचारी संबंधी लाभ का प्रकटन

41.4 परिभाषित लाभ योजनाएं

41.4.1 संक्षित वर्णन: संक्षित परिभाषित लाभ योजना के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

41.4.2 उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान अधिकतम `2 दशलक्ष तक सीमित किया गया है.

41.4.3 इन योजनाओं की बदौलत कंपनी को बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे जैसे ब्याज दर जोखिम, दीर्घ आयु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

ब्याज में निहित जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी
दीर्घायु में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों की, उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद, दोनों के दौरान मृत्यु के बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा. बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

उपदान के संबंध में, मेसर्स के.ए. पंडित सलाहकार और एक्चुअरीस, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीस ऑफ इंडिया के सह फर्म ने 31 मार्च, 2020 तक का बीमांकिक मूल्यांकन किया. परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व, संबंधित चालू सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

41.4.4 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय ख़ास तौर पर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया:

क्रम. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
1	बट्टा दर	6.82%	7.78%
2	वेतन में वार्षिक वृद्धि	8.00%	8.00%
3	कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार	2.00%	2.00%

बट्टा दर, अनुरूप अवधि के साथ लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर है. वेतन वृद्धि करते समय, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है.

41.4.5 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार हैं:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सेवा लागत :		
वर्तमान सेवा लागत	12.30	7.57
गत सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	5.00	2.65
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**17.30**	**10.22**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	4.20	21.67
पुन: मापन के घटक	**4.20**	**21.67**
कुल	**21.50**	**31.89**

41.4.6 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व **के वर्तमान मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	64.32	33.72
चालू सेवा लागत	12.30	7.57
गत सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	5.00	2.65
सीधे नियोजक द्वारा प्रदत्त लाभ	(0.81)	(1.29)
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	12.02	0.89
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(7.81)	20.78
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**85.02**	**64.32**
चालू दायित्व	1.46	1.94
गैर-चालू दायित्व	83.56	62.38

41.4.7 अपनी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में प्रतिष्ठान के दायित्व से उत्पन्न तुलन-पत्र में समाविष्ट रकम निम्नानुसार है:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	(85.02)	(64.32)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	(85.02)	(64.32)

41.4.8 परिभाषित दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं हैं, बट्टा दर, वेतन में अपेक्षित वृद्धि और कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गईं संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथा शक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है जब कि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

31 मार्च, 2020 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान
बट्टा दर	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(6.57)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	7.34
वेतन में वृद्धि	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	6.18
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(6.00)
कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(0.81)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	0.87

41.4.9 31 मार्च, 2019 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान
बट्टा दर	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(4.72)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	5.26
वेतन में वृद्धि	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	4.21
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(4.22)
कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(0.09)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	0.09

संवेदनशीलता विश्लेषण, एक ऐसा विश्लेषण है जो देयता में चलन दर्शाता है बशर्ते कि परिकल्पनाएं, किसी दूसरे लिहाज से सही साबित न हुई हों. इससे देयता में परिवर्तन का ही पता चलता है क्योंकि परिकल्पित और वास्तविक देयता के बीच का अंतर, संवेदनशीलता विश्लेषण के मापदंडों के अनुरूप नहीं है.

आगे, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण पेश करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

42 खंडवार रिपोर्टिंग

रिपोर्ट करने लायक एक ही खंड के रूप में कंपनी के " पेट्रोलियम उत्पाद " है.

42.1 प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के उल्लेखनीय राजस्व, तेल विपणन कंपनियों को उत्पाद बेचने से मिलते हैं जो 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के कुल राजस्व का क्रमश: 57% और 53% है. इन कंपनियों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 328,952.62 दशलक्ष और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 380,910.31 दशलक्ष रही.

कंपनी के राजस्व में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाले ग्राहकों की संख्या, 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शून्य रही (ऊपर उल्लिखित तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर).

सहायक कंपनी, OMPL के उल्लेखनीय राजस्व, निर्यात ग्राहकों को बिक्री करने से मिलते हैं जो कंपनी के कुल राजस्व का 87% बनते हैं (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में: 85%). इन ग्राहकों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 42,352.65 दशलक्ष और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 70,704.29 दशलक्ष रही.

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तीन ग्राहकों ने (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में तीन ग्राहकों ने), कंपनी के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक योगदान दिया. इन ग्राहकों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 42,348.10 दशलक्ष और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 63,547.28 दशलक्ष रही.

42.2 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी:

क) समूह, भारत में बसा है. ग्राहकों के स्थान के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त उसकी राजस्व रकम, नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
भारत	397,339.93	448,934.32
अन्य देश	201,354.02	285,755.33
कुल	**598,693.95**	**734,689.65**

ख) गैर-चालू आस्तियां (वित्तीय आस्तियों और आस्थगित कर आस्तियों को छोड़कर), ग्राहकों के स्थान के आधार पर नीचे की तालिका में दर्शाई गई हैं:

विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
भारत	232,131.41	227,063.60
अन्य देश	-	-
कुल	**232,131.41**	**227,063.60**

42.3 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों का लगातार प्रचालन करने से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है:

विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
हाई स्पीड डीज़ल (HSD)	303,698.47	355,141.34
मोटर स्पिरिट (MS)	75,719.55	87,107.06
कुल	**379,418.02**	**442,248.40**

प्रमुख उत्पादों से राजस्व के बारे में रिपोर्टिंग करते समय प्रत्येक उत्पाद के कुल कारोबार के 10% की देहली सीमा अपनाई जाती है.

43 कंपनी के संबंधित पक्षकार के बारे में प्रकटन

43.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन:

अ कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रतिष्ठान (नियंत्रक कंपनी)

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]

आ कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाला प्रतिष्ठान

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

इ सहायक कंपनी

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) के पास बकाया शेषराशि

ई संयुक्त उद्यम

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

उ **न्यास (सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ संबंधी न्यास सहित) जिस पर एमआरपीएल का नियंत्रण है**

1 एमआरपीएल उपदान निधि न्यास

2 एमआरपीएल भविष्य निधि न्यास

ऊ **महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी**

ऊ.1 **गैर कार्यकारी निदेशक**

श्री शशि शंकर, अध्यक्ष

ऊ.2 **कार्यपालक निदेशक**

1 श्री एम वेंकटेश, प्रबंध निदेशक, 11 जुलाई, 2019 तक निदेशक (रिफाइनरी) का अतिरिक्त कार्यभार तथा 15 अक्तूबर, 2019 तक निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाल रहे थे

2 श्री विनय कुमार, निदेशक (रिफाइनरी), 11 जुलाई, 2019 से

3 श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (वित्त), 15 अक्तूबर, 2019 से

ऊ.3 **अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक**

1 श्री विनोद एस. शेणै, नामिती निदेशक (HPCL)

2 श्री सुभाष कुमार, नामिती निदेशक (ओएनजीसी)

3 श्री के.एम. महेश, सरकारी नामिती निदेशक, 17 अक्तूबर, 2019 से.

4 श्री संजय कुमार जैन, सरकारी नामिती निदेशक, 08 जनवरी, 2020 तक

5 सुश्री मंजुला सी. स्वतंत्र निदेशक, 31 जनवरी, 2020 तक

6 श्री वी.पी. हरन, स्वतंत्र निदेशक

7 श्री सेवा राम, स्वतंत्र निदेशक

8 डॉ. जी.के. पटेल, स्वतंत्र निदेशक

9 श्री बलबीर सिंह यादव, स्वतंत्र निदेशक

10 श्री विवेक मल्या, स्वतंत्र निदेशक, 30 जनवरी, 2020 तक

11 श्री आर टी अगरवाल, स्वतंत्र निदेशक, 12 जुलाई, 2019 से

12 श्री विजय शर्मा, सरकारी नामिती, 08 जनवरी, 2020 से

13 श्री सुनील कुमार , सरकारी नामिती, 17 अक्तूबर 2019 से.

ऊ.4 **मुख्य वित्तीय अधिकारी**

1 श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (वित्त) और सीएफओ, 04 नवंबर, 2019 से

2 श्री एस. रविप्रसाद, CFO, 04 नवंबर, 2019 तक

ऊ.5 **कंपनी सचिव**

श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव

43.2 **लेन-देनों के ब्यौरे:**

43.2.1 **नियंत्रक कंपनी के साथ लेन-देन**

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2020	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019
उत्पादों की बिक्री	तेल उत्पादों आदि की बिक्री	5,649.26	8,694.55
क्रूड की खरीदारी	क्रूड तेल आदि की खरीदारी	41,538.37	54,415.27
प्राप्त सेवाएँ	क) ONGC कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	2.53	6.45
	ख) मुंबई और दिल्ली कार्यालय का किराया और विद्युत शुल्क और खर्च की प्रतिपूर्ति	74.32	48.97
गारंटी शुल्क	साउदी अरैमेको को दी गई गारंटी के लिए शुल्क	34.24	16.52
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	1,255.35	3,766.06
ऋण	ऋण की चुकौती	-	18,856.90
ब्याज खर्च	सावधि ऋण पर ब्याज	-	549.13

43.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राप्य रकम	उत्पादों की बिक्री	679.16	6.92
देय रकम	क्रूड तेल की खरीदारी	1,746.97	4,102.59
देय रकम	खर्च के निमित्त दूसरों को	18.22	25.88

43.2.3 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के साथ लेन-देन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
बिक्री	तेल उत्पादों आदि की बिक्री	1,48,663.53	1,56,578.87
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) लोडिंग आर्म, पाइपलाइन शुल्क आदि	1.64	-
	ख] खर्च की प्रतिपूर्ति, सुकरण प्रभार	8.01	9.73
	ग) संदूषित उत्पादों की प्राप्तियां आतिथ्य शुल्क, घाट शुल्क आदि	10.24	44.56
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	297.15	891.46

43.2.4 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के पास बकाया शेषराशि

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राप्य रकम	तेल उत्पादों की बिक्री आदि	5,769.37	7,168.79
	अन्य प्रतिपूर्तियां	40.27	40.26
देय रकम	खर्च के लिए दूसरों को	4.94	2.39

43.2.5 सहायक कंपनी के साथ लेन-देन

ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	उत्पादों की बिक्री	49,089.74	59,579.45
उत्पादों की खरीदारी	खरीदारी	7,657.24	15,863.32
प्राप्त सेवाएँ	क) प्रतिनियुक्ति आदि पर OMPL स्टाफ का वेतन	2.75	1.22
	ख) सड़क सुविधा	-	(0.43)
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) सुकरण प्रभार	57.14	68.82
	ख) एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और अन्य खर्च	23.97	32.16
	ग) वापसी परामर्शी शुल्क/मीटरिंग के लिए क्रेडिट नोट संबंधी प्रभार	-	5.36
इक्विटी में निवेश	इक्विटी में निवेश	2,550.09	1,530.05
ब्याज आय और अन्य वसूली	शुल्क की प्रतिपूर्ति	397.44	158.57

43.2.6 सहायक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
ऋण	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	0.39	2.96
प्राप्य रकम	उत्पादों की बिक्री, सुकरण शुल्क और अन्य रैफिनेट,	943.45	2,491.87
देय रकम	हाइड्रोजन की खरीदारी और अन्य सेवा शुल्क	65.72	570.65
प्रतिबद्धताएं	क) एमआरपीएल के पास ओएमपीएल के बीजकों की बिल भुनाई के निमित्त	6,324.45	-
	ख) जारी किए गए अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए एमआरपीएल का बैंक स्टॉपिंग समर्थन	5,100.00	-
	ग) ओएमपीएल द्वारा जारी अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों पर उपचित ब्याज के लिए बैंक स्टॉपिंग समर्थन	-	-

43.2.7 संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन:

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पाद	7,409.25	6,434.29
प्रदान की गई सेवाएँ	क) खर्च की प्रतिपूर्ति	0.07	0.02
	ख) रॉयल्टी आय	12.65	9.73
लाभांश आय	प्राप्त लाभांश	6.00	21.00

43.2.8 संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेषराशि

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राप्य रकम:	रॉयल्टी और टर्मिनलिंग शुल्क आदि	318.56	496.31

43.2.9 अन्य संबंधित पक्षकारों की सहबद्ध कंपनियों के साथ लेन-देन:

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क) इनसे प्राप्त सेवाएँ:			
1. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	692.69	616.34
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क और अन्य खर्च	110.95	254.18
3. ONGC नाइल गंगा BV	क्रूड तेल आदि की खरीदारी	0.11	17,740.96
ख] इनको प्रदान की गईं सेवाएँ:			
4. ONGC नाइल गंगा BV	टेंडरिंग सेवाएं	0.70	0.08
5. ONGC कैंपोस लि.	टेंडरिंग सेवाएं	-	0.06
6. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति	28.78	36.95

43.2.10 अन्य संबंधित पक्षकारों की सहबद्ध कंपनियों के साथ लेन-देन:

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राप्य रकम:			
1. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति	-	37.48
2. ONGC नाइल गंगा BV	सेवाओं के निमित्त बकाया	0.12	0.08
3. ONGC कैंपोस लि.	सेवाओं के निमित्त बकाया	0.10	0.10
4. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	129.30	-
देय रकम:			
1. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत आदि	-	44.49
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क और अन्य खर्च	15.38	-
3. ONGC नाइल गंगा BV	क्रूड की खरीदारी आदि के निमित्त बकाया शेषराशि	-	39.05

43.2.11 न्यासों के साथ लेन-देन

न्यासों के नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
भुगतान का प्रेषण:			
एमआरपीएल लिमिटेड की भविष्य निधि	अंशदान	525.98	462.76
न्यास की तरफ किए गए उपदान के भुगतान की प्रतिपूर्ति:			
एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	प्रतिपूर्ति और अंशदान	33.07	38.85

43.2.12 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा:

पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव/मुख्य वित्तीय अधिकारी विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2020	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	15.86	23.66
रोजगार उपरांत लाभ (छुट्टी, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ के लिए प्रावधान शामिल हैं)	16.72	8.61
अन्य दीर्घावधि लाभ (भविष्य निधि के प्रति अंशदान शामिल है)	2.59	2.21
कुल	**35.17**	**34.48**

निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण/ऋणों पर उपचित ब्याज

पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव/मुख्य वित्तीय अधिकारी विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
निदेशक और कंपनी सचिव को दिए गए ऋण	0.67	0.82
निदेशक और कंपनी सचिव को दिए गए ऋणों पर उपचित ब्याज	0.12	0.11
कुल	**0.79**	**0.93**

स्वतंत्र निदेशक

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
बैठक शुल्क	4.28	6.20

43.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रकटन[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.3.4]:

43.3.1 सरकार से जुड़े उन प्रतिष्ठानों के नाम जिनके साथ उल्लेखनीय प्रमाण में लेन-देन किए गए:

क्रम. सं.	सरकार से जुड़े प्रतिष्ठान	संबंध
1	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	केंद्रीय PSU
2	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	केंद्रीय PSU
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड(BHEL)	केंद्रीय PSU
4	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लिमिटेड	केंद्रीय PSU
5	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय PSU
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय PSU
7	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	केंद्रीय PSU
8	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय PSU
9	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	केंद्र सरकार
10	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	केंद्र सरकार
11	भारतीय रेलवे	केंद्र सरकार
12	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	राज्य सरकार
13	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	राज्य सरकार
14	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	केंद्रीय पोर्ट ट्रस्ट

43.3.2 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.3.4]:

प्रतिष्ठान का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
अ वर्ष के , दौरान इनको की गई उत्पादों की बिक्री:			
1 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	क्रूड तेल/पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	1,13,002.64	1,20,102.25
2 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	49,974.93	87,668.44
3 नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	2.99	2.37
4 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	क्रूड तेल/पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	-	5,342.30
5 भारतीय रेलवे	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	1,077.89	-
आ वर्ष के दौरान इनसे उत्पादों की खरीदारी:			
1 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	अन्य आपूर्तियां	101.94	62.52
2 इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	नैफ़्ता की खरीदारी/ संदूषित उत्पाद/स्नेहन	17.05	1.39
3 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	संदूषित उत्पादों की खरीदारी	1.00	0.96
4 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	क्रूड तेल की खरीदारी	28,766.70	
इ प्रदान की गई सेवा			
1 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	8.03	9.43
2 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	पाइपलाइन, लोडिंग आर्म प्रभार के निमित्त	1.08	-
ई इनसे प्राप्त सेवाएँ:			
1 कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रिसिटी की खरीदारी	207.34	204.59
2 ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लि.	बीमा प्रीमियम	378.24	316.81
3 नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट सेवाएं अन्य	1,113.23	394.52
4 ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	कार्य सेवा	1,304.88	1,118.60
5 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	तकनीकी सेवाएं	288.56	397.74
6 भारतीय जहाजरानी निगम लि.	सेवा	3,034.08	2,044.40
7 नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट सेवाएं	160.06	1,275.37
8 कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे साइडिंग	177.27	-
9 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	परीक्षण शुल्क और विलंब शुल्क	-	3.02
10 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	PT कार्यक्रम सेवाएं	0.18	0.06
11 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	अन्य सेवाएं	67.80	-
ई भूमि का अभिग्रहण करने के लिए अग्रिम			
1 कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	चरण IV की भूमि की खरीदारी	-	158.23

43.3.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.3.4]:

प्रतिष्ठान का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राप्य रकम:			
1 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	935.79	7,306.93
2 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	1,084.60	2,445.86
3 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	6.78	1.36
4 नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	300.18	222.66
5 भारतीय रेलवे	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	356.02	-
विक्रेताओं को अग्रिम:			
1 उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	अग्रिम	28.57	29.62
2 कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	भूमि आदि के लिए अग्रिम	6,951.99	7,175.77
3 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	अग्रिम	0.39	7.53
देय रकम:			
1 ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	135.95	114.05
2 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	143.69	157.93
3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	883.41	874.55
4 भारतीय जहाजरानी निगम लि.	देय व्यापार और अन्य राशि	131.41	118.23
5 कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	16.85	-
6 कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	17.62	20.08
7 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	0.08	0.08
8 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	देय व्यापार और अन्य राशि	6,462.22	-

सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन-देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई जहाज से यात्रा, ईंधन की खरीदारी और जमाराशि आदि. वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं है और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

43.3.4 ONGC, HPCL, OMPL, PMHBL और ONGC नाइल गंगा BV के साथ किए गए लेन-देन और इनके पास बकाया शेषराशि, उक्त टिप्पणी 43.2.1 से 43.2.10 में प्रकट की गई है.

43.4 सहायक कंपनी, OMPL के संबंधित पक्षकारों के बारे में प्रकटन

43.4.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन:

अ **अंतिम नियंत्रक कंपनी**

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]

आ **अंतिम नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी**

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

इ **अंतिम नियंत्रक कंपनी का संयुक्त उद्यम**

मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड (MSEZL)

ई **महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी**

ई.1 **गैर कार्यकारी निदेशक**

श्री शशि शंकर (अध्यक्ष)(11 अक्तूबर 2017 से)

श्री एम वेंकटेश निदेशक (1 अप्रैल 2015 से)

श्री राजेश श्यामसुंदर कक्कड़ (15 मई 2018 से)

श्री संजय कुमार मोइत्रा (15 मई 2018 से)

श्रीमती अल्का मित्तल (28 फरवरी 2015 से)

श्री विनय कुमार, निदेशक (14 नवंबर 2018 से)

श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (26 नवंबर 2019 से)

श्री एच. कुमार, निदेशक (30 मई 2018 तक)

श्री ए. के. साहू, निदेशक (11 दिसंबर 2018 तक)

ई.2 श्री के सुशील शेणै, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30 सितंबर, 2018 तक)

ई.3 श्री सुजिर एस नायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (1 अक्तूबर 2018 से)

ई.4 श्री सुरेंद्र नायक, मुख्य वित्तीय अधिकारी (नियंत्रक कंपनी से प्रतिनियुक्त (1 अक्तूबर 2018 से)

ई.5 श्री के.बी. श्याम कुमार, कंपनी सचिव (13 अगस्त, , 2014 से)

43.5 लेन-देनों के ब्यौरे:

43.5.1 अंतिम नियंत्रक कंपनी और संयुक्त उद्यम एवं अंतिम नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी के साथ लेन-देन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	इक्विटी लगाना	2,449.90	1,469.94
	प्रदान की गईं सेवाएं	0.32	-
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड*	प्राप्त आपूर्तियां और सेवाएं	386.83	391.87
	अंचल O&M विद्युत के लिए बयाना	9.38	-
	पट्टा किराया	23.40	23.40
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	उत्पादों की खरीदारी	361.26	281.55

* पाइपलाइन-सह-रोड कॉरिडॉर उपयोग के प्रति कंपनी को देय अन्य पक्षकार अंश के रूप में MSEZ द्वारा अंकित ₹ 62.76 दशलक्ष की रकम जिस पर चालू अवधि के दौरान विचार नहीं किया गया है क्योंकि पाइपलाइन कॉरिडॉर परियोजना की परियोजना लागत पर रोक लगाए जाने तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

43.5.2 अंतिम नियंत्रक कंपनी और संयुक्त उद्यम एवं अंतिम नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च,2019 को
अ. देय रकम:			
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	126.63	126.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	0.05	-
आ. प्राप्य रकम:		-	662.01
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	52.72	0.87
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	0.37	0.05
इ. ऋण और अन्य आस्तियां:			
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	बयाना (विद्युत)	3.59	3.59
	बयाना (विद्युत)	15.40	15.40
	बयाना (जल)	3.13	3.13
	बयाना (अंचल O&M)	9.38 को	-

43.5.3 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा

अ. मुख्य कार्यपालक अधिकारी*

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	4.85	3.69
रोजगार उपरांत लाभ (उपदान) और दीर्घावधि लाभ(क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां)		
भविष्य निधि में अंशदान	2.43	2.27
	0.54	0.50
कुल	**7.82**	**6.46**

* मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 1 अक्तूबर 2018 से नियुक्त किया गया.

आ. मुख्य वित्तीय अधिकारी*

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	-	1.74
रोजगार उपरांत लाभ (उपदान) और दीर्घावधि लाभ(क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां)	-	1.53
भविष्य निधि में अंशदान	-	0.25
कुल	**-**	**3.52**

* मुख्य वित्तीय अधिकारी 30 सितंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए.

टिप्पणियां: कंपनी ने सुरेंद्र नायक को 1 अक्तूबर, 2018 से नियंत्रक कंपनी से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करने के प्रति वर्ष के दौरान ₹ 4.79 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 कसे ₹ 2.10 दशलक्ष) की प्रतिपूर्ति की.

इ. कंपनी सचिव

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	3.06	2.27
रोजगार उपरांत लाभ (उपदान) और दीर्घावधि लाभ(क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां)	0.97	0.74
भविष्य निधि में अंशदान	0.34	0.28
कुल	**4.37**	**3.29**

43.6 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रकटन:

43.6.1 सरकार से जुडे उन प्रतिष्ठानों के नाम जिनके साथ उल्लेखनीय प्रमाण में लेन-देन किए गए: (43.5 में किए गए प्रकटन से भिन्न)

क्रम सं.	सरकार से जुड़े प्रतिष्ठान	संबंध
i	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय PSU
ii	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय PSU
iii	नैशनल इंश्यूरेंस कंपनी लि.	केंद्रीय PSU
iv	कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	राज्य सरकार
v	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	न्यास
vi	बालमेर लॉरी एण्ड कं. लि.	केंद्रीय PSU
vii	दी न्यू इंडिया अश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	केंद्रीय PSU
viii	केंद्रीय भण्डारण निगम	केंद्र सरकार
ix	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन	केंद्रीय PSU
x	गेल इंडिया लि.	केंद्रीय PSU
xi	स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	केंद्र सरकार
XII	कंपनी कार्य मंत्रालय	केंद्र सरकार
XIII	बीएसएनएल	केंद्रीय PSU
XIV	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	केंद्र सरकार
XV	युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कं. लि.	केंद्रीय PSU

43.6.2 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन (43.5.1 में प्रकट किए गए प्रतिष्ठानों से भिन्न)

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	सेवाएँ	21.27	16.99
नैशनल इंश्यूरेंस कंपनी लि.	सेवाएँ	0.43	29.38
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सेवाएँ	0.00	0.07
नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट संबंधी सेवाएं	53.56	84.18
बालमेर लॉरी एण्ड कं. लि.	सेवाएँ	12.44	5.34
न्यू इंडिया अश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	सेवाएँ	117.18	41.44
केंद्रीय भण्डारण निगम	सेवाएँ	-	0.11
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	वस्तुओं की आपूर्ति	0.56	6.70
गेल इंडिया लि.	वस्तुओं की आपूर्ति	11.20	0.85
कंपनी कार्य मंत्रालय	सेवाएँ	5.00	-
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	सेवाएँ	1.61	-
स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि	सेवाएँ	5.00	-
युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कं. लि.	सेवाएँ	15.30	-

43.6.3 सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के पास बकाया शेषराशि (43.5.2 में प्रकट किए गए प्रतिष्ठानों से भिन्न)

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
रकम (देय)/प्राप्य:			
नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	व्यापार और अन्य देयताएँ	0.96	0.74
नैशनल इंश्यूरेंस कंपनी	सेवाएं	0.25	0.25
केंद्रीय भण्डारण निगम	सेवाएं	-	(0.08)
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	सेवाएं	(2.60)	-
गेल इंडिया लि.	वस्तुओं की आपूर्ति	9.28	-
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	सेवाएँ	1.61	-

सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन-देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई जहाज से यात्रा, ईंधन की खरीदारी और जमाराशि आदि. वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं है और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

44 वित्तीय लिखत

44.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय समूह का उद्देश्य है, समुत्थान प्रतिष्ठान की तरह जारी रखने की उसकी क्षमता की हिफ़ाजत करना ताकि समूह, हिस्सेदारों को अधिकतम प्रतिफल और अन्य हिस्सेदारों को लाभ दिला सके और पूंजी लागत घटाने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बरकरार रख सके.

समूह, अपना वित्तीय ढांचा बरकरार रखता है जिससे कि सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ शेयरधारकों की मूल्य वृद्धि हासिल करने के प्रति समर्थन दिया जा सके. पूंजी संरचना को बरकरार रखने अथवा उसका समायोजन करने की दृष्टि से समूह, शेयरधारकों को लाभांश के वितरण में फेर-बदल कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नए शेयरों का निर्गमन कर सकता है अथवा कर्ज घटाने के लिए आस्तियां बेच सकता है.

समूह की पूंजीगत संरचना में समाविष्ट है, निवल कर्ज (टिप्पणी 22 और 23 में विस्तार से उल्लिखित उधार, जिसकी कमी पूरी की गई है नकद और बैंक शेषराशियों से) और समूह की कुल इक्विटी.

समूह का प्रबंधन, समूह की पूंजीगत संरचना का तिमाही आधार पर समीक्षा करता है. इस समीक्षा के अंग के तौर पर, प्रबंधन, पूंजी लागत और प्रत्येक श्रेणी की पूंजी की आवश्यकता से जुड़े जोखिमों और पर्याप्त नकदी बनाए रखने पर विचार करता है.

44.1.1 गेरिंग अनुपात

रिपोर्ट अवधि के अंत में गेरिंग अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया जाता है:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
i) कर्ज *	1,77,025.68	1,56,176.85
ii) कुल नकद और बैंक शेषराशि	280.15	4,896.17
घटाएं: कार्यकारी पूंजी के लिए आवश्यक नकद और बैंक शेषराशि	279.95	4,875.35
निवल नकद और बैंक शेषराशि	0.20	20.82
iii) निवल कर्ज	1,77,025.48	1,56,156.03
iv) कुल इक्विटी	70,837.59	1,02,459.13
v) इक्विटी की तुलना में निवल कर्ज का अनुपात	2.50	1.52

* कर्ज का मतलब है, टिप्पणी 22 और टिप्पणी 23 में यथा वर्णित दीर्घावधि और अल्पावधि उधार.

44.2 वित्तीय लिखतों की श्रेणियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वित्तीय आस्तियां		
परिशोधित लागत पर मापी गई		
(क) प्राप्य व्यापार राशियां	10,171.72	23,739.22
(ख) नकद और नकदी समतुल्य	18.00	46.73
(ग) अन्य बैंक शेषराशि	262.15	4,849.44
(घ) ऋण	1,284.22	1,061.70
(ङ) अन्य वित्तीय आस्तियां	205.13	141.53
लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया		
(क) निवेश	5.08	5.08
वित्तीय देयताएं		
परिशोधित लागत पर मापे गए		
(क) उधार	1,59,721.39	1,22,383.59
(ख) देय व्यापार राशियां	32,765.33	46,932.33
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	27,768.11	42,005.63

44.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

समूह की जोखिम प्रबंधन समिति, समूह का प्रचालन करने में निहित महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों पर निगरानी रखकर उसे संभालती है जिसके लिए जोखिम की तीव्रता और उसके प्रमाण के आधार पर एक्सपोशर का विश्लेषण किया जाता है. इन जोखिमों में शामिल है, बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और नकदी जोखिम.

44.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम अथवा अनिश्चितता है जो संभवत: बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से और व्यवसाय के भावी निष्पादन पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होती है. बाजार जोखिम के प्रमुख घटक हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम.

44.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

समूह, विदेशी मुद्रा में अंकित लेन-देन, मूल रूप से क्रूड तेल की खरीदारी और निर्यात बिक्री के सिलसिले में करता है और उसके उधार, विदेशी मुद्रा में अंकित होते हैं; फलस्वरूप उसे विनिमय दर में घट-बढ़ का सामना करना पड़ता है. रिपोर्ट अवधि के अंत में समूह की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक आस्तियों और मौद्रिक देयताओं की रखाव रकम, निम्नानुसार है :-

लेन-देन की मुद्रा	देयताएं		आस्तियां	
	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
USD	1,42,114.17	1,52,742.52	2,903.95	6,232.89
यूरो	1.10	-	-	-
CAD	-	-	0.76	-

44.5.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

समूह को, ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा (USD) में व्यवहार करना पड़ता है. लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता, ख़ास तौर से USD में अंकित प्राप्य और देय राशियों से उत्पन्न होती है.

प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार, USD-INR मुद्राओं के बीच विनिमय दर में +/- 5% का परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए अवधि के अंत में सिर्फ़ विदेशी मुद्रा में अंकित बकाया मौद्रिक मदों पर लाभ अथवा हानि की संवेदनशीलता, यहां नीचे प्रस्तुत की गई है:

वर्ष के अंत में USD की संवेदनशीलता	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
प्राप्य राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	145.20	311.65
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	(145.20)	(311.65)
देय राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	(6,781.67)	(7,115.03)
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	6,781.67	7,115.03

44.5.2 वायदा विदेशी मुद्रा ठेके

समूह ने, रिपोर्ट अवधि के दौरान, किसी वायदा विदेशी मुद्रा ठेके पर हस्ताक्षर नहीं किए.

44.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

समूह ने, निश्चित और अस्थाई ब्याज दरों पर उधार लिए हैं इसलिए उसे ब्याज दर में निहित जोखिम उठाना पड़ेगा. समूह ने ब्याज दर में कोई अदला-बदली नहीं की और इसलिए समूह को ब्याज दर में निहित जोखिम का सामना करना पड़ेगा.

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्ट अवधि के अंत में ब्याज दर के प्रति एक्सपोशर के आधार पर किया गया है. अस्थाई दर पर लिए गए उधारों के संबंध में, विश्लेषण करते समय यह परिकल्पना की गई है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में बकाया उधार राशि, समग्र वर्ष में बकाया रही. संवेदनशीलता विश्लेषण में प्रकटन करते समय 50 आधार बिंदु को घटाया या बढ़ाया गया है.

अगर ब्याज दर, 50 आधार बिंदु पर अधिक/कम हुआ होता और सभी अन्य परिवर्तनीय कारकों को स्थिर रखा गया होता तो समूह का, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में लाभ, ₹ 669.11 दशलक्ष तक बढ़/घट गया होता (31 मार्च, 2019 में: ₹ 628.60 दशलक्ष तक वृद्धि/अवनति). इसका प्रमुख कारण है, उसके परिवर्तनीय दरों पर लिए गए उधार के प्रति समूह का एक्सपोशर (वर्ष के अंत में और कार्यकारी पूंजीगत ऋणों को छोड़कर उधार पर अंतिम शेषराशि पर विचार किया जाता है).

44.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण संबंधी जोखिम एक ऐसा जोखिम है जब कोई प्रति पक्षकार, अपने संविदात्मक दायित्व निभाने से मुकर जाता है जिसके चलते समूह को वित्तीय हानि होती है. ऋण संबंधी जोखिम, नकद और नकदी समतुल्य, प्राप्य रकम सहित बैंकों एवं ग्राहकों के पास रखी गईं जमाराशियों से उत्पन्न होता है. ऋण जोखिम प्रबंधन, उपलब्ध उचित और समर्थक अग्रदर्शी सूचना के साथ-साथ ऐसे संकेतकों पर विचार करता है जैसे बाह्य क्रेडिट रेटिंग (जहां तक उपलब्ध हो), समष्टि-आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, सरकारी निदेश, बाजार ब्याज दर).

चूंकि अधिकतर ग्राहक, सर्वाधिक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियां हैं इसलिए ऋण में निहित जोखिम न के बराबर है. किसी दूसरे प्रति पक्षकार के प्रति ऋण जोखिम का सांद्रण, वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मौद्रिक आस्तियों के 10% के परे न रहा.

नियंत्रक कंपनी को की गई बिक्री के अलावा सहायक कंपनी, OMPL, अपने ग्राहकों को इस तरह से बिक्री करता है जिसके लिए जमानत के तौर पर साख पत्र दिया जाता है.

जमाराशि रखते समय सिर्फ़ उच्च रेटिंग प्राप्त बैंकों पर विचार किया जाता है. बैंक शेषराशियां, प्रतिष्ठित एवं साख पात्र बैंकिंग संस्थाओं में रखी जाती हैं.

44.8 नकदी जोखिम प्रबंधन

समूह, नकदी जोखिम संभालने के लिए बैंक जमाराशियों पर पर्याप्त नकद और नकदी समतुल्य रखता है और रकम देय होने पर दायित्व निभाने की खातिर प्रतिबद्ध पर्याप्त रकम में ऋण सुविधाओं के जरिए निधि उपलब्ध कराता है. प्रबंधन, अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी स्थिति, नकद एवं नकदी समतुल्य का पूर्वानुमान लगाने की खातिर उस पर नज़र रखता है. इसके अलावा, चल निधि प्रबंधन में वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करते हुए और तुलन-पत्र के चल निधि अनुपात पर नज़र रखते हुए दायित्व निभाने के लिए ज़रूरी नकदी आस्तियों के स्तर पर विचार करते हुए नकदी प्रवाह का प्रक्षेपण किया जाता है. समूह, चल निधि संबंधी जोखिम संभालते समय, पर्याप्त आरक्षित निधि बरकरार रखता है और लगातार पूर्वानुमान पर और वास्तविक नकदी प्रवाह पर नज़र रखने के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करता है.

नीचे उल्लिखित तालिका में समूह की, सम्मत चुकौती अवधि के लिए गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए बची हुई संविदात्मक परिपक्वता दर्शाई गई है. यह तालिका, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशाघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख को ध्यान में रखते हुए वित्तीय देयताओं के बट्टा रहित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है. इस तालिका में ब्याज और मूल नकदी प्रवाह, दोनों समाविष्ट किए गए हैं. संविदात्मक परिपक्वता, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है.

विवरण 31 मार्च, 2020 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह 1 वर्ष	1 वर्ष-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल रखाव रकम
(i) उधार	दीर्घावधि - 4.80% अल्पावधि - 7.74% सहायक कंपनी, OMPL दीर्घावधि - 4.61% अल्पावधि - 8.22%	2,470.32	33,481.62	37,810.21	86,953.58	1,60,715.73	1,59,721.39
(ii) देय व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 26.2	27,570.92	5,194.41	-	-	32,765.33	32,765.33
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		6,679.39	19,171.13	485.88	5,218.15	31,554.55	27,768.11
यथा 31 मार्च, 2019							
(i) उधार	दीर्घावधि - 5.41% अल्पावधि - 7.40% सहायक कंपनी, OMPL दीर्घावधि - 7.13% अल्पावधि - 4.31%	43,242.26	39,783.83	26,861.38	12,988.56	1,22,876.03	1,22,383.59
(ii) देय व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 26.2	37,838.17	9,094.16	-	-	46,932.33	46,932.33
iii) अन्य वित्तीय देयताएं		7,568.86	34,455.21	-	-	42,024.07	42,005.63

नीचे दी गई तालिका में समूह की गैर व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता के ब्यौरे दिए गए हैं. यह तालिका, वित्तीय आस्तियों पर अर्जित किए जाने वाले ब्याज सहित इन आस्तियों की बट्टा रहित संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर तैयार की गई है. समूह की चलनिधि जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों पर जानकारी समाविष्ट करना आवश्यक है क्योंकि चलनिधि को, निवल आस्ति और देयता के आधार पर संभाला जाता है.

विवरण 31 मार्च, 2020 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह 1 वर्ष	1 वर्ष- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल रखाव रकम
(i) निवेश		-	-	-	292.95	292.95	292.95
(ii) ऋण							
कर्मचारियों को	7.40%	15.43	113.10	246.99	701.70	1,077.22	1,077.22
ग्राहकों को		0.01	0.14	0.35	1.24	1.74	1.74
अन्यों को दिए गए ऋण	9.55%	3.40	1.11	0.10	394.37	398.98	205.26
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां		10,095.35	76.37	-	-	10,171.72	10,171.72
(iv) नकद और नकदी समतुल्य	देखें टिप्पणी 17.1	18.00	-	-	-	18.00	18.00
(v) बैंक शेषराशि उक्त (iv) से भिन्न		262.06	0.09	- 13.30	- 185.27	262.15	262.15
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां		3.70	2.86			205.13	205.13

यथा 31 मार्च, 2019							
(i) निवेश		-	-	-	287.58	287.58	287.58
(ii) ऋण							
कर्मचारियों को	6.24%	17.58	90.25	195.95	575.05	878.83	878.83
ग्राहकों को		-	-	-	-	-	-
अन्यों को दिए गए ऋण		6.48	0.92	0.35	362.78	370.53	182.87
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 17.1	23,665.42	73.80	-	-	23,739.22	23,739.22
(iv) नकद और नकदी समतुल्य		46.73	-	-	-	46.73	46.73
(v) उक्त (iv) से भिन्न बैंक शेषराशियां		4,849.35	-	0.09	-	4,849.44	4,849.44
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां		4.86	1.63	3.15	131.89	141.53	141.53

समूह को नीचे वर्णित वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच है जिसमें से ₹ 3,838.02 दशलक्ष का रिपोर्ट अवधि के अंत में उपयोग नहीं किया गया था (31 मार्च, 2019 को ₹ 8,379.91 दशलक्ष). समूह उम्मीद करता है कि वह प्रचालन नकदी प्रवाह और परिपक्व होने वाली वित्तीय आस्तियों से अपने अन्य दायित्व निभा पाएगा.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
मांग पर देय जमानती बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा:	10,000.00	11,620.50
- उपयोग की गई रकम	6,161.98	3,240.59
- उपयोग न की गई रकम	3,838.02	8,379.91

44.9 उचित मूल्य का मापन

प्रबंधन समझता है कि वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं की रखाव रकम, उनके उचित मूल्य दर्शाती है.

45 संयुक्त उद्यमों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण (31 मार्च, 2020 को)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से प्राप्त लाभ अथवा हानि	प्रचालन बंद करने से प्राप्त लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	2,405.41	98.63	1,921.35	9.12	8,307.54	15.19	-	(0.43)	14.76
कुल	**2,405.41**	**98.63**	**1,921.35**	**9.12**	**8,307.54**	**15.19**	-	**(0.43)**	**14.76**

विवरण (31 मार्च, 2019 को)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से प्राप्त लाभ अथवा हानि	प्रचालन बंद करने से प्राप्त लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	3,083.44	96.06	2,602.38	3.36	7,277.44	15.94	-	(0.48)	15.46
कुल	**3,083.44**	**96.06**	**2,602.38**	**3.36**	**7,277.44**	**15.94**	-	**(0.48)**	**15.46**

45.1 संयुक्त उद्यमों से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण (31 मार्च, 2020) को	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय पर ब्याज कर संबंधी खर्च
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	533.12	1,836.11	9.12	15.31	41.50	12.04	1.60
कुल	**533.12**	**1,836.11**	**9.12**	**15.31**	**41.50**	**12.04**	**1.60**

विवरण (31 मार्च, 2019) को	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय पर ब्याज कर संबंधी खर्च
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	203.48	2,487.63	-	11.36	43.99	13.68	14.06
कुल	**203.48**	**2,487.63**	**-**	**11.36**	**43.99**	**13.68**	**14.06**

46 आकस्मिक देयताएं

46.1 कंपनी के खिलाफ ऐसे दावे/विवादग्रस्त मांगें, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

क्रम. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
1.	**माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे**		
क)	उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम, ₹1,248.03 दशलक्ष को पूंजीकृत किया जाएगा/ ₹ 35.86 दशलक्ष को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा. (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में ₹ 3,001.29 दशलक्ष और ₹ 46.93 दशलक्ष).	1,283.89	3,048.22
ख)	सहायक कंपनी OMPL - कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए कीमत संबंधी समायोजन, बढाई गई अवधि के लिए मुआवजे, अतिरिक्त दावे आदि के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने तथ्यों और ठेका संबंधी नियमों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है चूंकि Ind AS 37 के अधीन अपेक्षित कुछ अथवा तमाम जानकारी को प्रकट करने से, आकस्मिक देयता के मामले में पक्षकारों के साथ उत्पन्न विवाद में कंपनी की स्थिति पर प्रतिकूल गंभीर परिणाम होने की संभावना है इसलिए ऐसे कथित दावों को चालू वर्ष में प्रकट नहीं किया गया है.	2,958.38	2,958.38
2	**अन्य**		
	पुनर्वास एवं पुन:व्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईज़ड् लि. का दावा.	20.05	20.05
	कुल	**4,262.32**	**6,026.65**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए समूह द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम्/अदालत से समाधान/फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

46.2 यथा 31 मार्च, 2020 अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे

46.2.1 आय कर: 31 मार्च, 2020 को ₹ 116.52 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2019 को ₹ 2,990.62 दशलक्ष). इसके प्रति 31 मार्च, 2020 को ₹ शून्य का (31 मार्च, 2019 को ₹ 307.24 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे कर आस्तियों/देयताओं के अधीन शामिल किया गया है **(देखें टिप्पणी 14).**

46.2.2 उत्पाद शुल्क 31 मार्च, 2020 को ₹ 7,310.93 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2019 को ₹ 6,888.27 दशलक्ष). इसके प्रति 31 मार्च, 2020 को ₹ 182.10 दशलक्ष को (31 मार्च, 2019 को ₹ 182.10 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत पूर्व जमा/अदा किया गया है जिसे कर आस्तियों के अधीन शामिल किया गया है **(देखें टिप्पणी 15).**

46.2.3 सीमा शुल्क 31 मार्च, 2020 को ₹ 916.31 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2019 को ₹ 873.25 दशलक्ष). इसके प्रति 31 मार्च, 2020 को ₹ 379.48 दशलक्ष का (31 मार्च, 2019 को ₹ 378.71 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे कर आस्तियों के अधीन शामिल किया गया है **(देखें टिप्पणी 15).**

46.2.4 सीमा शुल्क विभाग ने, आयात शुल्क का भुगतान करने के प्रयोजन से रीफ़ॉर्मेट के टैरिफ़ के वर्गीकरण के संबंध में लागू ब्याज और दंड के साथ ₹ 2,121.14 दशलक्ष और कुल मिलाकर ₹ 6,168.37 दशलक्ष के सीमा शुल्क का दावा किया है. समग्र मांग को चुनौती देते हुए अपील प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दर्ज की गई है. अपील संबंधी कार्यवाही का नतीजा निकलने तक उक्त मांग के लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

47 प्रतिबद्धताएं

47.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:

47.1.1 पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 31 मार्च, 2020 को ₹10,786.69 दशलक्ष रही (31 मार्च, 2019 को ₹118,483.67 दशलक्ष).

47.1.2 कंपनी ने KIADB से चरण IV विस्तार के लिए 1050 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त ही है. इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता है करीब ₹6,407.14 दशलक्ष (31 मार्च, 2019 को ₹ 6,407.14 दशलक्ष).

47.1.3 कंपनी ने KIADB से 2G एथनॉल संयंत्र लगाने के लिए, हनगवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, दावणगेरे ज़िला में 47.65 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त की है. इस संबंध में शेष पूंजीगत प्रतिबद्धता है करीब ₹ शून्य है (31 मार्च, 2019 को ₹ 367.87 दशलक्ष).

47.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

47.2.1 रिफाइनरी की तरफ़ से प्रतिबद्धता पूरी होने तक-एमआरपीएल के पास कुछ भूमि है जिसका अनंतिम रूप से माप 36.69 एकड़ है जिसे HPCL ने एमआरपीएल चरण III और उन्नयन कार्य के सिलसिले में उपयोग करने की खातिर सत्तांतरित किया है. इस भूमि के लिए प्रतिफल स्वरूप, परस्पर सम्मति के आधार पर एमआरपीएल/ HPCL के कब्ज़े में रही भूमि की अदला-बदली की जाएगी. इस संबंध में अंतिम प्रलेखन, अभी निष्पादित नहीं किया गया है.

47.2.2 मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन (मेसर्स शेल्ल GIS) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक, 31 मार्च, 2020 को निवल अग्रिम USD 1.46 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2019 को USD 1.46 दशलक्ष निवल अग्रिम)

47.2.3 सहायक कंपनी, OMPL ने मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड से 441.438 एकड़ की भूमि 47 वर्ष और 10 महीनों की अवधि के लिए पट्टे पर ली है. मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड को ₹ 23.40 दशलक्ष का वार्षिक पट्टा किराया देना पड़ेगा. 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण दृष्टिकोण के सहारे Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया और तदनुसार ₹ 282.36 दशलक्ष की पट्टा संबंधी देयता को बहियों में लेखाबद्ध किया गया है.

47.2.4 सहायक कंपनी OMPL ने मंगलूर SEZ लिमिटेड और मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय करार किया गया है कि मंगलूर SEZ लिमिटेड को 15 वर्ष तक 3.86 दशलक्ष गैलन प्रति दिन (MGD) जल आपूर्ति करनी होगी. इसलिए कंपनी द्वारा मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड को ₹ 85.60 दशलक्ष का वार्षिक शुल्क देना पड़ेगा.

47.2.5 सहायक कंपनी OMPL ने मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड (MSEZL) के साथ अंचल O&M करार किया है जिसमें MSEZL को, परस्पर सम्मत नियमों और शर्तों पर अंचल O&M प्रभार देकर अंचल प्रचालन की सेवाएं और अनुरक्षण प्रदान करना होगा. मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड को 3% की वार्षिक बढ़त के साथ ₹ 38.61 दशलक्ष का वार्षिक शुल्क देना पड़ेगा.

47.2.6 सहायक कंपनी OMPL चाहती है कि उसे चालू वर्ष के निर्यातों के संबंध में ₹ 53.96 दशलक्ष का प्रोत्साहन मिले जो अभी लेखाबद्ध नहीं किया गया है और इसे लेखाबद्ध करने संबंधी शर्तें पूरी करने पर राजस्व के रूप में दर्शाया जाएगा.

48 वित्तपोषक गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान

नीचे दी गई तालिका में, नकदी तथा गैर नकदी प्रभारों, दोनों सहित वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न कंपनी की देयताओं में परिवर्तन के ब्यौरे दिए गए हैं. वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताएं ऐसी देयताएं हैं जिनके लिए नकदी प्रवाह या भावी नकदी प्रवाह को वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण में वर्गीकृत किया जाएगा. .

क्रम सं.	विवरण	01-04-2019 को प्रारंभिक शेषराशि	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	नकदेतर परिवर्तन	31/03/2020 को अंतिम शेषराशि
I	**उधार - दीर्घावधि**				
	1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	34,500.76	(4,349.10)	2,692.59	32,844.25
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	2,680.00	2,710.00	-	5,390.00
	3 अपरिवर्तनीय डिबेंचर	19,999.61	5,600.00	(13.02)	25,586.59
	4 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण	225.56	423.85	(288.63)	360.78
	5 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण (ECB)	68.52	27,752.88	2,203.63	30,025.03
	6 आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	-	-	-	-
	7 आस्थगित भुगतान देयताएं - CST	218.63	(218.63)	-	-
	8 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	3,458.00	32,399.9	2,652.97	38,510.88
	9 रुपया सावधि ऋण	11,999.70	(5,142.98)	-	6,856.72
	10 यौगिक वित्तीय लिखत का कर्ज घटक	-	2,196.46	-	2,196.46
	कुल	**73,150.78**	**61,372.39**	**7,247.54**	**1,41,770.71**
II.	**उधार - अल्पावधि**				
	1 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	4,654.87	3,977.44	(0.01)	8,632.30
	2 विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	49,795.20	(38,169.83)	240.69	11,866.06
	3 वाणिज्यिक पत्र	4,000.00	(4,000.00)	-	-
	4 खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण	24,206.00	(24,206.00)	-	-
	5 अल्पावधि रुपया ऋण	370.00	4,362.16	-	4,732.16
	6 बिल भुनाई सुविधा	-	6,324.45	-	6,324.45
	7 अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण	-	3,700.00	-	3,700.00
	कुल	**83,026.07**	**(48,011.78)**	**240.68**	**35,254.97**

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को प्रारंभिक शेषराशि	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	नकदेतर परिवर्तन	31/03/2019 को अंतिम शेषराशि
I	**उधार - दीर्घावधि**				
	1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	38,596.06	(4,864.27)	768.97	34,500.76
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	750.00	1,930.00	-	2,680.00
	3 अपरिवर्तनीय डिबेंचर	24,995.79	(5,000.00)	3.82	19,999.61
	4 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण	169.24	107.52	(51.20)	225.56
	बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	-	68.18	0.34	68.52
	आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	18,856.90	(18,856.90)	-	-
	7 आस्थगित भुगतान देयताएं - CST	618.63	(400.00)	-	218.63
	8 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	2,607.20	661.70	189.10	3,458.00
	9 रुपया सावधि ऋण	-	11,999.70	-	11,999.70
	कुल	**86,593.82**	**(14,354.07)**	**911.03**	**73,150.78**
II.	**उधार - अल्पावधि**				
	1 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	2,289.76	2,357.85	7.26	4,654.87
	2 विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	42,367.00	6,916.46	511.74	49,795.20
	3 वाणिज्यिक पत्र	-	4,000.00	-	4,000.00
	4 खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण	14,339.60	10,110.65	(244.25)	24,206.00
	5 अल्पावधि रुपया ऋण	3,620.00	(3,250.00)	-	370.00
	कुल	**62,616.36**	**20,134.96**	**274.75**	**83,026.07**

बैंक ऋण, संबंधित पक्षकारों से ऋण और अन्य उधार राशियों से नकदी प्रवाह, नकदी प्रवाह विवरण में, उधार से निवल प्राप्तियां और उधार की चुकौती बनती है.

49 कंपनी, स्टॉक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत भंडार का, चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें कुछ अवधि में तमाम मदों को इस दायरे में लाया जाएगा. समायोजन में कोई अंतर हो तो उसे समाधान पूरा होने के बाद दूर किया जाएगा.

सहायक कंपनी, OMPL , स्टॉक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं भंडार/अतिरिक्त पुर्जों का, चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है. समायोजन में कोई अंतर हो तो उसे समाधान पूरा होने के बाद दूर किया जाएगा.

50 समूह के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो.

51 व्यापार और प्राप्य राशियों, देय व्यापार और अन्य राशियों और ऋणों की कुछ शेषराशियों का पुष्टीकरण / समाधान नहीं किया गया है. पुष्टीकरण मिलने/समाधान होने पर कोई समायोजन करने पड़े तो किया जाएगा जिसका कोई ख़ास असर नहीं होगा.

52 दुनिया भर में COVID-19 महामारी फैलने और परिणामस्वरूप भारत सहित कई देशों में 25 मार्च, 2020 से लॉकडाउन जारी करने से कंपनी के कारोबार पर असर पड़ा है. फलस्वरूप क्रूड तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण दुनिया भर में इनकी कीमतों और परिष्करण मार्जिन पर प्रभाव पड़ा है. चूंकि पेट्रोलियम उत्पाद, अनिवार्य सेवाओं के अधीन आते हैं इसलिए समूह के परिष्करण प्रचालन, लॉकडाउन अवधि के दौरान जारी रखे गए. लॉकडाउन के कारण समूह की बिक्री में गिरावट आई. COVID-19 के कारण लॉकडाउन, 2020-21 में जारी रहा है और समूह ने इस समय कम मांग और मार्जिन के बावजूद अपना प्रचालन जारी रखा है क्योंकि ये उत्पाद, अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं के अधीन आते हैं. प्रबंधन को उम्मीद है कि COVID-19 में स्थिरता आने पर लॉकडाउन हटाने के बाद उत्पादों की मांग बढ़ेगी. प्रबंधन ने, COVID 19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और आशा करता है कि लंबे समय तक प्रचालन जारी रखने से कारोबार पर / आस्ति की उपयोगी अवधि पर / दीर्घावधि वित्तीय स्थिति आदि पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा भले ही निकट भविष्य में राजस्व और रिफ़ाइनरी थ्रूपुट की मात्रा में गिरावट आए.

53 सहायक कंपनी, OMPL, मंगलूर में विशेष आर्थिक अंचल (SEZ) में काम करती है, तदनुसार, यह कंपनी, कुछ आर्थिक लाभ पाने के लिए योग्य है जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर आदि, जो सरकारी सहायता के रूप में होते हैं. ये लाभ पाने के लिए कंपनी को कुछ दायित्व निभाने होंगे.

54 बोर्ड ने आवश्यक अनुमोदन मिलने पर सहायक कंपनी, ओएनजीसी मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के साथ कंपनी का समामेलन करने की सहमति दी है. कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से उनके पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के जरिए " अनापत्ति " मिली थी. चूंकि यह मामला अभी प्रारंभिक चरण में है इसलिए वित्तीय विवरणों में इस बारे में कोई प्रकटन नहीं किया गया है.

55 वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें, पिछले वर्षों से संबंधित हैं. पिछले वर्ष के आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक हो, पुन:समूहन किया गया है.

56 **वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

निदेशक मंडल ने 09 जून, 2020 को जारी करने की खातिर वित्तीय विवरणों के लिए अपना अनुमोदन दिया.

दस वर्ष के निष्पादन की एक झलक

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, ₹ दशलक्ष में है)

	Ind AS 2019-20	Ind AS 2018-19	Ind AS 2017-18	Ind AS 2016-17	IGAAP 2015-16	IGAAP 2014-15	IGAAP 2013-14	IGAAP 2012-13	IGAAP 2011-12	IGAAP 2010-11
हमारी देयताएं										
इक्विटी शेयर पूंजी	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,572.57	17,618.50
अन्य इक्विटी	60,468.65	89,743.65	92,804.09	83,178.11	46,677.80	35,522.95	53,162.08	47,150.26	54,719.37	47,670.51
निवल मालियत	**77,995.29**	**1,07,270.29**	**1,10,330.73**	**1,00,704.75**	**64,204.44**	**53,049.5**	**70,688.72**	**64,676.90**	**72,291.94**	**65,289.01**
उधार	1,18,960.72	91,310.39	79,501.65	85,409.61	81,028.40	90,324.65	97,927.21	75,576.54	61,831.10	15,569.75
आस्थगित कर आस्ति/ देयताएं (निवल)	(3,458.46)	10,155.44	9,061.70	4,766.63	806.31	-	4,702.69	7,343.28	4,531.40	3,471.64
कुल	**1,93,497.55**	**2,08,736.12**	**1,98,894.08**	**1,90,880.99**	**1,46,039.15**	**1,43,374.24**	**1,73,318.62**	**1,47,596.72**	**1,38,654.44**	**84,330.40**
हमारी स्वाधिकृत पूंजी										
PPE, ROU आस्तियां, अगोचर आस्तियां और सुनाम (पूंजी WIP सहित)	1,94,716.12	1,77,357.71	1,67,426.17	1,57,688.90	2,26,935.30	2,23,190.91	2,08,025.23	1,88,929.44	1,61,134.49	1,30,871.85
घटाएं: मूल्यह्रास और परिशोधन	35,099.46	27,649.10	20,445.65	13,884.30	75,889.89	68,323.33	62,595.55	55,578.31	49,644.32	45,301.36
	1,59,616.66	**1,49,708.61**	**1,46,980.52**	**1,43,804.60**	**1,51,045.41**	**1,54,867.58**	**1,45,429.68**	**1,33,351.13**	**1,11,490.17**	**85,570.49**
निवेश	17,576.56	15,026.47	13,496.42	13,496.42	13,496.73	13,496.73	150.02	150.02	422.80	948.25
चालू और गैर चालू आस्तियां /(देयता) (निवल)	16,304.33	44,001.04	38,417.14	33,579.97	(18,502.99)	(24,990.07)	27,738.92	14,095.57	26,741.47	(2,188.34)
कुल	**1,93,497.55**	**2,08,736.12**	**1,98,894.08**	**1,90,880.99**	**1,46,039.15**	**1,43,374.24**	**1,73,318.62**	**1,47,596.72**	**1,38,654.44**	**84,330.40**
आय										
बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क)	5,09,786.40	6,20,301.12	4,84,340.12	4,31,924.35	3,96,320.40	5,74,381.45	7,18,104.96	6,56,915.16	5,37,633.43	3,89,566.73
अन्य आय	1,283.33	1,872.90	2,211.39	4,386.38	8,725.24	8,101.56	3,244.67	1,160.36	3,543.09	2,171.83
विनिमय में घट-बढ़ (निवल): आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.48
तैयार माल स्टॉक में परिवर्तन प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक	(13,474.20)	5,616.39	7,667.19	2,883.03	(6,831.66)	(18,861.34)	6,740.75	11,161.53	1,502.05	8,152.71
कुल	**4,97,595.53**	**6,27,790.41**	**4,94,218.70**	**4,39,193.76**	**3,98,213.98**	**5,63,621.67**	**7,28,090.38**	**6,69,237.05**	**5,42,678.57**	**4,00,075.75**
व्यय										
खपाई गई सामग्री की लागत	4,66,242.67	5,85,137.08	4,32,481.63	3,74,887.61	3,46,504.26	5,58,860.55	7,07,406.32	6,54,001.82	5,12,367.50	3,72,193.37
व्यापार में स्टॉक की खरीदारी	33,520.79	5,260.88	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टॉक (निवल) पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क	(2,493.88)	455.39	1,141.16	(675.16)	1,588.96	916.85	199.63	217.99	(606.16)	647.77
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	4,401.22	4,286.56	4,173.45	3,520.06	3,061.41	2,407.42	2,154.74	1,845.60	1,606.42	1,845.35
विनिमय में घट-बढ़ (निवल): हानि/(आय)	6,872.12	2,919.37	(128.43)	(15,379.74)	11,902.67	6,835.01	19.03	5,364.91	6,482.20	-
अन्य खर्च	13,348.96	11,638.47	11,926.07	9,575.86	10,519.18	7,103.78	3,935.12	3,245.56	3,221.08	3,056.42
वित्त लागत	7,425.85	4,717.49	4,404.57	5,171.74	5,778.35	4,070.88	3,214.41	3,285.53	2,066.77	1,043.73
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	7,832.08	7,567.52	6,713.21	6,779.19	7,124.05	4,986.10	7,064.17	6,044.10	4,338.73	3,914.19
कुल	**5,37,149.81**	**6,21,982.76**	**4,60,711.66**	**3,83,879.56**	**3,86,478.88**	**5,85,180.59**	**7,23,993.42**	**6,74,005.51**	**5,29,476.54**	**3,82,700.83**
कर पूर्व लाभ	**(39,554.28)**	**5,807.65**	**33,507.04**	**55,314.20**	**11,735.10**	**(21,558.92)**	**4,096.96**	**(4,768.46)**	**13,202.03**	**17,374.92**
कर संबंधी खर्च	(12,477.86)	2,488.09	11,265.81	18,877.33	253.51	(4,436.58)	(1,914.86)	2,800.65	4,116.25	5,608.59
कर उपरांत लाभ	**(27,076.42)**	**3,319.56**	**22,241.23**	**36,436.87**	**11,481.59**	**(17,122.34)**	**6,011.82**	**(7,569.11)**	**9,085.78**	**11,766.33**
कुल व्यापक आय	**(27,162.15)**	**3,274.35**	**22,274.43**	**36,386.53**						
लाभांश (देखें नीचे दी गई टिप्पणी)	-	1,752.60	5,257.80	10,515.59	-	-	-	-	1,752.60	2,103.13
लाभांश वितरण कर	-	360.25	1,080.76	2,140.73	-	-	-	-	284.32	341.18
GRM ($/bbl)	(0.23)	4.06	7.54	7.75	5.20	(0.64)	2.67	2.45	5.60	5.90

तीन वर्ष के निष्पादन की एक झलक

($ दशलक्ष में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

	19-20	2018-19	2017-18
हमारी देयताएं			
इक्विटी शेयर पूंजी	231.90	253.42	268.90
अन्य इक्विटी	800.06	1,297.62	1,423.81
निवल मालियत	1,031.96	1,551.04	1,692.71
उधार	1,573.97	1,320.28	1,219.72
आस्थगित कर आस्ति/ देयताएं (निवल)	-45.76	146.84	139.03
कुल	2,560.17	3,018.16	3,051.46
हमारी स्वाधिकृत पूंजी			
PPE, ROU आस्ति, अगोचर आस्तियां व सुनाम (पूंजी WIP सहित)	2,576.29	2,564.46	2,568.67
घटाएं: मूल्यह्रास और परिशोधन	464.40	399.78	313.68
	2,111.89	2,164.68	2,254.99
निवेश	232.56	217.27	207.06
चालू और गैर चालू आस्तियां /(देयता) (निवल)	215.72	636.21	589.41
कुल	2,560.17	3,018.16	3,051.46
आय			
बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क)	7,192.25	8,877.93	7,513.81
अन्य आय	18.11	26.81	34.31
तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	(190.10)	80.38	118.94
कुल	7,020.26	8,985.12	7,667.06
व्यय			
खपाई गई सामग्री की लागत	6,577.92	8,374.65	6,709.30
व्यापार में स्टॉक की खरीदारी	472.92	75.30	-
स्टॉक (निवल) पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क	(35.18)	6.52	17.70
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	62.09	61.35	64.74
विनिमय में घट-बढ़ (निवल): हानि/(आय)	96.95	41.78	(1.99)
अन्य खर्च	188.33	166.57	185.02
वित्त लागत	104.77	67.52	68.33
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	110.50	108.31	104.15
कुल	7,578.30	8,902.00	7,147.25
कर पूर्व लाभ	(558.04)	83.12	519.81
कर संबंधी खर्च	(176.04)	35.61	174.77
कर उपरांत लाभ	(382.00)	47.51	345.04
कुल व्यापक आय	(388.75)	46.86	345.55
लाभांश (देखें नीचे दी गई टिप्पणी)	-	25.08	81.57
लाभांश वितरण कर	-	5.16	16.77
GRM ($/bbl)	(0.23)	4.06	7.54

(आंकड़ों का, जहां कहीं ज़रूरी हो पुन:समूहन और पुन: आयोजन किया गया है)

टिप्पणियां: निदेशक मंडल ने विव 2019-20 के दौरान लाभांश देने की सिफ़ारिश नहीं की.

एमआरपीएल का निष्पादन

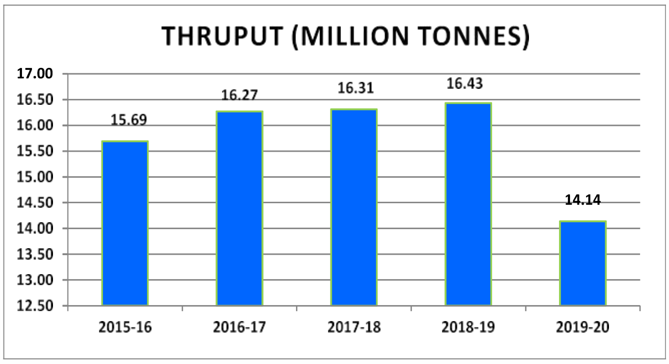

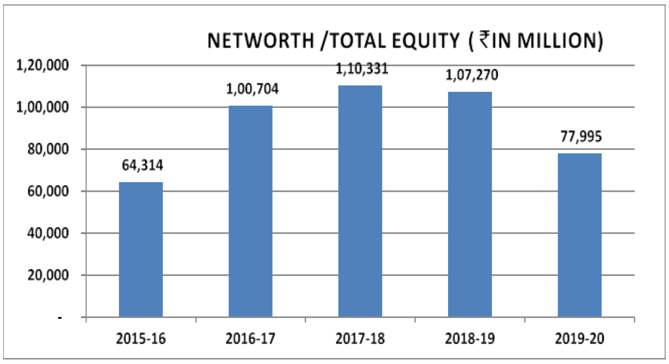

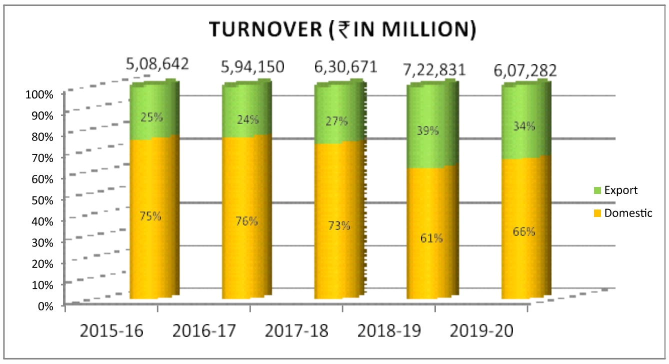

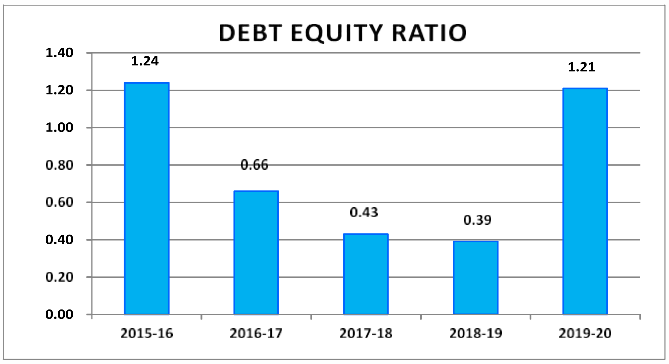

Book - Post

M(S लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि.,.
C-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग
विख्रोली (प) मुंबई - 500 083
टेलीफोन: 022 - 49186060 | फैक्स : 022 - 4912 86270
ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in
वेबसाइट: www.linkintime.co.in